राजस्थान की अर्थव्यवस्था
(ECONOMY OF RAJASTHAN)

राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में स्वीकृत पाठ्यपुस्तक

(राजस्थान व अजमेर विश्वविद्यालयों के प्रथम वर्ष
(अर्थशास्त्र), 1994 के नवीनतम् पाठ्यक्रमानुसार)

लेखक
लक्ष्मीनारायण नाथूरामका
पूर्व रीडर, अर्थशास्त्र-विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

पचम सशोधित सस्करण

कॉलेज बुक हाउस
चौड़ा रास्ता, जयपुर ।

प्रशंसा

पाँचवें संस्करण की भूमिका

पुस्तक के पाँचवे सस्करण मे राजस्थान व अजमेर विश्वविद्यालयो के प्रथम वर्ष कला (अर्थशास्त्र) के 1994 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार सभी विषयो का क्रमबद्ध विवेचन व विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। पूर्व संस्करण की प्रत्येक पंक्ति को पढकर यथास्थान नये आँकडे नवीनतम स्रोतों (latest sources) से जोड दिये गये है पुरानी सामग्री, जो अनुपयोगी हो गई है उसे हटा दिया गया है और आवश्यकतानुसार कई स्थलो पर नये खण्ड जोडे गये हैं। जनसख्या के अध्याय मे सशोधित आँकडे Census of India 1991, Rajasthan, Facts From Figures से दिये गये है जो Directorate of census operations, Rajasthan ने 1993 के आरम्भ मे उपलब्ध किये हैं। इससे इस अध्याय की लगभग सभी तालिकाएँ प्रभावित हुई हैं जिसका सभी पाठक ध्यान रखे।

वस्तुनिष्ठ व लघु प्रश्नोत्तरो की सख्या 150 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है ताकि RAS व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओ के लिए अधिक मात्रा मे नवीनतम जानकारी उपलब्ध हो सके।

राजस्थान व अजमेर विश्वविद्यालयो की परीक्षाओं के 1992 के प्रश्न सम्बन्धित अध्यायो के अत मे दिये गये हैं एव 1993 के प्रश्न पुस्तक के अत मे जोड दिये गये हैं। प्रत्येक अध्याय की विषय-वस्तु को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है ताकि प्रश्नो के उत्तर छाटने मे कठिनाई न हो।

जिन स्रोतो से ताजा आकडे व नई सामग्री सकलित की गई है उनमे से कुछ के नाम इस प्रकार है - Statistical Abstract of Rajasthan, 1989, Some Facts About Rajasthan, 1992 (pocket size), Report on ASI, Rajasthan 1986 87 (राजस्थान के जिलेवार औद्योगिक विश्लेषण के लिए) (तीनो प्रकाशन DES, जयपुर से) Explanatory Memorandum on the Budget of the Government of Rajasthan for 1993 94, March 1993 (राज्य मे राष्ट्रपति शासन के कारण मार्च 1993 मे ससद मे प्रस्तुत) Draft Annual Plan, 1993 94 तथा Papers on Perspective Plan Rajasthan 1990 2000 AD (दोनो योजना-विभाग के प्रकाशन) Public Enterprises Profile 1990 91 (BPE, State Enterprises Department, Jaipur), Statistical Outline of India 1992-93 (Tata Services Ltd) (October 1992) एव Economic Survey 1992 93 (विभिन्न राज्यों के तुलनात्मक आँकडो के लिए)।

राज्य के बदलते हुए औद्योगिक परिदृश्य की सुनिश्चित व नवीनतम

जानकारी के लिए रीको के मासिक न्यूजलैटरों व वार्षिक रिपोर्टों का गहराइ मे उपयोग किया गया है। इन्हीं के आधार पर राज्य में बहुराष्ट्रीय कम्पनियो का औद्योगिक क्षेत्र मे योगदान जानने का प्रयास किया गया है। राज्य मे विकास केन्द्रो (Growth Centres) व औद्योगिक क्षेत्रो (industrial areas) की ताजा प्रगति का यथास्थान उल्लेख किया गया है।

आशा है नवीनतम तथ्यो व तर्कों से परिपूर्ण यह सस्करण विद्यार्थियो को राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विविध आयामो व पहलुओ को समझने मे ज्यादा मदद देगा।

मै उन प्राध्यापको का अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने इस रचना को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिये है। उनके आधार पर ही विभिन्न अध्यायो की सामग्री को अधिक सरल अधिक सुस्पष्ट व अधिक क्रमबद्ध करने का प्रयास किया गया है।

इस रचना के प्रकाशक श्री हर्षवर्धन जैन व श्री मनीष जैन भी हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने अल्प समय मे इसके सर्वोत्तम प्रकाशन का भरसक प्रयास किया है।

सभी पाठको से निवेदन है कि वे पुस्तक की त्रुटियो व कमियो को बतलाने का कष्ट करे ताकि उन्हे दूर करके रचना को अधिक प्रामाणिक व अधिक लाभकारी बनाया जा सके।

लक्ष्मीनारायण नाथूरामका
बी 17 ए, चौमू हाउस कॉलोनी
सी'स्कीम जयपुर।
फोन 381361

UNIVERSITY OF RAJASTHAN

B.A Part I & II
Economics Paper II, Examination 1994
ECONOMY OF RAJASTHAN
(Syllabus)

Section-A

Position of Rajasthan in Indian Economy Population Area Agriculture Industry and Infrastructure Relative Position in comparison to other states

Population Size and growth District wise distribution of rural and urban population, Occupational Structure and Human Resource Development (Literacy health and nutrition) indicators

Natural Resource Endowments Land, water livestock and minerals

State Domestic Product total and per capita Trends and structure of SDP

Agriculture Land utilization, Cropping pattern, major crops, Animal Husbandry Importance of live stock and animal husbandry in arid and semi arid regions

Industries Share of industries in total SDP and total employment Main features of industrial sector size commodity structure and regional spread. Small scale industries and handicrafts

Section-B

Land reforms abolition of jagirdari and other intermediary land tenures. Rajasthan Tenancy Act Distribution of land and problems of share cropping, tenancy and ceilings on land

Agricultural development since 1956

Development of animal husbandry Dairy development programme Problems of sheep and goat husbandry Famines and recurring drought, short term and drought management strategies

Industrial policy fiscal and financial incentives development of growth centres Industrial area development Role of RFC, RIICO and RAJSICO in industrial development

Tourism development its role in the economy of the state Prospects and problems

Section-C

Economic Planning in Rajasthan Objectives and achievements

Infrastructure development irrigation, power and roads. Constraints in the agricultural and industrial development of the state and measures to overcome them

State Budgetary trends and state finances Finance commissions and Rajasthan Plan financing Gadgil formula Rajasthan s share in plan resources.

Concept of Poverty line and estimated poverty population Special programmes for poverty alleviation and employment generation IRDP and JRY

Special Area Programme DPAP, desert development, Tribal area and Aravalli Development

Suggested Readings

Nathuramka L.N Rajasthan ka Niyojit Vikas Jaipur, परिवर्तित नाम राजस्थान की अर्थव्यवस्था।

MDS University, AJMER

B.A (Part-I) Examination, 1993

ECONOMICS

SYLLABUS Paper II Economy of Rajasthan

3 Hours duration Max. Marks 100

Note In this question paper nine questions will be set three questions from each section Candidates have to answer five questions in all taking atleast one question from each section

Section A

An introduction of basic characteristics of Rajasthan vis a vis Indian Economy as a developing country Position of Rajasthan in Indian Economy Population, Area Agriculture Industry & Infrastructure Population Size & Growth, Districtwise distribution of Rural & Urban Population, Occupational structure & human resource development (Literacy health & nutrition) indicators Natural Resource Endowments Land, Water Livestock, forest & Minerals State Domestic Product, Total & per capita, trends & structure of S D P

Section B

Agriculture— Land utilisation major crop cropping pattern Land reforms Rajasthan Tenancy Act Ceiling on land and distribution of land.

Agricultural Strategy—Famines and Droughts, Short and Long term Drought Managements

Animal Husbandry—Importance of Livestock Dairy Development Programmes Problems of Sheep and Goat Husbandry

Irrigation and power infrasturcture in the state

Environmental Pollution and the problems of sustainable development— Global, National and state perspective (Basic Issues only)

Section-C

Level of Industrial development in the State Share of Industries in total SDP and employment generation

Regional variation in industrial development of the State, Small Scale industries and handicrafts.

Industrial Policy— Fiscal and financial incentives. Growth centres and the development of industrial areas.

Tourism Development— Rajasthan—objectives and achievements, constraints in the economic development of Rajasthan

Special Area Programmes— D.P.A P., Desert Development, Tribal Area and Aravalli Dev I R D P

□□□

विषय-सूची

खण्ड (अ)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति — 1-16
(Position of Rajasthan in Indian Economy)
जनसख्या, क्षेत्रफल, कृषि, उद्योग, आधारभूत सरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर), अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की सापेक्ष स्थिति।

2. जनसख्या (Population) — 17-33
1991 के संशोधित आकड़ों के आधार पर जनसख्या का आकार व वृद्धि, जिलेवार ग्रामीण व शहरी जनसख्या का वितरण, श्रम-शक्ति का व्यावसायिक ढाँचा, मानवीय साधनों का विकास साक्षरता, स्वास्थ्य व पोषण आदि सूचक।

3. प्राकृतिक साधन : भूमि, जल, पशु-धन और खनिज-पदार्थ — 34-61
(Natural Resources: Land, Water, Livestock and Minerals)

4. राज्य घरेलू उत्पत्ति (State Domestic Product) — 62-77
कुल व प्रति व्यक्ति आय, प्रवृत्तियाँ व राज्य घरेलू उत्पत्ति का ढाँचा (Structure of SDP) अथवा क्षेत्रवार अशदान।

5. कृषि (Agriculture) — 78-94
भूमि का उपयोग, फसलों का प्रारूप व प्रमुख फसलें, पशु-पालन पशु व पशु पालन का शुष्क व अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में महत्त्व।

6 उद्योग (Industries) — 95-128
उद्योगों का कुल राज्यीय घरेलू उत्पत्ति तथा रोजगार में अंश, औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षण-आकार, वस्तुगत ढाँचा (Commodity structure) व प्रादेशिक या जिलेवार फैलाव, राज्य के [illegible] पैमाने के उद्योग।

7. राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम — 129-140
(Public Enterprises In Rajasthan)
केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम, राजस्थान के सार्वजनिक

उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रमों का ढाँचा, वित्तीय कार्यसिद्धि, कमजोर वित्तीय दशा के कारण-राज्य विद्युत मण्डल के घाटों के कारण, सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव, निष्कर्ष।

खण्ड (ब)

8. भूमि-सुधार 141-156
(Land Reforms)
जागीरदारी व अन्य मध्यस्थ भूधारण प्रणालियों का उन्मूलन, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भू-जोतों पर सीमा-निर्धारण (सीलिंग), राजस्थान में भूमि-सुधारों का क्रियान्वयन, फसल-बटाई प्रथा जारी, भूमि का वितरण, भूमि-सुधारों की समस्याएँ व सुझाव।

9. 1956 से कृषिगत विकास 157-173
(Agricultural Development since 1956)

10. पशु-पालन का विकास 174-185
(Development of Animal Husbandry)

11. राजस्थान में अकाल व सूखा 186-200
(Famines and Droughts in Rajasthan)

12. औद्योगिक नीति 201-225
(Industrial Policy)
औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, राजकोषीय व वित्तीय प्रेरणाएँ, विकास-केन्द्रों से सम्बन्धित नीति, सातवीं योजना में औद्योगिक व्यूहरचना, राजस्थान की नई औद्योगिक नीति, 1990 तथा उसकी समीक्षा।

13. औद्योगिक विकास में विभिन्न निगमों की भूमिका 226-241
(Role of Different Corporations in Industrial Development)
राजस्थान औद्योगिक विकास व विनियोग निगम (रीको), राजस्थान वित्त निगम (RFC), तथा राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसीको) (RAJSICO) की औद्योगिक विकास में भूमिका, औद्योगिक विकास में योगदान देने वाले अन्य निगम व संगठन।

14. पर्यटन-विकास (Tourism Development) 242-252
राज्य की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका, विकास की सम्भावनाएँ व समस्याएँ।

खण्ड (स)

15. राजस्थान में आर्थिक नियोजन — 253-291
(Economic Planning in Rajasthan)
उद्देश्य, उपलब्धियाँ, धीमी प्रगति के कारण, भविष्य में तीव्र आर्थिक प्रगति के लिए सुझाव।

16. राजस्थान में आधार-संरचना का विकास — 292-325
(Infrastructure-Development in Rajasthan)
सिंचाई, विद्युत व सड़कें

17. राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधाएँ — 326-344
(Const raints in Economic Devlopment of Rajasthan)
कृषिगत विकास में प्रमुख बाधा एवं व उनको दूर करने के उपाय, औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाएँ व उनको दूर करने के उपाय।

18. राज्य की बजट-प्रवृत्तियाँ व 1993-94 का बजट — 345-361
(State Budgetary trends and the Budget for 1993-94)

19. विभिन्न वित्त आयोग, गाडगिल फार्मूला व राजस्थान — 362-385
(Different Finance Commissions, Gadgil Formula & Rajasthan)
विभिन्न वित्त आयोग व राजस्थान, गाडगिल फार्मूला, केन्द्र के योजना हस्तान्तरणों (plan-transfers) में राजस्थान का अंश।

20. राजस्थान में निर्धनता (Poverty in Rajasthan) — 386-403
निर्धनता की रेखा की अवधारणा, राज्य में निर्धनता-अनुपात (poverty-ratio) तथा निर्धन जनसंख्या के अनुमान, राज्य में निर्धनता को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्त्व, निर्धनता-उन्मूलन व रोजगार-सृजन के विशेष कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP), जवाहर-रोजगार-योजना (JRY)

21. राजस्थान में बेरोजगारी — 404-413
(Unemployment in Rajasthan)
राजस्थान में बेरोजगारी व अल्परोजगार की समस्या का स्वरूप, आकार व भावी अनुमान। नब्बे के दशक में रोजगार-सृजन के लिए सुझाव (व्यास-समिति की अन्तिम रिपोर्ट, दिसम्बर 1991 के आधार पर)।

22 राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास-कार्यक्रम 414-424
(Special Area Development Program in Rajasthan)
सूखा सभाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम (DPAP), मरुविकास कार्यक्रम (DDP), जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम (TADP), अरावली विकास कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम (कन्दरा सुधार तथा मेवात विकास)।

23 राजस्थान की आठवी पचवर्षीय योजना, 1992-97 425 433
(Eighth Five Year Plan of Rajasthan 1992 97)

24 पर्यावरणीय प्रदूषण व सुस्थिर विकास की समस्याएँ 434 452
(Environmental Pollution and the Problems of Sustainable Development)
अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तथा राज्य स्तरीय परिप्रेक्ष्य।

परिशिष्ट-
विशेषतया राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर 200 वस्तुनिष्ठ व लघु प्रश्नोत्तर। 453 497
(200 Objective and Short Questions and Answers specially on Rajasthan Economy)

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, प्रश्न-पत्र 1993
महर्षि दयानद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर, प्रश्न पत्र, 1993

□□□

खण्ड (अ)

1

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति
(Position of Rajasthan in Indian Economy)

राजस्थान 'एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मे एक पिछडा हुआ प्रदेश'(a backward region in a backward economy) माना गया है। सर्वप्रथम स्वय भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित व पिछडी हुई अर्थव्यवस्था मानी गयी है और द्वितीय राजस्थान की अर्थव्यवस्था तो इसमे भी एक पिछडे हुए प्रदेश की भाति ही है। इस *अध्याय मे जनसख्या क्षेत्रफल कृषि उद्योग व आधारभूत* सरचना (इन्फ्रास्टक्चर) की दृष्टि से भारत मे राजस्थान की स्थिति का विवेचन किया जायेगा ओर साथ मे अन्य राज्यो की स्थिति से भा इसकी तुलना प्रस्तुत की जायेगी।

(1) जनसख्या की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति

1991 को जनगणना के परिणामो के अनुसार **राजस्थान की जनसख्या लगभग 4 40 करोड व्यक्ति रही है** जबकि भारत की कुल जनसख्या लगभग 84 63 करोड आकी गयी है।[1] **अत 1991 मे राजस्थान की जनसख्या भारत की कुल जनसख्या का लगभग 5 2% रही है।** 1981 की जनगणना केअनुसार यह अनुपात लगभग 5% रहा था। इस प्रकार 1991 मे राजस्थान का भारत की कुल जनसख्या मे अश मामूली बढा है। 1971 81 की अवधि मे भारत की जनसख्या मे 24 7% की वृद्धि हुई थी जबकि राजस्थान की जनसख्या मे 33% की वृद्धि हुई थी । 1981 91 की अवधि मे जहा भारत की जनसख्या मे 23 6% की वृद्धि हुई वही राजस्थान की जनसख्या मे लगभग 28 4% की वृद्धि हुई । इस प्रकार, यद्यपि 1981 91 की अवधि मे राजस्थान की जनसख्या मे 1971 81की अवधि की तुलना मे वृद्धि दर मे लगभग 4 5 प्रतिशत बिन्दु की गिरावट आई है फिर भी यह भारत मे हुई जनसख्या की वृद्धि दर से अधिक ही रही है । अत

1 सशोधित, Economic Survey 1992 93 p S 114

राजस्थान में जनसख्या समस्त भारत की तुलना में अधिक तेज रफ्तार से बढ रही है जो एक चिन्ता का विषय है।

भारत मे 25 राज्य और 7 सघीय प्रदेश हैं । 25 राज्यों मे 1991 मे जनसख्या के घटते हुए क्रम में राजस्थान का नवा स्थान रहा । सर्वाधिक जनसख्या उत्तर प्रदेश की रही जो लगभग 13 91 करोड़ थी । यह भारत की कुल जनसख्या का 16 4% थी । सबसे कम जनसख्या वाला राज्य सिक्किम रहा जिसकी जनसख्या मात्र 4 06 लाख ही थी जो भारत की जनसख्या का 0 05% थी ।

जनसख्या की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पडौसी राज्यो की तुलना मे निम्न तालिका मे दर्शायी गयी है

1991 की जनगणना के अनुसार

राज्य	समस्त भारत की जनसंख्या का (%)	भारत में स्थान
राजस्थान	5 2	9
गुजरात	4 9	10
हरियाणा	1 9	15
मध्यप्रदेश	7 9	6
उत्तरप्रदेश	16 4	1

तालिका से स्पष्ट होता है कि पडौसी राज्यो मे जनसख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बाद आता है ।

लिग अनुपात (Sex Ratio)

प्रति एक हजार पुरुषो के पीछे स्त्रियो की सख्या लिग-अनुपात कहलाती है। 1991 मे राजस्थान मे लिग अनुपात भारत व कुछ अन्य राज्यो की तुलना में इस प्रकार रहा

	लिग अनुपात (सशोधित)
भारत	927
राजस्थान	910
केरल	1036
गुजरात	934
मध्यप्रदेश	931
उत्तरप्रदेश	879

इस प्रकार राजस्थान मे लिग अनुपात गुजरात व मध्य प्रदेश से तो कम रहा, लेकिन उत्तरप्रदेश से अधिक पाया गया । केरल मे यह सर्वाधिक पाया गया

है । वहा स्त्रियो की सख्या पुरुषो से अधिक है । 1991 मे यह 1036 रही जो 1981 के 1032 से भी अधिक थी । इसके विपरीत भारत व राजस्थान मे लिग-अनुपात मे कुछ कमी हुई है । 1981 मे राजस्थान मे लिग अनुपात 919 रहा था । अत 1991 मे इसमे 9 बिन्दुओ की कमी आयी है ।

जनसख्या का घनत्व[1] -

प्रति वर्ग किलोमीटर मे जनसख्या का निवास जनसख्या का घनत्व कहलाता है । 1991 मे घनत्व की स्थिति निम्न तालिका मे दर्शायी गयी है

भारत	274
राजस्थान	129
पश्चिम बगाल	767
उत्तर प्रदेश	473
मध्यप्रदेश	149

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान मे जनसख्या का घनत्व भारत की तुलना मे आधे से भी कुछ कम है। 1981 मे राजस्थान का घनत्व 100 था। अत 1991 मे घनत्व मे पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई है।

साक्षरता-अनुपात (Literacy-Ratio)

जो व्यक्ति एक साधारण पत्र पढ व लिख सकते है वे साक्षर माने जाते है। राजस्थान का अनुपात भारत व अन्य राज्यो की तुलना मे काफी नीचा रहा है। अब साक्षरता का अनुमान लगाते समय साक्षर व्यक्तियो की सख्या मे सात व अधिक आयु के व्यक्तियो की सख्या का भाग दिया जाता है। 1981 के आकडे भी इस नई परिभाषा के अनुसार सशोधित किये गये हैं। राजस्थान मे महिला वर्ग मे साक्षरता अनुपात बहुत नीचा पाया जाता है।

1991 मे साक्षरता अनुपात की स्थिति निम्न तालिका मे दी गयी है-

(प्रतिशत मे)

	व्यक्तियों में	पुरुषो मे	महिलाओ मे
राजस्थान	38 6	55 0	20 4
भारत	52 2	64 1	39 3
केरल	89 8	93 6	86 1
बिहार	38 5	52 5	22 9

1 Economic Survey 1992 93 p S 115 आगे साक्षरता-अनुपात के आकडे भी इसी से लिए गये हैं।

1991 के लिए 15 राज्यो मे साक्षरता-अनुपातो की तुलना करने पर राजस्थान की स्थिति काफी नीचे आती है। बिहार की स्थिति भी इस दृष्टि से काफी पिछडी हुई है लेकिन महिला-साक्षरता का अनुपात राजस्थान में बिहार से भी थोडा नीचा है। 1991 मे बिहार मे महिला-वर्ग में साक्षरता-अनुपात 22 9% रहा, जबकि राजस्थान मे यह केवल 20 4% ही रहा । अत राजस्थान को महिला वर्ग में साक्षरता बढाने की दृष्टि से विशेष प्रयास करना होगा।

(2) क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति[1] -

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में द्वितीय स्थान आता है। 31 मार्च 1982 को भारतीय सर्वे विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर राजस्थान का क्षेत्रफल 342 2 हजार वर्ग किलोमीटर था जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10 43% था। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 13 50% है।

राजस्थान के अन्य पडौसी राज्यो की स्थिति क्षेत्रफल की दृष्टि से इस प्रकार है

	भारत के क्षेत्रफल का अश (%)	भारत मे स्थान
गुजरात	5 97	7
हरियाणा	1 35	16
उत्तरप्रदेश	8 97	4

इस प्रकार राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10 4% (लगभग 1/10 है जबकि गुजरात का 6% तथा उत्तर प्रदेश का लगभग 9% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ऊँचा अनुपात होने के कारण ही राजस्थान राज्यो की ओर किये जाने वाले केन्द्रीय वित्तीय हस्तातरणो मे क्षेत्रफल को एक आधार के रूप मे शामिल किये जाने पर सदैव बल देता रहा है हालांकि केन्द्र ने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है। राज्य के क्षेत्रफल की दूसरी विशेषता यह है कि 11 मरु जिलो मे कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत से अधिक अश पाया जाता है जबकि इन जिलों में 40 प्रतिशत जनसख्या ही निवास करती है। ये जिले अरावली पर्वतमाला के पश्चिम मे थार मरुस्थल मे पाये जाते हैं।

यही कारण है कि राज्य की अर्थव्यवस्था तथा इसके निवासियो को निरतर सूखे व अभाव की विभीषिकाओ से जूझना पड़ता है।

---

1 Some Facts About Rajasthan 1992 (DES Jaipur Feb 1993) p 86

(3) कृषि की दृष्टि से भारत मे राजस्थान की स्थिति -

(i) 1985 86 मे कार्यशील जोतो (operational holdings) का औसत आकार 1985 86 की कृषिगत सगणना के अनुसार राजस्थान मे कार्यशील जोत का औसत आकार 4 34 हैक्टेयर पाया गया जबकि समस्त भारत के लिए यह 1 68 हैक्टेयर रहा ।

नागालैड मे यह सर्वाधिक 7 46 हैक्टेयर पाया गया । इस प्रकार कार्यशील जोतो के औसत *आकार की दृष्टि से राजस्थान का स्थान भारत मे द्वितीय रहा ।*

कुछ अन्य राज्यों की स्थिति इस प्रकार रही

	(हैक्टेयर में)
गुजरात	3 15
मध्यप्रदेश	2 91
उत्तरप्रदेश	0 92
बिहार	0 87

इस प्रकार कार्यशील जोतो के औसत आकार की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति उत्तम है। तालिका से पता चलना है कि उत्तरप्रदेश व बिहार मे यह एक हैक्टेयर से भी कम हो गयी है।

(ii) **कुल कृषित क्षेत्रफल**[1] 1985 86 मे राजस्थान मे भारत के कुल कृषित क्षेत्रफल का 10 2 प्रतिशत पाया गया। मध्यप्रदेश मे यह 13 0 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश मे 14 1 प्रतिशत रहा । बिहार मे यह केवल 5 9 प्रतिशत ही पाया गया। इस प्रकार भारत के कुल कृषित क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का अश सतोषजनक माना जा सकता है। इस सूचक के अनुसार भारत मे राजस्थान का स्थान चतुर्थ रहा ।

(iii) **सिचाई व उर्वरको के उपभोग की दृष्टि से स्थान**[2] राजस्थान मे 1990 91 मे सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल का 24 0 प्रतिशत रहा जबकि समस्त भारत के लिए यह अश लगभग 32 प्रतिशत रहा है। इस प्रकार सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का अश भारत की तुलना मे काफी नीचा पाया जाता है।

1989 90 मे राजस्थान मे प्रति हक्टेयर सकल कृषित क्षेत्रफल के अनुसार रासायनिक उर्वरको का उपभोग 17 7 किलोग्राम रहा जबकि समस्त भारत के लिए यह औसत 65 4 किलोग्राम था। मध्य प्रदेश मे यह 30 3 किलोग्राम गुजरात मे

1 Statistical Abstract 1989 Rajasthan DES Jaipur pp 6 7
2 Some Facts About Rajasthan 1992 p 87

62 3 किलोग्राम तथा उत्तर प्रदेश मे 83 किलोग्राम पाया गया। पजाब मे प्रति सकल कृषित क्षेत्रफल पर उर्वरको का उपभोग 158 6 किलोग्राम पाया गया। इस प्रकार उर्वरको के उपभोग की दृष्टि से राजस्थान काफी पिछडा हुआ है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज भी राजस्थान मे प्रति हैक्टेयर उर्वरको का उपभोग समस्त भारत की तुलना मे लगभग 1/4 ही पाया जाता है।

(iv) प्रमुख फसलो के उत्पादन मे राजस्थान की समस्त भारत मे स्थिति - पिछले वर्षों मे राजस्थान देश मे तिलहन के उत्पादन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप मे उभरा है। देश के तिलहन उत्पादन का 12% भाग राजस्थान मे होने लगा है। सरसो के उत्पादन मे यह अग्रणी राज्य हो गया है। यहाँ देश की कुल सरसो के उत्पादन का 35% अश होने लगा है।

राज्य के खाद्यान्नो के उत्पादन मे प्रतिवर्ष भारी उतार चढाव आते रहते है। 1990 91 मे राजस्थान मे खाद्यान्नो का उत्पादन 109 3 लाख टन रहा जबकि इसी वर्ष समस्त भारत मे यह 17 64 करोड टन रहा। इस प्रकार 1990 91 में राजस्थान मे खाद्यान्नो का उत्पादन समस्त भारत की तुलना मे लगभग 6 2% रहा। 1991 92 मे राजस्थान मे खाद्यान्नो का उत्पादन 79 5 लाख टन आका गया है जो समस्त भारत के अनुमानित उत्पादन 16 70 करोड़ टन का 4 8% ही रहा है।[1] 1987 88 से 1989 90 का खाद्यान्नों का औसत उत्पादन लेने पर राजस्थान का अश 5 0% रहा था। गेहूँ मे राजस्थान के लिए यह अश 6 9% व चावल मे 0 2% रहा था।[2] राजस्थान कपास का भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य माना गया है। लेकिन तिलहन के उत्पादन मे राजस्थान की भूमिका विशेष रूप से सराहनीय हो गई है। 1991 92 मे तिलहन का उत्पादन 28 लाख टन रहा तथा भविष्य मे सोयाबीन के उत्पादन के बढने की काफी सम्भावना है।

(4) उद्योगो की दृष्टि से राजस्थान की भारत मे स्थिति

(i) राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व श्रमशक्ति के बारे मे उद्योगों का अश उद्योगो मे खनन विनिर्माण (manufacturing) (पजीकृत व अपजीकृत) तथा विद्युत गैस व जल पूर्ति लेने पर 1988 89 मे राजस्थान मे उद्योगो का योगदान राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में (1980 81 के मूल्यो पर) 13 8% रहा जबकि समस्त भारत के लिए यह अश 21 8% रहा।[3]

केवल विनिर्माण (manufacturing) को लेने पर राजस्थान मे 1988 89 मे इसका अश 10 6% तथा भारत मे 19 5% रहा। इस प्रकार (पजीकृत व अपजीकृत) विनिर्माण मे राजस्थान को अपना अश 11% से ऊँचा करने का प्रयास

---

1 Economic Survey 1992 93 pp S 20 to S 21
2 Stat stical Outline of India 1992 93 (Tata Services Ltd) p.52
3 National Accounts Statistics 1992 p 35 (CSO) and Rajasthan Budget Study 1992 93 p 54 (DES Ja pur)

करना होगा। 1981 मे श्रम-शक्ति मे उद्योगों का अश भारत मे 13 9% तथा राजस्थान मे 10 4% पाया गया था। यहा उद्योगो में निर्माण (construction) कार्य भी शामिल किया गया है।

(ii) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries) के आधार पर राजस्थान की फैक्ट्री-क्षेत्र की स्थिति-वर्ष 1988 89 के लिए रिपोर्टिंग फैक्ट्री-क्षेत्र की सूचना के आधार पर राजस्थान की स्थिति इस प्रकार रही।[1]

1988 89 मे अश (प्रतिशत में)

	रिपोर्टिंग फैक्ट्रियो की सख्या मे	स्थिर पूंजी में (Fixed Capital)	रोजगार में	विनिर्माण द्वारा शुद्ध जोड़े गये मूल्य में
राजस्थान	3 0	4 4	3 0	2 6

इस प्रकार फैक्ट्री क्षेत्र के विभिन्न सूचको मे राजस्थान का अश समस्त भारत मे स्थिर पूजी मे 4 4% रहा, लेकिन फैक्ट्रियो की सख्या, उनमे सलग्न रोजगार प्राप्त व्यक्ति व विनिर्माण द्वारा जोडे गये मूल्य (value added)[2] मे लगभग 3% ही रहा, जो राज्य की पिछडी औद्योगिक दशा का सूचक है।

1988-89 मे फैक्ट्री क्षेत्र के सम्बन्ध मे कुछ राज्यो की स्थिति निम्न तालिका मे दर्शायी गयी है

	रिपोर्टिंग फैक्ट्रियो की संख्या में	स्थिर पूंजी (करोड़ रु. मे)	कर्मचारियों (employees) की सख्या (लाखों में)	विनिर्माण द्वारा शुद्ध जोडे गया (NVA) (करोड़ रु में)
राजस्थान	3162	3950 2	2 31	883 6
गुजरात	11103	8239 6	6 69	3389 2
उत्तर प्रदेश	9404	9770 9	7 55	2975 3
मध्य प्रदेश	3636	4627 6	3 18	1715 3
भारत	104077	8909 9	77 43	34634 8

---

1 Annual Survey of Industries (Factory Sector Summary Results) for 1988 89 pp 101-102.

2 उत्पत्ति का मूल्य इन्पुटों का मूल्य (कच्चा माल, ईंधन, आदि)

तालिका से पता चलता है कि राजस्थान मे फैक्ट्री-क्षेत्र का विकास काफी पिछडा हुआ है । **1988 89 मे गुजरात में फैक्ट्री क्षेत्र मे स्थिर पूजी राजस्थान की तुलना में दुगुनी से अधिक व विनिर्माण द्वारा जोड़े गये मूल्य मे चौगुनी राशि पायी गयी, जबकि भारत की जनसख्या में दोनो का अश लगभग 5% है, हालाँकि क्षेत्रफल में राजस्थान का अश 10 4% व गुजरात का 6% पाया जाता है।** आर्थिक साधन जैसे खनिज पदार्थ आदि दोनो मे लगभग एक-से पाये जाते है। गुजरात औद्योगिक दृष्टि से उन्नत माना जाता है जबकि राजस्थान अभी काफी पीछे है। उपर्युक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश मे फैक्ट्रियो मे कर्मचारियो की सख्या राजस्थान की तुलना मे तिगुनी से भी कुछ अधिक है ।

हम आगे के अध्ययनों में देखेगे कि राजस्थान मे शक्ति के विकास की सम्भावनाए काफी मात्रा मे विद्यमान है जिनका समुचित विदोहन करके वह भी एक अग्रणी औद्योगिक राज्य बन सकता है।

1986 87 मे प्रथम बार राजस्थान का स्थान फैक्ट्री क्षेत्र मे विनिर्माण द्वारा जोड़े गये शुद्ध मूल्य (NVA) मे घटते हुए क्रम मे दसवा आया था। लेकिन वह स्थिति आगे 1987 88 तथा 1988 89 मे जारी नहीं रह सकी। इससे पूर्व भी इसको यह स्थान कभी प्राप्त नही हुआ था।

हमे यह स्मरण रखना होगा कि राजस्थान की स्थिति खादी हाथकरघा दस्तकारी व ग्रामीण उद्योगो मे विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राज्य रत्न व आभूषणो गलीचो दस्तकारी के सामान आदि के निर्यात स काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है। अत इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

(5) आधारभूत ढाँचे या सरचना (infrastructure) की दृष्टि से राजस्थान की भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिति -

आधारभूत सरचना के अन्तर्गत विद्युत सिचाई सडको रेलो डाकघर, शिक्षा, स्वास्थ्य एव बैकिग की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। सिचाई पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। **1987 88 के लिए आधारभूत सरचना के विकास के सूचकाक निम्न तालिका मे दर्शाय गये हैं** [1]

राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र राजस्थान सरकार आयोजना विभाग मार्च 1991 पृष्ठ 39

	आधारभूत संरचना का सूचकांक	गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में स्थान
राजस्थान	78	13
गुजरात	130	
हरियाणा	148	
मध्यप्रदेश	72	
उत्तरप्रदेश	107	
पजाब	214	
समस्त भारत	100	

14 गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यो (गुजरात हरियाणा कर्नाटक, महाराष्ट्र, पजाब पश्चिम बगाल आध्र पदेश बिहार केरल, मध्यप्रदेश, उडीसा, राजस्थान तमिलनाडु व उत्तरप्रदेश) मे आधारभूत सरचना के सूचकाक की दृष्टि से राजस्थान का 13 वा स्थान है। इससे इस दिशा मे इसके अत्यधिक पिछडे होने का परिचय मिलता है।

तालिका से पता लगता है कि आधारभूत सरचना के विकास का सूचकाक राजस्थान के लिए 78 रहा, जो समस्त भारत के 100 से कम था। यह हरियाणा के 148 अक से भी काफी नीचा था ।[1]

अब हम आधारभूत सरचना के विभिन्न उप-क्षेत्रो की स्थिति का उल्लेख करेगे।

(1) विद्युत- 1991-92 मे राजस्थान मे शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 2776 मेगावाट थी जिसमे लगभग आधी राज्य के बाहरी साधनो से प्राप्त होती है और शेष आधी राज्य के स्वय के साधनो से प्राप्त होती है। विद्युत की सप्लाई मे भारी उतार-चढाव आने से उत्पादन को क्षति पहुचती है। राज्य मे विद्युत के विकास की भारी सम्भावनाए विद्यमान है।

1 सूचकाक बनाने के लिए विभिन्न मदों को भार दिये गये हैं जो इस प्रकार होते हैं – विद्युत (20%) सिचाई (20%"), सडकें (15%), रेल्वे (20%) डाकघर (5%) शिक्षा (10%) स्वास्थ्य (4%) एव बैंकिग (6%)

1989-90 में प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग इस प्रकार रहा [1] -
(किलोवाट घटों (KWH) में) (17 राज्यों की तुलना)

		स्थान
राजस्थान	183	8
बिहार	84	16
गुजरात	368	3
हरियाणा	336	4
मध्य प्रदेश	182	9
पजाब	636	1
उत्तर प्रदेश	136	14
अखिल भारत	214	

तालिका से पता लगता है कि राजस्थान मे प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग 1989 90 में 183 किलोवाट घटे रहा जो पजाब की तुलना मे बहुत नीचा था। प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग की दृष्टि से 17 राज्यो मे राजस्थान का स्थान 8 वा रहा। पजाब का स्थान सर्वोच्च पाया गया । लेकिन राजस्थान की स्थिति उत्तरप्रदेश की तुलना मे बेहतर रही जिसका स्थान 14वा रहा ।

कुल ग्रामों मे विद्युतीकृत गावों का अनुपात[2]

मार्च 1990 मे राजस्थान मे कुल ग्रामों मे विद्युतीकृत गाँवो का अनुपात 75% पाया गया, जबकि अखिल भारत के लिए यह 81 3% रहा। अन्य राज्यो की स्थिति इस प्रकार रही-गुजरात (100%) हरियाणा (100%) मध्य प्रदेश (84%) उत्तर प्रदेश (71 4%) तथा पजाब (100%)। इस प्रकार जहा कई राज्यो मे शत प्रतिशत गावो में बिजली उपलब्ध करा दी गई है वहा राजस्थान इस दिशा में भी पिछडा हुआ है। इस क्षेत्र में राजस्थान को पाचवाँ स्थान प्राप्त है।

(ii) सड़कें - सडकों की स्थिति के सम्बन्ध मे तुलनात्मक दृष्टि से प्राय नवीनतम आकडो का अभाव पाया जाता है। 1991 92 मे राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सडको की लम्बाई 17 51 किलोमीटर हो गई । 1987-88 में राजस्थान मे यह 15 64 किलोमीटर रही जबकि अखिल भारतीय औसत 1984 85 के लिए 53 92 किलोमीटर रहा था। इस प्रकार राज्य मे सडको की

---

1 Some Facts About Rajasthan 1992 p 88
2 ibid, p 89

औसत लम्बाई भारत की तुलना में काफी नीची पायी जाती है । यह गुजरात, हरियाण, मध्यप्रदेश से भी कम है।

1987-88 मे मौसमी सड़कों द्वारा जुड़े ग्रामो का अनुपात इस प्रकार रहा-

	(%)	स्थान
राजस्थान	21	13
हरियाण	99	
मध्य प्रदेश	23	
उत्तरप्रदेश	43	
समस्त भारत	41	

इस प्रकार मौसमी सडको द्वारा जुडे ग्रामो का अनुपात राजस्थान मे लगभग 1/5 रहा, जबकि हरियाणा मे लगभग सभी ग्रामो को यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

(iii) रेलमार्ग - मार्च 1987 मे प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेलमार्ग की लम्बाई इस प्रकार रही [1] :

	(कि. मी.में)	स्थान
राजस्थान	16 41	12
अखिल भारत	*18 80*	
गुजरात	28 33	7
उत्तरप्रदेश	30 44	5
पंजाब	42 78	1

इस प्रकार रेलमार्ग को लम्बाई की दृष्टि से भी राजस्थान पिछडा हुआ है। इस क्षेत्र में पजाब का प्रथम स्थान आता है।

(iv) शिक्षा - हम प्रारम्भ मे बतला चुके हैं कि राज्य मे साक्षरता का अनुपात काफी नीचा है। 1991 मे यह सभी व्यक्तियों के लिए 38 6% रहा, जबकि पुरुषो के लिए 55% व महिलाओं के लिए 20 4% रहा है। राजस्थान की स्थिति महिला-साक्षरता की दृष्टि से ज्यादा पिछड़ी हुई है, इसमे भी ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता का अनुपात और भी नीचा पाया जाता है। इससे परिवार-नियोजन में भी बाधा पहुँचती है। राज्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों

1 Some Facts About Rajasthan, 1992, p 89 (DES, Jaipur, Feb 1993)

में साक्षरता का अनुपात काफी नीचा पाया जाता है।

योजनाकाल मे स्कूलो मे भर्ती होने वालो का अनुपात बढा है लेकिन इस दिशा मे अभी भी विशेष प्रगति की आवश्यकता है। स्कूल छोडने वाले बच्चों की सख्या भी काफी अधिक पायी जाती है विशेषतया 6 11 वर्ष के आयु समूह मे।

सातवीं योजना के अत मे भर्ती होने वालो का अनुपात 6 11 वर्ष के आयु समूह मे (सभी श्रेणियो के लिए) 88% हो गया था जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियो मे यह लगभग 75% ही रहा 11 14 वर्ष के आयु समूह मे भर्ती होने वालो का अनुपात इस वर्ग की कुल जनसख्या मे 51% रहा जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियो के लिए यह लगभग *40% रहा । 1995* तक 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चो के लिए प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य व व्यापक बनाने का लक्ष्य रखा गया है । अत प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र मे भी अभी काफी प्रगति करने की आवश्यकता है।

(v) चिकित्सा व स्वास्थ्य - राज्य मे चिकित्सा की सुविधाओ का भी अभाव पाया जाता है। देहातो मे इनका अभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है।

	प्रति 1000 वर्ग कि मी पर अस्पतालों की सख्या (जनवरी 1987 मे)	प्रति चिकित्सा सस्थान पर लाभान्वित जनसख्या (हजार मे) (वर्ष 1986)	प्रति लाख जनसख्या पर रोगी शैया/बिस्तर (Beds) (वर्ष 1986)
राजस्थान	4	24	76
गुजरात	25	5	130
मध्य प्रदेश	2	66	46
उत्तर प्रदेश	9	45	53
अखिल भारत	10	19	98

पिछली तालिका मे चिकित्सा व स्वास्थ्य के क्षेत्र मे राजस्थान की स्थिति की तुलना समस्त भारत व अन्य पडौसी राज्यों से की गई है [1]

तालिका के प्रमुख निष्कर्ष

जनवरी 1987 में राजस्थान मे प्रति एक हजार वर्ग किलोमीटर पर अस्पतालो की सख्या केवल 4 (बारहवा स्थान) रही जबकि गुजरात मे यह 25 व समस्त

---

[1] राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्च 1991 पृ 39

भारत मे 10 पायी गयी । वर्ष 1986 मे प्रति चिकित्सा सस्थान पर लाभान्वित होने वाले व्यक्तियो की सख्या राजस्थान मे 24 हजार (आठवा स्थान) थी जबकि गुजरात मे यह 5 हजार तथा समस्त भारत मे 19 हजार थी। अत प्रति चिकित्सा सस्थान पर जनसख्या का भार राजस्थान मे गुजरात से ऊँचा था। लेकिन मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश की स्थिति तो और भी पिछडी हुई थी जहा प्रति चिकित्सा सस्थान जनभार अधिक पाया गया है प्रति लाख जनसख्या पर रोगी शैया (beds) की सख्या राजस्थान मे वर्ष 1986 मे 76 रही (नवा स्थान) जबकि गुजरात मे यह 130 पायी गई । अत राजस्थान की स्थिति गुजरात व भारत की तुलना म तो पिछडी हुई थी लेकिन यह मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश से बेहतर थी जहा रोगी शैयाओ की सख्या राजस्थान से भी नीची पायी गयी अत राज्य को चिकित्सा व स्वास्थ्य के क्षेत्र मे भी कमी को दूर करना है

(vi) बैंकिग सुविधाए सितम्बर 1991 मे प्रति लाख जनसख्या पर बैंको की सख्या निम्न तालिका मे दी गयी है[1]

बैको की सख्या (प्रति लाख जनसख्या पर)

	स्थान	(Rank)
राजस्थान	7 0	10
पजाब	10 6	2
हिमाचल प्रदेश	14 3	1
गुजरात	8 2	6
मध्यप्रदेश	6 6	11
उत्तरप्रदेश	6 1	13
अखिल भारत	7 2	

बैको की सख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का स्थान प्रथम व पजाब का द्वितीय रहा है। इस सम्बन्ध मे राजस्थान व मध्य प्रदेश की स्थिति लगभग समान पायी गयी है (प्रति एक लाख जनसख्या पर लगभग 6 7 बैंक) । बैंकिग सुविधाओ के विकास की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति समस्त भारत की तुलना मे ज्यादा पिछडी हुई नही है । फिर भी पजाब व हिमाचल प्रदेश की तुलना मे यह काफी पिछडी हुई मानी जा सकती है।

1 Some Facts About Rajasthan 1992 p 89

कृषि, उद्योग व आधारभूत सरचना में राजस्थान की पिछड़ी स्थिति के प्रमख कारण-

हमने इस अध्याय मे जनसख्या, क्षेत्रफल कृषि उद्योग व आधारभूत सरचना की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति का अध्ययन भारतीय परिप्रेक्ष्य व अन्य राज्यो के सन्दर्भ मे प्रस्तुत किया है। तुलनात्मक दृष्टि से राजस्थान काफी पिछडा है। इस सम्बन्ध मे प्रमुख कारण इस प्रकार रहे हैं

(1) नियोजन के प्रारम्भ मे विभिन्न क्षेत्रो मे राजस्थान की स्थिति अत्यन्त दयनीय व पिछडी हुई थी

आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था मे राजस्थान के पिछडे रहने का प्रमुख कारण यह है कि नियोजन के आरम्भ मे राज्य की आर्थिक स्थिति नितान्त शोचनीय था। 1950 51 मे शक्ति की प्रस्थापित क्षमता मात्र 13 मेगावाट ही थी सिंचित क्षेत्रफल कुल कृषित क्षेत्रफल का 12% ही था राज्य मे केवल 42 स्थानो को बिजली मिली हुई थी तथा केवल 17 399 किलोमीटर मे सडके थीं। सडक जल व बिजली के अभाव मे बडे उद्योगों का विकास सम्भव नहीं था। शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र मे भी उस समय अभाव की दशाएं विद्यमान थीं जैसे 1950 51 मे 6 11 वर्ष की उम्र के बच्चो मे स्कूल जाने वालो का अनुपात 16 6% तथा 11 14 वर्ष की आयु वालो मे 5 4% हो था। उस समय अस्पतालो में रोगियो के बिस्तरो की सख्या कुल 5 720 ही थी।

इस प्रकार प्रारम्भ मे विभिन्न क्षेत्रो मे विकास के स्तर बहुत नीचे रहने से विकास के चार दशको के बाद भी अभाव पूरी तरह दूर नहीं हो पाये है हालाकि विकास के कारण महत्वपूर्ण उपलब्धिया प्राप्त की गई है जो अन्यथा सम्भवत दुर्लभ ही मानी जातीं।

(2) राज्य की विषम भौगोलिक व प्राकृतिक परिस्थितिया

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है राजस्थान के 60 प्रतिशत से अधिक भूभाग मे रेगिस्तान है जहा बहुधा अकाल पडते रहते हैं। राज्य में जल साधन समस्त भारत की तुलना मे 1% मात्र है। राजस्थान मे पिछडे क्षेत्रो मे बुनियादी सुविधाओ को उपलब्ध कराने मे प्रति व्यक्ति लागत ऊँची आती है। अत विकास के लिए अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय साधनो की आवश्यकता होती है जिनके अभाव में विकास पर्याप्त मात्रा मे नहीं हो पाया है। मानसून की अनिश्चितता का प्रभाव राजस्थान मे और भी अधिक प्रतिकूल है जिससे यहाँ कृषिगत उत्पादन के उतार चढाव अधिक तीव्र होते हैं । उदाहरण के लिए 1987 88 मे राज्य मे खाद्यान्नो का उत्पादन 47 8 लाख टन हुआ जो अगले वर्ष 1988 89 मे बढकर 106 6 लाख टन पर पहुचा गया । 1989 90 मे यह पुन घट कर 85 3 लाख टन पर आ गया तथा 1990 91 मे 109 3 लाख टन तक बढ गया । 1991 92 मे राज्य मे खाद्यान्नो के उत्पादन का सशोधित अनुमान 79 5 लाख टन लगाया गया है।

(3) राज्य मे जनसख्या की ऊँची वृद्धि दर के कारण प्रति व्यक्ति उपलब्धि पर विपरीत प्रभाव पडा है

1971 81 की अवधि मे राज्य मे जनसख्या की वृद्धि 33% रही जबकि 1981 91 के बाच यह पहले से कम फिर भी 28 4 % रही दोनो ही अवधियो मे यह राष्ट्रीय ओसत से अधिक थी ।

(4) भूजल बहुत से स्थाना पर लवणीय (Brakish) है और सूखे के कारण जलस्तर (Water table) निरतर गिरता जा रहा है जिससे कृषिगत विकास मे बाधा पहुँचती है।

(5) 1991 मे राज्य की कुल जनसख्या मे अनुसूचित जाति के लोग 17 3% तथा अनुसूचित जनजाति के 12 4% पाये गये । इस प्रकार इनका व अन्य पिछडी जाति के लोगो का राज्य की जनसख्या मे 30% से अधिक अनुपात होने से राज्य सामाजिक विकास की दृष्टि मे काफी पिछडा हुआ है।

(6) विकास के लिए वित्तीय साधनो का अभाव

राज्य की वित्तीय स्थिति काफी डावाडोल रही है जिससे आर्थिक प्रगति के मार्ग मे बाधाए ह। योजनाकाल मे चार दशको मे सार्वजनिक क्षेत्र मे लगभग 8 200 करोड रुपए की राशि व्यय की गई है जिससे विकास का आधारभूत ढाचा सुदृढ हुआ है। लेकिन राज्य पर कर्जभार 31 मार्च 1993 के अत मे (बजट अनुमानो सहित) लगभग 7 670 करोड रु था जिसमे केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर्ज व अग्रिम राशियो का अश लगभग 56 9% था ।[1] मार्च 1994 तक कर्ज की बकाया राशि के 8 000 करोड रु से अधिक हो जाने का अनुमान है। राज्य मे विभिन्न क्षेत्रो मे तीव्र विकास के लिए आवश्यक वित्तीय साधनो का अभाव पाया जाता है। भविष्य मे भी राज्य की वित्तीय दशा को सुधारने के मार्ग मे कई प्रकार की बाधाए आयेगी जैसे पुराने कर्जों पर ब्याज व देय किश्त का भार, महँगाई के कारण राज्य कर्मचारियो के महगाई भत्तो मे वृद्धि का भार, आदि ।

(7) राज्य के पिछड़ेपन का एक कारण यहाँ नियोजन प्रक्रिया का कमजोर रहना भी माना जा सकता है

राज्य ने पचायती राज सस्थाओ की स्थापना करके इनका राजनीतिक आधार ढाँचा तो खडा किया लेकिन विकेन्द्रित नियोजन (जिला या खण्ड स्तर पर) नही अपनाने के कारण नियोजन की प्रक्रिया सबल व सुदृढ नहीं हो सकी । परिणामस्वरूप, स्थानीय नियोजन के अभाव मे स्थानीय साधनो स्थानीय श्रम शक्ति व स्थानीय आवश्यकताओ के बीच आवश्यक समन्वय व ताल मेल स्थापित नहीं किया जा सका ।

1990 के दशक मे राज्य के कृषि व औद्योगिक विकास तथा आधारभूत ढाँचे के विकास की नई सम्भावनाए उत्पन्न हुई हे । राज्य मे थर्मल विद्युत के

---

1 Report on Currency And Finance 1991 92 Vol II p 160

विकास की नई परियोजनाओं पर कार्यारम्भ किया जा रहा है जैसे बरसिहसर में लिग्नाइट आधारित थर्मल विद्युत का सयत्र लगाया जा रहा है तथा सूरतगढ व चित्तौडगढ मे नये थर्मल प्लाट स्थापित किये जा रहे है एव गैस-आधारित विद्युत सयत्रो के विकास से भी विद्युत की सप्लाई बढेगी । विश्व बैक से 500 करोड रु से अधिक की सहायता प्राप्त करके कृषि विकास की विस्तृत व व्यापक योजना पर कार्य करने से विभिन्न प्रकार की फसले फलो पशु पालन, चारा वृक्षारोपण आदि का विकास होगा जिससे रोजगार मे वद्धि होगी ग्रामीण निर्धनता कम होगी तथा आर्थिक असमानता कम होगी ।

इन विभिन्न विषयो का यथास्थान समुचित विवेचन किया जायेगा। यहाँ पर इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि उचित आर्थिक नीतिया अपना कर व प्रशासन को ईमानदार व चुस्त बनाकर राज्य विकास के नये कीर्तिमान स्थापित करने मे सक्षम व सफल हो सकता है।

प्रश्न

1 भारतीय अर्थव्यवस्था मे राजस्थान की जनसख्या क्षेत्रफल कृषि उद्योग एव इन्फ्रास्ट्क्चर के सन्दर्भ मे क्या स्थिति है?

(Ajmer I yr 1992)

2 राजस्थान की आर्थिक स्थिति को तुलना समस्त भारत व कुछ राज्यो की आर्थिक स्थिति से कीजिए और उन कारणे पर प्रकाश डालिए जिनकी वजह से यह राज्य अन्य राज्यो की तुलना मे पीछे रह गया है।

3 सक्षिप्त टिप्पणिया लिखिए

(i) राजस्थान की भारतीय अर्थव्यवस्था मे औद्योगिक स्थिति

(ii) राजस्थान मे विद्युत व सडको की भारतीय परिप्रेक्ष्य मे तुलनात्मक स्थिति

(iii) भारत के सदर्भ मे राजस्थान की जनसख्या 1991

(iv) राजस्थान मे साक्षरता की स्थिति ।

4 राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था का भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था मे स्थान निर्धारण कीजिए । (Raj I yr 1992)

5 राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओ का वर्णन कीजिए ।

(Ajmer II yr 1992)

2

जनसंख्या
(Population)

आकार व वृद्धि

1991 की जनगणना के अनुसार 1 मार्च 1991 को सूर्योदय के समय राजस्थान की जनसंख्या लगभग 4 40 करोड व्यक्ति आकी गई है। 1981 में यह लगभग 3 43 करोड व्यक्ति थी। इस प्रकार 1981 91 की अवधि में राज्य की जनसंख्या में लगभग 97 लाख व्यक्तियों की बढ़ोतरी हुई है जो 28 4% वृद्धि को सूचित करता है। इस अवधि में भारत की जनसंख्या में 23 6% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार 1981 91 के दशक में राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि समस्त भारत की तुलना में 4 8 प्रतिशत बिन्दु अधिक हुई है।

निम्न तालिका में 1901 से 1991 तक की अवधि में राजस्थान में जनसंख्या की दस वर्षीय वृद्धि (लाखों में) का परिचय दिया गया है।[1]

वर्ष	जनसंख्या(करोड़ में)	दस वर्षीय वृद्धि (लाखों में)
1901	1.03	
1911	1.10	7
1921	1.04	( )6
1931	1.18	14
1941	1.39	21
1951	1.59	20
1961	2.01	42
1971	2.58	57
1981	3.43	85
1991	4.40	97

---

1 Some Facts About Pajasthan 1992 (DES Ja pur Feb 1993) p 30 दशक दशक की जनसंख्या की वृद्धि लाखों में दी गई है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 1941–91 के 50 वर्षों में राजस्थान की जनसंख्या 1 39 करोड से बढकर 4 40 करोड हो गई, अर्थात् इसमें 3 करोड 1 लाख की वृद्धि हो गई। शुरू मे 1901–41 के चालीस वर्षों मे इसमे केवल 36 लाख की वृद्धि हुई थी। **ध्यान देने की बात है कि 1901–61 के 60 वर्षों मे राजस्थान की जनसख्या में 98 लाख की वृद्धि हुई जो 1981-91 के दस वर्षों की 97 लाख की वृद्धि के लगभग समान है।** इससे हाल के दशक मे जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है।

1911 से 1921 के बीच जनसख्या मे गिरावट आयी थी जिसका सम्बन्ध महामारी के प्रकोप से था। 1961 मे जनसख्या मे 1951 की तुलना मे 26 4% की वृद्धि हुई । उसके बाद के दशको मे जनसख्या की वृद्धि काफी तेज रफ्तार से हुई है। 1971–81 मे यह 33% रही जो सर्वोच्च थी। 1981–91 के दशक मे जनसंख्या की वृद्धि 28 4% आकी गई है जो पिछले दशक की तुलना मे लगभग 4 5 प्रतिशत बिन्दु नीची होने से एक सतोष का विषय है, लेकिन समस्त भारत की वृद्धि दर (23 6%) से अभी भी यह काफी ऊँची है जिसे भविष्य मे कम करने की आवश्यकता है। 1991 मे राजस्थान की जनसख्या भारत की कुल जनसख्या का 5 2 प्रतिशत रही है।

1981–91 की अवधि मे राजस्थान मे जनसख्या का 28 4% बढ जाना इस बात का सूचक है कि राज्य मे जनसख्या-नियत्रण की दिशा मे विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

राज्य मे जन्म-दर (प्रति हजार) समस्त भारत की तुलना मे ऊँची रही है। 1991 के अनुमानो के अनुसार राजस्थान मे जन्म-दर (प्रति हजार) 34 3 व मृत्यु-दर (प्रति हजार) 9 8 रही है। समस्त भारत के लिए ये दरे क्रमश. 29 3 तथा 9 8 रही हैं। [1] इस प्रकार राजस्थान मे मृत्यु-दर तो भारत की मृत्यु-दर के समान है, लेकिन यहाँ की जन्म-दर भारत की जन्म-दर से 5 बिन्दु (प्रति हजार) ऊँची है जो एक चिता का विषय है।

राज्य में पिछले दशको में जन्म दर व मृत्यु-दर मे गिरावट आयी है जो निम्न तालिका मे दर्शायी गई है। आगामी वर्षों मे भी जन्म-दर के ऊँचा रहने के आसार हैं।

---

1 Economic Survey 1992 93, p 198

राजस्थान मे अनुमानित जन्म-दर, मृत्यु-दर व जनसख्या की वृद्धि-दरे [1]

(प्रति हजार)

अवधि	जन्म-दर	मृत्यु-दर	वृद्धि दर
1971 81	43 6	14 9	28 7
1991 96	34 4	9 6	24 8
1996 2001	30 1	8 4	21 7

राजस्थान मे ऊँची जन्म-दर को प्रभावित करने वाले तत्त्वो मे दो तत्त्व महत्वपूर्ण माने जा सकते है-- (i) कुल महिलाओ मे शादीशुदा महिलाओ (married females) का ऊँचा अनुपात तथा (ii) शादी की औसत आयु का नीचा पाया जाना ।

1971 व 1981 के लिए विवाहित महिलाओ का अनुपात इस प्रकार रहा।[2]

(विवाहित महिलाओ का प्रतिशत)

आयु - समूह (Age-group)	1971	1981
15 44	91 2	88 6
15 19	75 5	64 3
20 24	96 6	94 7

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान मे कुल महिलाओ मे विवाहित महिलाओ का अनुपात काफी ऊँचा पाया जाता है । 15-44 वर्ष के आयु-समूह मे 1971 मे यह 91 2% तथा 1981 मे 88 6% पाया गया था। 20-24 वर्ष के आयु-समूह मे तो विवाहित महिलाओ का अनुपात 1981 मे 94 7% पाया गया था । ऐसी स्थिति मे जन्म-दर का ऊँचा होना स्वाभाविक है ।

शादी की औसत उम्र भी राजस्थान मे नीची पायी जाती है । यह निम्न तालिका मे दर्शायी गयी है ।

1 Population and Demography DES Jaipur, September, 1988, p 29
2 Population and Demography, p 25

	(शादी के समय औसत उम्र) (वर्ष मे)	
	1971	1981
पुरुषों के लिए	19 5	20 3
महिलाओ के लिए	15 1	16 1

राजस्थान में शादी के समय लडके व लडकी दोनों की औसत उम्र इनके लिए निर्धारित न्यूनतम स्तर क्रमश 21 वर्ष व 18 वर्ष से नीची पायी जाती है। राज्य मे बाल विवाह की कुप्रथा भी प्रचलित है । इस प्रकार विवाहित महिलाओ का ऊँचा अनुपात व शादी के समय औसत उम्र का नीचा पाया जाना ऐसे तत्व हैं जो जन्म दर को ऊँचा रखने मे सहायक माने जाते है ।

प्रोफेसर के सुन्दरम् के अनुसार राजस्थान मे 1983 मे परिवार नियोजन अपनाने वाले दम्पत्तियो का अनुपात 15 7% था जो वर्ष 2000 तक बढकर ज्यादा से ज्यादा 31% हो सकेगा जबकि समस्त राज्यो के लिए इसका लक्ष्य 60% रखा गया है । अत राजस्थान को उपलब्धि लक्ष्य से आधी रह पायेगी ।

राज्य मे सामाजिक पिछडापन ऊँची जन्म दर मे सहायकरहा है । आवश्यक सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक सुधार से ही जनसख्या पर नियत्रण स्थापित किया जा सकता है । इसके लिए परिवार नियोजन अपनाने वाले दम्पत्तियो का प्रतिशत बढाने की आवश्यकता है ।

राज्य सरकार ने 15 जून 1992 को एक क्रान्तिकारी कदम उठाते हुए पचायत चुनाव मे परिवार को सीमित रखने का कानूनी प्रावधान करने का फैसला किया है । इसके लिए एक आदेश जारी किया गया है जिसके अनुसार दो बच्चो के बाद निर्वाचन के एक साल आगे की अवधि मे तीसरा बच्चा होगा तो चुना हुआ पच या सरपच स्वत ही अयोग्य हो जाएगा । चुनाव के समय उम्मीदवार के चाहे जितने बच्चे हो मगर निर्वाचन के एक वर्ष के अन्तराल के बाद बच्चा होता है तो दो से अधिक बच्चे होने पर उसका निर्वाचन अयोग्य घोषित हो जाएगा। यदि निर्वाचन तक उम्मीदवार के एक भी बच्चा नही है तो उसे दो बच्चो तक की छूट होगी । आशा है इस अच्छी शुरूआत से आगे चलकर परिवार नियोजन को बढावा मिलेगा ।

इसके अलावा दो बच्चो के बाद नसबदी कराने वालो को लडकी के नाम एक हजार रुपये का बाड खरीदकर देने की राज लक्ष्मी योजना का भी असर अच्छा होगा ।

1981 91 की अवधि मे जनसख्या की चक्रवृद्धि दर [1]

1981 91 की अवधि मे जनसख्या की वार्षिक चक्रवद्धि दर (*exponential growth rate*) (ब्याज पर ब्याज वाले सूत्र के अनुसार) भारत के लिए 2 14% तथा राजस्थान के लिए 2 50% रही । 1971 81 की अवधि के लिए ये दरे भारत के लिए 2 22% तथा राजस्थान के लिए 2 87% रही थीं । 1981 91 के दशक मे जनसख्या की वार्षिक चक्रवद्धि दर कुछ राज्यो के लिए निम्नांकित रही (प्रतिशत में)

विहार	2 11
मध्य प्रदेश	2 38
उत्तरप्रदेश	2 27
केरल	1 34
गुजरात	1 92

इस प्रकार 1981 91 के दशक मे जनसख्या की वार्षिक चक्रवद्धि दर राजस्थान में 2 50% रही जो इन पाचो राज्यो से अधिक थी । यह सर्वाधिक नागालैण्ड मे 4 45% तथा न्यूनतम केरल म 1.34% रही ।

राजस्थान म 1981 91 का अवधि म जिलेवार जनसख्या का वृद्धि दर[2]

1981 91 की अवधि म राजस्थान के 27 जिलो मे जनसख्या की सवाधिक वद्धि दरे बाकानेर जिले म (42 7%) तथा जैसलमेर जिले म (41 7%) पायी गयी है जबकि सबसे कम वद्धि दरे पाली जिले मे (16 6%) तथा अजमेर जिले मे (20 1%) पायी गयी ह । विभिन्न जिलो के जनसख्या से सम्बन्धित विस्तृत आकडो की तालिका इस अध्याय के परिशिष्ट 2 मे दी गयी ह ।

राज्य की औसत जनसख्या वद्धि दर (28 4%) की तुलना म बारह जलो मे अर्थात् जयपुर, गगानगर, अलवर, नागौर, कोटा सीकर, झुन्झुनूँ चुरू बीकानेर, बासवाडा जैसलमेर व जोधपुर जिलो मे जनसख्या मे अधिक वद्धि हुई है ।

राज्य मे सबसे अधिक आबादी जयपुर जिले की है जो 1991 मे 47 2 लाख रही । यह राज्य की कुल जनसख्या का 10 73% ह । आबादी की दृष्टि से जैसलमेर का स्थान अंतिम आता ह । 1991 मे यहा की आबादी 3 4 लाख रही जो राज्य की कुल जनसख्या का मात्र 0 78 प्रतिशत थी ।

---

1 Econom c Survey 1992 93 p S 115 (सशोधित आकडे)

2 Census of Ind a 1991 Rajasthan, Facts From F gures Data Dissem na on Cell Directora e of Census Opera ons Rajasthan, 1993 (सशोधित आकडो के लिए)

राज्य में जनसख्या के घनत्व की स्थिति -

1991 के परिणामों के अनुसार राजस्थान में जनसख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 129 रहा जबकि 1981 में यह 100 था । भारत में 1991 मे घनत्व 274 रहा जबकि 1981 मे यह 216 रहा था । 25 राज्यो मे सबसे ज्यादा घनत्व प बगाल मे 767 पाया गया, तथा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 10 रहा।

राज्य के 27 (अब 30) जिलो मे भी परस्पर घनत्व के अतर पाये जाते हैं । जयपुर जिले में घनत्व 336 रहा जो सर्वाधिक था, तथा जैसलमेर जिले मे न्यूनतम 9 रहा (यहा 1981 मे यह केवल 6 ही था) । राज्य के 17 जिलों मे घनत्व राज्य के औसत घनत्व से अधिक पाया गया ।

राज्य में लिग-अनुपात की स्थिति -

राज्य मे प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियो की सख्या 1991 मे 910 रही जबकि 1981 मे यह 919 रही थी । इस प्रकार राजस्थान में लिग-अनुपात मे 9 अकों की गिरावट आयी है । 1991 में केरल मे लिग-अनुपात 1036 रहा था अर्थात् वहा पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की सख्या अधिक रही । राजस्थान के विभिन्न जिलों मे लिगानुपात में अतर पाया जाता है।

वैसे सभी जिलों मे 1991 मे स्त्रियों की सख्या पुरुषो से कम पायी गई, लेकिन राज्य के पद्रह जिलो में लिग-अनुपात राज्य के औसत अनुपात से अधिक पाया गया है । उदाहरण के लिए, डूगरपुर जिले में यह अनुपात 995 बासवाडा जिले मे 969 व उदयपुर जिले में 965 रहा । 1981 में डूगरपुर जिला ही एक मात्र जिला था जिसमे लिग-अनुपात 1045 रहा था, जो स्त्रियो के पक्ष में गया था । लेकिन 1991 में इसमें भी पुरुषों के पक्ष मे परिवर्तित हो गया है । यहा यह 995 रहा है ।

राज्य में जिलेवार साक्षरता-अनुपात (Literacy Ratio)[1]

1991 मे राज्य में 7 वर्ष व इससे अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों का अनुपात 38 6% रहा है जबकि 1981 में यह 30 1% रहा था। इस प्रकार राज्य मे पिछले दस वर्षों में साक्षरता-अनुपात मे 8 5% बिन्दु की वृद्धि हुई है। 1991 में पुरुषो में साक्षरता अनुपात 55 0% था जो पहले से 10 2% बिन्दु अधिक रहा, तथा स्त्रियों मे यह 20 4% था जो पहले से 6 5% बिन्दु अधिक पाया गया । इस प्रकार राजस्थान मे साक्षरता की दर मे सुधार हुआ है, लेकिन आज भी राज्य इस दृष्टि से काफी पिछडी दशा मे है । राज्य मे महिलाओ में साक्षरता की दर बहुत नीची है जो बिहार से भी कम है । 1981 मे ग्रामीण स्त्रियो मे साक्षरता की दर केवल 5.5% थी जो बहुत नीची थी । 1991 में कुछ

---

1 Some Facts About Rajasthan 1992, pp 14-15

जिलो मे साक्षरता अनुपात निम्न तालिका मे दर्शाये गये है ।

जिले	सात वर्ष व अधिक आयु वर्ग मे साक्षरता-अनुपात (% में) (व्यक्ति) (Persons) (पुरुष व स्त्रियों को शामिल करके)
जयपुर	47 9
अलवर	43 1
भरतपुर	43 0
सीकर	42 5
झुन्झुनूं	47 6
डुगरपुर	30 6

इस प्रकार एक तरफ साक्षरता अनुपात जयपुर जिले मे 48% रहा वही डूगरपुर जिले मे 30 6% ही रहा । साक्षरता का पचार बढा कर इसका अनुपात बढाया जाना चाहिए ।

1981 मे राजस्थान साक्षरता मे सबसे अंतिम क्रम पर था जिस पर 1991 मे बिहार आ गया है। राजस्थान मे गावो मे महिला वर्गा को साक्षर व शिक्षित बनाने की नितान्त आवश्यकता है । इससे शादी की उम्र भी बढेगी तथा परिवार नियोजन पर भी अनुकूल प्रभाव पडेगा ।

जिलेवार व शहरी जनसख्या का वितरण[1]

राज्य मे 1981 मे शहरी जनसख्या का अनुपात 21 1% था जिसके 1991 मे बढकर 23% होने का अनुमान लगाया गया है । इस प्रकार वर्तमान मे राजस्थान मे शहरी जनसख्या का अनुपात लगभग 23% आका गया है । अत ग्रामीण जनसख्या का अनुपात लगभग 77 प्रतिशत माना जा सकता है ।

1991 मे निम्न जिलो मे ग्रामीण जनसख्या का अनुपात 90% से अधिक रहा

जिले	(% मे)
जालोर	92 72 (सर्वाधिक)
डूँगरपुर	92 70
बासवाडा	92 28

बाडमेर जिले मे यह लगभग 90% रहा ।

---

1 Some Facts about Rajasthan 1992 pp 26 27

जिन जिलों में 70% से नीचे पाया गया वे इस प्रकार है -

	(% में)
1 अजमेर	59 3 (न्यूनतम)
2 बीकानेर	60 3
3 जयपुर	60 5
4 जोधपुर	64 5
5 कोटा	63 6

शेष जिलो मे ग्रामीण जनसख्या का अनुपात 70% से 90% के बीच पाया गया । इस प्रकार हम कह सकते है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसख्या वाले जिलों मे बासवाडा डूगरपुर, जालौर व बाड़मेर का स्थान आता है । इसके विपरीत अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर व कोटा जिलो मे ग्रामीण जनसख्या अपेक्षाकृत कम अनुपात मे पायी जाती है ।

1991 मे जालोर जिले मे ग्रामीण जनसख्या का अनुपात 92 7% रहा जो सर्वाधिक था तथा अजमेर जिले मे यह 59 3% रहा जो न्यूनतम था।

श्रम शक्ति का व्यावसायिक ढाचा[1]

राज्य मे 1981 मे कुल श्रमशक्ति जनसख्या का 36 6% थी जो 1991 मे 39% हो गई ।[2] इसके मुख्य श्रमिक व सीमान्त श्रमिक दोनो को शामिल कर लिया गया है । इसे काम मे भाग लेने की दर (work participation rate) भी कहते हैं ।

मुख्य श्रमिको (main workers) का विभिन्न औद्योगिक श्रेणियो के अनुसार वितरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है

औद्योगिक श्रेणी	1981	1991
I कृषक	61 6	58 8
II खेतिहर मजदूर	7 3	10 0
III पारिवारिक उद्योगों में कार्यरत	3 3	2 0
IV अन्य कार्य करने वाले जैसे अन्य उद्योग, पशुपालन, वन, मछली पालन, खनन, व्यापार परिवहन, आदि	27 8	29 2
कुल	100 0	100 0

1 Census of India 1991 Rajasthan Facts From Figures, Directorate of Census Operations Raj 1993 last page

2 1991 में मुख्य श्रमिकों का अनुपात 32% तथा सामान्त श्रमिकों का 7% रहा। मुख्य श्रमिक सम्बद्ध आर्थिक क्रिया मे छ महीने व अधिक के लिए भाग लेते हैं और सीमान्त श्रमिक उसमे छ महीने से कम अवधि के लिए भाग लेते है ।

तालिका से स्पष्ट होता है कि मुख्य श्रमिकों के औद्योगिक श्रेणी विभाजन के अनुसार 1981 में 68 9% श्रमिक व खेतिहर मजदूर थे तथा 1991 मे भी यह अश 68 8% कृषक ही रहा जो पहले के समान था । लेकिन खेतिहर मजदूरो का अनुपात कुल श्रमिको मे 1981 में 7 3% से बढकर 1991 म 10% हो गया । इस प्रकार राज्य मे खेतिहर मजदूरों का अनुपात बढा है पारिवारिक या घरेलू उद्योगो में सलग्न श्रमिको का अनुपात 3 3% से घटकर 2% पर आ गया है । शेष आर्थिक क्रियाओं मे यह अनुपात लगभग 28 9 प्रतिशत रहा है। इसका वितरण 1991 के लिए आगे दिया गया है

1991 मे मुख्य श्रमिकों म कृषक, खेतिहर मजदूर व पारिवारिक उद्योगों में सलग्न श्रमिकों के अलावा शेष श्रमिकों का विभिन्न उप श्रेणियो मे अनुपात इस प्रकार रहा[1]

(प्रतिशत में)

(1)	पशु पालन मछली शिकार, बागान व कृषि की सहायक क्रियाए	1 8
(2)	खनन व पत्थर निकालना	1 0
(3)	पारिवारिक उद्योगो के अलावा अन्य उद्योग	5 4
(4)	निर्माण (Construction)	2 4
(5)	व्यापार व वाणिज्य	6 4
(6)	परिवहन सचार, सग्रह	2 4
(7)	अन्य सेवाए	9 7
	शेष क्रियाओ का कुल योग	29 1

इस प्रकार 1991 मे राजस्थान मे श्रम शक्ति के व्यावसायिक वितरण मे 1981 की तुलना मे कुछ परिवर्तन आया है इससे राज्य मे कृषि व पारिवारिक उद्योगो के अलावा अन्य क्रियाओ की प्रगति झलकती है । आशा है आगामी वर्षों मे राज्य के औद्योगिक विकास से यह प्रवृत्ति और जोर पकडेगी जिससे श्रम शक्ति का व्यावसायिक वितरण अधिक सतुलित हो सकेगा । इसके लिए राज्य मे विभिन्न प्रकार के उद्योगो का जाल बिछाना होगा ।

---

1 Some Facts About Rajasthan 1992, pp 36 37 से जोडकर प्रतिशत निकाले गये हैं।

राजस्थान मे कृषि-आधारित उद्योगों, खनिज-आधारित उद्योगो तथा पशु-आधारित उद्योगो के विकास की काफी सभावनाए हैं । **रत्न व आभूषण, हथकरधा, दस्तकारी, गलीचों व विभिन्न प्रकार के ग्रामीण उद्योगों मे श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है।** कुछ कर्मचारियों को पर्यटन-विकास, शिक्षा व चिकित्सा के विकास कार्यों मे भी लगाना सम्भव हो सकता है ।

मानवीय साधनो से सम्बन्धित उपयुक्त तथ्य यह स्पष्ट करते है कि राजस्थान मे एक तरफ जनसख्या की वृद्धि को नियन्त्रित किया जाना चाहिए और दूसरी तरफ तीव्र गति से आर्थिक विकास किया जाना चाहिए । जनसंख्या-वृद्धि को नियंन्त्रित करने के लिए आवश्यक आर्थिक व सामाजिक उपाय करने होगे । राजस्थान मे कृषिगत विकास व औद्योगिक विकास की गति को तेज करके लोगो की आथिक स्थिति मे आवश्यक सुधार लाया जा सकता है । आगे के अध्यायो में इन पहलुओ पर अधिक प्रकाश डाला जाएगा ।

राज्य मे मानवीय साधनो का विकास -

(Human Resource Development in the State)

मानवीय साधनो का सदुपयोग व विकास करना योजना का प्रमुख उद्देश्य माना गया है । इसके लिए सरकार को साक्षरता, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सफाई व पोषण (विशेषतया स्त्रियो व बच्चो के पोषण) आदि पर समुचित ध्यान देना होता है । इससे शिशु मृत्यु-दर (infant mortality rate) (एक वर्ष से कम आयु के बच्चो मे मृत्यु-दर) व जन्म दर मे कमी आती है, उचित पोषण से श्रम का कार्यकुशलता बढती है और जीने की प्रत्याशा या औसत आयु मे वृद्धि होती है और लोगो का जीवन-स्तर ऊचा होता है।

भारत मे केरल व पजाब मे जन्म-दरो व मृत्यु-दरों मे कमी की दिशा मे प्रगति हुई है । केरल मे बडी मात्रा मे बेरोजगारी व प्रति-व्यक्ति नीची आय के बावजूद जनसख्या की वृद्धि-दर न्यूनतम रही है, तथा शिशु मृत्यु-दर भी बहुत कम हो गई है । वहाँ शिक्षा का स्तर-विशेषतया महिलाओ की शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा है और स्वास्थ्य व सफाई के स्तर भी बहुत ऊँचे हैं । पजाब मे ऊँची आमदनी के फलस्वरूप शिक्षा व स्वास्थ्य के स्तर सुधरे हैं ।

राजस्थान में प्रति व्यक्ति आमदनी के नीचा होने व सामाजिक पिछडेपन के कारण मानवीय साधनो का विकास अपर्याप्त रूप से हो पाया है । यहां महिलाओं मे साक्षरता का नितान्त अभाव पाया जाता है-विशेषतया ग्रामीण महिला-वर्ग में तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग मे । स्त्रियो के लिए प्रसव से पूर्व व बाद की देखरेख का अभाव पाया जाता है । गर्भवती स्त्रियो मे व प्रसव के बाद की अवधि मे स्त्रियो के लिए पोषण का अभाव देखा जाता है । बच्चे कुपोषण का शिकार रहते हैं । कई प्रकार की बीमारियों से गर्भवती महिलाओ व

बच्चे के जन्म के बाद स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है । अधिकाश परिवार केलोरी-प्रोटीन की अपर्याप्तता के शिकार पाये जाते हैं ।

नीचे साक्षरता, स्वास्थ्य व पोषण आदि सूचको के आधार पर राजस्थान की स्थिति का विवेचन किया गया है -

(1) साक्षरता जैसा कि पहले कहा जा चुका है राजस्थान में साक्षरता का स्तर बहुत नीचा है । 1991 में साक्षरता की दर 38 6% रही जो पुरुष वर्ग मे 55 0% तथा महिला वर्ग में 20 4% थी । 1981 में साक्षरता की दर केवल 30 1% रही थी जिसमे पुरुषो मे यह 44 8% तथा महिलाओं मे 14% रही थी। इस गणना मे सात वर्ष व अधिक आयु के साक्षर शामिल हैं । राज्य मे ग्रामीण महिला-वर्ग मे साक्षरता का अनुपात बहुत नीचा पाया जाता है । 1991 मे राज्य मे अनुसूचित जाति के पुरुषो मे साक्षरता का अनुपात 42 4% व स्त्रियों में 8 3% रहा एव अनुसूचित जनजाति के पुरुषो मे यह 33 3% तथा स्त्रियों मे 4 4% रहा। इस प्रकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओ में निरक्षरता व्यापक रूप से फैली हुई है । इनमें भी जिलो के अनुसार भारी अतर पाये जाते है ।

1981 मे 5 14 वर्ष के आयु समूह मे प्राथमिक व मिडिल स्कूल जाने वाले लडको का अनुपात राज्य मे 11 45% तथा लडकियो मे 4 16% मात्र था। 15 24 वर्ष के आयु-समूह मे शिक्षा पाने वालो मे पुरुष वर्ग का अनुपात 8 86% तथा महिला वर्ग का अनुपात 2 48% था । 1980 में प्राथमिक स्तर पर 1000 विद्यार्थियो पर अध्यापको की सख्या लगभग 24 9 थी सैकण्डरी स्तर पर 46 7 थी तथा विश्वविद्यालय स्तर पर 48 5 थी । 1981 में ग्रामीण क्षेत्रो मे 1000 की जनसख्या पर राज्य मे शिक्षकों की सख्या केवल तीन थी ।

साक्षरता व शिक्षा का प्रभाव परिवार-नियोजन पर पडना स्वाभाविक है । केरल मे साक्षरता का स्तर (अब लगभग शत-प्रतिशत) बहुत ऊँचा होने से वहा जन्म दर नीची है तथा जनसख्या की वृद्धि-दर भी काफी कम है । 1990 की अवधि मे केरल मे शिशु मृत्यु-दर (IMR) (प्रति 1000 जीवित जन्में बच्चों पर) (per 1000 live births) 17 थी जबकि राजस्थान में यह 84 थी । 1990 मे शिशु मृत्यु-दर की स्थिति इस प्रकार रही [1]

1 Statistical outline of India 1992 93, (Tata Services Ltd) October 1992, p 7

(प्रति 1000 जीवित जन्में बच्चो पर)

मध्य प्रदेश	111
उडीसा	122
उत्तर प्रदेश	99
राजस्थान	84
अखिल भारत	80

इसमे कोई संदेह नहीं कि शिशु मृत्यु-दर कम करने के लिए महिला-वर्ग मे साक्षरता का प्रसार बहुत आवश्यक है । इससे परिवार नियोजन को भी बल मिलता है । शिशु मृत्यु दर घटने से छोटे परिवार के प्रति रुझान बढता है । शिशु मृत्यु-दर कम करने के लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण व सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है ।

(2) चिकित्सा, स्वास्थ्य व सफाई - राजस्थान मे चिकित्सा- सस्थाओ का बहुत अभाव है । जैसा कि पिछले अध्याय मे बतलाया गया था, जनवरी 1987 मे प्रति एक हजार वर्ग किलोमीटर मे अस्पतालो/औषधालयो की सख्या राजस्थान मे केवल 4 थी जबकि भारत मे यह 10 थी ।

प्रति एक लाख जनसख्या के पीछे अस्पतालो मे रोगी शैयाओ/बिस्तरो की सख्या 1971 मे 61 2 1981 मे 56 7 तथा 1986 मे 76 रही । 1986 मे अखिल भारतीय स्तर 98 पाया गया । अत राज्य मे चिकित्सा की सुविधाओ का नितान्त अभाव है । 1981 मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो की सख्या प्रति दस लाख जनसख्या पर 6 82 मात्र थी । दूर दराज के गावो मे चिकित्सा की सुविधाओ का भारी अभाव पाया जाता है । **1987 मे राजस्थान मे ग्रामीण क्षेत्रों मे 88.7% बच्चो के जन्म के समय किसी प्रशिक्षित व्यक्ति ने देखरेख नहीं की थी ।** 1987 मे 0-4 वर्ष के बच्चो मे मृत्यु का अनुपात कुल मृत्युओ (total deaths) मे 51 1% पाया गया था ।

(3) पोषण (Nutrition) - भारत मे करोडो बच्चे अपर्याप्त खुराक के सहारे जीते हैं । 1989 मे लगभग 59 6% परिवारो में केलोरी-प्रोटीन का अभाव पाया गया था । मध्य प्रदेश में तो यह 80 8% परिवारो तक में पाया गया था । राजस्थान मे भी निर्धनता नीची आय, महगाई सामाजिक पिछडेपन, परिवार नियोजन के अभाव आदि कारणों से पोषण का नितान्त अभाव पाया जाता है । गर्भवती महिलाओ व प्रसव के बाद की अवधि मे महिलाओ में पोषण की काफी कमी पायी जाती है । स्कूल जाने वाले बच्चे कुपोषण के कारण अपना मानसिक विकास नहीं कर पाते ।

राजस्थान मे 1987 88 मे समन्वित बाल विकास सेवाओ (ICDS) मे शामिल 0 6 वर्ष तक के 1328 बच्चो के पोषण की स्थिति का अध्ययन करने

से पता चलता है कि इनमे से 30 2% बच्चे सामान्य श्रेणी मे (आयु के अनुसार 80% अधिक वजन) 26 1% श्रेणी I मे (71 80% वजन) 23 6% श्रेणी II मे (61 70% वजन) 10 9% श्रेणी III में (51 60% वजन) 7 5% श्रेणी IV मे (50% से कम वजन) तथा 1 6% बिना रिकार्ड वाले थे । इस प्रकार 70% बच्चे वजन मे सामान्य श्रेणी से नीचे थे ।

[स्रोत Children and Women in India, A Situation Analysis, 1990, UNICEF 1991, P.38]

साराश जैसा कि पहले कहा जा चुका है राजस्थान मे 1981 91 की अवधि मे जनसख्या मे 28 4% की वृद्धि हुई जो 1971 81 की 33% की वृद्धि की तुलना मे तो कम थी फिर भी यह भारतीय औसत से ऊँची थी । इसलिए 1990 के दशक व बाद मे राज्य मे जन्म दर कम करने पर विशेष रूप से बल देना होगा । इसके लिए महिला वर्ग में साक्षरता का अनुपात बढाना होगा लडकियों की शादी की औसत आयु (1981 मे 16 1 वर्ष थी) मे वद्धि करनी होगी तथा परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय अपनाने वाले दम्पत्तियो का अनुपात (जो 1988 मे 27 8% आका गया है) बढाना होगा। इन सबका प्रभाव जन्म दर को घटने के रूप मे प्रगट होगा । राज्य मे यह प्रयास युद्ध स्तर पर चलाना होगा । इसके लिए जहा प्रति व्यक्ति शिक्षा स्वास्थ्य व पोषण पर व्यय बढाना होगा वहा साथ मे गरीब वर्ग के लोगो तक सामाजिक सेवाओ को पहुचाना होगा अन्यथा अधिकाश व्यय प्रशासनिक व्यवस्था पर हो जायगा । यदि हम महिला साक्षरता व शिक्षा एव जन्म-दर, तथा जन्म दर व शिशु मृत्यु दर एव माता व बच्चो के पर्याप्त पोषण व जन्म दर तथा शिशु मृत्यु दर मे सम्बन्ध ठीक से समझ ल तो आम जनता के जीवन की गुणवत्ता सुधारने मे काफी मदद मिलेगी ।

राजस्थान मे जन्म दर को वर्तमान के 34 3 प्रति हजार के स्तर से घटाकर 25 प्रति हजार पर लाने की नितान्त आवश्यकता है । 1991 मे कर्नाटक आध्र प्रदेश पश्चिम बगाल व महाराष्ट मे जन्म दर का स्तर लगभग 26 27 प्रति हजार पर आ गया था । इसलिए प्रयत्न करने पर यह स्तर राजस्थान मे भी लाया जा सकता है । केरल मे तो जन्म दर 1991 मे 18 1 प्रति हजार रही थी । पिछले वर्षों के अध्ययनों से यह पता चलता है कि शिशु मृत्यु दर कम करने, साक्षरता का अनुपात बढाने (विशेषतया महिला वर्ग में) तथा शादी की आयु बढ़ाने से जन्म दर मे निश्चित रूप से गिरावट आती है । अत हमें एक तरफ सघन अभियान चलाकर परिवार नियोजन अपनाने वाले दम्पत्तियो का अनुपात बढाना चाहिए, और दूसरी तरफ साक्षरता बढाकर, शिशु मृत्यु दर घटाकर तथा शादी की आयु मे वृद्धि करके और महिलाओ के लिए रोजगार, स्वास्थ्य व कल्याण पर विशेष बल देकर जनसख्या की वृद्धि दर घटानी चाहिए । राजस्थान मे इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

परिशिष्ट - 1

1991 मे एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या इस प्रकार थी[1]

		(लाखों में)	1991 में 1981 की तुलना में % वृद्धि
1	जयपुर (सागानेर व आमेर सहित)	15 14	49 2
2	जोधपुर	6 49	28 1
3	कोटा	5 36	49 7
4	बीकानेर	4 15	44 4
5	अजमेर	4 02	7 0
6	उदयपुर	3 08	32 3
7	अलवर	2 11	44 8
8	भीलवाडा	1 84	49 9
9	गगानगर	1 61	30 5
10	भरतपुर	1 57	49 0
11	सीकर	1 48	44 0
12	पाली	1 37	49 4
13	ब्यावर	1 07	18 6
14	टोक	1 00	29 0

1 Some Facts About Rajasthan, 1992, p 11

परिशिष्ट - 2

1991 मे राज्य मे जनसख्या लिग अनुपात (Sex ratio) घनत्व (density) वृद्धि-दर व साक्षरता की स्थिति (सशोधित आंकड़े)

क्र सं	राज्य /जिला	जनसख्या (हजार में)	लिग अनुपात (Sex Ratio)	घनत्व (density)	1981 91 में दस वर्षीय वृद्धि दर (% में)	साक्षरता की दरें (प्रतिशत में)		
						(व्यक्तियो में)	(पुरूषों में)	(स्त्रियों में)
	राजस्थान	[illegible] 6	910	129	28 44		54 99	20 44
1	गगानगर		877	127	29 20		55 30	26 40
2	बीकानेर		885	44	42 70 (H)		54 60	27 00
3	चूरू		937	92	30 84		51 30	17 30
4	झुंझुनें		931	267	30 61		68 30	25 50
5	अलवर		880	274	30 82		61 00	22 50
6	भरतपुर		832	326	27 14		62 10	19 60
7	धौलपुर		795 (L)	247	28 10		50 50	15 30
8	सवाई माधोपुर		854	186	27 83		54 60	14 60
9	जयपुर	[illegible] H)	891	336 (H)	37 44		64 80	28 70
10	सीकर		946	238	33 81		64 10	19 90
11	अजमेर		918	204	20 05	[illegible] (H)	68 80 (H)	34 50 (H)
12	टोंक		923	136	24 42		50 60	15 20
13	जैसलमेर	[illegible] L)	807	9 (L)	41 73		45 00	11 30
14	जोधपुर		891	94	29 12		56 70	22 60

1991 मे राज्य मे जनसख्या लिग अनुपात (Sex ratio) घनत्व (density) वृद्धि दर व साक्षरता की स्थिति (सशोधित आकड़े)

क्र सं	राज्य /जिला	जनसख्या (हजार मे)	लिग-अनुपात (Sex Ratio)	घनत्व (density)	1981 91 में दस वर्षीय वृद्धि दर (% में)	साक्षरता की दरें (प्रतिशत में)		
						(व्यक्तियों में)	(पुरूषों में)	(स्त्रियों में)
15	नागौर	2145	942	121	31 69	[illegible]	49 40	13 30
16	पाली	1486	956	120	16 63 (L)	[illegible]	54 40	17 00
17	बाड़मेर	1435	891	51	28 27	[illegible] L)	36 60 (L)	7 70 (L)
18	जालौर	1143	942	107	26 52	[illegible]	39 00	7 80
19	सिरोही	654	949	127	20 66	[illegible]	46 20	17 00
20	भीलवाड़ा	1593	945	152	21 58	[illegible]	46 00	16.50
21	उदयपुर	2889	965	167	22 59	[illegible]	49 30	19 00
22	चित्तौड़गढ़	1484	950	137	20 42	[illegible]	50 60	17 20
23	डूगरपुर	875	995 (H)	232	28 07	[illegible]	45 70	15 40
24	बासवाड़ा	1156	969	229	30 34	[illegible]	38 20	13 40
25	बूदी	770	889	139	25 85	[illegible]	47 40	16 10
26	कोटा	2031	887	163	32 32	[illegible]	64 00	29 50
27	झालावाड़	957	918	154	21 91	[illegible]	48 20	16 20

(स्रोत Some Facts About Rajasthan 1992 pp 12 15)

H = Highest (अधिकतम) L = Lowest (न्यूनतम)

1981 मे एक लाख से अधिक जनसख्या वाले शहर 11 ही थे । 1991 मे इस श्रेणी मे पाली ब्यावर व टोंक और जुडे हैं। 1991 मे पाली कोटा जयपुर, भरतपुर तथा भीलवाडा नगरो की जनसख्या 1981 की तुलना मे लगभग ड्योढी हो गई है।

प्रश्न

1 राजस्थान की जनसख्या वितरण का व्यवसाय ग्रामीण शहरी एव जिले के आधार पर उल्लेख करे । वैसे कौन से तत्व हैं जो मानव ससाधन के विकास मे सहयोगी रहे हैं ? (Ajmer I yr 1992)

2 राजस्थान मे जनसख्या के आकार व वद्धि का विवेचन कीजिए । क्या 1981 91 की अवधि मे जनसख्या की वद्धि दर मे उल्लेखनीय कमी हुई है ?

3 राजस्थान मे साक्षरता की दर, शिशु मृत्यु दर व जन्म दर का विवेचन करके इनमे परस्पर कडी स्थापित कीजिए ।

4 राजस्थान मे श्रम शक्ति का व्यावसायिक वितरण स्पष्ट कीजिए ।

5 सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

(i) राजस्थान मे जिलेवार ग्रामीण व शहरी जनसख्या,

(ii) मानवीय साधनो के विकास के प्रमुख सूचक व इनमे राजस्थान की स्थिति

(iii) राज्य मे शिशु मृत्यु दर

(iv) राजस्थान मे जनसख्या नियत्रण के लिए सुझाव ।

6 राजस्थान राज्य की जनसख्या की प्रमुख विशेषताए बताइये ।
(Raj Iyr 1992)

7 राजस्थान राज्य मे मानव ससाधन विकास के लिए क्या प्रयास किये गये है ? शिक्षा के क्षेत्र मे किये गये कार्यो के विशेष सदर्भ मे वर्णन कीजिए।
(Ajmer IIyr 1992)

3

राजस्थान के प्राकृतिक साधन : भूमि, जल, पशु-धन और खनिज-पदार्थ

(Natural Resource Endowments of Rajastnan : Land, Water, Livestock and Minerals)

राजस्थान का गौरवमय इतिहास

राजस्थान का भारत के इतिहास मे एक गौरवमय स्थान रहा है। यहाँ की पवित्र भूमि ने महाराणा प्रताप जैसे पराक्रमी व साहसी योद्धाओ को जन्म दिया है। उनके वीरतापूर्ण एव त्याग से ओत प्रोत कार्य अनेक ऐतिहासिक तथा काव्य-कृतियो मे विद्यमान हैं जो भावी युगो मे देशवासियो को प्रेरणा देते रहेगे। टॉड की प्रसिद्ध पुस्तक Annals and Antiquities of Rajasthan के पृष्ठ यहाँ के वीरो की अनेक गुण-गाथाओ से भरे हुए है। वीरोचित कार्यों एव शोर्य की यह परम्परा आधुनिक राजस्थान का 'आध्यात्मिक आधार' (Spiritual base) मानी जा सकती है। जहाँ एक तरफ राजस्थान की इतनी उच्च ऐतिहासिक व सास्कृतिक परम्पराएँ रही है, वहाँ दूसरी तरफ इसी भूमि को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ के उद्यमकर्ताओ ने देश के विभिन्न भागों में जाकर उद्योग व व्यापार मे सक्रिय रूप से भाग लिया है। इन्होंने विदेशो मे भी औद्योगिक उपक्रम स्थापित किये है। राजस्थान ने ही बिडला, बागड सिंघानिया सूरजमल-नागरमल आदि उद्योगपतियो व व्यावसायिक घरानो को जन्म दिया है। यहाँ के शिल्पकार व कारीगर पत्थर, सगमरमर, लकडी पीतल सोना चाँदी चीनी मिट्टी चमडा व वस्त्र पर अपनी कलाकृतियो मे बेजोड माने गये है और देश-विदेश मे ख्याति प्राप्त है। वे आज भी अपनी प्रतिभा को न केवल कायम रखे हुए है, बल्कि अनेक प्रकार की कठिनाइयो के बावजूद उसको बढाने का प्रयत्न करते रहते है। साथ मे हमे यह भी स्मरण रखना है कि प्राकृतिक कठिनाइयो के कारण यहाँ जन साधारण को समय-समय पर आर्थिक जीवन मे कई प्रकार के कष्ट झेलने पडे है। प्रति वर्ष राज्य के किसी न किसी भाग मे सूखे व अकाल की काली छाया पडती रहती है। राज्य सरकार के लिए अकाल राहत कार्यों का बडा महत्त्व ह। इनके द्वारा अकाल पीडित लोगो के लिए रोजगार व खाद्यान्नो की व्यवस्था की जाती है। साथ मे पेयजल की सप्लाई भी बढायी जाती है तथा पशुओ के लिए चारे का

इन्तजाम किया जाता है। राज्य बाढ से भी क्षतिग्रस्त होता रहा है। जुलाई-अगस्त 1990 मे राज्य के पश्चिमी भाग मे जालौर, पाली बाडमेर, सिरोही व जोधपुर सभागो मे बाढ से भारी क्षति हुयी थी। लूनी नदी मे बाढ से बाडमेर जिले मे बालोतरा के निकट के क्षेत्रो मे जान माल की अत्यधिक हानि हुयी थी। इस अध्याय मे हम राजस्थान के भौतिक वातावरण व प्राकृतिक साधनो का संक्षिप्त परिचय देंगे।

राजस्थान का निर्माण

वर्तमान राजस्थान राज्य एकीकरण की एक लम्बी प्रक्रिया के बाद बन पाया है। यह प्रक्रिया 17 मार्च 1948 को प्रारम्भ होकर 1956 मे समाप्त हुई थी। शुरू मे 17 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करोली राज्यो एव नीमराना की चीफशीप को मिला कर मत्स्य सघ बनाया गया था। 25 मार्च 1948 को अन्य पडोसी राज्य जैसे कोटा बून्दी झालावाड बासवाडा डूगरपुर, किशनगढ प्रतापगढ शाहपुरा व टोक इस सघ मे मिल गये थे। इससे पूर्व राजस्थान का निर्माण कार्य सम्पन्न हो गया था। मत्स्य सघ के निर्माण के एक माह बाद उसमे उदयपुर शामिल हो गया। 30 मार्च 1949 तक पहले के राजस्थान मे बीकानेर, जयपुर जेसलमेर व जोधपुर भी शामिल हो गये। इस प्रकार वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। छठी अवस्था मे सिरोही राज्य का कुछ भाग इसमे मिला दिया गया। 1956 मे राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो जाने पर अजमेर राज्य पहले बम्बई राज्य का आबू रोड तालुका एव पहले के मध्य भारत का सुनेल थापा प्रदेश राजस्थान मे मिल गये और कोटा जिले का सिरोज उप खण्ड मध्य प्रदेश को दे दिया गया।

इस प्रकार राजस्थान अपने वर्तमान रूप मे 19 देशी रियासतो तथा 3 सामन्ती राज्यो के एकीकरण से गठित हुआ है। इन रियासतो के आकार, जनसख्या प्रशासनिक स्वरूप व क्षमता तथा सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर मे काफी अतर पाया जाता था। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को 27 जिलो मे विभक्त किया गया। तीन नये जिले दोसा राजसमन्द व बारा को शामिल करने पर वर्तमान मे 30 जिले है। 1991 मे राज्य मे 213 तहसीले 237 पचायत समितियाँ अथवा विकास खण्ड एव 7358 ग्राम पचायते है। कुल ग्राम 39 810 है जिनमे बसे हुए ग्राम 37 890 तथा बिना बसे 1920 है। 1991 मे शहरो/नगरो की सख्या 222 व 1992 मे नगरपालिकाएँ 186 थीं। वर्तमान मे विधानसभा की सीटे 200 तथा लोकसभा की 25 सीटे है ।

भौगोलिक वातावरण

(अ) स्थिति सीमा क्षेत्रफल व प्राकृतिक दशा राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग मे $23^0 3$ से $30^0 12$ उत्तरी अक्षाशो एव $69^0 30$ से $78^0 17$ पूर्वी देशान्तरो के बीच मे स्थित है। यह राज्य पूर्णतया उष्ण कटिबन्ध मे आता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम भाग मे स्थित होने के कारण इस राज्य का जलवायु पूर्णतया उष्ण मरुस्थलीय है। इसका क्षेत्रफल 3 42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल मे यह मध्य प्रदेश के बाद भारत का दूसरा सबसे बडा राज्य है। यह देश के कुल क्षेत्रफल का 10 4% है। इसकी आकृति एक पतग के समान है।

उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लम्बाई 784 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौडाई 850 किलोमीटर है।[1]

राज्य की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। यह सीमा 1070 किमी॰ लम्बी है। इस सीमा से राजस्थान के चार जिले- बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गगानगर जुड़े हुए है। राज्य की अतर्राष्ट्रीय सीमाएँ भारत के पाच राज्यों को छूती है। राजस्थान की उत्तरी सीमा पंजाब से, उत्तर-पूर्वी सीमा हरियाणा से, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से, दक्षिण-पूर्वी व दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश से तथा दक्षिण-पश्चिमी सीमा गुजरात से जुडी हुई है। यह राज्य समुद्र से बहुत दूर है। देश के आन्तरिक भाग में स्थित होने के कारण यहा की जलवायु गर्म व शुष्क रहती है।

राजस्थान प्रशासनिक विभाग

राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर भारत और पश्चिमी पाकिस्तान एक-दूसरे के समक्ष जो अन्तराष्ट्रीय सीमा बनाते है वह मूलत प्राकृतिक है और यह थार के रेगिस्तान से गुजरती है। इस क्षेत्र मे वर्षा कम होती है और यातायात की कठिनाइया भी पायी जाती हैं। इस क्षेत्र की इन प्राकृतिक कठिनाइयो के कारण ही सीमा सुरक्षा पर व्यय की मात्रा काफी अधिक होती है और इस क्षेत्र मे सडके

---

1 Census of India 1981, Series 18 Rajasthan, part XII Census Atlas 1988 p 8

व रेलें बनना भी अवश्यक है जिससे युद्ध व संघर्ष के समय सैनिक साज-सामान सुगमतापूर्वक भेजे जा सकें। वैसे सीमा पर रेगिस्तान के आ जाने से इस पर कुछ प्राकृतिक रोक भी लग जाती है, लेकिन 1965 के भारत-पाक संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यातायात की आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाकर शत्रु राष्ट्र द्वारा प्राकृतिक सीमा का भी उल्लंघन किया जा सकता है।

अरावली पहाड - राजस्थान की भौतिक विशेषताओं पर अरावली पहाड का बड़ा प्रभाव पडा है। अरावली पर्वतमालाएं राज्य को चीरती हुई उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर फैली हुई हैं। इनका उत्तरी-पूर्वी भाग खेतडी के समीप है और दक्षिण-पश्चिमी छोर माउन्ट आबू के समीप है। अरावली पर्वतमालाओं ने राज्य को प्राकृतिक भागों में बाट दिया है -- राजस्थान का 3/5 भाग अरावली के उत्तर पश्चिम मे पडता है और 2/5 भाग दक्षिण पूर्व मे। इनका जलवायु पर भी असर पडता है। ये पश्चिम से आने वाली मिट्टी को भी रोकते हैं। अरावली पहाड की दिशा उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर होने के कारण इसके बायें भाग मे उत्तरी-पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है जहा मानसूनी वर्षा बहुत कम होती है और दायें भाग मे मैदानी प्रदेश पाया जाता है जहा वर्षा अधिक होती है।

यदि इस पहाड की दिशा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की तरफ होती तो राज्य की जलवायु व धरातल की बनावट भिन्न प्रकार की हो जाती। इससे मरुस्थलीय क्षेत्र (जैसलमेर, बाडमेर आदि) में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती, और पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का अभाव हो जाता। इस प्रकार अरावली पर्वतमालाओं ने राजस्थान की जलवायु व धरातल की बनावट पर गहरा प्रभाव डाला है।

पश्चिमी राजस्थान -- अरावली के पश्चिमी व उत्तर-पश्चिम का प्रदेश बालू से भरा हुआ है। इसमें जनसंख्या कम है। इस प्रदेश का पूर्वी भाग मरवाड कहलाता है। पश्चिमी भाग थार का रेगिस्तान (Thar Desert) कहलाता है। बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, गगानगर के कुछ हिस्सों के निवासियों को रेगिस्तान के शुष्क जीवन का सामना करना पडता है। गगानगर के कुछ भागों को छोडकर इस प्रदेश मे अन्य कहीं भी बहता हुआ जल नहीं है। इस प्रदेश में प्राय अकाल पडा करते हैं। काफी दूर तक यात्रा करने पर भी वनस्पति का नामोनिशान नहीं दिखाई देता। केवल 'सेवन' को घास ही कहीं-कहीं नजर आती है। पशुओं के लिए यह घास ईश्वर का वरदान मानी जाती है। रेगिस्तान का निर्माण अरब सागर व कच्छ के रण की दिशा मे आने वाली उत्तरी-पश्चिमी हवाओं से हुआ है जो अपने साथ मिट्टी के कण लाती हैं।

हम आगे चलकर देखेंगे कि रेगिस्तान की इस समस्या का समाधान इंदिरा गाधी नहर (पहले राजस्थान नहर कहलाती थी) है जो समस्त प्रदेश को हरा-भरा कर देगी।

दक्षिण-पूर्वी राजस्थान -- इस भाग मे उपजाऊ भूमि पाई जाती है तथा

नदिया भी बहती है। इसी भाग मे उदयपुर (मेवाड) का प्रदेश स्थित है जो 'राजस्थान का हृदय' कहलाता है। बासवाडा जिले का दक्षिणी व पूर्वी भाग अत्यन्त सुन्दर है। वर्षा के तुरन्त बाद यह आकर्षक हो जाता है। बनास व चम्बल नदिया राजस्थान के आर्थिक जीवन मे विशेष महत्व रखती है। इस प्रदेश मे कोटा व बूदी के क्षेत्र हैं जो 'पठारी प्रदेश' बनाते है। भरतपुर के मैदानी भाग भी इसी क्षेत्र मे आते हैं।

नदिया व झीले -- राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग मे केवल लूनी नदी ही प्रमुख है। इसका उद्गम अजमेर के पास पुष्कर घाटी के समीप होता है और यह पश्चिम मे बहती हुई दक्षिण पश्चिमी भाग मे 320 किलोमीटर तक बहकर कच्छ के रण मे प्रवेश करती है। पहले कहा जा चुका है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग मे नदियो का विशेष स्थान है। चम्बल राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। चम्बल घाटी परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास मे विशेष महत्व रखती है। चम्बल के बाद बनास नदी का स्थान आता है यह कुम्भलगढ जिले मे अरावली से निकल कर लगभग 480 किलोमीटर बहकर चम्बल मे मिल जाती है। बाणगगा जयपुर के पास से निकल कर पूर्वी भाग मे बहती हुई (भरतपुर व धौलपुर मे से) यमुना मे मिलती है। माही नदी मुख्यतया गुजरात की नदी है लेकिन यह कुछ दूरी तक बासवाडा में तथा डूगरपुर की सीमा पर बहती है। घग्घर नदी हिमाचल प्रदेश मे शिमला के पास शिवालिक की पहाडियो से निकल कर पजाब मे बहती हुई राजस्थान मे हनुमानगढ मे प्रवेश करती है। यह हनुमानगढ के पश्चिम मे लगभग तीन किलोमीटर मे प्रवाहित होती है। इसमे वर्षा ऋतु मे कभी कभी काफी जल आ जाता है।

राजस्थान मे खारे पानी की झीले पश्चिमी राजस्थान मे स्थित है। साभर झील जयपुर से 65 किलोमीटर दूर फुलेरा रेल मार्ग के समीप स्थित है। यह भारत मे खारे पानी की सबसे बडी झील है। पचपदरा झील बाडमेर जिले के बालोतरा के समीप स्थित है। यहा का नमक उच्च कोटि का होता है। इसके अलावा जोधपुर जिले की फलौदी तहसील की झाल नागौर जिले की डीडवाना की झील तथा बीकानेर जिले की लूणकरणसर झील भी प्रसिद्ध है। राज्य अपनी कृत्रिम झीलो के लिए प्रसिद्ध रहा है। उदयपुर की जयसमद मीठे पानी की झील विश्व मे सबसे बडी कृत्रिम झीलो मे से एक मानी गई है। दूसरी झील काकरोली के समीप राजसमद झील है जिसमे गोमती नदी गिरती है। यह अकाल सहायता कार्य का काफी पुराना नमूना प्रस्तुत करती है। तीसरी झील उदयसागर है। उदयपुर मे स्थित पिछोला झील भी काफी मशहूर है। इसके अलावा वहा फतहसागर झील भी है। अजमेर मे अनासागर झील भी काफी प्रसिद्ध झीलो मे से एक मानी गई है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर झील है। अजमेर मे दो झीलें है। जोधपुर, अलवर व माउण्ट आबू मे भी झीले हैं। ये स्थल पर्यटको के लिए विशेष रूप से आकर्षण के केन्द्र है। माउण्ट आबू का नक्की तालाब काफी सुन्दर व रमणीय है।

झीलो मे कुछ प्राकृतिक है और कुछ कृत्रिम या मानव निर्मित है। खारे पानी की साभर झील प्राकृतिक है ओर मीठे पानी की पुष्कर झील भी प्राकृतिक है।

(आ) जलवायु - राजस्थान की जलवायु का एक विशेष लक्षण यह हे कि यहा **तापमान मे भारी अन्तर पाया** जाता है। यहा शीतकाल मे बहुत सर्दी पडती है और कई स्थानो पर तापक्रम हिम-बिन्दु से भी नीचे आ जाता है और पाला पड जाता हे। दूसरी तरफ ग्रीष्म ऋतु मे गर्मी बहुत तेज पडती है। पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तानी प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा गर्म प्रदेश माना जाता हे।

सभी राज्यो की अपेक्षा राजस्थान मे सामान्य वर्षा का स्तर (51 सेन्टीमीटर न्यूनतम स्तर का माना गया हे। यहा वर्षा का वितरण असमान व अनिश्चित किस्म का रहता है। यहा पर सामान्य वर्षा झालावाड जिले की पहाडियो मे 100 सेन्टीमीटर तक होती है, जबकि जेसलमेर जिले के रेगिस्तान मे यह 16 सेन्टीमीटर तक होता हे।

(इ) मिट्टी व वनस्पति - राजस्थान की मिटियो को मुख्यतया सात भागो मे बाटा गया है

1 रेगिस्तानी मिट्टी - राजस्थान मे यह सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मे फैली हुइ हे। अरावली के पश्चिम मे राज्य के समस्त भागो मे रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती हे। इसमे प्रमुख जिले इस प्रकार हे - श्रीगगानगर, चूरू झुझुनूँ बीकानेर, जेसलमेर नागौर, बाडमेर, जोधपुर तथा सीकर। यह काफी अनुपजाऊ होती है।

2 भूरी-पीली (रेगिस्तानी मिट्टी) यह बाडमेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही, पाली नागौर, सीकर व झुझुनूँ जिलो मे पाई जाती है। इस मिट्टी मे फॉस्फेट का अश ऊँचा होता है।

3. लाल व पीली मिट्टी - यह उदयपुर, भीलवाडा व अजमेर जिलो के पश्चिमी भागो मे पाई जाती हे। इस मिट्टी मे कार्बोनेट व ह्यूमस तत्व कम मात्रा मे पाया जाता है।

4. फेरूजीनस (Ferruginous) लाल मिट्टी - यह मिट्टी उदयपुर जिले के मध्य व दक्षिणी भाग मे एव सम्पूर्ण डूगरपुर जिले मे पायी जाती है। इसमे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व ह्यूम्स की कमी होती है।

5. मिश्रित लाल व काली मिट्टी - यह मिट्टी उदयपुर, चित्तौडगढ डूगरपुर, बासवाडा व भीलवाडा के पूर्वी भागो मे मिलती है।

6. मध्यम श्रेणी की काली मिट्टी - यह आम तौर पर कोटा बूदी व झालावाड जिलो मे पायी जाती हे।

7. कछारी मिट्टी (Alluvial Soils) - यह मुख्यत अलवर, भरतपुर

व सवाईमाधोपुर जिलो में पायी जाती है। इसमे चूना फास्फोरस अम्ल व ह्यूमस कम होती है।

वनस्पति राजस्थान मे कई प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पायी जाती है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश मे मामूली वनस्पति से लेकर अरावली के पूर्व व दक्षिण पूर्व मे पतझड व सदाबहार किस्म के जगल पाये जाते है। 1988 89 के आकड़ों के अनुसार राज्य के कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र के लगभग 6 7% भाग मे वन पाये जाते हैं। राज्य में वन क्षेत्र 23 1 लाख हैक्टेयर मे फैला हुआ है जबकि कुल रपेर्टिंग क्षेत्र 342 5 लाख हैक्टेयर है।[1] वर्तमान समय मे राज्य मे वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9% आका गया है। पजाब को छोडकर देश मे सबसे कम वन सम्पदा राजस्थान की ही मानी जाती है। वनो के अन्तर्गत कम क्षेत्रफल के कारण राज्य मे ईंधन व औद्योगिक लकडी की माग की पूर्ति कर सकना कठिन रहता है। पश्चिमी राजस्थान मे वनो का नितान्त अभाव पाया जाता है। वहा कुछ कटेदार झाडिया व घास पात ही होते है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार लगभग 1/3 भौगोलिक क्षेत्र मे वन होने चाहिए। इस दृष्टि से राज्य मे वनो का अत्यधिक अभाव है। जिस क्षेत्र मे वन दिखाये गये है उनमे भी बहुत कम भाग मे उत्तम किस्म के वन पाये जाते हैं। ज्यादातर घटिया श्रेणी के वन होते हैं। वृक्षो की अत्यधिक कटाई आवश्यकता से अधिक चराई व भूमि के अविवेकपूर्ण उपयोगो के कारण अरावली के पूर्वी क्षेत्रों मे भी वनो का ह्रास हुआ है। वैज्ञानिक अनुसधान की बिडला इन्स्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार, अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र मे पडने वाले 16 जिलो के कुछ भागो मे 1972 75 से 1982 84 की अवधि मे वन क्षेत्र मे 41 5% की गिरावट आयी है।[2] इससे पता चलता है कि राज्य मे कितनी भयावह रफ्तार से वनो का ह्रास हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि लोग ईंधन की लकडी सिर पर ढोकर वनो का विनाश करते रहे है। ऐसा जयपुर, अलवर, बूदी उदयपुर, कोटा आदि शहरो के समीप के क्षेत्रो मे देखा गया है जहा आस पास की पहाडिया बजर हो गई है और उनमे पर्यावरण की समस्याए बढ गई हैं। राज्य मे ईंधन की लकडी की माग तेजी से बढ रही है। इसके 2001 तक 67 6 लाख टन होने की आशा है जबकि इसकी पूर्ति राज्य के साधनो से केवल 6 लाख टन ही हो पायेगी जिसमे लगभग 60 लाख टन का अभाव रहेगा। इसलिए राज्य मे ईंधन की लकडी का उत्पादन बढाने की आवश्यकता है।

राज्य मे व्यर्थ भूमि (Waste land) की मात्रा काफी अधिक है जो घटिया वन भूमि अकृष्य भूमि (unculturable land) चराई व चरागाह भूमि कृषि

1 Statistical Abstract 1989 Rajasthan p 97
2 Eighth Five Year Plan 1992 97 March 1993 p 122

योग्य व्यर्थ भूमि तथा सडको नहरो आदि के किनारे भूमि के टुकडो के रूप मे पायी जाती है। **देश की कुल व्यर्थ भूमि का लगभग 1/5 भाग अकेले राजस्थान मे पाया जाता है।** विपरीत जलवायु व अन्य जैविक दबावो के कारण राज्य मे व्यर्थ पडी भूमि का उपयोग करना एक दुष्कर कार्य है। राज्य मे ईंधन की लकडी चारे व इमारती लकडी का उत्पादन बढाने के लिए एक दीर्घकालीन नीति की आवश्यकता है ताकि वानिकी (forestry) मे [illegible] उपयोग किया जा सके। राज्य मे चारे का उत्पादन 3 लाख टन ही होता है जबकि माग 632 5 लाख टन अनुमानित की गया है। अत घास के मैदानो व चरागाहो का विकास किया जाना भी बहुत आवश्यक है।

आठवी योजना की अवधि मे जापान की आर्थिक सहायता से इन्दिरा गाधी नहर क्षेत्र मे वृक्षारोपण व चरागाह विकास से इस क्षेत्र को हरा भरा करने की एक व्यापक योजना तैयार की गयी है तथा अरावली वनरोपण प्रोजेक्ट के माध्यम से उस क्षेत्र मे वृक्षारोपण चरागाह विकास मिट्टी व नमी सरक्षण के कार्यक्रम सचालित किये जायेगे।

जल साधन
(Water Resources)

भारत मे राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसमे जल साधनो का सबसे ज्यादा अभाव पाया जाता है। राज्य मे जल साधनो की कमी का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है जिसमे कुछ सूचको मे राजस्थान की स्थिति भारत की तुलना में दर्शायी गयी है

(i)	भौगोलिक क्षेत्र मे राजस्थान का अश	10 4%
(ii)	कृषित क्षेत्र मे राजस्थान का अश	10 6%
(iii)	1991 की जनसख्या मे राजस्थान का अश	5 2%
(iv)	जल की उपलब्धि मे राजस्थान का अश	1 04%

इस प्रकार जल साधनो मे राजस्थान का केवल 1% अश है जो अन्य सूचको की तुलना मे काफी नीचा है।

जल साधनो मे सतह जल साधन व भूतल जल साधन दोनो आते है।

(i) सतह जल साधन (Surface water sources)

राजस्थान मे आन्तरिक व बाहरी साधनो से कुल काम के लायक सतह जल साधन 29 28 मिलियन एकड फीट (MAF) आके गये है जिनमे से 15 86

MAF आन्तरिक साधनो से हैं। (जिनमे से फिलहाल 8 19 MAF का उपयोग हो रहा है) तथा शेष 13 42 MAF बाहरी साधनो से है जो इस प्रकार हैं [1]:

(MAF में)

(i)	गग नहर	1 11
(ii)	भाकडा नहर	1 50
(iii)	गुडगाव नहर	0 09
(iv)	रावी-व्यास	8 60
(v)	पारवती	0 50
(vi)	भरतपुर फीडर	0 021
(vii)	चबल	1 60
	कुल	13 421

अन्तर्राज्यीय नदी बेसीनो मे से सर्वाधिक मात्रा रावी-व्यास से 8 60 MAF आवंटित है। इसमे से 7 59 MAF का उपयोग इन्दिरा गाधी नहर परियोजना (IGNP) के माध्यम से किया जायेगा तथा शेष 1 01 MAF का इस्तेमाल गग व भाकडा नहर-प्रणालियो मे सिधमुख, नोहर व पूरक गग नहर के माध्यम से किया जायेगा।

भूतल-जल (Ground Water) की उपलब्धि राज्य की जल विज्ञान सम्बन्धी दशाओ के कारण काफी परिवर्तनशील व असमान रहती है, लेकिन अधिकाश भागो मे भूतल के जल की किस्म घटिया पायी जाती है।

राज्य के जल-साधनो पर पैनल ने भूतल जल साधनो के निम्न अनुमान पेश किये है जिसकी तालिका आगे दी जा रही है -

इस प्रकार राज्य मे भूतल जल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग आधा अश काम मे लिया जा रहा है। लेकिन इसमे प्रादेशिक अतर बहुत ज्यादा है। जून 1988 तक राज्य के 237 खण्डो मे से 81 खण्ड 'काली श्रेणी' (dark category) मे आ चुके हैं, तथा 31 खण्ड 'भूरी श्रेणी' (grey category) मे आ चुके हैं। इसका आशय यह है कि उनमे पानी की सतह बहुत नीचे चली गयी है। इसलिए राज्य मे भूमि के नीचे के जल का उपयोग अधिक सावधानी से करने की आवश्यकता है।

---

1 Eighth Five Year Plan 1992 97 March 1993 p 15

(MAF में)

(1)	कुल भूतल जल साधन	10 183
(2)	पीने, औद्योगिक व अन्य उपयोगों के लिए निर्धारित	1 527
(3)	शेष सिचाई के लिए प्रयोज्य	8 656
(4)	इसम से अब तक प्रयुक्त मात्रा	4 354
(5)	भूतल जल का बकाया मात्रा जो भविष्य के लिए उपलब्ध होगा	4 302
(6)	भूतल जल के उपयोग का वर्तमान स्तर [(4) का (3) से अनुपात]	50 30%

राज्य मे सकल सिंचित क्षेत्रफल 1971 72 मे 24 40 लाख हेक्टेयर से बढकर 1990-91 मे 46 52 लाख हैक्टेयर तक पहुँच गया है। नहर, कुआ व नलकूपों से सिंचित क्षेत्रफल बढा है। 1990-91 मे सकल सिंचित क्षेत्रफल थोडा बढा था। 1989 90 मे 44 61 लाख हैक्टेयर रहा था। राज्य मे योजनाकाल म सिचाइ के साधनो का काफी विकास हुआ है।

राज्य में जल-साधनो के सदुपयोग के लिए सुझाव -

(1) अन्तर्राज्यीय जल साधनो मे राज्य के अश का शान्तिपूर्वक पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए इन्दिरा गाधी नहर परियोजना, नमदा, सिधमुख व नोहर सिचाइ परियोजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए भारत सरकार को पर्याप्त धन उपलब्ध करना चाहिए। सिचाइ परियोजनाओ को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए ताकि इनकी लागत न बढे।

(2) पानी का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन अधिकतम हो सके। इसके लिए फव्वारा सिचाइ (sprinkler irrigation) व बूद बूद सिचाइ (drip irrigation) की विधियाँ अपनायी जा सकती है जिनसे पानी की किफायत होती है और कम पानी से ज्यादा लाभ प्राप्त किया जाता है।

(3) इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र मे भूतल जल व सतह जल का मिला जुला उपयोग (*Conjunctive use*) इस प्रकार का होना चाहिए जिससे सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सके।

(4) जिन क्षेत्रो मे पानी की सतह (Water table) सूखे का दबाव के कारण बहुत नीचे जा रही है उनम भूतल जल के उपयोग म विशेष सावधानी बरतनी होगी तथा अन्य उपाय भी करने होंगे।

(5) सरकार को जल पूर्ति के विकास पर अधिक विनियोग करना होगा। इससे पेयजल की सुविधा भी बढेगी।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राज्य में पानी के अभाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जल साधनो का उपयोग सावधानीपूर्वक करना होगा ताकि मनुष्यों व पशुओं को पेयजल मिल सके फसलो को सिचाई के लिए पानी मिल सके तथा भवन निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र व अन्य प्रकार की जल की आवश्यकताओ की यथासम्भव पूर्ति की जा सके।

राजस्थान का पशु धन

राजस्थान के लिए पशु सम्पदा का विशेष रूप से आर्थिक महत्व माना गया है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत मरुस्थलीय प्रदेश है जहाँ जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन है इससे राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का 15% से अधिक अश प्राप्त होता है। राजस्थान मे देश के पशु धन का 7% तथा भेडो का 30% अश पाया जाता है। राज्य मे देश के दूध उत्पादन का 11% तथा ऊन के त्पादन का 40% प्राप्त होता है। पशुओ की सख्या 1977 मे 4 14 करोड से बढकर 1983 मे 4 97 करोड हो गई थी। इस प्रकार इस अवधि मे पशुओ की सख्या मे 20% की वृद्धि हुई थी। विशेष वृद्धि बकरी भेड व भैस (नर मादा) मे हुई थी। 1988 मे पशुओ की सख्या घट कर 4 09 करोड पर आ गई। इस प्रकार 1983 88 की अवधि मे पशुओ की सख्या लगभग 88 लाख कम हो गई।

1983 88 मे पशुओ की सख्या मे 1983 की तुलना मे 17 7% की गिरावट एक भारी चिन्ता का विषय है। 1987 88 के भयकर सूखे व अकाल के कारण राज्य की पशु सम्पदा का अत्यधिक ह्रास हुआ। 1988 मे पशुओ का वर्गीकरण इस प्रकार था गोधन (गाय बैल) 1 09 करोड भैंस भैसे सहित लगभग 63 4 लाख भेड 99 3 लाख बकरी बकरे 1 26 करोड तथा अन्य 11 4 लाख (जिनमे ऊँट 7 2 लाख व शेष 4 2 लाख मे घोडे टट्टू, खच्चर, सूअर व गधे शामिल थे।)

राजस्थान मे पशुओ की कुछ सर्वोत्तम नस्ले पायी जाती हे। नागौरी बैल माल ढोने मे बहुत चुस्त पाये जाते है। ये प्रतिवर्ष हजारो की सख्या मे राजस्थान से बाहर भेजे जाते है । राज्य सरकार ने राठी थारपारकर व नागौरी नस्लो वाले क्षेत्रो मे चुने हुए ढग पर पशुओ के प्रजनन (Selective breeding) की नीति अपनायी है। इसके अन्तर्गत एक नस्ल के उत्तम पशुओ को चुना जाता है। कांक्रेज या साचोरी गिर, हरियाणा व मालवी नस्लो के लिए चुने हुए ढग पर (सिलेक्टिव) तथा 'क्रोस ब्रीडिग दोनो विधियों के आधार पर पशुओ की नस्ल के विकास का काम किया जाता है। क्रोस ब्रीडिग मे दूसरी नस्ल के उत्तम पशुओ का प्रजनन हेतु प्रयोग किया जाता है। यह पशुओ की नस्ल सुधार व उत्पादकता बढाने मे

मदद देता है।

देश मे ऊन के कुल उत्पादन का लगभग 40% अश अकेले राजस्थान मे उत्पन्न होता है। राजस्थान मे भेडो की निम्न 8 नस्ले पायी जाती हैं चोकला मगरा, नाली पूगल जेसलमेरी मारवाड़ी मालपुरा तथा सोनाडी। इनमे प्रथम तीन बीकानेर की प्रमुख नस्ले हैं। जोधपुर की मारवाडी नस्ल मशहूर है। चोकला भेड से वस्त्रो की ऊन प्राप्त होती है। नाली नस्ल का ऊन दोनो मे काम आता है। राज्य मे 1951 मे भेडो की सख्या मेढो व मेमनो सहित 53 9 लाख थी जो 1983 मे बढकर 1 34 करोड हो गई । लेकिन 1988 मे यह घटकर 99 3 लाख पर आ गई। राजस्थान मे देश की कुल भेडो का लगभग 30% अश होने पर भी देश के कुल ऊन के उत्पादन का 40% अश प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट हे कि **यहाँ प्रति भेड ऊन की मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है।** यहाँ प्रति भेड लगभग 1 6 किलो ऊन प्राप्त होता है जबकि समस्त देश का औसत केवल 0 9 किलो ही माना गया है। नस्ल सुधार कार्यक्रम मे मारवाडी जेसलमेरी व मगरा भेडो को 'सिलेक्टिव ब्रीडिग स्कीम मे लिया गया है। इसके लिए उसी नस्ल के चुने हुए मेढे प्रयुक्त किये जाते हैं। नाली चोकला सोनाडी व मालपुरा नस्लो का विकास 'क्रोस ब्रीडिग के माध्यम से किया जाता है जिसमे दूसरी नस्ल मे गुणात्मक सुधार करने के लिए दोनो प्रकार के प्रजनन या उत्पत्ति पर जोर दिया जाता है। राज्य मे 1984 85 मे डेढ करोड किलोग्राम अथवा 15 हजार टन ऊन उत्पन्न किया गया था। माम के विक्रय से 75 से 90 करोड रुपये का वार्षिक व्यापार होता है। राज्य मे लगभग ~~दो लाख~~ परिवार ऊन के उत्पादन मे सलग्न हैं। बाडमेर, सीकर, जोधपुर व भीलवाडा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रो मे ऊन–आधारित उद्योग का विकास किया जा रहा है । कोटा व सवाई माधोपुर मे बकरियो की नस्ल दूध व मास दोनो दृष्टियो मे उत्तम मानी गयी है। राज्य मे ऊँटो की कई नस्ले पायी जाती है। जैसलमेर के समीप नाचना का ऊँट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राज्य मे प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धि समस्त भारत के औसत की तुलना मे अधिक है। राजस्थान से प्रतिदिन काफी अण्डे अन्य राज्यो को भेजे जाते हैं।

राजस्थान मे कृषि के बाद जीविकोपार्जन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन पशुपालन ही है। इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था को कृषि व पशुपालन की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सरकार को पशुपालन के विकास पर काफी ध्यान देना चाहिए । राज्य के निवासियो की आय बढाने के लिए पशु धन के विकास पर ज्यादा बल देना उचित होगा । पानी चारा (उत्पादन एव सग्रह) आदि के विस्तार से पशु सम्पत्ति को अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। अकाल व सूखा पड जाने से पिछले वर्षो मे कई बार राजस्थान मे पशुओ को अन्यत्र भेजना पडा और पशु धन को काफी क्षति पहुँची। लेकिन अब अन्य राज्यो मे भी कठिनाइयाँ होने के कारण वहाँ पशुओ को भेजना मुश्किल होता जा रहा है। राज्य मे पानी व चारे

की सुविधाएँ बढाकर अर्द्धशुष्क व शुष्क प्रदेशो मे भेड-पालन व अन्य पशुओ का विकास किया जाना चहिए। **राजस्थान मे ऐसे उद्योगो के विकास की सम्भावनाएँ हैं, जैसे ऊन का उद्योग, दुग्ध व दुग्ध - निर्मित पदार्थ, मास का उद्योग, चमडे का उद्योग, व हड्डी का उद्योग** । यदि पशु धन के विकास पर समुचित ध्यान दिया जाय तो सरकार व जनता दोनो की आय मे वृद्धि हो सकती है।

राजस्थान सहकारी डेयरी सघ सहकारी आधार पर डेयरी के विकास मे सलग्न है। वर्तमान मे राज्य मे डेयरी सयत्रों की प्रतिदिन की औसत क्षमता 9 लाख लीटर दूध तथा 24 दूध अवशीतन केन्द्रो की 4 0 लाख लीटर दूध प्रतिदिन की है। 1991 92 मे डेयरी सहकारी समितियो व सग्रह केन्द्रो की सख्या 4477थी तथा उनके कुल सदस्य 3 46 लाख दुग्ध उत्पादक थे। अप्रैल से दिसम्बर 1991 की अवधि मे प्रतिदिन दुग्ध का औसत सग्रहण 2 55 लाख लीटर हो पाया था।[1] बीकानेर मे 'सरस रसगुल्लों' का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा सरस पनीर, सरस घी व 90 दिन तक खराब न होने वाले 'टेटापैक दूध' (Tetrapak milk) का उत्पादन भी किया जाता है।

राज्य मे पशु-पालन व डेयरी विकास के सम्बन्ध मे नीति व राजकीय प्रयास - राज्य मे पशु-पालन व डेयरी विकास की दिशा मे महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हे । **मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुधन के विकास को प्राथमिकता दी गई है । पशुओ की नस्ल को सुधारने के लिए प्रजनन की उत्तम विधिया अपनायी गई है । कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की गई है। पशुओ मे बीमारी की रोकथाम का इन्तजाम किया गया है** । इसके लिए पशु चिकित्सा केन्द्र खोले गये हैं ।

प्रतिदिन दूध क सकलन की व्यवस्था की गई है । जैसा कि ऊपर कहा गया है 10 डेयरी सयत्र लगाये जा चुके हैं तथा 24 अवशीतन केन्द्र स्थापित किये गये हैं । दूध का उत्पादन करने वालो का सहकारी समितिया बनाई गयी हे । उनको सतुलित पशु आहार व चारा उपलब्ध कराया जाता है ।

पशु-पालको की आर्थिक दशा सुधारने के लिए 1 अप्रेल 1986 को भारतीय एग्रो इण्डस्ट्रीज फाउन्डेशन (BAIF) की सहायता से क्रोस ब्रीडिग के लिए 50 केन्द्र स्थापित करने का समझौता किया गया है । ये केन्द्र भीलवाडा कोटा बूदी उदयपुर, चित्तौडगढ डूँगरपुर व बासवाडा जिलो मे स्थापित किये जा रहे हैं ।

इस प्रकार सरकार पशुओ की नस्ल सुधारने पशु चिकित्सा पशु पालको

---

1 आय व्ययक अध्ययन (Budget Study) 1992 93 p 113 and Some Facts About Rajasthan 1992 p.54

की आर्थिक स्थिति को ठीक करने तथा पशुधन की अभिवृद्धि करके राज्य की आय बढाने का प्रयास कर रही है । इससे राज्य के पश्चिमी भागो में विशेष रूप से लाभ हो रहा है । राज्य मे पशु मेले आयोजित किये जाते हैं । जिनमे परबतसर व पीपलू गाव के पशु मेले उल्लेखनीय है । बस्सी (जयपुर) मे पशु प्रजनन फार्म स्थापित किया गया है यहा विशेषतया जरसी गायो का प्रजनन होता है ।

राजस्थान में खनिज पदार्थों का विकास [1]

राजस्थान खनिज पदार्थों का एक अजायबघर (a museum of minerals) माना गया है । बिहार के बा- खनिज सम्पदा मे राजस्थान की ही गिनती होती हे । राजस्थान मे 50 से अधिक खनिज पदार्थ पाये जाते है । **अधात्विक खनिजो (non metallic minerals) के उत्पादन मूल्य की दृष्टि से भारत मे इसका प्रथम** स्थान है तथा धात्विक खनिजो के उत्पादन मूल्य मे चौथा स्थान है। प्रचलित कीमतो पर (at current prices) खनन (mining) से 1985 86 मे 189 2 करोड रुपये की आमदनी हुई थी जो राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (NSDP) का 2 5 प्रतिशत थी । यह 1990 91 मे 347 करोड रुपये हो गई जो राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का लगभग 2% थी ।

इस समय राज्य मे लगभग छ धात्विक (metallic) और बीस अधात्विक (non metallic) ओद्योगिक खनिजो के निकालने का कार्य जारी है। धात्विक समूह मे मुख्य खनिज इस प्रकार है सीसा, जस्ता, चाँदी केडमियम (रागे से मिलता जुलता) मैगनीज वुल्फ्रैमाइट (टगस्टन उत्पन्न करने वाला खनिज पदार्थ) व कच्चा लोहा। अधात्विक समूह के मुख्य खनिज निम्नांकित है ऐस्बेस्टस (asbestos), बेराइटस (barytes), केल्साइट, चायना क्ले, डोलोमाइट, पन्ना (emerald) फेल्सपार, फायर क्ले फ्लोराइट, रक्तमणिका तामडा (garnet) मुल्तानी मिट्टी (fuller s earth) खडिया मिटटी (gypsum) रोक-फास्फेट, लाइमस्टोन सगमरमर (marble), अभ्रक क्वार्टज, सिलिका मिटटी घीया पत्थर (soapstone), पाइरोपिलाइट व वरमेक्यूलाइट। इनके अलावा ग्रेफाइट, क-इनाइट (kyanite), लाल व पीली ओकर्स (ochres) स्लेटस्टोन व टुरमेलाइन (tourmaline) का भी थोडी मात्रा मे उत्पादन होता है। मैग्नेसाइट के विस्तत भण्डारो का भी पता लगाया गया है और उनके आर्थिक उपयोग की छान बीन जारी है। उदयपुर के समीप झामर कोटरा (Jhamar Kotra) की खानो से राक फास्फेट के उत्पादन से राज्य ने खनिज

---

1 Some Facts About Rajasthan 1992 (DES Jaipur Feb 1993), pp 55 56 तथा एम वी माथुर समिति (आठवीं पचवर्षीय योजना मे औद्योगिक विकास की व्यूहरचना (strategy) पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति) रिपोर्ट खण्ड I प 35 37

विकास के क्षेत्र मे एक नया कदम रखा है। दी राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि० के तत्वावधान में रॉक-फॉस्फेट के खनन का कार्य किया जा रहा है।

राजस्थान कई खनिजो के उत्पादन मे देश मे अग्रणी हैं जैसे चाँदी वुल्फैमाइट, एस्बेस्टस, फेल्सपार, जिप्सम, सीसा, जस्ता रॉक-फॉस्फेट आदि।

खनिज ईंधनो (Mineral fuels) में पलाना की लिग्नाइट खाने आती हैं जिनमें काफी वर्षों से काम होता आ रहा है। नागौर जिले के मेडता रोड तथा बाडमेर जिले के कपूरडी क्षेत्रो मे लिग्नाइट के विशाल भण्डार मिले हैं। कपूरडी मे 6 करोड टन के लिग्नाइट के भण्डार आंके गये हैं। मई 1983 की सूचना के अनुसार जैसलमेर जिले मे घोटारू नामक स्थान पर प्राकृतिक गैस का विशाल भण्डार पाया गया है। यहा एक अरब घनमीटर मे प्राकृतिक गैस मिला है। इस क्षेत्र में सीमेंट प्लाट और विद्युत गृह स्थापित करने की योजना है। 6 जुलाई 1990 को डाडेवाला (जैसलमेर) मे प्राकृतिक गैस का भण्डार मिला है। इससे प्रतिदिन 4 लाख क्यूबिक मीटर गैस उपलब्ध होगी जिससे एक बिजलीघर व कई गैस-आधारित उद्योग चलाये जा सकेंगे। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, रीको, सेन्चुरी रेयन, दिग्विजय सीमेंट, गोविन्द ग्लास उद्योग गैस के लिए आयल इण्डिया लि० को अनुरोध कर चुके हैं। मार्च 1984 मे जैसलमेर से करीब 145 किलोमीटर दूर सादेवाला मे तेल का बडा भण्डार मिला था। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ने जून 1983 के अन्त मे वहा खुदाई का काम शुरू किया था। जैसलमेर मे तेल व प्राकृतिक गैस आयोग एक हालियम गैस प्लाट लगाने का विचार कर रहा है। सादेवाला से पाक सीमा के बीच करीब 8 किलोमीटर की ही दूरी है। रामपुरा-आगुचा (भीलवाडा जिले) मे जिंक व सीसे के विपुल भण्डार मिलने से राजस्थान मे भारत सरकार ने चंदेरिया मे एक जिंक स्मेल्टर प्लाट लगाने की स्वीकृति दी है जिसकी लागत लगभग 447 करोड रु० अनुमानित है। इसे हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड कार्यान्वित करेगा। खनिज दोहन पर 170 करोड रुपये की लागत को शामिल करने पर कुल लागत का अनुमान फिलहाल 617 करोड रुपये लगाया गया है। चित्तौडगढ जिले के गाव केसरपुरा (प्रतापगढ) के निकट हीरे की खोज उल्लेखनीय है। इसका विस्तृत सर्वे किया जा रहा है।

जैसलमेर जिले के सोनू क्षेत्र मे 50 करोड टन स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के भण्डारों का पता लगाया गया है। यह पीले रग का स्टील ग्रेड लाइमस्टोन उत्तम किस्म का है। यह इस्पात बनाने की फैक्ट्रियो मे काम आयेगा।

अप्रैल 1992 मे ऑयल इण्डिया को बीकानेर के निकट बाघेवाला क्षेत्र मे तेल के विशाल भडार मिले हैं। बाघेवाला से तुवरीवाला तक 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मे हैवी क्रूड आयल के भडार का पता चला है जो करीब 125 मीटर मोटी परत के रूप मे है। इस क्षेत्र में करीब साढे तीन करोड

टन तेल के भडार हैं।[1]

नीचे विभिन्न खनिज पदार्थों के सम्बन्ध मे संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है -

धात्विक खनिज (Metallic Minerals)

(i) तावा - खेतड़ी की तावे की खानें सिघाना से रघुनाथपुरा तक फैली हुई है । राज्य के अन्य भागो मे भी तावे के भण्डारो का सर्वेक्षण किया गया है। दरीवा के समीप का क्षेत्र भी उल्लेखनीय है । झुझनूं जिले के खेतडी सिघाना क्षेत्र मे तावा निकाला जाता है । दूसरा स्रोत खो-दरीवा (अलवर जिला) है । भीलवाडा जिले मे भी तावे का क्षेत्र है । सिरोही जिले मे आबू रोड के समीप सोना, जस्ता व तावा पाये गये हे । उदयपुर जिले के अजली क्षेत्र मे तावे के भण्डार मिले है ।

खेतडी के समीप तावे के बडे भण्डार है । इनका उपयोग करके गलाने की क्षमता का विकास किया जा रहा है । इसमे उपोत्पत्ति (by product) के रूप मे सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होगी और थोडी चादी व सोने की मात्रा भी उपलब्ध होगी । सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होने से सुपरफ़ोस्फेट का उत्पादन भी चालू किया जा सकेगा ।

राजस्थान मे कच्चे तावे (copper ore) का उत्पादन 1992 मे 17 9 लाख टन अनुमानित है जबकि 1991 मे यह 17 3 लाख टन हुआ था ।

(ii) सीसा व जस्ता - उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर जावर स्थान पर सीसे व जस्ते की खानें स्थित हैं । सीसे के डले गलाने के लिए बिहार भेज दिये जाते हे और जस्ते के डले जो पहले जापान भेज दिये जाते थे, अब देवारी (उदयपुर के पास) मे जस्ता गलाने के सयत्र में प्रयुक्त किये जाते हैं । इस कार्य के सचालन के लिए 'दी हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड,' देबारी की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा सकता है । जस्ता गलाने की उपोत्पत्ति के रूप मे सुपर फॉस्फेट एसिड व केडमियम प्राप्त होते ह । सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग सुपर फॉस्फेट के उत्पादन मे किया जा सकता है । जैसा कि ऊपर कहा गया ह भीलवाडा जिले के रामपुरा अगुचा क्षेत्र मे जस्ते व सीसे के विपुल भण्डार मिले ह जिसमे चदेरिया मे जिक स्मेल्टर सयंत्र लगाया जा रहा है ।

1992 मे राजस्थान मे सीसे के डलो का उत्पादन [illegible]0 हजार टन जस्ते के डलो का 1 01 लाख टन और चादी का लगभग [illegible]5 किलोग्राम अनुमानित है ।

---

1 राजस्थान पत्रिका, 4 अप्रेल 1992, पृष्ठ 1

(iii) **कच्चा लोहा** राजस्थान मे थोडी मात्रा मे कच्चा लोहा जयपुर, उदयपुर, झुन्झुनूं, सीकर व अलवर जिलो मे पाया जाता है । मुख्य भण्डार जयपुर व उदयपुर जिलों मे स्थित है । 1992 मे कच्चे लोहे का उत्पादन 35 हजार टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष से अधिक है ।

(iv) **मैंगनीज** - बासवाडा जिले मे घटिया किस्म की मैंगनीज पाई जाती है । राज्य मे मैंगनीज का उत्पादन बहुत कम होता है ।

(v) **टगस्टन (Tungsten)** - नागौर जिले मे डेगाना के पास दो पहाडियो मे टगस्टन के भण्डार पाये जाते है । यहा पर टगस्टन की किस्म भी काफी अच्छी बतायी जाती है । टगस्टन का उपयोग एलोय तथा स्पेशल स्टील के निर्माण मे होता है । यह विद्युत के साज सामान मे भी प्रयुक्त किया जाता है । टगस्टन रक्षा विभाग को सप्लाई किया जाता है । 1992 मे राजस्थान मे 15 टन टगस्टन का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष 11 टन हुआ था । भारत मे टगस्टन के उत्पादन का बडा अश राजस्थान से ही प्राप्त होता है ।

औद्योगिक व अधात्विक खनिज
(Industrial and Non Metallic Minerals)

इन खनिजो का वर्णन निम्न समूहो मे विभाजित करके किया जा सकता है।

(अ) पृथक् करने के काम आने वाले खनिज, ताकि ताप व प्रभाव न पडे (Insulants) ताप सहन करने में मदद देने वाले खनिज (refractories) व चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने मे काम आने वाले खनिज (ceramic minerals) । इस समूह मे निम्न खनिज शामिल होते हैं ।

(i) **एस्बेस्टस** एस्बेस्टस का उपयोग एस्बेस्टस सीमेन्ट छत की चद्दरे, पाइप आदि बनाने मे किया जाता है । 1992 मे 38 हजार टन एस्बेस्टस का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि 1991 मे 33 हजार टन का हुआ था । भारत का 85% एस्बेस्टस राजस्थान मे पाया जाता है । इसके भण्डार उदयपुर, डूगरपुर, भीलवाडा व अजमेर जिलो में हैं ।

(ii) **फेल्सपार (Felspar)** - यह काच मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगो में प्रयुक्त होता है । देश में फेल्सपार की कुल उत्पत्ति का लगभग 75% राजस्थान में उत्पन्न होता है । यह मुख्यतया अजमेर मे पाया जाता है और थोडी मात्रा मे सिरोही उदयपुर, अलवर और पाली जिले मे भी पाया जाता है । 1991 मे इसका उत्पादन 73 हजार टन हुआ था जिसके 1992 में 76 हजार टन होने का अनुमान है ।

(iii) **सिलिका रेत (Silica Sand)** - यह काच, उद्योग मे कच्चे माल के रूप में काम मे आती है । यह अधिकांशत जयपुर और बूदी जिलों में

निकाली जाती है । 1991 मे इसका उत्पादन 2 41 लाख टन हुआ था जिसके 1992 मे 2 55 लाख टन होने का अनुमान है ।

(iv) **क्वार्ट्ज** - यह चीनी मिट्टी के उद्योग व इलेक्ट्रोनिक उद्योगो मे प्रयुक्त होता है । यह अलवर, सीकर, सिरोही व अलवर जिलो मे मिलता है ।

(v) **मैग्नेसाइट** - यह रिफ्रेक्टरी ईंटो के निर्माण मे व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है । यह थोडी मात्रा मे काच के उद्योगो मे भी काम आता है । यह अजमेर जिले मे भी पाया जाता है ।

(vi) **वरमीक्यूलाइट** - अजमेर जिले मे एक खान मे थोडी मात्रा मे वरमीक्यूलाइट निकाला जाता है । इस पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता । यह ताप व ध्वनि का अच्छा इन्स्यूलेटर होता है ।

(vii) **वाल्स्टोनाइट** - यह एक नवीन खनिज है जिसके उपयोग बढते जा रहे है । यह सिरेमिक उद्योग मे काफी काम आता है । यह पेंट व कागज उद्योग मे भी प्रयुक्त होता है । यह सिरोही जिले मे मिलता है ।

(viii) **चायना क्ले व व्हाइट क्ले** - यह बर्तन बनाने व विद्युत इन्स्यूलेटर के रूप मे काम आता है । यह सवाईमाधोपुर सीकर, अलवर, नागौर व जालोर जिलो मे पाया जाता है ।

(ix) **फायर क्ले** - यह फायर ईंट ब्लॉक्स आदि बनाने के काम आती है। यह बीकानेर जिले मे पायी जाती है ।

(x) **डोलोमाइट** यह अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, सीकर व उदयपुर जिलो से निकाला जाता है । यह चिप्स व पाउडर तथा चूना बनाने मे भी काम आता है । 1991 मे इसका उत्पादन 1 हजार टन हुआ जिसके 1992 मे भी इतना ही रहने का अनुमान है ।

(आ) इलेक्ट्रोनिक व आणविक खनिज - इस समूह मे अभ्रक व बेरिल आते है ।

(i) **अभ्रक (mica)** - राजस्थान मे अभ्रक की खाने भीलवाडा टोक, अजमेर, जयपुर व उदयपुर जिलो मे पायी जाती है । अभ्रक विद्युत साज सामग्री मे प्रयुक्त होता है । यह रबर के टायरो के निर्माण मे भी प्रयुक्त होता है ।

बिहार व आध्रप्रदेश के बाद अभ्रक के उत्पादन मे राजस्थान का तृतीय स्थान आता है । भारत का लगभग एक चौथाई अभ्रक राजस्थान मे उत्पन्न होता है । 1991 मे अभ्रक का उत्पादन 549 टन हुआ जिसके 1992 मे 568 टन होने का प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत किया गया है ।

(ii) **आणविक खनिज** - आणविक खनिजो मे भी राजस्थान की स्थिति उत्साहवर्द्धक मानी जाती है । अजमेर व राजगढ की खानो मे लिथियम की कुछ मात्रा मिली है। उदयपुर के समीप यूरेनियम की खोज की जा रही है । राजस्थान

बेरिल का भी प्रमुख उत्पादक है । यह सूक्ष्म मात्रा में अभ्रक की खानो में मिलता है । यह अजमेर व जयपुर संभाग मे पाया जाता है ।

(इ) कीमती पत्थर व अब्रेसिव्ज (Gem Stones and Abrasives)

(i) पन्ना (Emerald) - अजमेर व उदयपुर जिलो मे कुछ स्थानो पर एमरल्ड मिलता है । यह हरे रग का कीमती पत्थर होता है । पिछले वर्षों मे इसका उत्पादन काफी घट गया है ।

(ii) गारनेट - यह अजमेर, भीलवाडा व टोक जिलो मे पाया जाता है । इसकी दो किस्में होती हैं एक तो अब्रेसिव और दूसरी जैम । राजस्थान मे इसकी दोनो किस्मे पायी जाती हे । जैम गार्नेट टोक जिले मे ज्यादा मिलता है ।

(ई) उर्वरक खनिज - इस समूह मे जिप्सम राक फॉस्फेट व पाइराइट्स आते है ।

(i) जिप्सम - राजस्थान मे जिप्सम के काफी भण्डार भरे पडे है । देश मे कुल उत्पादन का लगभग 90% राजस्थान के हिस्से मे आया है । जिप्सम की खाने बीकानेर, श्रीगगानगर, चुरू जैसलमेर नागौर, बाडमेर, जालौर व पाली जिलो मे पाया जाती है । पहले यह भवन-प्लास्टर मे ज्यादा प्रयुक्त होती थी अब यह उर्वरक उद्योग का प्रमुख कच्चा माल मानी जाती है । यह सीमेन्ट उद्योग मे भी प्रयुक्त होती है । देश मे गन्धक की कमी होने मे जिप्सम आधारित सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण बहुत उपयोगी माना जा सकता है । 1991 मे राजस्थान मे 16 2 लाख टन जिप्सम का उत्पादन हुआ तथा 1992 के लिए प्रारम्भिक अनुमान 17 लाख टन का हे ।

(ii) रॉक-फॉस्फेट - उदयपुर के समीप रॉक फॉस्फेट के विशाल भण्डारो की खोज ने राजस्थान के खनिज-इतिहास मे एक नया अध्याय जोड दिया है । पहले यह जैसलमेर जिले मे बिरमैनिया स्थान पर ढूढा गया था । झामर-कोटड़ा के भण्डार बहुत प्रसिद्ध हो गये है । अन्य छोटे-छोटे भण्डार भी पाये गये हैं। झामर-कोटडा क्षेत्र मे उत्पादन मार्च 1969 से प्रारम्भ हो गया था । रॉक-फॉस्फेट का उपयोग सुपर फॉस्फेट के उत्पादन मे किया जा रहा है । 1969 मे राज्य मे लगभग 69 हजार टन रॉक-फास्फेट का उत्पादन एक महत्वपूर्ण घटना मानी गयी है । इससे विदेशी विनिमय की काफी बचत हुई है । 1991 मे राक-फॉस्फेट का उत्पादन 2 65 लाख टन हुआ । 1992 के लिए उत्पादन का प्रारम्भिक अनुमान 2 50 लाख टन है । रॉक-फॉस्फेट की बिक्री से राज्य सरकार को करोडो रुपये की आमदनी होती है । रॉक-फॉस्फेट के परिशोधन के लिए एक बडा सयत्र लगाने की योजना है जिसकी विस्तृत रिपोर्ट सौफ्रा माइन्स फ्रास द्वारा तैयार कराई गई है । झामर कोटडा मे रॉक-फास्फेट के 68 करोड टन के भण्डार अनुमानित है ।

(iii) पाइराइट्स (Pyrites) - सीकर जिले के सलादीपुरा मे पाइराइट्स की काफी मात्रा उपलब्ध हुई है । इससे गन्धक का अम्ल निकाला जा सकता है। गन्धक का अम्ल या तेजाब उर्वरक उद्योग के काम मे आता है । उदयपुर के समीप राक फास्फेट के भण्डारो व सलादीपुरा की पाइराइट्स का उपयोग करके राज्य मे एक उर्वरक काम्पलैक्स या समूह स्थापित किया जा सकता है ।

(उ) रसायन उद्योग के खनिज इस समूह मे लाइमस्टोन फ्लोर्सपार व बेराइट्स आते है ।

(i) लाइमस्टोन या चूना पत्थर सौभाग्य से राजस्थान को सामेन्ट के उत्पादन के लिए लाइमस्टोन के विस्तृत भण्डार प्राप्त हैं । नो सीमेन्ट के प्लाण्ट लाखेरी सवाई माधोपुर चित्तोडगढ दरौली (उदयपुर) निम्बाहेडा (चित्तोडगढ) मोडक (कोटा) बनास (सिरोही) ब्यावर व कोटा मे चल रहे है । पिछले तीन वर्षों मे राज्य मे सीमेन्ट का उत्पादन काफी बढा है । राज्य के विभिन्न भागो मे लाइमस्टोन पाये जाने मे सीमेन्ट के उद्योग का भविष्य उज्जवल है । जसलमेर उदयपुर बासवाडा चित्तोडगढ भीलवाडा सिरोही व पाली जिलो के विभिन्न क्षेत्रो म लाइमस्टोन की सकल मात्रा व श्रेणी निश्चित करने के लिए प्रोसपेक्टिग का कार्य चल रहा है । जैसा कि प्रारम्भ मे बताया जा चुका है जैसलमेर के सोनू क्षेत्र मे स्टीलग्रेड लाइमस्टोन का 50 करोड टन का भण्डार मिला ह । 1991 म राज्य म 78 8 लाख टन सीमेन्ट ग्रड (CG) के लाइमस्टोन का उत्पादन हुआ था जिसके 1992 मे बढकर 80 लाख टन होने के अनुमान है । लाइमस्टोन का उत्पादन लाइमस्टोन (आयामी) (डाइमेन्सनल) व लाइमस्टोन दो श्रेणियो के तहत अलग से दिखाया जाता है । 1991 में लाइमस्टोन (आयामी) (डाइमेन्सनल) का उत्पादन 10 2 लाख टन तथा लाइमस्टोन का 28 2 लाख टन हुआ जिनके 1992 मे कुछ बढने के अनुमान ह । इस प्रकार राज्य म लाइमस्टोन का उत्पादन तीन श्रेणियो म दिखाया जाता है ।

(ii) फ्लोर्सपार (Flourspar) डूगरपुर जिले मे माडो की पाल नामक स्थान पर फ्लोसपार के भण्डार पाये जाते है । इसका विकास पहले के वर्षों मे राजस्थान औद्योगिक व खनिज विकास निगम के द्वारा किया गया है । यह फ्लोर्सपार स्टील मेटेलर्जी मे व हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने मे काम आता है । राज्य मे 1991 मे चार हजार टन फ्लोराइट का उत्पादन हुआ था । 1991 मे भी इतना ही उत्पादन होने का अनुमान ह ।

(iii) बराइटस (Barytes) यह तेल के कुओ की ड्रिलिंग के दौरान घोल या कीचड बनाने के काम आता है । यह पट, लिथोपेन उद्योग तथा बेरियम रसायनो मे प्रयुक्त होता है । यह कागज व रबर उद्योग मे भी काम आता है । यह अलवर जिले मे तथा नाथद्वारा के समीप मिलता ह । 1991 मे इसका उत्पादन

6 हजार टन हुआ था जिसके 1992 मे 8 हजार टन होने का अनुमान है ।

(ऊ) छोटे खनिज (Minor Minerals)

(i) बेन्टोनाइट - यह एक प्रकार की मिट्टी होती है । यह ड्रिलिग मड तैयार करने व सौन्दर्य प्रसाधनो (cosmetics) के निर्माण मे प्रयुक्त होता है। यह बाडमेर व सवाईमाधोपुर जिले मे पाया जाता है । देश का 15% बेन्टोनाइट राजस्थान मे मिलता है।

(ii) मुलतानी मिट्टी (Fuller's Earth) - बीकानेर व जोधपुर जिले मे इसके भण्डार पाये जाते ह । यह चिकनाहट को सोख लेती है और तेल से रगीन पदार्थ हटाने मे प्रयुक्त होती है ।

(iii) सगमरमर, ग्रेनाइट व अन्य भवन-निर्माण के पत्थर - मकराने का सगमरमर ताजमहल के निर्माण मे प्रयुक्त किया गया था । नागौर पाली सिरोही, बूदी उदयपुर, व जयपुर जिलो मे सगमरमर की प्राप्ति के अन्य स्थान भी मिले है । 1991 मे सगमरमर का उत्पादन 11 6 लाख टन हुआ जिसके 1992 मे 12 1 लाख टन होने का अनुमान है । राजस्थान के 18 जिलो मे ग्रेनाइट पत्थर मिलता है । अत राज्य ग्रेनाइट की दृष्टि से काफी धनी है । जालौर जिले मे गुलाबी रग का ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है । ग्रेनाइट के भण्डारो के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं झुन्झुनू, सीकर, जयपुर, अजमेर दौसा टोक सवाईमाधोपुर, बाडमेर, पाली भीलवाडा जालौर, सिरोही अलवर व राजसमद । राज्य के विभिन्न भागो मे सैण्डस्टोन व लाइमस्टोन पाये जाते है ।

(ए) विविध

(i) घीया पत्थर, टेल्क व पाइरोपिलाइट - राजस्थान इनका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना गया है । ये खनिज टैल्कम पाउडर, खिलोने आदि बनाने मे प्रमुख होते ह । ये उदयपुर जयपुर सवाईमाधोपुर, भीलवाडा व डूँगरपुर जिलो मे पाये जाते है ।

(ii) केल्साइट - यह रसायन के रूप म कैल्शियम कार्बोनेट होता है । यह कागज वस्त्र चीनी मिट्टी उद्योग पेट इत्यादि मे काम आता है । यह सीकर जिले मे प्राप्त होता है । लेकिन कुछ मात्रा सिरोही पाली जयपुर व उदयपुर जिलो मे भी पाई जाती है ।

(iii) ओकर्स (Ochres) (लाल और पीले) - ये खनिज पिगमेट होते है जो घुलते नही है और रग बनाने सीमेन्ट, रबड प्लास्टिक आदि उद्योगो मे काम आते हैं । यह चित्तौडगढ जिले में कई स्थानो पर मिलता है । यह कुछ अन्य जिलो मे भी मिलता है ।

(iv) नमक - राजस्थान मे साभर झील मे काफी नमक उत्पन्न किया जाता है । डीडवाना पचपदरा व लूनकरणसर भी नमक के उत्पादन के मुख्य क्षेत्र

माने गये हैं ।

खनिज इंधन (Mineral Fuels)

(1) कोयला

राजस्थान में लिग्नाइट कोयला (भूरा कोयला) काफी मात्रा में पाया जाता है । इससे थर्मल बिजली पैदा का जा सकता है । राज्य में इसके भण्डार पलाना (बीकानेर) में 2 5 करोड टन, कपूरडी (बाडमेर) में 6 करोड टन तथा मेडता रोड (नागौर) में ? 5 करोड टन पाये गये हैं

आठवीं पंचवर्षीय में बरसिंगसर (बीकानेर क्षेत्र) के पास 240 मेगावाट क्षमता (120 मेगावट के 2 यूनिट) का एक बिजलीघर लगाने का प्रस्ताव है यह कार्य नैवेली लिग्नाइट निगम (NLC) द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस पर 8.0 करोड रु व्यय होने का अनुमान है । यहाँ चार वर्ष में विद्युत का उत्पादन चालू हो सकेगा । इसके लिए आवश्यक जल की पूर्ति इन्दिरा गांधी नहर से की जाएगा ।

बरसिंगसर में लिग्नाइट-आधारित ताप बिजलीघर का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जाना चाहिए ताकि राज्य में विद्युत का अभाव दूर किया जा सके । बरसिंगसर में 6 करोड 20 लाख टन लिग्नाइट होने का अनुमान है । यहाँ 35 साल तक खनन किया जा सकता है । अतः इस परियोजना पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(2) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

राजस्थान में गैस के भण्डार जैसलमेर में घोटारू नामक स्थान पर 1985 में पाये गये थे । इनमें मिथेन व हीलियम गैस की मात्रा अधिक पायी गयी है। जुलाई 1990 में डांडेवाला में (जैसलमेर क्षेत्र) प्राकृतिक गैस के विशाल भण्डार मिले हैं जिनसे एक बिजलीघर व कुछ गैस आधारित उद्योग चलाये जा सकेंगे ।

1984 में जैसलमेर में 'मन्दवाला' में खनिज तेल के भण्डार मिले हैं । अप्रैल 1992 में बीकानेर के निकट 'बाघेवाला' में हैवी क्रूड आयल के भण्डार का पता चला है जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है । यहाँ शीघ्र ही तेल का उत्पादन प्रारम्भ किया जायगा । जैसलमेर का क्षेत्र पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण हो गया है ।

राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग
(Mineral Based Industries in Rajasthan)

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं । राज्य में सीमेन्ट, उर्वरक, रसायन व अन्य उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ पाये जाते हैं । हम नीचे पिछले वर्षों की प्रगति व भावी सम्भावनाओं का उल्लेख करते हैं ।

1. जस्ता एव गलाई सयत्र (Zinc Smelter Plant) - उदयपुर के समीप देबारी नामक स्थान पर 18 हजार टन की प्रारम्भिक क्षमता से एक जिक स्मेल्टर प्लाट चालू किया गया था । ऊची किस्म का जस्ता तैयार करने के साथ साथ वह उपोत्पत्ति के रूप मे केडमियम व गन्धक का तेजाब (सल्फ्यूरिक एसिड) भी तैयार करता है । सल्फ्यूरिक एसिड से सुपरफास्फेट तैयार किया जा सकता है ।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है भीलवाडा जिले मे रामपुरा-आगुचा मे जिक व सीसे के पर्याप्त भण्डार पाये जाने से भारत सरकार ने राजस्थान मे जिक स्मेल्टर सयत्र लगाने की स्वीकृति दे दी है जिसे हिन्दुस्तान जिक लि कार्यान्वित कर रहा है । यह चदेरिया स्थान पर लगाया जा रहा है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है इसमे खनिज दोहन व स्मेल्टर सयत्र पर लगभग 617 करोड रुपये की लागत का अनुमान है । इससे 4 2 करोड खनिज निकाला जायेगा, 2 हजार व्यक्तियो को प्रत्यक्ष रोजगार व 10 हजार व्यक्तियो को परोक्ष रोजगार मिलेगा ।

2 निम्बाहेडा मे एक सीमेट का कारखाना डाला गया है । राज्य मे सीमेट के नौ बडे कारखाने हो गये है । भविष्य मे नये कारखाने भी स्थापित किये जा रहे है । हाल मे राज्य मे काफी सख्या मे सीमेट के छोटे सयत्र (Mini Cement Plants) भी लगाये गये है ।

3. खेतड़ी मे ताबा गलाने का सयत्र (Copper Smelter Plant)- खेतडी मे ताबा गलाने के सयत्र की क्षमता 30 हजार टन है जो भविष्य मे बढाई जा सकती है । यहा पर भी सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है जिसका उपयोग करने के लिए अन्य उद्योग स्थापित किए जा सकते है ।

4 जैसा कि पहले कहा जा चुका है उदयपुर के समीप झामर-कोटड़ा क्षेत्र मे प्राप्त रॉक-फॉस्फेट के भण्डारो का उपयोग करके सुपर-फॉस्फेट का उत्पादन किया जा सकेगा । सीकर (सलादीपुरा) में पाइराट्स के भण्डारो का उपयोग करके सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्न की जा सकेगी जिसका उपयोग उर्वरक उद्योग में किया जायेगा ।

इस प्रकार राज्य मे कई जरह मे सुपर-फास्फेट के उत्पादन मे वृद्धि होने से विकास को नया मोड मिलेगा ।

5 नीम का थाना मे निजी क्षेत्र मे क्ले वाशिग प्लाट स्थापित किया गया है ।

6 कुछ वर्ष पूर्व राजस्थान औद्योगिक व खनिज विकास निगम ने डूँगरपुर में माडो की पाल नामक स्थान पर फ्लोर्सपार बेनिफिशियेशन प्लाट प्रारम्भ किया था जिससे रसायन उद्योगो को बढावा मिला है ।

7 जालौर मे एक ग्रेनाइट पॉलिशिग फैक्ट्री राजस्थान औद्योगिक व खनिज विकास निगम के अधिकार मे ली गई थी जिसका विकास किया गया है ।

8 अन्य - इसके अलावा हाई टेक प्रिसीजन ग्लास, जोधपुर मे ग्लास व ग्लास प्रोडक्ट्स, परफेक्ट पोटरी कम्पनी लिमिटेड भरतपुर में फायर ब्रिक्स, स्टोनवेयर व पाइप, भूपाल माइनिग वर्क्स भीलवाड़ा मे ब्रिक्स, माइका इन्सुलेटिंग ब्रिक्स तथा जयपुर ग्लास एण्ड पॉटरीज वर्क्स जयपुर मे क्राकरी बनाती है ।

सवाईमाधोपुर मे खाद का कारखाना नहीं लगाया जाएगा क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से यह स्थान उपयुक्त नही पाया गया है । इसलिए अब यह कारखाना गढ़ेपान (कोटा के पास) मे लगाया जायगा, जिसके लिए निर्णय लिया जा चुका है ।

बीकानेर मे बरसिंगसर मे लिग्नाइट के भण्डारो का विदोहन करने के सम्बन्ध मे नैवेली लिग्नाइट से समझौता किया गया है । इस पर कार्य प्रारम्भ हो गया है। यहाँ लिग्नाइट का वैज्ञानिक ढग से विदोहन किया जायेगा जिससे पर्यावरण की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

सूरतगढ के पास हजीरा मे 18 मिलियन क्यूसेक फीट गैस का भण्डार मिला है जिसमे से वतमान मे 5 मिलियन क्यूसेक फीट का ही उपयोग हो पा रहा है । यहाँ एक पेट्रोलियम काम्पलेक्स बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिये योजना आयोग को एक मसौदा पेश किया गया है। जिसे उसने सिद्धान्त स्वीकार भी कर लिया है।[1]

भावी सम्भावनाएँ

1 कोटा मे जिप्सम आधारित सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करने का सयत्र लगाया जा सकता है।

2 उदयपुर मे एक पिग लोहा सयन्त्र लगाने की आवश्यक्ता है। वहाँ निकटवर्ती क्षेत्रो के कच्चे लोहे का उपयोग किया जा सकता है।

3 निम्न श्रेणी की जिप्सम से दीवारो के बोर्ड बनाये जा सकते है जिसके पूर्व निर्मित भवन (Pre fabricated House) बनाकर कुछ सीमा तकभवन-समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।

उत्तम सेलेनाइट के भण्डारो का उपयोग प्लास्टर आफ पेरिस व अन्य उद्योगो का विकास करने मे किया जा सकता है।

4 फेल्सपार, क्वार्टज व चिकनी मिट्टी के उपयोग से चीनी मिट्टी के सामान के कारखानो की स्थापना का क्षेत्र बढ सकता है। सिलिका के उपयोग से

1 राजस्थान पत्रिका 7 जुलाई 1989 पृ 10

काँच के उद्योगों का विस्तार किया जा सकता है।

निष्कर्ष - उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि **राजस्थान मे तावा, सीसा व जस्ता एव सम्बद्ध धातुओ का उत्पादन बढाया जा सकता है।** भारत मे इनका नितान्त अभाव है। अत राज्य को इनके विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और केन्द्र को इनमे अपना सक्रिय सहयोग देना चाहिए। विभिन्न स्रोतों से सुपर फॉस्फेट का उत्पादन बढने से उर्वरको की सप्लाई बढ सकती है जिससे भविष्य में कृषिगत उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी। लाइमस्टोन का उत्पादन बढाकर सीमेंट व स्टील उद्योग को लाभ पहुँचाया जा सकता है।

राज्य की खनिज नीति

परिवहन व शक्ति के साधनो के विकास से राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योगो के विकास की सम्भावनाएँ बढ रही है । **राज्य मे खनिज विकास के लिए 1978 मे खनिज नीति घोषित की गई थी।** इसमे खनिज पदार्थों की खोज हेतु सर्वेक्षण एव अन्वेषण पर जोर दिया गया था। इसमे सडको के मास्टर प्लान बनाने बिजली उपलब्ध करने व खनन कार्य के लिए बैको सहकारी सस्थाओ तथा राजस्थान वित्त निगम आदि के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया था। इसमे कहा गया था कि छोटे पट्टेधारियो को ऋण दिलाया जायगा तथा अप्रधान खनिजो जैसे लाइमस्टोन सगमरमर आदि के पट्टे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियो को भी प्राथमिकता के आधर पर दिये जायेगे ।

राज्य मे खनिजो के विकास के लिए नवम्बर 1979 मे राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (RSMDC) स्थापित किया गया था। पहले यह कार्य **(RIMDC)** के अन्तर्गत किया जाता था। राक फॉस्फेट के खनन के लिए राजस्थान राज्य खान व खनन लिमिटेड कार्यरत है। एम वी माथुर समिति ने खनन विकास के लिए निम्न सुझाव दिये है [1]

(i) खनन को उद्योग घोषित किया जाना चाहिए ताकि इसको भी राजकोषीय लाभ व प्रेरणाएँ मिल सके।

(ii) खनन व भूगर्भ सचालक को सभी खनन लीजहोल्ड क्षेत्रो का बडा पैमाने पर भूगर्भीय नक्शा बनवाना चाहिए ।

(iii) रामगज मोडक व झालावाड क्षेत्रो मे बडे पैमाने पर **लाइमस्टोन की टूट फूट व व्यर्थ अश पडे है** जिनसे पोजलाना **(Puzzalana)** सीमेंट बन सकती है बशर्ते कि इस पर उत्पादन शुल्क घटाया जाय । इससे रोजगार बढेगा तथा सरकार को आमदनी होगी ।

---

1 पूर्वोद्धृत रिपोर्ट, जून 1989 खण्ड I पृ 36 37

(iv) बिहार सरकार की भाँति अभ्रक को राजकीय व केन्द्रीय बिक्री कर से मुक्त रखा जाय,

(v) खनन की वैज्ञानिक विधियो का प्रयोग बढाया जाय ।

(vi) खनन विभाग को खानो के पट्टे देने व लगान तथा रायल्टी इकट्ठा करने के अलावा खनिज पदार्थों के भण्डारण, श्रेणीकरण आदि के बारे मे विस्तृत सूचना रखनी चाहिए, एव

(vii) भवन-निर्माण सामग्री का उपयोग करने के लिए निर्माण-उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । इसके लिए भूमि रूपान्तरण अवाप्ति नियमो व *वित्त आदि की व्यवस्था बढाकर निर्माण-उद्योग को आगे बढाना चाहिये।* इससे राज्य मे इन्फ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा ।

इन सुझावो को कार्यान्वित करने से राज्य के खनन-विकास मे काफी सहायता मिलेगी ।

भारत सरकार ने 18 फरवरी 1992 से कोयला, लिग्नाइट व तेल को छोडकर खनिजो और लघु खनिजो की रोयल्टी मे वृद्धि करने को घोषणा की है जिससे राज्य सरकार की रोयल्टी की आय काफी बढ जायगी ।

पुरानी दरो पर रोयल्टी 116 करोड रु से बढ कर नई दरो पर 331 करोड रु होने का अनुमान है । डोलोमाइट, खनिज सोने खान के ऊपर हीरे की बिक्री, बॉक्साइट, केल्साइट, जिप्सम आदि पर रोयल्टी मे वृद्धि की गयी है जिससे राज्य सरकार की रोयल्टी की आय बढेगी । भविष्य मे भी इसमे अपेक्षाकृत कम अवधि मे सशोधन किया जाना चाहिए ।

सितम्बर 1992 मे पर्यावरण अधिनियम मे केन्द्र द्वारा सशोधन की अधिसूचना जारी करने से राज्य मे खनन-विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की आशका उत्पन्न हो गई है क्योकि इससे पहाडी व वन क्षेत्रो मे खनन-कार्य के रुक जाने की स्थिति बन गई है । इस सम्बन्ध मे पर्यावरण-सरक्षण और विकास की आवश्यकताओ के बीच उचित सतुलन स्थापित किया जाना चाहिए और राज्य सरकारो को निर्णय करने का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि विकास का कार्य निर्बाध गति से आगे बढ सके ।

इसके अलावा केन्द्र खान व खनिज-पदार्थ नियमन व विकास अधिनियम 1957 मे सशोधन करके लघु खनिजो (minor minerals) की परिभाषा को बदलना चाहता है ताकि मार्बल ग्रेनाइट, सेण्डस्टोन व अन्य आयामी (dimensional) पत्थर लघु खनिजो की श्रेणी मे न रहे । इससे इन खनिजो पर राज्य सरकारो का अधिकार नही रहेगा जैसा कि बडे खनिजो के सम्बन्ध मे आज भी नही है । अत इस प्रकार के सशोधन से राज्य सरकार पर विपरीत प्रभाव पडेगा और वह इन लघु खनिजो का उपयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडी

जाति के लोगो को भी नहीं दे पायेगी जिनका जीवन इन पर निर्भर करता है । अत राज्य मे खनिज विकास को उचित प्रोहत्साहन देने के लिए वन क्षेत्रो मे खनन क्रिया पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए । राज्य सरकार को इस सम्बन्ध मे निर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिए और मार्बल ग्रेनाइट आदि को लघु खनिजों की श्रेणी मे रखकर इनके विकास व उपयोग का अधिकार राज्य सरकार को ही दिया जाना चाहिए ।

ग्रेनाइट खनन के सम्बन्ध में नई नीति सितम्बर 1991

राज्य सरकार ने 25 सितम्बर 1991 को एक अधिसूचना जारी करके ग्रेनाइट खनन के सम्बन्ध मे निम्न नीति निर्धारित की

(1) **खनिज ग्रेनाइट के खनन पट्टे ऐसे उद्यमियों को स्वीकृत किये जायेंगे जो खनन कार्य मशीनों से करेंगे और ग्रेनाइट के प्रोसेसिग सयत्र स्थापित करेगे ।** ऐसे उद्यमकर्ताओ को प्राथमिकता दी जायेगी जो निर्यात के लिए प्रोसेसिग सयत्र लगायेगे ।

(2) खनन पट्टे ऐसे आवेदको के पक्ष मे स्वीकृत किए जायेगे जिन्होने **पहले से प्रोसेसिग यूनिट लगा रखी है अथवा जो दो वर्ष की अवधि मे प्रोसेसिग यूनिट लगा लेगे ।**

(3) खनन **पट्टो के अन्तर्गत क्षेत्र की साइज 100 मीटर x 100 मीटर** अथवा 10 000 वर्ग मीटर होगी ।

(4) उक्त माप के **दो से अधिक प्लाट नियमानुसार स्वीकृत** नहीं किए जायेंगे ।

(5) विशेष परिस्थितियो मे दो से अधिक प्लाट स्वीकृत किए जा सकेगे, जब आवेदक ने अन्य आयातित चिराई की मशीन एव पालिशिंग मशीन स्थापित कर रखी है अथवा उसकी तैयार हो गई है । ऐसी स्थिति मे 5 प्लाट या 50 000 वर्ग मीटर का क्षेत्र खनन पट्टे पर दिया जा सकेगा ।

5 प्लाट या 500 मीटर लम्बाई (स्ट्राइक लैन्थ) वाले फेस का पट्टा दिया जा सकेगा । जून 1992 मे यह 200 मीटर कर दी गयी ।

एक ही क्षेत्र के एक से अधिक आवेदन पत्र होने पर लाटरी से निपटारा किया जायेगा ।

शुरू मे 'लेटर आफ कमिटमेट दिया जायेगा और खनन पट्टा सयत्र स्थापित होने पर ही दिया जायेगा ।

जून 1992 मे इन नियमों को अधिक उदार बनाया गया । अब 20 प्लाट तक खनन पट्टे स्वीकत हो सकते है ।

प्रश्न

1 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
   (i) राजस्थान की खनिज सम्पदा ।

2 राजस्थान राज्य के विभिन्न आर्थिक साधनो का वर्णन कीजिये । राज्य के आर्थिक विकास मे ये कहा तक सहायक हो सकते हैं ?

3 *राजस्थान के 'जल साधनों' पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए ।*

4 राजस्थान के पशुधन का संक्षिप्त परिचय दीजिए ।

5 राजस्थान के आर्थिक साधनो का मूल्याकन कीजिए ।

6 संक्षिप्त टिप्पणी दिखिए
   (i) राजस्थान में क्रूड तेल के भण्डार,
   (ii) राजस्थान मे लाइमस्टोन के भण्डार,
   (iii) राज्य मे पशु-सम्पदा की वर्तमान स्थिति ।

7 'राजस्थान मे प्रचुर प्राकृतिक साधन है' । समझाइए ।
   (Raj I yr, 1992)

8 *प्राकृतिक ससाधन निधियो मे राजस्थान किस सीमा तक धनी है ?*
   (Ajmer Iyr, 1992)

9 राजस्थान राज्य की खनिज नीति एव विकास पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए ।
   (Ajmer II yr 1992)

राज्य घरेलू उत्पत्ति
(State Domestic Product)

जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है उसी प्रकार एक राज्य के स्तर पर राज्य घरेलू उत्पत्ति का अनुमान लगाया जाता है। इसमे एक राज्य में एक वर्ष में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रो से उत्पन्न होने वाली आय का अनुमान लगाना होता है। जैसे राजस्थान की घरेलू उत्पत्ति मे राज्य मे कृषि, पशु-पालन, वन मछली, खनन, विनिर्माण (manufacturing), निर्माण-कार्य (construction), विद्युत, परिवहन, व्यापार, बैंकिग, प्रशासन, आदि क्षेत्रो मे उत्पन्न होने वाली वार्षिक आय का अनुमान लगाया जाएगा। यह कार्य काफी जटिल होता है और इसमे कई प्रकार की कठिनाईया आती है। विभिन्न क्षेत्रो के लिए उत्पत्ति की मात्रा, कीमतो, कच्चे माल की मात्रा व कीमतें आदि का हिसाब लगाना सरल काम नहीं होता। फिर भी राज्य -घरेलू -उत्पत्ति का अनुमान लगाना आवश्यक होता है ताकि राज्य की आर्थिक प्रगति का अनुमान लगाया जा सके तथा उसकी तुलना अन्य राज्यो व देश की आर्थिक प्रगति से की जा सके। राज्य घरेलू उत्पत्ति के अनुमान प्रचलित मूल्यो व स्थिर मूल्यो दोनो पर ज्ञात किये जाते है। इसी प्रकार राज्य की प्रति व्यक्ति आय की गणना भी दोनो प्रकार के मूल्यो पर की जाती है। लम्बी अवधि के लिए राज्य घरेलू उत्पत्ति के स्थिर मूल्यो पर प्राप्त अनुमानो के आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था मे होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनो (structural changes) का पता लगाया जाता है। इसके लिए अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों मे विभक्त किया जाता है -

(i) प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector) इसमे कृषि, पशु-पालन, वन, मछली-पालन व खनन को शामिल किया जाता है। कुछ लेखक खनन को द्वितीय क्षेत्र में भी शामिल करते है।

(ii) द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector) - इसमे विनिर्माण (Manufacturing) पंजीकृत व अपंजीकृत, निर्माण-कार्य (Construction), विद्युत, गैस तथा जल-पूर्ति को शामिल किया जाता है।

(iii) तृतीयक या सेवा क्षेत्र (Tertiary Sector) - इसमें शेष आर्थिक क्रियाएं शामिल की जाती हैं, जैसे परिवहन-रेल, सड़क आदि, संग्रहण (storage),

सचार, व्यापार, होटल बेकिग बीमा वास्तविक सम्पदा (real estate) सार्वजनिक प्रशासन तथा अन्य सेवाए ।

स्थिर मूल्यो पर इन तीनो क्षेत्रो के लिए उपलब्ध लम्बी अवधि के आय के आकडो के आधार पर अर्थव्यवस्था के ढाँचे मे होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जाता है। इससे प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रो की बदलती हुई स्थिति का पता चल जाता हे, जैसे पहले की तुलना मे राज्य की कुल आय मे प्राथमिक क्षेत्र का अश कितना घटा तथा अन्य क्षेत्रो का कितना बढा आदि आदि । यही नहीं बल्कि एक क्षेत्र के उप क्षेत्रो की बदलती हुई स्थिति का भी पता लगाया जा सकता हे जैसे तृतीयक क्षेत्र मे परिवहन बेकिग व बीमा सार्वजनिक प्रशासन आदि की सापेक्ष स्थिति मे होने वाले परिवर्तनो की जानकारी भी हो जाती है।

अत राज्य के स्तर पर घरेलू उत्पत्ति या घरेलू आय की गणना करना बहुत लाभकारी होता है। आज के आर्थिक नियोजन के युग मे यह और भी अधिक जरूरी हो गया है क्योकि इन्हीं आकडो के आधार पर योजना मे हुई आर्थिक प्रगति का अनुमान लगाया जाता है।

राजस्थान मे घरेलू उत्पत्ति के अनुमान -

राजस्थान मे राज्य घरेलू उत्पत्ति (S D P) के अनुमान प्रचलित भावो व स्थिर भावो पर 1954 55 से प्रारम्भ किये गये थे। ये 1956 मे जारी किये गये थे। यह सिरीज 1959 60 तक जारी रहा था। बाद मे आधार-वर्ष बदलकर 1960 61 कर दिया गया और सशोधित सिरीज 1978 79 तक प्रकाशित किया गया। इसके बाद 1979 मे एक सशोधित सिरीज 1970 71 के नये आधार-वर्ष पर जारी किया गया । फरवरी 1988 म केन्द्रीय साख्यिकीय सगठन ने राज्य घरेलू उत्पत्ति का नया सिरीज 1980 81 के आधार-वर्ष पर जारी किया । वर्तमान मे यह सिरीज चल रहा है और **1980 81 के भावो पर राज्य की घरेलू उत्पत्ति के आकड़े 1960 61 से 1989-90 तक की लम्बी अवधि के लिए राज्य के आर्थिक एव साख्यिकी निदेशालय, जयपुर ने उपलब्ध किये हैं, जिससे तृतीय योजना व बाद की योजनाओ के लिए राज्य की घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय के परिवर्तनो का तुलनात्मक अध्ययन सम्भव हो गया है।** राज्य की घरेलू उत्पत्ति मे से मूल्य ह्रास (depreciation) घटाने से शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (NSDP) ज्ञात हो जाती है जिसमें जनसख्या का भाग देने से प्रतिव्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है।

स्मरण रहे कि 1980 81 के स्थिर मूल्यो पर प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन करने से आय के अनुमानो मे से दोनो प्रभाव दूर हो जाते हैं-पहला कीमत वृद्धि या महगाई का, तथा दूसरा जनसख्या का । अत लक्ष्य यह होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यो पर, अधिकाधिक की जा सके। इसके लिए एक तरफ

स्थिर भावों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति बढानी होगी और दूसरी तरफ जनसख्या की वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा ।

अब हम राज्य की घरेलू उत्पत्ति के परिवर्तनो का अध्ययन करने से पूर्व सक्षेप मे इसकी गणना की विधियों का परिचय देंगे ताकि इसका समुचित ज्ञान हो सके।

राज्य घरेलू उत्पत्ति के माप की विधि-

राष्ट्रीय आय को भांति राज्य की घरेलू उत्पत्ति या आय का अनुमान लगाने के लिए भी प्राय -उत्पत्ति विधि एव आय विधि (Product method and income - method) का उपयोग किया जाता है। कहीं-कहीं व्यय-विधि (expenditure method) भी काम मे ली जाती है जैसे निर्माण-कार्य (construction) से होने वाली आय का अनुमान लगाने के लिए इनका स्पष्टीकरण नीचे किया जाता है।

(1) उत्पत्ति-विधि (Product Method) - इसे 'जोडे गये मूल्य' (value added) की विधि या 'इन्वेन्टरी-विधि' भी कहते हैं। इसमे सर्वप्रथम उस आर्थिक क्षेत्र की अन्तिम उत्पत्ति का बाजार मूल्य निकाला जाता है। फिर उसमे से उत्पादन मे लगाये गये साधनो का कुल मूल्य घटाया जाता है (जैसे कच्चे माल का मूल्य ईंधन-पावर आदि के खर्चे)। बाद मे मूल्य-ह्रास घटाने से शुद्ध आय प्राप्त होती है, जो उस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय मे योगदान मानी जाती है।

राजस्थान मे राज्य की घरेलू उत्पत्ति का अनुमान लगाने के लिए इस विधि का उपयोग निम्न क्षेत्रो के लिए किया गया है- कृषि पशु-पालन वन मछली उद्योग, खनन व पत्थर निकालना पजीकृत विनिर्माण-कार्य (registered manufacturing) (फैक्ट्री आदि में)। इसके लिए उत्पत्ति व इन्पुट की मात्राओ व इनके मूल्यो के आकडो की आवश्यकता होती है।

(2) आय-विधि (Income Method) यह दो रूपो मे प्रयुक्त होती है-

(i) प्रत्यक्ष रूप में (in its direct form) यह उन आर्थिक क्षेत्रो मे प्रयुक्त होती है जिनमे कर्मचारियो के भुगतान ब्याज, लगान, किराया लाभ मूल्य-ह्रास आदि के आकड़े विभिन्न उपक्रमो के वार्षिक लेखो (annual accounts) मे मिल जाते हैं । उनमे उत्पादन के विभिन्न साधनो की आय को जोडकर उन क्षेत्रो का राज्य की आय मे योगदान ज्ञात किया जाता है।

यह विधि निम्न क्षेत्रो मे प्रयुक्त होती है- विद्युत (जहाँ राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल व राजस्थान आणविक पावर प्रोजेक्ट (RAPP) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के वार्षिक लेखो से आवश्यक जानकारी मिलती है), जल-पूर्ति, रेल, सगठित सडक परिवहन, बैंकिग, बीमा, सार्वजनिक प्रशासन, स्थावर सम्पदा (real estate) आदि इन क्षेत्रो में वार्षिक लेखों से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके

आय के अनुमान तैयार किये जाते है।

(ii) परोक्ष रूप मे (in indirect form)- इस विधि मे सर्वेक्षण के आधार पर आय का पता लगाया जाता है। पहले उस क्षेत्र की श्रम शक्ति का पता लगाते है फिर सेम्पल सर्वेक्षण के आधार पर प्रति व्यक्ति औसत आय ज्ञात की जाती है और तत्पश्चात् इन दोनो को गुणा करके उस क्षेत्र का राज्य की आय मे योगदान निकाला जाता है।

यह विधि गैर पजीकृत विनिर्माण क्षेत्र (कुटीर व ग्रामीण उद्योग, आदि) असगठित सडक परिवहन होटल घरेलू सेवाओ आदि की आय का अनुमान लगाने मे प्रयुक्त की जाती है। इनमे लगे व्यक्तियो की सख्या को क्रमश इनकी प्रति व्यक्ति औसत आय (जो सेम्पल सर्वेक्षण से जानी जाती है) से गुणा किया जाता है।

इस प्रकार आय विधि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दो रूपो मे प्रयुक्त की जाती है।

(3) व्यय विधि (expenditure method) जैसा कि पहले कहा जा चुका है निर्माण कार्यों मे आमदनी का अनुमान व्यय विधि से लगाया जाता है। निर्माण कार्य पर लगे माल जेसे सीमेन्ट, इस्पात ईंट, पत्थर, इमारती लकडी व अन्य सामान का मूल्य ज्ञात किया जाता है । इन पर व्यय की राशि को काम मे लेने के कारण यह व्यय विधि कहलाती है। श्रम गहन कच्चे निर्माण कार्यों के लिए सेम्पल सर्वेक्षण का उपयोग करके व्यय विधि के द्वारा उनका राज्य की आय मे योगदान निकाला जाता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य की घरेलू उत्पत्ति को ज्ञात करने के लिए उत्पत्ति विधि आय विधि व व्यय विधि का मिल जुला प्रयोग किया जाता है । लेकिन अधिकाश उपयोग प्रथम दो विधियो का ही किया जाता है ।

राज्य की घरेलू उत्पत्ति या राज्य की आय मे परिवर्तन

(1) प्रचलित मूल्यो पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (NSDP) व प्रति व्यक्ति आय -

जैसा कि पहले बताया जा चुका है राज्य मे शुद्ध घरेलू उत्पत्ति के अनुमान 1954 55 से प्रकाशित किये गये हैं । हम पहले प्रचलित मूल्यो पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं क्योंकि 1980 81 के मूल्यो पर नया सिरीज 1960 61 से प्राप्त हो गया है जिससे प्रचलित मूल्यो व स्थिर मूल्यो पर एक साथ तुलना इस वर्ष के बाद की अवधि के लिए ही सम्भव है ।

(प्रचलित मूल्यो पर) (at current prices)

वर्ष	शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (करोड़ रुपयो में)	प्रतिव्यक्ति आय (रुपयो मे)
1954 55	400	233
1960-61	559	284
1965 66	824	373
1970-71	1654	651
1986 87	8341	2095
1989 90	13848	3219
1990-91	17578	3983
1991 92 शीघ्र अनुमान (Quick Estimates)	19151	4232

स्रोत आर्थिक व साख्यिकी निदेशालय के प्रकाशन 1986 87 व बाद के लिए आय व्ययक अध्ययन 1992 93 पृष्ठ 52 व पृष्ठ 106

तालिका के परिणाम - वैसे समय समय पर विधि सम्बन्धी परिवर्तन व आकड़ों में सुधार होने से प्रचलित मूल्यो पर भी राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति की प्रवृत्ति के विवेचन में आवश्यक सावधानी बरतनी होती है फिर भी 1954 55 से 1990-91 तक के 36 वर्षों मे राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति लगभग 44 गुनी हो गई तथा प्रतिव्यक्ति आय 17 गुनी हो गई ।

1990 91 मे प्रचलित भावो पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 17578 करोड रुपये तथा प्रतिव्यक्ति आय 3983 रुपये रही । 1990 91 मे राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति पिछले वर्ष की तुलना मे 26 9% बढी तथा प्रति व्यक्ति आय 23 7% बढी ।

(i) स्थिर मूल्यों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय के परिवर्तन

जैसा कि पहले कहा जा चुका है 1960 61 मे 1989 90 तक शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय के आकडे 1980 81 के मूल्यो पर उपलब्ध हो गये हैं जिससे इस अवधि के लिए इनकी प्रवृत्तियो का अध्ययन आसान हो गया है । यह परिवर्तन निम्न तालिका मे दर्शाया गया है

स्थिर मूल्यों पर (at constant prices) (1980-81 की कीमतों पर)

वर्ष	शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (करोड़ रुपयों में)	प्रति व्यक्ति आय (रुपयों मे)
1960-61	2409	1224
1970-71	3759	1480
1980-81	4126	1222
1985-86	5187	1338
1986-87	5685	1428
1987-88	5291	1295
1988-89	7331	1749
1989-90	7104	1651
1990-91	8213	1861
1991-92 (शीघ्र अनुमान) (Quick Estimates)	7825	1729

स्रोत- राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत-पत्र, मार्च 1991, पृ 35, तथा *आय-व्ययक अध्ययन 1992-93, पृ 54*

तालिका के निष्कर्ष - तालिका से यह पता चलता है कि स्थिर कीमतों (1980-81) पर 1960-61 में शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 2409 करोड रुपये से बढ़ाकर 1990-91 में 8213 करोड़ रुपये हो गई । इस प्रकार 30 वर्षों में यह 3.4 गुनी हो गई । दीर्घकालीन आधार पर 1961-90 की अवधि मे इसमें संशोधित वार्षिक वृद्धि-दर लगभग 3.8% आंकी गई है । 1990-91 में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (स्थिर कीमतों पर) पिछले वर्ष की तुलना में 15.6% बढी तथा प्रति व्यक्ति आय 12.7% बढ़ी ।

प्रति व्यक्ति आय, स्थिर मूल्यों पर 1960-61 में 1224 रुपयों से बढ़कर 1990-91 में 1861 रुपये हो गई जो पहले की तुलना में 1.5 गुनी है । इसमें दीर्घकालीन दृष्टि से उपरोक्त अवधि में वार्षिक वृद्धि-दर 1.0% आंकी गई है । राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें वार्षिक उतार-चढ़ाव बहुत आते रहते हैं जो राज्य में कृषिगत उत्पादन के उतार-चढावों मे विशेष रूप से जुडे हुए हैं ।

1970-71 मे स्थिर कीमतों (1980-81) पर प्रति व्यक्ति आय 1480 रुपये रही थी । आगामी वर्षों में 1987-88 तक केवल एक वर्ष, अर्थात् 1983-84

मे यह 1525 रुपये हुई जो 1970 71 से अधिक थी । बाकी सभी वर्षों मे यह 1970-71 के स्तर से नीची बनी रही । यह एक विशेष प्रकार की स्थिति है। 1988 89, 1989 90 व 1990 91 मे यह 1970 71 से ऊची रही । 1990 91 में शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय दोनों पिछले वर्ष से अधिक रहीं ।

निम्न तालिका मे राजस्थान की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (NSDP) व प्रति व्यक्ति आय में योजनावार वृद्धि दरे दी गई है । साथ मे तुलना के लिए समस्त भारत की शुद्ध राष्टीय उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय के वार्षिक परिवर्तन भी दिये हुये है ।

वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%) (1980 81 के मूल्यो पर)

अवधि	शुद्ध घरेलू राष्ट्रीय उत्पत्ति		प्रति व्यक्ति आय	
	राजस्थान (NDP)	भारत (NNP)	राजस्थान	भारत*
तृतीय योजना (1961 66)	1 4	2 3	1 0	0 1
वार्षिक योजनाए (1966 69)	0 8	3 7	3 0	1 4
चतुर्थ योजना (1969 74)	7 1	3 3	3 8	0 9
पचम योजना (1974 79)	5 2	4 9	2 2	2 6
वार्षिक योजना (1979 80)	14 5	6 0	16 9	8 2
छठी योजना (1980-85)	5 9	5 4	3 0	3 2
सातवीं योजना (1985 90)**	6 4	5 6	3 6	3 3
दीर्घकालीन (1961 90)**	3 8	4 0	1 0	1 7

तालिका से स्पष्ट होता है कि योजनाकाल मे राजस्थान मे विकास की सशोधित वार्षिक दर सर्वाधिक सातवीं योजना मे 6 4% रही । तृतीय योजना मे यह 1 4% रही थी । 1961 90 के तीन दशको मे राज्य मे विकास की दर लगभग 3 8% रही । भारत मे भी सर्वाधिक विकास की वार्षिक दर सातवीं योजना में 5 6% प्राप्त की गई तथा प्रति व्यक्ति विकास की दर 3 3% भी इसी योजना में प्राप्त हुई । 1961 90 की अवधि मे भारत मे भी विकास की औसत दर 4% रही जो राजस्थान से कुछ अधिक थी । लेकिन भारत मे जनसख्या की वृद्धि दर राजस्थान से कम होने के कारण उसका प्रतिव्यक्ति आय की दीर्घकाल वृद्धि दर

* Economic Survey 1992 93 p S-4

** सशोधित करके आय व्ययक अ यन 1992 93 के आकडो के आधार पर ।

1 7% रही । तृतीय योजना मे भारत मे विकास की दर 2 3% रही, जिससे प्रति व्यक्ति विकास की दर केवल 0 1% ही हो सकी ।

भारत मे 1960-61 में राष्ट्रीय आय (1980-81 के भावो पर) 58 602 करोड रुपये से बढकर 1990-91 मे 1 84 460 करोड रुपये हो गई । इसी अवधि मे प्रति व्यक्ति आय (1980-81 के मूल्यो पर) 1350 रुपया से बढकर 2199 रुपये हो गई । 1991 92 के शीघ्र अनुमानो के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय 1980-81 के भावो पर 1 86 135 करोड रु व प्रति व्यक्ति आय 2175 रुपये रहेगी ।[1]

प्रत्येक योजना मे वार्षिक चक्रवृद्धि दर निकालने के लिए योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए पिछले वर्ष की तुलना मे प्रतिशत परिवर्तन निकाले जाते है । फिर पाच वर्ष के प्रतिशत परिवर्तन का ज्यामितीय औसत (Geometric mean) लिया जाता है । इसकी विधि अध्याय के अत मे परिशिष्ट 2 मे सविस्तार समझाई गई है। परिशिष्ट 1 मे पाँचवी छठी व सातवीं योजना की अवधि के लिए शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय के वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन दर्शाये गये है । आय की वार्षिक वृद्धि दर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाकर भी ज्ञात की जाती है जिसके लिए आधार वर्ष व अन्तिम वर्ष की आय के आकडो का उपयोग किया जाता है।

राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय के योजनावार परिवर्तनो का अर्थ सावधानीपूर्वक लगाना होगा, क्योंकि किसी भी योजनावधि मे औसत वार्षिक वृद्धि दर उस योजना मे किसी एक वर्ष की असामान्य वृद्धि या असामान्य गिरावट से अत्यधिक मात्रा मे प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए, सातवीं योजना (1985 90) मे औसत वृद्धि दर (शुद्ध घरेलू उत्पत्ति) की वृद्धि 6 4% रही । लेकिन इस योजनावधि मे पाच मे से तीन वर्षों मे तो शुद्ध घरेलू उत्पत्ति मे पिछले वर्ष की तुलना मे गिरावट आई थी। 1988 89 में पिछले वर्ष की तुलना मे यह 38 6% (स्थिर मूल्यो पर) बढी थी जिससे वार्षिक वृद्धि दर 6 4% प्राप्त हो सकी ।

अत योजनावार वार्षिक वृद्धि दर का अर्थ लगाते समय यह ध्यान रखना होगा कि कहीं एक वर्ष की अत्यधिक या असाधारण वृद्धि इसको प्रभावित न करे। पाचवी व छठी योजनाओं मे भी क्रमश 1975 76 की 21 3% व 1983 84 की 22 8% वृद्धियो ने सम्बद्ध योजनाओं की औसत वृद्धि दरो को प्रभावित किया था। इसमे कोई सन्देह नही कि आधार वर्ष एव अन्तिम वर्ष मे परिवर्तन मात्र से आय मे कोई भी वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई जा सकती है। राजस्थान के आर्थिक विकास के श्वेत पत्र मार्च (1991) मे भी इस कठिनाई की ओर ध्यान दिलाया

---

1 Economic Survey 1992 93 p S 3

2 CSO के Estimates of SDP 1991 मे 54 ... है।

गया है।

राज्य घरेलू उत्पत्ति का ढ़ांचा (Structure of SDP) अथवा क्षेत्रवार अशदान अवधि मे स्थिर कीमतो (1980-81) पर प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रो के राज्य घरेलू उत्पत्ति के अंशा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना होगा । हम पहले बतला चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि व सहायक उद्योग, वन मछली व खनन शामिल होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण विद्युत गैस व जल पूर्ति तथा निर्माण कार्य शामिल होते हैं एव तृतीयक क्षेत्र मे परिवहन सग्रहण, व्यापार, बैकिग, बीमा, स्थावर सम्पदा व सार्वजनिक प्रशासन व अन्य सेवाए शामिल होती है ।

1960 61 मे 1991 92 के वर्षों के लिए इनके योगदान के परिवर्तन निम्न तालिका मे दर्शाये गये है ।

(1980 81 के भावा पर) (% अश)

वर्ष	प्राथमिक	द्वितीयक	तृतीयक या सेवा क्षेत्र
1960 61	57 3	17 1	25 6
1970 71	62.0	14 5	23 4
1980 81	52 3	18 0	29 7
1986 87	44 0	18 9	37 1
1987 88	38 4	22 5	39 1
1988 89	50 0	17 7	32 3
1989 90	46 9	18 5	34 6
1990 91	50 8	16 5	32 7
1991 92 (शीघ्र अनुमान)(Quick Estimates)	47 2	18 0	34 8

स्त्रोत राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्च 1991 पृ 4 तथा 35 एव आय व्ययक अध्ययन (राजस्थान) 1992 93 पृ 107 (1986 87 से 1991 92 की अवधियों के लिए)

योजनाकाल के तीन दशको मे राज्य घरेलू उत्पत्ति के ढांचे मे परिवर्तन

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि योजनाकाल की 1960-61से 1990 91 की अवधि मे SDP के क्षेत्रवार अशदान मे काफी परिवर्तन हुए हैं। प्राथमिक क्षेत्र का अशदान 1960 61 मे 57 3% से घटकर 1989 90 में 46 9% तथा 1990 91 में 50 8% पर आ गया है । द्वितीयक क्षेत्र का अश 1960-61 में 17 1% से बढ़कर 1989 90 में 18 5% एव 1990 91 में घटकर 16 5%

हो गया है तथा तृतीयक क्षेत्र का 25 6% से बढकर 1989 90 मे 34 6% तथा 1990 91 मे 32 7% हो गया है। इस प्रकार तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1/4 से बढकर 1/3 हो गया है। इससे सिद्ध होता है कि राज्य की आय मे सेवा क्षेत्र का अनुपात अधिक तेजी से बढा है। इस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र का घटा है तथा ततीयक क्षेत्र का बढा है । द्वितीयक क्षेत्र का घटता बढता रहा है और दीर्घकाल मे लगभग 17 18% पर स्थिर बना रहा है।

द्वितीयक क्षेत्र मे विनिर्माण (manufacturng) की आय शामिल होती है। 1980 81 मे पजीकत व गेर पजाकत विनिर्माण क्षेत्र का योगदान राज्य की घरेलू उत्पत्ति मे 11 3 % हुआ था जिसमे पजीकत क्षेत्र का अश 4 9% तथा गेर पजीकत का (4% था 1990 91 मे इस क्षेत्र का योगदान 10 2% रहा (1980 81) क मूल्यो पर (जिसमे पजीकत क्षेत्र का अश 4) तथा गैर पजीकृत क्षेत्र का 5 3% रहा । इस प्रकार विनिमाण क्षेत्र के योगदान मे कमी हुई है। लेकिन पजीकत क्षेत्र का अश स्थिर रहा है तथा गैर पजीकृत क्षेत्र का कुछ कम हुआ है

राज्य की आय मे विनिमाण क्षेत्र का योगदान 11 12 प्रतिशत काफी नीचा है। समस्त भारत मे यह लगभग 21% पाया जाता है। अत राज्य को इसका योगदान बढाने के लिए सभी प्रकार के उद्योगो का विकास करना चाहिए ।

तृतीयक क्षेत्र की सबसे बडी मद व्यापार होटल तथा जलपान गृह है जिसमे 1986 87 व 1990 91 के बाच काफी परिवर्तन आया है। 1986 87 मे इस मद से राज्य की आय मे 16 9% का योगदान हुआ था जो घटकर 1990 91 मे 14 4% हो गया। इस प्रकार केवल चार वर्षो मे इस मद मे 2 5% बिन्दु की कमी आयी है।

1961 90 की दीर्घकालीन अवधि मे विभिन्न क्षेत्रो के अन्तर्गत आय की वृद्धि दरो मे काफी अन्तर पाये गये है जो निम्न तालिका मे दर्शाये गये है

1961 90 मे वार्षिक वृद्धि-दर (%) (पुराने आंकडो के अनुसार)

(i)	प्रथमिक क्षेत्र	3 0
(ii)	द्वितीयक क्षेत्र	4 4
(iii)	तृतीयक क्षेत्र	5 3
	कुल आय	4 0

इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर तृतीय क्षेत्र मे हुई है जिसमे व्यापार, होटल बैंकिग बीमा सार्वजनिक प्रशासन आदि शामिल हैं । सच पूछा जाय तो प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रो की वृद्धि दरो का विशेष महत्व होता है क्योंकि उनका सम्बन्ध वस्तु क्षेत्रो से होता है। तृतीयक क्षेत्र मे तो विभिन्न प्रकार की सेवाए आती हैं। योजनाकाल मे राष्ट्रीय स्तर पर भी तृतीयक क्षेत्र मे विकास दर अन्य दोनो क्षेत्रो से अधिक रही है जिससे आर्थिक विकास की दर के उँचा होने मे मदद मिली है। लेकिन यह सीधे उत्पादन से सबद्ध नहीं है। इसीलिए ऐसी विकास की दर पूर्ण सतोष का कारण नही बन सकती ।

राज्य मे आय के क्षेत्रवार वितरण पर कृषिगत उत्पादन का अधिक प्रभाव पड़ता है। अच्छी फसल वाले वर्ष मे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ जाता है और सूखे व अकाल के वर्षों मे यह काफी घट जाता है। परिणामस्वरूप खराब फसल वाले वर्षों मे द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रो के अश बढ जाते है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य की आय मे द्वितीयक क्षेत्र का अश बढाने की आवश्यकता है। यह लगभग 11 12 प्रतिशत पर ठहरा हुआ है। औद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि करके इस अनुपात को बढाया जाना चाहिए। प्रयत्न करने पर यह एक दशक मे 20% तक पहुँचाया जा सकता है। राज्य मे आर्थिक साधनो पर आधारित औद्योगिक इकाइयो के विकास के पर्याप्त अवसर विद्यमान है जिनका उपयोग करके इस क्षेत्र का योगदान बढ़ाया जाना चाहिए। साथ मे निर्माण कार्यों को भी बढाना चाहिए। इसके लिए भी राज्य मे ईंट, पत्थर सीमेन्ट *व अन्य भवन निर्माण कार्यों की आवश्यक सामग्री का उत्पादन बढाया जा सकता* है जिससे रोजगार मे भी वृद्धि की जा सकती है। जवाहरात व आभूषणो का उत्पादन बढाने के पर्याप्त अवसर हैं। गलीचो हथकरघा व दस्तकारियो का उत्पादन बढाकर रोजगार, आमदनी व निर्यात मे वृद्धि की जा सकती है।

राजस्थान एव भारत की प्रति व्यक्ति आय के बीच बढता हुआ अन्तर

चूँकि अब हमे 1960 61 से 1990 91 तक की अवधि के लिए 1980 81 मे मूल्यो पर प्रति व्यक्ति आय के आकडे राजस्थान व समस्त भारत के लिए उपलब्ध हो गये है। इसलिए हम योजनाकाल मे इन दोनो के बीच प्रति व्यक्ति आय के सशोधित अतरो का अध्ययन कर सकते है ।

प्रति व्यक्ति आय (रु मे) (1980 81 के भावो पर)

वर्ष (1)	भारत (2)	राजस्थान (3)	अतराल (Gap) (4)= (2)– (3)
1960 61	1350	1224	126
1970 71	1520	1480	40
1980 81	1630	1222	408
1985 86	1841	1338	503
1986 87	1871	1428	443
1987 88	1901	1295	606
1988 89	2065	1749	316
1989 90	2134	1651	483
1990 91	2199	1861	338

उपर्युक्त तालिका मे चुने हुए वर्षों के लिए राजस्थान व भारत की प्रति व्यक्ति आय के आकडे स्थिर मूल्यो (1980-81) पर दिये गये है -

[स्रोत भारत के लिए (Economic Survey) 1992 93 पृ S 3 तथा राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र पृ० 35 एव आय-व्ययक अध्ययन 1992 93 पृ० 54]

तालिका से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय में राजस्थान व भारत के बीच का अतराल घटता बढता रहा है। 1960-61 से 1970-71 के बीच यह घट गया था। लेकिन 1970 71 से 1980 81 के बीच यह काफी बढ गया । पुन 1980 81 से 1987 88 के बीच यह बढा । लेकिन 1988 89 में यह घटा व 1989 90 मे बढा । 1989 90 मे दोनो का प्रति व्यक्ति आय का अंतराल 1980 81 की तुलना मे थोडा बढा है। 1990 91 में यह पिछले वर्ष से कम रहा है।

इस प्रकार यह कहना गलत होगा कि 1980-81 से 1990 91 तक राजस्थान व भारत की प्रति व्यक्ति आय म अतराल लगातार बढता गया है। हम तालिका से देख सकते हैं कि यह 1990 91 मे 1980 81 की तुलना मे घटा है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दोनो के बीच प्रति व्यक्ति आय का अतराल आज भी बना हुआ है जिसे यथासम्भव कम किया जाना चाहिए। 1970 71 मे यह अतराल काफी कम हो गया था । जिन वर्षों मे राजस्थान मे सूखे के कारण कृषिगत उत्पादन को भारी क्षति पहुँचती है उनमे प्रति व्यक्ति आय का अतराल सर्वाधिक हो जाता है। 1987 88 मे यह 606 रुपये हो गया था जो सर्वाधिक था । 1987 88 का अकाल राजस्थान के इतिहास मे अभूतपूर्व माना गया है।

राजस्थान मे शुद्ध घरेलू उत्पत्ति मे तेज गति से वृद्धि करने के लिए कुछ सुझाव

चूँकि शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का उद्गम विभिन्न आर्थिक क्षेत्रो जैसे कृषि पशु पालन खनन विद्युत उद्योग, परिवहन, व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन आदि से होता है इसलिए इसमे तीव्र गति से वृद्धि करने के लिए इन क्षेत्रो के विकास के प्रयास करने होगे। इनका विवरण नीचे दिया जा रहा है

(1) कृषि राजस्थान मे कृषिगत उत्पादन मे भारी मात्रा मे वार्षिक उतार चढाव आते है जिन्हे कम करने के लिए सूखी खेती की पद्धतियो का व्यापक रूप मे उपयोग करना होगा । फव्वारा सिचाई व बूँद बूँद सिचाई से उत्पादन भी बढेगा तथा पानी के उपयोग मे भी किफायत होगी । राजस्थान मे पशु विकास फल विकास वन विकास चारा विकास, आदि पर एक साथ बल देना होगा । इसके लिए विश्व बैक से 500 करोड रुपये से अधिक का कर्ज लेकर एक विस्तृत कृषि विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है जिसे सफल बनाने की आवश्यकता है। इसकी सहायता से सोयाबीन ईसबगोल मेहदी व तुम्बा (एक प्रकार का तिलहन) का उत्पादन बढाया जा सकेगा। इससे लोगो को रोजगार मिलेगा तथा कृषिगत क्षेत्र से आमदनी भी बढेगी । सम्पूर्ण कार्यक्रम को लागू करने से कृषिगत विकास को काफी गति मिलेगी। भूमि वृक्ष जल, नमी आदि सभी का

सदुपयोग होगा ताकि इनसे उत्पादन म वृद्धि होगी ।

(2) उद्योग खनन व विद्युत पहले हम बतला चुके है कि राजस्थान मे खनन विकास की काफी सम्भावनाये हैं और इन पर आधारित उद्योगो पर समुचित ध्यान देने से भी राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति बढाई जा सकती है। राज्य मे सीमेट उद्योग, मार्बल व ग्रेनाइट उद्योग खाद्य तेल व वनस्पति उद्योग, इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग आदि का विकास करके आय बढायी जा सकती है। रत्न आभूषण गलीचों दस्तकारियो व हथकरघा उद्याग का विकास करके रोजगार, आय व निर्यात बढाये जा सकत है।

पयटन का विकास करके आमदनी बढायी जा सकती है। राज्य मे थर्मल पावर, गैस आधारित विद्युत व आणविक विद्युत तथा मिनी जल विद्युत परियोजनाओ को कार्यान्वित करके पावर सप्लाई बढाकर विकास के नये अवसर खोले जा सकते हैं।

(3) सेवा क्षेत्र शिक्षा चिकित्सा जल पूर्ति परिवहन (विशेषतया सडको तथा ब्रोडगेज रेल लाइनों) बैंकिंग आदि का विकास करके सामाजिक सेवाओ व आधारभूत सुविधाओ का विस्तार किया जा सकता है । इससे जीवन स्तर मे सुधार आने के साथ साथ राज्य की घरेलू उत्पत्ति मे भी वद्धि होगी ।

राजस्थान एक पिछडा हुआ राज्य अवश्य है लेकिन विभिन्न दिशाओ मे आर्थिक विकास की सम्भावनाये विद्यमान है जिनका समुचित उपयोग करके आगे आने वाले वर्षों मे राज्य की घरेलू उत्पत्ति मे द्रुतगति से वद्धि की जा सकती है। इसके लिए जिला नियोजन के माध्यम से स्थानीय साधनों का उपयोग करके उत्पादक परियोजनाओ को सचालित करने की आवश्यकता है। राज्य को अकाल व सूखे की दशाओ पर नियत्रण करने के लिए एक दीर्घकालीन व्यावहारिक व सुदृढ कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र मे सरकार चारे व घास का उत्पादन बढाने का प्रयास कर रही है। इस क्षेत्र में किये गये विनियोगो से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने का आवश्यकता है। इस दिशा मे अधिक दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है इस प्रकार कोई कारण नहीं कि सुनियोजित व अधिक सक्रिय ढग से आगे बढने पर राज्य अपना आर्थिक विकास अधिक तेजी से न कर सके ।

परिशिष्ट 1[1]

पाचवी योजना छठी योजना व सातवीं योजना मे राजस्थान राज्य की घरेलू उत्पत्ति (SDP) व प्रति व्यक्ति विकास की दर (1980-81) के भावो पर

1 राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र राजस्थान सरकार आयोजना विभाग मार्च 1991 पृ 35 योजनाकाल मे वार्षिक वद्धि दर निकालने के लिए प्रतिवर्ष के प्रतिशत परिवर्तनों का ज्यामितीय औसत लिया गया है यह केवल गणना की विधि जानने के लिए दिया गया है। अत इसका आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाना चाहिए

पांचवीं योजना (1974-79) वर्ष	1980-81 के भावों पर राज्य की घरेलू उत्पत्ति (SDP) (करोड़ रु.) (निकटतम)	SDP में वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)	1980-81 के भावों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)	प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर (% में)
आधार वर्ष 1973-74	3545 5		1281	
1974-75	3219 2	( ) 9 2	1131	( )11 7
1975-76	3905 8	21 3	1333	17 9
1976-77	4159 3	6 5	1380	3 5
1977-78	4329 8	4 1	1396	1 2
1978-79	4563 1	5 4	1430	2 4
(अ) V योजना में वार्षिक-दर		5 2		2 2
छठी योजना (1980-85)				
(आधार वर्ष) 1979 80	3902 2		1189	
1980-81	4125 7	5 7	1222	2 8
1981-82	4478 1	8 5	1285	5 2
1982-83	4569 8	2 0	1276	(-)0 7
1983-84	*5611 3*	*22 8*	*1525*	*19 5*
1984-85	5207 7	(-)7 2	1379	( )9 6
(आ) VI योजना मे वार्षिक वृद्धि-दर		5 9		3 0

सातवीं योजना (1985-90) तक (1980-81) के भावो पर (संशोधित)

	राज्य की घरेलू उत्पत्ति (करोड़ रु)	वार्षिक परिवर्तन की दर (%)	प्रति व्यक्ति आय (रु.)	वार्षिक परिवर्तन की दर (रु.)
आधार वर्ष 1984-85	5207 7		1379	
1985-86	5187 3	(-)0 4	1338	(-)3 0
1986-87	5684 7	9 6	1428	6 7
1987-88	5290 6	(-)6 9	1295	(-)9 3
1988-89	7331 0	38 6*	1749	35 1
1989 90	7104 1	(-)3 1	1651	(-)5 6
(इ) VII योजना में वार्षिक वृद्धि-दर		6 4		3 6

परिशिष्ट - 2

राजस्थान में सातवीं योजना की अवधि में विकास की वार्षिक दर निकालने की विधि का विवरण

पिछली तालिका के आधार पर स्थिर मूल्यो (1980-81) के भावो पर राज्य की घरेलू उत्पत्ति (SDP) मे वार्षिक परिवर्तन नीचे दिये गये है।

आधार-वर्ष (1984 85)	SDP में परिवर्तन की दर (%)	सूचनाक	सूचनांकों के लॉग (Logs)
1985-86	( )0.4	99.6	1.9983
1986 87	9.6	109.6	2 0398
1987-88	(-)6.9	93.1	1.9689
1988 89	38 6*	138 6	2 1418
1989 90	( )3.1	96.9	1.9863
		कुल	10 1351

लॉग का औसत = 10 1351/5 = 2 02702

इसका antilog = 106 4

इसलिए विकास की वार्षिक दर = (106 4-100) = 6 4% रही । यहा

* जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है CSO द्वारा प्रकाशित Estimates of State Domestic Product and Gross Fixed Capital Formation 1991 के आधार पर यह 34% आती है जिससे परिणाम पर असर पडेगा। यहाँ केवल विधि को समझाने पर बल दिया गया है।

परिवर्तन की वार्षिक दर निकालने के लिए वार्षिक प्रतिशत के परिवर्तनो का ज्यामितीय औसत (G M) लिया गया है । इसका ज्ञान मामूली अभ्यास से हो सकता है जिसे अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए । इसके लिए log table व anti log table के उपयोग की जानकारी बहुत जरूरी होती है।

प्रश्न

1 राजस्थान की अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति के लिए उत्तरदायी कारणो का उल्लेख कीजिए। उन्हे दूर करने के उपायो का सुझाव दीजिए ।

2 राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय मे 1960 61 मे हुई वास्तविक प्रगति की मुख्य प्रवतियो पर प्रकाश डालिए। क्या यह प्रगति सतोपजनक रही है ?

3 राजस्थान मे आय के ढाँचे (Structure) मे योजनकाल मे किस प्रकार के परिवर्तन हुए हे ? क्या ये परिवर्तन अनुकूल माने जा सकते हे ?

4 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

(i) राज्य घरेलू उत्पत्ति की प्रवत्तियाँ व सरचना ।
(Raj I yr 1992 also in Ajmer I yr 1992)

(ii) राज्य की आय मे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान

(iii) राज्य की आय मे विनिर्माण क्षेत्र का योगदान

(iv) राज्य की आय मे योजनावार वद्धि दरे

(v) राजस्थान की वर्तमान प्रति व्यक्ति आय (1980-81 के मूल्यो पर)।

5 राजस्थान मे योजनावधि मे विकास की दर समस्त देश की तुलना मे नीची रही है । क्या आप इस मत से सहमत हे ? राज्य मे विकास की गति को तेज करने के कुछ व्यावहारिक सुझाव दीजिए ।

6 वर्ष 1990 91 के लिए राजस्थान की (स्थिर मूल्यो पर) शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (NSDP) छाँटिए ।

(अ) 7331 करोड रु (ब) 7100 करोड रु

(स) 8213 करोड रु (द) 6000 करोड रु (स)

7 वर्ष 1990 91 के लिए राजस्थान की 1980 81 के मूल्यो पर प्रति व्यक्ति आय छाँटिए

(अ) 1295 रुपये (ब) 1861 रुपये

(स) 1750 रुपये (द) 1650 रुपये (ब)

8 राजस्थान की स्थिर मूल्यो पर प्रति व्यक्ति आय को बढाने के उपायो का विवेचन करिए । इनके मार्ग मे आने वाली बाधाओ को हटाने के सुझाव दीजिए ।

5

कृषि
(Agriculture)

राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। 1989 90 मे कृषि का अश राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पादन मे लगभग 45% तथा 1990 91 मे 48 8% रहा (1980-81 के मूल्यो पर)।[1] राज्य के कृषिगत उत्पादन मे प्रति वर्ष काफी उतार-चढाव आते रहते हैं। 1987-88 मे अभूतपूर्व सूखे व अकाल के कारण कृषि का योगदान राज्य की घरेलू उत्पत्ति में केवल 36% ही रहा था। इस प्रकार स्थिर भावो पर कृषि का योगदान राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (SDP) मे प्रति वर्ष कम या ज्यादा होता रहता है। राज्य की कृषिगत अर्थव्यवस्था मूलत अस्थिर (Unstable) है और इस पर अकालो की काली छाया निरन्तर पडती रहती है।

(अ) भूमि का उपयोग - निम्न तालिका मे 1951 52 व 1990 91 के वर्षों मे राजस्थान मे भूमि के उपयोग का परिवर्तन दर्शाया गया है

राजस्थान मे भूमि का उपयोग[2]

वर्गीकरण	(लाख हैक्टे. मे) (1951-52)	रिपोर्टिंग क्षेत्र का प्रतिशत	(लाख हैक्ट. में (1990-91)	रिपोर्टिंग क्षेत्र का प्रतिशत
1 रिपोर्टिंग क्षेत्रफल	342 8	100 0	342 5	100 0
2 वन	11 6	3 4	23 5	6 9
3 कृषि के लिए अप्राप्य*	89 8	26 2	62 1	18 1
4 कृषि योग्य व्यर्थ भूमि	90 0	26 3	55 7	16 3
5 परती भूमि**	58 3	17 0	37 4	10 9
6 शुद्ध कृषिगत भूमि	93 1	27 1	163 8	47 8
7 एक से अधिक बार जोता गया क्षेत्र	4 4	1 3	30 0	8 8
8 सकल कृषिगत क्षेत्र	*97 5*	*28 4*	*193 8*	*56 6*

फुटनोट (1) (2) (*) व (**) का विवरण अगले पृष्ठ पर देखिए।

तालिका से यह पता चलता है कि राजस्थान मे 1990 91 मे कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 3 42 करोड हैक्टेयर भूमि था। शुद्ध कृषित क्षेत्र (net area sown) इसका 47 8 प्रतिशत था जो 1951 52 मे केवल 27 प्रतिशत रहा था। यह 1951 52 मे 93 लाख हैक्टेयर से बढकर 1990 91 मे 163 8 लाख हैक्टेयर हो गया। इस प्रकार योजनाकाल मे राज्य मे नई भूमि पर खेती का काफी विस्तार किया गया है। एक से अधिक बार जोता गया क्षेत्र 1951 52 मे 4 4 लाख हैक्टेयर था जो 1990 91 मे 30 लाख हैक्टेयर हो गया । इस प्रकार सिचाई के साधनो का विकास होने से राज्य मे गहन कृषि का भी कुछ सीमा तक विकास किया गया है। परिणामस्वरूप कुल कृषित क्षेत्र (total cropped . ea) जो 1951 52 मे कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 28 4% था वह 1990 91 मे 56 6% हो गया । राज्य मे आज भी वनो का क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 6 9% मात्र है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि (Culturable Waste land) व परती भूमि (Fallow land) (मद 4+ मद 5) लगभग 27 2 प्रतिशत है। भविष्य मे इसमे से कुछ क्षेत्र कृषि मे लाया जा सकता है। अत राज्य मे विस्तृत व गहन दोनों प्रकार की कृषि के विकास की भावी सम्भावनाएँ कुछ सीमा तक विद्यमान हैं।

1990 91 मे शुद्ध कृषित क्षेत्रफल 1 64 करोड हैक्टेयर रहा जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 47 8% था। 1990 91 मे सकल कृषित क्षेत्र (gross cropped area) 1 94 करोड हैक्टेयर था जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का लगभग 56 6% था। सकल कृषित क्षेत्र की मात्रा मे निरतर उतार चढाव आते रहते है। सूखे के वर्षों मे यह घट जाता है। 1989 90 मे सकल कृषित क्षेत्र 1 79 करोड हैक्टेयर था जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 52 3% था।

इस प्रकार फसल गहनता (Cropping intensity) 1951 52 मे 1 047

---

1 Some Facts About Rajasthan 1992 p 73
2 Ibid pp 41-42 (1990 91 के लिए)
* इसमें निम्नांकित क्षेत्र शामिल किये गये हैं वर्ष 1990 91 के लिए (i) गैर कृषिगत उपयोगों में लगाई गई भूमि (4 3% तथा (ii) बजर व अकृष्य भूमि (8 1%) (iii) स्थाई चरागाह व अन्य चराई की भूमि (5 6%) तथा (iv) विविध पेडों व कुजों की भूमि नगण्य (0 1%) । इन चारो का जोड 18 1% आता है।
** परती भूमि में चालू परती भूमि (Current fallow) एक वर्ष के लिए परती छोडी जाती है का अश 5.3% तथा अन्य परती भूमि (एक से पाच वर्ष तक परती भूमि) का अश 5 6% था। इस प्रकार कुल परती भूमि का अश 10 9% रहा ।

से बढकर 1990 91 मे 1 183 पर आ गई। फसल गहनता निकालने के लिए सकल कृषित क्षेत्र मे शुद्ध कृषित क्षेत्र का भाग दिया जाता है।* भविष्य में इसमे वृद्धि के लिए एक से अधिक बार जोती गई भूमि का विस्तार करना होगा ।

राजस्थान में 1985 86 म कार्यशील जोतो का विवरण [1]

जोतो की किस्मे	जोतो की सख्या (लाख) म	कुल का %	समाया हुआ क्षेत्रफल (लाख हैक्टयर मे)	कुल का %
1 सीमात जोते (1हैक्टेयर तक)	13 6	28 6	6 4	3 1
2 लघु जोते (1 2 हैक्ट)	9 2	19 4	13 3	6 4
3 लघु मध्यम (2 4 हैक्टे)	9 8	20 6	27 9	13 6
4 मध्यम (4 10 हैक्टे)	9 9	20 8	61 5	29 9
5 बड़ी (10 है से ज्यादा)	5 0	10 6	96 8	47 0
कुल	47 5	100 0	205 9	100 0

तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य म कार्यशील जोतो का वितरण काफी असमान है। एक हैक्टेयर तक की जोते लगभग 29% ह लेकिन इनमे कुल क्षेत्रफल का केवल 3 1% भाग ही समाया हुआ है। इसके विपरीत 10 हैक्टेयर से ऊपर क जोते लगभग 11% ह जबकि इनमे 47% क्षेत्रफल समाया हुआ है। 1970 71 मे राजस्थान मे कार्यशील जोतो का आसत आकार 5 46 हैक्टेयर था, जो समस्त भारत के औसत आकार 2 28 हैक्टेयर का 2 5 गुना था एव सभी राज्यो का तुलना मे यह सर्वाधिक था। 1985 86 मे राजस्थान मे जोतो का औसत आकार घटकर 4 34 हैक्टेयर पर आ गया है तथा इसी वर्ष भू जोतो की कुल सख्या लगभग 47 5 लाख रही है जिनके अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल लगभग 2 करोड 6 लाख हैक्टेयर समाया हुआ है।

शुष्क प्रदेश में सिचाई का महत्व – राजस्थान से शुष्क प्रदेश (and

---

1 Some Facts About Rajasthan 1992, p.39

* फसल की गहनता सकल कषित क्षेत्र (Gross cropped area)/ शुद्ध कषित क्षेत्र (Net cropped area)

region) मे पानी की सुविधा का महत्व इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि बीकानेर व गंगानगर जिले मे मुख्य अन्तर यही है कि गंगानगर जिले को गंगनहर से सिचाई की सुविधा मिली हुई है। 1988 89 मे बीकानेर जिले का कुल रिपोर्टिंग भौगोलिक क्षेत्र (27 4 लाख हक्टेयर) गंगानगर जिले के (20 6 लाख हेक्टेयर) मे ज्यादा होते हुए भी कृषि क्षेत्र उससे कम था। कृषि योग्य बजर भूमि बीकानेर जिले म 11 लाख हेक्टेयर थी जबकि गंगानगर जिले मे लगभग 77 हजार हैक्टेयर ही था। गंगानगर जिले मे लगभग 25 किस्म की फसल बोई जाती है जबकि बीकानेर मे केवल 5 या 6 तरह की पशुपालन भी गंगानगर जिले में ज्यादा उन्नत है। वहाँ कपास, गन्ना तिलहन गहू, चावल आदि की फसले उत्पन्न की जाती है।

(आ) सिंचित क्षेत्र राजस्थान म नहरो तालाबो व कुओ आदि साधनो की सहायता से सिचाई की जाती है। विभिन्न स्रोतो के अनुसार सकल सिंचित क्षेत्र (gross irrigated area)1951 52 मे 11 7 लाख हेक्टेयर था जो 1990 91 मे 46 5 लाख हक्टेयर हो गया । 1989 90 मे यह लगभग 44 6 लाख हेक्टेयर रहा था। विभिन्न स्रोतो द्वारा सिंचित क्षेत्रफल निम्न तालिका में दिखाया गया है।

विभिन्न साधनो द्वारा सिंचित क्षेत्र [1]

(लाख हक्टेयर म)

वर्ष	नहरें	तालाब	कुए नलकूप व अन्य साधन	योग
1951 52	2 2	0 8	7 0	10 0
1990 91	17 7	2 0	26 8	46 5

तालिका मे यह पता चलता है कि 1990 91मे नहरो की सिचाई 1951 52 की तुलना मे लगभग 8 गुना हो गई। लेकिन राज्य मे आज भी सिचाई के साधनो मे कुआ व ट्यूबवेल का सर्वाधिक स्थान है जो 1990 91 मे लगभग 26 6 लाख हक्टेयर रहा।

1951 52 म सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल का 12% था जो बढकर 1970 71 म 14 7% तथा 1990 91 म लगभग 24% हो गया । इस प्रकार योजनाकाल में राज्य मे सिचाई के साधनो का काफी विस्तार हुआ है और **सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल का 12% से बढकर 24% हो गया है जो प्रतिशत की दृष्टि से दुगुना है।**

---

1 Some Facts About Rajasthan 1992 p 40 (1990-91 के लिए)

राज्य में अधिक मात्रा मे सिंचित फसलो मे गन्ना, कपास जौ व गेहू का स्थान आता है और ज्वार, बाजरा व मूगफली का स्थान काफी कम सिंचित फसलो मे आता है। राज्य मे सिचाई के विकास की काफी सम्भावनाएँ विद्यमान है। इसके लिए सिचाई के क्षेत्र मे भारी मात्रा मे पूँजी लगाने की आवश्यकता है। 1990 91मे खाद्यान्नो की फसलो मे 22 9 लाख हैक्टेयर मे सिचाई की गई जो कुल सिंचित क्षेत्रफल 46 5 लाख हैक्टेयर का 49 3% था। अत लगभग आधी सिचाई की सुविधा खाद्यान्नो की फसलो को प्राप्त है।

पिछले वर्षों मे राज्य मे शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल (net irrigated area) बढा है। 1990 91 मे शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 39 0 लाख हैक्टेयर हो गया है। इस प्रकार 1990 91 मे शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 39 लाख हैक्टेयर व सकल सिंचित क्षेत्रफल 46 5 लाख हैक्टेयर रहा। इसका अर्थ यह हुआ कि 7 5 लाख हैक्टेयर भूमि मे एक से अधिक बार सिचाई की गई।

$$\frac{\text{सकल सिंचित क्षेत्रफल}}{\text{शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल}} = \text{सिचाई की गहनता (irrigation intensity)}$$

कहलाती है । जो 1990 91 के लिए $\frac{46\ 5}{39\ 0}$ =1 19 रही। 1989 90 मे यह 1 23 रही थी।

यह 1977-78 मे $\frac{31\ 7}{27\ 6}$ = 1 15 रही थी। इसको भविष्य मे और बढाने की आवश्यकता है। इसके लिए सकल सिंचित क्षेत्रफल को बढाने के लिए एक से अधिक बार का सिचाई का क्षेत्र बढाना होगा ।

राजस्थान में फसलो का ढाँचा या प्रारूप
(Cropping Pattern in Rajasthan)

राजस्थान मे खाद्यान्नो की फसलो मे अनाज मे बाजरा, ज्वार, गेहूँ, मक्का, जौ, मोटे अनाज व चावल एव दालो मे चना तुर, अन्य रबी की दाले व अन्य खरीफ की दाले शामिल है एव गैर-खाद्यान्नों की फसलो मे तिलहन मे राई व सरसो, अलसी मूगफली व अरण्डी एव अन्य मे कपास, तम्बाकू, सन गन्ना हल्दी धनिया, मिर्च आलू, अदरक अफीम व ग्वार आदि शामिल हैं।

निम्न तालिका मे प्रथम योजना की अवधि की औसत स्थिति (average position) तथा 1990 91 वर्ष के लिए राजस्थान मे फसलो के ढाँचे का विवरण

जाने लगी है। पिछले दशक मे इसका क्षेत्रफल काफी बढा है।

(3) मोटे अनाजों व दालो के क्षेत्रफल की कमी को कपास, ग्वार, चारा, फल-सब्जी व मसालो के क्षेत्र मे वृद्धि करके पूरा किया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि 1990-91 मे 65 प्रतिशत क्षेत्रफल खाद्यान्नो की फसलों (अनाज व दालो) के अन्तर्गत था और शेष 35 प्रतिशत गैर-खाद्यान्नो की फसलों के अन्तर्गत था । आजकल राज्य में कुल कृषिगत क्षेत्र के 46% भाग पर अनाज बोया जाता है और लगभग 19% भाग पर दाले बोयी जाती है। इस प्रकार 2/3 क्षेत्रफल खाद्यान्नो की फसलो के अन्तर्गत आता है। स्मरण रहे कि राज्य के लगभग 1/4 क्षेत्रफल में अकेले बाजरे की खेती की जाती है। राज्य मे तिलहन, गन्ना व कपास की पैदावार होने से इनसे सम्बन्धित उद्योगों (तेल उद्योग, चीनी व गुड उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग) का विकास किया जा सकता है। मसालो मे लाल मिर्च, जीरा धनिया व हल्दी के उत्पादन का भी काफी महत्त्व है। इनके उत्पादन से कृषको को अच्छी आय होती है। राज्य मे ग्वार, तम्बाकू, अफीम आदि की भी पैदावार होती है।

1952 53 मे खाद्यान्नो के अन्तर्गत कुल कृषिगत क्षेत्रफल का लगभग 91 6 प्रतिशत तथा गैर-खाद्यान्नो मे 8 4% था। 1990 91 मे ये प्रतिशत क्रमश लगभग 65 व 3[illegible] हो गये है। **इस प्रकार 1952-53 से 1990-91 के 38 वर्षों की अवधि [illegible] के ढाँचे मे काफी परिवर्तन हुआ है। खाद्यान्नो के अन्तर्गत [illegible] प्रतिशत घटा है और गैर-खाद्यान्नो में यह बढ़ा है।**

[illegible] योजना की अवधि के औसत फसल प्रारूप की तुलना सा[illegible] योजना [illegible] अवधि के औसत फसल-प्रारूप से करे तो निम्न परिणाम सामने आ[illegible][1]

फसले	प्रथम योजना (औसत)	सातवीं योजना (औसत)
अनाज	58 0	51 7
दाले	21 7	17 2
तिलहन	6 4	11 9
ग्वार व अन्य	12 2	17 1*
क[illegible]	1 7	2 1
	100 0	100 0

1 Growth of Agriculture in Rajasthan (A Graphical Presentation) Directorate of Agriculture Jaipur November 1991 p 8

* इसमें ग्वार का अश 10% व अन्य का 7 1% था

उपर्युक्त तालिका मे भी पता चलता है कि प्रथम योजना की अवधि में खाद्यान्नो (अनाज + दालों) मे क्षेत्रफल 80% से घटकर सातवीं योजनावधि में 69 0% हो गया। तिलहन का क्षेत्रफल 6 4% से बढकर 11 9% हो गया। कपास मे यह मामूली बढा (प्रतिशत की दृष्टि से)। गन्ने का क्षेत्रफल लगभग 0 1% रहा था। कुल मिलाकर प्रमुख निष्कर्ष यही निकलता है कि क्षेत्रफल खाद्यान्नो मे प्रतिशत के रूप मे घटा तथा तिलहन म काफी बढा।

प्रमुख फसले (Major Crops)

राजस्थान मे फसलो के अन्तगत क्षेत्रफल मे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान बाजरा, गेहूँ, मक्का जौ ज्वार, दाल, तिल मूगफली व कपास का है। लेकिन क्षेत्रफल मे प्रतिवर्ष मौसमी परिवतनो के कारण काफी उतार चढाव आते रहते है। राजस्थान मे प्रति हैक्टेयर उपज बहुत कम है। प्रमुख फसलो का सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है

1 गेहूँ- राजस्थान गेहूँ का उत्पादन करने की दृष्टि से भारत मे पाचवाँ सबसे बडा राज्य है। विशेष रूप मे गगानगर भरतपुर कोटा अलवर व चित्तौड़गढ जिलो मे गेहूँ की खेती की जाती है। सबसे ज्यादा गेहूँ का उत्पादन गगानगर जिले में होता है। 1988 89 मे राज्य म लगभग 9 4% कृषित भूमि पर गहूँ बोया गया था और अनाज के कुल उत्पादन म लगभग 44% अश गेहूँ का था। गेहूँ रबी की फसल है। 1989-90 मे गेहूँ का उत्पादन 34 लाख टन, 1990 91 मे 43 1 लाख टन तथा 1991-92 मे 44 8 लाख टन हुआ। 1987 88 मे 29.1 लाख टन ही हुआ था।[1] गेहूँ का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 1988 89 म 2240 किलोग्राम तथा 1989 90 मे 2060 किलोग्राम रहा जो पिछले वर्ष से कम था।[2] राज्य में गेहूँ की सोना कल्याण, मैक्सिकन, सोना, कोहिनूर आदि विकसित किस्में बोयी जाती है जो कम सिचाई के क्षेत्रा म भी काफी फसल देती हैं।

2 चना- उत्तर प्रदेश के बाद चना उत्पादन करने मे राजस्थान का स्थान आता है। इसके प्रमुख जिले गगानगर, अलवर, भरतपुर जयपुर व सवाईमाधोपुर हैं। सबसे ज्यादा चने का उत्पादन गगानगर जिले मे होता है। राज्य का 3/4 चना इन्हीं जिलो मे उत्पन्न किया जाता है। 1988 89 म चने का उत्पादन 9 7 लाख टन हुआ था जबकि इसके पिछले वर्ष 1987 88 म 4 1 लाख टन ही हुआ था

---

1 Economic survey 1992 93 P S 20 and Fifteen Years of Agricultural Statistics Raj 1974 75 to 1988 89 (DES Jaipur) p 25

2 Districtwise Trends of Agricultural Production Department of Agriculture Raj Jaipur April 1991 p 369

जो बहुत कम था। 1989 90 मे चने का उत्पादन घटकर 7 1 लाख टन पर आ गया। 1985 86 मे चने का रिकार्ड उत्पादन 16 2 लाख टन हुआ था। यह रबी की दालो की श्रेणी मे आता है। 1988 89 मे दालो के उत्पादन मे चने का स्थान 60% था।

3 बाजरा बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का भारत मे प्रथम स्थान आता है। देश मे कुल बाजरे के उत्पादन का लगभग 1/5 अश राजस्थान में होता है। बाडमेर, जालौर, जोधपुर, जयपुर व नागौर जिलो मे राज्य का अधिकाश बाजरा उत्पन्न होता है। 1985 86 मे बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर जिले मे हुआ था। राज्य में बाजरे का उत्पादन काफी घटता बढता रहता है। 1988 89 मे बाजरे का उत्पादन 26 9 लाख टन हुआ था जबकि पिछले वर्ष 1987 88 मे केवल 4 6 लाख टन ही हुआ था। 1989 90 मे बाजरे का उत्पादन 18 3 लाख टन हुआ जो पिछले वर्ष मे कम था। बाजरे की प्रति हैक्टेयर उपज 1988 89 मे 472 किलोग्राम रहा जबकि 1987 88 मे 130 किलोग्राम ही रही थी। 1989 90 मे यह 371 किलोग्राम रही। इस प्रकार इसमे काफी उतार चढाव आते रहते है।

4 जौ (Barley) उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का स्थान जौ उत्पन्न करने वाले राज्यो में आता है। देश का चौथाया जौ राजस्थान मे पैदा होता है। यह जयपुर, उदयपुर, अलवर, टोक व भीलवाडा मे उत्पन्न होता है। आजकल नई किस्मो का प्रचलन भी हो गया है जैसे ज्योति, आर०एस० 6 आदि । 1988 89 म जौ का उत्पादन 4 1 लाख टन हुआ जबकि 1987 88 मे 3 7 लाख टन हुआ था। जौ का उत्पादन भी काफी घटता बढता रहता है। 1989 90 मे जौ का उत्पादन 3 4 लाख टन हुआ था।

5 मक्का (Maize) देश मे कुल मक्का की पैदावार का 1/8 अश राजस्थान मे होता है। यह उदयपुर, चित्तौडगढ भीलवाडा व बासवाडा मे पैदा की जाती है। 1985 86 मे मक्के की सर्वाधिक पैदावार चित्तौडगढ जिले मे हुयी। 1988 89 मे मक्के का उत्पादन 12 2 लाख टन हुआ जबकि पिछले वर्ष 1987 88 में केवल 3 लाख टन ही हुआ था। 1989 90 मे मक्के का उत्पादन 13 1 लाख टन हुआ जो सातवीं योजनावधि मे सर्वाधिक था।

6 सरसो राई व तिल राज्य मे सरसो व राई का उत्पादन उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा होता है। पहले सरसो अलवर, भरतपुर, जयपुर तथा श्री गगानगर जिलो मे पैदा होती थी। लेकिन अब कृषि विस्तार कार्यक्रमो के फलस्वरूप यह कोटा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौडगढ कोटा व बूदी जिला मे भी होने लगी है। 1988 89 मे सरसो व राई (rape and mustard) का उत्पादन 13 5 लाख टन हुआ जबकि 1987 88 मे 9 3 लाख टन हुआ था। 1989 90 में यह यह 12 8 लाख टन हुआ । तिल के उत्पादन मे राज्य का स्थान उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बाद आता है। पाली जिले मे भी काफी तिल पैदा होता है। 1988 89

मे तिल का उत्पादन 61642 (लगभग 62 हजार) टन हुआ जबकि 1987 88 के केवल 9313 (लगभग 9 हजार टन) टन ही रहा था। जो बहुत नीचा था। 1989 90 मे तिल का उत्पादन 126 हजार टन तक पहुँच गया जो सर्वाधिक था। राज्य मे अलसी, अरण्डी, तारामीरा सोयाबीन आदि का भी उत्पादन होता है। 1988 89 मे सोयाबीन का उत्पादन 1 23 लाख टन हुआ जो पिछले वर्ष का दुगुना था। 1989 90 मे सोयाबीन का उत्पादन बढकर 1 35 लाख टन तक पहुँच गया। राज्य मे तिलहन का उत्पादन हाल के वर्षों मे काफी बढा है। यह 1986 87 मे 8 8 लाख टन हुआ था जो 1988 89 मे बढकर 19 1 लाख टन हो गया। 1989 90 मे यह 23 6 लाख टन व 1990 91 मे 27 लाख टन रहा। राज्य मे तिलहन का उत्पादन 1991 92 मे और बढा है।[1] इस प्रकार राज्य तिलहन के उत्पादन मे अग्रणी हो गया है। राजस्थान मे भारत के तिलहन उत्पादन का लगभग 1/8 अश होने लगा है। राज्य मे ज्यादा पैदावार रबी के तिलहनो की होती है। तिलहन में टेक्नोलोजी मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से विशेष सहायता मिली है।

7. गन्ना राजस्थान मे गन्ने का उत्पादन अधिक नहीं होता है। 1990 91 मे गन्ने का उत्पादन लगभग 13 6 लाख टन हुआ था जो पिछले वर्ष से अधिक था। गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन बूदी जिले मे होता है। अन्य जिले उदयपुर, चित्तौडगढ व गगानगर हैं। 1991 92 मे गन्ने का उत्पादन 13 6 लाख टन हुआ है जो 1990-91 के 12 लाख टन के उत्पादन से थोडा अधिक है।

8 कपास- कपास की बुवाई का काम मई जून के महीनो मे किया जाता है। पौधे उग जाने के बाद चार-पाँच बार सिचाई की आवश्यकता होती हैं। सितम्बर-अक्टूबर तक इन पौधो मे कपास के फूल निकल आते है। इन फूलो से कपास के लिए सस्ते मजदूरो की आवश्यकता होती है।

1986 87 मे राजस्थान मे कपास का उत्पादन लगभग 7 लाख गाँठे हुआ था जो 1987-88 में घटकर 2 2 लाख गाँठो पर आ गया (प्रति गाठ वजन = 170 किलोग्राम)। 1988 89 मे कपास का उत्पादन 6 लाख गाठे 1989 90 मे 9 2 लाख गाठें तथा 1990-91 मे 8 5 लाख गाठे (सशोधित) आका गया है। 1991 92 के लिए 10 लाख गाठे प्रत्याशित है। इसका सर्वाधिक उत्पादन गगानगर जिले में होता है। यह मुख्यत तीन प्रकार की होती है। देशी कपास मुख्यत उदयपुर, चित्तौडगढ और बासवाडा मे बोई जाती है। अमेरिकन कपास मुख्यत गगानगर जिले मे बोई जाती है। इस कपास का रेशा लम्बा होता है और

---

1 Some Facts About Rajasthan 1992, p 43 (1989 90 व 1990-91 के उत्पादन के लिए)

यह अच्छे क़िस्म के सूती कपडे बनाने मे काम आती है। तीसरे प्रकार की मालवी कपास होती है जिसे कोटा बूदी झालावाड और टोक जिलो मे बोया जाता है। कपास का सबसे अधिक उत्पादन गगानगर जिले मे होता है जहाँ नहरी सिचाई की सुविधाएँ पायी जाती हैं।

9 विविध प्रकार की फसलें – राज्य की अन्य पैदावारों मे ग्वार (1989 90 मे 5 5 लाख टन) धनिया (corıander) (1989 90 में 72754 टन) सूखी लाल मिर्च आलू तम्बाकू मेथी जीरा (Cumın), आदि आते हैं।

खाद्यान्नों का उत्पादन राजस्थान में खाद्यान्नों के उत्पादन मे भारी उतार चढ़ाव आते रहते है। राज्य मे 1950-51 मे खाद्यान्नों का उत्पादन 30 लाख टन हुआ था जो बढ़कर 1960 61 मे 45 5 लाख टन तथा 1965 66 में घटकर 38 4 लाख टन पर आ गया था। 1970 71 मे यह 88 4 लाख टन तक पहुच गया जो 1974 75 में घटकर 49 8 लाख टन पर आ गया था। उसके बाद के वर्षों मे भी उत्पादन मे भारी उतार चढाव आते रहे हैं। 1983 84 में राजस्थान मे खाद्यान्नो का उत्पादन पहली बार एक करोड टन को पार कर गया था। उसके बाद के वर्षों की स्थिति निम्न तालिका मे दर्शायी गयी है

1983 84 से 1991 92 तक खाद्यान्नों का उत्पादन [1]

वर्ष	(लाख टन में)
1983 84	100 8
1984 85	67 9
1985 86	81 3
1986 87	67 9
1987 88	47 8
1988 89	106 6
1989 90	85 3
1990 91	109 3
1991 92 (प्रारम्भिक)	79 5

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1983 84 मे खाद्यान्नो का उत्पादन पहली बार 1 करोड टन की सीमा को पार कर गया था जो बाद मे इससे नीचे घूमता

1 Rajashtan Budget Study 1992 93 p 108 तथा Ecomonic Survey 1992 93 p S 20

रहा और 1987 88 के अभूतपूव सूखे व अकाल के कारण लगभग 43 लाख टन पर आ गया था। लेकिन 1988 89 मे यह पुन बढ़कर 1 करोड 7 लाख टन हो गया। 1989 90 मे यह 85 3 लाख टन तथ 1990 91 मे 1 करोड 9 3 लाख टन रहा। 1991 92 मे यह पुन घटकर 79 5 लाख टन पर आ गया। इस प्रकार राजस्थान मे खाद्यान्नो का उत्पादन बहुत अस्थिर रहता है। सखी खेती की विधियो को अपना कर इसमे स्थिरता लाने की आवश्यकता है। 1990 91 मे राजस्थान मे खाद्यान्नो का उत्पादन 109 3 लाख टन हुआ था जो समस्त भारत के उत्पादन का लगभग 6 2% था। 1991 92 मे यह लगभग 4 8% ही रहा।

राजस्थान में पशु पालन (Animal Husbandry)

राजस्थान पशु सम्पदा मे सम्पन्न राज्य है। पशुधन की राज्य की अर्थव्यवस्था मे महत्वपूर्ण भूमिका है। शुष्क एव अर्द्धशुष्क क्षेत्रो में लगातार सूखे व अकाल की दशाओं के कारण जीवन यापन मे पशुधन का विशेष महत्व प्राप्त होता है।

पशु पालन से राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पति मे 15% से अधिक का योगदान प्राप्त होता है। अन्य सूचक जो भारतीय सदर्भ म राजस्थान के पशुधन को महत्ता को दर्शाते हैं इस प्रकार हैं

(i) राजस्थान मे देश के कुल उत्पादन का अश 10% से अधिक।

(ii) राज्य के पशुओं द्वारा भार वहन शक्ति (draft power) 35%

(iii) भेड के मास मे राजस्थान का भारत में अश 30%

(iv) ऊन में राजस्थान का भारत मे अश 40%

राजस्थान मे दूध व दूध से बने पदार्थ, ऊन, मास, चमडा आदि उद्योगों का आधार पशुधन है। राज्य मे पशुधन मे काफी वृद्धि होती रही है। यह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है -

वर्ष	पशुधन (सख्या लाखों मे)
1951	255 2
1961	335 1
1972	388 8
1977	413 6
1983	496 5
1988	409 2

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1988 मे 1983 की तुलना में पशुओ की सख्या में गिरावट आयी है। बार बार पडने वाले सूखे की दशाओ ने राज्य के पशुधन को भारी क्षति पहुँचाई है। 1983 88 की अवधि मे कई बार भयंकर

सूखे पड़े है। 1987 88 का सूखा भीषणतम रहा है। परिणामस्वरूप इस अवधि मे गौवश के पशुओ की सख्या मे 19 2% बकरियो की सख्या मे 18 7% तथा भेडो की सख्या मे 26 2% की भारी गिरावट आई थी। इसी अवधि मे ऊँटों की सख्या मे भी 4 6% की कमी हुई लेकिन भैस जाति के पशुओं मे 4.9% की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर 1983 मे पशुओ की सख्या 4 97 करोड से घटकर 1988 मे 4 09 करोड रह गई जो वास्तव मे एक भारी क्षति की सूचक है। 1983 म प्रति हैक्टेयर पशु भार (animal load) 1 45 से घटकर 1988 मे 1 17 हो गया। राज्य मे कुल पशुधन में भेड बकरी की सख्या 50 प्रतिशत से अधिक पायी जाती है।[1]

जैसा कि पहले प्राकृतिक साधनों के विवेचन मे बतलाया जा चुका है राजस्थान मे गौ वश के पशुओ (Cattle) मे गिर, राठी व थारपारकर नस्लें दूध के उत्पादन की दृष्टि से नागौरी व मालवी बैल की दृष्टि से तथा हरियाणा व काकरेज नस्ल दोनो दृष्टियो से (उत्तम बैल व अधिक मात्रा मे दूध) महत्व रखती है। इनमे सम्बन्धित प्रमुख जिले व स्थान इस प्रकार हैं

गिर- अजमेर, किशनगढ (तहसील) चित्तौड़गढ भीलवाड़ा बूँदी।

राठी गंगानगर, बीकानेर, तथा जैसलमेर के कुछ भाग।

थारपारकर- बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर व बाडमेर जिलों के कुछ भाग।

नागौरी- नागौर तथा पास के क्षेत्र।

मालवी- डूगरपुर बासवाडा व झालावाड मध्य प्रदेश की सीमा से लगे जिले।

हरियाणा- चूरू, झुन्झुनू, सीकर जिले।

काकरेज ये साचोर की श्रेणी मे भी आते है। जालौर, सिरोही पाली तथा बाडमेर के कुछ भागों मे पाये जाते हैं।

राज्य मे भैंस की मुर्रा (murrah) नस्ल दूध के उत्पादन की दृष्टि से महत्व रखती है। इनके प्रमुख जिले जयपुर, उदयपुर, अलवर व गगानगर हैं। राजस्थान मे 1989 90 मे 42 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था जिसको 1994 95 तक 52 लाख टन करने का लक्ष्य है। पशु नस्ल मे सुधार करके इस लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव है।

भेड़-पालन

राज्य मे 1983 मे भेडो की सख्या 1 34 करोड थी जो 1988 मे घटकर 99 3 लाख ही रह गई। इस प्रकार इनकी सख्या मे 26% की गिरावट आयी।

1 Eighth Five Year Plan, 1992 97 March 1993 p 98

1988 मे राजस्थान मे देश की कुल भेडो का 33% से अधिक अश था। ये कठोर पर्यावरण को भी सहन कर सकती है इसलिए शुष्क व अर्द्धशुष्क क्षेत्रो मे फसल उत्पादन से भी भेड-पालन ज्यादा लाभकारी व्यवसाय माना जाता है। ये राज्य की जलवायु व आर्थिक दशाओ के अधिक अनुकूल मानी जाती है। राज्य की बहुआयामी अर्थव्यवस्था मे इनका स्थान काफी ऊपर आता है। लगभग 2 लाख व्यक्ति भेड-पालन मे लगे है और 15 20 लाख व्यक्ति भेड व इनके उत्पादो पर अपना जीवन-यापन करते है।

राज्य मे भेडो की आठ नस्ले पायी जाती हे-चोकला, मगरा, नाली, पूगल, जैसलमेरी मारवाडी मालपुरा व सोनाडी। चोकला भेड का ऊन मध्यम फाइन किस्म का होता है। मगरा का ऊन मध्यम श्रेणी का होता है जो गलीचा बनाने मे उसकी चमक मजबूती आदि के लिए पसद किया जाता है। मारवाडी का ऊन मध्यम व मोटी किस्म का होने के कारण गलीचा बनाने मे उपयुक्त रहता है। सूखा प्रभावित व मरु क्षेत्रो मे कमजोर वर्ग के व्यक्तियो के लिए भेड पालन रोजगार का महत्त्वपूर्ण साधन माना जाता है। अन्य भागो मे यह सहायक धधे के रूप मे अपनाया जाता है। राज्य से लाखो भेडे अन्य राज्यो व विदेशो को भेजी जाती है। इनमे प्रमुख किस्म की भेडो के क्षेत्र इस प्रकार है

चोकला- सीकर, झुन्झुनूँ (शेखावाटी क्षेत्र)।

मगरा- बाडमेर व जैसलमेर जिले।

नाली- राज्य के उत्तर पश्चिम मे बीकानेर, गगानगर, आदि मे।

पूगल- बीकानेर, जैसलमेर व नागौर के कुछ भागो मे।

जैसलमेरी- जैसलमेर जिले मे।

मारवाडी- जोधपुर, पाली नागौर व बाडमेर जिलो मे आधी भेडे इसी नस्ल की हे।

मालपुरा- जयपुर व आस-पास के क्षेत्रो मे।

सोनाड़ी- ये राज्य के दक्षिण-पूर्व मे टोक, बूदी, कोटा व झालावाड क्षेत्रो मे पायी जाती हे।

बकरी की नस्ले- राज्य मे 1988 मे बकरी-जाति के पशुओ की सख्या 1 26 करोड थी जो 1983 की तुलना मे 18 7% कम थी। बकरियो की नस्लो मे जमनापुरी बरबारी सिरोही लोही व मारवाडी उल्लेखनीय है। इनका दूध, मास व बाल आर्थिक दृष्टि से महत्व रखते है।

पशु-पालन का शुष्क व अर्द्ध-शुष्क (arid and semi-arid zones) मे महत्व -

राज्य मे अरावली पर्वतमाला के पश्चिम मे (राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग) मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। इसमे 11 जिले हैं जिनमे राज्य के कुल क्षेत्रफल

का 61% भाग आता है। इसके छ जिले- गगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, जोधपुर व बाडमेर है, जिनमें राज्य का 45% क्षेत्रफल समाया हुआ है, और इनमें वर्षा औसतन 20 से 35 सेमी० ही होती है। यह शुष्क प्रदेश (and zone) कहलाता है हालांकि इसके गगानगर जिले मे सघन सिचाई होती है फिर भी यह शुष्क पश्चिमी क्षेत्र मे ही आता है। जैसलमेर जिले मे वर्षा का औसत 10 सेमी० से भी कम है। शेष 5 जिलो का क्षेत्रफल 16% है जिसमे झुन्झुनूँ, सीकर, नागौर, पाली व जालौर जिले आते है। इनमे व्रर्षा सामान्यत 35 से 50 सेमी० के बीच होती है। यह अर्द्ध शुष्क प्रदेश (semi and zone) कहलाता है।

इन 11 जिलो की जो मरु जिले (शुष्क व अर्द्ध शुष्क जिलो सहित) कहलाते हैं प्राकृतिक विशेषताएँ इस प्रकार है कम व अनिश्चित वर्षा बालू के टीले, धूलभरी आँधियाँ, गर्मी व सर्दी के तापकम में भारी अतर, भू क्षरण व मिट्टी का कटाव (बालू का उडकर अन्य स्थानो मे जाना) जल सतह काफी नीचे जा रहा है कई स्थानो पर खारा पानी (brakish water), कठोरजीवन भूतल व सतह के जल का अभाव बार बार सूखा व अकाल पहुँचने मे दिक्कतें लम्बी दूरियाँ व ऊँचा वाष्पायन (high evaporation) व जीवन के प्रत्येक कदम पर भारी चुनौतियाँ।

राज्य के शुष्क व अर्द्ध शुष्क प्रदेशो मे निम्न कारणों से पशु-पालन का विशेष महत्व है -

(1) बीकानेर व जैसलमेर जिलो मे शुद्ध कृषित क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का बहुत कम अश है। इसलिए इनमें पशुपालन स्वतत्र रूप मे विकसित हुआ है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। बीकानेर मे शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 1988 89 मे 34% (1/3) था तथा जैसलमेर मे तो यह मात्र 6% ही था। इसलिए कृषि कार्यो के अभाव मे पशु पालन का महत्व बढ जाता है। इन जिलो मे बजर भूमि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि व परती भूमि का कुल रिपोटिंग क्षेत्रफल मे अश काफी ऊँचा पाया जाता है । दूसरे शब्दो मे व्यर्थ भूमि (Waste land) का अनुपात ऊँचा पाया जाता है। इससे पशु पालन के माध्यम से जीवकोपार्जन के साधन प्राप्त हो जाते है।

(2) राज्य के पश्चिमी भाग मे बाजरा ग्वार आदि मुख्य फसलो की औसत उपज कम होती हे। लकिन इन फसलो के चारे का मूल्य ऊँचा होता है और वह अधिक सख्या मे पशुओ का भरण पोषण कर सकता है। इसलिए इन क्षेत्रों मे पशु पालन लाभकारी माना जाता हे।

(3) पशु पालन मे ऊँची आमदनी व रोजगार की सम्भावनाएँ निहित हैं। पशुओं की उत्पादकता को बढाकर आमदनी मे वृद्धि की जा सकती

है। राज्य के शुष्क व अर्द्ध शुष्क भागो मे कुछ परिवार काफी सख्या मे पशु-पालन करते है ओर इनका यह कार्य वश-परम्परागत ढग से चलता आया है। इन क्षेत्रो मे शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का ऊँचा अश पशु पालन से सृजित होता है। इसलिए मरु अर्थव्यवस्था (desert economy) मूलत पशु-आधारित है।

(4) जैसा कि पहले कहा गया है कि शुष्क व अर्द्ध शुष्क प्रदेशो मे पशु पालन का कार्य कृषि से भी उत्तम माना जाता है क्योंकि इसमे स्थिरता (stability) का विशेष गुण पाया जाता है।

(5) निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम मे भी पशु पालन की महत्ता स्वीकार की गई है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम मे गरीब परिवारो को दुधारू पशु देकर उनकी आमदनी बढायी जा सकती है। लेकिन इसके लिए चारे व पानी की उचित व्यवस्था करनी होगी तथा लाभान्वित परिवारो को बिक्री की सुविधाये भी प्रदान करनी होगी।

(6) राज्य के अन्य भागो मे भी पशु पालन कृषि के साथ किया जा सकता है। अत आजकल मिश्रित खेती (mixed farming) मे कृषि व पशु पालन दोनो पर एक साथ जोर दिया जाता है। इससे अल्परोजगार (under employment) की समस्या भी कुछ सीमा तक हल होती है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान के शुष्क व अर्द्ध शुष्क क्षेत्रो मे आर्थिक व जलवायु सम्बन्धी कारणो से पशु पालन का महत्व सदैव रहा है। इन क्षेत्रो के लिए भेड बकरी पालन का महत्व रोजगार व आमदनी के साथ साथ पारिवारिक पोषण के स्तर को ऊँचा करने की दृष्टि मे भी माना गया है। भविष्य मे भी पशु-पालन पर पर्याप्त ध्यान देकर राज्य की अर्थव्यवस्था मे इनका योगदान बढाया जा सकता है। वर्तमान समय मे भी राज्य के कुल दूध उत्पादन का काफी ऊँचा अश राज्य के बाहर के लिए उपलब्ध होता है। भविष्य मे इसकी मात्रा बढायी जा सकती है।

प्रश्न

1 राजस्थान में भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया गया है? इसके प्रारूप मे योजनावधि मे किस दिशा मे परिवर्तन हुए हैं? क्या ये परिवर्तन अनुकूल दिशा मे हुए हैं।

2 राजस्थान मे फसलो का वर्तमान प्रारूप क्या है? अनाज दाला तिलहन आदि मुख्य फसलो के क्षेत्रफल मे हुए परिवर्तन स्पष्ट कीजिए?

राजस्थान मे मुख्य फसले कौन कौन सी हैं? उनके उत्पादन की प्रवतियो का विवेचन कीजिए।

राज्य के शुष्क व अर्द्ध शुष्क क्षेत्र कौन कौन से है? इनमे पशुपालन का महत्व समझाइए। क्या इनमे पशुपालन कृषिगत कार्य से अधिक लाभकारी माना जाता है? स्पष्ट कीजिए।

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

(i) राजस्थान मे तिलहन की पैदावार,

(ii) राज्य मे सकल कृषित क्षेत्रफल,

(iii) राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसले

(iv) राजस्थान मे भेड पालन का महत्व

(v) राज्य मे खाद्यान्न व गैर खाद्यान्न फसलें।

(vi) राजस्थान मे पशुपालन। (Ajmer Iyr 1992)

राजस्थान मे भूमि उपयोग, फसल चक्र (cropping pattern) एव मुख्य कृषि उपजो का उल्लेख करे।

(Ajmer Iyr 1992)

राजस्थान मे अपनाई गई कृषि व्यूहरचना की विवेचना करे एव इसकी उपलब्धियों का मूल्याकन करे।

(Ajmer Iyr 1992)

राजस्थान मे उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्य एव अखाद्य फसलो का वर्णन कीजिए।

(Ajmer II yr 1992)

6

उद्योग
(Industries)

सन 1949 के पुनगठन के पूर्व राजस्थान मे छोटे छोटे कई राज्य थे जिनमे बिजली पानी व यातयात के माधनो के अभाव के कारण बडे पैमाने के आधुनिक उद्योग का विकास करना सम्भव नही था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राज्य मे केवल सात सूती वस्त्र मिले दो सीमेण्ट की फैक्टिया व दो चीनी की मिले थी। *आज भी राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से एक पिछडा हुआ राज्य माना जाता है।*

1988 89 मे पजीकृत फक्टियो की सख्या कर्मचारियो की सख्या, उत्पादन के मूल्य विनियोजित पूजी की मात्रा विनियोग द्वारा जोडे गये शुद्ध मूल्य (net *value added by manufacture*)[1] *आदि का 4/5 से अधिक अश देश के* 10 राज्यो महाराष्ट्र, गुजरात तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बगाल मध्य प्रदेश कर्नाटक आध्रप्रदेश व पजाब मे पाया गया था । 1986 87 मे पहली बार शुद्ध जोडे गये मूल्य की दृष्टि से समस्त भारत के फैक्टी क्षेत्र मे राजस्थान का दसवा स्थान आया था । लेकिन 1987 88 व 1988 89 मे यह स्थान पजाब ने ले लिया। सर्वप्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा है । अन्य राज्यो का क्रम ऊपर दिया गया है । राज्य मे 1962 की तुलना मे 1988 89 मे औद्योगिक प्रगति हुई है लेकिन सम्पूर्ण देश की पृष्ठभूमि मे अब भी राजस्थान का पिछडापन निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है ।[2]

---

1 यह उत्पत्ति के मूल्य मे से इन्पुटो का मूल्य (ईधन कच्चा माल आदि) घटाने से प्राप्त राशि के बराबर होता है

2 Annual Survey of Industries (ASI) 1988 89 Summary Results for Factory Sector C S O Dec 1992 pp 101 102 (प्रतिशत निकाले गये है)

राजस्थान का भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था मे स्थान

(प्रतिशत अश)

वर्ष	कुल पजीकृत फैक्ट्रियों का अश	कुल विनियोजित पूँजी का अश	रोजगार का अश	उत्पत्ति के मूल्य का अश	विनिर्माण द्वारा जोड़े गये मूल्य (VAM) का अश
1962	1 6	1 0	1 5	1 1	1 1
1988 89	3 0	3 8	3 0	3 0	2 6

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1988 89 मे भी राजस्थान का भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था मे काफी नीचा स्थान था । इस वर्ष भारत मे पजीकृत फैक्ट्रियों का 3 0% राजस्थान मे था जबकि महाराष्ट्र मे 14 5% था । फैक्ट्री मे रोजगार की दृष्टि से राजस्थान का अश 3% था जबकि माहाराष्ट्र का 15 7% था। विनिमाण द्वारा जोड़े गये शुद्ध मूल्य *(net value added)* में राजस्थान का अश 2 6% था जबकि महाराष्ट्र का 23 7% था । इस प्रकार जोडे गये शुद्ध मूल्य मे भारत मे जहा महाराष्ट्र का अश लगभग 1/4 था वहा राजस्थान का केवल 1/40 था । फैक्ट्री क्षेत्र मे जोडा गया मूल्य राजस्थान मे 1960 61 में समस्त भारत का 1% था जो 1970 71 में 2 1% तथा 1988 89 मे 2 6% हो गया । इस तरह राजस्थान का स्थान औद्योगिक दृष्टि से काफी नीचे आता है। लेकिन जोडे गये मूल्य मे उसकी स्थिति असम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व उडीसा से बेहतर मानी गई है ।

राज्य मे 1951 मे 103 पजीकृत फैक्टिया थीं जिनमे लगभग 18 हजार व्यक्ति काम पाये हुए थे और केवल 9 करोड रुपयो की पूजी लगी हुई थी । 1988 89 मे रिपोर्टिंग फैक्ट्रियो की सख्या 3162 विनियोजित पूजी की राशि लगभग 5092 करोड रुपये, कर्मचारियो की सख्या 2 31 लाख तथा विनिर्माण द्वारा जोडे गये शुद्ध मूल्य की राशि 884 करोड रुपये रही थी । (1987 88 मे यह 700 करोड रु थी)। राजस्थान में लघु इकाइयो मे ज्यादातर, 'अति लघु इकाइया' (सयत्र व मशीनरी मे 25 हजार रुपये तक का विनियोग) पायी गई हैं। आधी से अधिक इकाइया धातु पदार्थों चमडे की वस्तुओ व अधात्विक खनिज पदार्थों के निर्माण मे लगी हुई है ।

सरकार ने पचवर्षीय योजनाओ मे राज्य के औद्योगीकरण के लिए विद्युत सृजन पर काफी बल दिया है । भाखडा व चम्बल परियोजनाओ से विद्युत प्राप्त करने का प्रयास किया गया है । थर्मल व विद्युत सयंत्रो की स्थापना की गई है।

राज्य मे अणु-शक्ति का भी विकास किया गया है । प्रथम योजना के प्रारम्भ मे शक्ति की प्रतिस्थापित क्षमता केवल 13 मेगावाट थी जो 1991 92 मे लगभग 2776 मेगावाट हो गई ।[1] bसी प्रकार पानी की व्यवस्था का भी कई नगरो व गावो मे विस्तार किया गया है । सडको का निर्माण किया गया है और उद्यमकर्ताओ को कई प्रकार की रियायते दी गई है जिनका सम्बन्ध भूमि के आवटन, विद्युत की दरो बिक्री कर, चुगी एव वित्तीय सहायता व पूजी-सब्सिडी आदि से रहा है। इन रियायतो के फलस्वरूप राज्य मे पजीकृत फैक्ट्रियो की सख्या काफी बढी है। 1991 मे सभी प्रकार की पजीकृत फैक्ट्रियो की सख्या 10,792 हो गई थी जिनमे कुल रोजगार 2 60 लाख व्यक्तियो को मिला हुआ था । 1988 मे फैक्ट्रियो की सख्या 10 510 तथा रोजगार की मात्रा 2 35 लाख रही थी । 1990 मे फैक्ट्रियों की सख्या 9,931 हो गई थी । इसमे गिरावट का कारण प्रिटिग प्रेसो की सख्या को शामिल नही करना था ।

1980 में राज्य मे 20 सूती व सिन्थेटिक रेशे की इकाइयाँ 10 ऊनी, 3 चीनी 5 सीमेण्ट 3 मिनी सीमेण्ट की इकाइयाँ, एक टेलीविजन फैक्ट्री, एक टायर व ट्यूब फैक्ट्री 9 वनस्पति तेल की मिले, 20 इजीनियरी की औद्योगिक इकाइयां तथा 5 खनिज-आधारित बडी व मध्यम श्रेणी की इकाइया थी। इनके अलावा केन्द्रीय क्षेत्र मे केवल 7 औद्योगिक इकाइया है जिनके नाम इस प्रकार हैं - हिन्दुस्तान जिक लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि., इन्स्ट्रूमेंटेशन लि हिन्दुस्तान साल्ट्स लि, मार्डन बेकरीज एव राज इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि, 1 मार्च 1990 मे राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र मे समस्त भारत के कुल केन्द्रीय विनियोगो का 1 51 प्रतिशत अश ही पाया गया था जबकि 1980 81 मे यह 1 7 प्रतिशत था । अत यह पहले से भी कम हो गया है।[2]

राजस्थान मे इस समय लगभग 400 बडे एव मध्यम दर्जे के उद्योग लगे हुए हैं । 1991 92 मे उद्योग-विभाग मे पजीकृत लघु पैमाने के उद्योगो व कारीगरो की इकाइयो की सख्या 1 58 लाख थी जिनमे 1002 करोड रुपये का विनियोग किया गया था तथा लगभग 5 94 लाख व्यक्ति काम पाये हुये थे।

राजस्थान मे उद्योगों का कुल राज्यीय घरेलू उत्पत्ति तथा रोजगार में स्थान

(1) उद्योगो का कुल राज्यीय घरेलू उत्पत्ति मे स्थान - आजकल औद्योगिक क्षेत्र की व्यापक परिभाषा मे इसे द्वितीयक क्षेत्र के बराबर माना जाने लगा है। हम इसमे खनन विनिर्माण तथा विद्युत, गैस और जल-पूर्ति शामिल करते

---

1 Some Facts About Rajasthan 1992 Feb 1993 p 60

2 Some Issues for Development paper by Planning Department Govt of Raj February 1992 p 27

हैं हालांकि व्यापक परिभाषा के अनुसार इसमे निर्माण कार्य (Construction) भी शामिल किये जा सकते हैं।

राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में उद्योगो का स्थान (1980 81) के मूल्यो पर निम्न तालिका मे दर्शाया गया है।

(1980 81 के भावो पर) (प्रतिशत मे)

घरेलू उत्पत्ति में योगदान	1980 81	1989 90	1990 91
(i) खनन व पत्थर निकालना	1 96	1 59	1 65
(ii) विनिर्माण (manufacturing)	11 28	11 59	10 25
(अ) पजीकृत	4 92	5 79	4 93
(ब) गैर पजीकृत	6 36	5 80	5 32
(iii) विद्युत गैस तथा जलपूर्ति	0 60	1 29	1 15
कुल	13 84	14 47	13 05

तालिका से स्पष्ट होता है कि औद्योगिक क्षेत्र का राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में 1980-81 मे लगभग 13 8% अश था जो 1989 90 मे बढकर 14 5% हो गया तथा 1990-91 मे घटकर लगभग 13% पर आ गया । अखिल भारतीय स्तर पर यह लगमग 22% आका गया है। इस प्रकार राजस्थान मे उद्योगो का राज्य की आय मे अश समस्त भारत की तुलना मे काफी कम है जिसे भविष्य में बढाने की आवश्यकता है।

उद्योगो मे विनिर्माण (Manufacturing) का अश विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। राजस्थाम मे यह 1990 91 मे 10 25% आका गया है। इसमें पजीकृत क्षेत्र का अश लगभग 4 9% तथा गैर - पजीकृत क्षेत्र का लगभग 5.3% है। इस प्रकार विनिर्माण क्षेत्र का अश आज भी कम है। पजीकृत व गैर पजीकृत दोनों क्षेत्रो का अश कम है। पजीकृत क्षेत्र मे फैक्ट्री क्षेत्र या सगठित क्षेत्र की प्रधानता होती है जबकि गैर पजीकृत क्षेत्र मे ग्रामीण उद्योग दस्तकारिया आदि आते हैं जिनमे कारीगर अपने घरों पर काम करके माल का उत्पादन करते है।

(2) उद्योगों का रोजगार मे स्थान - जैसा कि जनसख्या के अध्याय मे बतलाया गया था 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में विनिर्माण कार्यों में रोजगार का अश मुख्य श्रमिको में 7 4% था जिसमें पारिवारिक उद्योगो मे यह

2% तथा अन्य मे 5 4% था । यह खनन व पत्थर निकालने में 1% तथा विद्युत गैस व जल पूर्ति मे कम श्रमिक कार्यरत हैं। 1981 व 1991 में उद्योगों का रोजगार में स्थान निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है -

(प्रतिशत मे)

		1981	1991
(i)	खनन व पत्थर निकालना	0 7	1 0
(ii)	(अ) घरेलू उद्योग	3 3	2 0
	(ब) घरेलू उद्योग के अलावा अन्य उद्योग	5 0	5 4
	कुल	9 0	8 4

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1981-91 की अवधि मे घरेलू उद्योगो के अलावा अन्य उद्योगो मे रोजगार का अश बढा है तथा घरेलू उद्योगो मे कुछ कम हुआ है । खनन व विनिर्माण कार्य मे श्रम-शक्ति का अश 1991 मे केवल 8 4% रहा है जो पहले से भी कुछ कम है। भविष्य मे राज्य का औद्योगिक विकास करके उद्योगो का रोजगार मे अश बढाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य में खनन-कार्य व लघु उद्योगो तथा बिभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगो का विकास करने की सम्भावनाओ पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। राज्य की खनिज सम्पदा विपुल है। राज्य मे हथकरघा क्षेत्र मे विकास की सम्भावनाएँ है। कई प्रकार की दस्तकारियो को प्रोत्साहन दिया जा सकता हे तथा विद्युत गैस व जलपूर्ति के क्षेत्र मे भी अधिक श्रमिको को काम दिया जा सकता है। ऐसा करने से औद्योगिक रोजगार मे वृद्धि होगी लोगो को आमदनी बढेगी तथा उनके जीवन स्तर मे सुधार आयेगा। गलीचों, चमडे को वस्तुओ हथकरघा की वस्तुओ तथा रत्न-आभूषण आदि के निर्यात से विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकेगी । इस प्रकार राज्य मे औद्योगिक रोजगार का विस्तार किया जाना चाहिए।

राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षण या विशेषताए

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षण इस प्रकार है -

(i) आकार - जैसा कि पहले बतलाया गया है कि समस्त भारत के फैक्ट्री क्षेत्र मे राजस्थान का स्थान काफी नीचा आता है। 1988 89 मे भारत मे कुल रिपोर्टिंग फैक्ट्रियो का 3% अश ही राजस्थान मे था । रोजगार व उत्पत्ति के मूल्य मे राज्य का अश 3% ही था । लेकिन जोडे गये शुद्ध मूल्य मे यह 2 6% रहा था। 1986-87 मे पहली बार जोड़े गये शुद्ध मूल्य की दृष्टि से भारत मे राजस्थान का दसवाँ स्थान आया था, लेकिन 1987-88 व

1988 89 में यह स्थान पजाब ने ले लिया है। इसलिए राजस्थान का स्थान पुन नीचे चला गया है ।

राज्य के आर्थिक व साख्यिकी निदेशालय जयपुर द्वारा भी समय समय पर उद्योगो के वार्षिक सर्वेक्षण के आकडे प्रकाशित किये जाते हैं। इनमे फैक्टी क्षेत्र मे हुई औद्योगिक प्रगति का अनुमान लगया जा सकता है। हालांकि ये आकडे भारत सरकार के केन्द्रीय साख्यिकीय सगठन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित आकडो से थोडे भिन्न होते हैं (पद्धति के अन्तर के कारण) फिर भी इनके माध्यम से हमें कई प्रकार के नये विवरण प्राप्त होते हैं जैसे फैक्ट्रियो का आकार के अनुसार वितरण जिलो के अनुसार वितरण आदि जो अन्यत्र उपलब्ध नही होते । इसलिए राज्य के आर्थिक व सॅख्यिकी निदेशालय, जयपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षणो का विवेचन किया जा सकता है।

राज्य मे लघु पैमाने की इकाइयों की भरमार

वर्ष 1986 87 मे राज्य की 2863 फैक्टियो के विवरण प्राप्त हुए थे जिनमे विभिन्न आकार की फैक्टियो की स्थिति निम्न तालिका मे दर्शायी गयी है

आकार	सख्या	सख्या में प्रतिशत अश	कुल उत्पत्ति (करोड रु)	कुल उत्पत्ति मे प्रतिशत अश
लघु पैमाने की इकाइयाँ	2427	84 8	2929	61 0
(ii) मध्यम पैमाने की इकाइयाँ	263	9 2	859	17 9
(iii) बड़े पैमाने की इकाइयाँ	173	6 0	1013	21 1
कुल	2863	100 0	4801	100 0

स्रोत Report on Annual Survey of Industries, Rajasthan, 1986-87 DES, Jaipur,p.17

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान मे 1986 87 मे लगभग 85% फैक्ट्रिया लघु पैमाने की थीं । उस समय लघु पैमाने की इकाइयो मे प्लाट व मशीनरी में विनियोग की सीमा 35 लाख रुपये थी। तीन करोड रुपये तक की प्रोजेक्ट लागत की इकाइयाँ मध्यम आकार की तथा इससे ऊपर की बॅडे आकार की मानी जाती थीं। उस समय मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाइया 9 2% तथा बडे पैमाने की 6% थीं । इससे पता चलता है कि राजस्थान मे लघु इकाइयो की भरमार है। इनमे कुल फैक्टी कर्मचारियों का लगभग 1/3 अश लगा हुआ है। लघु पैमाने की इकाइयो मे स्थिर पूजी (Fixed Capital) की मात्रा कम होती है लेकिन जोडे गये शुद्ध मूल्य (net value added) मे इनका अश स्थिर पूजी

के अश से अधिक पाया जाता है।

1986 87 मे लघु पैमाने की इकाइयो का कुल उत्पत्ति मे अश 61% रहा जो बडे पैमाने की इकाइयो के 21% अश से काफी अधिक था। इस प्रकार राज्य के फैक्ट्री क्षेत्र मे लघु इकाइयो के योगदान का काफी महत्व हैं। इनके माध्यम से काफी कर्मचारियो को काम दिया जा सकता है।

जहाँ तक बडे पैमाने की औद्योगिक इकाइयो का प्रश्न है 1986 87 मे इनका अनुपात 6% रहा और कुल उत्पत्ति के मूल्य मे इनका अश 1986 87 मे 21% रहा (1985 86 मे यह 53% रहा था) आम तौर पर बडे पैमाने की इकाइयो का कुल उत्पत्ति के मूल्य मे योगदान ऊँचा हुआ करता है। 1986 87 मे इसका घटकर 21% पर आ जाना एक असामान्य बात है।

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य के औद्योगिक विकास मे सभी प्रकार की इकाइयो की अपनी-अपनी भूमिका है। राज्य में आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयो का विकास किया जाना चाहिए। लेकिन रोजगार बढाने की दृष्टि से श्रम गहन लघु इकाइयो को प्राथमिकता दी जा सकती है। आधुनिक युग मे टेक्नोलोजी भी उत्पादन के पैमाने के चुनाव को प्रभावित करती है।

(2) वस्तुगत ढाँचा (Commodity structure)- राजस्थान मे फैक्ट्री-क्षेत्र तथा गैर-फैक्ट्री क्षेत्र मे कई प्रकार की वस्तुओ का उत्पादन किया जाता है। फैक्ट्री-क्षेत्र की विस्तृत सूचना उद्योगो के वार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर प्रति वर्ष होती है। इसमे भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत धारा 2 एम (i) व 2 एम (ii) मे पजीकृत विभिन्न फैक्ट्रियाँ शामिल की जाती है। इसमे पावर की सहायता से चालित 10 या अधिक व्यक्तियो को काम देने वाली फैक्ट्रियाँ तथा बिना पावर के 20 या अधिक व्यक्तियो को काम देने वाली फैक्ट्रियां शामिल होती है।

स्मरण रहे कि फैक्टी क्षेत्र मे शामिल इकाइयो मे विनिर्माण इकाइयो (manufacturing units) के अलावा विद्युत-इकाइयाँ वाटर-वर्क्स व सप्लाई स्टोरेज, वेयरहाउसिग तथा रिपेयर सेवा की इकाइयाँ भी शामिल होती है।

राजस्थान की फैक्ट्री-क्षेत्र की विनिर्माण इकाइयो मे आजकल कई प्रकार की वस्तुओ का उत्पादन किया जाने लगा है। इसलिए उत्पादन मे विविधता दिखाई देने लगी है। फिर भी रोजगार व जोडे गये शुद्ध मूल्य (employment and *net value added) जैसे दो मुख्य सूचको के आधार पर देखे तो 1988 89* मे केन्द्रीय साख्यिकीय सगठन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में राज्य के निम्न पाच उद्योग समूह प्रमुख रहे (दो अको के वर्गीकरण के अनुसार - (as per two digit classification) -

रोजगार के अनुसार		जोड़े गये शुद्ध मूल्य के अनुसार	
1	विद्युत	1	विद्युत
2	सूती वस्त्र	2	गैर-धात्विक खनिज वस्तुएँ
3	ऊन, रेशम व सिन्थेटिक रेशे के वस्त्र	3	ऊन, रेशम व सिन्थेटिक रेशे के वस्त्र
4	गैर-धात्विक खनिज वस्तुएँ जैसे सीमेंट	4	बेसिक धातु व एलोय उद्योग
5	बेसिक धातु व एलोय उद्योग (ताँबा, जस्ता, आदि)	5	सूती वस्त्र

राजस्थान के फैक्ट्री क्षेत्र मे रोजगार व जोडे गये शुद्ध मूल्य के अनुसार जो उद्योग-समूह ऊँचा स्थान रखते है, वे नीचे दिये जाते है। साथ मे इनमे उत्पादित होने वाली वस्तुओ के नाम भी दिये जाते है। यहाँ हम विनिर्माण-इकाइयो को ही लेते हैं। इसलिए 'विद्युत' को पृथक कर दिया गया है।

	उद्योग-समूह	उत्पादित वस्तुओ के नाम
1	गैर-धात्विक खनिज पदार्थों से बनी वस्तुएँ (non-metallic mineral products)	(सीमेंट, मार्बल, ग्रेनाइट, चीनी-मिट्टी, काच, अभ्रक आदि से बनी वस्तुएँ)
2	बेसिक धातु व एलोय उद्योग (Basic metals and Alloys Industries)	(लोहा व इस्पात, ताबा, एल्यूमिनियम, जस्ता व अन्य अलौह धातु उद्योग)
3	ऊन, रेशम व सिन्थेटिक रेशों के वस्त्र	(ऊन की कताई, बुनाई व अन्य क्रियाएँ, रेशम तथा सिन्थेटिक वस्त्रो से सम्बन्धित क्रियाएँ)
4	सूती वस्त्र	(कपास की गाठे बांधना, कताई, बुनाई, रगाई, छपाई, आदि कार्य, खादी, हथकरघा, शक्ति-करघा पर (फैक्ट्री क्षेत्र में) बुनाई व अन्तिम रूप देने के कार्य)
5	रसायन व रसायन-पदार्थ	(उर्वरक, पेंट-वार्निश, दवाइयाँ, प्लास्टिक का सामान, अखाद्य-तेल, कोसमेटिक्स (प्रसाधन-सामग्री) आदि

इसके अलावा राजस्थान मे खाद्य वस्तुओ (food products) के निर्माण मे सलग्न इकाइयो की सख्या भी काफी पायी जाती है। ये दुग्ध पदार्थों अन्न पदार्थों (जैसे दाल आदि) बेकरी मे बने पदार्थों चीनी गुड खण्डसारी कामन नमक खाद्य तेल व वनस्पति बर्फ आदि का उत्पादन करती है।

पिछले वर्षों मे राज्य मे रबड प्लास्टिक एव रसायन पदार्थों का उत्पादन काफी बढा है। राज्य म विभिन्न प्रकार की मशीनरी (विद्युत व गैर विद्युत) तथा इलेक्ट्रोनिक्स की वस्तुओ का भी निर्माण किया जाता है।

हालाँकि आज भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टि मे महाराष्ट्र गुजरात आदि की तुलना मे पीछे है लेकिन धीरे धीरे इसकी स्थिति मे सुधार आ रहा है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है 1986 87 मे जोडे गये शुद्ध मूल्य की दृष्टि से भारत मे इसका दसवा स्थान रहा था जबकि कर्नाटक व मध्य प्रदेश का क्रमश आठवाँ व नवाँ स्थान रहा था। पजाब व हरियाणा का स्थान क्रमश ग्यारहवाँ व बारहवाँ रहा था। अत इनसे राजस्थान की स्थिति थोडी बेहतर रही थी। लेकिन 1987 88 व 1988 89 मे जोडे गये मूल्य की दृष्टि मे पजाब ने दसवाँ स्थान ले लिया है।

राजस्थान के फेक्टरी क्षेत्र मे रोजगार की मात्रा 1980 81 मे 1 91 लाख व्यक्तियों से बढकर 1988 89 मे 2 31 लाख व्यक्ति हो गई है। इस प्रकार आठ वर्षों मे फक्टरी क्षेत्र मे कर्मचारियो की सख्या मे 40 हजार की वृद्धि हुई है। लेकिन इसी अवधि मे अखिल भारतीय स्तर पर फैक्टरी क्षेत्र मे रोजगार 77 15 लाख व्यक्तियो से बढकर केवल 77 43 लाख व्यक्ति ही हो पाया (मात्र 28 हजार की वृद्धि) (प्रतियोगिता मे वृद्धि तथा वित्तीय अनुशासन के कारण श्रमिको को कई उद्योगो मे कम किया गया जिससे रोजगार तेजी से नहीं बढ सका)।

राजस्थान का औद्योगिक ढाँचा
(Industrial Structure of Rajasthan)

औद्योगिक ढाँचे के अन्तर्गत उपयोग आधारित औद्योगिक वर्गीकरण (use based industrial classification) का अध्ययन किया जाता है। इसमे निम्न चार प्रकार के उद्योगो का रोजगार अथवा जोडे गये शुद्ध मूल्य मे योगदान के आधार पर सापेक्ष महत्त्व देखा जाता है

1 आधारभूत वस्तुओ के उद्योग (Basic goods industries) जैसे इस्पात उर्वरक विद्युत आदि।

2 पूँजीगत वस्तुओ के उद्योग (Capital goods industries) जैसे मशीनरी परिवहन का माल आदि।

3 मध्यवर्ती वस्तुओ के उद्योग (Intermediate goods industries) जैसे कॉटन यार्न रग, टायर ट्यूब आदि।

4 उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग (Consumer goods industries) इनमें टिकाऊ व गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ शामिल की जाती हैं। टिकाऊ उपभोक्ता माल मे टी वी सेट्स स्कूटर, मोटर गाडियाँ आदि आती है तथा

गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओ मे चीनी नमक माचिस दवा आदि वस्तुएँ आती है।

राजस्थान मे इनमे से प्रत्येक की स्थिति का सक्षिप्त परिचय आगे दिया जाता है।

(1) आधारभूत वस्तुओ के उद्योग इस श्रेणी मे प्रमुख उद्योगो के नाम इस प्रकार हैं सीमेन्ट, बेसिक रसायन लोहा व इस्पात उर्वरक व कीटनाशक ताबा पीतल अल्यूमिनियम जस्ता व अन्य अलौह धातु, नमक एव विद्युत।

(i) सीमेंट 1988 मे राज्य मे सीमेंट की 9 बड़ी इकाइयाँ थी। सीमेंट के कारखाने सवाई माधोपुर, लाखेरी चित्तौडगढ उदयपुर, निम्बाहेडा ब्यावर व कोटा मे निजी क्षेत्र मे तथा रीको से सहायता प्राप्त दो कारखाने मोडक (कोटा) (मगलम सीमेंट लि०) तथा बनास (सिरोही) (स्ट्रा प्रोडक्ट्स जेके ग्रुप का) मे चल रहे है। राज्य मे सीमेंट के और कारखाने स्थापित किये जा सकते ह। राज्य मे कई मिनी सीमेंट प्लाट भी लगाये गये है जिनसे सिरोही बासवाडा व जयपुर जिलो में सीमेंट का उत्पादन होने लगा है।

(ii) रासायनिक उद्योग इसमे मुख्यतया राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना आता है। यह सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड उत्पन्न करता है। डीडवाना मे नमक का भी उत्पादन होता है। कोटा मे श्रीराम केमिकल इण्डस्टीज लि० भी इसी श्रेणी मे आता है। उदयपुर फोस्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स तथा मोदी ऐल्कलाइज एण्ड केमिकल्स लि० अलवर भी आधारभूत उद्योगो की सूची मे आते हैं।

धौलपुर मे सयुक्त क्षेत्र मे रीको व IDL केमिकल्स लि० हैदराबाद के परस्पर सहयोग से **दी राजस्थान अक्सप्लोजिव्स एण्ड केमिकल्स लि०** की स्थापना की गई है जहाँ विस्फोटक (detonators) बनाये जाते है। यहाँ मार्च 1981 से उत्पादन चालू किया गया था।

(iii) डूगरपुर जिले मे माडो की पाल नामक स्थान पर फ्लोर्सपार बेनेफिशियेशन प्लाण्ट लगाया गया था जो फ्लोर्सपार उत्पन्न करता है। यह इस्पात बनाने मे प्रयुक्त होता है।

(iv) राज्य मे उदयपुर मे जस्ता गलाने का सयत्र (हिन्दुस्तान जिक लि०) तथा खेतडी मे ताबा गलाने का सयत्र (हिन्दुस्तान कापर लि०) कार्यरत है। इस प्रकार राज्य मे आधारभूत उद्योगो के अन्तर्गत सीमेंट, रसायन उर्वरक तथा ताँबा व जस्ता के कारखाने चल रहे है।

(2) पूँजीगत वस्तुओ के उद्योग - पूँजीगत उद्योगो की सूची मे औद्योगिक मशीनरी रेफ्रिजरेटर व एयर कडीशनर, मशीनी औजार, विद्युत मशीनरी विद्युत कम्प्यूटर व पुर्जे रेल्वे वैगन (रेल परिवहन का साज सामान) आदि आते है। भरतपुर मे सिम्को वैगन फैक्ट्री है। अजमेर मे हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० (HMT Limited) तथा कोटा मे इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि० है। जयपुर मे नेशनल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि० में बाल बियरिंग एव अशोका लीलेण्ड लि० अलवर मे व्यापारिक

वाहन बनाये जाते है तथा कुछ और इन्जीनियरिंग उद्योग भी है। इस प्रकार राजस्थान मे पूँजीगत वस्तुओ के भी कारखाने है।

(3) मध्यवर्ती वस्तुओ के उद्योग - इस श्रेणी मे उद्योगो के नाम इस प्रकार है काटन जिनिंग क्लीनिंग व बेलिंग, सूती वस्त्रो की छपाई रगाई व ब्लीचिंग ऊन की सफाई रगाई व ब्लीचिंग चमडे की रगाई व पकाई पर ट्यूब पेंट, व वार्निश आदि, जयपुर मे पानी व बिजली के मीटर बनाये जाते है उदयपुर के पास काकरोली मे जे के टायर्स का कारखाना है जिसमे आटोमोबाइल टायर व ट्यूब बनाये जाते है।

फैक्ट्री क्षेत्र मे विभिन्न औद्योगिक श्रेणिया का योगदान [1]

उद्योगो की श्रेणी	रोजगार मे अश (प्रतिशत)		जोड़े गये मूल्य में अश (प्रतिशत)	
	1970	1980-81	1970	1980 81
1 आधारभूत उद्योग	30 0	34 6	39 0	51 4
2 पूजीगत उद्योग	21 5	14 3	18 8	15 5
3 मध्यवर्ती उद्योग	5 4	15 6	2 8	9 0
4 उपभोक्ता उद्योग	43 1	35 5	39 4	24 1
कुल	100 0	100 0	100 0	100 0
कुल मात्रा	1 12 (लाख व्यक्ति)	1 92 (लाख व्यक्ति)	62 4 (करोड रुपये)	370 (करोड रुपये)

(4) उपभोक्ता वस्तुओ के उद्योग - राजस्थान मे सूती वस्त्र सिन्थेटिक वस्त्र चीनी गुड वनस्पति घी व वनस्पति तेल साबुन क्रोकरी साइकिल के पुर्जे जूते (चमडे व रबड के) स्कूटर्स व मोपेड (केल्विनेटर ऑफ इण्डिया लि) ऊनी माल (बीकानेर, चूरू व लाडनूँ) बीडी (मयूर बीडी उद्योग टोक) आदि उपभोक्ता वस्तुओ के उद्योग आते है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान मे सभी प्रकार के उपयोग आधारित उद्योगो (use based industries) की इकाइयाँ पायी जाती

---

1 Industrial Structure of Rajasthan 1970 and A S I 1980 81 (Rajasthan) (DES) के आकडों के आधार पर लेखक द्वारा प्रतिशत निकाले गये हैं । इसमें विनिर्माण की इकाइयों के अलावा विद्युत गैस जल पूर्ति व मरम्मत में सलग्न सभी प्रकार की फैक्ट्री इकाइयाँ शामिल की गई हैं ।

हैं हालाँकि राज्य का समस्त देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था मे आज भी नीचा स्थान है। योजनाकाल मे इन विभिन्न श्रेणियो के उद्योगो का योगदान रोजगार व जोडे गये मूल्य आदि मे बदला है जो पूर्व तालिका मे दर्शाया गया है।

तालिका से पता चलता है कि 1970 से 1980 81 की अवधि मे राजस्थान मे आधारभूत उद्योगो का योगदान रोजगार व जोडे गये मूल्य मे बढा है पूँजीगत उद्योगो का भाग है मध्यवर्ती उद्योगो का काफी बढा है तथा उपभोक्ता उद्योगो का घटा है। 1980-81 मे आधारभूत उद्योगो का अश जोडे गये मूल्य मे लगभग 1/2 व उपभोक्ता उद्योगो का 1/4 पाया गया था। **स्मरण रहे कि आधारभूत उद्योगो के योगदान के बढने के पीछे मुख्य कारण इस श्रेणी मे** विद्युत का शामिल होना है।

उद्योगो का साधन आधारित वर्गीकरण (input based Classification of industries) उद्योगो का अध्ययन इन्पुटो के आधार पर वर्गीकरण करके भी किया जाता है जैसे कृषि आधारित वन आधारित पशुधन आधारित खनिज पदार्थ आधारित तथा रसायन आधारित उद्योग। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है।

1 कृषि आधारित व फूड प्रोसेसिंग उद्योग व्यापक अर्थ मे कृषि आधारित उद्योगो मे खाद्य पदार्थ दुग्ध पदार्थ व मास पदार्थ शामिल किये जाते हैं लेकिन सकीर्ण अर्थ मे इन श्रेणी मे कृषिगत कच्चे माल पर आधारित उद्योग आते हैं जैसे काटन जिनिग व प्रेसिग फैक्ट्रिया सूती कपडा उद्योग (कताई व बुनाई) (खादी हथकरघा शक्तिकरघा व मिलकरघा) रेशम उद्योग तिलहन पर आधारित वनस्पति घी व वनस्पति तेल उद्योग साबुन उद्योग गन्ने पर आधारित गुड खडसारी व चीनी अचार मुरब्बा दाल मिल बेकरी व कान्फेक्सनरी उद्योग आदि। इसी मे सुपारी चूर्ण पाली की महदी व बासवाडा का आम पापड बीकानेर के पापड भुजिया जोधपुर नागौर क्षेत्र की मेथी झालावाड व गगानगर के रसदार फल आबू सिरोही क्षेत्र के टमाटर तथा पुष्कर के गुलाब के फूल सब्जी व फल आदि आते है।

2 वन आधारित उद्योग इसमे लकडी का फर्नीचर उद्योग रबड गोद, राल लाख आदि पर आधारित उद्योग आते हैं।

3 पशु धन आधारित उद्योग राजस्थान मे पशु धन पर आधारित उद्योगो मे ऊन दूध से बने पदार्थ चमडा खाले हड्डियाँ व माँस आदि शामिल होते है।

4 खनिज पदार्थ आधारित उद्योग धातु आधारित जैसे इस्पात उद्योग मशीनरी परिवहन का सामान (वैगन), धातु से बनी वस्तुएँ जैसे इस्पात का फर्नीचर, मोटर साइकिल आदि।

(अ) अधातु खनिज उद्योग (non metallic mineral industries)– इसमे पत्थर व मारबल से बनी वस्तुएँ, काँच व काँच का सामान चायना क्ले व सिरैमिक की इकाइयाँ एस्बेस्ट्स सीमेंट, सीमेंट पाइप आदि आते है।

राजस्थान मे कृषि-आधारित खनिज-आधारित व पशु आधारित उद्योगो का बडा महत्त्व है। इनके विकास से अकाल, निर्धनता व बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान निकालने मे मदद मिल सकती है। इस समय राज्य मे 23 सूती वस्त्र मिले हैं तीन चीनी के बडे कारखाने हैं तथा वेजिटेबल घी व वनस्पति तेल की कई फैक्ट्रियाँ है। सूती वस्त्र मिलो मे 17 मिले निजी क्षेत्र मे 3 सार्वजनिक क्षेत्र मे (दो ब्यावर व एक विजयनगर में) तथा तीन सरकारी क्षेत्र मे (गुलाबपुरा, गगापुर तथा हनुमानगढ) मे हे। सूती वस्त्र मिलो के स्थान ब्यावर, भीलवाडा, जयपुर, किशनगढ उदयपुर, पाली गगापुर (भीलवाडा जिला) आदि है। चीनी के तीन कारखाने भोपाल सागर (चित्तौडगढ जिला) (निजी क्षेत्र में) गगानगर (सार्वजनिक क्षेत्र में) तथा केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स लि० (बूदी जिले मे) (सहकारी क्षेत्र में) हे।

राज्य मे वनस्पति तेल की फेक्ट्रियाँ जयपुर (विश्वकर्मा मे 'वीर बालक') *अलवर (खैरथल में) दौसा निवाई भरतपुर (सरसो इजन छाप) गगापुर सिटी* सवाई माधोपुर, जालौर आदि मे है। वनस्पति घी के कारखाने जयपुर के विश्वकर्मा क्षेत्र मे 'महाराजा वनस्पति' झोटवाडा औद्योगिक क्षेत्र मे 'आमेर वनस्पति' निवाई मे 'केसर वनस्पति' दुर्गापुर मे रोहिताश तथा चित्तौडगढ व भीलवाडा आदि मे स्थित हे।

राजस्थान मे औद्योगिक उत्पादन की प्रगति

1971 से 1991 की अवधि मे राज्य मे प्रमुख औद्योगिक वस्तुओ के उत्पादन की प्रगति निम्न तालिका मे दर्शायी गई है

कुछ उद्योगो के उत्पादन मे वृद्धि [1]

वस्तु का नाम	इकाई	1971	1990	1991
1 सीमेंट	(लाख टन)	14 0	42 6	47 4
2 चीनी (जुलाई-जून)	(हजार टन)	11 0	13	25
3 यूरिया	(लाख टन)	2 6	3 7	3 6
4 सुपर फॉस्फेट	(हजार टन)	45 0	76	94
5 बाल बियरिंग	(लाखो में)	73 0	157	177
6 बिजली के मीटर	(लाखो मे)	4 9	9 1	9 9
7 नमक	(लाख टन)	5 5	10 6	14 4

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 1971 91 की अवधि में विभिन्न वस्तुओ जैसे सीमेंट, यूरिया सुपर फॉस्फेट, बाल बियरिंग आदि के उत्पादन मे

1 *आय व्ययक अध्ययन 1992 93 पृष्ठ 58 (1990 व 1991 के लिए)।*

वृद्धि हुई है। चतुर्थ योजना की अवधि में वनस्पति तेल, सीमेंट, पावर केबल्स, सूती धागे, मशीन टूल्स, चीनी एवं नाइलोन के धागे आदि के उत्पादन के लिए नये कारखाने स्थापित किये गये थे। 1991 में, पोलियेस्टर धागे का उत्पादन 13 5 हजार टन हुआ, जबकि 1985 में केवल 5 5 हजार टन ही हुआ था।

राजस्थान मे उद्योगो का प्रादेशिक अथवा जिलेवार फैलाव (Regional spread)

राजस्थान के 27 जिलों में फैक्ट्रियों का वितरण काफी असमान पाया जाता है। निम्न तालिका मे 1970 तथा 1986-87 के लिए विभिन्न जिलों में अनुसार फैक्ट्रियो की सख्या व उनमें संलग्न कर्मचारियों की संख्या दी गयी है जिससे जिलेवार तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है :-

जिले का नाम	फैक्ट्रियों की सख्या		कर्मचारियों की संख्या	
	1970	1986-87	1970	1986-87
1 अजमेर	149	222 (v)	17118	21456 (ii)
2 अलवर	14	142	470	13784
3 बांसवाड़ा	5	20	227	2063
4 बाड़मेर	2	39	147	998
5 भरतपुर	21	59	3180	5226
6 भीलवाड़ा	45	144	5043	12616 (vi)
7 बीकानेर	46	144	3099	6521
8 बूँदी	12	34	2370	3309
9 चित्तौड़गढ़	35	65	1637	4870
10 चूरू	5	20	113	351
11 डूंगरपुर	---	2	---	976
12 धौलपुर	भरतपुर मे शामिल	4	---	580
13 गंगानगर	114	264 IV	7292	11242
14 जयपुर	234	617 (i)	36891	66597 (i)
15 जैसलमेर	1	2	15	40
16 जालौर	2	2	21	80
17 झालावाड़	12	22	1377	2674
18 झुन्झुनू	3	7	36	3005
19 जौधपुर	76	280 (ii)	6240	11907

20 कोटा	75	121	11835	16808 (iii)
21 नागौर	41	72	1206	1748
22 पाली	47	273 (iii)	5431	10138
23 सवाईमाधोपुर	10	21	2724	2836
24 सीकर	5	28	153	1456
25 सिरोही	9	32	208	2605
26 टोंक	3	21	96	701
27 उदयपुर	56	206 (vi)	4764	12998 (v)
कुल	1022	2863	111693	217585

स्रोत ASI Reports for 1970 and 1986 87 (p 99) DES Ja pur

उपर्युक्त तालिका मे स्पष्ट होता है कि 1970 से 1986 87 के बीच रिपोर्टिंग फैक्टियों की सख्या 1022 म बढकर 2863 हो गई। इनमे सलग्न कर्मचारियो की सख्या 1 12 लाख से बढकर 2 18 लाख हो गई।

1986 87 मे 200 से अधिक फक्टियो की सख्या निम्न छ जिलों मे पाया गयी। इमे क्रमवार अग्र तालिका मे दर्शाया गया हे

क्रम सख्या	जिले का नाम	फैक्ट्रियो की सख्या
(1)	जयपुर	617
(2)	जोधपुर	280
(3)	पाली	273
(4)	गगानगर	264
(5)	अजमेर	222
(6)	उदयपुर	206
	योग (कुल राज्य का 65%)	1862

इस प्रकार राज्य के उपर्युक्त छ जिलो में कुल फक्टियो का 2/3 अश पाया गया तथा शेष 21 जिला मे 1/3 अश ही पाया गया। इन्हीं छ जिलो मे कुल फेक्ट्री रोजगार का 66% पाया गया जा कुल कमचारियो का 2/3 था। इस प्रकार अधिकाश फोक्टयाँ व फक्ट्री रोजगार इन छ जिलो मे पाया गया ह। वेसे रोजगार की दृष्टि से छ जिला का क्रम भिन्न रहा ह जो इस प्रकार है जयपुर,

अजमेर, कोटा, अलवर, उदयपुर तथा भीलवाडा।

यह ध्यान देने की बात है कि 1986 87 मे भी निम्न जिलो मे फैक्ट्रियो की सख्या 10 से भी कम रही -

क्र. स	जिले	फैक्ट्रियो की सख्या
(1)	झुन्झुनूँ	7
(2)	जैसलमेर	2
(3)	धोलपुर	4
(4)	जालोर	2
(5)	डूँगरपुर	2

इस प्रकार ये पाच जिले फैक्ट्री-विकास की दृष्टि से काफी पिछडे माने जा सकते है। 1970 से 1986 87 के 16 वर्षों मे नई फैक्ट्रियो की स्थापना मे निम्न जिलो ने विशेष प्रगति दर्शायी है -

अलवर, भीलवाडा जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली तथा उदयपुर । पाली जिले मे फैक्टियो की सख्या 1970 मे 47 थी जो 1986 87 मे बढ़कर 273 हो गई। *यहा सूती वस्त्रो की छपाई रगाई व ब्लीचिग का काम बढा है ।* उदयपुर जिले मे इनकी सख्या 56 से बढकर 206 हो गई । यहा अधात्विक खनिज पदार्थों का काम काफी बढा है ।

यह ध्यान देने की बात है कि जालौर जिले मे 1970 व 1986 87 दोनो मे फैक्ट्रियो की सख्या मात्र 2 पर स्थिर बनी रही ।

1986 87 मे राज्य के फैक्ट्री क्षेत्र मे जोडे गये शुद्ध मूल्य (net value added) की कुल राशि मे सर्वाधिक राशि जयपुर ज़िले की थी। दूसरा स्थान कोटा जिले का रहा।[1] इस प्रकार राजस्थान मे फैक्ट्री-क्षेत्र की दृष्टि से विभिन्न जिलो का विकास काफी असतुलित रहा है। भविष्य मे पिछडे जिलो के आद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असमानताओ को दूर किया जा सके । इसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता आधारभूत ढाँचे के विकास को देनी होगी ताकि विद्युत सचार, सडक जल शिक्षा व स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएँ विकसित की जा सके ।

अब हम राज्य के प्रमुख ग्रामीण उद्योगो व दस्तकारियो लघु उद्योगो तथा

1 Report on Annual Survey of Industries Rajasthan 1986 87 (DES Jaipur) 1992 p 100

कुछ बडे पैमाने के उद्योगो का विवेचन प्रस्तुत करेगे।

राजस्थान के कुटीर या ग्रामीण उद्योग व दस्तकारियाँ

कुटीर या पारिवारिक उद्योगो मे प्राय परिवार के सदस्य मिलकर उत्पादन का कार्य करते है। लेकिन कभी कभी एक मालिक या कोई फर्म कुछ श्रमिको से मजदूरी पर उत्पादन का काम करवा सकती है। जैसे सोने चाँदी के जेवर बनवाना कपडे की रगाई छपाई का काम करवाना गलीचे बनवाना आदि। इनके द्वारा थाडे समय के लिए रोजगार दिया जा सकता है अथवा पूर्णकालिक रोजगार दिया जा सकता है। ये गाव व शहर दोनो मे चलाये जाते है। इनमे विद्युत का उपयोग भी किया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर हाथ के काम का ही उपयोग किया जाता है भारतीय अर्थ व्यवस्था मे भी इनका काफी महत्व है। अब लघु उद्योगो की परिभाषा मे वे उद्योग आते है जिनम सयत्र व मशीनरी (plant and machinery) मे पूजी की सीमा 60 लाख होती है। इनके लिए श्रमिको की सख्या निर्धारित नहा है बल्कि इनके लिए केवल प्लाट व मशीनरी मे विनियोग की सामा निश्चित की गयी है। नाचे राजस्थान के खादी ग्रामीण उद्योग तथा हस्तशिल्प उद्योग का विवेचन किया जाता है।

(1) खादी उद्योग (Khadi industries) राजस्थान के कुटीर व ग्रामीण उद्योगा मे खादी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक परम्परागत घरेलू उद्योग है जिसमे लोग अशकालिक व पूर्णकालिक रोजगार पाते है और अपनी जीविका चलाते हैं। इसमे कुछ सीमा तक स्त्रियो को भी काम मिलता है। इसमे सूता व ऊनी खादी दोनो आती है। राज्य मे 1991 92 मे इनमे लगभग 1 67 लाख व्यक्तियो को आंशिक व पूर्णकालिक काम मिला हुआ था। अत रोजगार देने की दृष्टि से राज्य मे इसका काफी ऊचा स्थान है। ऊनी खादी मे जैसलमेर की बरडी बीकानेर के ऊनी कम्बल चक की रेजी व चामूँ के खेस एव अन्य स्थानो की रेजा काफी मशहूर है। बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर की मरीनो खादी की होड लगी रहती है। सूती खादी की अपेक्षा ऊनी खादी पर अधिक मुनाफा होता है।

खादी उद्योग मे उत्पादन के मूल्य व रोजगार का स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है।[1]

---

1 Ten Years of Industr al and Mineral Stat st cs Rajasthan from 1977 78 to 1986 87 (1988) (DES Ja pur) p 17 and Raj Budget Study 1992 93 p 116

वर्ष	ऊनी व सूती खादी मिलाकर उत्पादन का मूल्य (करोड़ रु.)	रोजगार (लाखो मे) (लगभग)
1977 78	4 1	1
1980-81	10 8	1 1
1990 91	30 4	1 7
1991 92	31 3	1 7

इस प्रकार 1977 78 की तुलना मे खादी के उत्पादन का मूल्य वर्तमान मे लगभग आठ गुना होने की आशा है। यह लगभग 31 करोड रुपये और रोजगार (अल्पकालिक व पूर्णकालिक) की मात्रा लगभग 1 7 लाख व्यक्ति होने की आशा है। जैसाकि पहले सकेत दिया जा चुका है कि ऊनी खादी का मूल्य सूती खादी के मूल्य से अधिक बेठता है। ऊनी खादी का उत्पादन मूल्य सूती खादी के उत्पादन-मूल्य का लगभग दुगुना होता है। सरकार प्रतिवर्ष ऊनी सूती तथा रेशमी खादी पर बिक्री बढाने के लिए सब्सिडी देती है ताकि इनकी बिक्री अधिकाधिक की जा सके ।

राजस्थान मे खादी उद्योग का अध्ययन करने वालो का कहना है कि राज्य मे खादी सस्थान व्यापारिक लाभ कमा रहे हैं, जबकि ऊन के उत्पादको व कातने एव बुनने वालो को उनके कठिन श्रम का पूरा प्रतिफल नहीं मिल पाता। खादी कर्मचारियो को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है। रगो की खरीद मे कई प्रकार की अनियमितताएँ पायी जाती है। अत *खादी सस्थाओं के प्रबध मे सुधार किया जाना चाहिए* तथा साधारण खादी के मजदूरो के हितों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।[1]

(2) ग्रामीण उद्योग (Village industries)- राज्य मे खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड खादी के अलावा निम्न ग्रामीण उद्योगो का भी सचालन करता है जैसे घानी का तेल, गुड़, खण्डसारी, हाथ का बना कागज, गैर-खाद्य तेल का साबुन, चमडा, मिट्टी के बर्तन बनाना (Pottery) मधुमक्खी-पालन (शहद) तथा चावल की हाथ से कुटाई। इस प्रकार ग्रामीण उद्योगो मे ये आठ उद्योग प्रमुख रूप से शामिल होते है। इनमे उत्पादन व बिक्री-मूल्य की दृष्टि से चमडे व घानी के तेल का स्थान काफी ऊँचा पाया जाता है।

---

1 बिशनसिह शेखावत राजस्थान में खादी लेखमाला राजस्थान पत्रिका, 10 फरवरी से 26 फरवरी 1987 तक।

राज्य मे ग्रामीण उद्योगो मे उत्पादन मूल्य व रोजगार की प्रगति निम्न तालिका मे दर्शायी गई है

वर्ष	उत्पादन मूल्य (करोड रु)	रोजगार (लाखो मे)
1977 78	7 5	0 33
1980 81	21 6	0 68
1991 92*	185 0	3 1

तालिका से स्पष्ट होता ह कि पिछले दशक मे ग्रामीण उद्योगो के उत्पादन-मूल्य व रोजगार मे काफी वृद्धि हुई है। अनुमान है कि 1991 92 मे ग्रामीण उद्योगो का उत्पादन मूल्य 185 करोड रुपये व रोजगार 3 1 लाख व्यक्ति रहा है। अत इनमे लगभग 3 लाख व्यक्तियो को रोजगार मिलने का अनुमान लगाया गया ह।

ग्रामीण उद्योगा को भी माल की बिक्री की समस्या का सामना करना पडता है। सरकार ने इनकी बिक्री मे सहायता पहुँचाने के लिए कई प्रतिष्ठान खोले है। इनके लिए कच्चे माल का व्यवस्था की जाती है तथा कारीगरो को हर प्रकार से मदद दी जाती है। भविष्य मे सहकारिता के आधार पर ग्रामीण कारीगरो को अधिक मदद पहुँचाई जानी चाहिए।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान मे राज्य मे खादी व ग्रामोद्योग मे उत्पादन का मूल्य लगभग 215 करोड रुपये है तथा इनमे रोजगार की मात्रा लगभग 4 8 लाख व्यक्ति है जो फैक्ट्री कर्मचारियो से काफी अधिक है।

सरकार को इनके सगठन वित्त व्यवस्था टेक्नोलोजी व उत्पादन विधि बिक्री की व्यवस्था व प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था मे सुधार करके इनके विकास पर समुचित ध्यान देना चाहिए।

(3) हस्तशिल्प उद्योग (Handicrafts)- राजस्थान की दस्तकारी मे यहाँ की कला व सस्कृति की छाप पायी जाती है। यहाँ के कारीगरो ने पीतल पत्थर, मिट्टी चमडे कपडे लकडी व अन्य पदार्थों पर काम करके अपनी कारीगरी व प्रतिभा का उच्च कोटि का परिचय दिया है। सागानेर, पाली बगरू आदि स्थानो के वस्त्र पर हाथ की रगाई व छपाई का काम पसिद्ध है। बाडमेर की 'अजरक' प्रिंट, उदयपुर के समीप नाथद्वारा की 'पिछवाइयाँ' (मूर्तियो के पृष्ठ भाग मे) जिनमे पहले कपडो को काला रगते है तथा उस पर भगवान कृष्ण की बाल लीलाएँ आदि अकित करते ह तथा फड कपडे पर भी किसी महापुरुष की जीवनी का

---

* आय व्ययक अध्ययन 1992 93 पृ 116

चित्राकन करते है। जोधपुर के मशहूर बादले व बँधेज के काम की ओढनियाँ व जयपुर की बँधेज की चुनरिया, ओढ़नियाँ, लहरिया आदि प्रसिद्ध माने गये है। जयपुर की पाव रजाई (250 ग्राम रूई से बनी) काफी मशहूर मानी गयी है जिसे विदेशी भी बहुत चाव से खरीदते है। इनके अलावा जयपुर के मूल्यवान व अर्द्ध-मूल्यवान रत्नो तथा सोने-चाँदी के कलात्मक आभूषण, पीतल की खुदाई व मीनाकारी के बर्तन, लाख से बनी चूड़ियाँ व अन्य सजावटी वस्तुएँ, सगमरमर की मूर्तियाँ, हल्की-सलमासितारो की कारीगरी से युक्त जूतियाँ (मौजडिया व नागरे) ब्ल्यू पाटरी की अनेक वस्तुएँ, मिट्टी व लकडी के खिलौने चदन व हाथीदाँत की बनी वस्तुएँ, जयपुर व बीकानेर के ऊनी गलीचे ऊँट की खाल से बनी वस्तुएँ, खस के पानदान, आदि राजस्थान की हस्तकला के एक से एक अद्भुत नमूने है। राजस्थान की हस्तकला की वस्तुएँ निर्यात भी होती है जैसे गलीचे आभूषण आदि।

राज्य के कुछ जिलो मे रेशम का उद्योग विकसित किया गया है। कोटा, उदयपुर, भरतपुर, बूँदी चितौडगढ जिलो मे-इसके लिए रेशम के कीडे पाले जाते हैं व मलबरी की खेती की जाती है।

टसर (कृत्रिम रेशम) का विकास भी कोटा उदयपुर, व बाँसवाडा जिलो मे किया जा रहा है। इसकेलिए "अर्जुन" के पेड लगाये जाते ह जिनमे परिवेश सतुलन भी होता है ओर रासायनिक विधि से कृत्रिम रेशम भी बनाया जाता हे।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे विशेषतया ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे कुटीर व ग्रामीण उद्योगो का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य मे विभिन्न प्रकार की दस्तकारियाँ भी प्राचीन काल से चली आ रही ह जिनकी छाप आज भी कायम है तथा जिनकी कलात्मक कृतियाँ देश विदेश मे काफी समय से विख्यात है।

राजस्थान के लघु उद्योग

जैसाकि पहले कहा जा चुका है लघु उद्योग की वर्तमान परिभाषा के अनुसार सयत्र व मशीनरी मे पूँजी की सीमा 60 लाख रुपये रखी गई हे जबकि पहले यह 35 लाख रुपये हुआ करती थी। राजस्थान मे 1991 92 मे पजीकृत लघु पैमाने की इकाइयाँ तथा कारीगरो की इकाइयाँ 1 58 लाख थी जिनमे 5 94 लाख व्यक्ति काम पाये हुए थे। इनके सम्बन्ध मे स्थिति पूर्णतया स्पष्ट नही है, क्योंकि कुछ लघु इकाइयाँ तो फैक्ट्री-क्षेत्र मे आती है और कुछ नहीं आतीं। फैक्ट्री क्षेत्र की लघु इकाइयो के आँकडे तो नियमित रूप से एकत्र किये जाते है, लेकिन गैर-फैक्ट्री क्षेत्र की लघु इकाइयो का ज्ञान ठीक से नहीं हो पाता।

फिर भी राजस्थान के फैक्ट्री व गैर फैक्ट्री क्षेत्र मे लघु इकाइयो की सख्या काफी है। यहाँ पर मध्यम पैमाने के उद्योगो का अभाव है। लघु उद्योग विभिन्न प्रकार के होते है।

(1) कृषि-पदार्थों पर आधारित लघु उद्योग - जैसा कि पहले सकेत

दिया गया है इसके अन्तगत वनस्पति तेल व घी उद्योग गुड व खण्डसारी का इकाइयाँ छोटी दाल फक्ट्रियाँ व अन्य इकाइयाँ हाथ करघा उद्योग बेकग व कन्फेक्शनरी को इकाइयाँ दरी व निवार बनाने वाली इकाइयाँ कपास का जिनिग व प्रेसिग इकाइयाँ, आदि आती ह जिनमे मयन्त्र व मशीनरी मे पूँजी की राशि अब 60 लाख रुपये तक होती है।

राज्य मे जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्रीगगानगर, कोटा बूँदी अजमेर ओर पाली जिलो मे तिलहन का उत्पादन होने से वहाँ वनस्पति तेल की कइ इकाइयाँ पायी जाती ह। राज्य मे वनस्पति तेल का फक्ट्रियाँ जयपुर (विश्वकमा मे 'वार बालक') अलवर (खरथल मे) दामा निवाइ भरतपुर (सरसो इजन छाप) गगापुर सिटा सवाइ माधोपुर, जालार आदि स्थानो मे पाया जाता ह वनस्पति घी के कारखाने जयपुर (विश्वकमा मे) 'महाराजा वनस्पति -प्रामियर वेजेटेबल प्रोडेक्ट्स 'आमेर वनस्पति' पा वा पा लिमिटेड झोटवाडा औद्योगिक क्षेत्र 'केसरी वनस्पति' (निवाइ में) दुगापुरा मे रोहिताश तथा चिताडगढ व भीलवाडा मे पाये जाते ह। राज्य मे अरहर मूँग, उडद व मोठ आदि का दाले बनाने की इकाइयाँ पायी जाती है। हाथकरघा उद्योग मे कोटा डोरिए का साडियाँ प्रसिद्ध है। अन्य स्थानो पर कई प्रकार का कपडा बुना जाता ह। गन्ने का उपयोग गुड व खण्डसारी को इकाइयो मे किया जाता ह।

(2) पशु-आधारित लघु उद्योग- इनमे ऊनी वस्त्र, चमडे खाल हड्डियाँ दुग्ध पदाथ आदि के उद्योग आते ह। राज्य मे भेडो की सख्या बहुत अधिक ह। बीकानेर, चूरू और लाडनूं की ऊनी मिले लघु उद्योगो के अन्तर्गत कायरत ह। इनकी अधिक स्थिति काफी खराब हो गइ ह।

(3) खनिज पदार्थ-आधारित उद्योग - राज्य मे मकराना (नागौर) बासवाडा व अन्य स्थानो मे सगमरमर का पत्थर निकलता है जिससे विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ व अन्य वस्तुएँ बनायी जाती है। जयपुर, पाली, जोधपुर, भरतपुर तथा किशनगढ मे पीतल व ताबे के बतन बनने के कारखाने ह। जयपुर मे सोने चाँदी के बतन बनाये जाते ह। राज्य के कइ भागो मे लोहे के कृषिगत आजार बनाये जाते है। इस सम्बन्ध मे गजसिहपुर (श्रीगगानगर) तथा जयपुर मे झोटवाड़ा के कारखाने विशेष रूप से मशहूर ह।

(4) वन-आधारित उद्योग - राज्य मे उदयपुर, सवाई माधोपुर व जोधपुर मे लकडी के खिलाने बनने के कारखाने हैं। यहाँ बास का सामान भी बनाया जाता है। कोटा मे स्ट्रा बोड का कारखाना है। राज्य में तेदू पत्तियो का उपयोग बीडी बनाने मे किया जाता ह। कत्था, गोद व लाख का उपयोग किया जाता है। फर्नीचर बनाने को इकाइयाँ पायी जाता है। अजमेर तथा अलवर मे माचिस बनाने के कारखाने है।

इस प्रकार राज्य मे यहाँ के साधनो पर आधारित कई प्रकार के कारखाने व अन्य औद्योगिक इकाइयाँ चल रही हैं। 1991-92 मे लघु पैमाने की कुल पजीकृत इकाइयों की सख्या 1 58 लाख थी जिनमे कुल विनियोग 1002 करोड

रुपयो का था तथा रोजगार प्राप्त व्यक्ति लगभग 5 94 लाख थे।[1]

कुटीर व लघु उद्योगो की समस्याए व समाधान

सम्पूर्ण देश की भाँति राजस्थान मे भी कुटीर व लघु उद्योगो को कई प्रकार की कठिनाइयो का सामना करना पडता है जिनका हल निकालने का सरकार प्रयत्न कर रही है। ये कठिनाइयाँ इस प्रकार है।

(1) कच्चे माल की समस्या इन उद्योगो को पर्याप्त कच्चा माल उचित कीमत पर नहीं मिलता जिससे कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।

(2) उत्पादन की पुरानी तकनीक उत्पादन की पुरानी तकनीक व पुरानी मशीने होने से माल की किस्म घटिया होती है और कीमत भी ऊँची होती है क्योंकि उत्पादन लागत अधिक आती है। उत्पादन की पद्धति मे सुधार किया जाना आवश्यक है।

(3) बिक्री की समस्या कुटीर व लघु उद्योगो को तैयार माल की बिक्री की समस्या का सामना करना पड़ता है। बडे उद्योगो की प्रतियोगिता से इनके माल की माग कम हुई है जिसे बढाने की आवश्यकता है।

(4) पूँजी का अभाव इनके लिए कार्यशील पूँजी का अभाव पाया जाता है। बैको से कर्ज की व्यवस्था करके इस कमी को दूर किया जाना चाहिये।

(5) दक्ष श्रमिको का अभाव आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधा बढाकर इस कमी को दूर किया जा सकता है।

(6) पावर की कमी प्राय कारखानो को उनकी आवश्यकतानुसार पावर नही मिल पाती है। पावर की कटौतियाँ पावर के उतार चढाव आदि उत्पादन को निरन्तर जारी नही रहने देते जिससे इसको क्षति पहुँचती है। अत पावर सप्लाई की स्थिति मे सुधार किया जाना चाहिए ताकि कारखानो की जरूरतो को पूरा किया जा सके।

कुटीर व लघु उद्योगो की विभिन्न समस्याओ को हल करके इनके माध्यम से ग्रामीण औद्योगीकरण को बढावा दिया जाना चाहिए। खनिज पदार्थ आधारित लघु इकाइयो का विकास करके राज्य मे औद्योगिक रोजगार व आमदनी बढाने के अवसर है जिनका उपयोग करने की आवश्यकता है। राज्य मे तिलहन का उत्पादन बढने से वनस्पति तेल की अधिक इकाइया लगाई जा सकती है। सोने चाँदी के आभूषणो का उत्पादन बढाकर निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। रत्न व जवाहरात का उद्योग विकसित किया जाना चाहिए। गलीचो का उत्पादन बढाने की भी आवश्यकता है ताकि इनका निर्यात करके अधिक विदेशी मुद्रा कमायी जा सके।

---

1 Some Facts About Rajasthan 1992 p 57

राजस्थान मे प्रमुख वृहद् उद्योग-सूती वस्त्र उद्योग

सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान के बडे पैमाने के उद्योगो मे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1949 मे वृहद् राजस्थान के निर्माण के समय राज्य मे 7 सूती कपडे की मिले थीं। वर्तमान मे इनकी सख्या 23 हो गई है। इनमे से 17 मिलें निजी क्षेत्र मे है 3 सार्वजनिक क्षेत्र मे हैं (दो ब्यावर मे तथा एक विजयनगर में) तथा 3 सहकारी क्षेत्र मे कताई मिले (गुलाबपुरा, गगापुर तथा हनुमानगढ़ में) है। सूती वस्त्र मिले ब्यावर (3) भीलवाडा (3) जयपुर (2) किशनगढ (2) उदयपुर, पाली गगापुर, (भीलवाडा) हनुमानगढ कोटा भवानीमडी विजयनगर, गगानगर, गुलाबपुरा (भीलवाडा) आदि केन्द्रो मे स्थित हें। भविष्य मे राजस्थान मे सूती वस्त्र मिलो के बढने की आशा है।

राज्य मे पहली सूती वस्त्र मिल 'दी कृष्णा मिल्स लि 1889 मे निजी क्षेत्र मे स्थापित हुई थी। यहाँ पर दूसरी मिल 'एडवर्ड मिल्स लि० 1906 मे स्थापित की गई। तीसरी मिल 'महालक्ष्मी मिल्स लि भी यहीं पर 1925 मे स्थापित हुई। इसके बाद 1938 मे भीलवाडा मे मेवाड टेक्सटाइल मिल्स तथा 1942 मे पाली मे महाराजा उम्मेद मिल्स लि स्थापित की गई। 1946 मे गगानगर मे मार्दुल टेक्सटाइल लि की स्थापना की गई। आगे चलकर कृष्णा मिल्स व एडवर्ड मिल्स के रुग्ण हो जाने के कारण इनको राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अपने हाथ मे ले लिया था जिससे ये सार्वजनिक क्षेत्र मे आ गई थीं।

राज्य मे सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाल तत्व

इस उद्योग की स्थापना पर कच्चे माल अर्थात् कपास की समीपता का इतना प्रभाव नहीं पडता जितना बाजार की समीपता का पडता है। यह आवश्यक नही कि सूती कपडे की मिले उन्ही स्थानो के आस पास स्थापित हो जहाँ कपास का उत्पादन किया जाता है। यह दूसरे ऐसे स्थानो पर भी भेजी जा सकती हे जहाँ उद्योग की स्थापना के लिए अनुकूल तत्व पाये जाते है।

(1) कच्चे माल की उपलब्धि फिर भी राजस्थान मे सूती वस्त्र मिलो की स्थापना पर कच्चे माल की उपलब्धि का प्रभाव पडा ह। उदाहरण के लिए गगानगर की सूती वस्त्र मिल को कपास वहाँ की सिंचित भूमि से मिल जाती हे। अजमेर, भीलवाडा, झालावाड चित्तौडगढ तथा जयपुर जिलो म भी कपास की खेती होती हे। बासवाडा मे भी माही सिंचाई परियोजना मे कपास की खेती को काफी प्रोत्साहन मिला है। ब्यावर की मिलो को भी कपास राज्य के अदर व बाहर दोनो से उपलब्ध होती रही हे।

(2) इस उद्योग की स्थापना पर बाजार की समीपता व श्रम का उपलब्धि का प्रभाव पडा है। श्रमिक पास के गाँवो से आ जाते ह ओर उत्पादन केन्द्रो के पास हा माल के उपभोक्ता केन्द्र व बाजार भी पाये जाते ह। श्रम शक्ति

मे पुरुष, स्त्रियाँ युवक आदि पास के स्थानो से आते हैं ।

(3) उद्योग की स्थापना जलवायु, पानी की सप्लाई भूमि की उपलब्धि आदि से भी प्रभावित हुई है।

(4) कोयला राज्य के बाहर से मगाना पड़ता है। इसके अलावा विभिन्न केन्द्रो मे विद्युत की भी व्यवस्था है व डीजल जेनरेटिग सेट्स की स्थापना की भी इजाजत दी गई है।

इस प्रकार राज्य में सूती कपडे की मिलो की स्थापना पर कई तत्वों का प्रभाव पडा है। भविष्य मे राज्य मे सूती वस्त्र उद्योग के विकास के नये कार्यकम है ताकि नागरिको को रोजगार के अवसर उपलब्ध किये जा सके।

कपास के उत्पादन की प्रवृत्ति राज्य मे कपास का वार्षिक उत्पादन काफी घटता बढता रहता है। 1986 87 मे कपास का उत्पादन लगभग 7 लाख गाँठे हुआ था जो घटकर 1987 88 मे 2 2 लाख गाठो पर आ गया था। 1988 89 मे पुन कपास का उत्पादन 6 लाख गाठे हुआ तथा 1989 90 मे लगभग 9 2 लाख गाठो 1990 91 के लिए 8 5 लाख गाठो एव 1991 92 के लिए 10 लाख गाँठो के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है।

राज्य मे सूती वस्त्र व सूत के उत्पादन की स्थिति निम्न तालिका मे दी गई है।[1]

मद	1978	1983	1990	1991
1 सूती वस्त्र (करोड मीटर)	3 32	5 58	4 66	4 38
2 सूत (Yam) (हजार टन)	33 6	42 7	48 6	53 2

इस प्रकार राज्य मे सूती वस्त्र का उत्पादन 1990 मे लगभग 4 7 करोड मीटर हुआ तथा सूत (यार्न) का उत्पादन 48 6 हजार टन रहा। तालिका से पता चलता है कि 1991 मे सूती वस्त्र का उत्पादन 4 4 करोड मीटर हुआ जो 1983 के उत्पादन से कम था। इस प्रकार राजस्थान मे सूती वस्त्र का उत्पादन काफी घटता बढता रहता है। 1991 मे काटन यार्न का उत्पादन थोडा बढा है। 1983 मे राज्य मे सूती वस्त्र का उत्पादन 5 6 करोड मीटर हुआ जो अपने आप मे एक रिकार्ड था। बाद मे इसके उत्पादन मे कमी हुई है।

1 Ten Years of Industrial and M neral Sta st cs Raj 1977 78 to 1986 87 pp 6 7 (DES Jaipur 1988) Rajasthan Budget Study 1992 93 p 118

सहकारी क्षेत्र मे कताई-मिले

(1) राजस्थान सहकारी कताई मिल लि गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) - यह 1965 मे स्थापित हुई थी। यह कपास का उत्पादन करने वाले सदस्य कृषकों व अन्य से कपास खरीदती है और जिनिंग, कताई बुनाई, रगाई व अन्य सम्बद्ध क्रियाओ मे भाग ले सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य यार्न बेचकर कपास के उत्पादको को लाभप्रद मूल्य दिलाना होता है। इसे पिछले वर्षों मे काफी घाटा रहा है। लेकिन 1989 90 मे लगभग 1 5 करोड रुपये का मुनाफा हुआ था।

(2) गगापुर सहकारी कताई मिल लि - यह 1981 मे स्थापित की गई थी। यह भी भीलवाडा जिले के गगापुर कस्बे मे स्थित है। यह समिति के सदस्यो के लाभ के लिए सहायक उद्योगो का सचालन करती है। यह भी घाटे मे चलती रहती है। इसे 1989 90 मे 1 34 करोड रुपये का मुनाफा हुआ जो पिछले साल से काफी अधिक था।

(3) गगानगर सहकारी कताई मिल लि - इसकी स्थापना 1978 मे हुई थी, इसका कार्यालय हनुमानगढ जक्शन (जिला श्रीगगानगर) मे है। इसका उद्देश्य भी जिले मे उत्पन्न कपास का उपयोग करना तथा पावरलूम व हाथ-करघो को कच्चा माल उपलब्ध कराना है। यह पिछले वर्षों में घाटे मे चल रही थी, लेकिन इसे 1989-90 मे 1 15 करोड रुपये का मुनाफा हुआ था।

सूती वस्त्र मिलो की समस्याएँ व उनका हल-

(1) कच्चे माल की कमी- राज्य मे जिस वर्ष कपास का उत्पादन घट जाता है उस वर्ष सूती वस्त्र मिलो को कच्चे माल की कमी का सामना करना पडता है। यहाँ लम्बे रेशे की कपास का अभाव पाया जाता है।

(2) पुरानी मशीनरी - राज्य मे सूती वस्त्र की मिलो मे काफी मशीने बहुत पुरानी हैं। ब्यावर मे कृष्णा मिल व एडवर्ड मिल राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने रुग्ण होने के कारण अपने अधिकार मे ले ली थी। इनमे आधुनिकीकरण का अभाव रहा है।

(3) शक्ति के साधनो की कमी- राज्य मे पुराने स्टीम सयन्त्रों के लिए कोयला बिहार से मगाया जाता है। प्राय मिलो को पावर की कमी का सामना करना पडता है। अत यह समस्या हल की जानी चाहिए।

(4) सामान्य कठिनाइयाँ- पूँजी की कमी, कुप्रबन्ध व मिलो के आकार के छोटे होने से उत्पादन लागत अधिक आती है। अत इस उद्योग के प्रबन्ध मे काफी सुधार करने की आवश्यकता है।

चीनी उद्योग

राज्य में कई वर्षो से चीनी के तीन बडे कारखाने चल रहे है जो इस प्रकार हैं - **(1) दी मेवाड़ शूगर मिल्स, भोपाल सागर (चित्तौड़गढ़ जिला)**

जो 1932 में स्थापित हुई, (2) दी गगानगर शुगर मिल्स लि जो 1945 में बीकानेर औद्योगिक निगम लि के अधिकार मे थी तथा 1 जुलाई 1956 मे इसे दी गंगानगर शुगर मिल्स लि के नाम से राजकीय उपक्रम में बदल दिया गया। अत अब यह सार्वजनिक क्षेत्र मे है। (3) श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि 1965 मे सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई। यह बूँदी जिले मे स्थित है।

इस प्रकार चीनी की तीन मिले क्रमश निजी सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र मे स्थापित होने के कारण तीन प्रकार के सगठनों के उत्पादन की तुलना करने का अवसर देती है। चीनी की मिलो की स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रो के समीप होती है ताकि गन्ने को दूर तक ले जाने की असुविधा का सामना न करना पड़े तथा उसके अधिकाधिक रस का प्रयोग किया जा सके। गन्ने का उपयोग गुड व खण्डसारी बनाने मे भी किया जाता है।

राज्य मे बूँदी चित्तौडगढ व श्रीगगानगर जिलो में काफी गन्ना उत्पन्न किया जाता है। इसलिए चीनी की मिले भी इन्हीं जिलो मे स्थापित की गयी है।

गन्ने का उत्पादन राज्य मे गन्ने का उत्पादन काफी घटता बढता रहता है जिससे चीनी के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडा है। 1977 78 मे गन्ने का उत्पादन 28 3 लाख टन हुआ था जो बाद मे कम हुआ है। 1988 89 मे यह 6 9 लाख टन 1989 90 मे 12 लाख टन तथा 1990 91 मे 13 6 लाख टन रहा। 1991 92 मे इसके 10 2 लाख टन होने का अनुमान है।

अत राज्य मे गन्ने की पैदावार के घटने बढने की प्रवृत्ति पायी जाती है। जो एक गम्भीर समस्या है।

चीनी के उत्पादन की प्रवृत्ति

राज्य मे चीनी के वार्षिक उत्पादन की स्थिति अग्र तालिका से स्पष्ट हो जाती है[1]

वर्ष	उत्पादन (हजार टन में)
1978	41
1987	23
1988	9
1989	12
1990	13
1991	25

---

1 आय व्ययक अध्ययन 1992 93 पृ 58 (1987 व बाद के लिए)

इस प्रकार राजस्थान मे चीनी के उत्पादन मे भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। *1978 मे चीनी का उत्पादन लगभग 41 हजार टन हुआ था जो 1988 मे घटकर 9 हजार टन हो गया। 1989 व 1990 में यह 12 13 हजार* टन रहा। 1991 मे चीनी का उत्पादन 25 हजार टन हुआ जो पिछले वर्ष का लगभग दुगुना था।

हम नीचे उपलब्ध सूचना के आधार पर दी गगानगर शुगर मिल्स लि (सार्वजनिक उपकम) व सहकारी क्षेत्र की श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि की प्रगति का संक्षिप्त विवरण देते हैं [1]

(1) दी गगानगर शुगर मिल्स लि यह जुलाई 1956 से राजकीय उपकम के रूप मे कार्य कर रही है। इसमे 97% अश राज्य के है तथा शेष निजी शेयरहोल्डरों के है। इसके अन्तर्गत निम्न इकाइयो का कार्य चल रहा है।

(ii) *शुगर फैक्टी श्रीगगानगर, जहाँ गन्ने व चुकन्दर से चीनी बनाई जाती है*

(iii) *श्रीगगानगर व अटरू मे स्थित डिस्टलरी मे तथा राज्य के अन्य भागो मे मदिरा घरो मे परिशोधित स्प्रिट (rectified spirit) तैयार की जाती है।*

(iv) *लाइसेंस प्राप्त दुकानदारो को देशी मदिरा बेचने के लिए दी जाती है (कोटा व उदयपुर डिविजन मे जनजाति क्षेत्रो मे), तथा*

(v) धौलपुर मे हाइटेक ग्लास फैक्टरी मे काँच के सामान बोतलो व रेलवे जार्स का उत्पादन किया जाता है।

गगानगर शुगर मिल्स लि को इसके खातो के अनुसार (as per accounts) 1989 90 मे 28 लाख रुपये का घाटा हुआ। 1990 91 मे 4 लाख रुपये का मुनाफा हुआ और 1991 92 मे लगभग 69 9 लाख रुपये का घाटा हुआ है। स्मरण रहे कि पिछले वर्ष के समायोजनो को शामिल करने से लाभ हानि की *स्थिति मे अतर आ जाता है। हमने ऊपर जो स्थिति दर्शायी है वह लेखो के आधार* पर है।[2] 1987 88 मे भीषण अकाल के कारण काफी गन्ना पशुओं के चारे के लिए बेचना पडा था जिससे चीनी के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडा था। इसी वर्ष पानी व सिचाई के अभाव मे गन्ने की पैदावार कम हुई गन्ने मे रस की मात्रा कम हुई एव गन्ने पर पायरीला नामक कीडे का भारी प्रकोप रहा। कम्पनी द्वारा श्रीगगानगर व अटरू मे मोलासेस या सीरे (Molasses) से परिशोधित स्प्रिट

1 Public Enterprises Profile 1990 91 Bureau of Publ c Enterprises, Govt. of Raj April 1993

2 Annual Report, The Ganganagar Sugar M lls Ltd. 1991 92, p 17

अजमेर व मण्डोर की डिस्टीलरियो में केसर-कस्तूरी मदिरा व 14 बोटलिग केन्द्रो पर देशी मदिरा का उत्पादन किया जाता है।

1988 89 में हाइटेक ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर में लगभग 65 लाख बोतलों का उत्पदन हुआ था। कोयले की कमी से उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(2) श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि (बूँदी जिला)
इसकी स्थापना सहकारी क्षेत्र मे 1965 मे हुई थी। गन्ने के कृषक इसके सदस्य है। इसका एक उद्देश्य पास पड़ौस के क्षेत्रो मे गन्ने का उत्पादन बढाना भी है इसे 1987 88 तक कर से पूर्व घाटा हुआ था। इसकी प्रतिदिन गन्ना पिराइ की क्षमता 1250 टन है जिसका 1986 87 में पिराई के मौसम मे 71% उपयोग हो पाया था। 1986 87 म यहाँ चीनी का उत्पादन 10257 टन हुआ था। 1987 88 म इसको 1 58 करोड रुपये का घाटा हुआ जो पहले से अधिक था। 1988 89 मे 8 3 लाख रुपया का मामूली लाभ प्राप्त हुआ तथा 1989 90 मे पुन 17 2 लाख रुपयों का घाटा हुआ जो बढकर 1990 91 मे 73 3 लाख रुपये हो गया।

निष्कर्ष- राजस्थान मे चीनी गुड तथा खण्डसारी का उत्पादन बढाने के लिए गन्ने का उत्पादन बढाया जाना चाहिए। साथ मे चुकन्दर का उत्पादन भी बढाया जा सकता है। प्रचलित मिलों की प्रबन्ध-व्यवस्था मे सुधार करके उत्पादन बढाया जाना चाहिए। उनके लिए वित्त नई मशीने पावर आदि की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए।

सीमेंट उद्योग

राजस्थान सीमेंट उद्योग मे भारत मे एक अगुआ राज्य माना जाता है। यहाँ सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन काफी मात्रा मे पाया जाता है। इस उद्योग के लिए जिप्सम भी राजस्थान मे मिलता है तथा कोयला राज्य के बाहर से मगाना पडता है। राज्य मे सीमेंट के कारखाने लाइमस्टोन को खानो के आस पास स्थापित किये गये है। इस प्रकार कच्चे माल की उपलब्धि ने इस उद्योग की स्थापना को प्रभावित किया है। 1988 में सीमेंट की 9 बडी इकाइयाँ इस प्रकार थीं।[1] इनके अलावा बहुत सी मिनी सीमेंट की इकाइयाँ भी स्थापित हुई हैं।

(1) ए.सी.सी. लि., लाखेरी
(2) जयपुर उद्योग, सवाई माधोपुर
(3) बिडला जूट, चित्तौडगढ

1 The Economic Times Data Bank June 1989 p.51

(4) हिन्दुस्तान शूगर, उदयपुर
(5) जे के सीमेंट, निम्बाहेडा
(6) मगलम् सीमेंट, मोडक
(7) स्टॉ प्रोडक्ट्स बनास, सिरोही जिला
(8) श्री सीमेंट, ब्यावर तथा
(9) श्रीराम सीमेंट, श्रीरामनगर, कोटा।

इनमे सर्वाधिक उत्पादन क्षमता जे के सीमेंट निम्बाहेडा की है। यह 1 अप्रेल 1988 को 11 4 लाख टन वार्षिक थी। सबमे कम श्रीराम सीमेंट, कोटा की थी जो केवल 2 लाख टन वार्षिक थी।

सीमेंट का उत्पादन

राज्य मे सीमेंट का उत्पादन योजनाकाल मे काफी बढाया गया है। यह अग्र तालिका मे दर्शाया गया है

सीमेंट का उत्पादन (लाख टन मे)

1978	20 6
1988	39 5
1989	41 8
1990	42 6
1991	47 4

राज्य मे पिछले वर्षों मे सीमेंट का उत्पादन काफी बढा है। राजस्थान मे सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भण्डार होने के कारण भविष्य मे सीमेंट का उत्पादन और बढाया जा सकता है। राज्य मे कई स्थानों पर मिनी सीमेंट की इकाइयाँ भी स्थापित की गई हैं। 1 अप्रैल 1989 से सीमेंट के वितरण व मूल्य स्तर पर से नियत्रण हटा लिया गया था।

अब राज्य मे सीमेंट के उत्पादन की क्षमता लगभग 110 लाख टन प्रति वर्ष हो गई है। पिछले कुछ वर्षों मे सीमेंट की कुछ नई बडे आकार की इकाइयाँ भी स्थापित की गयी हैं जिससे सीमेंट के बडे कारखानो की कुल सख्या सफेद सीमेंट की 3 इकाइयों सहित 20 तक पहुचने का अनुमान है। हाल के वर्षों मे रीको व राजस्थान वित्त निगम ने कई मिनी सीमेंट के सयत्र भी स्वीकत किये हैं जिससे सीमेंट उद्योग मे एक अभूतपूर्व प्रगति की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

वर्ष 1992 93 मे रीको से दो सीमेंट की बडी कम्पनियो का 'टाइ अप हुआ है एक तो डी एल एफ सीमेंट लिमिटेड का तथा दूसरी इन्डो निपोन स्पेशल सीमेंट्स लि का। इनमे से प्रत्येक मे 400 करोड रुपये की पूँजी का विनियोजन होने का अनुमान है। इस प्रकार राजस्थान का सीमेंट उद्योग भारत के मानचित्र पर

तेजी से उभर कर ऊपर आ रहा है।

भारत मे सीमेंट की माग बढ रही है इसलिए इस उद्योग का विकास देश के हित मे रहेगा। मिनी सीमेंट के कारखाने-आबूरोड़, नीम का थाना, बासवाड़ा, हिण्डौन सिटी व कोटपूतली आदि स्थानों में स्थापित किये गये हैं। इनमें लागत कम व रोजगार अधिक मिलता है। सीमेंट उद्योग के विकास पर कच्चे माल की उपलब्धि व बाजार की माग का भी काफी प्रभाव पड़ता है।

राज्य में सीमेंट उद्योग की समस्याए व उनका समाधान-

(1) यहाँ सीमेंट के कारखानों में उत्पादन- लागत अधिक आने से उनकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति पर विपरीत प्रभाव पडा है। प्रबध व्यवस्था मे सुधार करके लागत घटायी जा सकती है।

(2) मिनी सीमेंट की इकाइयाँ बड़ी इकाइयों की प्रतियोगिता का पर्याप्त मात्रा मे सामना नहीं कर पातीं। इसलिए सीमेंट की माग के बढ़ने पर ही उनका विकास सम्भव हो पाता है।

(3) बिजली की सप्लाई के बढने व उसके अनियमित से नियमित होने पर उद्योग का भविष्य निर्भर करता है।

(4) सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्टी कई कारणो से बन्द रही है जिसके लिए श्रमिको की तरफ से काफी आन्दोलन भी हुए है। इसे पुन चालू किया जा रहा है।

राजस्थान को आधुनिक उत्पादन विधि को अपनाकर सीमेंट का उत्पादन बढाना चाहिए। राज्य में इस उद्योग का भविष्य उज्जवल है क्योंकि यहाँ इसके विकास की समस्त आवश्यकताओ की पूर्ति हो जाती है। आशा है कि भविष्य में भी सीमेंट उद्योग का राज्य मे काफी विकास होगा। 1990-91 के राज्य सरकार के बजट मे सीमेंट पर केन्द्रीय बिक्री कर 16% से घटा कर 7% कर दिया गया था ताकि सीमेंट की बिक्री को प्रोत्साहन मिले और उद्यमकर्ता अन्य राज्यो में सीमेंट बेचने के लिए अपनी 'ब्राच ट्रासफर न करें।

नमक उद्योग

राजस्थान में नमक उद्योग का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ खारे पानी की झीले पायी जाती हैं जिससे नमक के उत्पादन के लिए प्राकृतिक दशाए काफी अनुकूल है। राजस्थान मे सार्वजनिक क्षेत्र मे नमक के कारखाने साभर, डीडवाना, पचपदरा में हैं तथा निजी क्षेत्र मे छोटे आकार के नमक के कारखाने फलौदी, कुचामन सिटी पोकरन व जाब्दीनगर (नावां तहसील, नागौर जिला) आदि स्थानों मे पाये जाते हैं।

हम नीचे लवण स्रोतों का परिचय देंगे। उसके बाद इन पर आधारित कारखानों का वर्णन किया जायेगा।

(1) राजकीय लवण-स्रोत, डीडवाना [1]- यह स्रोत 1910 एकड क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्तमान मे 400 नमक के क्यारे पुश्तैनी देश वालो के द्वारा तथा 800 क्यारे विभाग द्वारा दिये गये 10 वर्ष के लीज के अन्तर्गत कार्यरत हैं। स्रोत के दोनों तरफ बने बाँधो मे वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है। यही पानी रिसकर नमक उत्पादन क्षेत्र मे आता है। इस पानी को ब्राइन कहते हैं। ब्राइन मे नमक के अलावा सोडियम सल्फेट अधिक मात्रा मे होने से यह नमक खाने के काम मे नहीं आ सकता । इसलिए इस स्रोत से 80-85% अखाद्य नमक (non edible salt) बनता है। इसको बेचने मे बडी कठिनाई होने लगी है। 1990-91 मे (जनवरी 1991 तक) इसे 85 लाख रुपये का लाभ हुआ था।

(2) राजकीय लवण-स्रोत, पचपदरा पचपदरा लवण स्रोत 32 वर्ग मील में फैला है। यहाँ की नमक की उत्पादन क्षमता 6 लाख क्विंटल वार्षिक है। पचपदरा जोधपुर से 128 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम मे स्थित है। यह स्रोत भी 1964 से कार्यरत है। इस स्रोत से 1988 89 मे घाटा रहा, लेकिन बाद में मामूली लाभ हुआ है।

ये दोनो नमक स्रोत राजस्थान सरकार सचालित करती है जबकि साँभर मे नमक का उत्पादन भारत सरकार की देखरेख मे होता है जिसका सचालन साँभर सॉल्ट्स लि (हिन्दुस्तान साल्ट्स लि की सहायक कम्पनी) कर रही है। साँभर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही है । यहाँ का नमक अपनी गुणवत्ता के लिए भी प्रसिद्ध रहा है।

विभाग द्वारा साभर के निकट जाब्दीनगर मे नया नमक स्रोत विकसित किया जा रहा है।

राज्य मे नमक पर आधारित राजकीय उपक्रमो का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

(1) राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री)

यह 1966 में स्थापित की गई थी। इसमे सोडियम सल्फाइड का उत्पादन किया जाता है। यह चमड़े तथा रगाई उद्योग मे काम आता है। इसे डीडवाना केमिकल्स लि को लीज पर दिया गया था लेकिन लीज का भुगतान समय पर न करने से लीज को फरवरी 1987 में समाप्त कर दिया गया। उत्पादन कार्य सितम्बर 1988 मे बद कर दिया गया। इसे पुन सयुक्त क्षेत्र मे चलाने का विचार है। इसमे 1989 90 मे 13 लाख रुपयो का घाटा हुआ था।

---

1 राजकीय उपक्रम विभाग, प्रगति विवरण, 1990 91 प 2 (साइक्लोस्टाइल की गई प्रति)

(2) राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फेट वर्क्स) -

यह 1964 में स्थापित किया गया था। यह क्रूड सोडियम सल्फेट का उत्पादन करता है। नमक की क्यारी में सर्दी में सल्फेट अलग होकर जम जाता है। 10-12 वर्ष में यह परत मोटी हो जाती है जिसे क्रूड सल्फेट कहते हैं। यह सल्फेट सल्फाइड उत्पादन के काम में आता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। इस इकाई से पिछले वर्षों में लाभ हुआ है। 1989-90 में 14 9 लाख रुपयों का लाभ हुआ जो बढ़कर 1990-91 में लगभग 28 लाख रुपये हो गया।

(3) राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स, डीडवाना -

इसकी स्थापना 1960 में विभागीय उपक्रम के रूप में हुई थी। यहाँ खाद्य, अखाद्य, औद्योगिक व आयोडीनीकृत नमक बनाया जाता है। यहाँ ब्राइन से सोडियम सल्फेट निकाल कर शुद्ध नमक बनाया जाता है। इसे भी सितम्बर, 1981 मे मैसर्स डीडवाना केमिकल प्राइवेट लि को लीज पर दे दिया गया था। लेकिन विवाद होने पर मामला कोर्ट मे चला। इसे 1988-89 में 72 लाख रुपयों का, 1989-90 में 45 7 लाख रुपयों का तथा 1990-91 मे 125 लाख रुपयों का मुनाफा हुआ।

(4) राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स, पचपदरा-

यह 1960 में स्थापित हुआ था। यह भी खाद्य, अखाद्य, औद्योगिक व आयोडीनीकृत नमक बनाता व बेचता है।

पचपदरा व डीडवाना दोनों में आयोडीनीकरण के संयंत्र लगाये गये हैं ताकि नमक का आयोडीनीकरण किया जा सके। पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन की कमी से गिल्लड़ (goitre) की बीमारी हो जाती है जिसको दूर करने के लिए नमक के माध्यम से आयोडीन मनुष्य के शरीर में पहुँचाया जाता है। इसे पूर्व वर्षों में घाटा हुआ था। *1989-90 में 11 5 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ, लेकिन* 1990-91 में इसे पुन. 1 लाख रुपयों का घाटा हुआ है।

राज्य में नमक के उत्पादन की प्रवृत्ति-

राज्य में नमक का उत्पादन घटता-बढ़ता रहता है।

विभिन्न वर्षों में उत्पादन की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है।

वर्ष	नमक का उत्पादन (लाख टन)
1978	4 6
1988	10 4
1989	9 3
1990	10 6
1991	14 4

1988 मे नमक का उत्पादन 10 लाख टन को पार कर गया था। यह पिछले दस वर्षों मे दुगुने से भी अधिक था। 1991 मे नमक का उत्पादन 14 4 लाख टन रहा जो पिछले वर्ष से काफी अधिक था।

निष्कर्ष जैसा कि ऊपर बतलाया गया है डीडवाना के सयत्र लीज पर दिये गये है। लेकिन नमक-आधारित वस्तुओ के उत्पादन की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। नमक के राजकीय उपक्रमो की प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार करने की नितान्त आवश्यकता है।

काँच का उद्योग

काँच बनाने मे बालू मिट्टी के अलावा कई रासायनिक पदार्थ तथा कोयला आदि प्रयुक्त होते है। राज्य मे काँच के उद्योग के विकास के लिए अनुकूल दशाएँ विद्यमान है जैसे बालू पत्थर, सिलिका मिट्टी सोडियम सल्फेट, शीरा आदि की पर्याप्त उपलब्धि। यहाँ काँच बनाने वाले कुशल मजदूर भी पाये जाते है। चूने का पत्थर भी बहुतायत मे मिलता है। काँच का सामान बनाने के कारखाने पहले कुछ नगरो मे पाये जाते थे। लेकिन आजकल धौलपुर के निम्न दो कारखाने विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

(1) धौलपुर ग्लास वर्क्स यह निजी क्षेत्र मे है। इसमे काँच का लगभग 1000 टन वार्षिक उत्पादन होता है।

(2) हाईटेक ग्लास फैक्टी धौलपुर यह दी गगानगर शूगर मिल्स लि जयपुर के अन्तर्गत है। यह जुलाई 1968 से कम्पनी के पास लीज पर है। यहाँ मदिरा विभाग के लिए बोतलो का उत्पादन किया जाता है। 1988 89 मे 65 लाख बोतलो का उत्पादन हुआ जो घटकर 1989 90 मे 58 लाख बोतलो पर आ गया। पुरानी भट्टी के खराब हो जाने से उत्पादन घट गया था। कोल इण्डिया व लघु उद्योग निगम से अच्छी किस्म का कोयला न मिलने से फर्नेस मे पूरा तापमान न बनने से उत्पादन लक्ष्यो के अनुसार नही किया जा सका है। आशा है आगामी वर्ष मे उत्पादन मे वद्धि होगी।

राजस्थान मे काँच के उद्योग के विकास की सम्भावनाएँ जयपुर, सवाई माधोपुर बीकानेर, बूँदी तथा उदयपुर में है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य मे सूती वस्त्र चीनी सीमेंट, नमक व काँच उद्योगो का विकास कुछ सीमा तक हुआ है। भविष्य मे राज्य मे इलेक्टोनिक्स उद्योगो के विकास पर बल दिया जा रहा है। राज्य मे खनिज आधारित उद्योगो के विकास की काफी सम्भावनाएँ है।

प्रश्न

1 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

(i) उद्योगो का राजस्थान की कुल घरेलू उत्पत्ति में योगदान

(ii) राज्य में उद्योगो का रोजगार मे अशदान

(iii) राजस्थान मे उद्योगो का आकार,

(iv) राजस्थान की दस्तकारियाँ ।

2 राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षणो का विवरण निम्न शीर्षको के अन्तर्गत दीजिए

(i) आकार,

(ii) वस्तुगत ढाँचा तथा

(iii) प्रादेशिक फैलाव या जिलेवार वितरण

3 राजस्थान में फैक्टी क्षेत्र मे कौन से उद्योग समूह प्रमुख माने जाते है ? उनमें मुख्यत किन वस्तुओ का उत्पादन होता है? समझाकर लिखिए।

4 राजस्थान के ग्रामीण व कुटीर उद्योगो का विवरण दीजिए। यहाँ की दस्तकारियाँ पर प्रकाश डालिए।

5 राजस्थान के लघु उद्योगो का परिचय दीजिए।

6 राजस्थान के सीमेंट उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थिति व समस्याओं पर प्रकाश डालिए। इनके विकास के लिए आवश्यक सुझाव दीजिए।

7 राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से कौन से जिले अधिक विकसित हो पाये हैं? राज्य मे औद्योगिक दृष्टि से अविकसित पाँच जिलो के नाम लिखिए और उनकी वर्तमान स्थिति का उल्लेख कीजिए।

8 राजस्थान के औद्योगिक ढाँचे का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्या वह पहले की तुलना मे काफी परिवर्तित हुआ है ?

9 योजनाकाल में राजस्थान मे औद्योगिक विकास की प्रमुख प्रवृत्तियो का वर्णन कीजिये।

(Ajmer IIyr 1992)

7

राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम
(Public Enterprises in Rajasthan)

योजनाबद्ध विकास मे सार्वजनिक उपक्रमो की महत्त्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। वे न केवल आधार ढाँचे के निर्माण मे मदद देते है बल्कि पिछडे क्षेत्रो के औद्योगिक विकास रोजगार सवर्द्धन निर्धनता उन्मूलन व कई प्रकार से जन कल्याण कार्यों व सार्वजनिक उपयोगिताओ से सम्बद्ध उपक्रमो (Public utilities) के विकास मे सहयोग देते है।

राजस्थान मे सार्वजनिक उपक्रमो को दो भागो मे बाटा जा सकता है (अ) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किये गये उपक्रम (आ) राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक उपक्रम।

(अ) केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम मार्च 1990 मे राजस्थान मे केन्द्रीय औद्योगिक विनियोगो का 1 51% अश लगा हुआ था जबकि 1980 81 मे यह 1 7% लगा हुआ था। केन्द्रीय क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयो मे हिन्दुस्तान जिक लि (देवारी उदयपुर) हिन्दुस्तान कापर लि (खेतडी) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, इस्ट्रूमेन्टेशन लि कोटा साभर साल्टस लि (हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड की सहायक कम्पनी) माडर्न बेकरीज (विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर) तथा राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि कनकपुरा जयपुर के समीप (इसमे भारत सरकार का अश 51% है इसे रीको की सयुक्त क्षेत्र की इकाइयो मे भी दिखाया जाता है) शामिल है। 1989 90 मे हिन्दुस्तान कॉपर लि को शुद्ध लाभ 45 करोड रु का प्राप्त हुआ था । एच एम टी लि इजीनियरी सुरक्षा व वाहन उद्योग के लिए प्रिसीजन ग्राइण्डिग मशीनों का उत्पादन करती है। राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम (NTPC) द्वारा अन्ता (कोटा) मे गैस आधारित पावर सयत्र की स्थापना से राज्य मे केन्द्रीय विनियोगो की राशि मे वृद्धि हुई है।

विभिन्न इकाइया का सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है

(1) *हिन्दुस्तान जिक लि इसके अन्तर्गत 5 खाने (तीन राजस्थान मे एक आध्र प्रदेश मे तथा एक उडीसा में) तथा 3 स्मेल्टर्स है (एक राजस्थान मे एक बिहार मे तथा एक विशाखापट्नम मे)* । इसे पावर व पानी की कमी का सामना करना पडा है ।

प्राय देवारी जिंक स्मेल्टर तथा जावर ग्रुप ऑफ माइन्स मे उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता है।

सभी इकाइयो मे 1991 92 मे कर के पश्चात् शुद्ध लाभ 93 4 करोड रुपयो का हुआ जबकि पिछले वर्ष 84 करोड रु का हुआ था।[1]

(ii) हिन्दुस्तान कॉपर लि - यह नवम्बर 1967 मे एक निजी कम्पनी के रूप मे स्थापित हुई थी। इसके अन्तर्गत खेतडी ताबा कॉम्पलेक्स इण्डियन कॉपर कॉम्पलेक्स घाटसिला बिहार तथा पजीकृत कार्यालय कलकत्ते मे तथा ब्राच कार्यालय दिल्ली बम्बई तथा मद्रास मे हैं । 1991-92 मे शुद्ध मुनाफा 54 9 करोड रुपयो का हुआ जो पिछले वर्ष से लगभग 10 करोड रु अधिक था। इसके द्वारा उत्पादित वस्तुएँ कई प्रकार की है जैसे ब्लिस्टर कॉपर, वायर बार, सल्फ्यूरिक एसिड ब्रास रोल्ड निकल सल्फेट, सेलेनियम सोना चादी व सिगल सुपर फास्फेट ।

(iii) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर- भारत सरकार की कम्पनी HMT के अन्तर्गत 6 इकाई HMT, 4 इकाई वाच व तीन डेयरी मशीनरी आदि की है जो देश के विभिन्न भागो मे कार्यरत है। HMT अजमेर इस क्रम की छठी इकाई है। भारत की HMT कम्पनी लाभ मे चल रही है। HMT अजमेर मे उत्पादन का मूल्य 1989 90 मे 14 4 करोड रु का रहा ।

(iv) इन्स्ट्रूमेण्टेशन लि , कोटा- इसकी एक इकाई कोटा व दूसरी पालघाट (केरल) मे स्थित है। कोटा सयत्र 1965 मे स्थापित किया गया था। इसमे 1968 69 से उत्पादन चालू हुआ था। **राजस्थान इलेक्ट्रोनिक एण्ड इन्स्ट्रूमेण्टस लि जयपुर इसकी एक सहायक कम्पनी है जो रीको के साथ सयुक्त क्षेत्र मे 1982 83 मे स्थापित हुई थी ।**

(v) साभर साल्ट्स लि - यह 30 सितम्बर 1964 में स्थापित हुई थी। साभर झील 90 वर्ग मील मे फैली हुई है। इसे पिछले वर्षों मे शुद्ध घाटा रहा है।

1991 92 मे शुद्ध लाभ की राशि 41 लाख रुपये थी जबकि 1990-91 में 71 लाख रु थी ।

(vi) मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड - यह 1965 में स्थापित हुई थी। इसकी 13 ब्रेड इकाइया हैं जिनमें से एक जयपुर (राजस्थान) मे है। इसे मॉडर्न बेकरीज कहते है। यह उपभोक्ता वस्तु के उद्योग मे आती है ।

(vii) जैसा कि पहले कहा जा चुका है **राजस्थान इलेक्टोनिक्स व इन्स्ट्रूमेण्ट्स लि , कनकपुरा (जयपुर)** कोटा इन्स्ट्रूमेण्टेशन लि कोटा की सहायक

1 Key Financial Data on Central Govt Enterprises (CMIE) May 1993 p 82

कम्पनी होने के नाते यह केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में शामिल की जाती है। इसे 1989 90 मे 48 लाख रुपयो का शुद्ध मुनाफा हुआ था जो पिछले वर्ष से 2 लाख रु कम था । इसमे भारत सरकार की 51% तथा रीको की 49% पूँजी लगी है। इसे सयुक्त क्षेत्र की इकाई भी कहा जाता है।

अन्य- राजस्थान ड्रग्स व फार्मास्यूटिकल्स लि की स्थापना नवम्बर 1978 मे इसकी प्रधान कम्पनी IDPL की सहायक इकाई के रूप मे रीको के साथ सयुक्त क्षेत्र मे की गई थी । बिक्री के आर्डर न मिलने मे इसकी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नही किया जा सका है तथा इसे छोटे उत्पादको से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पडा है। कम्पनी के लिए कार्यशील पूँजी का भी अभाव रहा है। 1991 92 मे इसे 13 लाख रु का घाटा हुआ जब कि 1990 91 म शुद्ध घाटा 26 लाख रु का हुआ था ।

(आ) राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमो को चार श्रेणियो मे विभाजित किया जा सकता है। 1990 91 मे 39 उपक्रमो की सूचना प्राप्त हुई थी । इनका वर्गीकरण इस प्रकार ह ।

(i) वैधानिक निगम बार्ड इनकी सख्या 7 थी । इस श्रेणी मे राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड (RSEB) राजस्थान सडक परिवहन निगम राजस्थान वित्त निगम राजस्थान राज्य वेयरहाउसिग निगम तथा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड आते हैं।

(ii) पजीकृत कम्पनिया इनकी सख्या 15 थी ओर ये कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पजीकृत हुई थीं । इनके नाम इस प्रकार हैं दी गगानगर शुगर मिल्स लि स्टेट माइन्स व मिनरल्स लि रीको राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम राजस्थान लघु उद्योग निगम लि राज्य होटल निगम लि, पर्यटन विकास निगम लि राज्य बीज निगम लि कषि उद्योग निगम लि ब्रिज व कन्स्टक्शन निगम लि हाथकरघा विकास निगम लि जल साधन विकास निगम लि राज्य वन विकास निगम लि राजस्थान इलेक्टोनिक्स लि (REL) तथा राज्य टगस्टन विकास निगम लि, इनमे कई इकाइयो के नामो मे निगम के बाद लिमिटेड शब्द आने से ये कम्पनी सगठन मे शामिल की गई है।

(iii) पजीकृत सहकारी समितिया- इस श्रेणी की 13 इकाइया इस प्रकार थीं अनुसूचित जाति विकास सहकारी फैडरेशन लि, जनजाति क्षेत्र विकास सहकारी फेडरेशन लि राज्य बुनकर सहकारी सघ लि सहकारी डेयरी फेडरेशन लि, सहकारी भेड व ऊन विपणन फेडरेशन लि, राज्य सहकारी मार्केटिग फेडरेशन लि, सहकारी उपभोक्ता सघ लि, श्री कशरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि, केशोरायपाटन तीन सहकारी स्पिनिग मिल्स (गुलाबपुरा, गगापुर (भीलवाडा जिला) तथा हनुमानगढ) सहकारी हाउसिग फेडरेशन लि, तथा सहकारी तिलहन प्रोसेसिग मिल्स लि, गजसिहपुर ।

(iv) **विभागीय उपक्रम-** इस श्रेणी मे निम्न 4 उपक्रम लिये गये हैं- केमिकल्स वर्क्स (सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री) डीडवाना, केमिकल्स वर्क्स (सोडियम सल्फेट वर्क्स), डीडवाना, तथा राजस्थान सरकार नमक वर्क्स, डीडवाना तथा नमक वर्क्स, पचपदरा।

बहुधा सार्वजनिक उपक्रमो में सहकारी सगठनों को शामिल नहीं किया जाता और इनमे वैधानिक निगम बोर्ड, पजीकृत कम्पनियो व विभागीय उपक्रमो को ही शामिल किया जाता है। लेकिन राजस्थान सरकार के राज्य उपक्रम विभाग (सार्वजनिक उपक्रमो के ब्यूरो) द्वारा प्रकाशित "Public Enterprises Profile" मे सार्वजनिक उपक्रमो की वित्तीय उपलब्धियो मे सहकारी इकाइयो को भी शामिल किया गया है। इसलिए यहा इन सभी की इकट्ठी वित्तीय उपलब्धियो की चर्चा की जाती है ।

सार्वजनिक उपक्रमों का पूँजीगत ढाँचा- 1990 91 मे इनमे (ऊपर वर्णित) 39 उपक्रमों मे कुल लगायी गयी पूँजी (Capital employed)[1] 4566 करोड रु थी तथा कुल विनियोजित पूँजी (Capital invested)[2] 2736 करोड रुपये थी।

राज्य के सार्वजनिक उपक्रमो मे 1989 90 मे कुल परिदत्त पूँजी व अवधि - कर्ज की कुल राशि 2969 करोड रुपये थी जिसका 86 2% अश निम्न 5 उपक्रमो मे पाया गया था -

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल राजस्थान वित्त निगम रीको, राजस्थान आवासन मण्डल (Housing Board) तथा राजस्थान सडक परिवहन निगम। कुल घाटो का 98 8% अश निम्न पाच उपक्रमो का था राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, सहकारी डेयरी फैडरेशन लि सहकारी बिक्री फेडरेशन लि., राज्य कृषि- उद्योग निगम लि तथा राज्य बीज निगम लि ।

स्मरण रहे कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (RSEB) तथा राजस्थान हाउसिग बोर्ड बिना शेयर पूँजी या इक्विटी के सचालित किये जा रहे है। इन्हें अवधि -कर्ज पर आश्रित रहना पडता है।

राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमो मे पिछले वर्षों मे कर्ज व शेयर- पूँजी

---

1 लगाई गयी पूँजी (Capital employed) मे शुद्ध स्थिर परिसम्पत्ति + चालू परिसम्पत्तियां (Net *fixed assets + Current assets*) आती हैं।

2 विनियोजित पूँजी (Capital invested) में परिदत्त पूँजी + रिजर्व व सरप्लस + अवधि - कर्ज — सचयी घाटे (accumulated losses) आते हैं । नेटवर्थ (net worth)= विनियोजित पूँजी — अवधि - कर्ज होती है।

का अनुपात (debt - equity ratio) लगभग 8 1 रहा है जो काफी ऊँचा माना जा सकता है। यह 1988 89 में 8 1 तथा 1989 90 मे 7 1 रहा था ।

वित्तीय कार्यसिद्धि (Financial Performance) राजस्थान केसार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय कार्य -सिद्धि बहुत कमजोर रही है जो निम्न आँकडो से प्रकट होती है 1988-89 मे कर के पश्चात घाटा लगभग 67 करोड़ रुपये तथा 1989 90 में 155 7 करोड रु का हुआ 1987 88 में लगी पूँजी (Capital employed) पर कर के पश्चात घाटे का अनुपात 3.14% रहा। यह 1988-89 मे 1 84% तथा 1989-90 मे 3 84% रहा । 1980 81 से 1989-90 तक के लिए कर से पूर्व घाटों की स्थिति निम्न तालिका मे दर्शायी गयी है -

(करोड रुपये)

वर्ष	कर से पूर्व शुद्ध लाभ	वर्ष	कर से पूर्व शुद्ध लाभ
1980 81	15	1985 86	( ) 60 0
1981 82	44	1986 87	( ) 20 6
1982 83	34	1987 88	( ) 99 3
1983 84	52	1988 89	( ) 63 9
1984 85	91	1989 90	( ) 150 9
छठी योजना मे कुल	( ) 236	सातवीं योजना मे कुल	( ) 394 7

इस प्रकार छठी योजना के पाच वर्षो मे कर से पूर्व के घाटे को कुल राशि 236 करोड़ रु रही जो बढकर सातवीं योजना के पाच वर्षों मे 395 करोड रु हो गई । 1990-91 मे कर से पूर्व समग्र घाटा लगभग 89 करोड रु आका गया है । अधिकाश घाटा राज्य विद्युत मण्डल को होता है । इसे 1986 87 मे लगभग 9 करोड रु का घाटा हुआ जो बढकर 1987 88 मे 90 करोड रु का (10 गुना) हो गया । 1988 89 मे इसे 70 करोड रु का घाटा हुआ जो बढकर 1989 90 मे 168 6 करोड रु तक पहुच गया। 1990 91 मे इसे 101 2 करोड रु का घाटा हुआ हे। इस प्रकार 1987 91 के चार वर्षो मे RSEB को लगभग 430 करोड रु का घाटा हुआ है जो एक चिता का विषय है।

राजस्थान मे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों मे विनियोजित पूजी पर प्राप्तियो की दर (ब्याज व करो से पूर्व) निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है [1]–

	1986 87	1987 88	1988 89	1989 90
राजस्थान	2 98%	0 45%	2 06%	0 67%
भारत	12 6%	12 6%	12 7%	12 5%

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रमो मे लगी पूँजी पर प्रतिफल की दर 1986 90 की अवधि मे काफी नीची थी। यह 1987 88 में 0 45% मात्र थी । इसके विपरीत समस्त देश के लिए यह अपेक्षाकृत ऊँची (12 13 प्रतिशत) रही है । इस प्रकार राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमो मे प्रतिफल की दर का नीचा रहना एक भारी चिंता का विषय है ।

कर के पश्चात् शुद्ध लाभ की मात्रा नेट वर्थ (net worth)[2] (परिदत्त पूँजी + रिजर्व व सरप्लस सचयी घाटे) के अनुपात के रूप मे वित्तीय कार्यसिद्धि के अध्ययन मे कर के पश्चात् शुद्ध वर्थ के अनुपात के रूप मे भी देखा जा सकता है। राजस्थान मे निम्न चार वर्षों की स्थिति गम्भीर रही है जो निम्न आँकडों से स्पष्ट हो जाती है

	1986-87	1987-88	1988 89	1989 90
राजस्थान	( ) 2 9%	( ) 12 2%	( ) 7 6%	( ) 17 2%

इस प्रकार राजस्थान 1989 90 मे कर के पश्चात् घाटा विशुद्ध वर्थ का 17 2% था जो बहुत ऊँचा था । यह 1988 89 मे 7 6% रहा था । स्मरण रहे कि यहा नेट वर्थ मे राज्य सरकार द्वारा राज्य विद्युत मण्डल को दिया गया कर्ज भी ऋण पूँजी मान लिया गया है । यदि इसे नेट वर्थ मे शमिल नहीं किया जाता तो शुद्ध घाटो का अनुपात नेट वर्थ मे और ऊँचा निकलता जैसा कि स्वय ब्यूरो ने अपनी पूर्व रिपोर्टों मे दर्शाया था ।

हालांकि 1989 90 मे समग्र रूप मे वित्तीय कार्य सिद्धि काफी निराशाजनक रही लेकिन 5 चोटी की मुनाफा अर्जित करने वाली इकाइया इस प्रकार थीं

---

1 Public Enterprises Profile 1989 90 Bureau of Public Enterprises, State Enterprises Department Jaipur P 7 (राजस्थान के लिये) and Economic Survey 1991 92, part II p 20 (भारत के लिए) (प्रतिशत निकाले गये हैं)

2 राज्य सरकार द्वारा राज्य विद्युत मण्डल को दिये गये ऋण उनकी विशेष प्रकृति के कारण ऋण पूँजी में शामिल कर लिये गये हैं ।

राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य खान व खनिज पदार्थ लि., राजस्थान आवासन बोर्ड *राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि., तथा राज्य सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि., गुलाबपुरा ।*

राज्य मे सार्वजनिक उपक्रमों की कमजोर वित्तीय दशा के कारण - सार्वजनिक उपक्रमो की कार्यसिद्धि का मूल्याकन केवल लाभ हानि के आकडो के आधार पर नहीं किया जा सकता । इसके लिए उनका रोजगार, उत्पादन पिछडे क्षेत्रो के विकास व सार्वजनिक कल्याण मे वृद्धि, आदि के रूप मे भी योगदान देखा जाना चाहिए । लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि यथासम्भव उनके वित्तीय घाटे कम किये जा सके । इसलिए घाटे के कारणो का उपक्रमानुसार अध्ययन किया जाना चाहिए । उपक्रमो मे कई कारणो से घाटे हो सकते है जैसे गलत परियोजना (Wrong project) का चुनाव, पर्याप्त मात्रा मे *कच्चे माल की उपलब्धि का अभाव माग की कमी प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइया गलत मूल्य नीति आवश्यकता से अधिक श्रमिको की नियुक्ति, प्रतिकूल श्रम सम्बन्ध* आदि ।

राज्य विद्युत मण्डल के घाटो के कारण

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को भारी मात्रा म घाटे की स्थिति का सामना करना पडा है । पिछले वर्षों मे घाटे की सर्वाधिक राशि 1989 90 मे 168 6 करोड रु की रही । 1990 91 मे घाटे का अनुमान 101 2 करोड रु लगाया गया है ।

1 **इतने भारी घाटे का मुख्य कारण यह है कि लागतों मे निरन्तर वृद्धि होती गई है जबकि विद्युत प्रशुल्को (electricity tariffs) मे आनुपातिक वृद्धि नहीं हो पायी है** *। अगस्त 1985 मे विद्युत प्रशुल्क मे वृद्धि की गई थी लेकिन इसके अच्छे परिणाम 1985 86 व 1986 87 के वर्षों मे* मिले । फिर भी घाटे की दशा जारी रही । इसका *आशय यह है कि राज्य विद्युत* मण्डल को घाटा कम करने मे काफी कठिनाइयो का सामना करना पडा है। RSEB के घाटे का मुख्य कारण ग्रामीण विद्युतीकरण है। ग्रामीण इलाका मे लम्बी दूरी तक लाइने डालने मे काफी खर्च उठाना पडता है । किसानो को कम कीमत पर बिजली देनी पडती है। 1 सितम्बर 1992 से बिजली की दरो मे वृद्धि की गई है। **कृषको के लिए यह 37 पैसे प्रति यूनिट से बढाकर 45 पैसे प्रति यूनिट की गयी है, हालाकि लागत के 130 पैसे प्रति यूनिट आने के कारण कृषकों को दी जाने वाली बिजली पर अब भी 85 पैसे प्रति यूनिट का** *घाटा आता है । उपभोक्ताओ के लिए यह 75 पैसे प्रति यूनिट रखी गई है।* बडे उद्योगो के लिए यह 135 पैसे प्रति यूनिट है जो दिल्ली महाराष्ट व उत्तरप्रदेश से कम है। इसी प्रकार घरेलू दरे व व्यावसायिक दरे भी अन्य कई राज्यो से कम हैं ।

2 **राजस्थान मे विद्युत के ट्रान्समिशन व वितरण की हानि का अनुपात 26% से घट कर 21% पर आ गया है । समस्त देश का औसत**

22% है । पहले राजस्थान में ट्रान्समिशन व वितरण की हानि का अंश काफी ऊँचा था, लेकिन अब यह 5 प्रतिशत बिन्दु नीचा आ गया है । इसे और कम किया जाना चाहिए ।

3. राजस्थान मे विद्युत इकाइयो में श्रमिक आवश्यकता से ज्यादा लगे हुए है । अत इस क्षेत्र मे अतिरिक्त श्रम की समस्या पायी जाती है । उद्योगो के वार्षिक सर्वेक्षण (फैक्ट्री सैक्टर) 1988-89 के अनुसार राजस्थान मे कुल फैक्ट्री कर्मचारियो का लगभग 23 3% अश विद्युत में लगा था, जबकि समस्त देश के लिए यह औसत लगभग 10% था । 1988 89 मे राजस्थान मे पूँजी-उत्पत्ति अनुपात विद्युत क्षेत्र मे भारत मे ऊँचा पाया गया है । पूँजी-उत्पत्ति अनुपात जानने के लिए स्थिर पूँजी मे जोडे गये शुद्ध मूल्य का भाग दिया जाता है ।

इस प्रकार विद्युत मण्डल को ऊँचे पूँजी-उत्पत्ति-अनुपात व अतिरिक्त श्रम (excess labour) का सामना करना पड रहा है । जयपुर व अजमेर के निर्माण खण्डो मे हजारो तकनीकी व दक्ष श्रमिक मौजूद थे, फिर भी भूतकाल मे 132 व 220 के वी लाइनो का निर्माण करने के लिए प्राइवेट ठेकेदारो को करोडो रुपये दिये गये । ऐसी दशा मे घाटा होना स्वाभाविक है ।

4. विद्युत के बिलो की राशि सही नहीं होती । बिजली की चोरी होने से कम राशि के बिल बनाये जाते हैं । 1987 मे विद्युत मडल ने कोटा की एक फर्म का मामला सुप्रीम कोर्ट मे जीता था जिससे 17 करोड रुपये की राशि का भुगतान विद्युत मण्डल को प्राप्त हुआ, हालांकि यह राशि 24 समान किस्तो मे वसूल की गयी। फिर भी स्पष्ट है कि बिजली की चोरी रोकने का प्रयास करने की स्थिति सुधरेगी ।

RSEB को राज्य सरकार की ओर से प्रदत्त ऋण-राशि का 50% इक्विटी मे बदलने से 57 5 करोड रु के वार्षिक ब्याज की बचत हुई है । विद्युत मडल पर केन्द्र व वित्तीय संस्थाओ का दबाव है कि वह लगी पूँजी पर 3% दर से प्रतिफल प्राप्त करने की भरपूर कोशिश करे ।

सार्वजनिक उपक्रमो की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव- सार्वजनिक उपक्रमो की दशा को सुधारने के लिए अर्जुन सेन गुप्ता समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जो साप्ताहिक पत्रिका Mainstream के मार्च, 14 व 21, 1987 के अको मे प्रकाशित हुई थी । मई, 1987 मे स्वर्गीय प्रोफेसर सुखमॉय चक्रवर्ती की अध्यक्षता मे आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council) ने प्रधानमत्री को Public Enterprise in India Some Current Issues पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमे सार्वजनिक उपक्रमों को केन्द्र व राज्य स्तरो पर अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे ।

चक्रवर्ती समिति का यह मत था कि अलग-अलग क्षेत्रो के सार्वजनिक उपक्रमों व अलग अलग इकाइयो की समस्याओ के हल के लिए विशिष्ट समाधान ढूँढने होगे । समिति ने सार्वजनिक उपक्रमो की उत्पादन-क्षमता के उपयोग को

बढाने पर बल दिया था ।

जिस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था मे सार्वजनिक उपक्रमो का महत्वपूर्ण स्थान होता है उसी प्रकार राजस्थान की नियोजित अर्थव्यवस्था मे भी सार्वजनिक उपक्रमो की कार्यकुशलता व उपलब्धियो का विशेष महत्व होता है । इसलिए इनकी लाभप्रदता मे सुधार करने के लिए उपक्रमानुसार कार्यक्रम बनाये जाने आवश्यक हैं। पिछले वर्षों मे इस सम्बन्ध मे निम्न सुझाव सा... ...ऐ है जिन्हे कार्यान्वित करने से स्थिति मे अवश्य सुधार होगा

1 प्रमुख अधिकारियो व प्रबन्ध सचालको के कार्यकाल म वृद्धि- सार्वजनिक उपक्रमो के प्रमुख अधिकारियें व पूर्णकालिक प्रबन्ध सचालको को कम से कम पाच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए । प्रबन्ध मे व्यवसायीकरण की नितान्त आवश्यकता हे । दो वर्ष की अवधि के डेप्यूटेशन पर अध्यक्ष व प्रमुख अधिकारियो की नियुक्ति से प्रबन्ध मे दक्षता व निरन्तरता नहीं आ पाती ।

2 स्वायत्तता (Autonomy) सार्वजनिक उपक्रमो के प्रमुख अधिकारियो को स्वायत्तता दी जानी चाहिए ताकि वे उपक्रम के हित मे शीघ्रता से सही निर्णय ले सके । मत्रालय व सार्वजनिक उपक्रमो के प्रबन्ध मे उचित तालमेल स्थापित होना चाहिए ।

3 लेखादेयता (Accountability) - जहा एक तरफ प्रबन्ध मे स्वायत्तता दी जानी चाहिए वहा दूसरी तरफ प्रबन्धको पर कार्य सिद्धि के सम्बन्ध मे अधिक जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए । इसको कारगर बनाने के लिए प्रबन्धको स मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेण्डिग (MOUs) भरवाये जाने चाहिए जिनमे आवश्यक विचार विमर्श के बाद उपक्रमानुसार उत्पादन के लक्ष्य आदि का वर्णन होना चाहिए । ऐसा केन्द्रीय स्तर पर इस्पात उद्योग व कोयला उद्योग में चालू किया गया है हालांकि उनके परिणामो का मूल्याकन करने मे अभी समय लगेगा।

स्वायत्तता व लेखादेयता के बीच उचित सतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध मे प्रतियोगी वातावरण मे काम करने वाली इकाइयो व अन्य प्रकार की इकाइयो में अन्तर किया जाना चाहिए ।

4 औद्योगिक सम्बन्धो मे सुधार किया जाना चाहिए । सार्वजनिक उपक्रमो मे श्रम को प्रबन्ध व पूँजी मे साझेदारी दी जानी चाहिए जिससे श्रमिको को उत्पादन व उत्पादकता बढाने मे अधिक योगदान मिलेगा । इस दिशा मे मजदूर सघो का समुचित सहयोग वाछित होगा ।[1]

5 अतिरिक्त श्रमिकों की समस्या का समाधान यह होगा कि उनको प्रशिक्षण

---

1 "Workers participation in management along with issue of equity shares as bonus is proposed as means of increasing the morale of the workers and *raising productivity*" Chakaravarty report May 1987

देकर अन्य प्रकार की क्रियाओं मे लगाया जाना चाहिए । इसके लिए सार्वजनिक उपक्रमों का विविधीकरण (diversification) किया जाना चाहिए ।

6 निरन्तर घाटा देने वाली इकाइयो को बन्द कर देना चाहिए तथा श्रमिको को अन्य कामो मे लगाने की जिम्मेदारी सरकार को अपने कधो पर लेनी चाहिए।

7 चुने हुए उपक्रमो के निजीकरण (Privatisation) का प्रयास किया जाना चाहिए । यह प्रारम्भ मे प्रबन्ध मे किया जा सकता है तथा बाद मे स्वामित्व मे । यदि घाटा उठाने वाली इकाइयो को वार्षिक लीज की निर्धारित राशि पर निजी व्यक्तियों द्वारा चलाने का निर्णय किया जाय तो उसके लिए भी प्रयास किया जा सकता है । लेकिन इस सम्बन्ध मे सोडियम सल्फेट सयत्र डीडवाना तथा राजकीय ऊनी मिल्स बीकानेर के अनुभव अनुकूल व उत्साहवर्धक नहीं रहे है क्योंकि लीज की राशि का भुगतान न होने से न्यायालय की शरण लेनी पडती है जिसस कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाते है

8 *राज्य सरकार को उन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयो का विस्तृत अध्ययन* करवाना चाहिए जिनमे पिछले पाच सात सालों से लगातार घाटा हो रहा है और भविष्य मे भी जिनकी वित्तीय स्थिति के सुधरने के कोई आसार नजर नहीं आते। उनकी रिपोर्टों पर शीघ्र उचित कार्यवाही होनी चाहिए ।

9 जिस प्रकार केन्द्र काफी समय से सार्वजनिक क्षेत्र पर एक श्वेत पत्र तैयार करने का विचार रखता है उसी प्रकार राज्य सरकार को भी इनके सम्बन्ध मे श्वेत पत्र बनवाना चाहिए, जिनमे इनकी मूलभूत समस्याओ पर उपक्रमानुसार विचार किया जाना चाहिए तथा भविष्य मे सुधार के लिए सुझाव पेश किये जाने चाहिए । इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

आशा है उपर्युक्त सुझावो को लागू करने पर राजस्थान मे आगामी वर्षों में सार्वजनिक उपक्रमो की वित्तीय दशा मे सुधार होगा जिससे इनके भावी विकास के लिए साधन जुटाने म मदद मिलेगी । *पिछले वर्षों में इनके घाटे की दशा के* पाये जाने के कारण आम जनता में इनकी उपयोगिता व उपादेयता के सम्बन्ध में काफी सन्देह उत्पन्न हो गया है जिसे दूर करने के लिए इनमें प्रबन्धकीय कार्यकुशलता का विकास करना आवश्यक हो गया है । एक मजबूत कार्यकुशल व प्रावैगिक सार्वजनिक क्षेत्र नियोजित अर्थव्यवस्था का हृदय होता है तथा एक दुर्बल अकार्यकुशल व गतिहीन सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन को निष्प्राण बना देता है। अत इस क्षेत्र को अधिक सजीव व अधिक सबल बनाना सभी के हित मे होगा। ये पचवर्षीय योजनाओ की वित्तीय व्यवस्था करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है । इनकी बचतो का उपयोग आर्थिक विकास मे किया जा सकता है ।

राज्य सरकार ने राजकीय उपक्रमों (State enterprises) के बारे मे रिपोर्ट देने के लिए मथुरादास माथुर की अध्यक्षता मे एक समिति का

गठन अक्टूबर 1991 में किया था । समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट (जून 1992) मे निम्न सात उपक्रमो की वित्तीय स्थिति पर विचार किया । गगानगर शुगर मिल्स लि, राजस्थान राज्य बीज निगम लि, राजस्थान जल साधन विकास निगम लि, राज्य सहकारी उपभोक्ता सघ लि, राज्य सहकारी विपणन सघ लि, श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि तथा गगानगर तिलहन प्रोसेसिग मिल्स लि, गजसिहपुर।

दूसरी रिपोर्ट मे राज भूमि विकास निगम राज राज्य होटल निगम लि, (खासा कोठी जयपुर व आनन्द भवन उदयपुर) सहकारी भेड व ऊन विपणन सघ लि तथा राज्य सहकारी आवास सघ लि नामक चार राजकीय उपक्रमो की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गयी । इसके सुझाव सरकार के विचाराधीन है ।

राजकीय उपक्रमो मे कई ऐसे उपक्रम हैं जिन्हे 1980 81 से 1990 91 के ग्यारह वर्षों में से अधिकाश वर्षों मे घाटा रहा है । राजस्थान राज्य विद्युत मंडल राज सहकारी डेयरी सघ लि तथा राजस्थान एग्रो उद्योग निगम लि, को लगातार ग्यारह वर्षों तक घाटा हुआ है । राज्य लघु उद्योग निगम लि व राज्य बीज निगम लि को दस वर्षों तक घाटा रहा है ।

अन्य उपक्रम जिन्हे उक्त अवधि मे अधिकाश वर्षों मे घाटा रहा है उनके नाम इस प्रकार है राजस्थान भूमि विकास निगम (आठ वर्ष) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि, (आठ वर्ष) राजस्थान राज्य वन विकास निगम लि, (पिछले छ वर्ष से लगातार) राज्य सहकारी भेड व ऊन विपणन सघ लि (छ वर्ष) राज्य सहकारी उपभोक्ता सघ लि (पाच वर्ष) केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि (आठ वर्ष) सहकारी स्पिनिग मिल्स लि गुलाबपुरा (छ वर्ष) गगापुर सहकारी स्पिनिग मिल्स लि (सात वर्ष) श्रीगगानगर सहकारी तिलहन प्रोसेसिग मिल्स लि, गजसिहपुर (पिछले दस वर्ष से लगातार) राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स (सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री) डीडवाना (सात वर्ष) आदि आदि ।

अब राजकीय उपक्रमो के घाटो की पूर्ति बजट से करना सम्भव नहीं होगा। अत इनकी वित्तीय दशा सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने जरूरी हो गये हैं । इनमे से कुछ को बद करना होगा और कर्मचारियो को वैकल्पिक स्थानो या विभागो मे काम पर लगाना होगा । कुछ का निजीकरण किया जा सकता है जैसे होटल जैसी क्रिया को निजी क्षेत्र मे देना ज्यादा हितकर सिद्ध हो सकता है । कुछ की प्रबन्ध व्यवस्था मे सुधार करके उन्हे लाभ मे लाने का प्रयास किया जा सकता है ।

राजस्थान भूमि विकास निगम ने 1991 मे कोई फार्म विकास क्रिया सचालित नही की थी । इसका समग्र घाटा 14 करोड़ रुपये हो गया जबकि इसकी परिदत्त पूजी 20 करोड रु है । निगम को व्यापारिक बैंको व वित्तीय सस्थाओ को लगभग 70 करोड रु कर्ज के चुकाने है । इसे किसानो से लगभग 84 करोड रु की वसूली करनी है जबकि इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र मे सरकार द्वारा बकाया

कर्जों की वसूली रोक दी गई है । इसी क्षेत्र के किसान बिना भूमि विकास निगम की अनुमति के अपनी भूमि बेच देते हैं । ऐसी स्थिति मे इस निगम का कार्यरत रहना कठिन हो गया है। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो ने इस निगम के 47 कर्मचारी अन्य उपक्रमों मे लगा दिये है और शेष कर्मचारी भी इस प्रकार अन्य लगा दिये जायेंगे ।

सरकार ने राजस्थान वन विकास निगम लि को बद करने का निर्णय किया है तथा राजस्थान राज्य टैनरीज लि टोंक को निजी क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दिया है ।[1] अन्य उपक्रमो के सम्बन्ध मे भी मजदूरो के हितो की रक्षा करने हेतु उचित निर्णय लेने होगे ।

भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नई नीति मे निरतर घाटे मे चलने वाली इकाइयो मे श्रमिको की छटनी पुनर्प्रशिक्षण उनको नये काम मे लगाने की नीति लागू करने का निर्णय लिया है । राज्य सरकार को भी इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए । लेकिन इसके लिए मजदूर सघ से बातचीत करके ही कोई उचित मार्ग निकाला जा सकता है । भारत सरकार की श्रम सम्बन्धी बहिर्गमन नीति का विरोध किया गया है। इससे बेरोजगारी उत्पन्न होने का भय उत्पन्न हो गया है। अत विभिन्न सार्वजनिक व सहकारी उपक्रमों पर विस्तृत अध्ययन व विश्लेषण करके सरकार को एक श्वेत पत्र निकाल कर इनके सम्बन्ध मे अपनी भावी नीति स्पष्ट करनी चाहिए । तभी इनकी स्थिति मे स्थायी सुधार हो सकता है। इनमें से कुछ इकाइयो को आपस में मिलाने, रुग्ण इकाइयो को बन्द करने तथा इनके कार्य सचालन को प्रगतिशील बनाने के लिए सरकार को कुछ कडे कदम उठाने चाहिए, अन्यथा लगातार घाटे मे चलने वाली इकाइयाँ राज्य की वित्तीय स्थिति को कभी दुरस्त नही होने देगी ।

प्रश्न

1 राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमो की वित्तीय कार्यसिद्धि का परिचय दीजिए तथा इसको सुधारने लिए आवश्यक सुझाव दीजिए ।

2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

(i) राज्य विद्युत मण्डल का घाटा

(ii) राज्य सरकार के उपक्रमो की वित्तीय कार्यसिद्धि,

(iii) राजस्थान सरकार के सार्वजनिक उपक्रमो की लाभप्रदता को बढाने के उपाय ।

---

1 राजस्थान पत्रिका 26 सितम्बर, 1992, प 12

खण्ड (ब)

8

भूमि-सुधार
(Land Reforms)

भूमि सुधारो का स्थान सस्थागत सुधारो मे आता है । इनके द्वारा भूमि सम्बन्धो मे परिवर्तन किया जाता ह जिससे भूस्वामी काश्तकार व सरकार के भूधारण अधिकारो मे परिवर्तन होता है। भूमि सुधारो के अन्तर्गत निम्न सुधार शमिल किये जाते हैं। मध्यस्थ वर्ग या बिचौलियो की समाप्ति काश्तकारी सुधार (tenancy reforms) जैसे लगान मे कमी भूधारण की सुरक्षा भूमि का मालिक बनने के अधिकार, चकबन्दी सहकारी कृषि भूमि पर सीमा निर्धारण करके अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनो मे वितरण आदि। इन कार्यक्रमो को लागू करके अतिरिक्त भूमि व्यवस्था अधिक कार्यकुशल व न्यायसगत बनती है। इसीलिए यह माना जाता है कि भूमि सुधारो से उत्पादन बढता है सामाजिक न्याय व समानता की दिशा मे प्रगति होती है एव निर्धनता उन्मूलन में सहायता मिलती ह। भूमि सुधारो के बाद कृषि मे तकनीकी परिवर्तन की प्रगति तेज हो सकती है तथा इनके अभाव में तकनीकी परिवर्तन भी पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाते । अत कृषिगत विकास मे भूमि सुधारो की भूमिका सर्वोपरि मानी गयी है।

राजस्थान के निर्माण के समय भूधारण प्रणालिया [1]

(1) जागीरदारी प्रथा मार्च 1949 मे राजस्थान के निर्माण के समय राज्य के बडे क्षेत्र मे भू राजस्व का समस्त अधिकार जागीरदारो को मिले हुए थे। जागीरदारी प्रथा राज्य के कुल क्षेत्र के लगभग साठ प्रतिशत भाग मे फली हुई थी। जागीरदार भूमि को जोतने वाले व राज्य के बीच उसी प्रकार से मध्यस्थ होता था जैसे पार्ट ए राज्य मे जमीदार हुआ करता था। काश्तकार (tenant) के लिए तो जागीरदार भूमि के 'स्वामी' के रूप मे आचरण करता था । जागीरदार

1 Report of Th State Land C m mi on for Raja than D cember 1959 pp 7 8

राज्य को जो भेट (tribute) देता था उसका उस लगान (rent) से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता था जो वह काश्तकारों से वसूल किया करता था। जागीरदार द्वारा राज्य को किये जाने वाले भुगतान सैकड़ों वर्ष पूर्व जागीरें मिलने के समय जागीर की अनुमानित आमदनी पर आधारित होते थे । लेकिन कालान्तर मे जागीरो की वास्तविक आमदनी अनुमानित आमदनी से कई गुणा थी फिर भी 'भेट' की राशि जागीर प्राप्त होने के समय निर्धारित राशि जितनी ही बनी रही। अधिकाश जागीर क्षेत्रो मे जहाँ बन्दोबस्त नहीं हुआ था जागीरदार उपज के अश के रूप मे लगान वसूल किया करते थे । यह 1/2 से 1/8 तक पाया गया था। युद्ध के कारण कृषिगत उपज के मूल्यो मे काफी वृद्धि हो जाने से काश्तकार ऊँचे लगानो का विरोध करने लगे। वे ऊपर का बड़ा अश लगान के रूप मे भरने को तैयार नहीं थे । जागीर क्षेत्रो के अधिकाश काश्तकारो को भूधारण की सुरक्षा निर्धारित लगान व उचित लगान आदि की कोई जानकारी नहीं थी । इनमे से ज्यादातर काश्तकार 'स्वेच्छिक काश्तकार' (tenants-at-will) हुआ करते थे और भूमि सर्वोच्च प्रतिस्पर्धा ऊँचे लगान व कृषि मे गिरावट की दशाए उत्पन्न हो गई थीं।

डॉ दूलसिह ने जागीर क्षेत्रो की कुछ लाग-बागो अथवा उपकरो (Cesses) की सूची दी है। 29 तरह की लाग बागो मे से चार भूमि व पशु-धन पर आधारित हैं। तीन स्पष्टत अनिवार्य या जबरन श्रम से सम्बद्ध है तथा शेष बाईस सामाजिक शोषण पर आधारित है एव इनमे इस तरह की लाग-बागें है जैसे 'माताजी की भेट' 'बाईजी का हाथ खर्च' व ये जन्म से मृत्यु तथा त्यौहार व उत्सव आदि सभी अवसरो को शामिल करती हैं जिसमे जागीरदार या स्वय कृषक भाग लेते है।"

(2) जमींदारी व बिस्वेदारी प्रथा - बिचौलियो की दूसरी प्रथा मे जमींदार या बिस्वेदार हुआ करते थे । **यह 4870 गावो में फैली थी जिसमे 8 जिले थे। इनमे मुख्यत अलवर, भरतपुर गगानगर व कोटा जिले शामिल थे।** जमींदार व बिस्वेदार राज्य को निर्धारित भू-राजस्व देते थे लेकिन उनको ज्यादातर काश्तकारों से मिलने वाले नकद लगान की राशि निर्धारित नहीं होती थी। वे अपनी इच्छा के मुताबिक लगान लेने को स्वतत्र थे और इनके काश्तकार भी 'स्वेच्छिक काश्तकार माने जाते थे जिन्हें कभी भी बेदखल किया जा सकता था।

(3) रैयतवाडी प्रथा रैयतवाडी क्षेत्रो मे मुख्य काश्तकार अपनी मर्जी के मुताबिक वस्तु रूप मे या नकद लगान लेने को स्वतत्र था और वह उप काश्तकार को अपनी इच्छानुसार बेदखल कर सकता था।

राजस्थान म शामिल होने वाले राज्यो मे काश्तकारी कानून

राजस्थान मे शामिल होने वाले राज्यो मे जैसलमेर शाहपुरा व किशनगढ राज्यो को छोडकर शेष मे काश्तकारी कानून हुआ करते थे। लेकिन वे ज्यादातर प्रथाओ पर आधारित थे । उस समय काश्तकारो की श्रेणियो व उनके अधिकारो के सम्बन्ध मे काफी अतर पाये जाते थे। एक ही राज्य में खालसा क्षेत्र मे

काश्तकारो के अधिकार जागीर क्षेत्रो के काश्तकारो से भिन्न हुआ करते थे। काश्तकारो के हस्तान्तरण के अधिकारो मे काफी अतर पाये जाते थे। बीकानेर राज्य में नजराना या प्रीमियम चुकाने के बाद भी भूमि के हस्तान्तरण का अधिकार राज्य सरकार की स्वीकृति पर निर्भर किया करता था।

अधिकाश क्षेत्रो मे कोई सर्वेक्षण व बन्दोबस्त नहीं हुए तथा भूमि के रिकार्ड नही पाये गये।

इस प्रकार मार्च 1949 मे राजस्थान के निर्माण के समय भूधारण की प्रणालिया किसान के शोषण पर आधारित थी। मध्यस्त वर्ग की विशाल सख्या के कारण काश्तकारो की दशा काफी दयनीय हो गयी थी। इन परिस्थितियो मे कृषक तथा कृषि का विकास सम्भव नही था।

राजस्थान मे भूमि सुधारो व काश्तकारी विधान की वर्तमान स्थिति की चर्चा करने से पूर्व उन अन्तरिम वैधानिक उपायो का उल्लेख करना उचित होगा जो सरकार ने प्रयुक्त किये थे।

अन्तरिम वैधानिक उपाय (Interim legislative measures)

(1) काश्तकारा की सुरक्षा का अध्यादेश 1949 (The protection of tenants ordinance 1949) काश्तकारों को बेदखली से रक्षा करने के लिए 1949 मे एक अध्यादेश जारी किया गया। सम्पूर्ण राजस्थान मे काश्तकारो ने इस अध्यादेश का लाभ उठाया और इससे बेदखली से सुरक्षा प्राप्त हुई। बाद मे इसकी महत्वपूर्ण व्यवस्थाए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे शामिल कर ली गईं।

(2) उपज लगान नियमन अधिनियम 1951 (The Produce Rents Regulating Act 1951) इसके अनुसार अधिकतम लगान सकल उपज का 1/4 अश निर्धारित किया गया। इसमे बाद मे सशोधन भी किये गये। अन्त मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने पर इसकी महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाए उसमे शमिल कर ली गईं।

(3) कृषिगत लगान नियत्रण अधिनियम 1952 (The Agricultural Rents Control Act 1952) इस अधिनियम के अनुसार एक जोत पर अधिकतम लगान की मात्रा भू राजस्व के दुगुने तक निर्धारित कर दी गई। इसमे उपज लगानो को नकद लगानो मे परिवर्तित करने की भी व्यवस्था की गई थी। बाद मे इसका स्थान 1954 मे अधिनियम ने ले लिया था। साथ मे इसकी मुख्य धाराओ को भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे शामिल कर लिया गया।

इस प्रकार प्रारम्भिक वर्षों मे अन्तरिम वैधानिक उपायो के द्वारा काश्तकारो के हितो की रक्षा करने का प्रयास किया गया। लेकिन जागीरदारी व अन्य मध्यस्थ भूधारण प्रणालियो का उन्मूलन करने की आवश्यकता बराबर बनी रही।

अब हम जागीरदारी प्रथा व अन्य मध्यस्थ भूधारण प्रणालियो के उन्मूलन का विवेचन करेगे

(1) जागीरदारी प्रथा का अन्त - जैसा कि पहले कहा जा चुका है राजस्थान बनने के समय राज्य के 60 प्रतिशत भाग पर जागीर-प्रथा थी जो लगभग 17 हजार गावो मे फैली हुई थी । यह जोधपुर राज्य के 82% क्षेत्र और जयपुर राज्य के 65% क्षेत्र में फैली हुई थी।[1] जागीरदार एक मध्यस्थ होता था जो काश्तकार से कुल उपज का एक बडा भाग लेता था और 'बेगार' व 'लाग बाग' ऊपर से लिया करता था। जागीर क्षेत्रो मे बेदखली का बोलबाला था। **जागीरदार भूमि का क्रय विक्रय तो नहीं कर सकते थे, लेकिन दीवानी और फौजदारी अधिकारों व प्रभुत्व के कारण से प्रजा पर काफी अत्याचार करते थे।** उनके द्वारा ली जाने वाली कई प्रकार की लाग बागो का सकेत अध्याय के प्रारम्भ मे दिया जा चुका है।

राज्य विधान सभा ने राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 (The Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act 1952) पास कर दिया था। सर्वप्रथम जून 1954 में सीकर व खेतडी की सबसे बडी जागीरो का पुनर्ग्रहण किया गया । कुछ छोटे जागीरदारो ने 'स्टे आर्डर' लाकर लगभग दो वर्ष तक इसे लागू होने से रोक दिया । तत्पश्चात् स्वर्गीय श्री नेहरू और स्वर्गीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त के प्रयत्नों से फैसला किया गया और जागीरदारो को मुआवजा व पुनर्वास अनुदान देने के लिए दरे निर्धारित की गयीं। **मुआवजा आधार वर्ष की विशुद्ध आय (net income) का सात गुना रखा** गया । यह 2 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर 15 समान किस्तो मे चुकाना निश्चित किया गया । जिन जागीरदारो की कुल आय 5000 रुपये से अधिक नहीं थी उनको विशुद्ध आय के पाच से ग्यारह गुने तक पुनर्वास अनुदान देने का निश्चय किया गया । अन्य जागीरदारो को विशुद्ध आय के दुगुने से चार गुने तक पुनर्वास अनुदान देने का निश्चय किया गया ।

धार्मिक जागीरो के पुनर्ग्रहण का कार्य कुछ देर से आरम्भ हुआ। 1 नवम्बर 1959 से 5000 रुपये से ऊपर की आय वाली ऐसी जागीरो और अगस्त 1960 से 1000 रुपये से ऊपर की आय की जागीरो का पुनर्ग्रहण किया गया । अत राज्य में धार्मिक व गैर धार्मिक सभी जागीरो के पुनर्ग्रहण का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। **पुनर्ग्रहण की प्रत्यक्ष लागत 1971 तक लगभग 51 3 करोड़ रुपये आकी गयी थी।** इनमे मुआवजा व पुनर्वास अनुदान इन पर ब्याज स्थायी

1 Land Reforms in Rajasthan Directorate of Public Relations Govt of Raj p 3

वार्षिक जागीर-स्थापना व पेंशन शामिल हैं। इनके अतिरिक्त भी राज्य को कुछ व्यय करना पड़ा है । जागीर अधिनियम में कई बार सशोधन किये गये ।

(2) जमींदारी व बिस्वेदारी प्रथा का अंत- राजस्थान जमींदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1 नवम्बर, 1959 से लागू किया गया। यह प्रथा राज्य के लगभग 5 हजार गावो मे फैली हुई थी। जमींदार व बिस्वेदार भी किसानो का आर्थिक शोषण करते थे ।

राजस्थान जमींदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1 नवम्बर 1959 मे लागू किया गया था । जमीदारो व बिस्वेदारो को खुदकाश्त मे भूमि प्रदान की गई। मुआवजे की राशि शुद्ध आय का सात गुना निर्धारित की गई। इसके अलावा पुनर्वास अनुदान की भी व्यवस्था की गई जो 25 रुपये तक के भू राजस्व पर शुद्ध आय का बीस गुना हो सकती थी और 3500 रुपये से अधिक के वार्षिक भू-राजस्व पर कोई पुनर्वास अनुदान नही रखा गया था।

जमींदार व बिस्वेदार के काश्तकार "खातेदार काश्तकार" बना दिये गये और उन्हे सरकार को वही लगान देने को कहा गया जो वे जमीदार या बिस्वेदार को दिया करते थे । लेकिन अब यह भू-राजस्व के दुगने से अधिक नही हो सकता था।

इस प्रकार राज्य मे जागीरदारी व अन्य मध्यस्थ भूधारण प्रणालियो का उन्मूलन कर दिया गया ।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
(Rajasthan Tenancy Act, 1955)

यह भारत के सबसे अधिक प्रगतिशील काश्तकारी अधिनियमो मे गिना जाता है। इसके माध्यम से राज्य मे भूमि सुधारो की व्यापक रूप से व्यवस्था की गई है। यह 15 अक्टूबर 1955 से लागू किया गया था। इसमे कई बार सशोधन किये गये ताकि यह प्रभावी ढग से लागू किया जा सके ।

इसकी मुख्य बाते नीचे दी जाती हैं -

(1) इसमे केवल तीन प्रकार के काश्तकार रखे गये हैं यथा, खातेदार काश्तकार, खुदकाश्त के काश्तकार तथा गैर-खातेदार काश्तकार । इस अधिनियम की धारा 15 क्रान्तिकारी मानी जाती है। इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो अधिनियम के लागू होने के समय भूमि पर काश्तकार था (उप-काश्तकार या खुदकाश्त के काश्तकार को छोडकर) वह खातेदार काश्तकार बना दिया गया । लेकिन चरागाह की भूमि पर खातेदारी अधिकार नही दिये गये । धारा 15 के प्रभाव क्षेत्र से गग केनाल भाखडा चम्बल व जवाइ परियोजना क्षेत्रो को बाहर रखा गया था क्योंकि सरकार को सिचाई परियोजनाओ पर भारी राशि व्यय करनी होती है। 1958 मे धारा 15-क जोड कर राजस्थान नहर क्षेत्र की समस्त भूमि

भी अस्थायी रूप से पट्टे पर दी हुई कर दी गई और इस पर खातेदारी अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता । इससे कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया था।[1]

काश्तकारो को गाव की आबादी मे रिहायशी मकान बनाने के लिए नि शुल्क जगह देने का भी प्रावधान किया गया । काश्तकारो के लिए भू-स्वामियो से लिखित लीज प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई। नजराना व बेगार लेना रोक दिया गया।

(2) खातेदार काश्तकारो को बिक्री या भेट के माध्यम से अपनी भूमि के हस्तान्तरण के अधिकार दिये गये है । लेकिन यदि कोई खातेदार ऐसे व्यक्ति को भूमि का हस्तान्तरण करना चाहे जिसके पास पहले से 30 एकड़ सिंचित भूमि है या 90 एकड असिंचित भूमि है तो उसे सरकार से स्वीकृति लेनी होगी । इससे भूमि की भावी जोतो पर सामा लगाने मे मदद मिलेगी।

(3) खुदकाश्त के काश्तकार या एक उप-काश्तकार जिसे धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार मिले है वह भी सरकार या भूमि बधक बैंक या सहकारी समिति से कर्ज के लिए भूमि को गिरवी रख सकता है।

(4) खातेदारो काश्तकारो को एक साथ पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए भूमि को किराए पर देने के अधिकार दिये गये है। लेकिन दुबारा किराए पर देने के लिए दो साल का अन्तराल रखना जरूरी होगा ताकि भूमि लगातार किराए पर न उठाई जा सके ।

(5) बन्दोबस्त के द्वारा काश्तकारो से लगान नकद रूप मे निर्धारित किये गये है । उप काश्तकारो को भी लगान नकद देने होगे । लेकिन उनसे निर्धारित लगान के दुगुने से अधिक लगान नहीं लिया जा सकता है।

(6) वस्तु रूप में प्राप्त अधिकतम लगान की राशि कुल उपज के 1/6 से अधिक नही हो सकती ।

(7) लगान की बकाया राशि न चुकाने पर काश्तकार को बेदखल किया जा सकता है अथवा भूमि को गैर-कानूनी हस्तान्तरण करने या उसे गैर-कानूनी ढग से किराए पर दूसरो को उठाने या अन्य हानिकारक कार्य करने या शर्त को तोडने पर उसे बेदखल किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को कई बार सशोधित किया गया। ये सशोधन योजना आयोग के सुझाव पर किये गये ताकि उप काश्तकार व खुदकाश्तकार भी खातेदारी के अधिकार प्राप्त कर सकें जो वे पहले धारा 19 के अन्तर्गत मिले अधिकारो का उपयोग करके प्राप्त नहीं कर पाये थे।

---

1 राजस्थान का किसान और कानून मूंगालाल सुरेका राज० पत्रिका 27 नवम्बर 1992 मे प्रकाशित लेख।

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक व्यापक कानून है। इसमे काश्तकारो की विभिन्न श्रेणियाँ रखी गई है। इसमे काश्तकारी को अधिकार देने जोतो के हस्तान्तरण व विभाजन लगान को निश्चित करने और इसको वसूल करने के ढग को निर्धारित करने की व्यवस्था की गयी है। इनमें उन दशाओ को बतलाया गया है जिनमें काश्तकारो को बेदखल किया जा सकता है ओर झगडो को निपटाने के लिए अदालतो की स्थापना की गयी है।

राजस्थान काश्तकारी कानून, 1955 के अनुसार लगान की राशि मालगुजारी या भू राजस्व के 1 5 गुने से तीन गुने तक निर्धारित की गई (जहा लगान नकद दिया जाना था)। भूमि की खुदकाश्त के लिए आवश्यकता हे तो काश्तकार बेदखल किया जा सकता था बशर्ते कि काश्तकार के पास एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि हो। गैर पुनर्ग्रहण वाले क्षेत्रो (*non resumable areas*) मे काश्तकारो को स्वामित्व के अधिकार या खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। भू स्वामी को दिया जाने वाला मुआवजा सिचित भूमि के लगान का 20 गुना तथा असिंचित भूमि का 15 गुना निश्चित किया गया ।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की उपलब्धिया (Achievements of the Rajasthan Tenancy Act 1955) इस अधिनियम के फलस्वरूप काश्तकारी कानूनो मे समानता स्थापित हो चुकी है। इसने काश्तकारो के अधिकारो व दायित्वो की धारणा मे क्रान्ति उत्पन्न कर दी है । राजस्थान राज्य को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि इसने एक झटके मे काश्तकारो को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जिससे अधिकाश काश्तकारो की स्थिति काफी सुदृढ हो गयी । इसमे प्रगति की भावना थी जिसने राजस्थान को कारतकारी कानून के सम्बन्ध म अग्रगामी बना दिया। इस अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाले खातेदारी अधिकारो ने काश्तकारो को भूमि का मालिक बना दिया। इस अधिनियम की धारा 15 व धारा 19 के अन्तर्गत काफी काश्तकारो को खातेदारी के अधिकार प्राप्त हुए। इस अधिनियम ने काश्तकार को भू स्वामी के द्वारा की जा सकने वाली गैर कानूनी बेदखली और अन्यायपूर्ण व अनुचित व्यवहार से रक्षा की । जब तक काश्तकार लगान देता जाता है तब तक उनको बेदखल नहीं किया जा सकता । इन गुणों के बावजूद भी इस नियम मे कई प्रकार की जटिलताए थीं इसीलिए समय समय पर इसमे सशोधन किये गये। इस अधिनियम की धारा 88 के अनुसार एक काश्तकार या उप काश्तकार अदालत मे दावा करके अपने अधिकारो की माँग कर सकता है आर इस माँग के लिए कोइ अन्तिम अवधि तय नहा की गयी है। इससे उत्पन्न अनिश्चितता के कारण निरतर मुकदमेबाजी होती रहती है जो उचित नहीं है।

आरम्भ से लेकर जून 1967 तक धारा 15 के अन्तगत 5 37, 642 काश्तकारो को लगभग 44 5 लाख एकड भूमि पर तथा धारा 19 के अन्तर्गत 1 99,505 काश्तकारो को 9 44 लाख एकड भूमि पर राज्य के विभिन्न

जिलों में खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये थे ।[1]

राजस्थान मे भू-जोतो पर सीमा निर्धारण (Land ceilings in Rajasthan) वर्तमान जोतों पर सीमा निर्धारण के प्रश्न की जाच के लिए नवम्बर, 1953 मे एक समिति नियुक्त की गई थी जिसकी रिपोर्ट फरवरी 1958 मे प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य विधान सभा मे राजस्थान काश्तकारी (छठा सशोधन) बिल अक्टूबर 1958 मे पेश किया गया जो प्रवर समिति को सौंप दिया गया। इस बिल मे एक सारणी दी गई थी जिसमे राज्य की विभिन्न तहसीलो के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का सुझाव दिया गया था । यह कहा गया था कि इन क्षेत्र मे प्रतिवर्ष 2 400 रुपये की विशुद्ध आय (net income) होनी चाहिए। प्रवर समिति ने सारणी को हटा दिया और 30 'स्टैण्डर्ड एकड' पर सीमा लगाने का सुझाव दिया । एक 'स्टैण्डर्ड एकड से प्रतिवर्ष 10 मन गेहूँ अथवा इसके बराबर मूल्य की कृषिगत उपज निर्धारित की गई थी ।

राजस्थान काश्तकारी (सशोधन) अधिनियम 1960 लागू किया गया। लेकिन सीमा निर्धारण के लिए आवश्यक नियम दिसम्बर, 1963 मे प्रकाशित किये गये। 1950 का सशोधन अधिनियम और 1963 के नियम अप्रैल 1966 से लागू किये गये । इससे स्पष्ट होता है कि सीमा निर्धारण के कार्य मे काफी विलम्ब हुआ। राज्य सरकार इसे कई अवस्थाओ मे लागू करना चाहती थी । सबसे पहले 150 साधारण एकड़ व अधिक की जोतो के स्वामियों से सूचना देने के लिए कहा गया। इसे अदालतों मे चुनौती दी गई और 'स्टे आडर लाये गये। बाद मे यह अधिनियम सविधान की नवी अनुसूची मे शामिल कर दिया गया जिससे आशा का गई कि अब इसे लागू करना सम्भव हो सकेगा।

वास्तव मे सीमा निर्धारण का काय स्वय बड़ा जटिल माना गया है। **राजस्थान सरकार ने 27 फरवरी 1973 को एक नया विधेयक पारित करके भूमि की सीमा 5 सदस्यो के एक परिवार के लिए 18 से 175 एकड़ के बीच निर्धारित की थी।** जिस भूमि पर वर्ष मे दो फसले बोई जाती है और सिचाइ निश्चित रूप से होती है उस पर 18 एकड पर सीमा लगायी गया एक फसल वाली सिंचित भूमि पर 27 एकड पर तथा असिंचित भूमियो पर विभिन्न किस्म की भूमियो के अनुसार क्रमश 48 54 125 तथा 175 एकड पर सीमा लगाइ गइ । इस प्रकार भूमि के उपजाऊपन सिचाई की सुविधा व फसलो की किस्म के अनुसार राज्य के विभिन्न भागो के लिए भूमि की अलग अलग सीमाए निधारित का गइ ह **विधयक का राष्ट्रपति की स्वाकृति 28 मार्च 1973 को *मिली थी।***

---

1 भूमि सुधार सम्बन्धित एकत्रित एव सकलित सारणिया राजस्व (भूमि सुधार) विभाग सचिवालय, जयपुर, 1968 पृ० 1 व 2

राजस्थान मे वर्तमान सीलिंग (हैक्टेयर) नीचे दी जाती है-

सिंचित	असिंचित
7 28-10 93	21 85 70 82

इस प्रकार सिंचित व असिंचित भूमि के अनुसार सीलिंग के स्तर अलग-अलग रखे गये है।

सीमा निर्धारण मे गन्ने के खेतो कुशल प्रबन्ध वाले फार्मों तथा विशिष्ट फार्मों को छूट दी गई है। मार्च 1991 के अत तक सीलिंग कानूनो के तहत 6 19 लाख एकड़ भूमि सरप्लस घोषित की गई थी जिसमे से 5 46 लाख एकड भूमि सरकार ने अपने अधिकार मे ले ली थी तथा 4 49 लाख एकड भूमि 75 065 व्यक्तियो को आवंटित की । इनमे 26 649 व्यक्ति अनुसूचित जाति के तथा 11 643 अनुसूचित जनजाति के थे ।[1]

राजस्थान मे भूमि -सुधारो का क्रियान्वयन व प्रगति

हम नीचे राजस्थान मे भूमि सुधारो व काश्तकारी अधिनियम के क्रियान्वयन का विवरण देते ह।

भूमि-सुधार सम्बन्धी कानूनों ने तो काश्तकार की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन उत्पन्न किये है । लेकिन कानूनो को लागू करने म गम्भीर कमिया रह गयी हैं । राजस्थान में काश्तकारो को खातदारी अधिकार मिलने मे वे भूमि के मालिक जैसे हो गये है। जागीरदारो ने खुदकाश्त के अन्तगत कुछ भूमि रख ली है लेकिन उसकी मात्रा पहले के कुल जागीर क्षेत्रो की मात्रा की तुलना मे कम पायी गई है।

जागीरदारो ने विक्री उपहार अथवा अन्य रूपो मे काफी भूमि का हस्तान्तरण किया है । ऐसा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम लागू होने से पूर्व किया गया था ।

जागीरो के समाप्त करने से जागीरदारो के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है। मध्यम श्रेणी के ठिकाने तो ऋणग्रस्त थे। उनके ठिकानदार कोई भी उपयोगी काम करना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते थे। इससे उनका मानसिक व नैतिक पतन हो गया था। अधिकाश जागीरदार भूमि सुधार के बाद खेती म लग गये है। इस तरह उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 के लागू होने के समय 10 प्रतिशत काश्तकारो को खातेदारी काश्तकारो के समान अधिकार प्राप्त थे लेकिन अब सभी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। यह स्थिति बहुत सन्तोषप्रद है। राज्य म गैर-खातेदारी काश्तकारो की सख्या अधिक नही है।

उप काश्तकारो (Sub tenants) के सम्बन्ध मे आवश्यक सूचना का अभाव पाया जाता है। लेकिन प्रमुख काश्तकार (tenant in chief) इनसे 'नौकरनामा' लिखाकर काश्त करवाते हे और इनका शोषण करते है। इस प्रकार उपकाश्तकार प्रमुख काश्तकारो की दया पर आश्रित हैं। प्रमुख काश्तकार इनसे उपज के रूप मे ऊँचा लगान लेते है और उन्हे जब चाहे बेदखल कर देते है। फसल बटाई अनुचित रूप मे प्रचलित है। इस प्रकार अब प्रमुख काश्तकार उन शोषण के तरीको का उपयोग उप काश्तकारो पर करने लग गये हैं जिनका उपयोग पहले स्वय भू स्वामी उन पर किया करते थे। यह एक निराशाजनक स्थिति है। इसका समुचित उपाय होना चाहिए तभी भूमि को जोतने वाला सच्चा भू स्वामी हो सकेगा।

श्री अमीर राजा तत्कालीन सयुक्त सचिव योजना आयोग ने राजस्थान मे भूमि सुधारो के क्रियान्वयन पर अपनी रिपोर्ट मे कहा था कि मध्यस्थो की समाप्ति से सम्बन्धित कार्यों जैसे खुदकाश्त के आवटन के लिए आवेदन पत्रो का अन्तिम निबटारा करने दावो (Claims) को तैयार करने तथा मुआवजे देने मे बडी धीमी प्रगति रही है। इस बात की नवीनतम सूचना प्राप्त नहीं है कि जागीरदारो व मध्यस्थो के पास खुदकाश्त मे कितनी भूमि है कितनी भूमि पर काश्तकारो ने खातेदारी अधिकार ग्रहण किये है और कितनी शेष किस्म की है। सरकार ने कृषि के साथ साथ वक्षारोपण को बढावा देने के लिए काश्तकारो को ज्यादा अधिकार दिये है ताकि वे अधिक संख्या मे वृक्ष लगाने मे रुचि ले सके । किसान अपनी जोत की भूमि के 1/50 हिस्से मे भवन व अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्माण कर सकता है। कषि भूमि को आवासीय व वाणिज्यिक कार्यों मे बदलने के लिए नियम बनाये गये हैं।

फसल बटाई प्रथा जारी

सरकारी स्पष्टीकरणो से ऐसा प्रतीत होता है कि उप काश्तकारी व फसल बटाई को रोकना सदैव सभव नहीं है, क्योंकि कुछ परिस्थितियो मे भू स्वामी स्वय बीमारी व अन्य कारणो से भूमि को जोतने की स्थिति में नहीं होता है और कभी कभी दूसरो से बैल की जोडी श्रम व अन्य साधन लेने के लिए उनकी साझेदारी स्वीकार करनी होती है। अत आवश्यक दशाओ मे इन्हे कृषिगत उत्पादन के हित मे स्वीकार करने का समर्थन किया गया है।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीयप्रशासन अकादमी मसूरी ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मत्रालय के निर्देश पर भारत मे भूमि सुधारो पर 1989 90 के लिए अध्ययन करवाया था जिसमे राजस्थान के सम्बन्ध मे निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत किये गये है

(1) राज्य मे फसल - बटाई के रूप मे अनौपचारिक काश्तकारी प्रथा जारी है। सिंचित क्षेत्रो मे इसका प्रभाव अधिक है। कानून मे तो उचित लगान कुल उपज का 1/6 रखा गया है। लेकिन व्यवहार मे बटाईदार कुल उपज का 1/2 लगान मे दे रहे हैं। 1975 तक वास्तविक खातेदार काश्तकार या उप काश्तकार का नाम 'खसरा गिरदावरी मे देने का प्रावधान था लेकिन अब इसे हटा दिया

गया है जिसमे उप काश्तकारो को उनके अधिकारो से वंचित कर दिया गया है।

राज्य मे अनोपचारिक काश्तकारी लगान की लूट व शोषणमूलक बटाई प्रथा आज भी कायम है।

(2) अलवर, भीलवाडा, कोटा व उदयपुर जिलो मे से प्रत्येक म एक एक गाव के अध्ययन से पता चलता है कि अतिरिक्त घोषित भूमि मे से केवल 7 6% भूमि ही आवंटित की गयी है।

इन्हीं जिलों मे से प्रत्येक म से चार-चार गावो के अध्ययन से पता चला है कि सीलिग के ऊपर अतिरिक्त घोषित अधिकाश भूमि बजर, अनुत्पादक व अकृषि याग्य है। गाव (बहदनवाडा) मे पहाडी भूमि देकर एक भू स्वामी ने इसका मुआवजा उपजाऊ भूमि के बराबर वसूल कर लिया है जिसमे वह स्वय तो लाभ मे रहा ह लेकिन सरकारी खजाने पर अनावश्यक भार डाल दिया है।[1]

इस प्रकार राजस्थान मे काश्तकारा व सीलिग कानूनो को लागू करने का दृष्टि से प्रगति बहुल धामी रही ह ।

राजस्थान में सालिग कानून का काफी अवहेलना की गई है । जब 3 नवम्बर 1969 को अनुपगढ मे भूमि नीलामी चालू हुई था तो किसान आन्दोलन प्रारम्भ हो गया था। सरकार नीलामी से वित्तीय साधन जुटाना चाहती थी लेकिन इससे भूमिहीनो को भूमि नहा मिल सकती था । इस स्थिति मे राजनीतिक दलो ने सघर्ष चालू कर दिया था। बाद मे सरकार ने नहरी क्षेत्रे मे नीलामी बन्द कर दी और भूमिहीनो को निश्चित भावो पर भूमि देने का निर्णय किया । 3 एकड से नीचे की भूमि पर खुशहाली कर (betterment levy) समाप्त कर दिया गया, कपास पर उपकर नहीं लिया गया और भू राजस्व की वृद्धि नहीं की गया ।

भूमि का वितरण[2]

राजस्थान मे 1970 71 व 1985 86 की कृषिगत सगणनाओ (Agricultural censuses) के अनुसार कार्यशील जोतो का वितरण अग्र तालिका मे दर्शाया गया है।

---

1 Mainstream July 14 1990 pp 18 19 & pp 23 24 इस विषय मे यह नवीनतम अध्ययन पर आधारित रिपोर्ट है।

2 Agricultural Census Rajasthan, Number and Area of operational holdings 1991 p 1 office of the special secretary (Revenue) Agricultural Census Commissioner Rajasthan, Jaipur

जोतों की श्रेणी	1970-71		1985-86	
	जोतों का प्रतिशत	क्षेत्रफल का प्रतिशत	जोतों का प्रतिशत	क्षेत्रफल का प्रतिशत
(i) सीमांत (एक है)	25.2	2.3	28.6	3.1
(ii) लघु (1-2 है)	18.5	4.9	19.4	6 4
(iii) अर्द्ध-मध्यम (2-4 है)	20.7	11.0	20.6	13 6
(iv) मध्यम (4-10 है)	21 5	24 7	20.8	29.9
(v) वृहद (10 है व अधिक)	14 0	57.1	10 5	47.0
योग (लगभग)	100.0	100.0	100.0	100.0

1985-86 में राजस्थान में कार्यशील जोतों की कुल संख्या 47.43 लाख थी और उनमें कुल क्षेत्रफल 2 06 करोड़ हैक्टेयर समाया हुआ था। इस प्रकार राज्य में जोत का औसत आकार 4.34 हैक्टेयर था। यह 1970-71 में 5.45 हैक्टेयर था, जो भारत का 2.5 गुना था । इस प्रकार राज्य मे जोत का औसत आकार समस्त भारत के औसत आकार से काफी अधिक पाया जाता है।

तालिका के मुख्य निष्कर्ष -

(i) 1985-86 में भी राज्य में कार्यशील जोतों का वितरण काफी असमान रहा, क्योंकि 2 हैक्टेयर तक की जोतें 48% (लगभग आधी) थीं और उनमें कुल कृषित क्षेत्रफल का 9.5% (लगभग 1/10 अंश) समाया हुआ था। इसके विपरीत 52% जोतें (शेष आधी जोतें) 2 हैक्टेयर से अधिक थीं और उनमें कुल कृषिगत क्षेत्रफल का लगभग 90.5% (9/10 अंश) समाया हुआ था। इस प्रकार जोतों का वितरण काफी असमान था । यह भी ध्यान देने की बात है कि 10 हैक्टेयर व अधिक की वृहद जोतें (Large holdings) संख्या में तो लगभग 10 5% (1/10) थीं, लेकिन उनमें 47% (लगभग आधा) कृषित क्षेत्र समाया हुआ था। इससे बड़ी जोतों में अधिक कृषित भूमि का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके विपरीत एक हैक्टेयर तक की सीमान्त जोतें 29% थीं लेकिन उनमे कृषित भूमि का अंश केवल 3% ही पाया गया ।

(2) 1970-71 से 1985-86 के पन्द्रह वर्षों मे कुल जोतों में सीमान्त जोतों का अंश 25 2% से बढ़कर 28 6% हो गया और इनमें क्षेत्रफल का अंश 2.3% से बढ़कर 3 1% हो गया । इसके विपरीत बड़ी जोतों का अंश 14% से घटकर 10 5% पर आ गया तथा इनके अन्तर्गत कृषित क्षेत्रफल मे भी 57% से 47% तक (10% बिन्दु) की गिरावट आयी । अतः योजनाकाल की इस अवधि मे कुछ क्षेत्रफल बड़ी जोतों के अंदर से निकलकर थोड़ा-थोड़ा अंश

अन्य श्रेणियो जैसे सीमान्त, लघु, अर्द्ध-मध्यम व मध्यम की ओर गया है।

इस प्रकार भूमि के वितरण की असमानता के बने रहने के बावजूद कुछ सीमा तक क्षेत्रफल अन्य भूजोतो की ओर अन्तरित हुआ है।

(3) 1985-86 मे कार्यशील जोतो के वितरण का जिनी अनुपात (gini-ratio) 0.5793 रहा जो पहले से कुछ नीचा था। इससे पता चलता है कि जोतो के वितरण की असमानता मे मामूली कमी आयी है। फिर भी यह ऊँचा बना हुआ है। इससे भूमि के वितरण की असमानता का अनुमान लगाया जा सकता है। स्मरण रहे कि यहाँ हमने कार्यशील जोतो के वितरण का उल्लेख किया है। लेकिन स्वामित्व के अनुसार जोतो का वितरण इससे भी थोड़ा ज्यादा असमान पाया गया है। स्वामित्व के अनुसार जोतो के वितरण में यह देखा जाता है कि मालिकाना हक (ownership) के अनुसार जोतो का वितरण कैसा है। इससे भूमि का वितरण स्वामित्व के अनुसार सामने आ पाता है।

(4) राजस्थान मे 2 हैक्टेयर से अधिक आकार की कार्यशील जोतो मे 90% क्षेत्रफल होने के कारण यहां सीमा-निर्धारण से अधिक अतिरिक्त भूमि के मिलने की सम्भावना प्रतीत होती है। राज्य मे भूमि का इतना अभाव नही है जितना अन्य राज्यों मे पाया जाता है।

भूमि-सुधारो की समस्याएं

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य मे भूमि सुधारो के लिए कई कानून बनाये गये है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस दृष्टि से काफी महत्व माना गया है। लेकिन अन्य राज्यो की भाँति यहा भी **भूमि सुधारों के क्रियान्वयन मे कुछ कमियां पाई गई हैं, जैसे भूमि का वितरण आज भी काफी असमान बना हुआ है। सीलिंग से अतिरिक्त भूमि जितनी प्राप्त होनी चाहिए थी उतनी प्राप्त नहीं हुई है और राज्य मे उप-काश्तकारी प्रथा व फसल बटाई जैसी शोषणमूलक प्रथा आज भी कायम है।** इसके अलावा सहकारी खेती की दिशा में प्रगति नगण्य रही है।

राज्य मे सीलिंग कानून को प्रभावपूर्ण ढग से लागू नहीं किया गया है जिससे वास्तव मे अतिरिक्त घोषित की गई भूमि की मात्रा काफी कम निकली है। इसके लिए निम्न कारण उत्तरदायी माने जा सकते है।

(1) भूस्वामियो ने काफी भूमि बेच दी है या सम्बन्धियो मे वितरित कर दी है, अथवा अन्य किसी तरह जैसे बेनामी रूप मे हस्तान्तरित कर दी है जिससे अतिरिक्त भूमि कम मात्रा मे मिल पायी है।

(2) भूमि सुधार राज्यो का विषय है और विधान सभाओ मे भूस्वामी वर्ग का अधिक राजनीतिक प्रभाव होने के कारण भूमि-सुधारो के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(3) तृतीय योजना के बाद समस्त देश मे भूमि सुधारो पर धीरे-धीरे जोर कम होता गया है। कृषिगत विकास के लिए तकनीकी परिवर्तनो व इन्पुटो

की सप्लाई बढाने पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। इससे भी भूमि सुधार कार्यक्रम पर विपरीत प्रभाव पडा है।

(4) भूमि सम्बन्धी रिकार्ड नवीनतम रूप से तैयार करने की दिशा मे भी वाछनीय प्रगति नहीं हो पायी है।

हाल में भूमि सुधारों को भारतीय संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने से स्थिति काफी बदल गयी है। अब भूमि सुधार कानूनों को अदालतों मे चुनौती नहीं दी जा सकेगी और इनको लागू करने में आसानी रहेगी।

आवश्यक सुझाव

(1) रोजगार के अवसरों म वृद्धि   सरकार भूमि सुधारो को लागू करना चाहती है। लेकिन इसके मार्ग मे आन वाली व्यावहारिक कठिनाइयो का जाल बिछ गया है। वर्तमान सामाजिक राजनीतिक व कानूनी ढांचो के अन्तर्गत भूमि का कोई विशष पुनर्वितरण सम्भव नहीं प्रतीत होता। ऐसी स्थिति मे कुछ विद्वानों का सुझाव है कि निर्धन लोगो की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वैकल्पिक उपाय ढूंढे जाने चाहिए जिससे उनको रोजगार मिले तथा आमदनी बढाने के अवसर मिले। भूमि के पुनर्वितरण से इनकी समस्या का पूरा समाधान निकाल सकना सम्भव नहीं प्रतात होता। राज्य मे खेतिहर श्रमिको की सख्या मे तेजी से वृद्धि हुई है। यह 1981 मे 4 8 लाख से बढकर 1991 मे 13 9 लाख हो गइ है। इनमे ग्रामीण क्षेत्रों में 12 9 लाख व शहरी क्षेत्रो मे 1 लाख खेतिहर श्रमिक पाये जाते हैं। खेतिहर मजदूरो की सख्या की अत्यधिक वृद्धि एक गम्भीर समस्या है। इनके लिए कुटीर उद्योगो मे रोजगार के अवसर बढाने की आवश्यकता है।

(2) निर्धनो के लिए कल्याण कार्य - भारत मे भूमि सुधारो का उद्देश्य कभी ठीक से परिभाषित नहीं किया गया। इसके अलावा गाँवो मे शक्ति सन्तुलन निर्धन व भूमिहीनों के पक्ष मे नहीं है। इसलिए बारम्बार भूमि सुधारो को लागू करने पर जोर देने का विशेष अर्थ नही निकलता। अत निर्धन लोगो के कल्याण के लिए वैकल्पिक प्रयास करने जरूरी है जैसे शिक्षा चिकित्सा व पेयजल की पूर्ति बढाना आदि। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। सरकार ने नियमित रोजगार अथवा स्वरोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाए बनाई हैं। इनमे कम्पोजिट लोन स्कीम महिलाओ के लिए गृह उद्योग, दस्तकारो के लिए रोजगार, शिक्षितों के लिए स्वरोजगार, अनुसूचित जाति के लोगो के लिए पैकेज कार्यक्रम शहरी गरीब लोगो के लिए स्वरोजगार के कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इनको प्रभावपूर्ण ढग से लागू करने से निर्धन वर्ग की आय बढेगी तथा वे निर्धनता की रेखा से ऊपर आ सकेंगे।

(3) दैनिक न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि - राज्य मे खेतिहर मजदूरो के लिए दैनिक न्यूनतम मजदूरी समय-समय पर पुन निर्धारित की गई है। जुलाई 1990 मे अकुशल (unskilled) श्रमिको के लिए दैनिक मजदूरी को न्यूनतम दर 22 रु, अर्द्धकुशल श्रमिको के लिए 23 5 रु व कुशल श्रमिको के लिए 25 रु कर दी गई है जो पहले से लगभग ड्यौढी है।

(4) भूमि सुधारो मे काश्तकारी सुधारों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है ताकि काश्तकारो से उचित लगान ही लिया जाय तथा उन्हे भूमि से बेदखल न किया जा सके।

(5) भूमि सुधारो मे चकबदी पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि कृषिगत उत्पादन बढ सके।

(6) राजस्थान मे वृक्षारोपण, चरागाह विकास व पशु पालन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि भूमि का सदुपयोग हो सके और लोगो की आमदनी बढ सके।

(7) भूमि सुधारो को कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण निर्धन वर्ग के सगठन की नितान्त आवश्यकता है ताकि वे अपने अधिकारो के लिए राजनीतिक सघर्ष कर सके।

(8) अन्य राज्यो की भांति राजस्थान मे भी बीहड भूमि (जो पानी से होने वाली कटाई के कारण कृत्रिम नालो व गहरी घाटियो मे बदल गई है और जिस पर आसानी से खेती नहीं की जा सकती) को भूमिहीन श्रमिकों मे आवंटित करने के लिए कोई प्रभावशाली योजना होनी चाहिए, अन्यथा उसके अन्य वर्गों मे आवंटित होने का खतरा रहता है।[1]

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करना काफी जटिल है। इसलिए इस दिशा मे चुने हुए कार्यक्रमो को समयबद्ध रूप मे लागू करना उचित होगा जिसके लिए पर्याप्त मात्रा मे "राजनीतिक इच्छा शक्ति" (political will) की आवश्यकता है।

प्रश्न

1 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये

(i) राजस्थान मे भूमि सुधार

(ii) आपके राज्य मे भूमि सुधार

---

1 राजस्थान म किसान और कानून मूँगालाल सूरेका राजस्थान पत्रिका 28 नवम्बर 1992

2 राजस्थान सरकार ने 1948 के पश्चात् जो प्रमुख भूमि-सुधार किये हैं, उनकी विशेषताएं सक्षेप में लिखिए और बतलाइए कि इनसे कृषक का आर्थिक स्तर कितना उन्नत हुआ है ?

3 राजस्थान में जागीरदारी व अन्य भूधारण प्रणालियों के उन्मूलन का विवेचन कीजिए। इस दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन कीजिए।

4 "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राज्य में भूमि-सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।" क्या आप इस मत से सहमत हैं ? सविस्तार लिखिये ।

5 राजस्थान मे भू जोतों पर सीमा-निर्धारण का विवरण दीजिए। इस दिशा में हुई प्रगति का संक्षिप्त लेखा-जोखा प्रस्तुत कीजिए।

6 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए -

(i) राजस्थान मे भूमि का वितरण,

(ii) फसल बटाई प्रथा,

(iii) राज्य मे भूमि-सुधारो की समस्याएं व सुझाव।

9

1956 से कृषिगत विकास
(Agricultural Development Since 1956)

आर्थिक विकास को प्रक्रिया मे कृषिगत विकास का विशेष महत्व होता है ताकि बढती जनसख्या के लिए खाद्यान्नों को पूर्ति बढायी जा सके, उद्योगो के लिए कृषिगत कच्चे माल की व्यवस्था की जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सके । इससे गाँवो मे निर्धनता कम करने मे भी मदद मिलती है तथा जीवन-स्तर मे सुधार के अवसर उत्पन्न होते है। सच पूछा जाय तो कृषिगत विकास ही विकास का मुख्य अग होता है।

राजस्थान प्रमुख रूप से एक कृषि-प्रधान राज्य है। यहाँ कृषिगत कार्य जलवायु की बहुत जटिल दशाओ मे किया जाता है। वैसे तो समस्त भारत में कृषि मानसून का जुआ मानी गयी है लेकिन यह कथन राजस्थान पर विशेष रूप मे लागू होता है। यहाँ पानी का नितान्त अभाव है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है राजस्थान मे कुल जल-साधनो का 1% ही पाया जाता है जबकि क्षेत्रफल 10 4% एव जनसख्या 5 2% पायी जाती है। राज्य मे जनसख्या की वृद्धि-दर भी समस्त भारत को तुलना में ऊँची है। यह 1971 81 मे 33% तथा 1981-91 में 28 4% रही थी। राज्य मे खाद्यान्नो के उत्पादन की वृद्धि-दर जनसंख्या की वृद्धि-दर से नीची रही है जो भविष्य के लिए एक गम्भीर चुनौती व चेतावनी बन गई है।

हम नीचे योजनाकाल के चार दशकों मे राजस्थान के कृषिगत विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं जिससे इस क्षेत्र में बदलती हुई परिस्थितियों की जानकारी मिलेगी और भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा का भी अनुमान लगाया जा सकेगा।

(1) राज्य मे भूमि का उपयोग

प्रथम योजना में औसत रूप से (पांच वर्षों का औसत) शुद्ध या वास्तविक

जोता बोया क्षेत्र (net area sown) 106 2 लाख हैक्टेयर रहा था जो सातवीं योजना की अवधि में औसत रूप से 148 5 लाख हैक्टेयर हो गया। इस अवधि में यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 31% से बढकर 43 4% हो गया।[1]

इस प्रकार राज्य में शुद्ध कृषित क्षेत्रफल के अनुपात मे काफी वृद्धि हुई है। उपर्युक्त अवधि में सकल कृषित क्षेत्रफल 113 2 लाख हैक्टेयर से बढकर 171 7 लाख हैक्टेयर हो गया। इस प्रकार एक से अधिक बार बोये गये क्षेत्र मे 7 लाख हैक्टेयर से 23 2 लाख हैक्टेयर तक वृद्धि हुई। अत फसल गहनता (cropping intensity) 1 066 से बढकर 1 156 हो गई।* जैसाकि पहले कृषि के अध्याय मे बतलाया गया था 1990 91 मे सकल कृषित क्षेत्रफल 193 8 लाख हैक्टेयर हो गया था और शुद्ध कृषित क्षेत्रफल 163 8 लाख हैक्टेयर रहा था जिससे उस वर्ष फसल गहनता 1 183 पर पहुँच गयी थी। भविष्य मे एक से अधिक बार कृषित क्षेत्रफल को बढाकर फसल गहनता बढायी जानी चाहिए।

1983 84 मे एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र 30 2 लाख हैक्टेयर के सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गया था। यह 1990 91 मे 30 0 लाख हैक्टेयर रहा। सिचाई के साधनों का विकास करके इसमे वृद्धि करना सम्भव होगा। आँकडो के अध्ययन से पता चलता है कि 1967 68 के बाद शुद्ध कृषित क्षेत्रफल मे बहुत मामूली वृद्धि हुई है। इसलिए भविष्य मे सिचाई के साधनो का विकास करके सकल कृषित क्षेत्रफल को बढाना होगा।

(2) सिचाई का विकास

राज्य मे शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 1951 52 मे 10 लाख हैक्टेयर था जो बढकर 1970 71 मे 21 4 लाख हैक्टेयर, 1980 81 मे 29 8 लाख हैक्टेयर तथा 1990 91 मे 39 0 लाख हैक्टेयर हो गया (लगभग 4 गुना)। इसी अवधि मे कुल सिचित क्षेत्रफल 11 7 लाख हैक्टेयर से बढकर लगभग 46 5 लाख हैक्टेयर हो गया (लगभग चौगुना)। कुल सिंचित क्षेत्रफल मे एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्रफल शामिल किया जाता है। दूसरे शब्दो मे इसमें फसलों के अनुसार सिचित क्षेत्रफल का योग निकाला जाता है। राज्य मे प्रथम योजना के प्रारम्भ में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल शुद्ध कृषित क्षेत्रफल का 10 8% हुआ करता था जो 1990 91 मे 23 8% हो गया[2] हालांकि शुद्ध कृषित क्षेत्रफल के काफी नीचा रहने से यह

---

1 Growth of Agriculture in Rajasthan (A Graphical Presentation) Directorate of Agriculture, Jaipur November 1991 p 6 आगे भी इसके आकडों का उपयोग किया गया है।

1990 91 में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 39 0 लाख हैक्टेयर था तथा शुद्ध कृषित क्षेत्रफल 163 77 लाख हैक्टेयर था।

* जैसा कि पहले बताया जा चुका है फसल गहनता निकालने के लिए सकल कृषित क्षेत्रफल (gross cropped area) में शुद्ध या वास्तविक कृषित क्षेत्रफल (net cropped area) का भाग दिया जाता है।

1987 88 में 28 9% तक पहुँच गया था।

फसलों के अनुसार सकल सिंचित क्षेत्रफल

राज्य मे गेहूँ, जौ, चना, कपास मक्का व सरसों आदि फसलों को सिचाई की अधिक सुविधा मिली हुई है। द्वितीय योजना में औसत रूप से 17 लाख हैक्टेयर भूमि में विभिन्न फसलों का सिचाई की सुविधा प्राप्त हुई थी जो वढकर 1990-91 में 46 5 लाख हैक्टेयर तक पहुँच गइ।

1989 90 मे राज्य मे कुल सिंचित क्षेत्रफल का 34 1% (लगभग 1/3) गेहूँ के अन्तर्गत पाया गया। याजनाकाल में सरकारा प्रयासों के फलस्वरूप राई व सरसों के सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि हुइ। छठी याजनाकाल में राई व सरसों म सिंचित क्षत्रफल कवल 4 25 लाख हैक्टेयर (कुल सिंचित क्षेत्रफल का 11% था) जा 1989 90 में 10 40 लाख हैक्टेयर (कुल सिंचित क्षत्रफल का 24.5%) हो गया । राज्य में तिलहन के उत्पादन का वढाने में इससे काफी मदद मिली है।

राज्य में सिचाई के विकास के सम्बन्ध में अन्य उल्लेखनीय तथ्य निम्नांकित हैं

(i) योजनाकाल में तालावों व नहरो के विकास पर काफा धनराशि व्यय करने के वाद भी 1990-91 मे इनके द्वारा सकल सिंचित क्षेत्रफल कमश 2 0 लाख हैक्टेयर व 17 7 लाख हैक्टेयर (कुल 19 7 लाख हैक्टेयर) रहा, जबकि कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्रफल 26 6 लाख हैक्टेयर (नलकूपो सहित) रहा। *इस प्रकार आज भी राज्य म कुओं की सिचाइ (नलकूपो सहित)* का स्थान ऊँचा (लगभग 57%) है। कुल सिंचित क्षेत्रफल 46 5 लाख हैक्टेयर रहा है।

(ii) पाचवीं व छठा योजनाओ का अवधि मे भू जल का तेजी से विकास किया गया है। फिर भी इसके विकास के लिए सतह जल (surface water) की तुलना मे सार्वजनिक विनियोग का कमी रही है।

(iii) सतह जल के विकास में किये गये विनियोगा मे पूरे लाभ नहीं प्राप्त किये जा सके है अथवा काफी विलम्ब के बाद लाभ मिलने शुरू हुए ह जैसे सोम कामला अम्बा बाध (डूगरपुर जिला) का प्रारम्भिक लागत का अनुमान 2 करोड रुपये था, जिस पर 90 करोड रुपये से अधिक की राशि व्यय करने के बाद सिचाइ का लाभ काफी विलम्ब से 1992 93 से मिलना चालू हुआ है जिसके आगामी वर्षों मे बढने की आशा है।

(iv) सिचाइ की विभिन्न परियोजनाएँ प्रारम्भ कर दी गईं, लेकिन उनके लिए अपर्याप्त धनराशि का आवटन किये जाने से आगे चलकर उनकी लागत

बढ़ गई। वृहद् एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई को सृजन करने की लागत प्रथम योजना मे 2644 रुपये प्रति हैक्टर से बढ़कर सातवीं योजना में 28255 रुपये प्रति हैक्टेयर (10 गुनी से अधिक) हो गई।[1] अत भविष्य में नई परियोजनाएँ काफी सोच-विचार कर प्रारम्भ की जानी चाहिए तथा वे कम लागत वाली हों एवं उनके लिए धन की पर्याप्त व्यवस्था हो।

(v) विभिन्न जिलो में सिंचाई व जल-विकास पर किये गये विनियोगों मे काफी अन्तर रहा है जिससे असमानता बढ़ी है। 1989-90 मे एक तरफ गगानगर जिले में सकल सिंचित क्षेत्र सकल कृषित क्षेत्रफल का 62 1% अंश रहा, कोटा व बूंदी जिलों मे भी यह क्रमश 44 6% व 57 7% रहा, अलवर जिले मे 51%, भरतपुर जिले में 39% रहा, लेकिन बाड़मेर व जोधपुर जिलों में यह क्रमश 33% व 7 2% रहा, तथा जैसलमेर व चूरू जिलो में नगण्य (क्रमश 0 5% व 0 25%) रहा। इस प्रकार विभिन्न जिलों में सिंचित क्षेत्रफल के अनुपात में काफी अंतर पाया जाता है।[2]

(3) राज्य मे फसलो के प्रारूप मे परिवर्तन

जैसा कि अध्याय 5 में बतलाया गया था राज्य मे अनाज व दालो की फसलो के क्षेत्रफल मे योजनाकाल में कमी आयी है। प्रथम योजनाकाल में (औसत रूप से) अनाजों (cereals) के अन्तर्गत क्षेत्रफल 56% पाया गया था जो 1990-91 मे घटकर 46% पर आ गया, तथा दालों में यह 21% से घटकर 19% पर आ गया। यह मोटे अनाजों मे विशेष रूप से घटा है। राज्य में तिलहनों के क्षेत्रफल मे काफी वृद्धि हुई है। यह प्रथम योजना में 6% से बढ़कर 1990 91 में 15 9% तक पहुँच गई। तिलहनो में यह वृद्धि राई व सरसों में विशेष रूप से हुई है। सोयाबीन के अन्तर्गत भी क्षेत्रफल काफी बढ़ाया गया है।

(4) कृषिगत पैदावार में वृद्धि

(i) अनाज (cereals) का उत्पादन - 1952 53 म अनाज का उत्पादन लगभग 29 लाख टन हुआ था जो बढ़कर 1990-91 में 92 2 लाख टन हो गया व 1991-92 मे इसके 70 3 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार राज्य में अनाज का उत्पादन 1990 91 में तिगुने से भी अधिक हो गया। लेकिन इसमें मानसून के अनुसार भारी परिवर्तन आते रहते हैं। राज्य के बाड़मेर, डूगरपुर, अजमेर, टोंक, पाली, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू व झुन्झुनूँ जिलों में

---

1 राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्च 1991 पृ 16

2 Growth of Agriculture in Rajasthan (A Graphical Presentation), Nov 1991 p 16

प्रति व्यक्ति अनाज का उत्पादन घट जाने से उत्तम वर्षों में भी इनमे अनाज की कमी रहती है। इन्हीं जिलो मे जनसंख्या मे तेज गति से वृद्धि होने से अनाज की कमी ज्यादा मात्रा मे पायी जाती है।

(ii) दालो (pulses) का उत्पादन - दाले ज्यादातर वर्षा पर आश्रित क्षेत्रो की सीमात भूमियो पर उगाई जाती है। 1952 53 मे इनका उत्पादन लगभग 5 लाख टन हुआ था जो बढ़कर 1990 91 मे 17 2 लाख टन हो गया तथा 1991 92 में 9 2 लाख टन अनुमानित है। दालों में वार्षिक उत्पादन मे भारी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उदाहरण के लिए दालो का उत्पादन 1987 88 मे 4 7 लाख टन हुआ था जो 1988 89 में बढ़कर 16 2 लाख टन पर पहुँच गया था। 1989 90 मे यह पुन घटकर 11 6 लाख टन पर आ गया था। इस प्रकार राज्य मे दालो के उत्पादन में अनाज के उत्पादन से भी ज्यादा उतार चढाव आते रहते हैं। उत्तम मानसून के वर्षो में दालो के अन्तर्गत क्षेत्रफल काफी बढ जाता है और मिट्टी मे नमी बढ जाने से पैदावार बढती है। दालो का प्रति व्यक्ति उत्पादन 1961 मे 60 किलोग्राम से घटकर 1990 मे 27 किलोग्राम पर आ गया था।

(iii) खाद्यान्नो का उत्पादन अनाज व दालो के उत्पादन को शामिल करने पर खाद्यान्नो का उत्पादन 1952 53 मे लगभग 34 लाख टन से बढकर 1990 91 मे 109 3 लाख टन हो गया था। लेकिन 1991 92 मे इसके 79 5 लाख टन रहने का अनुमान है। 1987 88 मे खाद्यान्नो का उत्पादन लगभग 48 लाख टन ही हो पाया था। इस प्रकार राज्य मे खाद्यान्नो का उत्पादन काफी अस्थिर किस्म का पाया जाता है। उत्तम मानसून के वर्षों मे यह काफी ऊँचा हो जाता है और घटिया मानसून के वर्षों में यह काफा नोचे आ जाता है। सिंचित क्षेत्रो मे खाद्यान्नो का उत्पादन बढा है। इसी वजह से गेहूँ के उत्पादन म विशेष प्रगति हुई है। यह 1974 75 मे 18 2 लाख टन से बढ़कर 1990-91 मे 43 1 लाख टन व 1991 92 मे 44 8 लाख टन हो गया। वर्षा पर आश्रित क्षेत्रो मे मोटे अनाजा का उत्पादन जैसे ज्वार, मक्का व बाजरे का उत्पादन काफी घटता बढता रहता है। 1990 91 मे मोटे अनाजो का उत्पादन 47 7 लाख टन हुआ जो 1991 92 मे घटकर 24 ३ लाख टन पर आ गया।

(iv) कपास का उत्पादन राज्य मे कपास की खेती लगभग 4 लाख हैक्टेयर में की जाती है। इसके 90% क्षेत्र मे सिंचाई की जाती है। यह ज्यादातर गंगानगर जिले मे उगाई जाती है। कपास का 80% क्षेत्र इसी जिले मे पाया जाता है। कपास का उत्पादन 1952 53 मे 103 लाख गाठो से बढकर 1990 91 मे 9 2 लाख गाठे हो गया। 1991 92 मे 8 5 लाख गाठो के उत्पादन का अन्तिम अनुमान (Final estimate) है। लेकिन सूखे के कारण 1987 88 मे केवल 2 2 लाख गाठो का उत्पादन ही हो पाया था।

(v) तिलहन का उत्पादन राजस्थान तिलहन के उत्पादन मे एक अग्रगामी राज्य के रूप मे उभरा है। देश के कुल तिलहन उत्पादन का 12% राजस्थान मे होने लगा है। सरसो के उत्पादन मे इसका 1/3 अश हो गया है।

1952 53 मे तिलहन का उत्पादन केवल 1 34 लाख टन हो हो पाया था जो बढकर 1985-86 मे 9 1 लाख टन पर पहुँच गया। उसके बाद की प्रगति *निम्न तालिका में दर्शायी गयी है-*

वर्ष	लाख टन मे
1986 87	8 8
1987-88	12 6
1988 89	19 1
1989 90	18 5
1990 91	23 6
1991-92 (अन्तिम)	27 0

इस प्रकार तिलहन का उत्पादन 1991 92 मे 27 लाख टन तक पहुँच गया है। पिछले पाँच वर्षों मे उत्पादन की यह वृद्धि काफी तेज रही है। विशेष वृद्धि सरसों व सोयाबीन के उत्पादन मे प्रगट हुई है। सोयाबीन की खेती कोटा, बूदी, चित्तौडगढ व झालावाड जिलो मे की जाती है। इसके अन्तर्गत क्षेत्रफल 1983-84 में केवल 23 हजार हैक्टेयर था जो 1990 91 मे 1 80 लाख हैक्टेयर हो गया है। यह गैर-परम्परागत व नई फसल है। भविष्य मे इसका क्षेत्रफल और बढने की सम्भावना है।

(vi) गन्ने का उत्पादन- राज्य मे गन्ने का उत्पादन 1952-53 में 4 1 लाख टन हुआ था जो बढकर 1987 88 मे 9 5 लाख टन हो गया । लेकिन 1988-89 मे यह घटकर 6 9 लाख टन पर आ गया। 1989 90 मे इसके 7 2 लाख टन, 1990 91 मे 12 लाख टन तथा 1991-92 मे 13 6 लाख टन (सशोधित) होने का अनुमान है। इस प्रकार राज्य मे गन्ने के उत्पादन मे भी भारी उतार-चढाव आते रहते है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन 1983 84 मे 14 8 लाख टन हुआ था। इस प्रकार गन्ने के उत्पादन का स्तर 1983-84 मे 1952-53 का तिगुना रहा था।

राज्य मे गन्ने का क्षेत्र 1977-78 मे 61 हजार हैक्टेयर था जो घटकर सातवीं योजना मे 16-20 हजार हैक्टेयर पर आ गया था। यह एक चिंता का विषय है। राजस्थान मे धनिये का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 40% होता है। इसके अन्तर्गत क्षेत्रफल बढा है। यह ज्यादातर कोटा व झालावाड जिलो मे पैदा होता है। राज्य की अन्य व्यापारिक फसलो मे ईसबगोल, जीरे, लाल मिर्च मेहदी, ग्वार आदि का स्थान आता है। ये नकद फसले हैं, इसलिए इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

राज्य मे माल्टा/कीनूँ, अनार, बेर, आदि फलो का उत्पादन भी किया जाता है। फलो के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

राजस्थान मे कृषिगत इन्पुटों के उपयोग में वृद्धि [1]

(1) उर्वरको का उपयोग - राज्य में उर्वरकों के उपयोग मे उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है जो निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है-

अवधि (वार्षिक)	उर्वरकों की खपत (हजार टन में)	प्रति हैक्टेयर खपत (किलोग्राम में)
द्वितीय योजना म (1956-61)	1 3	0 09
पाचवीं योजना म (1974 79)	96 4	5 72
1979 80 म	147 2	9 00
छठी योजना मे (1980-85)	171 0	9 44
सातवीं योजना में (1985-90)	254 8	15 00
1990-91	372 3	19 57

तालिका से पता चलता है कि राजस्थान में उवरको का उपयोग द्वितीय योजना काल मे औसत रूप से 1 3 हजार टन था, जो सातवीं योजना की अवधि मे बढ़कर 2 55 लाख टन हो गया। उसके बाद मे भी उर्वरकों की खपत तेजी से बढती जा रहा है। प्रति हैक्टेयर उवरको का उपयोग द्वितीय योजना मे लगभग 0 1 किलोग्राम (1/10 किलोग्राम) से बढकर सातवीं योजना मे 15 किलोग्राम तक हो गया। 1990-91 मे प्रति हैक्टेयर उवरको की खपत 19 6 किलोग्राम तक पहुँच गयी थी। 1991 92 मे उवरको की खपत 373 8 हजार टन व 1992 93 मे 551 1 हजार टन रही।[2]

इसके अलावा राज्य मे जैविक खाद के उपयोग को भी बढाया गया है।

---

1 Eighth Five year Plan 1992 97 March 1993 pp 67-68..

2 Draft Annual Plan 1992 93 Vol I p 2 9 and Draft Annual Plan 1983-84 (Dec 1992) p 2.8

इसमें शहरी खाद व ग्रामीण खाद शामिल होती है।

अधिक उपज देने वाली किस्मो के बीजों का तथा अन्य सुधरे हुए बीजों का उपयोग[1] :-

(औसत वार्षिक)	खरीफ व रबी को मिलाकर	
	अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज (HYV) (हजार क्विंटल में)	अन्य सुधरी किस्मों के बीज (हजार क्विंटल मे)
द्वितीय योजना	- -	---
तृतीय योजना	---	- -
1968-69	25 1	--
चतुर्थ योजना	26 8	-
पंचम योजना	48 1	8 1
छठी योजना	126 0	30 1
1989 90	130 9	52 7
1990-91	152 7	66 9
1991-92	143 9	66 5
1992 93 सम्भावित	161 3	72 2

योजनाकाल मे 1966 67 से अधिक उपज देने वाली किस्मो के बीजो व अन्य किस्म के बीजों का उपयोग बढ़ाया गया है। इससे उत्पादन मे वृद्धि हुई है। 1991 92 मे अधिक उपज देने वाली किस्मो के बीजो की खपत लगभग 1 5 लाख क्विंटल व अन्य सुधरी किस्मो के बीजों की खपत 59 हजार क्विंटल हो गई थी। 1992 93 में इनके बढ़ने का अनुमान है।

(iii) **पौध-सरक्षण रसायनों की खपत मे वृद्धि**- राज्य मे तकनीकी ग्रेड के रसायनो की खपत बढायी गई है ताकि विभिन्न फसलो सब्जियो व फलो को विभिन्न प्रकार के रोगो से बचाया जा सके। द्वितीय योजना मे इनकी वार्षिक खपत 129 टन तृतीय योजना मे 229 टन तथा छठी योजना मे 2004 टन रही। 1991 92 मे यह 3000 टन तथा 1992 93 मे 3250 टन रही।

---

1 Eighth Five Year Plan 1992 97 March 1993 pp 67 68 Draft Annual Plans for 1992 93 and 1993 94 आगे भी 1991 92 व 1992 93 के आंकड़े इन्हीं पर आधारित हैं।

(iv) अधिक उपज देने वाली किस्मो (HYV) के अन्तर्गत क्षेत्र [1]
1966 मे हरित क्रान्ति की शुरूआत के बाद राजस्थान मे भी अधिक उपज देने वाली फसलो के उपयोग मे निरन्तर वृद्धि हुई है। 1966 69 की अवधि मे ज्वार, बाजरा मक्का, धान व गेहूँ के कुल कषित क्षेत्रफल के केवल 2% भाग पर इन फसलो की उन्नत किस्मो की बुआई की गई थी। बाद मे हुई प्रगति निम्न तालिका मे दर्शायी गई है। अधिक उपज देने वाली किस्मो (HYV) के अन्तर्गत उपर्युक्त पाँच फसलो मे कुल कृषित क्षेत्रफल का प्रतिशत इस प्रकार रहा

पाच फसलों मे कुल कृषित क्षेत्रफल का प्रतिशत अश	
चतुर्थ योजना	8 8
पचम योजना	17 0
छठी योजना	28 3
सातवी योजना	31 9

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान मे भी अधिक उपज देने वाली किस्मो के अन्तर्गत ज्वार बाजरा मक्का धान व गेहूँ का क्षेत्रफल बढा हे जो सातवी योजना मे इन फसलो के कुल क्षेत्रफल का 32% तक हो गया था। इससे उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पडा है।

इनमे गेहूँ रबी की फसल है और शेष चार खरीफ की फसले हैं।

राज्य मे उत्पादन बढाने के लिए गेहूँ के मिनिकिट वितरित किये गये हैं। अकाल व सूखे से ग्रस्त लघु व सीमान्त किसानो को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से अकाल सहायता कार्यक्रम के तहत उनको बीज व उर्वरको के मिनिकिट्स नि शुल्क बाँटे गये है। *बीज मिनिकिट्स बाँटने मे राजफेड ने सहयोग दिया है।* उर्वरक मिनिकिट्स मे यूरिया के 25 25 किलोग्राम के मिनिकिट्स बनाये गये है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषको के खेतो पर मक्का, बाजरा व ज्वार के सघन प्रदर्शन आयोजित किये गये है। इनसे उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है।

राज्य मे कृषिगत उत्पादन बढाने के विभिन्न कार्यक्रम

(1) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (National Pulses Development Project) राजस्थान म रबी की दलहन फसलो मे चना मसूर व मटर आते है तथा खरीफ मे मोठ उडद, मूँग चवला व अरहर मुख्य है। मोठ कुल दलहनी क्षेत्र के 40% क्षेत्र म बोया जाता है। यह कम वर्षा वाले क्षेत्रो मे भी हो सकता है। दलहन का उत्पादन बढाने के लिए 1974 75 से एक केन्द्रचालित दलहन विकास योजना कार्यशील थी जिसे 1986 87 से राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना म शामिल कर लिया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार

---

1 राजस्थान में कृषि विकास प्रगति 1990 91 कृषि विभाग जयपुर पृ 19 तथा आय व्ययक अध्ययन 1992 93 पृ 110

व राज्य सरकार के द्वारा निम्न जिले चुने गये हैं :-

भारत सरकार द्वारा चुने गये जिले

चना	मुग	उडद
1 श्रीगगानगर	1 चुरू	1 चुरू
2. चुरू	2 झुन्झुनूं	2 झालावाड़
3 झुन्झुनू	3 जयपुर	3 भीलवाड़ा
4 जयपुर	4 जोधपुर	
5 अलवर	5 नागौर	
6 चित्तौड़गढ़	6 सीकर	
7 कोटा	7 कोटा	
8 सीकर	8 सवाई माधोपुर	
9 झालावाड़		
10 भरतपुर		
11 सवाई माधोपुर		
12 भीलवाड़ा		

इस प्रकार चने के लिए 12 जिले, मूग के लिए 8 जिले तथा उडद के लिए 3 जिले दलहन के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा चुने गये है ।

राज्य सरकार द्वारा चुने गये जिले इस प्रकार है.

चना	मूंग	उड़द	मोठ
1 अजमेर	1, अजमेर	1 कोटा	1 जयपुर
2 बीकानेर	2 श्रीगगानगर	2 उदयपुर	2 सीकर
3 बूदी		3 बासवाड़ा	3 झुन्झुनू
4 टोक		4 डूगरपुर	4 श्रीगगानगर
5 बासवाड़ा			5. चुरू
6 डूंगरपुर			6 जोधपुर
			7. बाड़मेर
			8 नागौर

इस प्रकार राज्य सरकार ने विभिन्न दलहनों के लिए कुल 20 जिले चुने हैं। राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत कृषकों को सब्सिडी देकर दलहन का उत्पादन बढाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। जैसे मिनिकिट वितरण, ब्लॉक-प्रदर्शन प्रशिक्षण, पौध-संरक्षण, उपचार (दवाइयाँ) प्रमाणित

बीज वितरण, पौध-सरक्षण यत्र, आदि के लिए सब्सिडी दी जाती है, जिसमें ज्यादातर केन्द्र का अश 75% व राज्य का 25% होता है। आशा है इस कायक्रम से खरीफ व रबी की दालों का उत्पादन बढेगा।

(2) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना (National Oilseeds Development Project)- राज्य में खरीफ के तिलहनो मे तिल, मूगफली सोयाबीन व अरण्डी का स्थान है, तथा रबी के तिलहनो मे राई-सरसो तारामीरा व अलसी का स्थान है। तिलहनो का उत्पादन बढाने के लिए 1984 85 व 1985-86 मे केन्द्र-चालित योजना मे केन्द्र का अश शत-प्रतिशत था, तथा 1986-87 से केन्द्र व राज्य का 50 50 अश रहा था।

1987 88 मे तिलहन का उत्पादन बढाने के लिए एक अतिरिक्त कायक्रम 'तिलहन-उत्पादन-थ्रस्ट-कायक्रम' (oilseeds production thrust programme) चालू किया गया जिसमे केन्द्र का अश शत-प्रतिशत रखा गया। दोनो योजनाएँ 1989 90 तक लागू रहीं। इसके बाद 1990 91 मे दोना को मिलाकर एक तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (oilseeds production programme) लागू किया गया है जिसका 75% व्यय केन्द्र द्वारा तथा 25% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत काश्तकारों को मिनिकिट्स, वृहद प्रदर्शन, उन्नत कृषि यत्र, पौध सरक्षण यत्र व दवाइयों तथा जिप्सम के उपयोग पर सब्सिडी दी जाती है । इसके लिए सरकार ने 24 जिले चुने हैं तथा राज्य सरकार ने 2 जिले डूगरपुर व चुरू चुने हैं । राज्य में कोटा, बूदी, झालावाड व चित्तौडगढ जिलों में सोयाबीन की खेती को काफी लोकप्रिय बनाया गया है जिससे इसके अन्तर्गत क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों मे वृद्धि हुई है ।

इसी प्रकार सरसो का उत्पादन बढाया गया है। इसके लिए समय पर बुआई, पौध-सरक्षण, जीवाणु खाद (organic manures) का उपयोग आदि पर बल दिया गया है। सरसो, मूँगफली व सोयाबीन की फसलों मे बुवाई मे पूर्व जिप्सम का 250 किलो प्रति हैक्टेयर की दर से उपयोग करने पर उत्पादन बढा है। इसके लिए सरकार सब्सिडी (अनुदान) देती है। तिलहन का उत्पादन बढाने के लिए कृषकों को स्प्रिंक्लर सैट अनुदान पर उपलब्ध किये जा रहे हैं। इनमे पानी की किफायत होती है और अधिक क्षेत्र मे सिंचाई की जा सकती है। सरसो की फसल मे चेपा लगने पर वह घुल जाता है जिससे उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव आता है।

तिलहन का उत्पादन वृहत् प्रदर्शन व मिनिकिट वितरण के कारण भी बढा है।

(3) *विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजना (Special Food Production* Programme) देश मे खाद्यान्नो का उत्पादन बढाने के लिए योजना आयोग ने सातवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के समय एक विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम अपनाया जिसके अन्तगत 14 राज्यों के 169 जिलों में गेहूँ, चना, मक्का, चावल व अरहर का उत्पादन बढाने के प्रयास किये गये। 1988 89 व 1989 90

मे इस कार्यक्रम का शत प्रतिशत व्यय भारत सरकार के द्वारा किया गया।

राजस्थान मे यह कार्यक्रम शुरू मे 14 जिलो मे गेहूँ चना व मक्का की फसलो पर लागू किया गया। यह कार्यक्रम 1990 91 के लिए भी जारी रखा गया और इस बार इसमे बाजरा भी शामिल किया गया। 1990 91 के लिए यह कार्यक्रम निम्न फसलो के लिए इस प्रकार चलाया गया -

(i) गेहूँ (14 जिले) - अलवर, भीलवाडा चित्तौडगढ भरतपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर, टोंक कोटा सवाई माधोपुर, बासवाडा बीकानेर, बूँदी सीकर व पाली।

(ii) चना (8 जिले) अलवर, भरतपुर, चुरू जयपुर, श्रीगगानगर, टोक कोटा सवाई माधोपुर।

(iii) मक्का (7 जिले) भीलवाडा चित्तौडगढ उदयपुर बासवाडा, डूँगरपुर, झालावाड व अजमेर।

(iv) बाजरा (8 जिले) अलवर, जयपुर, झुन्झुनूँ, जोधपुर, नागौर, सीकर, चुरू व बाड़मेर।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की इन्पुटो (जैसे प्रमाणित बीज पौध सरक्षण दवाइयो व यत्रो तथा सुधरे हुए फार्म यत्रो) प्रदर्शनो आदि के लिए अनुदान दिये जाते है ताकि इसमे शामिल फसलो की पैदावार बढ सके। इस कार्यक्रम पर अधिक धनराशि गेहूँ के विकास पर व्यय की गई है। सामान्यतया विभिन्न फसलो के लिए जो धनराशि व्यय हेतु निश्चित की गई थी उससे कम राशि ही व्यय हो पाई है। फिर भी इस कार्यक्रम की सहायता से गेहूँ, चना मक्का व बाजरे का उत्पादन चुने हुए जिलो मे बढाने मे मदद मिली है।

राज्य में प्रमुख फसलो म उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ (भारतीय सदर्भ में)[1]

राजस्थान मे विभिन्न फसलो की प्रति हैक्टेयर पैदावार में वृद्धि हुई है जिसे समस्त भारत की तुलना मे निम्न तालिका मे दर्शाया गया है।

(प्रति हैक्टैयर किलोग्राम मे)

फसल	राजस्थान		भारत	
	1970 71	1989 90	1970 71	1989 90
1 चावल	1126	1270	1123	1745
2 गेहूँ	1320	2060	1307	2121
3 राई व सरसो	972	872	594	831
4 कपास (रूई)	184	386	106	252
5 गन्ना (टन प्रति है)	32 8	45 8	48	65

1 Districtwise Trends of Agricultural Production Deptt of Agriculture Raj Apr l 1991 and Economic Survey 1992 93 p S 18

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान मे प्रति हैक्टेयर उपज 1970-71 से 1989 90 की अवधि मे गेहूँ, चावल, कपास व गन्ने मे बढ़ा है। लेकिन यह राई व सरसो मे कम हुई है। 1989 90 में राजस्थान मे प्रति हैक्टेयर उपज की तुलना मे समस्त भारत से करने पर पता चलता है कि यह चावल व गन्ने मे काफी नीचे है। लेकिन 1989 90 मे राई व सरसो तथा कपास मे राजस्थान मे उत्पादकता का स्तर भारत से ऊँचा पाया गया है। गेहूँ में राजस्थान व समस्त भारत के उत्पादकता के स्तरो मे काफी समानता पायी जाती है। 1989-90 मे राजस्थान व भारत दोनों मे गेहूँ का उत्पादन लगभग 21 क्विंटल प्रति हैक्टेयर हुआ था।

राजस्थान मे प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता के सूचनांक

राज्य मे कृषिगत विकास के अध्ययन मे फसलो के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता के सूचनांकों का भी प्रयोग करना उचित होगा। आजकल आधार वर्ष 1979 80 से 1981 82 = 100 मान कर विभिन्न वर्षों के लिए फसलवार सूचनांक तैयार किये जाते है जो पिछली तालिका मे दर्शाये गये है।

तालिका के निष्कर्ष-

1 1974-75 से 1988 89 की अवधि मे दालो व गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्रफल घटा है, लेकिन तिलहन के क्षेत्रफल मे अत्यधिक वृद्धि हुई है। सभी फसलो के अन्तर्गत क्षेत्रफल का सूचनांक 1974 75 मे 95 से बढ़कर 1988 89 मे 108 हो गया है। अत इसमे मामूली वृद्धि हुई है।

2 गन्ने के उत्पादन का सूचनांक 1974 75 में 173 से घटकर 1988 89 मे 55 पर आ गया था। लेकिन 1990-91 मे यह बढ़ा और 1991 92 मे 108 5 पर रहा। तिलहन के उत्पादन का सूचनांक 1974 75 मे 112 से बढ़कर 1988 89 मे 399 पर आ गया। इसने 1990-91 मे वृद्धि हुई और 1991 92 मे यह बढ़कर 587 पर पहुँच गया । इस प्रकार तिलहन के उत्पादन मे भारी वृद्धि हुई है।[1] अनाज, दालो व खाद्य फसलो के उत्पादन-सूचनाको मे भी वृद्धि हुई है।

3 1974-75 से 1988-89 की अवधि मे गन्ने की उत्पादकता का सूचनांक लगभग 113 के आस-पास यथास्थिर रहा, जबकि अन्य फसलों में यह बढ़ता गया। सभी फसलो के लिए यह 97 से बढ़कर 173 पर पहुँच गया था।

---

1 Some Facts about Rajasthan 1992, p 45 (1990-91 व 1991 92 के उत्पादन सूचनांकों के लिए)

सूचनाक क्षेत्रफल उत्पादन व उत्पादकता (1979 80 से 1981 82 का औसत = 100)

फसले	क्षेत्रफल			उत्पादन			उत्पादकता		
	1974 75	1980 81	1988 89	1974 75	1980 81	1988 89	1974 75	1980 81	1988 89
1 अनाज	89 5	101 6	108 6	74 3	103 3	174 6	85 3	108 4	180 0
2 दालें	107 5	94 8	88 4	81 4	99 1	138 1	82 2	114 4	152 0
3 खाद्य फसलें (food crops)	94 4	99 8	103 3	75 6	102 1	163 8	77 4	110 0	172 6
4 तिलहन	109 1	91 7	174 9	112 0	90 0	398 5	95 6	106 2	171 1
5 कपास	70 8	94 9	79 6	77 8	89 8	138 9	110 0	94 6	174 5
6 गन्ना	153 3	88 0	48 2	173 1	92 9	54 8	112 9	105 5	113 7
7 सभी फसले (All crops)	95 1	99 0	108 3	82 6	100 1	190 7	97 1	108 3	172 5

[स्रोत Fifteen years of Agricultural Statistics Raj 1974 75 to 1988 89 DES Jaipur, pp 61-71]

चूँकि राज्य मे मानसून के फलस्वरूप क्षेत्रफल व उत्पादन मे प्रति वर्ष काफी उतार-चढाव आते रहते है इसलिए आकडो की तुलना मे आवश्यक सावधानी बरतनी होगी।

इस प्रकार राजस्थान के कृषिगत विकास के अध्ययन से हमे पता चलता है कि यहाँ मानसून के फलस्वरूप कृषिगत उत्पादन काफी अस्थिर रहता है। लेकिन पिछले वर्षों में विशेष कार्यक्रम अपना कर अनाजो, दालो व तिलहनों का उत्पादन बढाने के प्रयास किये गये हैं। फिर भी राज्य मे सिचाई का अभाव है तथा उर्वरको की खपत भी अपेक्षाकृत कम है। फार्म यत्रो में आधुनिकीकरण की आवश्यकता है तथा जल साधनो के सदुपयोग पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्य मे क्षारयुक्त मिट्टियो की समस्या उग्ररूप धारण करती जा रही है तथा कृषिगत उत्पादन फलो के उत्पादन वानिका चरागाह व पशु पालन के विकास मे अधिक समन्वय व तालमेल बैठाने की जरूरत है। राज्य सरकार कृषिगत विकास के लिए कई उपाय कर रही है ताकि उत्पादन बढ सके।

राजस्थान मे कृषिगत उत्पादन को व्यापक करने के लिये जोधपुर, बाडमेर, बीकानेर, चुरू व जैसलमेर मे **तुम्बा** की खेती गगानगर, बीकानेर, झालावाड व बासवाडा मे **सूरजमुखी** की खेती उदयपुर, व डूँगरपुर मे **कुसुम** (Safflower) की खेती तथा पाली जालौर, अजमेर, सिरोही भीलवाडा उदयपुर, राजसमन्द, सीकर व हनुमानगढ मे **एरण्डी** (Castor seed) की खेती को बढावा देने का प्रयास किया जा रहा है। सोयाबीन की खेती को सवाई माधोपुर, उदयपुर, टोक बासवाडा व भीलवाडा जिलो मे तथा बूँदी कोटा भीलवाडा चित्तौडगढ जिलो मे **राजमा** की खेती एव उदयपुर तथा कोटा सम्भागो मे काबुली चने की खेती को भी प्रोत्साहित किया जायगा।[1]

राज्य मे कृषिगत विकास के सम्बन्ध मे मुख्य निष्कर्ष

राजस्थान मे कृषिगत विकास के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि राज्य मे कृषिगत क्षेत्र का विस्तार हुआ है सिचाई की सुविधाएँ बढी है एव कृषिगत विकास की नई नीति को लागू किया गया है। राज्य मे उन्नत बीज खाद, सिचाई कीटनाशक दवाई आदि इन्पुटो का उपयोग बढा कर प्रति हैक्टेयर उपज मे वृद्धि की जानी चाहिए। अकाल व सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए भी सिचाई का विस्तार किया जाना चाहिए।

कृषको की आय बढाने के लिए कृषि के साथ साथ पशु धन के विकास पर भी समुचित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। राजस्थान मे पशु धन के विकास के लिए पर्याप्त अवसर व सुविधाएँ विद्यमान है। इस प्रकार राज्य **हरित क्रान्ति** (green revolution) के साथ साथ श्वेत क्रान्ति (white revolution) करने

---

1 मुख्यमत्री का बजट भाषण, 1992 93 मार्च 4 1992, पृ 14 15

की स्थिति मे भी आ गया है। इस सम्बन्ध मे दूध का उत्पादन व संग्रह बढ़ाने के लिए राज्य में ओपरेशन फ्लड III कार्यक्रम जारी है। इसके वर्ष 1994 मे समाप्त होने की सम्भावना है। राजस्थान में भारत के कुल दूध उत्पादन का 10% होता है। 1989-90 मे 42 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था। बस्सी मे गौवंश सवर्द्धन का प्रयास जारी है। दूध उत्पादकों की सहकारी समितियाँ स्थापित की गयी है। पशु चिकित्सा मे सुधार हुआ है। इस विषय पर अगले अध्याय मे सविस्तार चर्चा की गई है।

तीसरी क्रान्ति नीली क्रान्ति (Blue Revolution) मछली के उत्पादन से सबंध रखती है। 1989 90 मे 16 हजार टन मछली का उत्पादन हुआ था। मछली सीड उत्पादन में वृद्धि जारी है। फिश सीड उत्पादन भीमपुरा चादलाई, सिलीसेड (अलवर) पाचनपुरा व कासिमपुरा मे किया जा रहा है। राणाप्रताप सागर, जयसमद व कडाना बाध मे यत्रीकृत नावे चालू की गयी है तथा इन्दिरा गाँधी नहर कमाड क्षेत्र मे मछली का उत्पादन बढाया जा सकता है।

भूरी क्रान्ति (Brown Revolution) के अन्तर्गत फूड प्रोसेसिंग का विकास कार्य किया जा रहा है। रोजेन्सी फुड प्रोडक्ट्स लिमिटेड (शाहजहाँपुर) द्वारा टमाटर की खेती की जायेगी व टमाटर पेस्ट व कन्सन्ट्रेट तैयार किया जायेगा। इमामी फूड (शाहजहाँपुर) नमकीन खाद्य पदार्थ ब्रेक-फास्ट फूड आदि तैयार करेगा। इस प्रकार राज्य मे पजाब के पेप्सी कोला की भाँति भूरी क्रान्ति का दौर भी प्रारम्भ हो गया है।

भविष्य मे हरित श्वेत, नीली व भूरी क्रान्तियो को अधिक कामयाब बनाने की आवश्यकता है।

आशा है भविष्य मे सिचाई की बढ़ती हुई सुविधाओ के फलस्वरूप राज्य की कृषिगत अर्थव्यवस्था को अधिक स्थिरता प्रदान की जा सकेगी। राज्य मे आधुनिक कृषि की ओर अग्रसर होने के लिए पर्याप्त अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। विभिन्न कृषिगत साधनो की सप्लाई बढाकर एव सस्थागत व भूमि सुधार लागू करके कृषि के क्षेत्र मे समुचित विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए। राज्य मे घटिया मिट्टी व जल साधनो की समस्या है। सूखी खेती की विधियो का प्रयोग करके राज्य मे कृषि का विकास किया जाना चाहिए। विद्वानो का मत है कि राज्य मे कृषिगत अनुसधान पर स्थानीय आवश्यकताओ के अनुसार अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। दालो तिलहन आदि का उत्पादन बढाया जाना चाहिए। राज्य के चरागाहो को बढाकर मरुभूमि मे पशु धन का विकास किया जाना चाहिए। जोधपुर मे काजरी (CAZRI) (Central And Zone Research Institute) सूखे प्रदेशों की विभिन्न कृषिगत समस्याओ के अध्ययन मे कार्यरत है। काजरी का पुनर्गठन 1959 मे किया गया था। इसके उद्देश्य इस प्रकार है (1) शुष्क व अर्द्ध शुष्क प्रदशो के लिए पेड पौधो चरागाह भूमि की नमी जल सम्बन्धी अध्ययन

करना, (2) सतह व भूतल जल के उपयोग का अध्ययन, (3) पर्यावरण की प्रकृति का अध्ययन, (4) प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन तथा (5) जल के श्रेष्ठ उपयोग की व्यवस्था करना। इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के पूरा हो जाने से जैसलमेर जिले मे भी कृषिगत पैदावार तेजी से बढ़ेगी। अत राज्य मे कृषिगत उत्पादन बढाया जाना चाहिए। सिचाई के साधनो का विकास करके कृषिगत उत्पादन के उतार चढ़ाव कम किये जा सकते हैं। सिचाई की विभिन्न परियोजनाओ का विवरण आगे चलकर एक स्वतन्त्र अध्याय मे दिया जायगा।

प्रश्न

1 योजनाकाल के चार दशको में राजस्थान मे कृषिगत विकास की मुख्य प्रवृत्तियो का विवेचन कीजिए।

2 राजस्थान मे खाद्यान्नो व तिलहन का उत्पादन बढाने के विशेष कार्यक्रमो का उल्लेख कीजिए तथा उनका महत्त्व समझाइए।

3 सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

(i) राजस्थान मे सिचाई का विकास,

(ii) राजस्थान मे खाद्यान्नो के उत्पादन की प्रवृत्ति,

(iii) राज्य मे इन्पुटो के उपयोग मे वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(iv) राज्य मे तिलहन का उत्पादन।

10

पशु-पालन का विकास
(Development of Animal Husbandry)

पहले बतलाया जा चुका है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में विशेषतया शुष्क व अर्द्धशुष्क क्षेत्रो मे पशु पालन का विशेष महत्व है। रेगिस्तानी जिलो में लगभग 95% क्षेत्र मे एक फसल ही बोयी जाती है जो कम वर्षा पर आश्रित होती है। पशु-पालन सूखे की दशाओ मे आवश्यक बीमे का काम करता है और आमदनी रोजगार व पोषण प्रदान करता है। राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का लगभग 15% पशु पालन से प्राप्त होता है। राजस्थान का योगदान समस्त भारत के दूध उत्पादन मे 10% पशुओ द्वारा माल ढोने की शक्ति (draft power) में 35% भेड बकरी के मास में 30% व ऊन में 40% आका गया है।

जहाँ राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्र (जो कुल क्षेत्रफल के लगभग 60% भाग मे फैला है) मे पशुपालन लोगो की जीविका का महत्वपूर्ण साधन है वहाँ जनजाति बाहुल्य पर्वतीय क्षेत्रों मे कृषि के छोटे छोटे भूखण्डो से उत्पन्न कठिन भौगोलिक व आर्थिक परिस्थितियो का मुकाबला करने के लिए एक मात्र विकल्प पशुपालन ही रह जाता है। अत राजस्थान में पशुपालन से आमदनी व रोजगार पर काफी प्रभाव पडता है।

राज्य मे पशु सगणना के आकडो के अनुसार पशुओ की सख्या मे कभी वृद्धि व कभी कमी होती रहती है। यह 1961 से 1966 की अवधि में स्थिर रही 1966 1977 में कुछ कम हुई 1977 1983 मे बढी तथा 1983 1988 मे पुन कम हो गई। 1983 मे पशुओं की सख्या 4 97 करोड़ से घट कर 4 09 करोड़ हो गई। इस प्रकार इसमे 17 6% की गिरावट आयी। इसी अवधि मे गौ वश के पशुओ की सख्या 1 35 करोड से घटकर 1 09 करोड हो गई जिससे 19 2% की गिरावट हुई। भैंस जाति के पशुओ की सख्या 60 4 लाख से बढकर 63 4 लाख हो गई। अत इसमे 4 9% की वृद्धि हुई। उपर्युक्त अवधि मे बकरी की सख्या मे 18 7% तथा भेडो की सख्या मे 26 2% की गिरावट आयी। 1988 में बकरी की सख्या लगभग 1 26 करोड़ तथा भेड़ो की सख्या 99.3 लाख रही। इस प्रकार सातवीं योजनाकाल में सूखे व अभाव की दशाओं का सबसे अधिक दुष्प्रभाव भेड जाति के पशुओ पर पडा, हालांकि भैंस-जाति के

पशुओ की सख्या मे थोडी वृद्धि हुई। राज्य में भेड बकरी कुल पशुधन के आधे से अधिक है। इनकी सख्या मे वृद्धि को रोक कर उत्पादकता बढाने की आवश्यकता है।

राजस्थान मे पशु पालन के विकास का अध्ययन करते समय यह स्मरण रखना होगा कि राज्य मे गौ वश की सात किस्मे प्रसिद्ध हैं। इनमे गिर, राठी व थारपरकर दूध के लिए, नागौरी व मालवी बैल के लिए तथा हरियाणा व काकरेज उत्तम बैल व अधिक दूध दोनो के लिए विख्यात है। मुर्रा नस्ल की भैंस दूध के लिए पाली जाती है। राज्य में भेड बकरी का विशेष महत्व है। इनकी सख्या गाय बैल से ज्यादा तेज गति से बढी है। 1966 1983 की अवधि मे भेडो की सख्या मे वार्षिक वृद्धि दर 2 51% रही तथा बकरी की सख्या मे यह 2 41% रही। 1983 88 की अवधि मे दोनो की सख्या घटी है। पशुओ की सख्या मे वृद्धि से चराई के लिए भूमि पर दबाव बढा है।

राज्य मे पशु पालन व डेयरी विकास का आमदनी रोजगार व पोषण का स्तर बढाने की दृष्टि से ऊँचा स्थान होने के कारण इस क्षेत्र की विभिन्न समस्याओ को हल करके इसको अधिक कार्यकुशल अधिक उत्पादक व अधिक आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। इसमे भावी विकास की सम्भावनाएँ व्यापक रूप से निहित है। विभिन्न क्षेत्रों मे सूखे की दशाओ के कारण पशुओ का अन्य स्थानो को निरन्तर निष्क्रमण (migration) होता रहता है। पशु कुपोषण के शिकार होते रहते हैं इससे स्वदेशी नस्ल मे गिरावट आती गयी है और चारे की कमी के कारण लाखो पशु पालक वर्तमान मे इस रुग्ण उद्योग मे नीचा जीवन स्तर भोग रहे हैं। वे कामन भूमि पर स्वतत्र चराई पर निर्भर करते है और पशुओ को अपने पास से घटिया किस्म का चारा व घास खिलाने को बाध्य होते हैं। इसलिए पशुओ के लिए पर्याप्त मात्रा मे चारे की व्यवस्था करके तथा उनकी नस्ल मे सुधार करके इनकी उत्पादकता को बढाने की आवश्यकता है ताकि यह क्षेत्र भी राज्य की घरेलू उत्पत्ति मे अपना योगदान बढा सके।

हम नीचे योजनाकाल मे पशु पालन के विकास से सम्बन्धित अपनाये गये विभिन्न कार्यक्रमो का विवेचन करते हैं।

(1) पशुओ के लिए नस्ल सुधार व चिकित्सा सुविधाओं के कार्यक्रम

राज्य मे गहन पशु विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमे कृत्रिम गर्भाधान (artificial insemination) पशुओ के लिए उचित चिकित्सा व्यवस्था तथा खुराक व चारे का विकास किया गया है। बस्सी (जयपुर) में गाय व भैस के कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक केन्द्र स्थापित किया गया है जहा आवश्यक उपकरणो व साधनो की उपलब्धि की गई है। राज्य मे मुर्रा नस्ल के भैसो का अभाव पाया जाता है। इसके लिए कुम्हेर (झालावाड) मे एक फार्म हाउस स्थापित

करने का कार्यक्रम है क्योंकि उस क्षेत्र में भैंस की संख्या अधिक है। इसलिए वहाँ पाड़ा (buffalo calf) का विकास किया जायेगा। कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से विदेशी नस्लो का उपयोग राज्य में अवर्गीकृत (non-descnpt) पशुओं के क्षेत्रों में क्रास-प्रजनन (cross breedıng) के लिए व्यापक रूप से किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तम स्वदेशी नस्लो का उपयोग करके चुने हुए ढंग का प्रजनन (selectıve breedıng) भी बढाया जा रहा है। चुने हुए ढंग का प्रजनन कृत्रिम गर्भाधान व स्वाभाविक प्रजनन (Natural breedıng) दोनो माध्यमो से किया जाता है। यह स्पष्ट परिभाषित नस्लो के लिये किया जायगा, जैसे राठी, थारपरकर, नागौरी आदि के लिए। दक्षिण के आदिवासी जिलों मे भी पशु नस्ल सुधार का काम विदेशी जर्म प्लाज्म व कॉस-प्रजनन के अर्द्ध प्रजनित साडों (half bred bulls) की सहायता से किया जायेगा।

स्वदेशी पशुओ की नस्लो मे भी सुधार किया जा रहा है ताकि कम उत्पादन करने वाले पशुओं की सख्या कम की जा सके। उनकी गुणवत्ता सुधारी जा सके एव बेकार के साडो (Scrub bulls) की संख्या कम की जा सके।

राज्य मे पशु-चिकित्सालय की संख्या मे उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। 1950-51 मे इनकी संख्या 147 थी जो बढकर 1960-61 में 255 तथा 1989-90 मे 1338 हो गई। सातवीं योजना मे 25 नये पशु अस्पताल खोले गये तथा 359 डिस्पेन्सरियो को अस्पतालो मे परिवर्तित किया गया। पाँच चल सर्जिकल व वन्ध्यकरण (Surgical cum stenlıty) इकाइयाँ स्थापित की गई तथा 4 12 लाख पशुओ को खुर व मुँह की बीमारी के लिए टीके लगाए गये।

इस प्रकार पशुओं में क्रोस-प्रजनन व सिलेक्टिव-प्रजनन के माध्यम से नस्ल सुधार के प्रयास जारी हैं, तथा पशुओ के स्वास्थ्य की देखभाल के प्रयास भी बढ़ाये गये है। इससे पशुओ की उत्पादकता में सुधार हो रहा है, जिसके भविष्य में और बढ़ने की आशा है।

गहन पशु-प्रजनन के लिए "गोपाल" कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 1990-91 मे चालू किया गया। इसमे गैर-सरकारी संगठन अथवा गाँव के शिक्षित युवक (गोपाल) को उचित प्रशिक्षण देकर उसकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है। इसमे विदेशी नस्ल का उपयोग बढ़ाने के लिए गोपाल को क्रोस प्रजनन के लिए कृत्रिम गर्भाधान की विधि का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक क्षेत्र के बेकार सांडो को पूर्णत. बधिया दिया जाता है। पशु पालकों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे अपने पशुओं को स्टॉल पर किस प्रकार खिलावें और सदैव बाहर चरने की विधि पर आश्रित न हों।

गोपाल की शिक्षा कम से कम आठवीं कक्षा पास अवश्य होनी चाहिए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति या एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना के

व्यक्तियो को वरीयता दी जाती है। इनको 4 महीने का कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा आवश्यक साज सामान नि शुल्क उपलब्ध कराया जाता है। चुने हुए व्यक्ति को प्रथम चार महीने के लिए 400 रुपये प्रति माह प्रशिक्षण भत्ता (stipend) दिया जाता है और तत्पश्चात् 8 महीनो के लिए इतनी ही राशि का प्रेरणा भत्ता दिया जाता है। दूसरे वर्ष मे उसे 300 रु प्रति माह भत्ता दिया जाता है तथा गर्भाधान की फीस भी दी जाती है जो सरकार द्वारा निर्धारित होती है। तीसरे वर्ष मे उसे 200 रुपये मासिक दिया जाता है और बाद मे कोई भत्ता नहीं दिया जाता है। दूसरे वर्ष से उसे प्रति बछडा (calf) कोई प्रेरणा राशि दी जाती है और प्रथम वर्ष मे उसे बेकार साडो को बधियाने पर प्रेरणा राशि दी जाती है। उसे आवश्यक माल सामान व सामग्री नि शुल्क दी जाती है। उसे काम पर लगाने से पूर्व 4 वर्ष का बाँड भरना होता है। प्रति गोपाल लागत का अनुमान 21 हजार रुपये लगाया गया है। उसको प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए आठवीं योजना मे 3 67 करोड रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

कार्यक्रम का प्रशासनिक ढाचा इस प्रकार होगा

एक जिले मे 4 पचायत समितियाँ होगी। एक पचायत समिति मे 10 गोपाल सस्थाएँ होगी। इस प्रकार राज्य के दक्षिण व पूर्वी भाग के 10 जिलो की 40 पचायत समितियो मे 400 गोपाल सस्थाएँ होगी। प्रत्येक गोपाल सस्था या इकाई निम्न कार्यों मे भाग लेती है

(i) विदेशी नस्ल या किस्म का कृत्रिम गर्भाधान

(ii) बेकार साडो को बधियाना (castration of scrub bulls)

(iii) चारे का विकास

(iv) प्रबन्ध की विधियो मे सुधार

(v) सतुलित राशन की बिक्री

(vi) बाझपन के केम्प (infertility camps)

(vii) कीट नष्ट करना (डिवॉर्मिंग) (deworming) व सींग हटाना (डिहोर्निंग) (dehorning)

आशा है गोपाल योजना से राज्य के पशु पालन मे प्रगति होगी जिससे राज्य मे दूध का उत्पादन बढेगा और पशु पालको की आमदनी भी बढेगी। वर्तमान मे राज्य के दक्षिणी पूर्वी जिलो मे 280 गोपाल कार्यरत है जिन्हे बढाकर 400 किया जायगा। अब लगभग 8 लाख पशुओं को प्रजनन की सुविधा उपलब्ध होगी। एकीकृत ग्रामीण पशु विकास योजना 20 जिलो मे 780 केन्द्रो के माध्यम से शुरू की गई है। एक पशुधन सहायक 2 हजार पशुओं को प्रजनन की सुविधा उपलब्ध करायेगा।

(2) राज्य मे डेयरी विकास कार्यक्रम –

डेयरी या दुग्ध विकास नीति के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (Rajasthan Cooperative Dairy Federation) अमूल के नमूने पर राष्ट्रीय डेयरी विकास के सहयोग से राज्य मे डेयरी कार्यक्रम सचालित कर रहा है। डेयरी फेडरेशन उपभोक्ताओ को उत्तम किस्म का दूध तथा दूध से बने पदार्थ उपलब्ध कराने मे सलग्न है। यह पशुओ के स्वास्थ्य के सुधार, पशु आहार की सुविधा तथा दुग्ध उत्पादको को उचित मूल्य दिलवाने का भी प्रयास कर रहा है। वर्तमान मे दूध सकलन का कार्य 10 डेयरी सयत्रो तथा 24 चिलिग (अवशीतन) केन्द्रो के द्वारा सचालित किया जा रहा है जिनकी क्षमता क्रमश 9 लाख लीटर एव 4 लाख लीटर प्रति दिन है। गहन डेयरी विकास कार्यक्रम राज्य के सभी 30 जिलो मे चलाया जा रहा है। इस कार्य मे 16 दुग्ध उत्पादक सघो का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। 1989 90 मे डेयरी फेडरेशन का औसत दुग्ध सग्रहण 4 15 लाख लीटर प्रति दिन रहा था।

राज्य मे 1991 92 मे दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियो व सग्रह केन्द्रों की सख्या 4477 हो गई और इनमे दुग्ध उत्पादकों की सदस्य सख्या 3 46 लाख हो गई। सहकारी समितियो के विकास के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादको को काफी लाभ पहुँचा है। इससे उत्पादन को विपणन के साथ जोडा जा सका है जिससे दुग्ध उत्पादको को उचित मूल्य मिल पाया है और मध्यस्थ वर्ग के शोषण से मुक्ति मिली है। डेयरी फेडरेशन के अधीन 4 पशु आहार सयत्र (Cattle feed plants) कार्यरत है जिनमे पशु आहार का उत्पादन कर उसका विपणन किया जाता है।

राजस्थान मे डेयरी के विकास से ग्रामीण क्षेत्रो मे आमदनी व रोजगार बढ़े हैं। लघु व सीमान्त कृषको तथा भूमिहीन श्रमिकों को आर्थिक लाभ पहुँचा है। समाज के निर्धन वर्ग को लाभ हुआ है, मानवीय खुराक मे प्रोटीन की मात्रा बढ़ी है तथा बायो गैस के माध्यम से ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत का विकास हुआ है। शहरी क्षेत्रो मे दूध व दूध से बने पदार्थों की बढी हुई माँग की पूर्ति करने में मदद मिली है जो अन्यथा कठिन थी।

डेयरी विकास पर टेक्नोलोजी मिशन - भारत सरकार ने डेयरी विकास पर टेक्नोलोजी मिशन प्रारम्भ किया है इसके निम्न उद्देश्य हैं-

(i) उत्पादकता बढाने व लागत घटाने के लिए आधुनिक टेक्नोलोजी को अपनाकर ग्रामीण रोजगार व आमदनी मे वृद्धि करना

(ii) दूध व दूध से बनी वस्तुओं की उपलब्धि को बढाना।

राज्य मे ओपरेशन फ्लड I कार्यकम पाचवीं योजनाकाल मे, ओपरेशन फ्लड II कार्यकम छठी योजनाकाल में तथा ओपरेशन फ्लड- III सातवीं योजना मे

चलाया गया था। यह 1994 में पूरा होगा। इस कार्यक्रम को राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF) क्रियान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम मे दुग्ध उत्पादको की सहकारी समितियों की प्रमुख भूमिका होती है। अब ओपरेशन फ्लड-III कार्यक्रम टेक्नोलोजी मिशन में शामिल कर दिया गया है ताकि पहले से स्थापित इन्फ्रास्ट्रक्चर के पूरे लाभ प्राप्त किये जा सके और सहकारी समिति दूध यूनियन व फेडरेशन के तीनो स्तरो पर आत्म-निर्भर व सुदृढ सहकारी ढाँचे की स्थापना की जा सके।

भावी योजनाओ मे पशु पालन डेयरी विकास व ग्रामीण विकास कार्यक्रमो मे अधिक ताल-मेल बैठा कर राज्य मे आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज की जा सकती है।

राज्य मे पशु-विकास कार्यक्रमो के फलस्वरूप प्रति गाय दूध की मात्रा 1960 मे 1.02 किलोग्राम प्रतिदिन से बढकर 1985-86 मे 2.75 किलोग्राम प्रति दिन हो गई है। दूध का कुल उत्पादन 1960-61 मे 20 लाख टन हुआ था जो 1989-90 मे 42 लाख टन (दुगने मे अधिक) हो गया है।[1] इसके अलावा ऊन का उत्पादन 1973-74 मे एक करोड किलोग्राम से बढकर 1989-90 मे 1.67 करोड़ तथा मास का उत्पादन 12 हजार टन से बढकर 30 हजार टन पर आ गया है एव अडो का उत्पादन दुगुने से अधिक हो गया है।[2]

राजस्थान मे भेड़ पालन का विकास व समस्याएँ

हम पहले ही बता चुके है कि राजस्थान मे भेडो की सख्या 1988 मे लगभग 99 3 लाख थी जो 1983 की तुलना मे 26 2% कम हो गई थी। लगातार सूखा पड़ने से 1983 88 की अवधि मे लगभग 35 लाख भेडे नष्ट हो गई। राज्य की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था मे भेडे एक महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति मानी जाती हैं। राज्य के शुष्क व अर्द्ध-शुष्क भागो मे खेती की बजाय भेड-पालन ज्यादा लाभकारी रहता है। इसका राज्य के आर्थिक व जलवायु सम्बन्धी पहलुओ से ज्यादा ताल-मेल बैठता है। लगभग 2 लाख व्यक्ति सीधे भेड-पालन से अपना जीविकोपार्जन करते हैं तथा 15-20 लाख व्यक्ति मास व ऊन आदि व्यवसायों में संलग्न हैं।

भेड़ प्रजनन कार्यक्रम - राज्य में ऊन व मास के उत्पादन में गुणात्मक व मात्रात्मक सुधार करने के लिए भेड प्रजनन कार्य मे सुधार के व्यापक प्रयास किये गये हैं। क्रोस प्रजनन (cross breeding) कार्यक्रम नाली, चोकला, सोनाडी,

---

1 *Comprehensive Agriculture Development Project, Rajasthan (1990 95)* May 1990, p 307

2 राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र, मार्च 1991, पृष्ठ 14

व मालपुरा नस्लो पर लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत विदेशी मेढो (exotic rams) व अर्द्ध प्रजनन मेढो (half bred rams) की आवश्यकता होती है। इसमे कृत्रिम गर्भाधान के जरिए भेडो की नस्ल सुधारी जाती है। इसके अलावा चुने हुए प्रजनन (selective breeding) की विधि का उपयोग मारवाडी जैसलमेरी पूगल व मगरा नस्लो पर किया गया है। इसके लिए चुने हुए मेंढे भेड पालको से उचित दामो पर खरीद कर अन्य भेड पालको को अनुदान देकर कम मूल्यों पर उपलब्ध किये जाते हैं। इस विधि मे कृत्रिम गर्भाधान व प्राकृतिक प्रजनन दोनो का उपयोग किया जाता है।

वर्तमान मे चार भेड प्रजनन फॉर्म जयपुर, फतेहपुर, चित्तौडगढ व बाकलिया मे स्थित है जो विदेशी व क्रास प्रजनित मेढे उत्पन्न करते है जो भेड पालको को दिये जाते हैं। क्रोस प्रजनन का कार्यक्रम भीलवाडा जयपुर चुरू झुन्झुनूं गगानगर व डूँगरपुर जिलो मे लागू किया गया है। इसके लिए विदेशी भेडे आयात करके विदेशी मेढे (exotic rams) तैयार किये जाते है।

चुने हुए प्रजनन का कार्यक्रम बीकानेर, जैसलमेर, बाडमेर, नागौर, जालोर, जोधपुर व पालो जिलो मे लागू किया जाता है। इससे ऊन की किस्म मे सुधार होगा तथा भेड पालको को लाभ होगा ।

राजस्थान राज्य सहकारी भेड व ऊन विपणन फेडरेशन लि 1977

इसकी स्थापना 1977 मे निम्न उद्देश्यो की पूर्ति के लिए की गई थी।

(i) भेड पालको को बिचौलियो के शोषण से बचाना

(ii) इनकी प्राथमिक सहकारी समितियाँ स्थापित करना

(iii) ऊन व अतिरिक्त भेडे (surplus sheep) भेड पालको से खरीदना

(iv) उनकी ग्रेडिंग व बिक्री करना तथा

(v) मास की खरीद व बिक्री करना।

इस प्रकार भेड व ऊन विपणन फेडरेशन की स्थापना सहकारी क्षेत्र मे की गई है। इसके सदस्य इस प्रकार है भारत सरकार, राजस्थान सरकार तथा भेड पालको को सहकारी समितियाँ । ऊन व अतिरिक्त भेडो की बिक्री की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। इसकी वित्तीय स्थिति की जाँच का कार्य सार्वजनिक उपक्रमो पर नियुक्त माथुर समिति को सौंपा गया था। इसे 1980 81 से 1986 87 की अवधि मे एक वर्ष को छोडकर अन्य छ वर्षों मे घाटा रहा था। लेकिन 1987 88

से 1990 91 के वर्षों मे थोडा लाभ हुआ है। इसके कार्य-सम्पादन मे सुधार करके इसे अधिक सक्षम व सक्रिय करने की आवश्यकता है।

भेड विकास से सम्बन्धित समस्याएँ व सुझाव [1]

(1) ऊन के विपणन में कमियाँ - ऊन के लिए उचित कीमत-व्यवस्था का अभाव पाया जाता है। ऊन प्रचलित बाजार भाव पर खरीद लिया जाता है। फिर उसकी ग्रेडिग (श्रेणीकरण) करके उसे ऊँचे भावो पर बोली लगाकर बेच दिया जाता है। लेकिन ऊन के लिए कोई समर्थन मूल्य (support price) निर्धारित नही किया जाता है। ऐसी स्थिति मे मदी की दशा मे ऊन-उत्पादको को हानि होने का अन्देशा बना रहता है।

ऊन का उत्पादन, खरीद, प्रोसेसिग व बिक्री तथा मास व जीवित भेड जाति के पशुओ का कारोबार निजी व सरकारी क्षेत्र मे पाया जाता है। इसे सहकारी **समितियो के दायरे में लाकर डेयरी विकास कर्याक्रम की भांति सचालित करने की आवश्यकता है।** ऐसी समितियाँ ग्राम स्तर पर बनायी जानी चाहिएँ। ये ऊन व अतिरिक्त पशु खरीद सकती हे तथा टीकाकरण उत्तम मेढे उपलब्ध करने आदि कार्यों मे सहयोग दे सकती हैं। इनसे भेड-पालको पर अनुकूल प्रभाव पडेगा। इनसे जाति वर्ग व लिग के भेद भी कम होगे तथा भेड विकास कार्यक्रम को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

(2) मास व जीवित भेडो का निर्यात खाडी-देशो मे बढा कर भेड पालकों को अतिरिक्त पशुओ का ऊँचा मूल्य दिलाना सम्भव हो सकता है।

(3) राजस्थान राज्य सहकारी भेड व ऊन विपणन फेडरेशन को सुदृढ करने की आवश्यकता है ताकि ऊन की ग्रेडिग व विपणन मे सुधार हो सके।

(4) भेड पालको के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। चूँकि भेड-पालन की व्यवस्था तीन प्रकार की होती है यथा एक जगह स्थित होकर (sedentary), अर्द्ध प्रवासी या भ्रमणशील (semi migratory) तथा प्रवासी। इसलिए सम्बन्धित कर्मचारियो के लिए भेड-पालको से निरतर सम्पर्क रखना कठिन होता है। भेड-पालक समुदाय मे से ही आवश्यक भता देकर युवको को प्रशिक्षण देकर तैयार करना होगा ताकि वे भेड विकास कार्यक्रम को आवश्यक गति प्रदान कर सके।

(5) बीमारी की जाँच-पडताल व स्वास्थ्य नियत्रण कार्यक्रम - विदेशी व क्रोस प्रजनन की भेडो पर बीमारी का जल्दी असर पडता है। इसलिए प्रत्येक

---

1 Comprehensive Agriculture Development Project, Rajasthan 1990 95 May 1990 pp 326-332

जिले मे बीमारी के निदान व इलाज की व्यवस्था बढाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए टीके लगाने दवाइयाँ देने भेडो को कीडो से मुक्त करने (deworming) खनिज विटामिनो की कमी दूर करने आदि पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। चूंकि भेड पालक दवाई की कीमत देने मे असमर्थ पाये जाते है इसलिए उनको अतिरिक्त सहायता पहुँचानी होगी।

जैसाकि पहले बतलाया जा चुका है राजस्थान में सूखे के प्रकोप से लाखों भेडो के सफाया हो जाने का भय बना रहता है और भेडो का अकाल के समय अन्य क्षेत्रो मे निष्क्रमण भी होता रहता है। इसलिए चरे व आहार का उत्पादन तथा पानी की सुविधा बढाकर भेड विकास कार्यक्रम को अधिक स्थिरता व गति प्रदान की जानी चाहिए। यह कार्य सुगम नहीं है लेकिन इसके लिए आवश्यक प्रयास जारी रखना होगा।

बकरी पालन विकास व समस्याएँ

राजस्थान मे बकरी की सख्या भारत मे सबसे ज्यादा रही है। 1977 मे यह 1 23 करोड थी जो समस्त भारत का 16 3% थी एव प्रतिवर्ग किलोमीटर मे बकरी का घनत्व 35 5 रहा था। 1983 मे बकरी जाति के पशुओ की सख्या 1 55 करोड रही जो घटकर 1988 मे 1 26 करोड पर आ गई। इस प्रकार बकरी की सख्या मे अनियमित रूप से परिवर्तन होते रहे है। 1977 83 की अवधि मे यह लगभग 25 2% बढी जबकि 1983 88 की अवधि मे 18 7% घटी। बकरी की सख्या बहुधा सूखो के कारण घट जाती है और अपेक्षाकत उत्तम वर्षा के कारण बढ जाती है। राज्य के उत्तर पूर्वी व पश्चिमी जिलो मे लगभग 3/4 बकरी की सख्या पायी जाती है। राज्य के सभी भागा मे बकरा की सख्या मे वद्धि होती रही है। राजस्थान मे बकरी की प्रमुख नस्ले इस प्रकार ह सिरोही लोबी जमना पारी अलवरी बरबारी तथा मकराना। सिरोही नस्ल दूध व मास दोनो के लिए उत्तम मानी गई है जबकि मारवाडी नस्ल मास के लिए विशेष रूप से राज्य के सूखे पश्चिमी भाग म पाली जाती है।

बकरी 'गरीब की गाय' (poor man's cow) मानी गई है। प्राय कम लागत के कारण निर्धन परिवार बकरी पालते है जिससे उनको पोषण प्राप्त होता है और वे इसे आसानी से बेच भी सकते है। अजमेर व सिरोही जिलो मे बकरी के आर्थिक अध्ययन[1] से पता चला है कि न केवल निर्धन लोग बल्कि अपेक्षाकत अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोग भी बकरी पालते है। निर्धन लोग इसे 'कम लागत कम प्रतिफल के रूप मे अपनाये रहते है। लेकिन खेतो पर चराई की थोडी सुविधा पाये जाने के कारण मध्यम श्रेणी के किसान भी इनको पालते

---

1 Kanta Ahuja and M S Rathore Goats and Goat Keepers Institute of D velopment Stud es 1987

है। बकरी पालन श्रम गहन होता है और इसमे प्राय स्त्रियो बच्चो कमजोर व वृद्ध व्यक्तियो के श्रम का उपयोग होता है।

बकरी पालन व पर्यावरण
(Goat keeping and environment)

प्राय यह शिकायत की जाती है कि बकरी पर्यावरण का ह्रास (degradation) करती है। ऐसा बहुधा वन विभाग के कर्मचारी कहा करते है। उनका विचार है कि बकरी पौधो की अन्तिम पत्तियाँ तक खा जाती है जिससे पयावरण मे गिरावट आती है। लेकिन उपर्युक्त विकास सस्थान के अध्ययन का निष्कर्ष है कि यह धारणा सही नहीं है। बकरी तो अन्य कारणो से गिरे हुए पर्यावरण मे अपने आप को जिदा रखती है क्योंकि यह उन पौधो को भी खा सकती है जिन्हे भेडे व अन्य पशु नहीं खाते। इस तरह यह चारे के लिए अन्य पशुओ से प्रतिस्पर्धा नहीं *करती। इससे प्रोटीन (दूध व मास) की मात्रा इसको दिये गये आहार की तुलना* मे भेड से थोडी अधिक प्राप्त होती है। लेकिन यह स्मरण रखना होगा कि बकरी पौधो के अपेक्षाकृत अधिक बेहतर अशो को खा जाती है जिससे भेड व अन्य *पशुओ की तुलना मे वे अधिक विनाशकारी सिद्ध होती है।*

बकरी पालन की समस्याएँ बकरी पालन के अध्ययन से एक निष्कर्ष यह भी सामने आया है कि एक साथ 10 20 बकरा पालने पर प्रति बकरी लाभ की मात्रा सर्वाधिक होती है हालांकि इस पर विभिन्न परिस्थितियो का भी प्रभाव *पडता है। प्राय यह देखा गया है कि बकरी पालन मे झुँड (herd) की सख्या* के बढ़ने का उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पडता है। इसलिए प्रति बकरी आर्थिक लाभ सर्वाधिक रखने के लिए इनकी सख्या प्रति पालक बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। बकरी की ठीक ठीक सख्या रखने पर ही एक बकरी पालक उन पर *अधिक ध्यान दे सकता है तथा उनके आहार की उचित व्यवस्था कर सकता है।*

बकरी के दूध मास व खाल से आमदनी बढाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए बकरी पालको को दूध की एक विशेष प्रकार की गध में सुधार करने का उपाय सुझाना चाहिए ताकि इसकी बिक्री बढ सके। उनको मास *व जीवित पशुओ को बिक्री से अधिक आय अर्जित करने का अवसर दिया जाना* चाहिए। राज्य मे बकरो की नस्ल उत्तम किस्म की है जिसे बनाये रखने व उसमे सुधार करने के लिए बकरी पालको को उत्तम किस्म के स्वदेशी नस्ल के बकरो (bucks) का वितरण करना चाहिए। इस व्यवस्था पर विदेशी नस्लो के द्वारा *क्रॉस प्रजनन से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। बकरी के लिए चारे का विकास* पर्याप्त मात्रा मे किया जाना चाहिए। सामाजिक वानिकी (social forestry) कार्यक्रम मे ऐसे पेड व झाडियो को लगाने पर जोर देना चाहिए जो बकरी के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डालते है। 'विलायती बबूल इस दृष्टि से हानिकारक *माना गया है। बकरी अरडू, खेजडी बोरडी आदि पौधो व पेडो को ज्यादा पसद* करती है।

अतः बकरी जैसे छोटे पशु पर अधिक ध्यान देकर निर्धन परिवारों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास में इनकी आर्थिक भूमिका सुदृढ़ की जा सकती है। स्मरण रहे कि बकरी पर्यावरण के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है। इसके लिए बकरी को दोषी ठहराना इस नन्हें से पशु के साथ घोर अन्याय करना होगा जो किसी न किसी तरह प्रतिकूल पर्यावरण में भी अपने आपको जीवित रखे हुए है।

वर्तमान में विदेशी नस्ल के माध्यम से बकरी पर क्रोस-प्रजनन विषय पर अध्ययन के लिए स्विट्जरलैण्ड की सरकार से एक समझौता हुआ है। इस परियोजना के चौथे चरण के मार्च 1993 के अंत तक समाप्त होने का लक्ष्य था। बकरी-विकास कार्यक्रम में स्विस-सहयोग व सहायता से काफी लाभ हुआ है। स्विट्जरलैण्ड से एल्पाइन एवं टोगनबर्ग नस्ल के बकरे मंगवाये गये है तथा विदेशी नस्ल से कृत्रिम गर्भाधान की विधि द्वारा भी सिरोही नस्ल की बकरियों में सुधार करने का प्रयास किया गया है।[1] राज्य के अन्य बकरी-पालकों मे भी इनका वितरण किया गया है। भूतकाल मे बकरी की सख्या अपने आप बढ़ती रही है, भविष्य मे इसे नियमित करने के लिए नियोजित प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि यह रोजगार, आय व पोषण बढ़ाने में अधिक योगदान दे सके। बकरी विकास कार्यक्रम के तहत 60 लाख रुपये की विदेशी सहायता के वर्ष 1992-93 की अवधि मे प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था। स्वदेशी नस्ल में स्वदेशी साधनो से सुधार का प्रयास भी जारी रहना चाहिए।

प्रश्न

1 राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम का विवेचन कीजिए और इसको अधिक गतिमान बनाने के लिए सुझाव दीजिए ।

2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(i) राजस्थान मे भेड-विकास कार्यक्रम व समस्याएँ

(ii) राज्य मे बकरी-विकास तथा समस्याएँ

(iii) राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे डेयरी उद्योग का स्थान

(iv) गहन पशु-प्रजनन के लिए 'गोपाल' कार्यक्रम

(Raj I yr 1992)

---

1 पशु पालन विभाग, राजस्थान, प्रगति-प्रतिवेदन 1991 92, पृ० 19

11

राजस्थान में अकाल व सूखा
(Famines and Droughts in Rajasthan)

राजस्थान के लिए अकाल व अभाव बहुत जाने पहचाने शब्द है। यहाँ के ग्रामीण जीवन से इनका चोली दामन का सम्बन्ध रहा है। राज्य के कई जिले प्राय अकाल मे प्रभावित होते रहते हैं। सरकार अकाल राहत कार्य खोलती है तथा लोगों को भूख प्यास मे मरने नहीं देती। पशुओ के लिए भी यथासम्भव पानी व चारे की व्यवस्था करने की कोशिश की जाती है। कभी-कभी अकाल भयकर रूप धारण कर लेता है और स्थिति का मुकाबला करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार दोनो को भारी प्रयास करना होता है। 1987 88 कृषि वर्ष (जुलाई-जून) का अकाल सबसे ज्यादा भीषण था। इसने सभी 27 जिलो को अपनी गिरफ्त मे ले लिया था। इससे राज्य के 36252 गाँवो मे लगभग 3 करोड 17 लाख जनसख्या व करोडो पशु प्रभावित हुए थे। वर्ष 1984 85 से लगातार अकाल पडते रहे हैं और 1989 90 का अकाल इस क्रम मे छठा अकाल था। 1986 87 व 1987 88 के अकालो मे राज्य के सभी 27 जिले प्रभावित हुए थे।[1] स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने विभिन्न जिलो मे अकाल राहत कार्य चालू किये और चारे पानी अनाज आदि की सप्लाई बढाने का भरसक प्रयास किया। इस प्रकार अकाल व सूखे की समस्या राजस्थान की अर्थव्यवस्था से गहरी जुडी हुई है जिससे इसके विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। 1990 91 मे राज्य मे अकाल व अभाव की स्थिति नहीं रही थी। 1991 92 मे राज्य पुन अकाल की चपेट मे आ गया और वर्षा की कमी के कारण 30041गाँवो मे लगभग 2 89 करोड व्यक्ति और इतनी ही सख्या मे पशु अकाल से प्रभावित हुए।[2] 1992 93 मे भी 30 मे से 27 जिलो मे सामान्य से कम वर्षा हुई और बाडमेर, बीकानेर, जैसलमेर, डूँगरपुर बासवाडा उदयपुर व राजसमन्द सूखे से प्रभावित हुए।[3] इस प्रकार राजस्थान मे अकाल व सूखा एक सामान्य बात हो गई है।

---

1 Budget Study 1992 93 page 64
2 राजस्थान पत्रिका 15 अगस्त 1992, पृ० 5 (1991 92 का अकाल)
3 राजस्थान पत्रिका 30 जुलाई 1992

अकाल के क्षेत्र/जिले

सर्वप्रथम हमे यह जानना चाहिए कि राजस्थान मे अकाल के कोन से क्षेत्र प्रमुख हैं। वैसे विभिन्न वर्षों मे अकाल से प्रभावित होने वाले जिलो की सख्या अलग-अलग होती है फिर भी राजस्थान का दक्षिण भाग तो प्राय अकाल की चपेट मे आता ही रहता है। अकाल के सम्बन्ध मे निम्न दोहा काफी मशहूर माना गया है। इसमे अकाल के प्रदेशो का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।[1]

'पग पूगल, धड़ कोटडे बाहु बाडमेर

जाये लादे जोधपुर, ठावो जैसलमेर ।।

इसका अर्थ यह है कि अकाल के पैर पूगल (बीकानेर) मे धड कोटडा (मारवाड) मे भुजाएँ बाडमेर (मालानी) मे स्थायी रूप से हे। लेकिन तलाश करने पर यह जोधपुर मे भी मिल जाता है एव जैसलमेर मे तो इसका खास ठिकाना (ठायो) है ही।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के निम्न 11 जिलो को मरुस्थलीय जिले माना है। इनमे राज्य के क्षेत्रफल का 60% तथा जनसख्या का 40% भाग शामिल है। राज्य मे कुल व्यर्थ भूमि (total wastelands) का लगभग 2/3 अश इन्हीं ग्यारह जिलों मे पाया जाता है। व्यर्थ भूमि मे (परती भूमि को छोडकर) बजर व अकर्षित भूमि (जिसे अकृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं) तथा कर्षियोग्य व्यर्थ भूमि (Culturable wastelands) दोनो शामिल माने जाते हैं। इन ग्यारह जिलो मे 1985 86 मे कुल व्यर्थ भूमि 58 6 लाख हैक्टेयर थी जो उनके कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र 208 लाख हैक्टेयर का 28% थी। इससे इन क्षेत्रो मे व्यर्थ पडी भूमि के आकार का पता चलता है। इन ग्यारह जिलो की लगभग दो लाख नो हजार वर्ग किलोमीटर भूमि मे प्राय अकाल एक अनचाहे मेहमान की तरह जमा बेठा रहता है। ये 11 जिले इस प्रकार हे जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर, जोधपुर, गगानगर, नागौर, चुरू, पाली जालौर, सीकर व झुन्झुनूँ । इन जिलो को मरुभूमि अकाल जेसे दानव के पजो मे जकडी हुई है। इन क्षेत्रों मे वर्षा कम व अनियमित होती है। बहते जल व भूमि के नीचे जल की कमी होती है। पानी के भाप बनकर उड जाने की रफ्तार तेज होती है। ग्रीष्म ऋतु मे प्राय धूलभरी आँधियाँ चलती हे एव बालू मिट्टी का हवा से कटाव होता रहता है। दुनिया के अन्य भागो के मरुस्थलो की तुलना मे राजस्थान के मरुस्थल में जनसख्या का घनत्व अधिक पाया जाता

1 सईद अहमद खा का लेख, मुकाबला कोई आसान नहीं राजस्थान पत्रिका अकाल ग्रहन परिशिष्ट, 24 अप्रैल 1986 पृष्ठ 4

है जिससे यहाँ पर अकाल की समस्या का अधिक जटिल होना स्वाभाविक है।

पिछले दो दशकों में अकाल/अभाव की स्थिति से हुई क्षति [1] -

यह कहना गलत न होगा कि राजस्थान मे प्रतिवर्ष किसी न किसी जगह अकाल व अभाव की स्थिति अवश्य पायी जाती है। यही नहीं बल्कि 1968 69 से 1989 90 तक के 22 वर्षों में से 7 वर्षों में 26 जिलों में एव 2 वर्षों मे 27 जिलो मे अकाल की दशाएँ पायी गई हैं। 26 जिलों के अकाल वाले वर्ष इस प्रकार थे 1968 69 1972 73 1979 80 1980-81 1981 82 1982 83 तथा 1985 86 । इसके अलावा 1986 87 व 1987 88 में समस्त 27 जिलो मे अकाल की स्थिति पायी गयी। अन्य वर्षों मे भी स्थिति काफी गम्भीर रही है। 1974 75 मे अकाल से 25 जिले 1978 79 मे 24 जिले तथा 1969 70 मे 23 जिले प्रभावित हुए थे। 1977 78 से 1989 90 तक के 13 वर्षों मे केवल 1983 84 को छोडकर शेष सभी 12 वर्षों में राज्य मे अकाल व सूखे की दशाएँ पायी गयी हैं। इस प्रकार राज्य के विभिन्न जिलो मे अकाल की काली छाया निरन्तर मडराती रहती है जिससे काफी जनसख्या व पशुधन पर दुष्प्रभाव पडता है और सरकार को राहत कार्यों पर काफी धन राशि व्यय करनी पडती है एव भू राजस्व की वसूली में भी ढील देनी पडती है। 1989 90 मे 2 56 करोड रुपयो के भू राजस्व (land revenue) की वसूली रोकनी पडी थी। 1985 86 मे इसकी राशि 5 60 करोड रुपये तथा 1987 88 में 7 54 करोड़ रुपये रही थी।

1956 57 से 1989 90 तक के 34 वर्षों में राज्य ने अकाल राहत कार्यों पर लगभग 1799 करोड रुपये व्यय किये, जिनमें अकेले सातवीं योजना की अवधि (1985 90) मे 1236 करोड रुपये व्यय किये गये। अकेले एक वर्ष 1987 88 मे 627 करोड रुपये व्यय किये गये जो वार्षिक योजना में सार्वजनिक परिव्यय की कुल राशि से भी अधिक थे। कहीं कहीं 1987 88 मे सूखा राहत पर व्यय की राशि 953 करोड रुपये आकी गयी है। इससे राज्य पर अकाल के कारण पडने वाले वित्तीय भार का अनुमान लगाया जा सकता है।

पिछले वर्षों मे पानी का अकाल विशेष रूप से सामने आया है। इससे जन जीवन व पशुधन दोनो पर कुप्रभाव पडा है। सरकार अनाज के अभाव को तो अपेक्षाकत आसानी से दूर कर सकती है लेकिन पानी का अभाव इतनी आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। राज्य में पिछले वर्षों से अकाल ने 'त्रिकाल का

---

1 आय व्ययक अध्ययन, 1992 93 प० 64 तथा राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र प० 31 परिशिष्ट I

रूप धारण कर लिया है जिसमे भोजन चारे व पानी तीनो का गम्भीर सकट एक साथ खड़ा हो जाता है।

अकाल, सूखे व अभाव की समस्या के कारण

निरन्तर पड़ने वाले अकाल प्रकृति व पुरुष के बीच कठिन सघर्ष की दशा को सूचित करते हैं। इसके लिए प्राकृतिक कारण प्रमुख होते है। लेकिन साथ में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियो को भी काफी सीमा तक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इन पर नीचे प्रकाश डाला जाता है।

(1) प्राकृतिक कारण -

(अ) धरातल की बनावट, जलवायु, वगैरह- दूर दूर तक फैला मरुस्थल या मरु प्रदेश जहाँ ग्रीष्म ऋतु मे तपती धरती तपता आसमान तपते इन्सान व तपते पशु सब नियति के जाल में फसे होते है जिससे छुटकारा पाना कठिन होता है, क्योंकि 11 मरुस्थलीय जिलों मे सर्वत्र बालू के टीले है तथा धरती के नीचे व इसकी सतह पर जल का नितान्त अभाव है। हम पहले बतला चुके है कि इन ग्यारह जिलो की दो लाख नौ हजार वर्ग किलोमीटर भूमि इस मरु दानव के पजों मे बुरी तरह जकडी हुई है।

इन क्षेत्रो मे हवा से मिट्टी का कटाव निरन्तर होता रहता है जिससे रेगिस्तान सुनिश्चित गति से आगे बढता जा रहा है। आगे चलकर अन्य राज्यो को उपजाऊ धरती को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।

(आ) वर्षा की कमी, अनियमितता व अनिश्चितता अकाल व सूखे की स्थिति का प्रधान कारण मानसून का विफल होना माना गया है। राजस्थान के उपर्युक्त 11 मरुस्थलीय जिलो मे साल भर मे सामान्यतया वर्षा पचास सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती। जैसलमेर मे औसतन 16 से मी वर्षा ही हो पाती है। पिछले 100 वर्षों मे वहाँ केवल 25 वर्ष ही बारिश हुई जिससे इस इलाके मे वर्षा के अभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। अत आवश्यकता के अनुसार वर्षा का न होना कभी-कभी वर्षा का बिल्कुल न होना तथा कभी देर से होना ये सब अकाल व सूखे की स्थितियो को जन्म देते है। अभाव की ये स्थितियाँ कभी-कभी नियत्रण से बाहर होने लगती है। तब लोग-बाग अपने मवेशियो को लेकर निकटवर्ती राज्यो मे चारे व पानी की तलाश मे पलायन या निष्क्रमण करने लगते है। इससे पशु-धन की हानि भी होती है। कभी-कभी निकटवर्ती राज्यो मे भी अभाव व सूखे के कारण उनमे पशुओ के प्रवेश से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि पडौसी राज्य इसका विरोध भी करते है। उनको स्वय को कठिनाइयाँ भी दिनो-दिन बढती जा रही है।

(2) आर्थिक कारण आर्थिक विकास के अभाव से भी अकाल व सूखे की समस्या अधिक जटिल होती गयी है। मरुप्रदेश या मरु जैसे प्रदेश मे इन्फ्रास्ट्रक्चर का पर्याप्त विकास नही हो पाया है। जनसख्या के बढने से आर्थिक साधनो पर

दबाव बढा है। लोगों के लिए रोटी रोजी की समस्या काफी गम्भीर हो गयी हैं। परम्परागत कुटीर व ग्रामीण उद्योगो का ह्रास हुआ है तथा सिचाई के साधनो के अभाव में कृषि को उन्नत करने मे बाधा पहुँचती है। बालू मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। जोधपुर को सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट (काजरी) की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार चारे की कमी का कारण बढती हुई पशु सख्या है। 1972 77 की अवधि मे पशुओ की सख्या 44 5 लाख बढी थी जिससे प्रति पशु चराई की भूमि घट गई थी। जनसख्या का दबाव बढने के कारण अधिक भूमि पर खेती की जाने लगी है जिससे सन्तुलित चारे के अभाव मे इसके दाम बढ जाते है। फलस्वरूप दुग्ध व दुग्ध पदार्थों के दाम बढाने पडते है। मरुस्थलीय प्रदेशो मे कृषिगत उत्पादकता भी नीची पायी जाती है जिससे कपको की आमदनी कम होती है। सहायक धन्धो के अभाव मे आमदनी बढा सकना भी सुगम नहीं होता। अत बेरोजगारी व अल्प रोजगार की समस्या भी काफी तीव्र हो गई है। लघु कपको भूमिहीन किसानो व ग्रामीण काश्तकारो के श्रम का पूरा उपयोग नही हो पाता जिससे अकाल के समय इनकी आर्थिक हालत बडी दयनीय हो जाती है। सरकार राहत कार्य चलाकर इन लोगो को लाभ पहुचाने का प्रयास करती है।

(3) सामाजिक कारण जलाने की लकडी के अभाव की समस्या काफी जटिल रूप धारण कर चुकी है। लोगो ने अधाधुध पेड काट डाले है व अनियंत्रित चराई ने मिट्टी के कटाव की समस्या को तीव्र कर दिया है। कृषिगत भूमि वन जल आदि का परस्पर सन्तुलन बिगड जाने से परिवेश-असन्तुलन (ecological imbalance) की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके लिए उचित जल व भूमि प्रबन्ध की आवश्यकता है।

(4) राजनीतिक कारण अकाल व सूखे की समस्या का सम्बन्ध राजनीतिक कारणो से भी माना गया है। विभिन्न योजनाओ की अवधि मे सरकार ने स्थायी व उत्पादक राहत कार्यों की बजाय अस्थायी राहत कार्यों पर ध्यान दिया जिससे उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियो का निर्माण तेजी से नहीं हो पाया है। फलस्वरूप राहत कार्यों पर किया गया व्यय दीर्घकालीन दृष्टि से पर्याप्त प्रतिफल नही दे पाया है ओर अकाल को रोकने की दृष्टि से उनकी उपयोगिता सीमित रही ह। यदि प्रारम्भ से ही सुनियोजित तरीके से अकालो मे लडने का प्रयास किया जाता तो इस अनचाहे मेहमान को अपने घर वापस भेजना सम्भव हो सकता था। लेकिन प्रशासनिक कमियो के कारण यह जमकर बैठा हुआ है और जाने का नाम तक नहीं लेता।

इस प्रकार अकाल व सूखे की समस्या प्राकतिक आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक कारणो की देन हे। राज्य सरकार के पास वित्तीय साधनो की कमी रही ह जिससे वह राज्य को अकाल के दानव से मुक्त नही करा सकी है। फिर भी कई प्रकार के गहत कार्यक्रम चलाकर सरकार लोगो को भूख प्यास से मरने

नहीं देती और अकाल से जूझने के लिए सदैव कृत-संकल्प रहती है, जैसा कि निम्न विवरण मे स्पष्ट हो जायेगा।

राजस्थान मे अकाल व सूखे की समस्या के हल के लिए सरकारी नीति

राजस्थान मे अकाल की समस्या एक अल्पकालीन समस्या नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालीन समस्या है। अत इस समस्या का स्थायी हल तो दीर्घकाल में ही सम्भव हो सकता है। फिर भी राज्य सरकार ने इसके हल के लिए भूतकाल में कई प्रयास किये है और वतमान मे भी ये प्रयास जारी है। आगामी वर्षों मे भी इस समस्या के लिए निरन्तर प्रयास जारी रखने होंगे।

(i) अल्पकालीन नीति

अकाल राहत-कार्य- अकाल की समस्या को हल करने के सम्बन्ध मे सरकार की मुख्य नीति राहत कार्य चालू करने की रही है। इसके लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता देने की माग की जाती है। वित्तीय साधनो के आधार पर भू-सरक्षण, सडक-निर्माण पाठशाला व औषधालय-निर्माण सिचाई के लिए कुओ के निर्माण, तालाबों व अन्य सिचाइ के साधनो के निमाण व उनकी मरम्मत तथा रख-रखाव एव जल की सप्लाई बढाने के प्रयास किये जाते है ताकि लोगो को पेयजल उपलब्ध किया जा सके तथा पशुओ को भी पीने का पानी मिल सके। इसके अलावा चारे की उपलब्धि बढाने जैसे अनेक प्रकार के कायक्रम चलाये जाते है ताकि लोगो को रोजगार व आमदनी मिल सके एव उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियो का निर्माण किया जा सके।

अकाल राहत कार्य (1985-86 के अकाल के सन्दर्भ में)[1] - जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है 1985-86 का अकाल काफी भीषण किस्म का रहा था और इसने 27 मे से 26 जिलो को प्रभावित किया था। इससे राज्य के 26859 गाँवो को 2 करोड 20 लाख जनसख्या व 3 करोड से अधिक पशु प्रभावित हुए थे। अकाल के समय पीने के पानी, पशुओ के लिए चारे व मनुष्यो के लिए अन्न का अभाव उत्पन्न हो गया था।

राज्य सरकार ने अक्टूबर 1985 से 15 जुलाई 1986 तक विभिन्न प्रकार के अकाल राहत कार्य सचालित किये थे जिसमे लोगो के लिए रोजगार व आमदनी की व्यवस्था की जा सकी थी तथा कइ स्थानो मे टेकरो, बैलगाडियो, ऊँटगाडियो, आदि की सहायता से पीने का पानी पहुँचाया गया था, एव पशुओ के लिए चारे व पानी की सुविधा बढायी गइ थी। जैसलमेर जिले मे दिसम्बर, 1985 से मार्च,

---

1 मुख्यमत्री का बजट भाषण 1986 87 मार्च 1986 पृ 6 9

1986 तक के चार महीनों मे 1 2 लाख क्विटल घास कटवा कर सूखाग्रस्त जिलो को भेजी गयी थी और उससे राज्य सरकार को करीब 2 करोड रुपये की नकद आय हुई थी। जैसलमेर के उत्तरी-पश्चिमी भाग में भारत-पाकिस्तान सीमा पर 125 किलोमीटर लम्बी व 25-30 किलोमीटर चौडी भूमि की पट्टी पर 'सेवण' घास ईश्वर का वरदान मानी जाती है। यह 45^0 सेल्सियस तक के तापमान में उग व पनप सकती है। इस पट्टी पर 50 से 80 लाख क्विटल घास रहती है। यह पशुओं के लिए पौष्टिक आहार का काम देती है। सरकार को जैसलमेर के इस घास के खजाने का विस्तार करना चाहिए।[1] लाखो श्रमिको को अकाल-राहत कार्यों मे रोजगार दिया गया था।

1985-86 मे अकाल-राहत कार्यों की दो विशेषताएँ रहीं

(1) मजदूरी का भुगतान अनाज के रूप मे किया गया था। भारत सरकार से जो सहायता मिली उसे सामग्री के अश के रूप मे व्यय किया गया।

1985 86 मे अकाल राहत पर कुल व्यय लगभग 88 9 करोड रुपये हुआ था तथा भू-राजस्व की वसूली 5 6 करोड रुपये तक की रोक दी गयी थी।

(2) दूसरी विशेषता यह थी कि स्थायी महत्व एव उत्पादक किस्म के कार्यों को प्राथमिकता दी गई ताकि सिचाई भू सरक्षण वन एव सडक निर्माण के कार्यों का भली-भाँति विस्तार किया जा सके।

निर्माण-कार्यों में सर्वाधिक राशि का सिचाई कार्यों पर व्यय करने का प्रावधान था। दूसरा स्थान सडक निर्माण कार्यों को दिया गया था। उसके बाद भू-सरक्षण, वनो के विस्तार व विकास आदि का स्थान आया था।

स्मरण रहे कि अधिकाश राहत कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) के अन्तर्गत किये गये थे। रोजगार देने मे भूमिहीन श्रमिको लघु एव सीमात कृषकों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगो को प्राथमिकता दी गई थी।

पचायती राज सस्थाओ के माध्यम से भी व्यापक निर्माण कार्य हाथ मे लिये गये थे। इसके लिए उनको विभिन्न विभागो जैसे शिक्षा व जन जाति विकास आदि से एव भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारटी योजना के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध कराई गई ताकि पाठशाला-भवनो आदि का निर्माण कराया जा सके। अन्य कार्य पटवार घर, पचायत घर, औषधालय भवन पचायत की दुकाने पेयजल कुओ का निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण तथा तालाब की मरम्मत व गहरा कराने

---

1 थार के रेगिस्तान में घास की खेती डॉ यश गोयल, राज० पत्रिका 26 जून 1986

आदि के कार्य सम्मिलित है।

ये कार्य सामान्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व अकाल राहत कार्यों के अतिरिक्त थे।

1986-87 के भीषण अकाल से सम्बन्धित राहत-कार्य-[1]

1986 87 के भीषण-अकाल का दुष्प्रभाव 31936 गाँवो, 2 53 करोड लोगो व 3 27 करोड पशुओ पर पडा था।

अकाल राहत कार्य निम्न विभागो द्वारा चलाये गये थे

(i) राहत विभाग (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत (iii) सार्वजनिक निर्माण विभाग (iv) सिचाई विभाग (v) वन विभाग, (vi) पचायत समितियो के माध्यम से।

राहत कार्यो मे कुओ के निर्माण भवन-निर्माण सिचाई के कार्य सडक-निर्माण, भू सरक्षण आदि शामिल थे। जून 1987 मे 14 73 लाख लोगों को राहत कार्यों पर रोजगार उपलब्ध कराया गया था। भारत सरकार ने राजस्थान को राहत सहायता के बतौर 2 लाख टन गेहूँ आवंटित किया था।

अगस्त 1987 मे राज्य सरकार ने अकाल से निपटने के लिए निम्न उपाय घोषित किये थे [2]

(1) राहत कार्यों पर तत्काल मजदूरो की सख्या 7 लाख बढाने की घोषणा की गई थी।

(2) असिंचित क्षेत्रो मे लगान व सहकारी कर्जों की वसूलियाँ तुरन्त स्थगित करने का फैसला किया गया था।

जिन गाँवो मे लगातार चार साल से अकाल पड रहा था वहाँ एक साल का लगान माफ करने की कार्यवाही का निर्णय किया गया था। अल्पावधि के सहकारी कर्जों को मध्यावधि कर्जों मे परिवर्तित किया गया था।

(3) राठी थारपारकर, काकरेज आदि उन्नत नस्ल की गायो को बचाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम लागू किया गया था। इसके अनुसार ऐसी गायो को विशेष रूप से गगानगर के केम्पों मे रखा गया जहाँ उन्हे चारा, पानी, दवाइयाँ आदि उपलब्ध हो सके और साथ मे उनका दूध बिक सके। स्वयसेवी सस्थाओ का भी व्यापक रूप से सहयोग लिया गया था। इन्होने चारे का वितरण करने मे मदद की थी। चारे के परिवहन के लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी प्रदान की थी।

---

1 राजस्थान पत्रिका 10 जून 1987 पृ० 1

2 राजस्थान पत्रिका, 20 अगस्त 1987

(4) एक सौ ट्यूब वैल जो उस समय उपयोग मे नहीं आ रहे थे उनका विद्युतीकरण करके घास उगाने का काम करने का निर्णय किया गया था।

(5) सूरतगढ व जैतसर कृषि फार्मों मे चारा उगाने की व्यवस्था की गयी थी।

(6) पीने के पानी के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर आबू, पाली राजसमन्द, भरतपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ आदि शहरो मे हैण्ड-पम्प व ट्यूब वैल खुदवाने का कार्य प्रारम्भ किया गया था।

(7) सार्वजनिक वितरण की दुकानो की सख्या बढायी गयी थी। आदिवासी क्षेत्रो मे भ्रमणशील दुकाने खोली गई थीं।

(8) पजाब व हरियाणा से चारा खरीदने की व्यवस्था की गई थी।

(9) अभावग्रस्त क्षेत्रो मे चारा पहुँचाने के लिए केन्द्र जो अनुदान देता है उसे 30 रुपये प्रति क्विटल से बढ़ाकर भाडे का वास्तविक खर्च वहन करने की सिफारिश की गई थी। सरकार ने एक वृहद् आपात् योजना को लागू करने का निश्चय किया था।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अकाल की समस्या राज्य सरकार के समक्ष एक महान चुनौती बनकर आती है। सरकार ने राहत कार्यों को कुशलतापूर्वक चलाने का प्रयास किया लेकिन प्रमुख कठिनाई वित्त के अभाव की रही है। सरकार केन्द्र से अधिक मे अधिक सहायता लेने का प्रयास करती है ताकि सूखे पर काबू पाया जा सके। 1985 86 मे गुजरात व मध्य प्रदेश मे भी सूखा पडने के कारण राजस्थान से पशुओ का निष्क्रमण वहाँ नही हो पाया था और दो लाख से अधिक पशुओं को जैसलमेर के चरागाहो मे भेजा गया था और उनके लिए वहाँ पीने के पानी की विशेष व्यवस्था की गयी थी। दुधारू पशुओ को पशु-आहार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने विशेष रूप से व्यवस्था की थी तथा गाँवो मे पेयजल की व्यवस्था बढायी गयी थी। 1986 87 के अकाल का मुकाबला करने के लिए सरकार को पुन सक्रिय होना पडा था और विभिन्न राहत कार्यों पर निर्माण कार्य चलाये गये थे। ये राहत कार्य जून 1987 के बाद भी कुछ अवधि तक जारी रखने पडे थे। राज्य सरकार ने केन्द्र से राहत कार्यों के लिए सहायता मागी थी।

1987-88 के अकाल मे राहत कार्य [1]

जैसा कि पहले कहा जा चुका है 1987 88 मे 27 जिलो को अकालग्रस्त घोषित किया गया। इससे 36252 गाँव प्रभावित हुए जिनमे 3 17 करोड जनसख्या

1 बजट भाषण 1989 90 प 4

अकाल की चपेट मे आ गई थी। इतनी विशाल जनसख्या को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराना एक चुनौती भरा कार्य था। इस अकाल मे 3 लाख राहत कार्य प्रारम्भ कर कुल 42 4 करोड रुपये मानव दिवस का कार्य सृजित किया गया। अकाल राहत कार्यों पर **1987-88 मे 627 करोड़ रुपये व्यय हुए जो वार्षिक योजना के सार्वजनिक परिव्यय से अधिक थे।[1] इसमे गेहूँ का मूल्य भी शामिल है।** राज्य ने केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त स्वय के साधनो मे करोडो रुपये व्यय किये। सूखा-प्रबन्ध पर इन 16 महीनो मे (1987-88 व बाद मे) जो धनराशि व्यय की गई वह गत चार दशको मे अकाल राहत सहायता पर व्यय की गई कुल राशि से भी काफी अधिक रही।

1988 89 व 1989 90 मे राहत कार्य

1988 89 मे अकाल व अभाव की स्थिति 17 जिलो म पायी गयी जिससे 4497[2] गाँवो मे 43 5 लाख जनसख्या प्रभावित हुई। 1989 90 मे 25 जिले अकाल/अभावग्रस्त घोषित किये गये। इनमे 14024 गाँवो मे 1 2 करोड लोग प्रभावित हुए। सरकार को भू राजस्व का स्थगन 2 56 करोड रुपयो तक का करना पडा। इन वर्षों मे भी सरकार ने अकाल राहत कार्य चलाकर अकाल की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। 1988 89 मे राहत कार्यों पर व्यय की राशि 326 करोड रुपये व 1989 90 मे लगभग 30 6 करोड रुपये रही।[3]

राजस्थान पर प्राय अकाल के काले बादल छाये रहते है। विद्वानो का मत है कि राज्य को अकाल से पूर्णतया छुटकारा मिलना तो कठिन जान पडता है लेकिन सतत प्रयास करने पर अकालो की भीषणता व इनसे होने वाली क्षति मे कमी अवश्य की जा सकती है और की भी जानी चाहिए।

जैसाकि पहले कहा जा चुका है 1990 91 का वर्ष अकाल व सूखे के प्रभाव से मुक्त रहा था लेकिन 1991 92 का वर्ष पुन अकाल की चपेट मे आ गया। राज्य मे वर्षा की कमी के कारण 30041 गाँवो के लगभग 2 89 करोड व्यक्ति और इतनी ही सख्या मे पशु अकाल मे प्रभावित हुए। प्रतिदिन 8 लाख से अधिक श्रमिको को रोजगार उपलब्ध कराया गया। राहत कार्यों पर 200 करोड रुपये से अधिक राशि व्यय करनी पडी।[4] 1992 93 मे भी 30 मे से 27 जिलो मे सामान्य से कम वर्षा हुई। बाडमेर, बीकानेर, जैसलमेर डूँगरपुर, बासवाडा

---

1 श्री एम० एल० मेहता के अनुसार यह राशि 953 करोड रुपए रही थी। देखिए उनका राजस्थान आर्थिक सम्मेलन मे अध्यक्षीय भाषण, 12 मार्च 1993 पृ 7
2 आय व्ययक अध्ययन 1992 93 पृ 64
3 राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्च 1991 पृ 31
4 राजस्थान पत्रिका, 15 अगस्त 1992.

उदयपुर तथा राजसमन्द सूखे से प्रभावित हुए। एक अनुमान के अनुसार राज्य के 30 हजार गाँव अकाल की गिरफ्त मे आ गये और 3 करोड जनता इससे प्रभावित हुई। इस अकाल की सबसे अधिक मार पेयजल के सकट के रूप में सामने आई। राज्य सरकार का यह मानना रहा कि अकाल राहत पर 380 करोड रुपये व्यय करने होंगे। प्रत्येक मत्री को एक जिले के अकाल राहत का प्रभारी बनाया गया तथा सरकार 7 से 10 लाख लोगों को रोजगार देने का प्रयास करने लगी। राज्य सरकार के पास पिछले दो वर्षों का 206 करोड रुपये प्राकृतिक आपदा सहायता कोष मे पडा था। अत केन्द्र से 174 करोड रुपये की विशेष सहायता मागी गयी जिसके लिए उसने इन्कार कर दिया था।[1]

अकाल की समस्या को हल करने के लिए प्रमुख सरकारी कार्यक्रम

राज्य सरकार ने अकाल की समस्या के हल के लिए निम्न दो दिशाओं मे प्रयास किये हैं। राज्य मे विशिष्ट योजना सगठन की स्थापना 1971 मे की गई थी। इसकी तरफ से विभिन्न योजनाएँ चलायी गयी है जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सूखा सभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम बायो गैस कार्यक्रम राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम लघु व सीमान्त कृषक वृहत् कायक्रम तथा ऊर्जा व जल बचत सिचाई योजना, आदि। इन सभी कार्यक्रमो से ग्रामीण क्षेत्रा मे लाखो लोगो को लाभ पहुँचता है। लेकिन इनमे से सूखा सम्भावित कार्यक्रम व मरु विकास कार्यक्रम का अकाल की समस्या से सीधा सम्बन्ध होता है। इसलिए इन पर नीचे प्रकाश डाला गया है।

(1) सूखा सभाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (DPAP) कार्यक्रम वर्ष 1974 75 से प्रारम्भ किया गया था। इससे रोजगार व आय मे वृद्धि होती है एव सूखे के प्रभाव को कम करना सम्भव होता है। प्रारम्भ में यह कार्यक्रम पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलो तथा बासवाडा व डूँगरपुर क्षेत्र में लागू किया गया था। लेकिन धीरे धीरे यह 13 जिलो के 79 खण्डो मे फैला दिया गया। 1982 83 मे केन्द्रीय सरकार ने एक दल की सिफारिश के आधार पर इसे 61 खण्डो में समाप्त कर दिया तथा बाद मे यह 18 विकास खण्डो में ही जारी रखा गया।

1974 75 से 1978 79 तक इसके व्यय का 2/3 अश केन्द्रीय सरकार तथा 1/3 अश राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया था। 1979 80 मे 50-50 प्रतिशत भार दोनो सरकारो के द्वारा वहन किया जा रहा है। मार्च 1985 तक लगभग 77 करोड रुपये विभिन्न योजनाओ पर व्यय किये गये थे। 1985 86 मे केन्द्र सरकार मे प्राप्त स्वीकृति के आधार पर सवाई माधोपुर, टोक झालावाड व कोटा जिलो के 12 विकास खण्डो म यह कार्यक्रम लागू किया गया था। इस प्रकार सातवी योजना मे 8 जिला क कुल 30 विकास खण्डो मे (DPAP)

---

1 राजस्थान पत्रिका, 30 जुलाई 1992

कार्यक्रम सचालित किया गया और इस पर 23 78 करोड रुपये व्यय किये गये। 1990-91 मे इस पर 6 47 करोड रुपये व्यय किये गये तथा 1991-92 के लिए 5 14 करोड रुपये व 1992-93 के लिए लगभग 6 करोड रुपये आवंटित किये गये। इस कार्यक्रम के माध्यम से भू-सरक्षण, सिचाई, वृक्षारोपण व चरागाह विकास के कार्य सचालित किये जाते है।

(2) मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम (DDP) 1977-78 से केन्द्र सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से यह कायकम प्रारम्भ किया गया था। 1979 80 से केन्द्र व राज्य इसमे 50 50 प्रतिशत व्यय करने लगे थे। 1985-86 से पुन इसका सम्पूर्ण व्यय भार केन्द्र द्वारा वहन किया जाने लगा है। यह कार्यक्रम 11 मरुस्थलीय जिलो के विकास खण्डो मे क्रियान्वित किया जा रहा है।

इस कायकम के अन्तगत कृषि, मरुस्थलीय वन, भू-जल, चारा विकास पशु, जल सप्लाई व ग्रामीण विद्युतीकरण आदि कायकम आते है। आरम्भ मे मार्च 1985 तक लगभग 73 करोड रुपये व्यय किये गये। सातवीं योजना मे (1985 90) इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र ने 147 करोड की धन-राशि आवंटित की। इस क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति विनियोग की राशि 109 रुपये रही। 1990 91 मे इस कायक्रम पर 38 करोड रुपये व्यय किये गये तथा 1991 92 के लिए भी इतनी ही राशि आवंटित की गयी। 1992 93 के लिए अधिक धनराशि का आवश्यकता महसूस की गयी है।

सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए दीर्घकालीन नीति (long term policy)

सरकार ने सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए अकाल राहत काय चालू करने की नीति अपनायी है तथा सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरु विकास कार्यक्रम आदि अपनाये है। लेकिन इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए दीघकालीन उपायों की आवश्यकता है। इनका विवेचन नाचे किया जाता है।

(1) विस्तृत क्षेत्र मे सिचाई की व्यवस्था- सिचाई के विस्तार से ही अकालो पर विजय प्राप्त की जा सकती है तथा कृषिगत उत्पादन का अस्थिरता कम की जा सकती है। राज्य मे भूजल विकास की सम्भावनाओ का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना को प्रत्येक दृष्टि से शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए, जैसे नहर के दूसरे चरण के सशोधित रूप को पूरा करना, कमाड क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू करना तथा अन्य कार्य पूरे करना, ताकि उनके लाभ आम आदमी तक शीघ्र पहुँच सके। इसके लिए प्रशासन को सुदृढ करना होगा।

(2) सिचित क्षेत्र मे उत्तम जल-व्यवस्था- सिचित क्षेत्रे मे उत्तम जल की व्यवस्था की जाना चाहिए ताकि सर्वोत्तम लाभ प्राप्त किये जा सके। पानी के निकास की व्यवस्था ठीक प्रकार से होना चाहिए ताकि पानी के अभाव मे क्षारयुक्त भूमि की समस्या उत्पन्न न हो। जल का वितरण सही ढग से होना चाहिए ताकि उस क्षेत्र के सभी कृषक ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके।

(3) अकाल राहत कार्यों का अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के साथ प्रभावी समन्वय योजना मे शामिल विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमो सामान्य राष्टीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमो अकाल राहत कार्यक्रमो पचायतो के विभिन्न विकास कार्यक्रमो तथा अन्य विकास कार्यक्रमो मे परस्पर प्रभावपूर्ण ताल मेल स्थापित किया जाना चाहिए ताकि उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियो के निर्माण में तेजी लायी जा सके। भविष्य में विकेन्द्रित नियोजन को अपनाकर रोजगार बढाने के कार्यक्रम लागू किये जाने चाहिएँ। इससे प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र का विकास होगा।

(4) लूनी नदी के क्षेत्र (बेसिन) का भी विकास किया जाना चाहिए। यह मरु प्रदेश की मुख्य नदी है तथा कच्छ की खाडी मे गिरती है। यदि सिचाई वक्षारोपण भू सरक्षण व गाँवो मे सडक व भवन निर्माण के कार्यों को सफल बनाया जा सका तो राजस्थान मे ग्रामीण जनता की खुशहाली बढ सकती है। अब समय आ गया है जब जिला व खण्ड स्तर विकास के विभिन्न स्पष्ट, व्यावहारिक व लाभकारी कार्यक्रम सचालित करके हम विभिन्न प्रदेशो की अर्थव्यवस्था को अकाल से मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए व्यापक ग्रामीण जन सहयोग की शर्त भी स्वीकार करनी होगी।

(5) अकाल राहत केन्द्रो पे मजदूरो की उपस्थिति के 'मस्टर रोल' ठीक से बनाये जाने चाहिए। उनमे मनमाने नाम भर कर रकम हडपने से समाज को लाभ नहीं हो सकता। अकाल राहत कार्यों मे स्कूल डिस्पेन्सरी सडक आदि का निर्माण किया जाना चाहिए। राहत केन्द्रो की व्यवस्था मे सुधार करने से लोगो की रोटी रोजी की समस्या एक साथ हल हो सकती है। **इसलिए अकाल राहत कार्यों मे प्रशासनिक कार्य कुशलता बढायी जानी चाहिए। इनके सम्बन्ध मे आये दिन विभिन्न प्रकार अनियमितताओ व कमियो के समाचार मिलते रहते हैं जिससे अकाल व अभाव से प्रभावित लोगो को पूरी राहत नहीं मिल पाती। अकाल राहत कार्यों पर व्यय करने से लोगो को रोजगार देने पशुधन को बचाने चारा उपलब्ध कराने पेय जल पहुँचाने कुपोषण व बीमारियो से बचाने तथा कृषि क्षेत्र के विकास मे योगदान दिया जाता है।** अत इस धनराशि का सर्वोत्तम उपयोग करके अकालग्रस्त लोगो को सर्वाधिक लाभ पहुँचाया जाना चाहिए।

(6) मरुक्षेत्र मे बालू के टीलो का स्थिरीकरण (stabilisation of sand dunes) करने के लिए कूचा लगाना चाहिए जो मिट्टी को उडने से रोकता है। चारे के वृक्षो (fodder trees) जैसे खेजडे का वृक्षारोपण बढाया जाना चाहिए। इसे कल्पतरू कहा गया है। इसकी लोग, सागरी व लकडी बहुत काम की होती है। बेर की झाडी बेर का फल पशुओ के लिए पाला व बाड के काटे देती है। रोहिडा वक्ष भी टिम्बर की दष्टि मे विशेष महत्व रखता है। मोठ व ग्वार के पत्तो का चारा बनता है।

अत अब ऐसी विधियाँ निकाली गई हैं जिनसे हम मरुस्थल मे शीघ्र व कम व्यय से पेडो व चारागाहो का विकास करके अकाल व सूखे की

दीर्घकालीन समस्या का हल निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए राजनीतिक व सामाजिक इच्छा शक्ति की विशेष आवश्यकता है जिसके बिना ठोस प्रगति का वातावरण नहीं बन सकता। हमे व्यर्थ पडी भूमि का सदुपयोग करने मे विलम्ब नही करना चाहिए। इसके लिए आवश्यकतानुसार विदेशो से तकनीकी व वित्तीय सहयोग भी लिया जाना चाहिए।

(7) ग्रामीण क्षेत्रो मे गैर कृषि कार्यकलापो के विस्तार की आवश्यकता- गाँवो मे कुटीर व लघु उद्योगो का विकास करना भी अकालो का सामना करने की दीर्घकालीन नीति के अन्तर्गत लिया जा सकता है। **इससे ग्रामीण जनता की आमदनी मे अधिक स्थिरता व सुनिश्चितता आती है जिससे वे अकाल की भीषण स्थिति मे भी अपने कार्यों को जारी रख सकते हैं।** यदि लोग बाग सदैव कृषि पर ही निर्भर करते हैं अथवा बेरोजगार रहते है तो उनकी अकालो का सामना करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे गैर कृषिगत कार्यों मे रोजगार बढाया जाना चाहिए।

राजस्थान मे लघु पैमाने पर खनन उद्योग खनिज पदार्थ आधारित उद्योग हथकरघा विविध ग्रामीण उद्योगो तथा दस्तकारियो आदि का विकास करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जाना चाहिए। **जिस सीमा तक गैर कृषि कार्य कलापो का विस्तार होगा उस सीमा तक लोगो की अकाल व सूखे की दशाओ का सामना करने की क्षमता भी बढेगी।**

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है अकाल के समय सबमे बडा सकट पेयजल का होता है। राजस्थान मे जल का नितान्त अभाव है और वर्षा न होने पर या कम होने पर यह सकट गहरा हो जाता है। आज भी राजस्थान का ग्रामवासी यह मानता है कि वर्षा न होने पर सरकार भी क्या कर सकती है (देहाती भाषा मे 'राम रूठग्यो तो राज काई कर लेसी')। अत मुख्य समस्या पानी के अभाव को दूर करने की है। भूमि के नीचे जल स्तर निरन्तर और नीचे जाता जा रहा है। निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर नदी नालो पर व्यक्तिगत तौर पर छोटे बाध व एनीकट बनाये जा रहे है नदियो के पास के क्षेत्रो से अवैध रूप से पानी निकाला जा रहा है कहीं कही पाइपे काट कर पानी निकाल लिया जाता है बूस्टरो का प्रयोग करने से जल सकट गहरा हो जाता है खराब पडे हैण्ड पम्पो की जल्दी से मरम्मत नहीं हो पाती, विद्युत की आपूर्ति मे बाधा पडने से पानी की सप्लाइ नियमित नही हो पाती नहरो का पानी अन्तिम छोर (टेल) के किसानो को नही मिल पाता और ऊपरी छोर (हैड) के किसान जरूरत से ज्यादा पानी खींच लेते हैं- इस प्रकार कई किस्म की अनियमितताओ व गडबडियो ने अकाल की समस्या को और उलझा दिया है। अत इन सबको हल करना नितान्त आवश्यक है जिससे उचित राहत मिल सकती है।

इस प्रकार अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपायो मे उचित ताल मेल स्थापित करके सूखे की दशाओ का सामना किया जा सकता है। इस दिशा मे अधिक सचेष्ट व सजग रहने की आवश्यकता है।

नवें वित्त आयोग की सिफारिशो के आधार पर 1990-95 के पाँच वर्षों मे अकाल राहत कार्यों के लिए राज्य को भारत सरकार से कुल 465 करोड रुपया ही मिल पायेगा (620 करोड रुपये का 75 प्रतिशत अश) (शेष 25% राज्य को देना होगा) जबकि 1987 88 के अकाल में इससे ज्यादा राशि (627 करोड रुपये) अकाल-राहत पर खर्च की गयी थी। अत सरकार के समक्ष अकाल-राहत कार्यों के लिये धनराशि का अभाव पाया जाता है। योजना के विकास-कार्यों व अकाल-राहत कार्यो मे परस्पर ताल मेल बैठाकर अभावग्रस्त क्षेत्रो मे रोजगार उपलब्ध कराना होगा।

प्रश्न

1 राजस्थान मे अकाल "कारण व समाधान" पर एक संक्षिप्त व आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए। (Raj I yr 1992)

2 'राजस्थान मे अकाल समस्या एव समाधान' पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। (Ajmer II yr 1992)

3 क्या राजस्थान को अकालो की काली छाया से कभी मुक्ति मिल पायेगी? इसके लिए व्यावहारिक सुझाव दीजिए।

4 राजस्थान मे अकाल समस्या के निवारण हेतु कोई दीर्घकालीन नीति व कार्यक्रम सुझाइए।

5 अकाल व सूखे के समय सरकार जो उपाय करती है उनका स्पष्ट विवेचन कीजिए। क्या वे उपाय पर्याप्त माने जा सकते है ?

6 सूखे की दशाओ का सामना करने के लिए सरकार की अल्पकालीन नीति का विवेचन कीजिए। अकाल राहत कार्यों का मूल्याकन कीजिए तथा इनको अधिक कारगर बनाने के उपाय सुझाइए।

7 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

i) राजस्थान मे अकाल की समस्या।

12

औद्योगिक नीति
(Industrial Policy)

भारत मे केन्द्रीय सरकार ने तथा विभिन्न राज्य सरकारो ने समय समय पर औद्योगिक नीतियाँ घोषित की है। यह एक रोचक बात है कि एक कृषि प्रधान देश मे कृषिगत नीति पर इतना बल नही दिया गया जितना औद्योगिक नीति पर दिया गया है। इसीलिए जब भी सरकार बदलती है तो सबसे पहले औद्योगिक नीति पर ध्यान जाता है और उसके सम्बन्ध मे समस्त देश मे अथवा राज्यीय स्तर पर, तथाकथित नई औद्योगिक नीति प्रस्तुत की जाती है। इसका कारण सम्भवत यह प्रतीत होता है कि आजकल आर्थिक विकास को बहुत-कुछ औद्योगिक विकास से जोड दिया गया है और सभी राज्य औद्योगिक प्रगति की दौड मे एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करना चाहते है।

औद्योगिक नीति मे सरकार कई बातों पर अपनी नीति स्पष्ट करती है जैसे औद्योगिक विकास के उद्देश्य क्या होगे, औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न उद्योगो के बीच सरकार की प्राथमिकताएँ (Priorities) क्या होगी, औद्योगिक क्षेत्रो मे आधारभूत सुविधाओ का विकास किस प्रकार किया जायेगा, औद्योगिक भूमि का आवटन कैसे किया जायेगा, पावर की उपलब्धि के सम्बन्ध मे क्या नीति होगी, उद्योगो के लिए कर्ज की सुविधा कैसी होगी, स्थिर पूँजी के विनियोग पर सब्सिडी देने के सम्बन्ध मे क्या नीति होगी उद्योगो को बिक्री-करो व अन्य करों मे किस प्रकार की रियायते दी जायेगी रुग्ण उद्योगो को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाये जायेगे तथा प्रवासी भारतीयो के द्वारा राज्य मे विनियोग बढाने हेतु कौन सी प्रेरणाएँ दी जायेगी, आदि, आदि।

इस प्रकार औद्योगिक नीति मे कई महत्वपूर्ण विषयो पर सरकार की तरफ से स्पष्ट घोषणाएँ होने से उद्यमकर्त्ताओ को निर्णय लेने मे मदद मिलती है और वे परियोजनाओ के स्थान, उद्योग विशेष का चुनाव तथा उसके आकार आदि का चुनाव कर पाते है। औद्योगिक नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से औद्योगिक उत्पादन व रोजगार को बढाने मे मदद मिलती है, तथा पिछडे क्षेत्रो के औद्योगिक विकास को बल मिलता है। इससे स्थानीय साधनो का उपयोग करके राज्य की आमदनी बढाने का अवसर मिलता है तथा निर्यात बढाकर विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है।

हम इस अध्याय मे राजस्थान मे औद्योगिक नीति के विभिन्न पहलुओं पर

प्रकाश डालेंगे।

राज्य मे औद्योगिक विकास के लिए रियायते व सुविधाएँ [1]

(Concessions & Facilities for Indus Development in the State)

पिछली दो शताब्दियो मे राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए उद्यमकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की रियायते सुविधाएँ तथा प्रेरणाएँ प्रदान की हैं। राज्य का उद्योग निदेशालय (Directorate of Industries) लघु व कुटीर उद्योगो की प्रगति का कार्य देखता है। इसके द्वारा लघु इकाइयों का पजीकरण (Registration) किया जाता है तथा यह उनके लिए कच्चे माल का आवटन करने की सिफारिश करता है। इसी के अन्तर्गत वर्तमान मे 30 जिला उद्योग केन्द्र (District Industries Centres) (DICs) काम कर रहे है जिसमे RFC, RIICO व RSIC तथा व्यापारिक बैंको के प्रतिनिधि सचालन कार्य मे भाग लेते है।

राजस्थान सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रो के विकास मे तथा उद्यमकर्ताओ को पूँजी की सुविधा प्रदान करने मे महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का विवरण नीचे दिया जाता है।

(1) भूमि का आवटन- राज्य सरकार ने चुने हुए स्थानो पर उद्योगो की स्थापना के लिए बडे भू क्षेत्र निर्धारित किये है। इन औद्योगिक क्षेत्रो (industrial areas) मे उद्योगो को 99 वर्ष की 'लीज' पर भूमि आवंटित की गई है। भूमि के आवटन की दरे विभिन्न क्षेत्रो मे अलग-अलग रखी गयी है। ये पिछडे जिलो के औद्योगिक क्षेत्रो मे अपेक्षाकृत कम है। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रो मे भू-आवटन की दरे सशोधित की गई है। उद्योगविहीन जिलो (No Industry Districts) जैसे सिरोही, जैसलमेर, चुरु व बाडमेर जिलो के औद्योगिक क्षेत्रो मे ये अपेक्षाकृत नीची रखी गयी हैं जैसे सिरोही जिले के मडार (Mandar) क्षेत्र मे ये 18 रुपये प्रति वर्ग मीटर है जबकि बाडमेर के बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र व सिरोही के अम्बाजी, आबू रोड, औद्योगिक क्षेत्र मे ये 60 रुपये प्रति वर्गमीटर है। वर्तमान मे अन्य जिलो जैसे अलवर के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र मे भू-आवटन की सशोधित दरे 75 रुपये प्रति वर्गमीटर व उदयपुर के गुडली औद्योगिक क्षेत्र मे 80 रुपये प्रति वर्गमीटर हैं।

रीको (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लि) एक

---

1 Industrial policy 1990 Government of Rajasthan Industries Department, January 1991 and RIICO Newsletter September 1992, pp 11 12 and April 1993 p 10

समय मे भुगतान की शर्त पर भूमि का आवटन करता है जिसमे 25% राशि आवटन के समय जमा करनी होती है और शेष राशि तीन माह मे देय होती है। इसका विस्तृत विवरण नई औद्योगिक नीति 1990 के साथ आगे चलकर किया जायेगा।

(2) औद्योगिक बस्तियो व औद्योगिक क्षेत्रों का विकास (रीको) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एव विनियोजन निगम लि ने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये है। इनमे पावर, सडक जल व पानी के विकास की सुविधाएँ दी गई है। इसके द्वारा विकसित किये गये क्षेत्र जयपुर (विश्वकर्मा तथा मालवीय) कोटा अलवर, जोधपुर, उदयपुर अजमेर, पाली चिडावा पिलानी बून्दी टोक निवाई सीकर, बालोतरा बाडमेर, सादुलपुर व चित्तौडगढ आदि स्थानो मे है। अब तक रीको ने 187 औद्योगिक क्षेत्रो का प्रशासनिक कार्य अपने हाथो मे लिया है। विभिन्न स्थानो मे उद्योगो को बाईस हजार से अधिक भूखण्ड (Plots) आवंटित किये जा चुके है।

व्यापारिक बस्तियो मे नीचे दुकान व ऊपर रिहायशी मकान की व्यवस्था होती है। रीको ने इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगो के लिए जयपुर व पिलानी मे कार्यात्मक बस्तियाँ (functional estates) स्थापित की है।

अलवर जिले के 7 औद्योगिक क्षेत्र है मत्स्य (अलवर शहर) भिवाडी टेरली बहरोड खैरथल, राजगढ व शाहजहाँपुर। इनमे बहरोड व शाहजहाँपुर तो राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या 8 पर है लेकिन भिवाडी राजमार्ग से थोडा अदर पडता है। रीको ने ये सातो औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (National Capital Region) के अलवर जिले के भाग मे विकसित किये है। NCR मे दिल्ली के इर्द गिर्द के हरियाणा व उत्तर प्रदेश के कई औद्योगिक क्षेत्र भी आते है। भिवाडी औद्योगिक क्षेत्र मे काफी पूँजी का विनियोजन हो चुका है। यह अपनी क्षमता के उच्च शिखर पर पहुँच गया है। इसके तीन चरणो के विकास पर रीको ने 29 करोड रुपये व्यय किये है। अब यहाँ पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएँ बढने लगी है। रीको खस्ता हाल औद्योगिक क्षेत्रो को बेचने का कार्य भी सचालित करता है। भिवाडी औद्योगिक क्षेत्र की ही कुछ अतिरिक्त भूमि को भी रीको ने अलवर नगर विकास न्यास को बेचा है।

(3) वित्तीय प्रेरणाये (Financial incentives) उद्योगो को वित्तीय सहायता राज्य सरकार के उद्योग विभाग राजस्थान वित्त निगम राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लि., भारतीय स्टेट बेक व इसके सहायक बैक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बेकों से प्राप्त होती है। इस सम्बन्ध मे वर्तमान स्थिति का उल्लेख नीचे किया जाता है।

राजस्थान वित्त निगम (RFC) लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगो को दीर्घकालीन कर्ज देता है जिसकी अधिकतम राशि पहले 60 लाख रुपये तक हो सकती थी

जिसे अब बढ़ाकर 90 लाख रुपये कर दिया गया है। कर्ज देने की कई स्कीमें हैं, जैसे कम्पोजिट टर्म लोन, उदार ऋण योजना, परिवहन ऋण (सिंगल वाहन) होटल कर्ज, डीजल जेनेरेटिंग सेट के लिए कर्ज, टेक्नीशियन सहायता स्कीम, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उद्यमकर्ता स्कीम, भूतपूर्व सैनिको के लिए स्कीम, शारीरिक दृष्टि से अयोग्य व्यक्तियो तथा डॉक्टरो के लिए स्कीम। पहले एकाकी स्वामित्व व साझेदारी फर्म के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये रखी गयी थी जिसे अब बढ़ाया गया है। (RFC) अपनी उदार ऋण योजना (Soft Loan Scheme) के अन्तर्गत कर्ज देता है। कर्ज की सुविधा टेक्नोक्रेट्स व टेक्नीशियनो के लिए भी उपलब्ध की गयी है।

कम्पोजिट टर्म लोन योजना के अन्तर्गत कर्ज दस्तकारों व उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाता है।

रीको 90 लाख रुपये तक के अवधि-कर्ज (term loans) प्रदान कर सकता है, जिसे अब बढ़ाकर 1 5 करोड रुपये किया गया है। अब रीको 10 करोड रुपये तक की लागत के प्रोजेक्टो को सहायता दे सकता है। पहले यह सीमा 5 करोड रुपये की प्रोजेक्ट लागत तक हुआ करती थी। IDBI रीको के साथ 10 करोड रुपये की लागत तक के प्रोजेक्टो मे कर्ज देने मे शरीक होगा।[1]

व्यापारिक बैंक 50 लाख रु तक के कर्ज दे सकते है । पहले RFC, RIICO व व्यापारिक बैंक जो कुल कर्ज दे सकते थे अब उसकी सीमा भी बढ़ा दी गयी है। औद्योगिक इकाई शेयर बेचकर भी धन जुटा सकती है। उद्योग निदेशालय भी लघु इकाइयो को अब 35 हजार रुपये तक के कर्ज उपलब्ध करता है। पहले राजस्थान वित्त निगम व रीको द्वारा कर्ज पर ब्याज की दर पिछड़े क्षेत्रों के लिए (उत्पादन शुरू होने पर) 12 5% तथा अन्य क्षेत्रो के लिए 14% थी। इस प्रकार यह पिछड़े क्षेत्रो के लिए 1 5% कम थी ताकि उनके औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके। 1 मई 1992 से ब्याज की दर बढ़ाकर सभी क्षेत्रो के लिए समान रूप से 20% कर दी गयी जो बहुत ऊँची है। लेकिन यह लघु उद्योगों के लिए 19 75% रखी गयी है।

रीको व (RFC) के द्वारा बिक्रीकर की राशि के बराबर ब्याज मुक्त ऋण (Interest free loans) भी दिये जाते हैं। पूर्व सरकार ने 5 मार्च 1987 से 31 मार्च 1992 तक की अवधि के लिये उद्योगो को बिक्री कर से कुछ वर्षों के लिये मुक्त रखा व इसका आस्थगन (deferment) करने की एक प्रेरणादायक स्कीम घोषित की थी।

(4) विद्युत की सप्लाई बढ़ायी गई है एव इस दिशा मे प्रयास भी जारी

---

1 RIICO Newsletter October 1992 p 8

हैं। विद्युत-प्रशुल्क पर रिबेट दी जाती है। जल-सप्लाई व कच्चे माल की पूर्ति बढ़ाई गयी है।

(5) राजकोषीय प्रेरणायें (Fiscal incentives) व करों में राहत (Tax Relief) सरकार ने कारखानों में लगायी जाने वाली मशीनरी को चुंगी शुल्क (Octroi) से मुक्त किया है। कच्चे माल पर भी यह छूट दी गयी है। राज्य सरकार ने मशीनों व कच्चे माल पर बिक्री कर की छूट दी है। विद्युत शुल्क में भी छूट दी है। अब बिक्री कर में छूट व आस्थगन की नई स्कीम लागू की गई है जिस पर आगे चलकर प्रकाश डाला गया है।

(6) राजस्थान के पिछड़े जिलों के औद्योगिक विकास के लिये सब्सिडी की व्यवस्था -भूतकाल में राज्य में 16 जिलों को औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया था। ये जिले इस प्रकार थे- जालौर, नागौर, जोधपुर, चुरू, सीकर, झालावाड़, टोंक, अलवर, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुन्झुनूं, जैसलमेर, व बाड़मेर। सितम्बर 1988 तक 27 जिलों में से 16 जिलों को भारत सरकार की तरफ से विनियोग सब्सिडी दी जाती थी। (जो बाद में बंद कर दी गई) तथा शेष 11 जिलों को राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती थी। सब्सिडी की स्कीम पूंजी से जुड़ी राजकोषीय प्रेरणा (Capital linked fiscal incentive) होती है जिसमें उद्यमकर्ताओं को वित्तीय सहायता मिलती है। इसके अन्तर्गत स्थिर पूंजीगत विनियोग जैसे भूमि, फैक्ट्री भवन व प्लान्ट तथा मशीनरी के विनियोग का निर्धारित अंश उद्यमकर्ता को सरकार सब्सिडी या अनुदान सहायता के रूप में देती है जिससे उनको कारखाना लगाने के लिए भारी प्रोत्साहन मिलता है।

पहले केन्द्रीय सब्सिडी की व्यवस्था में पिछड़े जिलों को तीन श्रेणियों A, B तथा C के अन्तर्गत विभक्त किया गया था, जो इस प्रकार थे (A) इसके अन्तर्गत 25% सब्सिडी जैसलमेर, सिरोही, चुरू व बाड़मेर के लिये रखी गयी थी। ये शून्य उद्योग जिले *(No industries Districts अथवा NIDs)* कहलाते थे। सब्सिडी की अधिकतम सीमा एक इकाई के लिये 25 लाख रुपये रखी गयी थी। (B) इसके अन्तर्गत 15 प्रतिशत सब्सिडी पांच जिलों अलवर, भीलवाड़ा जोधपुर, नागौर व उदयपुर के लिये रखी गयी थी तथा इसका अधिकतम राशि 15 लाख रुपये रखी गयी थी। (C) इसके अन्तर्गत 10 प्रतिशत सब्सिडी सात जिलों बांसवाड़ा डूंगरपुर, जालौर, झालावाड़ झुन्झुनूं, सीकर व टोंक के लिए थी तथा एक औद्योगिक इकाई के लिये सब्सिडी की अधिकतम राशि 10 लाख रुपये रखी गयी थी।

इस प्रकार केन्द्रीय सब्सिडी की व्यवस्था काफी लचीली थी। शेष 11 जिलों - अजमेर, भरतपुर, बूंदी, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, गंगानगर, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर व धौलपुर के लिये पहले राज्य सरकार सब्सिडी देती थी जो बड़ी

व मध्यम इकाइयो के लिये 10% (अधिकतम 10 लाख रुपये) एव लघु इकाइयो के लिये 15% (अधिकतम 3 लाख रुपये) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये लघु इकाइयो पर 20% तथा नन्हीं (tiny) इकाइयों के लिये 25% रखी गयी थी। निम्न क्षेत्रो को सब्सिडी नहीं दी गयी थी जैसे मत्स्य (अलवर), मरुधर (जोधपुर) जयपुर के विश्वकर्मा व मालवीय तथा मेवाड (उदयपुर)। सार्वजनिक वित्तीय सस्थाये पिछडे क्षेत्रो के विकास के लिये उदार शर्तों पर ऋण प्रदान करती रही हैं।

1 अप्रेल, 1985 से 31 मार्च, 1990 तक के लिये बिक्री कर की एवज मे ब्याज-मुक्त कर्ज की व्यवस्था (Interest free sales tax loan scheme) भी जारी रही थी। इस कर्ज के दिशा निर्देश नीचे दिये जाते हैं

(अ) बडे पैमाने के उद्योगो के लिये स्थिर परिसम्पत्ति का 8 प्रतिशत कर्ज (अधिकतम राशि 50 लाख रुपये तक) (आ) मध्यम श्रेणी के उद्योगो के लिये स्थिर परिसम्पत्ति का 15% (अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये तक) (इ) लघु उद्योगो के लिये स्थिर परिसम्पत्तियो का 25% कर्ज (अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये तक) (ई) एक विकास खड मे 1 5 करोड रुपये या ऊपर के स्थिर पूँजी विनियोग से पहली बार स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाई (Pioneering industry) को अधिकतम 1 करोड रुपये तक (उ) 25 करोड रुपये व अधिक के स्थिर पूँजी विनियोग से स्थापित किये जाने वाले प्रतिष्ठामूलक उद्योग (Prestigious industry) के लिये 1 5 करोड रुपये तक कर्ज अथवा इतना ही कर्ज एक शुरू के उद्योग (pioneering industry) के लिये जिसमे 10 करोड रुपये तक का विनियोग हो।

इस स्कीम के कर्ज का भुगतान पाच समान किश्तो में देय था और यह वितरण की तिथि के छठे वर्ष से प्रारम्भ होता था।

23 मई 1987 को मुख्यमत्री ने नये उद्योगो को उत्पादित माल पर बिक्री कर मे 31 मई 1992 तक रियायते देने की घोषणा की थी। 5 मार्च, 1987 के बाद उत्पादन मे आने वाले सभी नये उद्योगो को पिछडे जिला मे सात वर्ष तक उत्पादित माल पर यह छूट दी गई थी, जबकि विकसित जिला मे यह पाच वर्ष तक के लिये दी गई थी। यह छूट आइसक्रीम बडे सामेंट प्लाट, होटल तथा अधिक विद्युत की खपत वाली इकाइयो को नहीं दी गइ थी।

पिछडे जिलो मे छोटे उद्योगो के लिये छूट का सीमा उनकी स्थायी परिसम्पत्ति के 100% तक मध्यम व बडे उद्योगो के लिये 90% तक तथा विकसित जिलो के लिये ये सीमाये कमश 85% व 75% तक रखी गई थीं।

उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत 'पायनियरिंग' व 'प्रेस्टीजियम' उद्योगो को यह सुविधा दो अतिरिक्त वर्षों के लिये दी गयी थी। उद्योगो को बिक्री कर से मुक्ति

के बजाय बिक्री कर पर आस्थगन (Sales Tax Deferment) की सुविधा दी गई थी।

इस सम्बन्ध मे 1990 की औद्योगिक नीति के प्रावधानो पर आगे चलकर विस्तार से चर्चा की गयी है।

विकास केन्द्र (Growth Centres) से सम्बन्धित नीति- 22 अक्टूबर, 1989 को केन्द्रीय सरकार ने देश के विभिन्न भागो मे 70 विकास केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की थी जिसमे राजस्थान के लिये 4 विकास केन्द्र स्थापित करने का निर्णय शामिल था। इसके लिये भीलवाडा, बीकानेर, झालावाड़ व आबूरोड़ (सिरोही जिला) चुने गये। बाद मे धोलपुर को शामिल करने पर 5 विकास-केन्द्र हो गये।[1] प्रत्येक विकास केन्द्र पर 30 करोड रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया है ताकि वहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी, बिजली, सड़कें, रेल, सचार व अन्य आधारभूत सुविधाये विकसित की जा सके। यह महसूस किया गया कि इन स्थानो मे विभिन्न प्रकार की आधारभूत सुविधाओ के उपलब्ध होने पर औद्योगिक इकाइयो की स्थापना मे सहूलियत होगी जिससे इनमे औद्योगिक विकास की गति तेज की जा सकेगी। इससे इन केन्द्रो के आस-पास के इलाको मे आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

इन स्थानो के चुनाव के पीछे प्रमुख कारण यह था कि इनमे औद्योगिक विकास की काफी भावी सम्भावनाये है। उदाहरण के लिये, भीलवाडा ने देश के टेक्सटाइल क्षेत्र मे काफी नाम कमा लिया है। यहाँ पावरलूम व प्रोसेस गृह (process houses) स्थापित हुए है जिससे वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। यहाँ खनिज पदार्थो के विकास के भी अवसर हैं। इस जिले के दक्षिण भाग से कोटा चित्तौडगढ ब्रोडगेज लाइन गुजरती है जिससे विकास के नये अवसर खुल गये है।

भीलवाडा सिन्थेटिक यार्न व कपडे का एक बडा उत्पादन केन्द्र बन चुका है। यहाँ पहले ही विभिन्न उद्योग धधो मे काफी पूँजी का विनियोजन हो चुका है। यहाँ विकास केन्द्र के पनपने की काफी सम्भावनाएँ है।

बीकानेर जिले के बीच से इन्दिरा गाँधी नहर गुजरती है। यहाँ कृषि-आधारित उद्योगो के विकास की सम्भावनाएँ उत्पन्न हो रही है। इस सम्बन्ध मे बीछवाल का औद्योगिक क्षेत्र उल्लेखनीय है। बीकानेर के विकास केन्द्र मे कॉटन जिनिग व प्रेसिग फेक्ट्रियाँ वनस्पति तेल खडसारी व गुड की इकाइयो ऊन उद्योग डेयरी उद्योग, चमडा उद्योग आदि कृषि व पशु-आधारित

---

1 RIICO Newsletter March 1993 p 1

उद्योग पनप सकते हैं। बीकानेर मे बडी रेल लाइन भी पहुँच गई है। अत यहाँ विकास के नये अवसर उत्पन्न हुए है।

झालावाड़ जिले के एक भाग से बम्बई दिल्ली ब्रोड गेज लाइन गुजरती है। इसने नारगी के उत्पादन मे नाम कमाया है। आधारभूत सुविधाओं के विकास से इस विकास केन्द्र में नई औद्योगिक इकाइयाँ विकसित की जा सकेगी हालांक इसकी व्यापक सम्भावनाओ पर संदेह प्रगट किये गये हैं।

आबू रोड मे पहले से कई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो चुकी है जिनमे मार्बल, ग्रेनाइट, मिनी सीमेंट, आदि की इकाइयाँ प्रमुख हैं। यह शहर अहमदाबाद के निकट है। यहाँ विकास केन्द्र के पनपने की प्रचुर सम्भावनाएँ है।

राज्य मे अन्य स्थान भी विकास केन्द्र बनाये जाने के लायक हैं जैसे बहरोड बासवाडा आदि। लेकिन उन पर साधनो की स्थिति को देखकर विकास के अगले चरण मे विचार किया जायेगा।

विकास केन्द्रो की स्थापना के कार्य की प्रगति को तेज करने की आवश्यकता है। रीको इस सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही करने मे सलग्न है। विकास केन्द्र पर जो 30 करोड रुपये की धनराशि व्यय की जानी है उसमे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार व वित्तीय सस्थाएँ अपना अपना वित्तीय योगदान देगी।

नई परिस्थितियो मे राज्य सरकार पर विकास केन्द्रो पर आधारभूत सुविधाओ को उपलब्ध कराने के लिये 120 करोड रुपये की आवश्यक धनराशि जुटाने का भार आ गया। साथ मे नई औद्योगिक नीति व योजना के अन्तर्गत सब्सिडी का वित्तीय भार भी बढ गया। यदि राज्य सरकार विकास केन्द्रो व सब्सिडी की वित्तीय व्यवस्था करने मे सक्षम रही तो निश्चित रूप से राज्य औद्योगिक विकास *की दिशा मे तेजी से प्रगति कर पायेगा। अभी तक सब्सिडी का कार्य तो प्रगति* पर नजर आ रहा है लेकिन विकास केन्द्रों के सम्बन्ध मे क्रियान्वयन की गति अपेक्षाकृत धीमी चल रही है जिसे अधिक तेज व अधिक सुनियोजित करने की आवश्यकता है।

राजस्थान में जनता सरकार की औद्योगिक नीति जून 1978 राज्य मे जनता सरकार ने 24 जून 1978 को अपनी औद्योगिक नीति घोपित की थी। इसका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है। **इसमें उद्योगो में प्राथमिकताओ का क्रम निश्चित किया गया था क्षेत्रीय असन्तुलनो को कम करने के उपाय बतलाये गये थे उद्योगो को दी जाने वाली सहायताएँ व सुविधाएँ स्पष्ट की गई थीं और बीमार औद्योगिक इकाइयो को दी जाने वाली सहायता के बारे में भी नीति निर्धारित की गई थी।**

(i) उद्योगो मे प्राथमिकता का क्रम उद्योगो को प्राथमिकता के क्रम में खादी ग्रामोद्योग हथकरघा व हस्तशिल्प को सबसे ऊपर रखा गया था। उसके

बाद एक लाख रुपये तक की पूँजी वाले उद्योग फिर क्रमश 10 लाख रुपये 50 लाख रुपये तथा अन्त मे वृहद् उद्योग रखे गये थे।

(ii) क्षेत्रीय प्राथमिकता का क्रम- क्षेत्रीय असमानताएँ कम करने के लिये क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ तय की गयी थीं। इनका क्रम इस प्रकार रखा गया था पहले गाँव फिर अर्द्ध शहरी क्षेत्र तथा अत मे शहर। नये सार्वजनिक व सयुक्त क्षेत्र के उद्योग क्षेत्रीय आवश्यकताओ को ध्यान मे रखकर लगाने का निश्चय किया गया था।

स्थानीय साधनो पर आधारित उद्योगो को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया गया था। श्रम प्रधान उद्योगो को पूँजी प्रधान उद्योगो की तुलना मे अधिक महत्व दिया गया था।

(iii) सार्वजनिक उद्योग- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की कार्यकुशलता मे सुधार करने के लिये राजस्थान प्रबन्धक सेवा सवर्ग (Rajasthan Management Cadre) बनाने का प्रस्ताव किया गया था। एक ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज बनाने का प्रस्ताव किया गया था जो सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता व कार्य प्रणाली की निरन्तर समीक्षा करता रहेगा। सयुक्त क्षेत्र मे उद्योगो को प्रोत्साहित करने के लिये इक्विटी पूँजी मे 10% सरकारी सहयोग की नीति घोषित की गई थी।

(iv) बीमार आद्योगिक इकाइयो के प्रति नीति- जिस औद्योगिक इकाई मे कुल क्षमता का 20% मे कम उत्पादन हो तथा जो घाटे मे चल रही हो व जिसने पिछले तीन वर्ष से ब्याज या मूलधन का भुगतान न किया हो वह बीमार या रुग्ण इकाई मानी गई थी। इनके सम्बन्ध मे यह कहा गया था कि ऐसी इकाई को उद्योग निदेशक प्रमाण पत्र देगा। रुग्णता का कारण खोजा जायगा। राजस्थान वित्त निगम ऐसी इकाइयो के ऋण के भुगतान की दूसरी तिथि निर्धारित करेगा (reschedule)। ऐसी इकाइयो से की गई सरकारी खरीद का भुगतान एक माह के भीतर कर दिया जायेगा। सरकारी खरीद मे भी ऐसी इकाइयो के माल को प्राथमिकता दी गयी थी।

(v) नयी सहायताएँ व सुविधाएँ - औद्योगिक नीति मे यह भी कहा गया था कि उद्योगो के लिये आवश्यक गोचर भूमि जिलाधीश ग्राम पचायत की सिफारिश पर रूपान्तरित (convert) करेगे। स्वय का उद्योग लगाने पर किसान की खातेदारी की 500 वर्गमीटर भूमि का रूपान्तरण अपने आप माना गया था। इसके लिए केवल परिवर्तन शुल्क जमा करना आवश्यक माना गया था। दाल मिल चावल मिल आदि को 25 हजार से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रो मे स्थापित करने पर बिजली खर्च मे 25% सब्सिडी देने की नीति घोषित की गई थी।

बाद मे 1980 मे राज्य मे कांग्रेस (आई) सरकार पर राजस्थान के औद्योगीकरण की जिम्मेदारी आ गयी थी। विभिन्न प्रकार की रियायतो व सुविधाओ

का लाभ मिलने से राज्य औद्योगीकरण की दिशा मे आगे बढा। रीको राजस्थान वित्त निगम राजस्थान लघु उद्योग निगम, उद्योग निदेशालय आदि राज्य मे औद्योगीकरण को आगे बढाने का भरपूर प्रयास करते रहे है। उद्योगो के विकास के लिये केन्द्रीय पूँजीगत सब्सिडी व राज्यीय पूँजीगत सब्सिडी का विस्तार किया गया। विदेशों मे बसे भारतीयो को राजस्थान मे पूँजी लगाने के लिये आकर्षित किया गया।

सातवीं पचवर्षीय योजना मे औद्योगिक विकास की व्यूहरचना (Industrial Strategy During Seventh Plan) [1]

राज्य के योजना विभाग ने सातवीं पचवर्षीय योजना (1985 90) के प्रारूप मे औद्योगिक विकास की व्यूहरचना मे निम्न बातो का समावेश किया था। राज्य सरकार ने पथक् से सातवी पचवर्षीय योजना के लिए किसी औद्योगक व्यूहरचना की घोषणा नहीं की थी। इसलिए औद्योगिक विकास के सम्बन्ध मे किसी व्यवस्थित व अनुमोदित नीति के अभाव मे निम्न बातो को सकेतात्मक ही माना जाना चाहिए।

औद्योगिक नीति के उद्देश्य सातवीं योजना मे इस बात पर बल दिया गया था कि औद्योगिक नीति के अन्तर्गत राज्य मे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध साधनो का उपयोग किया जायेगा बडे पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जायेगे प्रादेशिक असन्तुलनो को कम किया जायेगा परम्परागत शिल्पकलाओ का विकास किया जायेगा उद्यमकर्ताओ को सहायता दी जायेगी तथा औद्योगिक इन्फ्रास्टक्चर का विकास किया जायेगा।

(1) **रोजगारोन्मुख उद्योगो के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया गया था।** इसके लिये खादी व ग्रामोद्योगो हथकरघा दस्तकारियो अति लघु व लघु उद्योगो को इसी कम मे प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया था।

(2) जिला उद्योग केन्द्रो के स्टाफ का स्वरूप बदलने की आवश्यकता स्वीकार की गई थी। इसके लिये अतिरिक्त कार्यालय मैनेजरो व प्रोजेक्ट मैनेजरो की नियुक्ति करने पर बल दिया गया था।

(3) श्रेणी A B C के जिलो के लिए विनियोग सब्सिडी की व्यवस्था जारी रखी गयी थी। बिक्री कर की एवज मे ब्याज मुक्त कर्ज की स्कीम काफी आकर्षक बनायी गयी थी। अत इसे योजना की स्कीमो मे शामिल करने का सुझाव दिया गया था। इसके अलावा बिक्री कर से मुक्ति/आस्थगन की नई स्कीम (1987 92) घोषित की गई थी।

(4) *यह कहा गया था कि राजस्थान लघु उद्योग निगम गलीचा प्रशिक्षण*

---

1 Draft Seventh F ve Year Plan (1985 90) and Annual Plan 1985 86 Planning Department Chapter 15 on Industrial Development

केन्द्रो, परम्परागत दस्तकारियो एयर कारगो कॉम्पलेक्स व निर्यात-सवर्द्धन कार्यों को बढावा देगा।

(5) खादी व ग्रामीण उद्योगो के उत्पादन व रोजगार मे वृद्धि करने पर जोर दिया गया था।

(6) मार्च 1984 मे राजस्थान हथकरघा विकास निगम स्थापित किया गया ताकि सहकारिता के दायरे से बाहर रहने वाले बुनकरो को मदद दी जा सके। निगम बुनकरो को अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है तथा करघो की क्वालिटी मे सुधार करता है। उनको कच्चा माल देता है तथा निर्मित माल की बिक्री की व्यवस्था करता है।

(7) राज्य के कुछ जिलो मे रेशम के उद्योग को तथा टसर के विकास के लिये पौधे लगाने को महत्व दिया गया। राज्य मे इनके विकास के समुचित अवसर विद्यमान हैं।

(8) यह कहा गया कि राजस्थान वित्त निगम व रीको अपनी गतिविधियो का विस्तार करेंगे। रीको छठी योजना मे प्राप्त लाभो को सुदृढ़ करेगा नये क्षेत्रो जैसे इलेक्ट्रोनिक्स मे प्रवेश करेगा औद्योगिक रुग्णता व टेक्नोलोजिकल पिछडेपन को दूर करेगा तथा भारत सरकार की सब्सिडी योजना का पूरा लाभ उठायेगा। राज्य मे इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम की स्थापना का सुझाव भी दिया गया था।

(9) यह कहा गया कि विदेशो मे रहने वाले (प्रवासी) भारतीयो के विनियोगो को राजस्थान मे आकर्षित करने का प्रयास किया जायेगा।

(10) इस बात पर बल दिया गया कि राजकीय उपक्रम विभाग सम्बन्धित इकाइयो मे उत्पादन बढाने का प्रयास करेगा।

(11) औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिये कोटा चित्तोडगढ ब्रोडगेज लाइन को पूरा करने पर जोर दिया गया ताकि राज्य मे सीमेंट के प्लाण्ट बढाये जा सके। दिल्ली अहमदाबाद तथा जयपुर-सवाई माधोपुर मीटर गज लाइनो को ब्रोड गेज लाइनो मे बदलने से औद्योगिक विकास मे मदद मिलेगी। इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र मे रेल की लाइने बिछाने से औद्योगिक विकास मे सहायता मिलेगी।

यह स्वीकार किया गया कि सातवी योजना मे औद्योगिक व्यूहरचना व नीति को कार्यान्वित करने व सफल बनाने के लिए काफी वित्तीय साधनो की आवश्यकता होगी। इसके लिए सरकार व निजी उद्यमकर्ताओ (स्वदेशी व प्रवासी) को मिलजुल कर काम करना होगा।

मार्च 1987 मे राज्य के मुख्यमत्री ने औद्योगीकरण का एक व्यापक कार्यक्रम प्रस्तावित किया था जिसकी विशेषताये नीचे दी जाती हैं।[1]

1 रीको एक 'वन विडो सर्विस' चालू करेगा जिसके तहत उद्यमकर्ताओ को आवश्यक सहायता समयबद्ध सारणी के अनुसार एक साथ एक स्थान पर की जायेगी।

2 रीको राजस्थान वित्त निगम तथा उद्योग विभाग राज्य के अन्दर व बाहर अभियान चलाकर उद्योगो को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे।

3 1987 88 मे RFC व RIICO लगभग 100 करोड रुपये का अवधि ऋण देगे जिसका लाभ लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योग उठायेगे।

4 डीजल जेनेरेटिंग सेट् के लिए, 'आपत्ति नही सर्टिफिकेट' (NOC) जारी करने की विधि सरल की जायेगी। इसके लिए विद्युत शुल्क मे भी राहत दी जायेगी।

5 खनन पट्टे स्वीकृत करने का समयबद्ध कार्यक्रम अपनाकर खनिज आधारित उद्योगो का तीव्र गति से विकास किया जायेगा।

6 कृषि व पशु धन पर आधारित उद्योगो को भूमि विद्युत कनेक्शन कर्ज आदि मे प्राथमिकता दी जायेगी। इनको अतिरिक्त कर राहत भी दी जायगी।

7 श्रम गहन उद्योगो को भूमि पावर कनेक्शन व कर्ज मे प्राथमिकता दी जायेगी। उनको भी कर राहत दी जायगी।

8 रुग्ण उद्योगो को कर राहत दी जायगी तथा औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की सेवाओ का लाभ उठाया जायेगा।

9 सरकार की वर्तमान क्रय नीति (Purchase Policy) का विस्तार किया जायेगा ताकि स्थानीय उद्योग इसका लाभ उठा सके।

10 नयी इलेक्ट्रोनिक्स इकाइयो की सब्सिडी बढ़ाई जायेगी। 5 करोड रुपये से अधिक स्थिर पूँजी के विनियोग वाली इकाई को 25% सब्सिडी अथवा अधिकतम 25 लाख रुपये की राशि दी जायेगी (जो भी कम हो) एव 5 करोड रुपये से कम वाली इकाइयो के लिये 15% सब्सिडी अथवा 15 लाख रुपये की राशि रखी गयी। यह लाभ सातवीं योजना के अन्त तक देने का कार्यक्रम रखा गया था।

11 नाबार्ड की सहायता से 1987 88 में 10 हजार लघु व लघुतम (tiny) इकाइयाँ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था।

---

1 बजट भाषण 5 मार्च 1987 पष्ठ 29 33

12 निर्धन हथकरघा बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बचत कोष की स्कीम लागू करने पर बल दिया गया था।

13 उद्यमशीलता विकास केन्द्र स्थापित करने तथा

14 विकसित जिलों मे नये उद्योगों को 5 वर्ष के लिये तथा पिछडे जिलों मे 7 वर्ष के लिए बिक्री कर से मुक्त रखने पर जोर दिया गया था।

जहाँ एक भी बडा उद्योग नहीं था वहाँ यह सुविधा क्रमश 7 वर्ष व 9 वर्ष के लिए दी गयी थी। इस सम्बन्ध मे विस्तृत रूप से प्रकाश रियायतें व प्रेरणाओं के खण्ड मे डाला गया है।

इस प्रकार कांग्रेस के शासनकाल मे औद्योगीकरण के लिए राज्य सरकार ने एक व्यापक कार्यक्रम अपनाया था।

शेखावत सरकार की नई औद्योगिक नीति 1990
(New Industrial Policy 1990)

भारतीय जनता पार्टी व जनता दल की सरकार (मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत) ने राजस्थान की नई औद्योगिक नीति दिसम्बर 1990 मे घोषित की थी जिस पर जनवरी 1991 मे कार्यारम्भ हो गया था। इस नीति का विस्तृत विवेचन नीचे किया जाता है।

उद्देश्य (i) खनन कृषिगत व अन्य साधनों का अधिकतम उपयोग करना ताकि राज्य की आय मे उद्योगों का योगदान बढे (ii) अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, (iii) प्रादेशिक असन्तुलन समाप्त करना, (iv) उद्यमकर्ता को प्रोत्साहन देना तथा (v) औद्योगीकरण के माध्यम से राज्य के वित्तीय साधन बढाना ताकि अधिक मात्रा मे विकास कार्यक्रम संचालित किये जा सकें।

प्राथमिकताएँ औद्योगिक नीति मे प्राथमिकताएं इस क्रम मे सुझायी गयीं।

(i) सर्वोच्च प्राथमिकता खादी व ग्रामीण उद्योग हथकरघा दस्तकारियों व चमडा आधारित इकाइयों को (ii) उसके बाद टाइनी उद्योग जिनमे स्थिर पूंजी विनियोग 5 लाख रुपये तक हो (iii) तत्पश्चात लघु पैमाने के उद्योग जिनमे स्थिर पूँजी विनियोग 60 लाख रुपया तक हो, सहायक उद्योग जिनमे पूंजी के लिए 75 लाख रुपये की सीमा होगी तथा (iv) अंत मे मध्यम व बडे पैमाने के उद्योग।

निम्न उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जायगा इलेक्ट्रोनिक्स, बायो टेक्नोलॉजी एग्रो फूड प्रोसेसिंग साधन आधारित श्रम गहन कम ऊर्जा तथा कम पानी का उपयोग करने वाले उद्योग

पावर पावर का विकास निजी क्षेत्र मे भी किया जायगा। 25 केवी से 220 केवी पर बिजली लेने वालों को 15% से 10% विद्युत प्रशुल्क रियायत व 1990 95 की अवधि मे पावर कनेक्शन प्राप्त नई औद्योगिक इकाइयों के लिए 3000 केवी तक के भार पर 31 3 1995 तक कोई पावर कटौती नहीं होगी। लघु व मध्यम इकाइयों मे एक वर्ष तक कोई न्यूनतम चार्जेज नहीं लिये जायेंगे।

पिछले तीन माह के अधिकतम उपभोग के 15 दिन के उपभोग को नकद सिक्यूरिटी मनी ही जमा की जा सकेगी। डीजल जेनरेटिंग सेट की लागत पर 25% या 50 हजार रुपये तक (जो भी कम हो) नकद सब्सिडी मिल सकेगी।

उद्योग के लिए पूँजी-विनियोग सब्सिडी- (i) सभी नये मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगो को स्थिर पूँजी के विनियोग पर 15% सब्सिडी की दर से (एक इकाई को 15 लाख रुपयो तक अधिकतम राशि) (ii) निम्नलिखित श्रेणी के उद्योगो को 20% की दर से सब्सिडी (एक इकाई को अधिकतम 20 लाख रुपयो तक) यह सुविधा लघु व सहायक उद्योगो साधन-आधारित उद्योगो व प्रवासी भारतीयो द्वारा स्थापित उद्योगो तथा 100% निर्यातोन्मुख उद्योगो को उपलब्ध होगी।

29 अगस्त 1992 की एक अधिसूचना के अनुसारराज्य-पूँजी विनियोजन सब्सिडी की स्कीम को अधिक आकर्षक व उदार बनाया गया। इसके अनुसार जनजाति व NID म लघु पैमाने की इकाइयो के लिए सब्सिडी की नई दर 30% (एक इकाई के लिए अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये तक) तथा जनजाति क्षेत्रो व उद्योग रहित जिलो मे मध्यम व बडे पैमाने के उद्योगो के लिए नई दर 20% (एक इकाई के लिए अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये तक) कर दी गई। इसी प्रकार प्रवासी भारतीयो के लिए भी नई सब्सिडी की दर 20% (एक इकाई के लिए अधिकतम राशि 35 लाख रुपये) कर दी गई।[1]

2% की अतिरिक्त सब्सिडी (2 लाख रुपये अधिकतम) श्रम गहन उद्योगो को दी गयी जिनमे प्रति श्रमिक विनियोग 35 हजार रुपये से कम हो (फैक्ट्री अधिनियम 1948 मे पजाकृत)

यह विनियोग सब्सिडी जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, अलवर व भीलवाडा शहरो की म्यूनिसिपल व शहरी सुधार सीमाओ मे स्थापित उद्योगो तथा जयपुर व कोटा शहरो की शहरी सकुलन सीमाओ (urban agglomeration limits) मे नही दी गयी। बाद मे इस सम्बन्ध मे यह रियायत घोषित की गई कि रीको के औद्योगिक क्षेत्रो मे स्थापित औद्योगिक इकाइयो को भी यह सब्सिडी सुविधा प्राप्त होगी। यह एक महत्वपूर्ण घोषणा ह जिसका इन क्षेत्रो के औद्योगिक विकास पर काफी अनुकूल प्रभाव पडने की आशा है। लेकिन इससे राज्य सरकार पर सब्सिडी का वित्तीय भार काफी बढ जायगा।

लेकिन इलेक्टोनिक्स व टेलीकम्यूनिकेशन्स जैसे उद्योगो को समस्त राज्य

---

1 RIICO Newsletter October 1992 p 6 जनजाति क्षेत्रो मे बासवाडा डूँगरपुर व उदयपुर जिलो के कुछ क्षेत्रो चित्तौडगढ जिले मे प्रतापगढ तथा सिरोही जिले मे आबूरोड खण्ड को बढी हुई सब्सिडी का लाभ मिलेगा तथा उद्योगविहीन जिलो (NIDs) में सिरोही जैसलमेर, चुरू व बाडमेर जिलो को यह लाभ मिलेगा।

से अन्य राज्यो मे हस्तान्तरित कर सकेगी उन्हे कर-दायित्व के 90% तक बिक्री कर से मुक्त रखा गया। इन्हे श्रेणी (1) के जिलों मे 11 वर्ष तक तथा श्रेणी (2) के जिलो मे बिक्रीकर की 1989 की स्कीम के मुताबिक छूट दी गई तथा इलेक्ट्रोनिक्स इकाइयो को ग्यारह वर्ष तक के लिए बिक्रीकर से मुक्त रखा गया, वे चाहे जहाँ स्थित हो। 'पायोनियरिग व प्रेस्टीजियस' इकाइयो को अपने कुल उत्पादन का 80% तक राज्य के बाहर ब्रान्च ट्रान्सफर के मार्फत बेचने की छूट दी गयी तथा अन्य लघु, मध्यम व बडे पैमाने के उद्योगो के लिए इनकी अधिकतम सीमा 60% रखी गयी।

(viii) जेम्स व स्टोन्स को बिक्री कर से मुक्त किया गया ताकि इनका निर्यात बढ सके।

(ix) बिक्री कर की एवज मे 7 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त कर्ज की एक नई स्कीम लागू की गयी। इसमें वे इकाइयाँ की गईं जिनको बिक्री कर से अन्य किसी स्कीम मे लाभ नहीं मिल रहा था।

चूगी से छूट- उत्पादन आरम्भ होने से पाँच वर्ष तक की अवधि के लिये नये उद्योगो को आठवी योजनावधि मे कच्चे माल पर चुँगी कर से छूट दी गयी। उन्हे आयातित मशीनरी पर चूगी कर नहीं देना होगा। विस्तार के लिये आयोजित मशीनरी पर भी चूगी नहीं देना होगी। कषि आधारित लघु उद्योगो को सीधे किसान से अपनी जरूरत का माल खरीदने पर मण्डी कर से मुक्त रखा गया।

यह कहा गया कि राजस्थान लघु उद्योग निगम कच्चे माल की सप्लाई बढाने का प्रयास करेगा। वितरण नीति मे कुटीर उद्योगो के कच्चे माल की आवश्यकताओ का विशेष ध्यान रखा गया। इनके लिए आयातित कच्चे माल की व्यवस्था भी बढायी गयी। हथकरघा बुनकरो दस्तकारो तथा कारीगरो के लिए भी कच्चे माल की व्यवस्था बढायी गयी।

विपणन राजस्थान का स्वय का औद्योगिक वस्तुओ का बाजार बडा नहीं है। इसलिए उद्योगो को विपणन की समस्या का सामना करना पडता है। औद्योगिक नीति मे विपणन के सम्बन्ध मे निम्न उपाय सुझाये गये।

(i) वित्त विभाग के केन्द्रीय स्टोर्स क्रय सगठन ने सरकारी विभागो द्वारा लघु पैमाने के उद्योगो से 130 वस्तुओ को खरीदने के लिए अब तक नियम बनाये थे। इनमे 34 वस्तुओ को और जोडा गया । राज्य के मानक स्तर के लघु उद्योगो को 15% का कीमत अधिमान (Price preference) दिया गया और अन्य को 10% का कीमत-अधिमान दिया गया। ये लाभ राज्य के विभिन्न विभागो या स्थानीय सस्थाओ के द्वारा की जाने वाली खरीद पर भी उपलब्ध होंगे।

(ii) यदि उद्योगो के सगठन अपने माल की बिक्री के लिए कम्पनी बनाते है तो राज्य सरकार उनको भी आवश्यक सहायता देगी।

(iii) राजस्थान लघु उद्योग निगम एक व्यापार केन्द्र व ओद्योगिक म्यूजियम की स्थापना करेगा जिनके माध्यम से लघु उद्योगों की वस्तुओं की नुमाइश व विपणन की व्यवस्था की जायेगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमकर्ताओं के लिए विशेष सहायता

इनके द्वारा औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिए विशेष सुविधाओं का विस्तार किया गया। रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में इनके द्वारा खरीदे जाने वाले 4 हजार वर्गमीटर तक के भू-खण्डो की खरीद पर 50% तक रिबेट दी जाती है। राजस्थान वित्त निगम एक लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज में 2% की रिबेट देता है और शिक्षित युवकों के लिए स्वरोजगार की स्कीम मे इनके लिए 30% का आरक्षण किया गया है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल इनको पावर कनेक्शन देने मे प्राथमिकता देगा। जनजाति उप-योजना मे स्थापित उद्योगों को राजस्थान वित्त निगम ब्याज पर रिबेट 0.5% से बढ़ाकर 1% देगा। रीको भी इतनी ही रिबेट देगा। जनजाति उप योजना क्षेत्र मे स्थापित होने वाले उद्योगो मे रीको शेयर पूँजी मे 10% हिस्सा लेता है। अनुसूचित जाति के उद्यमकर्ताओ द्वारा स्थापित उद्योगो मे 10% शेयर प्रदान करने के लिए एक पृथक शेयर पूँजी कोष स्थापित किया गया।

औद्योगिक रुग्णता से सम्बन्धित नीति-

(i) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल रुग्ण इकाइयों को न्यूनतम चार्जेज व पावर कटौती से मुक्त करने की सुविधा देता है। रुग्णता का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसे जिला स्तर पर जारी करने की व्यवस्था की गयी। रुग्ण इकाइयो को दो वर्ष के लिए पावर कटौती से मुक्त रखा गया।

(ii) रुग्ण औद्योगिक इकाइयो का सर्वेक्षण करने की व्यवस्था की गई तथा रुग्णता के कारणों का पता करके इनके पुनर्स्थापन की व्यवस्था की गयी।

(iii) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (**BIFR**) के विचाराधीन रुग्ण इकाइयो को निम्न रियायतें दी गयीं.-

(अ) पुनर्वास की अवधि में पाच वर्ष तक विद्युत-शुल्क का स्थगन, ब्याज, जुर्माने व दण्डस्वरूप ब्याज (penal interest) को छोड़ना,

(आ) बिक्रीकर, क्रय-कर, विद्युत-शुल्क, आदि का पुनर्निर्धारण तथा पुनर्वास अवधि मे स्थगन-राशि पर ब्याज के भुगतान से मुक्ति।

(इ) रुग्ण इकाई की अतिरिक्त भूमि को बेचकर प्राप्त राशि का उपयोग उस इकाई के पुनर्वास की योजना के आधार पर ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में किया जा सकता है। भूमि का बेचान राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी या संस्था के मार्फत किया जाना चाहिए।

(ई) कर्ज लेने के लिए सरकार द्वारा रुग्ण इकाई की भूमि को वित्तीय सस्था को गिरवी रखने की इजाजत समय पर दे दी जायेगी।

(उ) राजस्थान वित्त निगम ने एक बिन्दु पर सहायता देने की स्कीम लागू की है जिसमे स्थिर पूँजी की 5 लाख रुपये की सहायता के साथ 2 5 लाख रुपये को कार्यशील पूँजी भी दी जा सकती है। इससे रुग्ण लघु इकाइयो को कार्यशील पूँजी की सुविधा मिल सकेगी।

(ऊ) रुग्ण इकाइयो को बिक्री कर प्रेरणा/आस्थगन के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ जारी रखे गय।

(ए) रुग्ण लघु इकाइया के पुनर्वास के लिए मार्जिन मुद्रा कर्ज को स्कीम अधिक इकाइयो पर लागू करने के लिए अधिक कोष प्रदान करने पर जोर दिया गया।

यह आशा की गई कि इन विभिन्न उपायो को लागू करने से रुग्ण इकाइयो की पुनर्स्थापना मे मदद मिलेगी जिसमे उत्पादन व रोजगार को बनाये रखना सुगम होगा।

औद्योगिक नीति मे औद्योगिक माल का निर्यात बढाने प्रवासी भारतीयो को आद्योगिक विनियोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपाय सुझाये गये है । इस प्रकार दिसम्बर, 1990 की औद्योगिक नीति के माध्यम से औद्योगिक समस्याओ को हल करने की दिशा मे कई प्रकार के आवश्यक कदम उठाये गये थे।

राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मत्री श्री भैरोसिह शेखावत ने सितम्बर 1991 में कलकत्ता मे औद्योगिक प्रोत्साहन अभियान के दौरान निम्न पाँच नई रियायते घोषित की थीं।[1]

(1) बिक्री कर स मुक्त या आस्थगन की स्कीम के लिए सम्पूर्ण राज्य को पिछड़ा घोषित कर दिया गया। पहले यह श्रेणी I व श्रेणी II जिलो मे विभाजित किया गया था एव श्रेणी II के जिलो मे बिक्री कर से मुक्ति या आस्थगन की दर श्रेणी I के जिलो की तुलना मे नीची दर से मिलती थी।

बिक्री कर से मुक्ति या आस्थगन की अवधि आमतौर पर 2 वर्ष के लिए बढायी गयी (जैसे 5 से 7 वर्ष एव 7 वर्ष से 9 वर्ष तथा 9 से 11 वर्ष आदि) अत इसे अधिक उदार बनाया गया।

(2) 100% निर्यातोन्मुख इकाइयो (export oriented units) को अतिरिक्त लाभ दिये गये जैसे अति प्रतिष्ठामूलक इकाई को 11 वर्ष तक क्रय कर से छूट, इसे 5 वर्ष तक विद्युत शुल्क की देयता से छूट, इसे 11 वर्ष

1 RIICO Newsletter October 1991 pp 5 7

तक बिक्री कर की देयता मे छूट, आदि।

(3) प्रवासी भारतीयो (NRIs) को स्थिर पूँजी विनियोग सब्सिडी 20% (अधिकतम राशि एक इकाई को 35 लाख रुपये) देने का निर्णय लिया गया। NRI की इकाई वह होगी जिसमे कुली इक्विटी मे वह कम से कम 40% इक्विटी विदेशी करेंसी के रूप मे प्रदान करे।

(4) स्टेनलेस स्टील की इकाइयो को अतिरिक्त बिक्रीकर सम्बन्धी रियायते दी गई। इन पर बिक्री कर 8% से घटाकर 2% किया गया। स्टेनलेस स्टील की शीटो पर क्रय कर 3% से घटाकर 1% किया गया।

(5) सभी टाइनी औद्योगिक इकाइयो व कुछेक लघु उद्योगो को राजस्थान प्रदूषण नियत्रण बोर्ड (RPCB) से 'No Objection Certificate' (NOC) लेने की शर्त से भी मुक्ति दी गयी।

आशा है इन रियायतो व छूटो से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

औद्योगिक नीति की समीक्षा

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि नई ओद्योगिक नीति काफी व्यापक व व्यावहारिक किस्म की ह और इससे राज्य मे साधन आधारित उद्योगो (resource based industries) तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगो के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इसमे समस्त राज्य मे उद्योगो के लिए पूँजी विनियोग सब्सिडी का प्रावधान किया गया जिससे राजस्थान मे भी औद्योगिक प्रेरणाओ व रियायतों की दृष्टि से पहली बार अन्य राज्यो के समकक्ष आ गया है बल्कि कुछ सीमा तक उनसे भी आगे निकल् गया है। सितम्बर, 1988 मे केन्द्रीय सब्सिडी के बद हो जाने के बाद राज्य के औद्योगिक क्षेत्र मे शिथिलता का वातावरण छा गया था। अन्य राज्यो ने केन्द्रीय सब्सिडी के बदले में राज्य सब्सिडी स्कीम को लागू करके इस अभाव को काफी सीमा तक पूर्ति कर ली थी। लेकिन इस दृष्टि से राजस्थान पीछे रह गया था। 1990 की नई औद्योगिक नीति ने इस अभाव की पूर्ति की है और उद्यमकर्ता राज्य मे उद्योगो को स्थापना के लिए आगे आने लगे है।

राज्य मे उद्योगो के लिए बिक्रीकर की रियायते भी काफी उदारतापूर्वक दी गई है जिनसे औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। रुग्ण इकाइयो की पुनर्स्थापना के लिए जो उपाय सुझाये गये है उनमे इनका समस्याओ के समाधान मे मदद मिलेगी। इस प्रकार नई ओद्योगिक नीति ने रोजगार सवर्द्धन उद्यमकर्ताओ को प्रोत्साहन प्रादेशिक असतुलनों को कम करने व आद्योगिक क्षेत्र का राज्य की घरेलू उत्पत्ति मे योगदान बढाने के नये अवसर खोले है । औद्योगिक क्षेत्रो मे इस नीति का भारी स्वागत किया गया है। इसमे खादा ग्रामीण उद्योगो हथकरघा, दस्तकारी आदि के विकास पर भी पर्याप्त बल दिया गया है तथा उनकी समस्याओ के प्रति पूरी जानकारी दर्शायी गयी है और यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार

इनका विकास करने के लिए कृतसकल्प है।

स्मरण रहे कि एक प्रगतिशील औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास की एक आवश्यक शर्त होती है लेकिन वह पर्याप्त शर्त नहीं मानी जा सकती। एक उचित औद्योगिक नीति विकास का आधार तो तैयार कर देती है लेकिन वास्तविक औद्योगिक प्रगति इसके सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि औद्योगिक नीति के साथ साथ राज्य के लिए मध्यमकालीन *व दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजन (Industrial planning)* की *रूपरेखा भी तैयार* की जाय जिसमे निम्न बातो पर ध्यान दिया जाना लाभकारी हो सकता है

(i) कृषि व उद्योगो के बीच विकास की दृष्टि से परस्पर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए,

(ii) विभिन्न जिलो के अनुसार उद्योगो का चुनाव किया जाना चाहिए,

(iii) उद्योगो के लिए उत्पादन के सर्वश्रेष्ठ पैमाने (scale) का चुनाव किया जाना चाहिए,

(iv) उद्योगो के लिए सर्वोत्तम टेक्नोलोजी का चुनाव किया जाना चाहिए,

(v) विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बीच परस्पर कडी (link) स्थापित की जानी चाहिए,

(vi) विभिन्न जिलो के उद्योगो मे परस्पर कडी स्थापित की जानी चाहिए तथा

(vii) विभिन्न क्षेत्रो के उद्योगो व आवश्यक आधारभूत ढाँचे के विकास में पर्याप्त ताल मेल बैठाया जाना चाहिए ताकि दोनो का सतुलित व एक साथ विकास किया जा सके।

अत उचित औद्योगिक नीति के साथ साथ उचित औद्योगिक नियोजन की भी आवश्यकता है ताकि हम यह जान सके कि आज से 10 15 वर्ष बाद हम राजस्थान की कैसी औद्योगिक स्थिति देखना चाहते है और उसके लिए हम आज क्या उपाय कर रहे हैं। औद्योगिक नियोजन ही औद्योगिक विकास को आवश्यक दिशा, गति व स्फूर्ति प्रदान कर सकता है। साथ मे राज्य मे 'औद्योगिक सस्कृति को भी विकसित किया जाना चाहिए ताकि प्रशासन व प्रशासक उद्यमकर्ताओ की कठिनाइयो को दूर करने का भरसक प्रयास करने मे रुचि ले और राज्य मे औद्योगिक वातावरण भी आकर्षक बनाया जाना चाहिए। इसके लिए पानी बिजली परिवहन, सचार, शिक्षा, चिकित्सा मनोरजन आदि की दशाएँ सुधारनी होगी ताकि अधिकाधिक उद्यमकर्ता राजस्थान मे उद्योग लगाने के लिए आकर्षित हो सके। इसलिए औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नीति के साथ साथ औद्योगिक नियोजन औद्योगिक प्रशासन व औद्योगिक इन्फ्रास्टक्चर की सुविधाओ की भी नितान्त आवश्यकता है। इन सभी के सहयोग से राज्य अपनी औद्योगिक सभावनाओ

का पूरा-पूरा उपयोग करने मे सक्षम व समर्थ हो सकता है। इस पर अधिक विवेचन आगे चलकर औद्योगिक विकास को बाधाओ के अध्याय मे प्रस्तुत किया जायेगा।

राजस्थान की औद्योगिक प्रगति के दो वर्ष 1991-92 व 1992-93

1990 की नई औद्योगिक नीति को लागू करने के दौरान रीको ने कई बडे प्रोजेक्ट अपने हाथ मे लिए है। ये प्रोजेक्ट रसायन, इन्जीनियरिंग, वस्त्र, इलेक्ट्रोनिक्स आदि क्षेत्रो से सम्बद्ध हैं।

नई औद्योगिक नीति वर्ष 1991 के प्रारम्भ मे लागू हुई था और पिछले दो वर्षों मे राज्य मे रीको, राजस्थान वित्त निगम उद्योग निदेशालय व राज्य सरकार के सतत व अथक प्रयत्नो के फलस्वरूप औद्योगिक विकास ने नया मोड लिया है। कई नये औद्योगिक क्षेत्र चालू किये गये है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियो (multinationals) ने राज्य में नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने मे रुचि ली है, भारत के बडे औद्योगिक घरानो की राजस्थान के औद्योगिक विकास मे दिलचस्पी बढी है और हाल मे जयपुर-सवाई माधोपुर के बीच ब्रोडगेज रेल लाइन के बनने से औद्योगिक विकास के नये अवसर खुले हैं। इन गतिविधियो का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है -

ताजा सूचना के अनुसार 1991 92 मे जो प्रोजेक्ट अनुमोदित हुए उनसे 1800 करोड रुपये का विनियोजन सम्भव हुआ । 1992 93 मे 79 परियोजनाओ मे 'टाई-अप' से 3050 करोड रु का विनियोग सम्भव हुआ है जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। 1992 93 मे 14 MOUs पर हस्ताक्षर किये गये जो रीको व उद्यमकर्ताओ के बीच हुए । इससे लघु,मध्यम तथा बडे उद्योगो मे रोजगार बढा है । रीको ने काफी धन व्यय करके विभिन्न स्थानों मे उद्योगो के लिए भूमि प्राप्त की है तथा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रो मे आधारभूत सुविधाओ -सडक बिजली पानी, आदि का विकास किया है ।

राज्य मे इलेक्ट्रोनिक्स, ग्रेनाइट, तेल निकालने के संयत्र (solvent extraction plants), आदि की औद्योगिक इकाइयाँ लगायी गया है। इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र मे जयपुर से 15 किलोमीटर दूर आमेर के पास कूकस (Kukas) मे एरिक्सन (Ericsson) का इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग सिस्टम प्रोजेक्ट लगाया गया है जिसमे स्वीडन का तकनीकी-वित्तीय सहयोग मिला है। इस प्रोजेक्ट की लागत 150 करोड रुपये है जिसमे स्वीडन का कम्पनी का शेयर 51% है जेवराजका ग्रुप का (भारतीय सहयोगी) 29% ह तथा शेष 20% पब्लिक को दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट की वजह से काफी संख्या म सहायक इकाइयाँ इलेक्ट्रोनिक्स व कम्प्यूटर सोफ्टवेयर क्षेत्र मे विकसित होगा।

शाहपुरा औद्योगिक क्षेत्र मे पहले ही ग्रेनाइट के कइ लघु पैमाने के प्लान्ट लगे हुए थे। अब रीको की मध्यस्थता मे लाला ग्रेनाइट लि (पॉलिश की हुई ग्रेनाइट

स्लेब्स के लिए) तथा सारदा ग्रेनाइट लि (टाइलो के लिए) लगे हैं। बगरू मे 10 करोड रुपये की लागत से 100% निर्यातोन्मुख ग्रेनाइट इकाई लगी है। विश्वकर्मा मे देवडा ग्रेनाइट प्राइवेट लि ग्रेनाइटस्लेब्स का प्रोजेक्ट लगा है। भविष्य मे राजस्थान ग्रेनाइट के निर्यात में काफी ऊँचा स्थान प्राप्त कर सकता है।

राज्य में तेल निकालने के सयंत्र - विशेषतया सरसो पर आधारित सयत्र लगे है जिनमें 1/4 अकेले जयपुर जिले मे स्थित हैं। श्री सोल्वो फूड्स बस्सी मे (जयपुर के समीप) उत्पादन मे आ चुका है।

जयपुर से 10 किलोमीटर दूर कनकपुरा मे सोफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क स्थापित किया जा रहा है जो फिलहाल रील के भवन मे होगा।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आगमन -[1]

पिछले तीन वर्षों मे राज्य सरकार के प्रयासो व केन्द्र की उदार आर्थिक नीतियो के फलस्वरूप राज्य मे आठ देशो की मशहूर कम्पनियो ने 16 परियोजनाओ मे अपना सक्रिय सहयोग दिया है। इससे करीब 1400 करोड रुपये की पूँजीगत लागत की परियोजनाओ की शुरुआत हो सकी है। इनमें से 7 प्रोजेक्ट तो उत्पादन मे आ चुके है, 6 क्रियान्वयन की अवस्था मे ह और 3 विचाराधीन हैं। जर्मनी अमेरिका, इटली स्वीडन जापान, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन व रूस के सहयोग से अलवर जिले के भिवाडी औद्योगिक क्षेत्र मे 16 मे से 8 प्रोजेक्ट लगाये जा रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट जयपुर के समीप लगे है और एक-एक जोधपुर, उदयपुर, आबूरोड, कोटा व अलवर मे लगे हैं तथा एक का स्थान तय होना बाकी है।

जिन सात परियोजनाओ मे उत्पादन चालू हो गया है उनमे 110 करोड रुपये की लागत आयी है। कुल 808 करोड रुपये की लागत की छ परियोजनाओ की स्थापना का काम पूरा होकर 1993 के अत तक उत्पादन शुरू होने की आशा है। 475 करोड रुपये की लागत की तीन परियोजनाओ पर औद्योगिक प्रोत्साहन ब्यूरो (बिप) काम कर रहा है जिनके लिए भूमि आदि का चयन कर लिया गया है।

सबसे बडी परियोजना अमरीकी कम्पनी 'कोर्निंग' के सयुक्त तत्वावधान मे सैमूर ग्लास लि के नाम से कोटा मे स्थापित की जा रही है जिस पर 500 करोड रुपये की लागत आयेगी। इसमे रगीन टेलीविजन पिक्चर ट्यूबे बनेगी।

जिन सात परियोजनाओ मे उत्पादन शुरू हो गया है उनमे ब्रिटेन की जिलेट कम्पनी के सहयोग से भिवाडी मे 50 करोड रुपये की लागत मे लगी शेविग ब्लेड की परियोजना जर्मनी की प्रसिद्ध इडर (Eder) कम्पनी के सहयोग से भिवाडी मे पाँच करोड रुपये की लागत से भार उठाने वाली मशीने बनाने की

---

1 RIICO Newsletter March 1993, p 4 तथा राजस्थान पत्रिका 15 जनवरी 1993 पृ 16

परियोजना, जर्मनी की डी अरनेस्ट विटर एण्ड सोहन कम्पनी की भिवाडी मे दो करोड रुपये की लागत से लगी रत्न सफाई (diamond impregnating segments) की परियोजना, अमरीका की बॉश एण्ड लैम्ब कम्पनी की भिवाडी में 26 करोड रुपये की लागत से स्थापित कान्टेक्ट लैन्स व चश्मे के फ्रेम बनाने की इकाई है। इटली की पेड्रिनी ग्रेनाइट्स ने जोधपुर मे 5 करोड रुपये की लागत से मार्बल व ग्रेनाइट टाइल्स की मशीनरी बनाने की इकाई स्थापित की है। इटली की ही ब्रिटोन कम्पनी ने 12 करोड रुपये की लागत से उदयपुर में मार्बल उत्पाद तैयार करने की इकाई डाली है तथा जर्मनी की किजले के सहयोग से भिवाडी मे 10 करोड रुपये की लागत से डिजिटल घडियो के मॉड्यूल्स बनाने का काम चालू किया गया है।

जिन परियोजनाओ पर तेजी से कार्य जारी है उनमे कोटा की 500 करोड रुपये की लागत वाली पूर्ववर्णित सैमूर ग्लास लि के अलावा निम्न इकाइयाँ हैं -

नाम (1) राजस्थान पेलीमर्स एण्ड रेजीन्स लि० (रूस के सहयोग से थापर ग्रुप द्वारा)	वस्तु ए बी एम रेजीन्स	स्थान आबू रोड	परियोजना की लागत (करोड रु) 73
(2) सिक्पा इण्डिया लि (स्विस सहयोग)	सिक्यूरिटीस्याही (विशेष प्रकार की)	भिवाडी	40
(3) क्लाइमेट कन्ट्रोल इण्डिया लि (अमेरिकी फोर्ड मोटर कम्पनी की सहायक)	एल्यूमिनियम रेडियेटर्स	भिवाडी	25
(4) एरिक्शन टेलिकॉम (इण्डिया) लि	इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग सिस्टम	कूकस (जयपुर)	150

(5) ग्रेपको ग्रेनाइट लि (अमरीकी बुडिएइम के सहयोग से)	रत्न तराशने के उपकरण	अलवर	20

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के औद्योगिक विकास मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो का योगदान काफी महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है। इससे राज्य मे औद्योगिक विनियोग बढ रहा है तथा टेक्नोलोजी के नये आयाम सामने आ रहे है।

औद्योगिक क्षेत्रो मे उभरते हुए नये क्षेत्र -

(1) सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र - यह जयपुर के समीप सागानेर हवाई अड्डे से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ रेडीमेड पोशाक दस्तकारी इलेक्ट्रोनिक्स व ज्यूलरी आदि की इकाइयाँ एक साथ विकसित की जा सकती हैं। इसे जयपुर के एक सहायक औद्योगिक मॉडल टाउन के रूप मे विकसित किया जा सकता है ताकि आगे चलकर जयपुर पर जनसख्या व आवासीय व्यवस्था का भार कुछ सीमा तक कम किया जा सके। ब्रॉडगेज रेल लाइन बनने से इसका महत्व बढ गया है।

(2) हीरावाला औद्योगिक क्षेत्र - यह भी जयपुर के समीप स्थित है। यहाँ फ्रास के सहयोग से एक सुगन्धित द्रव्य (इत्र) व सोदर्य प्रसाधन (कॉस्मेटिक्स) बनाने की इकाई (perfumery and cosmetics project) स्थापित की जा रही है जिसकी लागत 8 करोड रुपये होगी। हीरावाला क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या 11 पर स्थित है जो जयपुर को आगरा से जोडता है। यह कानोता से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

इसके अलावा दक्षिण राजस्थान मे बासवाडा के समीप पीपलवा क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। यह मार्बल व ग्रेनाइट के भण्डारो से घिरा है। उदयपुर का गुडली क्षेत्र विकास की तरफ अग्रसर है।

आशा है आगामी वर्षों मे राजस्थान औद्योगिक विकास की दिशा मे नयी करवटे लेगा और यदि विकास की यही गति जारी रही तो राज्य इक्कीसवीं सदी के आरम्भ मे भारत का अग्रणी औद्योगिक राज्य बन पायेगा।

प्रश्न

1 राजस्थान की 1990 की नई औद्योगिक नीति का विवरण दीजिए। इसमे शामिल राजकोषीय प्रेरणाओ मे पूँजी विनियोग सब्सिडी व बिक्री-कर की

रियायतो का महत्व स्पष्ट कीजिए।

2 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-

(i) राजस्थान मे उद्योगो के लिए वित्तीय व राजकोषीय प्रेरणाएँ,

(ii) राजस्थान मे औद्योगिक क्षेत्रो का विकास

(iii) प्रस्तावित विकास केन्द्रो का महत्व तथा

(iv) औद्योगिक नीति 1990 के प्रभाव

3 राजस्थान की सातवी पचवर्षीय योजना मे औद्योगिक विकास की व्यूह रचना क्या थी? नई सरकार की आद्योगिक नीति ने उसमे क्या परिवर्तन किये है।

4 राजस्थान सरकार की 1990 की नई औद्योगिक नीति किन अर्थो मे पूर्व नीतियो से बेहतर मानी जा सकती है? क्या इसमे औद्योगिक विकास की पूरी गारटी मिलती है? इस नीति के औद्योगिक विकास पर प्रभावो का आकलन कीजिए।

5 औद्योगिक नीति 1990 के बाद राजस्थान के औद्योगिक विकास का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। वर्ष 1991 92 व 1992 93 मे राजस्थान के औद्योगिक विकास मे इस नीति की क्या भूमिका रही है?

13

औद्योगिक विकास में विभिन्न निगमों की भूमिका
(Role of Different Corporations in Industrial Development)

राजस्थान मे औद्योगिक विकास से कई प्रकार के सगठन जुडे हुए हैं जिनमे अगस्त, 1986 में पुनर्गठित सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त औद्योगिक सलाहकार परिषद् भी शामिल है, जिसके अध्यक्ष राज्य के उद्योग मत्री है। यह औद्योगिक विकास की प्रगति की समीक्षा करती है, राज्य सरकार को औद्योगिक नीति व कार्यक्रमो पर सलाह देती है तथा उद्योगो को समय-समय पर दी जाने वाली सुविधाओ व रियायतो का जायजा लेती है।

राज्य मे विभिन्न प्रकार के उद्योगो के विकास मे सम्बद्ध विभाग या सगठन या निगम इस प्रकार हैं

1. **मध्यम व बडे पैमाने के उद्योग -**
   - (i) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लि (रीको)
   - (ii) राजस्थान वित्त निगम (आर एफ सी)
   - (iii) सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो (बी पी ई)
2. **ग्रामीण व लघु उद्योग-**
   - (i) उद्योग निदेशालय
   - (ii) खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड
   - (iii) हथकरघा विकास निगम
   - (iv) राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसीको)
3. **इनके अलावा निम्न केन्द्रीय सगठन व निगम भी राज्य के औद्योगिक विभाग मे सहयोग देते हैं-**
   - (i) लघु उद्योग सेवा सस्थान
   - (ii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई)
   - (iii) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई एफ सी आई)

(iv) राजस्थान सलाहकार सगठन लि (राजकोन) (जिसका प्रवर्तन भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा किया गया है)।

हम नीचे रीको राजस्थान वित्त निगम तथा राजस्थान लघु उद्योग निगम के कार्यों व उनकी प्रगति पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और साथ मे अन्य सस्थाओ व सगठनो का सक्षिप्त परिचय देंगे।

1 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लि (रीको) (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Ltd) (RIICO)

इसकी स्थापना 1969 में हो चुकी था लेकिन नवम्बर, 1979 मे राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (RSMDC) के अलग से स्थापित होने के बाद रीको का कार्यक्रम औद्योगिक विकास तक सीमित कर दिया गया। इसे कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप मे स्थापित किया गया है।

इसके मुख्य कार्य इस प्रकार है

(i) प्रोजेक्टो को छाटना उनके लिए आशय पत्र (letters of intent) व औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना तथा निजी क्षेत्र के उद्यमकर्ताओ से मिलकर या स्वय उनका क्रियान्वयन करना

(ii) राजस्थान के औद्योगिक विकास की स्कीमो को प्रोत्साहन देना और उनका सचालन करना

(iii) प्रोजेक्टो की तस्वीरें (project profiles) प्रोजेक्टो की रूपरेखाएँ (project blueprints) व प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाना और आवश्यक सलाह प्रदान करना

(iv) उद्योगो के लिए भूमि प्राप्त करना औद्योगिक क्षेत्रो का विकास करना औद्योगिक भूखण्डों का आवटन करना एव उद्योगो की स्थापना के लिए शेड उपलब्ध करना

(v) मध्यम व बडे पैमाने के उद्योगो के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना जिसके निम्न रूप हो सकते है

(अ) भारतीय औद्योगिक विकास बेक की पुनर्वित्त सहायता स्कीम के अन्तर्गत अवधि कर्ज (term loans) देना।

(आ) शेयरो का अभिगोपन (underwriting) करना तथा उनमे प्रत्यक्ष अशदान करना। इसे इक्विटी मे भाग लेना (equity participation) कहते है। अभिगोपन की प्रक्रिया मे शेयर बिकवाने की व्यवस्था की जाती है जबकि प्रत्यक्ष अशदान मे स्वय रीको कुछ शेयर खरीद लेता है।

(इ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की तरफ से सीड पूँजी (Seed Capital) उपलब्ध करना जो नये उद्यमकर्ता के अशदान (promoter s contribution) की कमी की पूर्ति के लिये मामूली सर्विस चार्ज पर उपलब्ध की जाती है।

(ई) बिक्री कर की एवज मे ब्याज मुक्त कर्ज की व्यवस्था करना तथा

(vi) प्रवासी भारतीयो को आवश्यक सेवाये उपलब्ध करना।

इस प्रकार रीको औद्योगिक विकास व विनियोग से सम्बन्धित कई महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादित करता है।

साधन (Resources)

रीको के वित्तीय साधन शेयर पूँजी ऋणपत्रो भारतीय औद्योगिक बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त सहायता व राज्य सरकार से कर्ज तथा स्वय के रिजर्व व बचतो मे बने हैं। 31 मार्च 1992 को इसकी परिदत्त पूँजी लगभग 69 12 करोड रु थी (अधिकृत पूँजी 80 करोड रुपये जिसे बढाकर 150 करोड रुपये करने का प्रस्ताव है)। राज्य सरकार इसकी शेयर पूँजी मे अपना अशदान देती है। 31 मार्च 1992 को इसके द्वारा ऋणपत्र जारी करने से प्राप्त राशि 38 68 करोड रुपये हो गई थी। भारतीय औद्योगिक बैंक/लघु औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त की बकाया राशि इस तारीख को 54 25 करोड रुपये हो गई थी।

IDBI ने रीको के कार्य की प्रगति को देख कर इसे पुनर्वित्त की स्कीम मे रियायते दी है। रीको अब 150 लाख रुपये तक के अवधि कर्ज स्वीकृत कर सकता है। (पहले 90 लाख रुपये की सीमा थी)। यह सीमा 5 करोड रुपये की लागत वाले प्रोजेक्टो पर लागू की गया थी। अब रीको 10 करोड रुपये की लागत वाले प्रोजेक्टों को वित्तीय सहायता दे सकता है। इसमे IDBI की साझेदारी भी होती है। इसके ऊपर की राशि के प्रोजेक्टो को अखिल भारतीय सस्थाओ से सम्पर्क करना पडता है।

सितम्बर 1976 मे (IDBI) ने रीको को वित्तीय सस्था के रूप मे मान्यता प्रदान की थी जिसके बाद इसकी विनियोग सम्बन्धी क्रियाओ मे काफी वृद्धि हुई है। साधारणतया रीको सयुक्त क्षेत्र (joint sector) की परियोजनाओ की शेयर पूँजी (equity) मे 26% अश लेता है (जहाँ 49% शेयर पब्लिक को बेचे जाते हैं) तथा सहायता प्राप्त परियोजनाओ (assisted projects) का 10% से 15% तक शेयर पूँजी लेता है।

इसकी दो सहायक कम्पनियाँ (subsidiary companies) इस प्रकार हैं -

(i) राजस्थान कम्यूनिकेशन्स लि (RCL) (ii) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि (REL)। एक नई सहायक कम्पनी I G Telecom/Limited 20 मई 1988 को पजीकृत हुई है।

जून 1992 के अत मे रीको के औद्योगिक क्षेत्रो मे कुल 9 798 औद्योगिक इकाइयाँ उत्पादन मे सलग्न थीं।[1] 31 मार्च 1992 को इनकी सख्या 9 719 थी। मार्च 1992 के अत मे इसकी स्वय की चालू इकाइयो पर सयुक्त क्षेत्र की 10 व सहायता प्राप्त क्षेत्र की 405 इकाइयाँ कार्यरत थीं। इसने कई औद्योगिक प्रोजेक्ट पिछडे क्षेत्रो मे लगाये है तथा कुछ जनजाति क्षेत्रो मे लगाये हैं। इस प्रकार रीको पिछडे क्षेत्रो व जनजाति क्षेत्रो के विकास के लिये प्रयत्नशील रहा है।

वर्तमान मे रीको की स्वय की दो परियोजनाये इस प्रकार हैं- घडी व टू वे रेडियो सचार उपकरण परियोजनाये। राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि नामक टी वी इकाई मे पहले टेलीविजन सेटस बनाये जाते थे लेकिन अब यह बद कर दी गयी है। इसकी परिसम्पत्तियाँ (assets) भारत सरकार के उपक्रम इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि कोटा को हस्तान्तरित की गयी है।

रीको की वाच एसेम्बली इकाई ने लाउडस्पीकर डिजिटल क्लाक विद्युत इमरजेन्सी लाइट्स आदि के निर्माण की योजना बनाई है। घडियो की उत्पादन क्षमता बढाने का कार्यक्रम बनाया गया है। 31 मार्च 1992 तक कुल 32 02 647 घडियाँ एसेम्बल की जा चुकी है।

रीको ने सयुक्त क्षेत्र मे औद्योगिक परियोजनाओ की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है। सयुक्त क्षेत्र के प्रोजेक्टो मे ज्यादातर इकाइयाँ कार्पेट यार्न व सिन्थेटिक यार्न बनाती हैं। इनमे कुछ के नाम व स्थान इस अध्याय के अन्त मे एक परिशिष्ट मे दिये गये है। रीको ने स्वय के क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र), सयुक्त क्षेत्र व सहायता प्राप्त क्षेत्र सभी का विकास करने का प्रयास किया है। कुछ प्रोजेक्टो मे विदेशी टेक्नोलाजी का भी उपयोग किया गया है। आशा है रीको के प्रयत्नो से भविष्य मे इलेक्टोनिक्स उद्योग का विकास होगा तथा राज्य के पिछडे क्षेत्रो मे भी औद्योगिक इकाइयो का विस्तार होगा।

रीको इलेक्ट्रोनिक्स परियोजनाओ के विकास पर समुचित ध्यान दे रहा है। 1985 86 मे इलेक्टोनिक्स वस्तुओ के उत्पादन का मूल्य 70 करोड रुपये था जो 1991 मे बढकर 350 करोड रुपये हो गया है। इसकी इलेक्टोनिक्स की इकाइयाँ लघु, मध्यम व बडी सभी आकार की है और उनका निरतर विकास किया जा रहा है। सबसे अधिक व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट इस प्रकार हैं समटेल ग्रुप का टीवी ग्लास शेल प्रोजेक्ट, इन्स्ट्रमेन्टेशन लि का इलेक्टोनिक्स स्विचिग सिस्टम्स तथा मोदी ए आर ई का मोडेम्स (modems) आदि।

जैसाकि पहले बतलाया गया है ग्लास शेल प्रोजेक्ट 500 करोड रुपये की लागत से कोटा मे स्थापित किया जा रहा है। प्रथम चरण मे इसमे 200 करोड रुपये का विनियोग होगा। इलेक्टोनिक्स स्विचिग सिस्टम्स प्रोजेक्ट, कूकस (जयपुर) मे स्थापित किया जा रहा है। इसकी लागत 150 करोड रुपये होगी।

1 RIICO Newsletter Sep ember 1992 p 12

अन्य कई इलेक्टोनिक्स के प्रोजेक्ट क्रियान्वयन व विकास के विभिन्न चरणों मे है। इस प्रकार राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र मे काफी आगे बढ रहा है और भविष्य मे यह देश मे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगा।

रीको ने राज्य के बाहर काम करने वाले प्रवासी राजस्थानियो व अन्य लोगों को राजस्थान मे आकर उद्योग लगाने के लिये प्रेरित करने हेतु समय समय पर विभिन्न स्थानो मे 'औद्योगिक अभियान (industrial campaigns) आयोजित किये हैं। इससे कुछ उद्यमकर्ता राजस्थान आने के लिये तैयार हो पाये है। 1991 मे दिल्ली व कलकत्ता मे आयोजित अभियान काफी सफल माने गये है।

यह विदेशो मे बसे प्रवासी भारतीयो को भी आकर्षित करने का प्रयास करता रहता है ताकि राज्य मे औद्योगिक विनियोग बढ सके।

रीको द्वारा वित्तीय सहायता की प्रगति [1]

रीको द्वारा औद्योगिक इकाइयो को वित्तीय सहायता निम्न प्रकार से दी जाती हे

(i) इक्विटी मे योगदान देकर अर्थात् औद्योगिक इकाइयो की शेयर पूँजी मे भाग लेकर,

(ii) अवधि कर्ज (terms loans) देकर,

(iii) बिक्री कर की एवज मे ब्याज मुक्त कर्ज (interest free sales tax loan) देकर तथा

(iv) विनियोग सब्सिडी प्रदान करके।

लेकिन इसके द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने का मुख्य रूप अवधि कर्ज देना है जिसकी प्रगति नीचे दी जाती है।

अवधि-कर्ज (term loans) की प्रगति

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	स्वीकृत राशि (करोड रुपये)	वितरित राशि (करोड़ रुपये)
1990 91	36 1	12 6
1991 92	50 2	25 4
1992 93	53 9	35 8

इस प्रकार 1992 93 मे रीको द्वारा अवधि कर्ज की स्वीकृत राशि 53 9 करोड रुपये हो गई जो पिछले वर्ष से अधिक थी तथा वितरित राशि 35 8 करोड

---

1 23rd Annual Report of RIICO 1991 92 Directors' Report, pp (iii)-(xx) & 1992 93 प्रगति के लिए The Economic Times 18 April, 1993 p 10

रुपये हो गई जो पिछले वर्ष से 40% अधिक थी। 1992 93 मे वितरित राशि मे प्रतिशत वृद्धि की दृष्टि से रीको का देश में प्रथम स्थान रहा है।

1992 93 मे स्वीकृत अवधि कर्ज की राशि 53 9 करोड रुपये उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 52 5 करोड रुपये से अधिक रही। प्रतिभूति घाटाले अयोध्या की घटनाओ व बम्बई के साम्प्रदायिक दगो के बावजूद यह प्रगति सराहनीय मानी जा सकती है। 1992 93 मे अवधि कर्ज की वसूली (recovery) 26 8 करोड रुपये की रही जो पिछले वर्ष से 26% अधिक थी।

1992 93 को अवधि मे 79 परियोजनाओ का अनुमोदन किया गया जिनमे कुल विनियोग की राशि 3050 करोड रुपये आकी गयी है जो अपने आप मे एक रिकार्ड है। इसी वर्ष 14 मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेडिग (MOUs) पर हस्ताक्षर किये गये जो रीको व उद्यमकर्ताओ के बीच हुए थे।

वित्तीय सहायता के अन्य रूपो मे प्रगति इस प्रकार रही

(करोड़ रु)

(अ) इक्विटी (Equity)	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
1990 91	1 14	0 81
1991 92	1 89	1 51
1992 93	11 20	6 48
(आ)विनियोग सब्सिडी 1990 91	3 26	(वितरित नहीं)
1991 92	6 36	3 28

इस प्रकार रीको ने ब्याज मुक्त बिक्री कर को एवज मे कर्ज व बीज पूँजी के रूप मे भी वित्तीय सहायता प्रदान की है।

पिछले वर्ष का समायोजन करने व मूल्य ह्रास तथा कर देने के बाद 1990 91 मे रीको को 1 1 करोड रुपये का लाभ हुआ जो बढकर 1991 92 मे 5 5 करोड रुपये तक पहुँच गया ।

रीको ने विभिन्न उद्योगो के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने औद्योगिक क्षेत्रो का विकास करने सयुक्त क्षेत्र मे उद्योगो की स्थापना करने तथा अन्य उद्योगो को वित्तीय सहायता देने मे महत्वपूर्ण योगदान दिया ह जिसका आगामी वर्षों मे और विस्तार किया जायेगा।

रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की प्रगति-[1]

जून 1992 के अत तक रीको ने 187 औद्यौगिक क्षेत्र विकसित किये थे। इसके सम्बन्ध मे मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं -

(i) अधिग्रहित भूमि (land acquired) 27 796 एकड

(ii) विकसित भूखण्डों (plots) की सख्या 20 185

(iii) आवंटित भूखण्ड (plots allotted) 22,110 (सकल)

(iv) उत्पादन मे सलग्न इकाइयाँ (Units) 9 798

उपर्युक्त आकडो से स्पष्ट होता है कि रीको भूमि प्राप्त करने व विकसित करने के कार्य मे काफी सक्रिय रहा है। लेकिन विकसित भूमि व आवटित भूमि के बीच काफी अतर पाया जाता है। जून 1992 के अत तक आवंटित भूखण्डो की सख्या विकसित भूखण्डो से अधिक पायी गयी। अत भूखण्डो के विकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रो का चुनाव सही नहीं हुआ है। प्रत्येक जिले मे कुछ औद्योगिक क्षेत्रो की स्थापना एक राजनीतिक प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है। अधिकाश औद्योगिक क्षेत्रो मे जल परिवहन व सचार की सुविधाओ की कमी पायी जाती है। इससे उद्यमकर्ताओ को काफी कठिनाई का सामना करना पडता है। इस सम्बन्ध मे सुधार की नितात आवश्यकता है।

राजस्थान वित्त निगम (Rajasthan Financial Corporation)

यह लघु व मध्यम पैमाने के उद्योगो को वित्तीय सहायता देने के लिये 1955 मे स्थापित किया गया था। यह एक वैधानिक निगम है जिसे राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अन्तर्गत स्थापित किया गया है। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं

(i) औद्योगिक इकाइयो को कर्ज व अग्रिम राशियाँ प्रदान करना,

(ii) औद्योगिक इकाइयो को कर्ज देने के मामले मे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक विकास बैक या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के एजेन्ट के रूप मे कार्य करना,

(iii) औद्योगिक इकाइयों द्वारा लिये गये कर्जों पर गारटी देना अथवा इनके द्वारा जारी किये गये स्टॉक शेयर, डिबेन्चर व अन्य प्रतिभूतियों को खरीदना या उनका अभिगोपन करने (Underwrite) मे योगदान देना तथा

(iv) नई औद्योगिक इकाइयो को सीड पूँजी (seed capital) देना, औद्योगिक इकाइयो को ब्याज मुक्त कर्ज (बिक्री कर की एवज में) देने की व्यवस्था करना

---

1 RIICO Newsletter September 1992 p 12

औद्योगिक सब्सिडी देना तथा अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता या सेवा प्रदान करना, जो औद्योगिक उपक्रमो की स्थापना, प्रवर्तन विस्तार या पुनर्जीवन (revival) के लिये आवश्यक मानी जाती हैं। यह निगम उद्योग, खनन, परिवहन, होटल आदि के लिये कर्ज की व्यवस्था करता है। राजस्थान वित्त निगम की लघु व मध्यम उद्योगो को वित्तीय सहायता देने की कई स्कीमे कार्यरत हैं। इनका परिचय नीचे दिया जाता है।[1]

(1) कम्पोजिट कर्ज की स्कीम इसके अन्तर्गत ग्रामीण व अर्द्ध शहरी क्षेत्रो मे दस्तकारो, कुटीर उद्योगो व टाइना क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों मे सलग्न व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। 1991 92 मे 606 उद्यमकर्ताओ को लगभग 1 91 करोड रुपये की सहायता दी गई। मार्च, 1992 के अन्त तक इस स्कीम के अन्तर्गत कुल 42 6 करोड रुपये के कर्ज की व्यवस्था की जा चुकी है। इससे उत्पादन व स्वरोजगार बढाने मे मदद मिली है।

(2) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उद्यमकर्ताओ को प्रोत्साहन देने के लिये उनको उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

(3) शिल्पबाडी स्कीम यह स्कीम 1987 88 मे ग्रामीण व शहरी शिल्पकारो व दस्तकारो को लाभ पहुँचाने के लिये प्रारम्भ की गई थी। अब तक 160 शिल्पबाडियाँ स्थापित की गई हैं जिनमे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगो के लिये मकान वर्क-शेड उपकरण कच्चा माल व कार्यशील पूँजी के लिये प्रति शिल्पी 50 हजार रुपये तक की राशि उपलब्ध की गयी है। इसके अन्तर्गत शिल्पियो को भवन निर्माण के लिये कुछ राशि अनुदान के रूप मे उपलब्ध की जाती है। 1990 91 मे 327 कारीगरो को 0 87 करोड रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी। 1991 92 मे 51 कारीगरो को 3 शिल्पबाडी स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी।

(4) टेक्नोक्रेट स्कीम इसके अन्तर्गत तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियो को सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे स्वरोजगार मे सलग्न हो सके।

(5) भूतपूर्व सैनिको के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारत सरकार के (पुनर्वास) निदेशालय द्वारा सचालित स्कीमो के अन्तर्गत स्वरोजगार के कार्यक्रम लागू किये गये हैं। यह SEMFEX स्कीम कहलाती है।[2]

(6) महिला उद्यमकर्ता महिला वर्ग मे स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिये विशेष अभियान चलाये गये हैं। 1991 92 मे 116 महिलाओ को 3 60 करोड रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।

---

1 37th Annual Report, 1991 92, RFC Directors Report, pp 1 12

2 Self-employment For Ex servicemen

(7) सब्सिडी की एवज में कर्ज की स्कीम 30 सितम्बर, 1988 के बाद केन्द्रीय सब्सिडी के बद हो जाने पर निगम ने सब्सिडी की एवज मे कर्ज देने की स्कीम प्रारम्भ की ताकि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना मे बाधा न पडे।

(8) सहायता का एक खिड़की स्कीम (single window scheme) निगम ने इस स्कीम के अन्तर्गत इकट्ठे 7 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया है जिसमे 5 लाख रुपये स्थिर पूँजी के होते हैं और 2 5 लाख रुपये कार्यशील पूँजी के होते हैं। इससे एक ही सस्था से उद्यमकर्ता की दोनो प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दिशा मे उपयोगी कदम उठाया गया है। इस स्कीम के तहत आने वाले प्रोजेक्टो की सीमा 10 लाख रुपये से बढाकर 30 लाख रुपये कर दी गयी है।

इस प्रकार *निगम ने वित्तीय सहायता देने के विभिन्न कार्यक्रम सचालित* किये है। इससे दगा प्रभावित क्षेत्रो को भी लाभ पहुँचा है। पर्यटन को समुन्नत करने के लिये होटल उद्योग के विकास के लिये कर्ज दिये गये है।

निगम के वित्तीय साधन [1]

राजस्थान वित्त निगम के पूँजीगत साधन निम्न स्रोतो से प्राप्त किये जाते है (i) शेयर पूँजी से जिसकी राशि 31 मार्च, 1992 को 55 175 करोड रुपये (परिदत्त पूँजी) थी। यह राशि स्पेशल शेयर पूँजी के बिना थी। 2 करोड रुपये की स्पेशल शेयर पूँजी राज्य सरकार व IDBI के पास थी। (ii) इसे IDBI व SIDBI (लघु बैंक) दोनो से पुनर्वित्त के रूप मे सहायता मिलती है। (iii) निगम बाड जारी करके भी वित्तीय साधन जुटाता है तथा अपने रिजर्व कोष का भी प्रयोग करता है।

निगम द्वारा वित्तीय सहायता की स्वीकृत व वितरित राशि का विवरण निम्न तालिका मे दिया गया है

(करोड़ रु)

	1989 90	1990 91	1991 92	1992 93
स्वीकृत राशि	110 2	126 6	162 6	168 0
वितरित राशि	65 0	80 5	101 5	107 8

इस प्रकार इसके द्वारा वित्तीय सहायता के वितरण की राशि 1992 93 मे 107 8 करोड रुपये रही जो पिछले वर्ष से 6 3 करोड रुपये अधिक थी। समस्त भारत मे विभिन्न राज्य वित्त निगमो द्वारा कुल वितरित राशि मे राजस्थान वित्त

---

1 37th Annual Report, 1991 92 RFC p 10

निगम का योगदान मार्च, 1992 तक 6 6% रहा जो सतोषजनक माना जा सकता है। मार्च, 1992 तक 683 8 करोड रुपये की कुल वितरित राशि मे 438 करोड रुपये की राशि पिछडे क्षेत्रो (backward areas) को मिली जो कुल राशि का 64% (लगभग 2/3) थी। इस प्रकार निगम ने अपेक्षाकृत पिछड़े व कम विकसित क्षेत्रो के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। 1955 56 मे इसके द्वारा वितरित राशि केवल 1 85 करोड़ रुपये रही थी। इस प्रकार अपने कार्यकाल मे इसने वितरित राशि मे काफी प्रगति की है। 1992 93 मे कर्ज की वसूली 110 82 करोड रुपये की हुई। 1992 93 मे ऋण-स्वीकृतियो के आधार पर 200 करोड रुपये का पूँजी विनियोजन हुआ है जिससे 15 हजार लोगो को रोजगार उपलब्ध किया जा सकेगा।

1993 94 के लिए निगम ने 180 करोड़ रुपये की ऋण-स्वीकृति तथा 120 करोड रुपये के ऋण वितरण एव 127 करोड रुपये की ऋण-वसूली का लक्ष्य (target) रखा है। निगम अब खनन कार्यों के लिए भी ऋण देगा और इस क्षेत्र के नये उद्यमियो को 10 लाख रुपये की कार्यशील पूँजी भी देगा।[1]

विभिन्न जिलो के अनुसार वितरित राशि काफी असमान रही है। जयपुर जिले मे अधिक राशि वितरित हुई जबकि जैसलमेर जिले मे कम राशि वितरित की गई है। लेकिन इसका प्रमुख कारण विभिन्न जिलो के लिए प्रोजेक्टो की मात्रा मे अन्तर पाया जाना रहा है।

वार्षिक लाभ की स्थिति - 1989 90 से निगम के लिए कर से पूर्व लाभ की स्थिति इस प्रकार रही। इसमे मूल्य ह्रास के बाद शुद्ध लाभ दिखाया।

कर से पूर्व शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये में)		
1989 90	1990-91	1991 92
7 38	6 12	8 37

1991-92 मे 2 61 करोड रुपये के कर का प्रावधान करने के बाद इसको 5 76 करोड रुपये का विशुद्ध लाभ प्राप्त हुआ ।

आगामी वर्षों मे राजस्थान वित्त निगम को राज्य के औद्योगिक विकास मे और भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इसके लिए इसके वित्तीय साधनो मे वृद्धि करनी होगी तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता बढाने के प्रयास करने होगे। विभिन्न स्कीमों का पुनरीक्षण करना होगा ताकि उनसे अधिक लाभ प्राप्त किये जा सके। निगम अब खनिज क्षेत्र के अलावा राज्य के विभिन्न हिस्सो मे होटल, मोटल एवं रेस्टोरेट आदि खोलने के लिए भी ऋण देगा। पर्यटन के विकास के लिए

---

1 राजस्थान पत्रिका, 26 अप्रैल, 1993 पृ० 6

विश्राम स्थल स्थापित करने एव बडे शहरो व जिला मुख्यालयो मे शो रूम खोलने के लिए भी पूँजी की व्यवस्था करेगा।

(3) राजस्थान लघु उद्योग निगम लि (राजसीको) (Rajasthan Small Industries Corporation Ltd) (RAJSICO)

यह जून 1961 मे एक सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप मे कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत स्थापित किया गया था।

इसके मुख्य कार्य निम्नाकित है

(i) यह लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयो को कच्चे माल साख तकनीकी व प्रबधकीय सहायता वस्तुओ की बिक्री प्रशिक्षण आदि के रूप में मदद देता है तथा उनके हितो को आगे बढाता है

(ii) उद्यमकर्ताओ व दस्तकारो को आवश्यक सुविधाए प्रदान करके हस्तशिल्प क्रियाओ का विकास करता है

(iii) बडे पैमाने व लघु पैमाने की इकाइयो मे आवश्यक समन्वय व ताल मेल स्थापित करता है ताकि लघु पैमाने की इकाइयाँ बडे पैमाने के लिए सहायक माल तैयार कर सके

(iv) ऊनी यार्न गलीचो कम्बलो आदि का उत्पादन कर सकने के लिए सयत्र प्राप्त करना स्थापित करना तथा उनको चलाना एव

(v) लघु उद्योगो मे सयत्रो की उत्पादन क्षमता का उपयोग कराने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

पूँजी का ढांचा 1989 90 मे इसके कुल वित्तीय साधन 6 15 करोड रुपये के थे जिनमे राज्य सरकार की परिदत्त पूँजी की राशि 3 99 करोड रुपये थी तथा राज्य सरकार के अलावा अन्य स्रोतो से अवधि कर्ज को राशि 1 38 करोड रुपये थी। शेष राशि अन्य स्रोतो से प्राप्त परिदत्त पूँजी व रिजर्व तथा सरप्लस के रूप मे थी।

यह निगम कच्चा माल एकत्र करके उसके वितरण की व्यवस्था करता है। इसके मार्फत लोहा व इस्पात कोयला व कोक जस्ता स्टेनलेस स्टील ब्रास शीट आदि वितरित किये जाते है। यह दस्तकारों के 12 एम्पोरियम भी चलाता है जिनमे बिक्री की व्यवस्था की गई है। इसके द्वारा गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चालू किये गये है जिनकी सख्या 1989 90 में 33 थी जिनमे से 4 केन्द्र जनजाति क्षेत्रो मे स्थापित किये गये थे।

निगम के देखरेख मे चुरू व लाडनूं की ऊनी मिले सचालित की गयी हैं। यह टोक में मयूर बीडी फैक्टी चलाता रहा है तथा तेदू की पत्तियो का सग्रह करवाता है। इसने सागानेर एयरपोर्ट पर 'एयर कारगो काम्पलेक्स की स्थापना में

मदद दी है जिससे निर्यात मे वृद्धि हुई है। भविष्य मे इसका कार्यक्रम ऊन आधारित होजियरी काम्पलेक्स व टक चेसिस के लिए सहायक इकाइयाँ चालू करने का है। इसने एक फर्नीचर बनाने का केन्द्र जयपुर में चालू किया है।

निगम की वित्तीय कार्य सिद्धि- राजस्थान लघु उद्योग निगम लगातार घाटे मे चलता रहा है। 1980-81से 1990 91 तक के ग्यारह वर्षों मे इसे 10 वर्षों मे घाटा रहा। 1985 86 मे घाटे की राशि लगभग 72 लाख रुपये रही जो सर्वाधिक थी। पिछले वर्षों मे घाटे की स्थिति निम्न तालिका मे दर्शायी गयी है

वर्ष	निगम का घाटा (लाख रुपये में)
1988 89	3 9
1989 90	10 5
1990 91	29 6

निगम का घाटा 1990 91 मे 29 6 लाख रुपये का रहा जो पिछले वर्ष से अधिक था। भविष्य में इसकी स्थिति सुधारने के लिए इसके कार्यों की ठीक से जाँच पडताल की जानी चाहिए ताकि इस सम्बन्ध मे आवश्यक उपाय काम मे लिये जा सके।

वर्षों तक घाटा उठाने के बाद इसे 1991 92 मे 5 लाख रुपये का मामूली सा मुनाफा हुआ है। चुरू व लाडनू की ऊनी मिलो मे लगातार घाटा हुआ है।

औद्योगिक विकास मे योगदान देने वाले अन्य निगम व सगठन

(1) सार्वजनिक उपक्रमो का ब्यूरो (Bureau of Public Enterprises)

राजस्थान मे राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो की स्थापना की गई है जिसमें वित्त सचिव व उद्योग सचिव भी सदस्य है। इसमे राजकीय उपक्रमो में दो मुख्य अधिकारी व दो अन्य विशेषज्ञ भी सदस्य के रूप मे लिये जाते हैं।

ब्यूरो के कार्य इस प्रकार हैं-

(i) सभी राजकीय सार्वजनिक उपक्रमो के कार्यों की समीक्षा करना व इनका मूल्याकन करना (ii) इनके प्रबध टेक्नोलोजी आदि मे सुधार के उपाय सुझाना (iii) विभिन्न उपक्रमो मे कर्मचारी सम्बन्धी नीतियों कल्याण कार्यों मजदूरी ढाँचे आदि मे समरूपता लाना (iv) कर्मचारियो के प्रशिक्षण, स्टाफ भवन निर्माण की स्कीमो आदि सुविधाओ की व्यवस्था करना तथा (v) उपक्रमो के बारे मे सूचना एकत्र करना व उसे प्रसारित करना।

(2) उद्योग निदेशालय (Directorate of Industries)

इसका मुख्य उद्देश्य लघु, टाइनी ग्रामीण व दस्तकारी क्षेत्र के विकास मे मदद करना है ताकि राज्य का तेजी से औद्योगीकरण हो सके। इसके लिए यह

जिला उद्योग केन्द्रों के लिए वार्षिक कायकारी योजनाएँ बनाता है लघु व शिल्पकारो की इकाइयो का पजीकरण करता है स्थानीय साधनो का उपयोग करके रोजगार-सवर्द्धन व विकास में प्रादेशिक सतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। यह औद्योगिक सर्वेक्षण कराता है तथा प्रोजेक्ट रिपोर्टें तैयार करने मे सहायता देता है। यह औद्योगिक अभियान मे योगदान देता है। इसके कार्य विविध प्रकार के होते है। यह वित्तीय सहायता विपणन निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक सहकारिताओं हथकरघा उद्योग ग्रामीण औद्योगीकरण, जनजाति मरुप्रदेश व नहरी क्षेत्रो के औद्योगिक विकास नमक उद्योग, रुग्ण व बद इकाइयो आदि के सम्बन्ध मे आवश्यक योगदान देता है।

(3) जिला उद्योग केन्द्र (District Industries Centres) -

यह जिला स्तर पर एक केन्द्र चालित कार्यक्रम है जो कुटीर व ग्रामीण तथा लघु व टाइनी उद्योगो से सम्बन्धित सेवाएँ प्रदान करता है। इसमे ग्रामीण व छोटे कस्वो मे उद्योगो को प्रोत्साहन मिलता है तथा बडे पैमाने पर रोजगार के अवसर खुलते हैं। राज्य के 30 जिलो मे ये केन्द्र कार्यरत है। ये साधनो की उपलब्धि की जाँच करते हैं साख की सुविधा प्रदान करते हे विपणन सहायता देते है एव ग्रामीण विकास खण्डो व खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड हथकरघा विकास निगम राजसीको आदि के बीच कडी स्थापित करने का कार्य करते है।

इनके अलावा राजस्थान खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड हथकरघा विकास निगम आदि सस्थाएँ भी अपने अपने क्षेत्र मे औद्योगिक इकाइयो का विकास करने मे कार्यरत है।

अखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय सस्थाओ द्वारा राज्य मे औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय सहायता - [1]

अखिल भारतीय वित्तीय सस्थाओ ने राजस्थान को बहुत कम वित्तीय सहायता प्रदान की है। वित्तीय सस्थाओ द्वारा वितरित राशि का विवरण इस प्रकार है।

(अ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) ने राजस्थान को 1948 92 की अवधि मे लगभग 447 5 करोड रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की। मार्च 1992 तक कुल वितरित सहायता मे राजस्थान का अश 5 2% था जबकि महाराष्ट्र का 16% था।

(आ) भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग निगम (ICICI) ने मार्च 1992 तक राजस्थान को लगभग 519 8 करोड रुपये की प्रोजेक्ट वित्त सहायता

---

1 Report on Development Banking in Ind a 1991 92 IDBI December 1992 Various tables p 107 p 113 p 121 p 133 p 159 p 165 & p 179

वितरित की। अब तक की वितरित राशि मे राजस्थान का अश 4 1% तथा महाराष्ट्र का 27 2% रहा है।

(इ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) ने 1964 92 की अवधि मे राजस्थान को लगभग 1550 करोड रुपये की सहायता वितरित की। अब तक की वितरित राशि मे राजस्थान का अश 4 2% तथा महाराष्ट्र का 15 3% रहा।

(ई) अन्य अखिल भारतीय सस्थाओ द्वारा वितरित सहायता की राशि- भारतीय यूनिट टस्ट ने मार्च 1992 तक राजस्थान को कुल 143 7 करोड रुपये *की सहायता वितरित की जो कुल वितरित राशि का 2 1% मात्र था।* भारतीय आद्योगिक पुनर्निमाण बेंक (IRBI) ने मार्च 1992 तक लगभग 37 9 करोड रुपये की सहायता वितरित की जो इसके द्वारा कुल वितरित राशि का 3 5% रही थी। जीवन बीमा निगम ने 109 4 करोड रुपये की सहायता राजस्थान को वितरित की जो कुल सहायता का 2 6% मात्र थी।

इस प्रकार देश की विशिष्ट वित्तीय सस्थाओ ने अब तक राजस्थान को बहुत कम मात्रा मे वित्तीय सहायता वितरित की है। इसका कारण राजस्थान मे प्रस्तुत किये जाने वाले प्रोजेक्टो का अभाव माना गया है।

इन विभिन्न सस्थाओ द्वारा 1990 91 व 1991 92 की अवधि मे राजस्थान को वितरित की गई सहायता की राशियाँ निम्न तालिका मे दर्शायी गयी है जिससे विभिन्न सस्थाओ के सापेक्ष योगदान का अनुमान लगाया जा सकता है।

राजस्थान को विभिन्न सस्थाओ द्वारा वितरित राशि की मात्रा

(करोड रु मे)

		1990-91	1991-92
1	IFCI	80 5	90 1
2	ICICI	62 9	86 5
3	IDBI	157 9	226 2
4	LIC	17 2	18 1
5	UTI	20 2	25 4
6	IRBI	3 9	3 8

इस प्रकार अखिल भारतीय सस्थाओ मे राजस्थान के लिए सर्वाधिक योगदान भारतीय ओद्योगिक विकास बेक (IDBI) का रहा है जिसके द्वारा वितरित सहायता की राशि 1991 92 मे 226 करोड रुपये की रही थी।

भविष्य मे राज्य मे ओद्योगिक विकास की गति के तेज होने की आशा है। तब अखिल भारतीय सावजनिक वित्तीय सस्थाओ तथा राज्य स्तरीय वित्तीय सस्थाओ पर उद्योगो के लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी

आयेगी। आशा है भविष्य मे ये सस्थाएँ वित्त की समुचित व्यवस्था कर पायेगी और उद्योगो का विकास वित्त के अभाव मे अवरुद्ध नहीं होगा।

प्रश्न

1 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम (रीको) के कार्यों पर प्रकाश डालिए। इसकी प्रगति की समीक्षा कीजिए।

2 निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए -

(ı) राजस्थान वित्त निगम- कार्य व प्रगति

(ıı) राजस्थान लघु उद्योग निगम की राज्य के औद्योगिक विकास मे भूमिका

(ııı) रीको के कार्य व प्रगति का विवरण।

3 राजस्थान के औद्योगिक विकास में किस वित्तीय सस्था का योगदान सर्वोपरि रहा है और क्यो ? समझाकर लिखिये।

4 राजस्थान मे औद्योगिक विकास मे लगी विभिन्न वित्तीय सस्थाओ का वर्णन कीजिए।

(Raȷ I yr 1992)

5 राजस्थान के औद्योगिक विकास मे RFC RIICO एव RAJSICO की भूमिका की विवेचना करे।

(Aȷmer I yr 1992)

परिशिष्ट

(ı) मार्च 1992 के अत मे रीको के तत्वावधान मे सयुक्त क्षेत्र (Joınt Sector) की कुछ परियोजनाएँ इस प्रकार हैं

	नाम व स्थान	उत्पादित वस्तु का नाम
1	जयपुर मिन्टेक्स लि., बहरोड	सिन्थेटिक यार्न
2	राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि जयपुर	दवाए
3	राजस्थान एक्सप्लोजिव्स एण्ड केमिकल्स लि., धौलपुर	विस्फोटक (detonators)
4	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लि., जयपुर (REIL)	विद्युत मिल्क टेस्टर (tester)
	(दूध विश्लेपक यन्त्र इसे केन्द्रीय उपक्रम भी माना गया है)	
5	डरबी टेक्सटाइल्स लि जोधपुर	सिन्थेटिक यार्न

6 स्वदेशी सीमेंट लि., कोटपूतली सीमेंट

संयुक्त क्षेत्र की अधिकांश इकाइयाँ सिन्थेटिक यार्न बनाती हैं एवं शेष अन्य वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। पहले कई इकाइयाँ संयुक्त क्षेत्र में स्थापित हुई थीं लेकिन उनके प्रवर्तकों द्वारा वे शेयर खरीद लिये जाने पर जो पहले रीको ने खरीदे थे अर्थात् 'बाइ-बेक' (buy back) की नीति के अन्तर्गत कार्यवाही हो जाने पर, वे अब संयुक्त क्षेत्र में नहीं हैं। वे अब निजी क्षेत्र की इकाइयाँ बन गई हैं। इसके अलावा कुछ संयुक्त क्षेत्र की इकाइयाँ रुग्ण हो जाने से बन्द भी हो गई हैं, तथा कुछ औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) के तहत विचाराधीन हैं। अतः वर्तमान में संयुक्त क्षेत्र की इकाइयाँ बहुत कम रह गयी हैं।

(ii) रीको की सहायता-प्राप्त क्षेत्र की इकाइयाँ (Assisted Sector Units)

रीको ने संयुक्त क्षेत्र के अलावा सहायता प्राप्त क्षेत्र परियोजनाओं (Assisted Sector Projects) को भी प्रोत्साहित किया है जिनमें कई इकाइयों में उत्पादन चालू हो गया है, कुछ क्रियान्वयन की अवस्था में हैं, तथा कुछ इकाइयाँ फिलहाल पाइप-लाइन में हैं। जिन इकाइयों में उत्पादन चालू हो गया है उनमें सूती व ऊनी उद्योग, वनस्पति तथा ग्रेनाइट व संगमरमर आदि की इकाइयाँ हैं। वित्तीय साधनों के अभाव के कारण आजकल रीको संयुक्त क्षेत्र की तुलना में सहायता-प्राप्त क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता देने लगा है क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत कम मात्रा में पूँजी लगानी होती है। मार्च 1992 के अंत में इनकी संख्या 405 आकी गयी है।

रीको ने कुछ सहायता प्राप्त इकाइयों की स्थापना में योगदान दिया है, वे इस प्रकार हैं

	नाम व स्थान	उत्पादित वस्तु
1	अभिषेक ग्रेनाइट्स लि. आबू रोड	मार्बल टाइल्स
2	एलाइड इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड मैग्नेटिक्स लि., उदयपुर।	कम्प्यूटर की फ्लोपी डिस्क
3	ग्लोबल ग्रेनी मार्मो लि. आबू रोड	ग्रेनाइट कटिंग
4	गुलशन केमिकल्स लि., भिवाडी	केमिकल्स
5	परमानन्दपुरिया सिन्थेटिक्स लि., भिवाडी	फिलामेंट यार्न की टेक्सचराइजिंग
6	सोदी एल्केलीज एण्ड केमिकल्स लि., अलवर	कॉस्टिक सोडा व सहायक पदार्थ
7	के (kay) पैलीप्लास्ट लि., उदयपुर	एच डी पी ई बैग्स
8	अर्मा मार्बल्स लि., आबू रोड	मार्बल कटिंग एण्ड स्लेब्स

14

पर्यटन-विकास
(Tourism Development)

परिचय - राजस्थान मे उद्योगो के साथ साथ पर्यटन के विकास की काफी सम्भावनाएँ है। यहाँ के प्रमुख शहर जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर आदि अपनी अपनी ऐतिहासिक परम्पराओ व कलाओ के लिए जाने जाते हैं। जयपुर का सिटी पैलेस हवा महल रामबाग पैलेस जतर मतर, और सैन्ट्रल म्यूजियम प्रसिद्ध है। जयपुर के पास कनक वृन्दावन आमेर व सिसोदिया रानी का बाग दर्शनीय व रमणीय स्थल हैं। अजमेर मे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह धार्मिक स्थल के रूप मे सारे ससार मे प्रसिद्ध है। जोधपुर के मोती महल, फूल महल व मान महल तथा सिलह खाना (Silch khana) पत्थर पर कारीगरी के अद्भुत नमूने है। उदयपुर अपनी झीलो फव्वारो व महलो के लिए विख्यात है। सहेलियो की बाड़ी प्रताप स्मारक उदयपुर से 48 किलोमीटर दूर जयसमद कृत्रिम झील तथा रनकपुर के जैन मन्दिर प्रसिद्ध हैं। माउण्ट आबू मे एक हजार वर्ष पुराने देलवाडा के जैन मन्दिर उच्च श्रेणी के मार्बल से बने है। इसी प्रकार राज्य मे अन्य छोटे छोटे कस्बो की हवेलियों की चित्रकारियाँ भी मनमोहक है और राज्य के विभिन्न त्योहार, उत्सव मेले गीत सगीत, नृत्य, कलाकृतियाँ लोक-कथाएँ, आदि बरबस देशी व विदेशी पर्यटको को सदियो से आकर्षित करती रही है और भविष्य मे भी करती रहेगी।

इस अध्याय मे पर्यटन विकास के विभिन्न पहलुओ पर प्रकाश डाला जायगा।

(अ) राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका

(1) विदेशी मुद्रा का अर्जन- आज समस्त विश्व मे पर्यटन को एक महत्वपूर्ण उद्योग माना जाने लगा है। भारत को भी पर्यटन से प्रति वर्ष कई अरब रुपयो की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसमे राजस्थान का काफी ऊँचा योगदान होता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर कहा जाता है कि भारत भ्रमण के लिए आने वाले तीन विदेशी पर्यटको मे से एक राजस्थान अवश्य आता है। इससे राजस्थान विदेशी मुद्रा अर्जित करने मे मदद दे पाता है। राजस्थान मे पर्यटको विशेषतया विदेशी पर्यटको का आगमन काफी बढ गया है। 1984 मे देशी पर्यटको की सख्या 30 40 लाख व विदेशी पर्यटकों की सख्या 2 60 लाख थी जो 1992

मे बढकर कमश 45 लाख तथा 5 लाख हो गई। 1992 मे विदेशी पर्यटको की सख्या मे एक लाख की वृद्धि हुई। [1]

इस प्रकार सातवीं योजना मे पर्यटको की सख्या मे वृद्धि हुई। 1978 79 मे 21% विदेशी पर्यटक राजस्थान आया करते थे 1992 मे इनकी सख्या 33% तक पहुँच गयी है। अब सामान्यतया एक तिहाई विदेशी पर्यटक राजस्थान आने लगे है। आजकल पर्यटको का आना जाना सभी मौसमो मे बना रहता है। [2]

(2) रोजगार का साधन अब राज्य मे पर्यटन को 'उद्योग' का दर्जा दे दिया गया है। इसमे किये गये विनियोग की तुलना मे यह काफी रोजगार के साधन उपलब्ध कर सकता है। यह माना जाता है कि प्रत्येक आठ विदेशी पर्यटको पर राज्य मे एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है तथा प्रत्येक 32 स्वदेशी पर्यटको पर एक व्यक्ति के लिए रोजगार का अवसर खुलता है। पर्यटको से होटल परिवहन हथकरघा उद्योग दस्तकारियो आदि के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास होने से पर्यटन स्थलो मे कई अन्य उद्योग भी पनपते है। इस प्रकार पर्यटन के विकास मे प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार से रोजगार के अवसर बढते हैं। भारत में कश्मीर की अर्थव्यवस्था तो पूर्णतया पर्यटन पर आश्रित है। गोवा की अर्थव्यवस्था भी बहुत कुछ पर्यटन पर आधारित है। कश्मीर क्षेत्र के समस्याग्रस्त होने के कारण पिछले वर्षों मे पर्यटको को गोवा व राजस्थान की ओर मुडना पडा है। गोवा जैसे रमणीय समुद्रतटीय स्थल अन्य देशो में भी देखने को मिल सकते है लेकिन राजस्थान कुछ विशेष कारणो से विदेशी पर्यटको के लिए आकर्षण का केन्द्र बनता जा रहा है।

(3) सास्कृतिक व कलात्मक धरोहर का सरक्षण व सदुपयोग- पर्यटन का विकास करने से सास्कृतिक आदान प्रदान के अवसर बढते है और लोगो का मानसिक क्षितिज विस्तृत होता है। राज्य मे शेखावाटी इलाके की हवेलियो मे दीवारो पर बनी चित्रकारी ने पर्यटको को आकर्षित किया है। झुन्झुनूं जिले के महानगर (महणसर) ग्राम की हवेली के भीतरी भाग की सोना चादी की हवेली के अनुरूप मनोरम चित्रकारी प्रसिद्ध है। नवलगढ मे कई करोडपतियों की हवेलियाँ पर्यटको के लिए देखने लायक है। इनमे मोरे की हवेली तथा पोदारो सेकसरिया भगत मानसिघका छावछरिया आदि की हवेलियो मे मनमोहक चित्र अकित है।

---

1 राज पत्रिका 19 अप्रैल, 1993 पृ 6

2 Strategy of Development of Tourism with special reference ot RTDC during five year plan period in Hight Power Committee Report on Strategy for Industrial Development in Eighth five year plan Vol II 1989 p 171

इन चित्रो में झाकता जीवन अत्यंत रोचक प्रतीत होता है। हालांकि ये हवेलियाँ आज सूनी पडी हैं क्योंकि इनके ज्यादातर सेठ लोग बडे शहरो मे बस गये हैं, लेकिन यहाँ से उनका सम्पर्क अभी भी बना हुआ है।[1] इसी प्रकार अन्य कस्बो जैसे मण्डावा आदि की हवेलियो में बने चित्र व उनके बाहरी दृश्य पर्यटकों को लुभावने लगते हैं। उनका पर्यटन-विकास-माला में उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न नगरो में महल, किले व अन्य इमारतें , झीलें आदि पर्यटकों को अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ के मेलो, त्योहारो आदि पर जो उत्सव, नृत्य व सगीत के कार्यक्रम होते है उनको देखकर विदेशी पर्यटक हर्षित होते है और लोक कलाकारो को विशेषतया कठपुतली के खेल, आदि में अपनी प्रतिभा व दक्षता दिखाने का तथा उन्हे विकसित करने का सुअवसर मिलता है। जैसलमेर का मरु-मेला वास्तव में काफी अद्भुत किस्म का माना गया है और प्रतिवर्ष काफी पर्यटको को आकर्षित करता है। इस प्रकार आज भी राजस्थान 'सास्कृतिक पर्यटन' मे योगदान बनाये हुए है, हालांकि पर्यटन के आधुनिक रूप जैसे अवकाश-पर्यटन (holiday tourism), सफारीज (जैसे ऊँट पर पर्यटको का भ्रमण (camel safari) वन्य जीव अभयारण्यो (wild life sanctuaries) आदि) का विकास भी तेजी से हो रहा है। आमेर मे 'हाथी-सफारी' का भी कुछ सीमा तक उपयोग होता है।

इसलिए राजस्थान मे पर्यटन का कई दृष्टियों से महत्त्व है, लेकिन भारत मे विदेशी मुद्रा के अभाव की स्थिति मे राज्य मे भी इसी पक्ष पर विशेष रूप से बल दिया जाना स्वाभाविक है। अत राजस्थान को पर्यटन का विकास करके राज्य की अर्थव्यवस्था को सबल करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। इससे रोजगार के साधन बढेंगे, इन्फ्रास्ट्रक्चर (सडक, परिवहन, सचार आदि) का विकास होने से कई प्रकार के उद्योगों को पनपने का अवसर मिलेगा, पर्यटको के व्यय से प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी तथा उनके द्वारा मिलने वाले निर्यात ऑर्डरों से निर्यात-सवर्द्धन भी होगा एव सास्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व के स्थानो के रख-रखाव व उनके आस-पास के स्थानो को सुधारने का अवसर मिलेगा। इसमे राज्य को कई प्रकार के लाभ एक साथ प्राप्त होंगे। जिस प्रकार औद्योगिक विकास से रोजगार, आय, क्षेत्रीय विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, आदि में मदद मिलती है, उसी प्रकार पर्यटन भी इन दिशाओ मे अपना योगदान करता है।

(ब) राजस्थान में पर्यटन के विकास की सम्भावनाएँ -

(i) सास्कृतिक पर्यटन (Cultural tourism)- सौभाग्य से राजस्थान में पर्यटन के विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं जिनका भरपूर उपयोग किया जाना

---

1 सत्यनारायण अद्भुत हवेलियों की पहचान, नवलगढ राज. पत्रिका 28 मार्च 1993

चाहिए ताकि यह उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने मे अपना योगदान दे सके। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है **राजस्थान मे आज भी 'सास्कृतिक पर्यटन' के विस्तार का क्षेत्र है।** यहाँ की सास्कृतिक धरोहर बडी सम्पन्न है और राज्य के प्राचीन किले (अलवर की नीलकठ भर्तृहरि वाला किला) महल, धार्मिक स्थल हवेलियाँ व अन्य भवन तथा इमारते और साथ मे लोक नृत्य व सगीत तथा दस्तकारियाँ पर्यटन के विकास को सुदृढ आधार प्रदान करते हैं। राज्य के पुरातत्व विभाग द्वारा इन ऐतिहासिक स्मारको की सुन्दरता बढाने के प्रयास किये जाने चाहिए। अजमेर मे ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्व है। यहाँ प्रति वर्ष जायरीन आते हैं।

राज्य के लोक कलाकारो को प्रोत्साहन देकर एक तरफ उनका परम्परागत कलाओ व प्रतिभाओ को प्रश्रय व सरक्षण दिया जा सकता है तथा दूसरी तरफ पर्यटन को भी विकसित किया जा सकता है। इस कार्य को सुचारू रूप से आगे बढाने के लिए निजी व सार्वजनिक कला केन्द्रो का विकास किया जाना चाहिए।

(ii) सभा/सम्मेलन पर्यटन (Convention Tourism) सभाओ या सम्मेलनो के आयोजन के माध्यम से भी पर्यटन के विकास की सम्भावनाओ का उपयोग किया जा सकता है। आजकल राजनीतिक व्यावसायिक शैक्षणिक आदि क्षेत्रों मे विभिन्न सगठन अपने वार्षिक सम्मेलन आयोजित करते रहते हैं। इसके लिए सभागारो की आवश्यकता होती है जिनकी स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इसके लिये प्राय होटलो में उपलब्ध सुविधाओ का उपयोग किया जाता है लेकिन इसके लिए वह पर्याप्त नहीं रहता। अत जयपुर मे बिडला सभागार केन्द्र की भाँति अन्य स्थानो म केन्द्रो की स्थापना मे भी इस दिशा मे मदद मिल सकती है। राजस्थान मे उदयपुर, जयपुर, कोटा जोधपुर व माउण्टआबू आदि स्थानो पर आधुनिक किस्म के सभागार केन्द्र स्थापित करने की सम्भावनाएँ है। इससे भी पर्यटन को उचित प्रोत्साहन मिलेगा। सम्मेलनो मे आने वाले व्यक्तियो को दर्शनीय स्थानो को देखने का अवसर मिलेगा और उन स्थलो का विकास भी हो सकेगा।

(iii) खेल कूद व साहसिक कार्यों से सम्बद्ध पर्यटन (Sports and Adventure Tourism) हालांकि राजस्थान मे इस प्रकार के पर्यटन के अवसर सीमित है फिर भी यहाँ के मरु प्रदेश मे 'ऊँट सफारी (camel safari) पर्यटको के आकर्षण का केन्द्र बन सकती है। शेखावाटी के टीलो मे एव विशेषतया जैसलमेर के मरु मेले के अवसर पर, तथा गगानगर की नोहर व भादरा तहसीलो मे एव बाडमेर के क्षेत्र मे इसका विकास किया जा सकता है। राज्य को झीलो मे साधारण रूप मे नावो का उपयोग होता है लेकिन कोई बडे पैमाने पर जल क्रिडाओ का क्षेत्र विकसित नहीं हो पाया है।

राजस्थान मे वन्य जीव पर्यटन (wild life tourism) के विकास की सभावनाएँ अवश्य है और भरतपुर, सवाईमाधोपुर तथा अलवर के वन्य जीव

अभयारण्यों (sanctuaries) में काफी पर्यटक जाते हैं (राजस्थान आने वाले लगभग 5% पर्यटक)। केवलादेवी पक्षी विहार, घाना (भरतपुर) पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं। रणथम्भौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर को बाघ अभयारण्य के रूप में सुरक्षित रखा गया है। इसमें साम्भर, नीलगाय, चातल, आदि जानवर भी विचरण करते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व सरिस्का अलवर से 37 किलोमीटर दूर है। मूलत यह बाघो का आवास है। यहाँ भी अन्य वन्य जीव पाये जाते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में लोमडी खरगोश आदि जानवरों के अलावा विभिन्न प्रकार के पक्षी जैसे सारस और बस्टर्ड आदि पाये जाते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मरुस्थल के सुदूर आन्तरिक भाग मे ही अपनी वश वृद्धि करते हैं। यह गोडावन पक्षी के नाम से मशहूर है। इनकी सख्या बहुत कम हो गई है। भविष्य मे मरु राष्ट्रीय पार्क (जैसलमेर) कुम्भलगढ अभयारण्य आदि के विकास पर ध्यान दिया जा सकता है।[1]

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान मे पर्यटन के विकास की काफी सम्भावनाएँ निहित है। यहाँ सास्कृतिक रुचि रखने वाले पर्यटको, व्यावसायिक कार्यों के लिए आने वाले पर्यटको (घरेलू व विदेशी) सभा सम्मेलनो मे भाग लेने के लिए आने वाले पर्यटकों तथा छुट्टी का आनन्द लेने वाले पर्यटको आदि सभी की दृष्टि से पर्यटन के विकास की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं।

अब प्रश्न उठता है कि राज्य मे पर्यटन का तीव्र गति से विकास कैसे किया जाय। मोहम्मद युनूस की अध्यक्षता मे नियुक्त पर्यटन पर राष्ट्रीय समिति ने यह सुझाव दिया था कि पर्यटन को उद्योग का स्वरूप दिया जाना चाहिए, तभी इसका उचित दिशा मे विकास सम्भव हो पायेगा। हर्ष का विषय है कि हाल में राज्य मे पर्यटन को उद्योग घोषित कर दिया गया है जिससे इसके विकास के मार्ग मे आने वाली सभी बाधाएँ अधिक सुगमता से दूर की जा सकेगी। पर्यटन के विकास से सम्बन्धित निम्न समस्याओ को हल करने की आवश्यकता है।

(स) पयटन के विकास की समस्याएँ व उनका हल[2]

1 भूमि की समस्या पयटन का विकास पर्याप्त मात्रा में होटलों की स्थापना व अन्य सुविधाओ की उपलब्धि पर निर्भर करता है। शहरी क्षेत्रो का तेजी से विकास होने से होटल व पर्यटन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए भूमि का

---

1 Nil ma Jauhari, Planning for Tourism An Approach, a paper presented in the Conference on Development Reconsidered SID Rajasthan Chapter January 12 14 1991 Jaipur

2 Strategy of Development of Tourism, as quoted in the Beginn ng in Vol. II pp 172 177

मिलना कठिन होता जा रहा है। अत नगर नियोजन मे रियायती दरो पर इनके लिए उचित प्रावधान किया जाना चाहिए। तभी व्यावसायिक दृष्टि से इनको लाभकारी बनाना सम्भव हो सकता है।

2 केन्द्रीय व राज्यीय पूँजी सब्सिडी के रूप मे वित्तीय सहायता जिस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए पूँजी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है उसी प्रकार पर्यटन क्षेत्र के अभावो को ध्यान मे रखते हुए नये प्रोजेक्टो के लिए पूँजी सब्सिडी की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उद्यमकर्ता इस क्षेत्र मे आने के लिए आकर्षित किये जा सके।

3 उदार शर्तों पर कर्ज की व्यवस्था पर्यटन क्षेत्र के विकास मे उद्योगो की तुलना मे अधिक समय लगता है। इसलिए वित्तीय सस्थाओ द्वारा कर्ज की शर्तों को अधिक उदार बनाने की आवश्यकता है। इनको 10% मार्जिन मनी (उद्यमकर्ता द्वारा लगायी जाने वाली मुद्रा) पर कर्ज मिलना चाहिए तथा ब्याज व मूलधन सहित पुनर्भुगतान का अवधि 15 वर्ष रखी जा सकती है। अलग अलग नगरो के ऋण चुकाने की अवधि की कानूनी छूट (moratonum penod) तीन से सात वर्ष तक रखी जा सकती है। इस छूट की अवधि बढाने से उद्यमकर्ताओ को सहूलियत होगी क्योंकि पर्यटन के प्रोजेक्टो के क्रियान्वयन मे सामान्यतया अधिक विलम्ब हुआ करता है।

4 नये होटलो की स्थापना के लिए इक्विटी पूँजी की व्यवस्था नये होटलो की स्थापना के लिए इक्विटी पूँजी की भी व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि वित्तीय सस्थाओ के कर्ज पर आश्रित होने से ब्याज का भार ऊँचा हो जाता है। इसलिए होटल उद्योग के लिए सब्सिडी व कर्ज के साथ साथ इक्विटी पूँजी की व्यवस्था भी बढायी जानी चाहिए। इससे निजी उद्यमकर्ताओ द्वारा होटल निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। यह कार्य 'रीको' द्वारा उद्योगो की भाँति होटल निर्माण के लिए भी किया जा सकता है अथवा एक पृथक् पर्यटन विकास निगम की स्थापना केन्द्रीय व राज्य स्तर पर की जा सकती है ताकि उद्यमकर्ताओ को वित्त के अभाव का सामना न करना पडे।

5 करो मे रियायते व छूटे बिक्री कर से प्रारम्भिक तीन से सात वर्षों के लिए (विभिन्न श्रेणी के नगरो के अनुसार) छूट दी जानी चाहिए। चूंकि पर्यटन क्षेत्र विदेशी विनिमय अर्जित करने मे मदद देता है इसलिए पजीकृत विश्राम गहो व होटलो मे अलकोहल युक्त पेय पदार्थों पर राज्य आबकारी शुल्क मे कुछ छूट देने पर विचार किया जा सकता है। इनमे बीयर की बिक्री की पूरी स्वतत्रता होनी चाहिए। होटलो मे प्रयुक्त होने वाले आयातित उपकरणो व साज सामान पर आयात शुल्क में 50% की छूट दी जानी चाहिए। डीजल जेनरेटिंग सेट की खरीद पर सब्सिडी दी जानी चाहिए।

6 होटल विकास के लिए अन्य विशेष सुविधाएँ होटल उद्योग

का विकास करने के लिए भवन निर्माण सामग्री का आवटन इस क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकता है। इनके लिए विशेष कोटा निर्धारित किया जा सकता है। इनके लिए पानी व बिजली की दरों का निर्धारण उद्योगो की भाँति ही किया जाना चाहिए। जो रियायतें व छूटे नये उद्योगों को दी जाती हैं वे पर्यटन क्षेत्र को भी दी जानी चाहिए।

7 **पर्यटको के लिए निवास की व्यवस्था का विस्तार–** ऊपर पर्यटको के लिए होटल व्यवस्था के विस्तार पर प्रकाश डाला गया है। लेकिन ऐसा समझा जाता है कि भारतीय व्यावसायिक यात्रियो की सख्या के बढने के कारण पाच या चार सितारा होटलो मे विदेशी पर्यटको के लिए निवास की व्यवस्था अपर्याप्त रहती है। इसलिए इसको बढाने की नितान्त आवश्यकता है। इसके लिए जिन सरकारी इमारतो का वर्तमान मे अधिक उपयोग नहीं होता है उनको होटलो या पर्यटन बगलो में सुगमतापूर्वक बदल देना चाहिए। सरकारी दफ्तरो के निर्माण कार्य को तेजी से बढाया जाना चाहिए ताकि जो सरकारी भवन शुरू मे होटल की दृष्टि से बनाये गये थे और बाद मे उनमे सरकारी दफ्तर स्थापित कर दिये गये वे खाली कराकर पुन होटल के लिए काम मे लिये जा सके। इनके अलावा कई निजी भवनों मे भी काफी जगह खाली पडी रहती है जिनके मालिक सम्भवत अतिरिक्त आमदनी के लिए उनका उपयोग पर्यटको के लिए करना पसद करे। इस सम्बन्ध मे होटलो व ट्रेवल एजेण्टो की सेवाओ का उपयोग करके निजी निवासो मे पर्यटको के ठहरने की व्यवस्था बढायी जा सकती है।

8 **परिवहन का समुचित विकास** परिवहन का विकास पर्यटन विकास का हृदय (heart) माना जा सकता है। इसके लिए सडको का विकास आधुनिक सुविधाओ से युक्त बसो कारो स्टेशन वैगनो मिनी बसो आदि की उपलब्धि बहुत आवश्यक होती है। 'मिड वे' व मोटलो की सुविधा बढायी जानी चाहिए। शिक्षित ड्राइवर व अन्य व्यक्ति उत्तम गाइड का काम कर सकते है। स्मरण रहे कि पर्यटक वापस लौटते समय अपने साथ यात्रा की मधुर स्मृतियाँ व कटु अनुभव दोनो ले जाते है। यदि उनके साथ उत्तम व्यवहार होगा और वे हर्षित होकर व प्रभावित होकर लोटेगे तो अन्य लोगो को भारत भ्रमण व राजस्थान भ्रमण के लिए प्रेरित कर पायेगे। यदि उनके साथ धोखाधडी हुई दुर्व्यवहार व अशिष्टता हुई और उन्हे अनुचित कष्ट उठाने पडे तो आगे के लिए पर्यटन हतोत्साहित होगा। इसलिए पर्यटको के लिए परिवहन निवास, भोजन पेय पदार्थों आदि की उत्तम ही नहीं बल्कि सर्वोत्तम व्यवस्था होनी चाहिए।

राजस्थान मे जयपुर को अन्तराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा सकता है और विदेशो से चार्टर्ड उडाने (chartered flights) यहाँ के लिए चालू की जा सकती है। ग्रुप यात्रा व गन्तव्य स्थान जयपुर (destination Jaipur) पर्यटको को आकर्षित करने के लिए उडाने प्रारम्भ की जा सकती हैं। अधिक से अधिक विदेशी पर्यटक

कम हुआ जिससे इस उद्योग मे लगे व्यक्तियो के लिए रोजगार व आमदनी के अवसर घटे थे व उनमे निराशा की भावना फैली थी। इससे पर्यटको के माध्यम से हमें जो नियात के अर्डर मिल सकते थे उनमे गिरावट आई और होटलो को लाभ मे चलाना काफी मुश्किल हो गया। यदि भविष्य में भी स्थिति अनुकूल नहीं रही तो इस उद्योग का भारी सकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश म कानून व व्यवस्था की स्थिति मे तुरन्त सुधार हो ताकि लोग निर्भय होकर देश मे भ्रमण कर सके। कश्मीर का पर्यटन उद्योग भी विपरीत राजनीतिक तनाव के कारण काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह आवश्यक कदम उठाकर स्थिति को सामान्य बनाए ताकि होटलो के उद्यमकर्ता व विभिन्न कमचारी ड्राइवर, गाइड हथकरघा, दस्तकारी उद्योगो आदि मे सलग्न व्यक्ति अपना रोजगार छोडने को बाध्य न हो। अत जहाँ पर्यटन के विकास से सम्बन्धित समस्याओ के समाधान की आवश्यकता है वहाँ इस उद्योग को वर्तमान मदी के दौर से निकालने की भी नितान्त आवश्यकता है।

दिसम्बर 1992 मे अयोध्या घटना के बाद हुए देशव्यापी साम्प्रदायिक दगो का भी पर्यटन उद्योग पर कुछ समय के लिए विपरीत प्रभाव आया था। अत इस उद्योग की द्रुतगति से प्रगति के लिए आन्तरिक शान्ति, सद्भाव व सौहार्द की नितान्त आवश्यकता होती है। कोई भी पर्यटक अपने को जोखिम मे नहीं डालना चाहता। इसलिए जरा सा आतक व भय उत्पन्न होते ही पर्यटक सर्वप्रथम अपना कार्यक्रम स्थगित करते हैं अथवा रद्द करते हैं जिससे होटलो पर विपरीत असर आता है और देश को दुर्लभ विदेशी मुद्रा से हाथ धोना पडता है। अत यह उद्योग बहुत सवेदनशील माना गया है और मानवीय व्यवहार की उत्तमता की नीव पर खडा है जिसको ठेस पहँचाने की बजाय सुदृढ किया जाना चाहिए।

पर्यटन विशेषज्ञो व अधिकारियों का मत है कि राज्य में मरु त्रिकोण *(desert triangle)* के विकास के अन्तर्गत भविष्य मे जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर को शामिल करने की आवश्यकता है। इससे इन क्षेत्रो मे पर्यटन विकास को काफी बल मिलेगा। पर्यटन उद्योग एक सेवा क्षेत्र की आर्थिक किया है। इसलिए इसके विकास पर मानवीय गुणो व मानवीय व्यवहार का विशेष प्रभाव पडता है। यहाँ राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि का सक्षिप्त परिचय देना आवश्यक है क्योंकि यह राज्य मे पर्यटन विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

पर्यटन के विकास की विपुल सभावनाओ को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1992 93 मे इसके विकास पर 5 5 करोड रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था।

उदयपुर, माउण्ट आबू, कोटा व चित्तौडगढ मे पर्यटक स्वागत केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। डीग (भरतपुर) बालोतरा (बाडमेर) में टूरिस्ट लाज, नाथद्वारा मे यात्री निवास तथा नागौर मे टूरिस्ट बगले का निर्माण करवाया जायेगा।[1] उदयपुर मे राजसमन्द झील, नौचोकी पाल ओर पहाडी पर बने राजमन्दिर को विकसित करने की आवश्यकता है। राजसमन्द झील की पाल के जीर्णोद्वार और मुदृढीकरण की जरूरत है।[2]

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि

[Rajasthan Tourism Development Corporation Ltd (RTDC)]

इसकी स्थापना 1978 मे एक निजी सोमित दायित्व वाली कम्पनी के रुप मे हुई थी।

इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं

(i) राज्य मे पयटन विकास के लिए प्रोजेक्ट व स्कीम बनाना व लागू करना

(ii) पर्यटको के लिए निवास व भोजन आदि की व्यवस्था के लिए होटल, मोटल युवा होस्टल टूरिस्ट बगले आदि बनाना व चलाना

(iii) परिवहन, मनोरजन माल की खरीद आदि के लिए सुविधाएँ प्रदान करना व पैकेज पर्यटन की व्यवस्था करना

(iv) पर्यटन महत्व के स्थानो का रख रखाव व विकास करना तथा

(v) पर्यटन की प्रचार सामग्री उपलब्ध करना, वितरित करना तथा वेचना।

1989 90 मे इसकी पूँजी के कुल साधन लगभग 16 81 करोड रुपये के थे जिनमें राज्य सरकार की परिदत्त पूँजी 9 88 करोड रुपये तथा राज्य के अलावा अन्य स्रोतो से प्राप्त अवधि कर्ज 6 69 करोड रुपये के थे। शेष रिजर्व राशि थी।

इसे 1989 90 मे कर से पूर्व लगभग 75 5 लाख रुपयो का मुनाफा हुआ था जो 1990 91 मे लगभग 55 लाख रुपये ही रहा। 1991 92 मे यह बढा है। इसे 1980 81 से 1987 88 तक के आठ वर्षों तक लगातार घाटा हुआ था। 1987 88 मे घाटे की राशि 20 लाख रुपये रही थी जो पिछले वर्षों की तुलना म कम थी। इसके प्रबन्ध सचालन मे सुधार करके इसकी कार्यकुशलता व लाभप्रदता मे वृद्धि की जानी चाहिए। हालांकि इसे *1988 89* व बाद के दो वर्षो मे लाभ हुआ है लेकिन स्थिति मे स्थायी सुधार करने के लिए बहुत प्रयास किया जाना

1 बजट भाषण 1992 93 मार्च 4 1992 प 37

2 राजस्थान पत्रिका, 15 अक्टूबर 1992, प 16

चाहिए। इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने व उसे लागू करने की आवश्यकता है ताकि यह अधिक कारोबार करके अधिक लाभ अर्जित कर सके।

हाल मे RTDC ने धौलपुर मे एक नया मिडवे चालू किया है जो इसकी 42 वीं इकाई है। प्रत्येक जिले मे पर्यटन की सुविधा बढायी जा रही है। देश में होटलो की एक नई श्रेणी हेरीटेज होटल्स * के 17 होटल अकेले राजस्थान में चल रहे है जिन्हे बढाया जा रहा है। एक वीडियो कैसेट "डैजर्ट ट्राइएगल" तैयार किया गया है जिसमे जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, डूँगरपुर, बासवाडा व भीलवाडा क्षेत्रो के पर्यटन स्थलो व वहाँ की सस्कृति को चित्रित किया गया है।

प्रश्न

1 पर्यटन का राज्य की अर्थव्यवस्था मे महत्व स्पष्ट कीजिए।

2 राज्य की अर्थव्यवस्था मे पर्यटन उद्योग की भूमिका सम्भावनाओं व समस्याओ का वर्णन कीजिए। (Raj I yr 1992)

3 राज्य मे पर्यटन के विकास की समस्याओ पर प्रकाश डालिए और आगामी वर्षों मे इसके विकास के लिए उपयोगी सुझाव दीजिए।

4 सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

(i) राजस्थान मे पर्यटन के विकास की सम्भावनाएँ,

(ii) पर्यटन को विकसित करने के लिए सुझाव,

(iii) राज्य मे 'सास्कृतिक पर्यटन' के अवसर तथा

(iv) राजस्थान पर्यटन विकास निगम ।

5 राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे पर्यटन उद्योग के महत्व को बतलाइये। इस उद्योग के विकास की भावी सभावनाएँ व समस्याएँ क्या है?

(Ajmer, I yr 1992)

* हेरीटेज होटल पुराने किलो व महलो को होटल में बदल कर बनाये जाते हैं।

खण्ड (स)

15

राजस्थान में आर्थिक नियोजन
(Economic Planning in Rajasthan)

नियोजन के प्रारम्भ मे राजस्थान की आर्थिक स्थिति

राजस्थान 'एक पिछडी हुई अर्थव्यवस्था मे एक पिछडा हुआ प्रदेश माना' गया है। राज्य मे वर्षा का औसत काफी कम रहता है और राज्य के उत्तरी-पश्चिमी भागो मे बहुत कम वर्षा होने एव थार का रेगिस्तान पाये जाने के कारण आर्थिक विकास मे काफी कठिनाइयाँ आती है। प्रथम पचवर्षीय योजना के प्रारम्भ मे राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत पिछडी हुई थी। 1950-51 मे खाद्यान्नो का उत्पादन लगभग 33 8 लाख टन हुआ था और 1951 52 मे कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग 27% भाग ही शुद्ध जोता-बोया गया क्षेत्र (net area sown) था। उस समय सकल सिंचित क्षेत्रफल 11 71 लाख हेक्टेयर था जो सकल क्षेत्रफल का केवल 12% अश था।

राज्य मे बडे पैमाने के आधुनिक उद्योगो का बडा अभाव था। 1950-51 के अत मे विद्युत की प्रस्थापित क्षमता केवल 13 मेगावाट ही थी और 42 ग्रामो को ही बिजली मिली हुई थी। केवल 17,399 किलोमीटर मे सडके थीं। सडक पानी व बिजली के अभाव मे राज्य मे बडे पैमाने के उद्योगो का विकास सभव नहीं था।

राज्य शिक्षा व चिकित्सा की सुविधाओ की दृष्टि से भी काफी पिछडा हुआ था। 1950 51 के अत मे 6 11 वर्ष की उम्र के बच्चो मे स्कूल जाने वालो का अनुपात 16 6%, 11 14 वर्ष की उम्र वालो मे 5 4% एव 14 17 वर्ष की उम्र वालो मे 1 8% ही था। इससे राज्य के शैक्षणिक दृष्टि से पिछडेपन का भी पता लगता है। 1950 51 के अत में अस्पताल मे रोगियो के बिस्तरो की सख्या केवल 5,720 थी। परिवार नियोजन केन्द्रो व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो

(PHC) की स्थापना ही नहीं हुई थी। अस्पतालों व दवाखानो की संख्या भी बहुत सीमित थी। उस समय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थायें केवल 418 थीं तथा प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सा संस्थाये केवल 3 थीं।[1]

इस अध्याय में हम नियोजित विकास के लगभग चार दशकों (1951-93) की प्रगति का वर्णन करेंगे। विभिन्न योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में किये गये व्यय पर भी प्रकाश डाला जायेगा।

राजस्थान में नियोजित विकास के चार दशक

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, राजस्थान का निर्माण 19 छोटे-छोटे राज्यो व तीन चीफशिपों के एकीकरण से हुआ था। ये राज्य आकार, जनसंख्या, राजनीतिक महत्व, प्रशासनिक कुशलता व आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी भिन्न व असमान स्तर वाले थे। एकीकरण की प्रक्रिया 1948 में प्रारम्भ होकर 1956 में पूरी हुई थी। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय राज्य एकीकरण की समस्याओ में उलझा हुआ था। उस समय राज्य मे भावी विकास का अनुमान लगाने के लिये आधारभूत आंकड़ो का भी नितान्त अभाव था।

राजस्थान मे विभिन्न योजनाओ मे सार्वजनिक क्षेत्र मे प्रस्तावित व्यय तथा वास्तविक व्यय की राशियाँ निम्न तालिका मे दी गई हैं।[2]

तालिका 1

	प्रस्तावित व्यय की राशि (करोड़ रुपयों में)	वास्तविक व्यय की राशि (करोड़ रुपयों में)
प्रथम योजना	64 5	54 1
द्वितीय योजना	105 3	102 7
तृतीय योजना	236 0	212 7
वार्षिक योजनाये (1966 69)	132 7	136 8
चतुर्थ योजना	306 2	308 8
पचम योजना	847 2	857 6
वर्ष 1979-80 योजना	275 0	290 2

1 राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्च ,1991 , पृष्ठ 52 54
2 आय व्यय अध्ययन 1992 93 पृ 46 व 48 तथा 132 133 (DES) Jaipur

छठी योजना (1980 85)	2 025	2130 7
सातवी योजना(1985 90)	3000	3106 2
1990 91	956	975 6
1991 92 (सशोधित)	1170	1166 0
आठवी योजना (1992 97)	11500	योजना जारी
1992 93	1400	1401 6*
1993-94	1700	योजना जारी

तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रथम योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र मे व्यय की राशि 54 करोड रुपये स बढकर द्वितीय योजना मे 103 करोड रुपये तृतीय योजना मे 213 करोड रुपये, 1966 69 के तीन वर्षों मे 137 करोड रुपये व चतुर्थ योजना मे 309 करोड रुपये हो गयी थी। पाँचवी योजना की अवधि मे राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र मे व्यय हेतु 847 करोड रुपये की राशि का प्रावधान किया था लेकिन वास्तविक व्यय की राशि 858 करोड रुपये रही थी।

1979 80 की वार्षिक योजना मे 290 करोड रुपये व्यय हुये। छठी पचवर्षीय योजना का आकार 2025 करोड रुपये रखा गया था जबकि वास्तविक व्यय लगभग 2131 करोड रुपये का रहा।

सातवी योजना का आकार 3000 करोड रुपये रखा गया था जो छठी योजना से लगभग 48 प्रतिशत अधिक था। ताजा अनुमानो के अनुसार सातवीं पचवर्षीय योजना मे वास्तविक व्यय लगभग 3106 करोड रुपये रहा है। इसमे राहत कार्यों का व्यय भी शामिल है। 1990 91 की वार्षिक योजना मे वास्तविक व्यय 976 करोड रुपये हुआ तथा 1991 92 मे सम्भावित व्यय 1166 करोड रुपये से अधिक रखा गया। इसका सशोधित प्रस्तावित व्यय 1170 करोड रुपये रखा गया था (जुलाई 1991 मे 4 करोड़ रुपये की वृद्धि सहित)। 1992 93 की वार्षिक योजना के लिये प्रस्तावित व्यय की राशि 1400 करोड रुपये रखी गयी थी जबकि सम्भावित व्यय के 1401 6 करोड रुपये रहने का अनुमान है और 1993 94 के लिये 1700 करोड रुपये रखी गयी है जो पिछले वर्ष से 21 4% अधिक है।

आठवी योजना (1992 97) मे प्रस्तावित व्यय की राशि 11 500 करोड रुपये रखी गयी है जो सातवीं योजना के 3000 करोड रुपये के मुकाबले 3 83 गुनी है।

आगे तालिका 2 मे विभिन्न योजनाओ मे सार्वजनिक व्यय का विभिन्न

* Draft Annual plan 1993 94 pp 1 4–1 5

तालिका 2
योजनाओ में सार्वजनिक व्यय की स्थिति[1]
(कुल वास्तविक व्यय % मे)

विकास का शीर्षक	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	तीन वार्षिक योजनाए	चतुर्थ योजना	पचम योजना	1979 80	छठी योजना 80 85	सातवीं योजना 85 90	1990-91	1991 92 सम्भावित	1992 93 सम्भावित	1993 94 प्रस्तावित
1 कृषि व सहायक कार्यक्रम	6 6	11 0	11 3	10 4	8 2	9 3	17 6	10 2[2]	11 9	13 1	12 8	20 2	18 2
2 सहकारिता व सामुदायिक विकास	6 0	14 0	8 0	0 7	2 7	1 8	1 6	1 2	1 3	1 3	1 3		
3 सिचाई व शक्ति	58 3	37 2	54 4	68 3	58 4	57 2	54 8	52 6	51 9	44 9	46 2	44 8	45 3
4 उद्योग व खनन	0 8	3 3	1 4	1 5	2 6	4 0	4 1	3 9	4 7	9 1	5 3	5 0	4 9
5 परिवहन सचार व पर्यटन	10 3	9 8	4 7	3 2	3 2	9 8	7 8	11 8	4 6	4 6	4 9	4 9	5 5
6 सामाजिक सेवाए	16 9	23 6	19 7	15 8	24 0	17 4	13 7	19 8	23 7	24 1	24 3	23 3	24 4
7 विविध *	1 1	1 1	0 5	0 1	0 9	0 5	0 4	0 5	1 9	2 9	5 2	1 8	1 7
	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0
वास्तविक व्यय (करोड़ रु मे)	54 1	102 7	212 7	136 8	308 8	857 6	290 2	2130 7	3106 2	989 4	1166 0	1401 6	1700 0

1 आय व्ययक अध्ययन, राजस्थान 1992 93 प 48 तथा प 132 133 (प्रतिशत निकाले गये है)

2 इसमें कृषि, सम्बद्ध सेवायें, ग्रामीण विकास व स्पेशल क्षेत्रीय कार्यक्रम का व्यय शामिल है।

* इसमे प्रौद्योगिक सेवाए व अनुसधान आर्थिक सेवाए, सामान्य सेवाएं व प्रशासन के स्तर मे सुधार पर व्यय आदि शामिल हैं। 1991 92 के बाद सहकारिता पर प्रस्तावित व्यय श्रेणी 1 कृषि व सहायक कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

मदो पर आवटन दर्शाया गया है। इसमे हमने वास्तविक व्यय के आवटन को ही लिया है।

तालिका से स्पष्ट होता है कि **राजस्थान की आर्थिक योजनाओं मे सर्वोच्च प्राथमिकता सिचाई व शक्ति को दी गई जो उचित मानी जा सकती** है। प्रथम योजना मे कुल व्यय का 58 3% सिचाई व शक्ति पर व्यय किया गया था जो पचम योजना मे भी लगभग उतना ही (57 2%) रहा। सातवीं योजना मे यह 52% रहा। कृषि सहकारिता व सामुदायिक विकास पर प्रथम योजना मे लगभग 13% व्यय हुआ जा सातवीं योजना मे 13 2% रहा। राज्य सामाजिक सेवाओ (शिक्षा चिकित्सा जल सप्लाई) की दृष्टि से भी काफी पिछडा रहा है। अत इसके विकास को भी ऊँची प्राथमिकता दी गई है। प्रथम योजना के कुल व्यय के 17% से प्रारम्भ करके चतुर्थ योजना मे इसे 24% तक पहुँचा दिया गया। पचम योजना मे यह पुन 17 4% पर आ गया तथा छठी योजना मे 19 8% और सातवीं योजना मे 23 7% रहा। **इस प्रकार राजस्थान एक तरफ सिचाई व विद्युत का विकास करने मे लगा रहा और दूसरी तरफ इसने जन कल्याण के लिये सामाजिक सेवाओ के विस्तार को भी ऊँची प्राथमिकता दी।**

पिछले 40 वर्षों मे विभिन्न पचवर्षीय व वार्षिक योजनाओं मे सार्वजनिक व्यय के आवटन का अध्ययन करने से पता चलता है कि सभी योजनाओ की प्राथमिकताएँ लगभग एक सी रही हे। सातवीं योजना तक सार्वजनिक व्यय का लगभग आधा भाग सिचाई व शक्ति पर तथा 1/5 भाग मामाजिक सेवाओ पर व्यय किया जाता रहा। लेकिन उसके बाद की वार्षिक योजनाओ मे सिचाई व शक्ति पर लगभग 45% तथा सामाजिक सेवाओ पर लगभग 24% व्यय किया जाता रहा है। इम प्रकार व्यय का प्रतिशत सिचाई व शक्ति पर कुछ कम हुआ है और सामाजिक सेवाओ पर कुछ बढा है।

राजस्थान मे नियोजन के उद्देश्य
(Objectives of Planning in Rajasthan)

राजस्थान मे विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ के मूलभूत उद्देश्य इस प्रकार रहे हे (i) अर्थव्यवस्था की विकास की दर मे उल्लेखनीय वृद्धि करना (ii) पहले से सृजित विकास की सम्भावनाओ का सर्वोत्तम उपयोग करना (iii) समाज के कमजोर वर्ग के लोगो के जावन स्तर को ऊँचा उठाना तथा (iv) सामाजिक न्याय के माथ आर्थिक विकास के ढाँचे मे मूलभूत सामाजिक सेवाओ को उपलब्ध करना एव (v) रोजगार के अवसर बढाने व प्रादेशिक असमानताओ को कम करने के उद्देश्य को भी पचवर्षीय योजनाओ मे ऊँचा स्थान दिया गया है।

समस्त देश की भाँति राजस्थान की पचवर्षीय योजनाओ मे भी परिस्थितियो के अनुसार अलग अलग उद्देश्यो को प्राप्त करने पर बल दिया गया है। राजस्थान की पचवर्षीय योजनाओ के उद्देश्य भारत की पचवर्षीय योजनाओ के उद्देश्यों

के ही अनुकूल रहे हैं।

प्रथम पचवर्षीय योजना के मोटे तौर पर उद्देश्य इस प्रकार थे कृषिगत उत्पादन व सिचाई की सुविधाओ का विस्तार करना पावर के साधनो व मूलभूत सामाजिक सेवाओं का विस्तार करने के लिए शिक्षा दवा व जल पूर्ति की व्यवस्था को बढाना।

द्वितीय पचवर्षीय योजना मे कृषि सिचाई शक्ति व सामाजिक सेवाओ पर बल जारी रहा, लेकिन सिचाई व शक्ति पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया। राज्य मे पचायती राज सस्थाओ के विकास पर जोर दिया गया।

तृतीय पचवर्षीय योजना मे सिचाई व शक्ति की परियोजनाओ पर बल जारी रहा। लेकिन राज्य के औद्योगिक व खनन विकास तथा सामाजिक सेवाओ की प्रगति पर भी ध्यान दिया गया।

चतुर्थ पचवर्षीय योजना मे क्षेत्र विकास (area development) की अवधारणा पर बल दिया गया। समाज के कमजोर वर्ग के लोगो के लिये रोजगार के अवसर बढाने को प्राथमिकता दी गई। राज्य मे सूखा सम्भाव्य क्षेत्र डेयरी विकास व कमाड क्षेत्र विकास कार्यकमो का सचालन प्रारम्भ किया गया।

पाँचवीं पचवर्षीय योजना मे विकेन्द्रित नियोजन को प्राथमिकता दी गई। समाज के कमजोर वर्गों जैसे लघु व सीमान्त कृषक खेतिहर मजदूरो कृषि श्रमिको अनुसूचित जातियो व अनुसूचित जनजातियो के कल्याण के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP) चलाया गया। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट योजना का निर्माण किया जाने लगा।[1]

छठी पचवर्षीय योजना मे निर्धनता उन्मूलन के माध्यम से तीव्र गति से ग्रामीण विकास करने पर ध्यान दिया गया। इसके लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) पर जोर दिया गया। नये बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करने पर बल दिया गया। अनुसूचित जाति के लिए 'स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना' बनायी गयी ताकि उनको लाभान्वित किया जा सके। बिखरी जनजातियों के लिए सशोधित क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण (modified area development approach) (MADA) अपनाया गया जो जनजाति उप योजना के अलावा अपनाया गया कार्यक्रम था।

राजस्थान की सातवीं पचवर्षीय योजना मे भारत सरकार की सातवीं *योजना के उद्देश्यों जैसे रोजगार सवर्द्धन निर्धनता उन्मूलन व असमानता मे कमी*

---

1 Eight five year plan 1992 97 March 1993 p 24

द्वितीय पचवर्षीय योजना (1956-61)

जब द्वितीय योजना का निर्माण किया गया तो राज्य की आर्थिक स्थिति पहले से कुछ ठीक हो गयी थी। इसलिये इस योजना का आकार बडा रखा गया। सिचाई व शक्ति पर आवश्यक बल देना जारी जारी रखा गया और इस अवधि मे सिचाई व शक्ति के बडे कार्यक्रम भी चालू किये गये। जागीरदारी, जमींदारी, बिस्वेदारी प्रथाओं की समाप्ति से गाँवों में सामन्ती प्रथा को मिटाने की दिशा मे महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये।

द्वितीय योजना मे 105 3 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया था। लेकिन योजना मे वास्तविक व्यय 102 7 करोड रुपये का हुआ जिसका विभिन्न मदो पर प्रतिशत आवटन पहले दिया जा चुका है।

तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि द्वितीय योजना में कुल वास्तविक व्यय का 37.2% सिचाई व शक्ति पर किया गया जो प्रथम योजना की तुलना मे कम था। सामाजिक सेवाओ पर लगभग 23 6% राशि व्यय की गई। उद्योग व खनन पर केवल 3 3% राशि व्यय की गयी।

द्वितीय योजना मे खाद्यान्नो के अन्तगत अतिरिक्त उत्पादन क्षमता तो काफी बढ़ी लेकिन 1960 61 मे मौसम की प्रतिकूलता के कारण वास्तविक उत्पादन 45 4 लाख टन ही हुआ जो 1955-56 के उत्पादन से थोडा अधिक था। अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता का वास्तविक लाभ 1961 62 मे मिला, जब खाद्यान्नो का वास्तविक उत्पादन बढ़कर 55 7 लाख टन हो गया था। द्वितीय योजना के अत मे सिंचित क्षेत्र 20 8 लाख हैक्टेयर हो गया था। विद्युत की प्रस्थापित क्षमता 1960 61 में 135 8 मेगावाट हो गई थी। सामाजिक सेवाओ का भी विस्तार किया गया और शहरी क्षेत्रो मे जल की पूर्ति के कार्यक्रम लागू किये गये।

तृतीय पचवर्षीय योजना (1961-66)

तृतीय योजना के प्रारम्भ मे आर्थिक विकास के लिये आधारभूत ढाँचा काफी सीमा तक तैयार हो गया था। सिचाई की सुविधाओ का विस्तार हो जाने से गहन कृषि की पद्धतियो का उपयोग करना सभव हो गया। शक्ति व यातायात का विकास होने से उद्योगो की स्थापना करना सभव हो गया था। तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप प्रशिक्षित व योग्यता प्राप्त व्यक्तियो की अधिक उपलब्धि होने लग गई थी। इन सब बातो के कारण तृतीय योजना का आकार लगभग दुगना रखा गया और 236 करोड रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था। लेकिन वास्तविक व्यय लगभग 213 करोड रुपये ही हो पाया जिसका विवरण तालिका 2 मे दिया जा चुका है।

उस तालिका से पता चलता है कि तृतीय योजना मे सिचाई व शक्ति पर कुल व्यय का लगभग 54 4% अश व्यय किया गया। सामाजिक सेवाओ पर कुल व्यय का लगभग 20% किया गया जो पहले मे मात्रा की दृष्टि से काफी अधिक था। 1962 मे चीनी आक्रमण के बाद समस्त राष्ट्र मे कृषि के विकास पर अधिक

ध्यान दिया गया और चुने हुए क्षेत्रो मे गहन विकास की नीति अपनाई गई। इसके लिये गहन कृषि जिला कार्यक्रम (I A D P) तथा पैकेज प्रोग्राम एव गहन कृषि कार्यक्रम (I A A P) व तीव्र प्रभाव दिखाने वाले कार्यक्रम (Crash Programmes) अपनाये गये ताकि उत्पादन मे तेजी से वृद्धि की जा सके। तृतीय योजना मे काफी तनाव व दबाव की स्थिति रहने से पहले के विनियोगो से शीघ्र प्रतिफल प्राप्त करने की नीति अपनायी गयी। इसलिये चालू परियोजनाओ पर अधिक ध्यान दिया गया और पुराने लाभो को सुदृढ करने की दिशा मे अधिक प्रयास किये गये।

तृतीय योजना की अवधि मे आर्थिक प्रगति

तृतीय योजना की प्रगति वित्तीय दृष्टि से तो सतोषजनक रही लेकिन इस अवधि मे बार बार एव व्यापक रूप मे अकाल व अभाव की परिस्थितियो ने अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाले। 1963 64 व 1965 66 के अकालो की भीषणता अभूतपूर्व थी। खाद्यान्नो का उत्पादन जो **1961 62 मे 55 7 लाख टन के स्तर पर पहुँच चुका था वह 1965 66 मे केवल 38 4 लाख टन** ही रह गया। यदि इन असाधारण परिस्थितियो को ध्यान मे रखा जाय तो तृतीय योजना की अवधि मे आर्थिक प्रगति सतोषजनक मानी जा सकती है।

1965 66 मे सिंचित क्षेत्र 20 7 लाख हैक्टेयर हो गया जो 1960 61 की तुलना मे लगभग 3 2 लाख हैक्टेयर अधिक था। गाँधीसागर क्षेत्र मे वर्षा के अभाव के कारण उत्पन्न गम्भीर कठिनाइयो के बावजूद शक्ति की प्रस्थापित क्षमता काफी बढी। योजनाओ के अन्त मे 1 242 स्थानो मे बिजली की व्यवस्था कर दी गयी। शक्ति के क्षेत्र मे किये गये विनियोगो का पूरा लाभ ततीय योजना की अवधि मे नही मिल पाया क्योंकि सतपुडा राणाप्रताप सागर व भाखडा (दाये भाग) की बडी परियोजनाओ के पूर्ण होने मे विलम्ब हो गया था। इसके लाभ 1966 67 के *आगे की अवधि मे मिल सके। योजना के अंतिम वर्षों मे शक्ति के अभाव* व औद्योगिक विकास को धक्का पहुँचा यद्यपि विकास का आधारभूत ढाँचा बहुत सुधर चुका था।

सम्भवत ततीय योजना मे सर्वाधिक लाभ सामाजिक सेवाओ के क्षेत्र मे पाप्त किये गये। राज्य मे शिक्षा का विकास हुआ। चिकित्सा सुविधाओ के विस्तार एव बीमारियो के नियन्त्रण एव उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को लागू करने से लोगो के स्वास्थ्य मे सुधार हुआ। योजनाकाल मे तीन मेडिकल कालेज स्थापित किये गये और कई शहरो व गाँवो मे जल पूर्ति के कार्यक्रम को लागू करने के लिय प्रशासनिक मशीनरी का निर्माण किया गया।

तीन वार्षिक योजनाय (1966 69)

1965 मे पाकिस्तान मे सघर्ष के बाद विदेशी सहायता के सबध मे काफी *अनिश्चितता का दशा उत्पन्न हो गयी थी और 1965 66 व 1966 67 मे लगातार* दो वर्षों तक सूखा व अकाल पडने से विकास के लिये उपलब्ध साधनो का अभाव रहा जिससे चतुर्थ पचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1966 से प्रारम्भ की ना

सकी। 1966 69 की अवधि मे वार्षिक योजनाये कार्यान्वित करके नियोजन की प्रक्रिया को जारी रखा गया। इस अवधि मे पुराने लाभो को बनाये रखने के लिये एव विनियोगो से शीघ्र प्रतिफल प्राप्त करने के प्रयास किये गये।

खाद्य स्थिति के जटिल होने के कारण कृषि मे अधिक उपज देने वाली किस्मो के कार्यक्रम अपनाये गये। शक्ति के क्षेत्र मे उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने के लिये बिजली की लाइनो के निर्माण पर जोर दिया गया। साधनो के अभाव के कारण शिक्षा चिकित्सा व सडको के विकास पर पर्याप्त मात्रा मे ध्यान नही दिया जा सका। ग्रामीण जल पूर्ति का कार्य तेजी से प्रगति नहीं कर सका।

तीन वार्षिक योजनाओ मे कुल व्यय लगभग 137 करोड रुपयो का हुआ, जिसका आवटन तालिका 2 मे दिया गया है। उस तालिका से प्रतीत होता है कि कुल व्यय का लगभग 68% सिचाई व शक्ति पर हुआ और सामाजिक सेवाओ पर 15 8% व्यय हुआ। इस प्रकार सिचाई व शक्ति को पहले दी जाने वाली प्राथमिकता मे और वृद्धि की गयी। सामाजिक सेवाओ पर किये जाने वाले प्रतिशत व्यय मे द्वितीय व तृतीय योजनाओ की तुलना मे कमी हो गयी। जैसाकि पहले कहा जा चुका है साधनो के अभाव मे इस अवधि मे योजनाओ की प्राथमिकताओ मे मामूली फेरबदल करना आवश्यक हो गया था।

तीन वार्षिक योजनाओ की अवधि मे आर्थिक प्रगति

ऊपर बताया जा चुका है कि 1966 69 के तीन वर्षों मे दो वर्ष 1966 67 व 1968 69 अकाल व सूखे के वर्ष रहे जिससे अर्थव्यवस्था को काफी क्षति पहुची थी।

अनेक कठिनाइयो के बावजूद भी वार्षिक योजनाओ की अवधि मे कुछ क्षेत्रो मे प्रगति जारी रही। 1967 68 मे खाद्यान्नो का उत्पादन 66 लाख टन हुआ जबकि 1966 67 मे 43 5 लाख टन हुआ। 1968 69 मे खाद्यान्नो का उत्पादन पुन घटकर 35 5 लाख टन पर आ गया था। शक्ति की क्षमता मे वृद्धि जारी रही। 1967 68 मे गाँधीसागर परियोजना के क्षेत्र मे अच्छी वर्षा हो जाने से पिछले वर्षों मे की गयी विद्युत शक्ति की कटोतियाँ हटा ली गयी और औद्योगिक क्षेत्र मे विनियोगो के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयीं।

तीन वार्षिक योजनाओ की अवधि मे सामाजिक सेवाओ के क्षेत्र मे प्रगति जारी रही। स्कूल जाने वाले बच्चो का प्रतिशत बढा। बीमारियो पर नियत्रण व परिवार नियोजन का कार्यक्रम आगे बढाया गया। ग्रामीण जल पूर्ति व शहरी जल पूर्ति के कायक्रम आगे बढाये गये।

चतुर्थ पचवर्षीय योजना (1969 74)

राज्य की चतुर्थ पचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1969 मे प्रारम्भ हो गयी थी लेकिन कुछ कारणो से इसे अतिम रूप नहीं दिया जा सका था। विकास क क्रम मे बाधा न हो इसके लिये वापिक योजनाये जारी रखी गयीं।

योजना मे 306 करोड रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था, जबकि वास्तविक व्यय 309 करोड रुपयो का हुआ जिनका आवटन तालिका 2 मे दिया जा चुका है। इस योजना मे भी 58 4 प्रतिशत राशि सिचाई व शक्ति पर व्यय की गई। सामाजिक सेवाओ पर 24 प्रतिशत व्यय हुआ जो प्रतिशत की दृष्टि से पुन द्वितीय योजना के स्तर पर आ गया था।

पूर्व योजना की भाँति चतुर्थ योजना मे भी आर्थिक विकास की अधिकतम दर प्राप्त करने रोजगार के अवसर बढाने कृषिगत व औद्योगिक उत्पादन बढाने शिक्षा व चिकित्सा की सुविधाएँ बढाने तथा राजस्थान नहर व चम्बल कमाण्ड क्षेत्रो का विकास करने और गरीब लोगो के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने पर बल दिया गया था। इसके लिये चालू परियोजनाओ व कार्यक्रमो को पूरा करना आवश्यक समझा गया। योजना मे सिचाई के विकास को प्राथमिकता दी गई ताकि कृषिगत विकास का आधार सुदृढ हो सके।

चतुर्थ योजना की उपलब्धियाँ -

राज्य मे चतुर्थ योजना की अवधि मे प्रतिकूल मौसमो व अकालो का सामना करना पडा। फिर भी अधिक उपज देने वाली किस्मो के अन्तगत क्षेत्रफल 1968 69 मे 5 24 लाख हेक्टेयर से बढाकर 1973 74 मे 10 54 लाख हेक्टेयर कर दिया गया। 1968 69 मे रासायनिक उर्वरको का उपयोग 30 हजार टन से बढाकर 1973 74 मे लगभग 74 हजार टन हो गया। 1973 74 मे खाद्यान्नो का उत्पादन 67 2 लाख टन रहा जो 1970 71 के 88 4 लाख टन से काफी कम था। 1968 69 मे सभी साधनो मे कुल सिचाई का क्षेत्रफल 21 2 लाख हक्टेयर मे बढकर 1973 74 मे 26 2 लाख हैक्टेयर हो गया था।

चतुर्थ योजना की अवधि मे वनस्पति तेल सीमेट, पावर केबल्स सूती धागे चीनी एव नाइलोन के धागे के उद्योग स्थापित किये गये। बिजली की कमी व अनेक बाधाओ के बावजूद औद्योगिक उत्पादन बढा। राज्य मे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो मे विनियोग की राशि 1966 67 मे 17 करोड रुपये से बढकर 1973-74 मे 100 करोड रुपये हो गयी थी। चतुर्थ योजना की अवधि के अन्त मे झामर-कोटडा की खानो से प्राप्त राक फॉस्फेट से 6 23 करोड रुपये की आय हुइ थी। योजना मे ताबा कच्चे लोहे अभ्रक चाँदी सीसे व केल्साइट का उत्पादन बढा था।

राजस्थान की पाँचवीं पचवर्षीय योजना (1974-79)

राजस्थान की पाँचवीं पचवर्षीय योजना का प्रारूप- राज्य सरकार ने जुलाई 1973 मे पाँचवा पचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करके योजना आयोग के समक्ष पेश किया था। इसमे राज्य की योजना का आकार 635 करोड रुपये प्रस्तावित किया गया था। लेकिन वास्तविक व्यय की कुल राशि 858 करोड रुपये रही थी। यह योजना के प्रारूप मे प्रस्तावित राशि से काफी अधिक था।

उद्देश्य व मूल नीति- विभिन्न क्षेत्रो मे विकास के कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किये गये ताकि समाज के कमजोर वर्गों को विशेष रूप से लाभ पहुचे। उनको रोजगार देने व उनकी अनिवार्य आवश्यकताओ की पूर्ति का प्रयास किया गया। राज्य मे कृषि पशु पालन उद्योग व खनन का विकास किया गया।

कृषि नियोजन मे प्रति हैक्टेयर उपज बढाने की नीति अपनायी गयी। राज्य मे पशु पालन के विकास की विशाल योजनाएँ हैं। इसके लिये चरागाहो व चारे का विकास करने पर बल दिया गया। भूमि के नीचे के जल (ground water) का विशेष रूप से प्रयोग करने पर बल दिया गया क्योंकि राज्य मे सतह के जल (surface water) की मात्रा सीमित है।

कृषक के लिये कृषि व पशुपालन के विकास के लिये साख की सुविधा बढाने भूमि को समतल करने भू सरक्षण व सूखी खेती के कार्यक्रमो को बढावा देने पर बल दिया गया। इसके लिये चम्बल व इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के सिचाई के क्षेत्रो को समन्वित ढग से विकास करने तथा इनमे सडक व मण्डियो का निर्माण विद्युतीकरण व वैज्ञानिक कषि की पद्धतियाँ अपनाने की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया। चम्बल क्षेत्र मे पानी के निकास की समस्या मिट्टी के खारेपन व नहर मे वीड्स (घास पात) की अनियंत्रित बढोतरी को रोकने के लिये विश्व बैंक की सहायता का उपयोग करने पर बल दिया गया।

पाचवीं योजना मे आर्थिक प्रगति

पाचवी योजना मे स्थिर भावो पर (1980-81 मे मूल्यो पर) राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति मे प्रतिवर्ष 5.2 % तथा प्रति व्यक्ति आय मे 2 2%वद्धि हुयी।[1] 1979 मे राज्य मे गम्भीर सूखे की स्थिति पायी गयी थी।

कषि व सम्बद्ध कियाओ की प्रगति खाद्यान्नो का उत्पादन 1973 74 मे 67 2 लाख टन से बढकर 1978 79 मे 77 80 लाख टन हो गया। तिलहन गन्ना व कपास के उत्पादन मे भी वृद्धि हुई थी।

अधिक उपज देने वाली किस्मो का फेलाव 1973 74 मे 10 5 लाख हैक्टेयर से बढकर 1978 79 मे 15 8 लाख हैक्टेयर हो गया। रासायनिक उर्वरको का उपयोग 0 73 लाख टन से बढकर 1 34 लाख टन हो गया। सकल सिंचित क्षेत्रफल 26 8 लाख हैक्टेयर से बढकर 30 4 लाख हैक्टेयर हो गया।

ओद्योगिक क्षेत्र मे 'रीको RFC 'रानसीको व जिला उद्योग केन्द्रो (DICs) ने ओद्योगिक विकास मे भाग लिया। सूता खादी ऊनी खादी व ग्रामीण उद्योगो मे उत्पादन बढा। राज्य के सभी जिलो मे जिला उद्योग केन्द्र स्थ किये गये।

छठी पचवर्षीय योजना (1980 85)

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है छठी पचवर्षीय योजना का अनुमोदित

---

1 राजस्थान के आथक विकास पर श्वेत पत्र मार्च 1991 प 3

परिव्यय 2025 करोड रुपये रखा गया था। लेकिन कुल योजना-व्यय लगभग 2131 करोड़ रुपये रहा।

छठी पचवर्षीय योजना में वास्तविक व्यय का 52 6% सिंचाई व शक्ति पर तथा 19 8% सामाजिक सेवाओं पर किया गया जो पूर्व योजनाओं की भांति ही था। कृषि, ग्रामीण विकास व सामुदायिक विकास तथा सहकारिता पर 11 4% व्यय किया गया। उद्योग व खनन पर केवल 3 9% व्यय हुआ।

इस प्रकार छठी योजना में भी राज्य की अर्थव्यवस्था का आधारभूत ढाँचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सुदृढ करने का प्रयास जारी रहा

छठी पचवर्षीय योजना मे आर्थिक प्रगति [1]

राज्य की आय अथवा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) छठी योजना मे 1980-81 की कीमतों पर 5 9% वार्षिक बढ़ी। इस प्रकार विकास की वार्षिक दर सतोषप्रद रही। 1983 84 मे स्थिर भावों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति मे लगभग 23% की वृद्धि हुइ जो सर्वाधिक थी। प्रति व्यक्ति आय (1980-81 के भावों पर) 1979 80 में 1189 रुपये से बढ़कर 1984-85 मे 1379 रुपये हो गयी। छठी योजना की अवधि मे प्रति व्यक्ति आय मे स्थिर भावो पर 3% वार्षिक दर मे वृद्धि हुइ।

कृषि- 1984 85 मे खाद्यान्नो का उत्पादन 79 1 लाख टन हुआ जबकि 1979 80 मे 52 4 लाख टन हुआ था। 1984 85 मे तिलहन का उत्पादन 12 3 लाख टन गन्ने का 13 7 लाख टन तथा कपास का 4 4 लाख गाँठे हुआ था। वर्ष 1983 84 को छोडकर अन्य वर्षों मे मानसून कमजोर व अनियमित रहा था जिसमे चार वर्षों मे राज्य मे अकाल व सूखे का कुप्रभाव पडा था।

1984 85 मे अधिक उपज देने वाली किस्मो मे 26 9 लाख हैक्टेयर भूमि आ चुकी थी तथा उर्वरकों का वितरण 2 लाख टन मे कुछ अधिक हो गया था।

छठी योजना मे लगभग 21 लाख हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिचाई की क्षमता का विकास किया गया। राज्य मे डेयरी का विकास किया गया तथा ऊन का उत्पादन 127 लाख किलोग्राम से बढ़कर योजना के अत मे 156 लाख किलोग्राम हो गया था।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से छठी योजना मे 71 लाख परिवार लाभान्वित हुए जिनमे आधे मे ज्यादा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के थे। ग्रामीण रोजगार मे वृद्धि की गई।

शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 1984-85 मे 1713 16 मेगावाट हो गइ थी।

1 राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत-पत्र, मार्च 1991 पृ 52 54

योजना के आरम्भ म 38% गाँवो मे बिजली पहुचाई जा चुकी थी जो 1984 85 में 55% के स्तर तक पहुच गई थी। राज्य में बायो गैस सयत्रो का विकास किया गया जिनमे गोबर का उपयोग होता है।

उद्योग - राज्य मे विनियोग सब्सिडी का विस्तार किया गया तथा रीको ने सयुक्त उद्योगो व सहायता प्राप्त क्षेत्र मे उद्योगो को प्रोत्साहन दिया। मार्च 1985 मे राज्य मे 29 सयुक्त क्षेत्र की इकाइयो में उत्पादन कार्य चालू हो गया था।

खादी (सूती व ऊनी) ग्रामीण उद्योगो, हथकरघा आदि मे उत्पादन बढा तथा ग्रामीण उद्योगो मे रोजगार 62 हजार व्यक्तियो से बढकर 1 7 लाख व्यक्ति हो गया। राज्य मे खनिज पदार्थो मे राक फास्फेट, जिप्सम आदि का उत्पादन बढाया गया

विविध राज्य मे सडको का विस्तार किया गया। सामान्य शिक्षा का अधिक फैलाव हुआ। अस्पतालो का सख्या बढा तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमो म सडको प्रारम्भिक शिक्षा, पेयजल आदि का विस्तार किया गया।

इस प्रकार छठी योजना की अवधि मे राज्य का आर्थिक व सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदृढ हुआ। लेकिन राज्य म अकाल व अभाव की समस्या के कारण ग्रामीण जनता को निरन्तर काफी कष्टो का सामना करना पडा और राज्य सरकार के सामने अकाल राहत की समस्या बहुत जटिल रूप से बनी रही।

सातवीं पचवर्षीय योजना (1985 90)

आगे की तालिका से स्पष्ट होता है कि सातवीं योजना का आकार 3000 करोड रुपये का स्वीकृत किया गया था। यह छठी योजना के लिये स्वीकृत धनराशि से 48% अधिक था। लेकिन इस योजना मे वास्तविक व्यय की अनुमानित राशि 3106 करोड रुपये रही है । अनुमानित व्यय मे आधी से कुछ अधिक राशि (52%) सिचाई बाढ़ नियन्त्रण व विद्युत के विकास पर तथा लगभग 1/4 राशि (23 7%) सामाजिक सेवाओ पर व्यय हुई है। इस प्रकार योजना मे बिजली खाद्यान्न औद्योगिक उत्पादन व रोजगार मे वृद्धि पर जोर दिया गया।

यह कहा गया था कि सातवा योजना के लिये लगभग 1140 करोड रुपये की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप मे प्राप्त होगी तथा राज्य सरकार को 1000 करोड रुपये के अतिरिक्त साधन जुटाने होंगे।

सातवी योजना म विद्युत उत्पादन क्षमता को 1713 मेगावाट से बढाकर 2660 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया था। अत इसमे 62% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। योजना में 4 38 लाख हैक्टेयर क्षेत्र मे अतिरिक्त सिचाई की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया था। 1500 से अधिक जनसख्या वाले सभी गाँवो तथा 1000 से 1500 तक की जनसख्या वाले 50% गाँवो को सडको से जोडने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। शिक्षा चिकित्सा, पेयजल, आदि का विकास करने के कार्यक्रम रखे गये थे। इलेक्ट्रोनिक्स इकाइयो के लिये कई प्रकार की छूटे व रियायतें दी गई थीं।

सातवीं पचवर्षीय योजना (1985-90) मे सार्वजनकि परिव्यय का प्रस्तावित तथा वास्तविक आवटन

	(प्रस्तावित) (करोड़ रु.)	कुल का %	वास्तविक व्यय (करोड़ रु)	कुल का %
(1) कृषि व सहायक क्रियाएँ एव ग्रामीण विकास	290 3	9 7	369 6	11 9
(2) सहकारिता	46 2	1 5	41 5	1 3
(3) सिचाइ बाढ-नियत्रण व शक्ति	1608 5	53 7	1612 3	51 9
(4) उद्योग व खनन	190 5	6 3	145 6	4 7
(5) परिवहन	153 3	5 1	142 5	4 6
(6) सामाजिक व सामुदायिक सेवाए	674 7	22 5	734 7	23 7
(7) विविध (वैज्ञानिक सेवाये व अनुसधान, आर्थिक सेवाये सामान्य सेवाये, प्रशासनिक सुधार, मेवात विकास आदि)	36 5	1 2	60 0	1 9
	3000 0	100 0	3106 2	100 0

सातवीं पचवर्षीय योजना मे आर्थिक प्रगति (Economic progress under Seventh five year plan):- दुर्भाग्य मे सातवीं योजना के पाँचो वर्ष अकाल व अभाव के वर्ष रहे। प्रथम वर्ष में 26 जिले अकाल से प्रभावित हुए तथा 1986 87 व 1987-88 मे प्रत्येक मे समस्त 27 जिले अकाल व सूखे की चपेट मे रहे थे। 1988-89 मे 17 जिले अकाल व अभाव से प्रभावित हुए तथा 1989-90 मे पुन. 25 जिलो मे अकाल घोषित किया गया।

सातवें पचवर्षीय योजना के विभिन्न वर्षों मे राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति

मे काफी उतार चढाव उत्पन्न हुए। 1980-81 की कीमतों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 1984 85 मे 5208 करोड से बढकर 1989 90 में लगभग 7104 करोड रुपये हो गई। इस प्रकार इसमें वार्षिक वृद्धि दर 6 4% रही। 1988 89 मे राज्य की घरेलू उत्पत्ति मे केन्द्रीय सांख्यिकीय सगठन के अनुसार स्थिर भावो पर 34% की वृद्धि हुई (DES के अनुसार 39%) । इस प्रकार एक वर्ष की अत्यधिक वृद्धि ने योजना की औसत दर को प्रभावित किया। प्रति व्यक्ति आय 1984 85 मे 1379 रुपयों से बढकर 1989 90 मे 1651 रुपये हो गई। इस प्रकार इसमे 3 6% वार्षिक दर से वृद्धि हुई।[1]

खाद्यान्नो का उत्पादन 1987 88 मे 48 लाख टन पर आ गया था जो 1988 89 मे बढकर 106 6 लाख टन रहा। यह 1989 90 मे 85 3 लाख टन रहा।

तिलहन का उत्पादन 1986 87 मे 8 8 लाख टन हुआ था जो 1989 90 मे 18 5 लाख टन हो गया। कपास का उत्पादन 1989 90 मे 9 86 लाख गाठे हुआ जबकि 1987 88 मे 2 18 लाख गाठे हुआ था। गन्ने का उत्पादन 1989 90 मे 7 16 लाख टन हुआ जो पिछले वर्ष से अधिक था।

1989 90 मे कुल सिंचित क्षेत्रफल 44 6 लाख हैक्टेयर रहा जबकि 1984 85 मे यह 38 3 लाख हैक्टेयर रहा था। इस प्रकार सिंचित क्षेत्रफल लगभग 6 3 लाख हैक्टेयर बढ़ा।

पावर व औद्योगिक क्षेत्र मे प्रगति

सातवी योजना मे पावर की अतिरिक्त क्षमता के सृजन का लक्ष्य 385 मेगावाट रखा गया था जबकि वास्तविक उपलब्धि 580 मेगावाट की हुई। 1989 90 के अत मे यह लगभग 2702 मेगावाट तक पहुच गई थी। इस वृद्धि मे कोटा थर्मल चरण II की दो इकाइयो, माही हाइडल पावर हाउस 2 की दो इकाइयो (अन्ता) गैस पावर स्टेशन व रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन मे हिस्सा मिलने आदि से मदद मिली है। इस प्रकार सातवीं पचवर्षीय योजना में राजस्थान की पावर स्थिति पहले से बेहतर हो गई।

राज्य मे भिवाडी क्षेत्र मे इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगो का विकास किया जा रहा है। 1989 90 मे ग्रामीण उद्योगो का उत्पादन 120 करोड रुपये से अधिक रहा तथा इनमे रोजगार बढकर 3 लाख व्यक्तियो तक पहुच गया। सूती व ऊनी खादी का उत्पादन 1989 90 मे 26 2 करोड रुपये का हुआ। 1990 91 व 1991 92 वार्षिक योजनाओ के वर्ष रहे।

सरकार आठवीं पचवर्षीय योजना (1992 97) मे अर्थव्यवस्था को अधिक

---

1 आय व्ययक अध्ययन 1992 93 पृ 54 के सशोधित आकडों के आधार पर पुन औसत वृद्धि दर निकाली गई है जो पहले से कम आती है ।

गतिमान करने का प्रयत्न कर रही है।

अब हम योजनाकाल मे आर्थिक प्रगति की समीक्षा करने से पूर्व सक्षेप मे पूर्व जनता शासन काल की अन्त्योदय योजना का परिचय देगे।

पूर्व जनता सरकार का निर्धनता निवारण के लिये अपनाया गया अन्त्योदय कार्यक्रम

राज्य मे जनता सरकार द्वारा ग्रामीण निर्धनता को दूर करने की दिशा मे अन्त्योदय कार्यक्रम अपनाया गया था। इस कार्यक्रम ने अन्य राज्यो का ध्यान भी अपनी तरफ आकर्षित किया था। राजस्थान को इस कार्यक्रम के सम्बन्ध मे अग्रणी होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था जो एक सराहनीय बात थी। इसका ऐतिहासिक महत्व रहा है इसलिये यहाँ इसका सक्षिप्त विवेचन किया जाता है।

अन्त्योदय कार्यक्रम गाँधीवादी कार्यक्रम की एक कडी माना जा सकता है। इसमे प्रत्यक गाँव से सबसे अधिक निर्धन पाँच परिवार चुने जाते थे जिनको आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया जाता था। राज्य मे लगभग 33 हजार गाँव हैं। इन निर्धनतम परिवारो का चयन ग्राम सभाओ व गाव के लोगो की सलाह से किया गया था। इनको सहकारी व व्यापारिक बैको से कर्ज उपलब्ध कराय जाते थे ताकि ये दुधारू पशु गाय भैस बकरी आदि खरीद सके या भेड पालन व सूअर पालन कर सके अथवा बलगाडी या बैल, ऊटगाडी या कहा कही रिक्शा आदि भी खरीद सके अथवा दस्तकारी कुटीर उद्योगो को स्थापित करके अपना जीविकोपार्जन कर सके। इन्हे कषि के लिये भूमि भी दी जा सकती थी। इस प्रकार यह सबसे गरीब वर्ग के लोगो को आर्थिक दृष्टि से साधन प्रदान करक उन्हे स्वावलम्बी बनाने का एक उत्तम तरीका माना गया था। ऐसे लोग योजनाकाल मे विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड पाये थे और विकास के लाभ कुछ सम्पन्न व अर्द्ध सम्पन्न परिवारो तक ही सिमट कर रह गये थे।

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जिन निर्धन परिवारो का चयन किया जाता था उनकी प्रति व्यक्ति प्रति माह आमदनी 20 रुपयो से भी कम होती थी हालांकि उस समय प्रति व्यक्ति प्रति माह 55 रुपये से कम आय वाले व्यक्ति निर्धनता की रेखा से नीचे माने गये थे।

अन्त्योदय योजना मे भूमिहीन श्रमिको व ग्रामीण दस्तकारो को अधिक लाभ मिलने की आशा थी। ये लोग सर्वोच्च प्राथमिकता कषि योग्य भूमि को देते थे और बाद मे पशु पालन कुटार उद्योग हथकरघा उद्योग आदि को देते थे। जनता सरकार का विचार था कि यदि इस कार्यकम के लिये बडी मात्रा मे धनराशि की व्यवस्था की जा सके तो राज्य मे निर्धनता को दूर किया जा सकता है।

लन्दन के समाचार पत्र 'दी इकोनोमिस्ट ने यह मत प्रकट किया था कि अन्त्योदय योजना को गाँवो के सम्पन्न भू स्वामियो से कोई खतरा नहीं है जैसा कि भूमि सुधार के कार्यकम को रहा है। अन्त्योदय योजना व समग्र ग्रामोदय योजना को योजना की नई शैली का आधार बनाने का प्रयोजन यही था कि हमारी

योजनाये ग्रामोन्मुख गरीबोन्मुख रोजगारोन्मुख व कुटीर उद्योगोन्मुख बनें ताकि समाज के कमजोर वर्गों को अपनी आर्थिक दशा सुधारने का उत्तम अवसर मिल सके जो उन्हे पूर्व योजनाओ मे नहीं मिल पाया था।

राज्य मे काग्रेस सरकार द्वारा बीस सकल्पो की घोषणा

1980 मे राज्य मे काग्रेस (आई) सरकार के पुन सत्तारूढ हो जाने पर अन्त्योदय कार्यक्रम के स्थान पर नये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को लागू किया। 1985 86 मे बीस सूत्री कार्यक्रम के लिये 300 करोड रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई थी जो योजना मे प्रस्तावित व्यय का 70% थी। सितम्बर 1981 मे तत्कालीन मुख्यमत्री श्री शिवचरण माथुर की सरकार ने पिछडे को पहले कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 सकल्पो को पूरा करने पर जोर दिया था। ये बीस सकल्प इस प्रकार थे (1) पूरे चुनाव (2) बढिया शिक्षा (3) सस्ता न्याय (4) गरीब को छप्पर, (5) छोटा परिवार, (6) नई ऊर्जा (7) राजस्थान नहर, (8) कोटा थर्मल (9) जगल मे मगल (10) ग्राम तक सडक (11) खेत मे बिजली (12) पीने का पानी (13) पिछडे को पहले (14) विकलाग कल्याण (15) भगीकष्ट मुक्ति (16) राष्ट्रीय एकता (17) डेयरी विकास (18) मुर्गी पालन (19) कृषि व सहकारिता और (20) हस्तशिल्प एव उद्योग।

'पिछड़े को पहले' अभियान अन्त्योदय का ही एक विकसित स्वरूप माना जा सकता है। अन्त्योदय गाँवो के सबसे पिछडे पाँच परिवारो के आर्थिक उत्थान का कार्यक्रम था जबकि 'पिछडे को पहले ग्रामीण विकास की रणनीति के रूप मे प्रस्तुत किया गया था।

राजस्थान मे योजनाकाल के लगभग चार दशको (1951 93) की उपलब्धियाँ अथवा आर्थिक प्रगति [1]

राजस्थान मे योजनाकाल मे आर्थिक प्रगति हुई फिर भी यह राज्य भारत मे सबसे ज्यादा निर्धन व पिछडे हुए राज्यो मे गिना जाता है। हम नीचे सक्षेप मे 1951 से 1993 तक की अवधि मे हुई आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डालेगे जिससे पता चलेगा कि राजस्थान ने 42 वर्षों मे राज्य की आमदनी (state income) कृषिगत उत्पादन सिचाई शक्ति औद्योगिक विकास सडक शिक्षा चिकित्सा जल सप्लाई आदि क्षेत्रो मे काफी प्रगति की है। लेकिन आगामी वर्षो मे विकास की यात्रा व विकास की प्रक्रिया को अधिक तेज व अधिक सुदृढ करने की आवश्यकता है ताकि लोगो का जीवन स्तर ऊँचा किया जा सके।

---

1 राजस्थान आय व्ययक अध्ययन 1992 93 में प्रकाशित आर्थिक समीक्षा 1991 92 पृ० 71 103 राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्च 1991 (विभिन्न तालिकायें) एव Some Facts About Rajasthan 1992

1 राज्य की आय मे वृद्धि- राज्य की घरेलू उत्पत्ति मे मानसून की अस्थिरता के कारण प्रति वर्ष व्यापक उतार चढाव आते रहते है। इसलिये इसका विश्लेषण काफी जटिल व अनिश्चित हो गया है। फिर भी 1980-81 की स्थिर कीमतो पर 1960 61 से 1989 90 तक की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति के पूरे सिरीज का अध्ययन करने से पता चलता है कि 1961 90 की अवधि मे राज्य की आय मे 3 8% वार्षिक दर (सशोधित) से वृद्धि हुई तथा प्रति व्यक्ति आय मे 1% वार्षिक दर (सशोधित) से वृद्धि हुई।[1] सातवीं योजनाकाल (1985 90) मे राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति मे 6 4% वार्षिक दर से वृद्धि हुई तथा प्रति व्यक्ति आय मे 3 6% की दर से वृद्धि हुई। अन्य योजना अवधियो की तुलना मे यह सर्वाधिक थी। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (1980-81 के मूल्यो पर) 1960 61 मे 2409 करोड रुपये से बढकर 1989 90 मे 7104 करोड रुपये एव प्रति व्यक्ति आय 1224 रुपयो मे बढकर 1651 रुपये हो गई। 1970-71 से 1989 90 तक के 20 वर्षों मे राज्य की प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध मे एक विशेष बात उल्लेखनीय मानी जाती है। यह 1970 71 मे 1480 रुपये थी। बाद मे केवल 1983 84,1988 89 1989 90 व 1990 91 को छोडकर अन्य सभी वर्षों मे यह स्थिर भावो पर 1480 रुपयो से कम रही जिसमे राज्य के आर्थिक विकास मे धीमेपन व गतिहीनता की स्थिति प्रकट होती है। वेसे भी हम देख चुके हे कि 1980 81 के स्थिर भावो पर पाँचवीं योजना व छठी योजना मे राज्य की घरेलू उत्पत्ति या आय मे क्रमश 5 2% व 5 9% वार्षिक वृद्धि की दरे प्राप्त की गई थीं। इसलिये 1970 71 की प्रति व्यक्ति आय को लेकर आगे चलने पर विकास की गति काफी निराशाजनक प्रतीत होती है। वैसे पाँचवीं व छठी योजनाओ मे प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि-दरे (स्थिर भावो पर) क्रमश 2 2% व 3 0% रही थी, जिन पर पहले विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है।

छठी योजना मे राज्य की अर्थव्यवस्था में 5 9% सालाना की दर से वृद्धि हुई थी। चूंकि 1979 80 का आधार वर्ष काफी कमजोर रहा था, इसलिये यह वृद्धि अतिशयोक्तिपूर्ण मानी जा सकती है। कृषिगत उत्पादन मे भारी उतार चढाव आने से राज्य की आमदनी भी प्रभावित होती रहती है। राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत अस्थिर व अनिश्चित किस्म की है।

2 कृषिगत उत्पादन व सिचाई- राज्य मे खाद्यान्नो का उत्पादन 1950-51 मे 33 8 लाख टन हुआ जो 1983 84 मे 100 8 लाख टन हो गया था। लेकिन 1987 88 मे यह घटकर 47 8 लाख टन पर आ गया था एव 1988 89 मे यह बढकर 1 करोड 6 6 लाख टन हो गया। 1989 90 मे यह पुन घटकर 85

---

1 (पूर्व आकडो) के आधार पर शुद्ध घरेलू उत्पत्ति मे वृद्धि दर 3 99% व प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि दर 1 22% आकी गयी थी।

लाख टन तथा 1990 91 मे बढकर 1 करोड 9 3 लाख टन हो गया। 1991 92 मे यह 79 5 लाख टन रहा।

राज्य में अकाल व सूखे के कारण उत्पादन घटा है। राज्य में सकल सिंचित क्षेत्रफल 1950 51 मे 10 लाख हैक्टेयर से बढकर 1990 91 मे 46 5 लाख हैक्टेयर तक पहुच गया था। इस प्रकार सिंचित क्षेत्र $4\frac{1}{2}$ गुने से अधिक हो गया। फिर भी राज्य का 77% अथवा 3/4 कृषित क्षेत्रफल मानसून की दया पर आश्रित रहता है। राज्य मे प्रतिवर्ष खाद्यान्नो के उत्पादन मे भारी उतार चढाव आते रहते है जिन्हे सिचाई का विस्तार करके ही कम किया जा सकता है। राज्य मे सिचाई की अन्तिम सम्भाव्यता 51 5 लाख हैक्टेयर आकी गयी है जिसमे से 27 5 लाख हैक्टेयर मे वृहद् व मध्यम साधनो से तथा 24 लाख हेक्टेयर मे लघु साधनो से मानी गयी है ।

राज्य मे अधिक उपज देने वाली किस्मो (HYV) का उपयोग बढ रहा है। 1968 69 मे ये किस्मे 5 24 लाख हैक्टेयर मे तथा 1992 93 मे लगभग 28 2 लाख हेक्टेयर मे बोई गई ।[1] सुधरे हुए बीजो का वितरण भी किया गया है। रासायनिक खाद का उपभोग 1951 52 मे केवल 324 टन हुआ था जो बढकर 1992 93 मे 5 51 लाख टन पर पहुच गया। कपास का उत्पादन 1991 92 मे 8 5 लाख गाठे (प्रति गाठ =170 किलोग्राम) रहा है जबकि 1987 88 म 2 2 लाख गाठे ही हुआ था। 1992 93 में कपास का उत्पादन 11 लाख गाठे होने की आशा है। राज्य मे सिचाई के साधनो के विस्तार से खाद्यान्नो के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता बढी है। जैसा कि पहले बताया गया है राजस्थान मे सकल कृषित क्षेत्रफल 1951 52 मे रिपोर्टिंग क्षेत्रफल के 28% से बढकर 1990 91 मे 56 6% हो गया है जिससे राज्य मे विस्तृत खेती की प्रगति का भी परिचय मिलता है।

राज्य म योजनाकाल मे डेयरी का विकास किया गया है। राज्य मे डेयरी सयत्रो की सख्या 10 तथा अवशीतन केन्द्रो (chilling centres) की सख्या 24 हो गई है तथा औसत दैनिक दुग्ध संग्रह का स्तर 1990 91 मे 3 44 लाख लीटर हो गया था। लेकिन 1991 92 मे यह पहले से कम रहा। राज्य मे दुग्ध सहकारी समितियो का विकाप किया गया है।

3 विद्युत शक्ति की प्रगति राज्य मे 1950 51 मे शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 13 मेगावाट थी। यह 1990 91 मे बढकर लगभग 2721 मेगावाट तथा

---

1 Draft Annual Plan, 1992 93 December 1992 p 2 7 आगे भी 1992 93 के आकडे इसी स्रोत पर आधारित हैं।

1991 92 मे 2776 मेगावाट हो गई। इस प्रकार शक्ति की प्रस्थापित क्षमता काफी बढी है। राज्य मे बिजली प्राप्त ग्रामो की सख्या 42 से बढकर मार्च 1990 के अत तक 27063 तथा शक्तिचालित कुओ/पम्पसेट्स की सख्या 30 से बढकर 3 5 लाख हो गया है। शक्ति की प्रस्थापित क्षमता की वृद्धि में प्रमुख योगदान कोटा थर्मल चरण II की प्रथम व द्वितीय इकाई माही हाइडल पावर हाउस 2 अन्ता गैस पावर स्टेशन इकाई I व II तथा रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन ने दिया है। भविष्य मे शक्ति की प्रस्थापित क्षमता के बढने की और सम्भावनाएँ है।

4 **औद्योगिक विकास** पहले बताया जा चुका है कि योजना की अवधि में राज्य मे कई कारखाने खोले गये है जिससे पजीकत फैक्टियाँ 1949 मे 207 से बढकर 1991 के अन्त मे 10792 हो गई। राज्य मे सीमेट का उत्पादन 1951 मे 2 58 लाख टन से बढकर 1991 मे 47 4 लाख टन (लगभग 18 गुना) हो गया। चीनी का उत्पादन 1951 मे 1 5 हजार टन से बढकर 1991 मे 25 हजार टन (1990 मे 13 हजार टन) हो गया। सूती वस्त्र और सूत का उत्पादन बढा है। राज्य मे बाल बियरिंग व बिजली के मीटर बनने लगे है जिनकी सख्या 1991 मे क्रमश 177 लाख व 991 हजार हो गई थी। राज्य मे नमक का उत्पादन भी पहले से बढा है। 1991 मे नमक का उत्पादन 14 4 लाख टन हुआ जबकि 1971 मे यह 5 5 लाख टन हुआ था।

1971 मे 1985 तक औद्योगिक उत्पादन सूचकाक (आधार वर्ष 1970 = 100) के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर विनिर्माण (manufacturing) मे 3 7% रही एव समस्त औद्योगिक विकास मे 6% रही थी।

5 **सड़कों का विकास** राज्य मे 1950 51 के अन्त मे सडको की लम्बाई 17 339 किलोमीटर थी जो बढकर 1991 92 मे 59 913 किलोमीटर हो गयी। इस प्रकार सडको की लम्बाई तिगुनी से भी अधिक हो गई। 1960 61 मे प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मे सडको की लम्बाई 7 80 किलोमीटर थी जो बढकर 1991 92 मे 17 51 किलोमीटर हो गई है। लेकिन फिर भी यह समस्त भारत के औसत स्तर (54 किलोमीटर) से नीची है। अनुमान था कि मार्च 1992 के अन्त तक 1500 व अधिक जनसख्या वाले 93 7% गाँव 1000 1500 जनसख्या वाले 70 [illegible] गाव तथा 1000 से कम जनसख्या वाले 24% गाँव सडको से जोड दिये जायेग। कुल गावो मे से 34 3% गाँव सडको से जोड दिये जायेगे

6 **शिक्षा की प्रगति** [illegible] 000 व ऊपर [illegible] जनसख्या [illegible] सभी गाँवो मे प्राथमिक स्कूल खोल दिये गये है। सभी पचायत समितियो मे एक या अधिक माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूल [illegible] गये [illegible] राज्य के सभी जिलों मे कालेज स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई [illegible] राज्य मे [illegible]डला इन्स्टीटयूट आफ साइन्स

व टेक्नोलोजी पिलानी और मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज जयपुर के स्थापित हो जाने से टेक्नीकल शिक्षा की सुविधाएँ बढ गई हैं। राज्य मे पोलोटेक्नीक सस्थाएँ भी स्थापित की गई है। राज्य मे वर्ष 1991 92 मे 166 कालेज उच्च शिक्षा मे सलग्न थे जिनमे 69 राजकीय थे तथा 50 सहायता प्राप्त कालेज थे तथा 47 गैर सहायता प्राप्त कालेज थे। 1991 92 मे बालोतरा बयाना सलूम्बर व भवानीमडी मे चार नये राजकीय कालेज खोले गये हैं। तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत 5 इन्जीनियरिंग कालेज व 13 पोलीटैक्नीक कार्यरत हैं। राज्य में स्कूली शिक्षा का काफी विस्तार हुआ है। राज्य मे साक्षरता का अनुपात 1981 मे 30% से बढकर 1991 मे 38 55% हो गया है। 1991 मे समस्त भारत के लिए साक्षरता का अनुपात 52 21% था। इस प्रकार योजनाकाल मे शिक्षण सस्थाओ का काफी विकास किया गया है। जुलाई 1987 से राज्य मे अजमेर, कोटा व बीकानेर मे नये विश्वविद्यालय चालू किये गये। 1950 51 मे प्राथमिक स्कूलो मे बच्चो की भर्ती 3 30 लाख थी जो बढकर 1991 92 मे 52 5 लाख हो गई। फिर भी लाखो बच्चे (6 11 वर्ष की आयु) अभी भी स्कूल नही जा रहे है।

7 चिकित्सा व जल पूर्ति के क्षेत्र मे प्रगति राज्य मे मलेरिया व चेचक आदि पर काफी मात्रा मे नियत्रण स्थापित कर लिया गया है। राज्य को 1977 मे चेचक से मुक्त घोषित कर दिया गया था। अस्पतालो मे रोगियो के लिए बिस्तरो की सख्या बढाई गई और चिकित्सा की सुविधा भी बढी है। सभी पचायत समितियो मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कर दिये गये है। 1951 52 मे अस्पतालो व डिस्पेन्सरियो एव मातृत्व व बाल कल्याण केन्द्रो की सख्या 418 थी जो 1990 91 में बढकर 10587 हो गई है।[1] शहरो के मुख्य अस्पतालो की भीड भाड को कम करने की दृष्टि से 5 सैटेलाइट अस्पताल भी चालू किये गये है।

31 मार्च 1991 तक 33 630 गाँवो में पेयजल की सुविधा (आंशिक व पूर्णतया) पहुचा दी गयी थी। राज्य मे नगरो व गाँवो मे जल सप्लाई की व्यवस्था मे भी सुधार किया गया है।

बडे शहरों मे पीने के पानी की कमी को दूर करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न

(1) बीसलपुर परियोजना इससे पेयजल अजमेर, किशनगढ नसीराबाद, सरवाड केकडी तथा जयपुर शहर को प्राप्त होगा। यह योजना आठवीं पचवर्षीय योजना के शुरू के वर्षों मे कार्यान्वित होगी। अजमेर को 1992 तक जल देने का कार्यक्रम रखा गया था।

---

1 राजस्थान आय व्ययक अध्ययन 1992 93 प 133

(2) जोधपुर लिफ्ट जल पूर्ति स्कीम (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना से) इसके लिए पानी गाँव माडामर मे दिया जाएगा जो जोधपुर से काफी दूर है (205 किलोमीटर) । इस पर काम 1984 मे प्रारम्भ कर दिया गया था लेकिन नवम्बर 1985 से मार्च 1987 तक काम बन्द रहा। अब काम पुन चालू किया गया है।

(3) मान्सी वाकल परियोजना (Mansı Wakal Project) उदयपुर इसके अन्तर्गत उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम मे मान्सी वाकल घाटी के सतह जल (surface water) का प्रयोग किया जाएगा इसके लिए बाध बनाये जायेगे।

एक बाध 'देवास मे (गोगना गाव के पास) ओर दूसरा वाकल नदी पर बनाया जायगा। उदयपुर तक पाइपों व पम्पो से जल पहुचाने के लिए 16 75 किलोमीटर लम्बी लाइन डाली जायेगी। इसके 1995 तक पूरा होने की आशा है।

इसके लिए उदयपुर को अन्तरिम जल पूर्ति जयसमद परियोजना मे की जायगी। यह उदयपुर से 55 किलोमीटर दूर है इस पर 16 करोड रूपये व्यय होने का अनुमान है। जब तक मान्सी वाकल योजना पूरा नही हो जाती तब तक उदयपुर के लिए जयसमद से पानी लाना होगा

(4) जयपुर के लिए बाडी चेमीन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है। गाँवो मे पेयजल को पूर्ति के लिए खुले कुओ नलकूपा तथा नहरो मार्ग पर पडने वाले गाँवो को नहरो मे पानी देने की व्यवस्था की जा रही है।

8 राज्य मे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की प्रगति *IRDP निर्धनता कम करने मे सम्बन्धित कायक्रम है। 1977 78 के मूल्यो पर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 63 रुपये (ग्रामीण क्षेत्र में) तथा 75 रु (शहरी क्षेत्रो मे) से कम व्यय करने वाले व्यक्ति निर्धन माने गये थे जिनका अनुपात राजस्थान के लिए 33 5% आया था हालाकि यू पी के लिए यह 50% बिहार के लिए 57 5% पश्चिम बगाल के लिए 52 5% तथा तमिलनाडु के लिए 52% आया था। इस प्रकार राजस्थान कम निर्धन माना गया था।*

छठी योजना मे IRDP के माध्यम मे निर्धन वर्ग को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के प्रयास किये गये है लेकिन उनमे पर्याप्त सफलता नहीं मिल पायी है। **राजस्थान मे ग्रामीण निर्धनता का अनुपात 1977 78 मे 33 5% से बढकर 1983 84 मे 36 6% हो गया था। राजस्थान ही एक ऐसा राज्य था जिसमे उपरोक्त अवधि मे ग्रामीण निर्धनता का अनुपात (poverty ratio) बढा जबकि अन्य राज्यो व समस्त भारत मे यह घटा था।**[1] 1987 88 मे राजस्थान मे ग्रामीण निर्धनता का अनुपात सरकारी सूचना के आधार पर 24 9%

---

1 C H Hanumantha Rao Changes in Rural Poverty in India Mainstream January 11 1986 p 11

रहा। निर्धनता का विस्तृत विवेचन एक पृथक अध्याय मे किया गया है।

1948 मे जयपुर जिले (मार्फत अध्ययन विकास संस्थान जयपुर) व जोधपुर (मार्फत नाबार्ड) जिलो मे IRDP की प्रगति के सर्वेक्षण हुए थे जिनसे प्राप्त परिणाम सतोषजनक स्थिति के सूचक नहीं है। जयपुर जिले मे 14 7% परिवार तथा जोधपुर जिले मे 21 4% परिवार जो गरीब माने गये थे वस्तुत गरीब नहीं थे। जयपुर के अध्ययन मे बतलाया गया कि 54% कर्ज लेने वालो ने अपने पशु बेच दिये अथवा उनके पशु मर गये उनको चारे की कमी के कारण बडी कठिनाई का सामना करना पडा है। केवल 18% कर्ज लेने वाले ही निर्धनता की रेखा को पार कर पाये है। भेड बकरी आदि के सम्बन्ध मे स्थिति काफी खराब रही है। इस प्रकार IRDP की उपलब्धियाँ सीमित ही रही है। राजस्थान के योजना विभाग की सूचना के अनुसार छठी पचवर्षीय योजना मे 7 1 लाख परिवारो को IRDP से लाभ पहुँचा है जिनमे लगभग आधे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारो के है।

1991 92 मे 1 10 लाख परिवारो को लाभान्वित करने का लक्ष्य था। इसके लिए कुल 47 करोड रुपयो के व्यय का प्रावधान किया गया था। लाभान्वित होने वाले परिवारो के माल के विक्रय की व्यवस्था भी की गई ह। सरकार ने निर्धन वर्ग के कल्याण हेतु अन्त्योदय योजना को नये सिरे से चालू किया। 1992 93 मे इसके लिए लगभग 40 54 करोड रुपये का प्रावधान किया गया जिसमे राज्य का अश आधा है। 1993 94 मे लगभग 35 क रोड रुपये के व्यय से 80 हजार परिवारो को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

निर्धनता रेखा की केलोरी आधारित अवधारणा को कई राज्यो व विशेषज्ञो ने सही नही माना है। इसमे एक समय के केलौरी से जुडे मौद्रिक व्यय को जीवन व्यय सूचकाकसे समायोजित कर देते है लेकिन यह रेखा आगे केव्यय वितरण मे निधनता रेखा के बिन्दुओ को सही ढग से नहीं बतला पाती।

इसमे निम्न कमियाँ है [1] —

(i) इसमे भार ढाँचे (weighting diagram) मे उन परिवर्तनो पर विचार नही होता जो फसल प्रारूप मे परिवर्तनो सस्ते स्थानापन्नो की उपलब्धि व मोटे अनाजो की कीमतो व सामान्य कीमत सूचकाक के बीच अतरो से सम्बन्धित होते है।

(ii) एक व्यक्ति की क्रिया का स्तर तथा तदनुरूप उसकी ऊर्जा की आवश्यकता भौतिक वातावरण (physical environment) पर भी निर्भर

1 Address by Shri Bhairon Singh Shekhawat Then Chief Minister Rajasthan, National Development Council New Delhi June 18 19 1990 pp 6 7

होती है। मरु व पहाडी क्षेत्रो के कठोर भौतिक वातावरण मे रोजमर्रा की क्रियाओ मे लोगों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसी दशाओ मे सभी राज्यो मे समान केलोरी का नार्म लागू करने का कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं है।

कई विशेषज्ञो की राय है कि ऐसी दशाओ मे एक विशिष्ट राज्य के अपने केलोरी नार्म प्रयुक्त होने चाहिए।

(iii) एक विशिष्ट वर्ष के सर्वेक्षण के आकडो की विश्वसनीयता का भी प्रश्न है, विशेषतया राजस्थान जैसे सूखा-सम्भाव्य राज्य के लिए। प्राय सूखा पडने से राज्य कृषिगत उत्पादन व प्रति व्यक्ति आय मे भारी उतार-चढाव आते रहते हैं। अत एक वर्ष का उपभोग व्यय व कीमत सूचकाक सामान्य दशा का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस प्रकार योजना आयोग के द्वारा प्रयुक्त निधनता के अनुमान अविश्वसनीय बन जाते हैं।

9 राष्टीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) इसके तहत ग्रामाण क्षेत्रो मे रोजगार बढाने की व्यवस्था की जाती थी। अकाल राहत के कार्य भी कराये जाते थे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल के लिए कुओ का निर्माण स्कूल भवनो डिस्पेन्सरियो ग्रामीण सडको लघु सिचाई के साधनो व भू सरक्षण के कार्य शामिल किये जाते थे।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारटी कायक्रम (RLEGP) टाइसम मैसिव कार्यक्रम (लघु कृषकों के लिए) मरु विकास सूखा सम्भाव्य क्षेत्र विकास रेवाइन रिक्लेमेशन कार्यक्रम (कन्दरा सुधार कार्यक्रम) सीमावर्ती क्षेत्र विकास मेवात विकास आदि के लिए धनराशि व्यय की गई है तथा सम्बन्धित व्यक्तियो को लाभान्वित किया जा रहा है। अब जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण निर्धन परिवारो के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका विस्तृत विवेचन आगे चलकर सम्बन्धित अध्याय मे किया गया है।

साराश योजनाका ४८ वर्षों की आर्थिक प्रगति से राज्य मे विकास का आधार ढाचा (इन्फ्रास्ट र) सुदृढ हुआ है। सिचाई की सुविधाएँ बढी हैं विद्युत की प्रस्थापित क्षमत ढी है ओर राज्य औद्योगिक विकास के नये कार्यक्रम अपनाने की स्थिति मे आ गया है। रीको ने सयुक्त क्षेत्र व सहायता प्राप्त क्षेत्र मे कई इकाइयाँ स्थापित की हैं जिनमे से कई इकाइयो मे उत्पादन कार्य चालू हुआ है। RFC लघु व मध्यम उद्योगो को काफी मात्रा मे दीर्घकालीन कर्ज देने लगा है।

लेकिन राज्य मे जनसख्या की कुल वृद्धि दर 1971 81 मे 33% तथा 1981 91 मे लगभग 28 4% रही है जो अभी भी ऊँची है और जनसख्या नियत्रण के क्षेत्र मे राज्य में नियोजन की विफलता का सूचक है। राज्य मे निरन्तर अकाल व अभाव की स्थिति बनी रहती है। विद्युत की सृजन क्षमता के बढने पर भी कृषिगत व औद्योगिक कार्यों के लिए प्राय विद्युत की कमी बनी रहती है जिसमे कृषि व उद्योग दोनो के विकास मे बाधा पहुचती है। पर्यटन का विकास भी अपर्याप्त मात्रा मे हुआ है जिस पर भविष्य मे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता

है। इससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलेगी।

हम नीचे राजस्थान के विकास मे प्रमुख बाधक तत्वो का उल्लेख करके भावी विकास के लिए आवश्यक व्यावहारिक सुझाव देंगे ताकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था अधिक तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो सके।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति के कारण

(Causes of Slow Growth of the Economy of Rajasthan)

नियोजन के प्रारम्भ मे राजस्थान आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक व अन्य दृष्टियो से देश के अन्य भागो की तुलना मे काफी पिछडा हुआ था। पिछले चार दशको मे कई क्षेत्रो मे प्रगति होने से राज्य के सामाजिक आर्थिक पिछडेपन मे कमी आयी है। लेकिन अभी इस दिशा मे बहुत कार्य करना शेष रह गया है। हम पहले बतला चुके है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1970 71 के बाद केवल 1983 84 1988 89 1989 90 व 1990 91 के चार वर्षों मे ही पहले के स्तर से ऊँची रही है। अन्य वर्षों मे यह 1970 71 के स्तर से नीची रही थी।

इससे राज्य की धीमी आर्थिक प्रगति का ही नहीं बल्कि आर्थिक गतिहीन दशा का पता लगता है। राज्य में अकाल व सूखे की दशाओ के कारण कृषिगत उत्पादन पर निरन्तर प्रभाव पडता रहता है।

अत वर्षों मे राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1970 71 के स्तर के आस पास ही मडराती रही है जिसमे राज्य मे धीमी प्रगति का ही आभास होता है। इसके कारणो पर आगे चलकर प्रकाश डाला गया है। ये तत्व ही राज्य के आर्थिक विकास मे प्रमुख रूप से बाधक रहे है।

1 प्राकृतिक बाधाएँ- पहले बतलाया जा चुका है कि अरावली पर्वतमालाओ के पश्चिम मे थार का रेगिस्तानी प्रदेश पाया जाता है जिसमे वर्षा बहुत कम होती है और मिट्टी भी उपजाऊ नहीं है। इससे कृषि कार्यों मे बहुत बाधा पहुचती है।

विभिन्न प्राकृतिक बाधाएँ इस प्रकार हैं

(i) वर्षा की अनिश्चितता सूखा अकाल आदि राज्य मे वर्षा का वार्षिक औसत अन्य कई राज्यो की तुलना मे कम है। वर्षा की अनिश्चितता व अनियमितता समस्त भारत की विशेषता है लेकिन इसका विशेष कुप्रभाव राजस्थान पर पडता है। राज्य मे वर्षा का सामान्य वार्षिक औसत 59 सेन्टीमीटर माना गया है जो जैसलमेर मे 15 सेन्टीमीटर से झालावाड मे 104 सेन्टीमीटर तक पाया जाता है। यहाँ एक ही समय मे राज्य के कुछ भागो मे अतिवृष्टि के फलस्वरूप बाढ के कारण जान माल की भारी हानि देखी जाती हे (जैसा कि जुलाई अगस्त 1990 को दो बार की बरसात से राज्य के पश्चिमी प्रदेश जालौर पाली सिरोही बाडमेर, व जोधपुर म भारी क्षति हुई) तो दूसरी तरफ अनावृष्टि व सूखे के कारण लोगो को पीने का पानी तक नहीं मिलता और पानी व चारे के अभाव मे पशुधन को भारी क्षति पहुचती है।

भूतकाल मे राज्य से प्रतिवर्ष पशुओं का मध्य प्रदेश, गुजरात उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यो को निरन्तर निष्क्रमण होता रहा है। प्राकृतिक प्रकोपो से प्रभावित क्षेत्रो मे सरकार को राहत कार्य (Relief works) चालू करने पडते है और भू राजस्व आदि की भारी मात्रा मे छूटे देनी पडती है। वर्षा की कमी के कारण राजस्थान मे हर वर्ष किसी न किसी क्षेत्र मे अकाल की स्थिति अवश्य पायी जाती है। कभी कभी अकाल की व्यापकता व भीषणता बहुत बढ जाती है। छठी पचवर्षीय योजना (1980-85) की अवधि में एक वर्ष (1983 84) को छोडकर बाकी सभी वर्षों मे राज्य मे सूखे व अभाव की स्थिति रही। अतिवृष्टि व अनावृष्टि दोनो के कारण राज्य को अकाल के सकट का सामना करना पडता है। सातवीं योजना (1985 90) के सभी वर्ष अकाल की चपेट मे रहे है। सबसे भारी क्षति 1987 88 के अकाल से हुइ जब 27 जिलो के 36 252 गाँव इससे प्रभावित हुए थे।

अकाल के कारण लोग रोजगार की तलाश मे इधर उधर भटकने लगते है तथा पशुओ के लिए भी चारे व पानी का सकट उत्पन्न हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान के पशु पालको का जीवन कितना कष्टमय है व घोर निराशाओ से भरा हुआ है। सरकार को अन्य राज्यो से चारे की खरीद करनी होती है। लेकिन वह पर्याप्त नही होता और फलस्वरूप चारा महगा हो जाता है। इससे दूध के भावो पर भी भारी असर पडता है।

(ii) पीने के पानी का अभाव राज्य के कई जिलो मे भूमि के नीचे पानी बहुत गहराई से निकलता है अथवा कभी कभी भूमि के नीचे जल बिल्कुल नही निकलता और कुछ दशाओ मे खारा पानी (Brackish water) निकलता है जो किसी भी काम का नही होता। इस प्रकार पीने के पानी के अभाव मे लोगो को काफी दूर से पानी की व्यवस्था करनी पडती है जिससे अनावश्यक मात्रा मे श्रम शक्ति व साधन नष्ट हो जाते है। सूखे की स्थिति मे तो भयानक गर्मी व प्यास से कभी कभी मनुष्य व पशु मौत के शिकार हो जाते है। गावो मे पेयजल पहुचाने की व्यवस्था करनी होती है। इस प्रकार राज्य मे आज भी काफी गाव ऐसे है जिनमे पेयजल की पर्याप्त सुविधा नही हो पायी है। राज्य सरकार हेण्डपम्प व नलकूप लगाने पर काफी बल दे रही है। काफी गाँवो मे पेयजल की कठिनाइ को दूर करने का प्रयास जारी है। सरकार को अकाल व सूखे की स्थिति मे टको व टेकरो की सहायता मे गाँवो मे पेयजल पहुँचाना होता है। इसके अलावा प्राइवेट टको ऊटगाडियो व बैलगाडियो का भी पेयजल पहुचाने मे उपयोग किया जाता है।

(iii) भूमि का कटाव राज्य मे तेज हवा के कारण भूमि के कटाव का भी गम्भीर समस्या पाया जाता है। पशुओ के द्वारा अनियन्त्रित चराई के कारण घास का अन्तिम पत्ती तक साफ कर दी जाती है जिससे भूमि का कटाव और भी तेज हो जाता है। इस प्रकार वर्षा की कमी व अनियमितता भूमि के नीचे

पानी की कमी और मिट्टी के कटाव ने राज्य को कभी अकालो से मुक्त नहीं होने दिया है।

2. सिचाई के साधनो का अभाव- यद्यपि योजनाकाल मे सकल सिंचित क्षेत्र लगभग साढे चार गुना हो गया है, तथापि आज भी कुल जोते-बोये क्षेत्र का चौथाया भाग (लगभग 24%) ही सिचाई के अन्तर्गत आ पाया है। राज्य का तीन-चौथाई कृषित क्षेत्र मानसून की दया पर आश्रित रहता है। सिचाई के अभाव मे एक से अधिक फसले बोना सम्भव नहीं हो पाता और गहन कृषि की पद्धतियो को अपनाने मे भी कठिनाई होती है। फसलो की अधिक उपज देने वाली किस्मो के लिए रासायनिक खाद के साथ साथ पर्याप्त मात्रा मे जल की भी आवश्यकता होती है।

3 विद्युत शक्ति का अभाव- राज्य मे योजनाकाल मे विद्युत की प्रस्थापित क्षमता तो 13 मेगावाट से बढकर 1991 92 मे लगभग 2776 मेगावाट कर दी गई है लेकिन चम्बल क्षेत्र मे वर्षाभाव के कारण पिछले वर्षो मे विद्युत की पूर्ति मे कटौती करनी पडी है जिससे औद्योगिक इकाइयो को काफी कठिनाई का सामना करना पडा है। राज्य को विद्युत के लिए मध्य प्रदेश व पजाब की परियोजनाओ का मुँह ताकना पडता है। राणाप्रताप सागर के पास अणु-शक्ति केन्द्र के ल्लू हो जाने से राज्य मे विद्युत की पूर्ति बढी है लेकिन इस सयत्र मे तकनीकी खराबी से इसको कई बार बन्द करना पडा है, जिससे बिजली का सकट बारम्बार उत्पन्न हो जाता है। राज्य मे लिग्नाइट के अलावा ईंधन के अन्य स्रोतो का अभाव पाया जाता है। राज्य सरकार पावर की सप्लाई बढाने का भरपूर प्रयास कर रही है।

1993 94 मे ऊर्जा के विकास के लिए 468 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है जो कुल प्रस्तावित व्यय का 27 5% है। माही प्रोजेक्ट, कोटा थर्मल प्रोजेक्ट चरण II व चरण III तथा ट्रासमिशन कार्यक्रम एव ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम पर व्यय की जायेगी। मिनीहाइडल प्रोजेक्ट सूरतगढ मागरोल माही की दायी नहर पूगल व धारणवाला चालू किये गये है जिससे 12 मेगावाट सृजन क्षमता बढेगी। इनसे राज्य की पावर सप्लाई की स्थिति मे काफी सुधार होगा। लेकिन कृषि व उद्योग के लिए पावर की माग तेजी से बढ रही है। अत मुख्य समस्या बढती हुई माग को पूरा करने की है। राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण पावर वितरण पर खर्च ज्यादा आता है। पश्चिमी राजस्थान मे लम्बी दूरी के कारण व्यय बढ जाता है तथा आजकल राज्य मे 21% पावर ट्रासमिशन व वितरण मे ही नष्ट हो जाती है। विद्युत के इस भारी ह्रास को रोका जाना चाहिए।

आठवीं योजना के अन्त तक पावर की माँग व पूर्ति मे 41 21% अतर रहने का अनुमान है। राज्य का अश केन्द्रीय पावर सृजन केन्द्रो मे सिगरौली के 15% से घटकर बाद के प्रोजेक्टो मे 9 5% मात्र रह गया है। ऐसी स्थिति मे केन्द्रीय सृजन केन्द्रो द्वारा राज्यो को आवंटित अश के निर्धारण का आधार बदला

जाना चाहिए। वर्तमान मे एक राज्य द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा (energy consumed) तथा पिछले पाच वर्षों मे प्राप्त योजना सहायता (plan assistance) के भारित औसत (weighted average) के आधार पर केन्द्रीय सृजन केन्द्रों (central generating stations) से उसका विद्युत का अश निर्धारित होता है जिससे पिछडे व निर्धन राज्यों के हितो को हानि होती है। विपरीत थर्मल विद्युत व जल विद्युत मिश्रण से भी ऐसे राज्यो के लिए पावर अनार्थिक बन जाती है। अत पावर की कमी वाले राज्यो के हितो पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

4 यातायात के साधनो का अभाव- राज्य मे पिछले वर्षों मे सडकों की प्रगति हुई है लेकिन अभी भी इस दिशा म काफी कमी नजर हुई है। रेलों की व्यवस्था के सम्बन्ध म एक कठिनाई यह है कि चौडा पटरा से सकरी पटरी मे परिवहन का अन्तरण करते समय स्टेशनो पर कई प्रकार की कठिनाइयो का सामना करना पडता है जैसे भूतकाल मे सवाई माधोपुर स्टेशन पर यह कठिनाई विशेष रूप से देखने मे आयी है। लेकिन हाल मे (31 जनवरी 1993 से) जयपुर के समीप दुर्गापुरा स्टेशन से सवाई माधोपुर तक ब्रोड गेज लाइन के चालू हो जाने से जयपुर बम्बई से बडी लाइन स सीधा जुड गया है। इससे राज्य के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और सवाई माधोपुर स्टेशन पर माल को ढोने मे जो टूट फूट होती थी वह नहीं होगी। इससे राज्य का व्यापार भी अन्य राज्यो से बढ जायगा।

1986 87 मे इन्फ्रास्टक्चर विकास का सूचकाक (Index) 79 रहा (समस्त भारत का 100) तथा राजस्थान का 14 बडे राज्यो मे 13 वा स्थान रहा था। इससे राज्य की आधारभूत सरचना की दृष्टि से पिछडी स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

5 अलौह-खनिजो व ईंधन का अभाव राजस्थान मे अलौह खनिज जैसे ताबा, सीसा, जस्ता, चादी व रागा एव अन्य कई खनिज तो पर्याप्त मात्रा मे पाये जाते हैं लेकिन कच्चे लोहे कोयले (लिग्नाइट के अलावा) एव खनिज तेलों का अभाव पाया जाता है जिसके कारण यह लोहे व इस्पात एव अन्य पूँजीगत उद्योगो का विकास कर सकने मे असमर्थ रहा है। राज्य के पास लिग्नाइट कोयले के विपुल भण्डार है इनका उपयोग करके थर्मल पावर की सप्लाई बढायी जा सकती है।

6 उपभोग के केन्द्र (consumption Centres) राजस्थान से बाहर पाये जाते हैं। राजस्थान भूतकाल में उद्यमकर्ताओ को आकर्षित करने में विफल रहा है। इसके लिए कई कारण बतलाये गये हैं। लेकिन एक कारण यह है कि विभिन्न वस्तुओ के उपभोग के मुख्य केन्द्र राजस्थान के बाहर पाये जाते हैं जिससे टिकाऊ या गैर-टिकाऊ उपभोग्य वस्तुओं अथवा उत्पादक व पूँजीगत वस्तुओ का उत्पादन राजस्थान में न किया जाकर देश के पूर्वी व

पश्चिमी प्रदेशो में किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख उद्योगपति भी उद्योगो की स्थापना के लिए देश के अन्य भागों मे गये और उन्होने राजस्थान मे आज तक पर्याप्त मात्रा मे रुचि नहीं दिखलायी। राज्य के सभी मुख्यमत्री प्रवासी उद्यमकर्त्ताओं को राजस्थान के औद्योगीकरण मे सहयोग देने के लिए निरन्तर अपील करते रहे हैं। लेकिन उसका वांछित आशाजनक व उत्साहवर्द्धक परिणाम मिलना अभी शेष है। भविष्य मे उनकी शकाओं व शिकायतो का उचित समाधान निकालने की आवश्यकता है। इसके लिए समय-समय पर विचार गोष्ठियो का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि व्यावहारिक समस्याएँ सामने आ सके और उनका वहीं पर समाधान किया जा सके।

7 प्रति व्यक्ति योजना-परिव्यय की कमी राजस्थान मे प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और अतर निरन्तर बढता जा रहा है। उदाहरण के लिए, छठी योजना की अवधि मे राजस्थान के लिए प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय की राशि 622 रुपये थी जबकि समस्त राज्यो के लिए इसका औसत 707 रुपये था। सातवीं योजना मे राजस्थान के लिए यह राशि 875 रुपये तथा समस्त राज्यों के लिए 1162 रुपये रही। इस प्रकार दोनो के बीच का अतर छठी योजना मे 85 रुपये से बढकर सातवीं योजना में 287 रुपये हो गया। प्रति व्यक्ति योजना-परिव्यय के अन्तराल (gap) का बढ़ना अनुचित है, क्योंकि इससे प्रादेशिक असमानता को कम करने मे बाधा पहुचती है।

8 सरकार के पास वित्तीय साधनो का अभाव- आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। राजस्थान सरकार ने पिछले वर्षों मे विकास-कार्यों एव अकाल सहायता कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार, वित्तीय सस्थाओ व जनता से काफी कर्ज प्राप्त किया है जिसकी कुल बकाया राशि 31 मार्च 1993 के अन्त तक 7,670 करोड़ रुपये हो गयी थी, जिसमें केन्द्रीय ऋणो की राशि 4,364 करोड रुपये या लगभग 56 9% थी। आन्तरिक कर्ज की राशि 1 709 करोड रुपये व प्रोविडेण्ट फण्ड आदि की 1,597 करोड रुपये थी।[1] इस प्रकार राज्य पर केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर्ज व अग्रिम राशियो का भार काफी ऊँचा है। आजकल नए केन्द्रीय ऋण पुराने ऋणो की अदायगी मे प्रयुक्त होने लगे है। 1991 92 में विभिन्न कर्जों से शुद्ध प्राप्ति का अनुमान 443 करोड रुपये व 1992 93 के लिए 344 करोड रुपये लगाया गया था। राज्य पर कर्ज का भार मार्च 1994 के अत तक 8 000 करोड रुपये से अधिक माना जा सकता है। अत राजस्थान कर्ज के भार से काफी दब गया है। केन्द्रीय सहायता भी ऋणो के पुनर्भुगतान मे प्रयुक्त हो जाती है। इससे

---

1 Report on Currency and Finance 1991 92 Vol II p 160 वर्ष 1992 93 के लिए बजट अनुमान काम में लिये गये हैं।

की कमजोर वित्तीय स्थिति का पता चलता है। राज्य को नयी योजनाओं के लिए भी केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता पडती है। ऐसी दशा मे सरकार के समक्ष वित्तीय साधनो को जुटाने की जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है। सिचाई व विद्युत आदि क्षेत्रो मे किये गये विनियोगो से उचित प्रतिफल नहीं मिलने से गहरा वित्तीय सकट बना रहता है। वित्तीय साधनो की हानि को कम करने के लिए सरकार ने शराबबन्दी को समाप्त कर दिया है। इसमे राज्य को आबकारी कर से पुन अच्छी आमदनी होने लगी है। 1993 94 के बजट मे इससे 425 करोड रुपये की आय का अनुमान लगाया गया है।

9 जनसख्या मे तीव्र वृद्धि बेरोजगारी व अल्प रोजगार की समस्याये 1981 91 के बीच राजस्थान की जनसख्या मे 28 4% की वृद्धि हुई जो भारत मे औसत वृद्धि (23 5 प्रतिशत) से 5% बिन्दु अधिक थी। राज्य मे रोजगार के साधनो के अभाव मे बेरोजगारी की समस्या भी विद्यमान है। रोजगार सलाहकार समिति (अध्यक्ष डा विजयशकर व्यास) की दिसम्बर 1991 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान मे 1991 से 2000 की अवधि मे 44 लाख नये व्यक्ति श्रम शक्ति मे प्रविष्ट होगे। पहले के 4 83 लाख बकाया बेरोजगार व्यक्तियो को शामिल करने पर उपर्युक्त अवधि मे लगभग 49 लाख व्यक्तियो के लिये रोजगार के नये अवसर उत्पन्न करने होगे। इस पर अधिक विस्तार से एक स्वतत्र अध्याय मे विवेचन किया जायेगा। अकाल के वर्षों मे बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल हो जाती है। लोग यथासम्भव रोजगार के लिये शहरो की तरफ आने लगते है जिससे शहरो की स्थिति और भी खराब हो जाती है। राज्य मे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कल्याण की समस्या भी बहुत जटिल है। इसका सामाजिक पहलू भी है। अत उनको हल करने के लिये कई दिशाओ मे प्रयत्न करने आवश्यक हो गये है।

10 धीमी आर्थिक प्रगति के अन्य कारण उपर्युक्त तत्वो के अलावा राज्य के आर्थिक विकास मे अन्य तत्त्व भी बाधक रहे है जैसे गावो का सामाजिक पिछडापन शिक्षा का अभाव कुशल व ईमानदार प्रशासन का अभाव एव पर्याप्त जन सहयोग की कमी। इनमे से कुछ कारण तो समस्त देश मे धीमी आर्थिक प्रगति के लिये उत्तरदायी माने जा सकते है। लेकिन राजस्थान का सामती वातावरण सामाजिक पिछडापन जाति प्रथा, ऊँच नीच का भेद भाव एव शिक्षा की कमी आदि यहाँ के विकास को विशेष रूप से अवरुद्ध करते रहे हैं। योजना कार्यों पर जितना धन व्यय किया जाता है उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। साधनो के अभाव की स्थिति मे साधनो का सर्वोत्तम उपयोग और भी अधिक आवश्यक हो गया है। राजस्थान की धीमी आर्थिक प्रगति के उत्तरदायी कारणो का उल्लेख करने के बाद अब हम राज्य मे आर्थिक प्रगति को तेज करने के उपायो के बारे मे आवश्यक सुझाव देते हैं।

भविष्य में तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिये सुझाव (Suggestions for Rapid Economic Growth in Future)

राज्य मे आठवीं पचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से लागू की गयी है। 1990 91 व 1991 92 के वर्षों के लिये वार्षिक योजनाये सचालित की गई थीं। इस समय 1993 94 की वार्षिक योजना कार्यान्वित की जा रही है जो आठवीं योजना का दूसरा वर्ष है। अत हमें भूतकाल के अनुभवो से लाभ उठाकर भावी नियोजन को अधिक सक्रिय व सफल बनाने का प्रयास करना चाहिये ताकि राज्य मे विकास की गति तेज की जा सके। इस सम्बन्ध मे निम्न सुझाव दिये जा सकते है।

1 आर्थिक सर्वेक्षण राज्य मे आर्थिक सर्वेक्षण अधिक मात्रा मे होने चाहिए जिससे औद्योगिक व खनिज विकास की भावी सम्भावनाओ का पता लगाया जा सके। इन सर्वेक्षणो से आवश्यक आक्डे उपलब्ध हो सकेगे। आर्थिक अनुसधान की राष्ट्रीय परिषद् (NCAER) ने राज्य के लिये 1974 89 की अवधि के लिये एक दीर्घकालीन योजना तैयार की थी जिसमे राज्य के भावी विकास के लिये काफी उपयोगी सुझाव दिये गये थे। एम वी माथुर समिति ने आठवीं पचवर्षीय योजना मे औद्योगिक विकास की व्यूहरचना निर्धारित करने के लिये अपनी जून 1989 की रिपोर्ट मे कई उपयोगी सुझाव दिये थे। राजस्थान मे 'रोजगार समस्या की मात्रा व भावी अनुमानों पर रोजगार सलाहकार समिति ने दिसम्बर 1991 मे अपनी अन्तिम रिपोर्ट जारी की है जिसमे वर्ष 2000 तक राज्य मे पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिये उपयोगी सुझाव दिये गये है।

2 सूखे से बचने के लिये सिचाई के साधनो का विकास राज्य मे निरन्तर पडने वाले अकालो से बचने के लिये सिचाई के साधनो का विस्तार किया जाना चाहिये। इसके लिये सिचाई के साधनो पर अधिक बल दिया जाना चाहिये। रा्य मे सभी प्रकार के साधनो से अंतिम सिचाई की सम्भाव्यता 60 लाख हैक्टेयर आकी गई है जिसमे से 1989 90 के अत तक 47 लाख हैक्टेयर क्षमता तक का विकास कर लिया गया था। अत भविष्य मे सिचाई के विकास को काफी सम्भावनाएँ विद्यमान है जिसका उपयोग किया जाना चाहिये। पशुओ के लिये चारे की व्यवस्था भी बढायी जानी चाहिये और ट्यूब वेलो के समीप चारे को जमा करने के लिये 'फाडर बंक बनाने चाहिये। सिचाई के विस्तार का एक प्रतिकूल प्रभाव पडा है कि गगनहर अथवा इन्दिरा गाधी नहर के क्षेत्र मे जहाँ कुछ वर्ष पूर्व चराई के मैदाना से 'सेवन (Seven) घास उपलब्ध हो जाती थी अब वहाँ खेती का विस्तार होने से घास की मात्रा काफी कम हो गई है और पशुओ को सुदूर स्थानो मे चराई के लिये ले जाना पडता है। इसलिये राज्य मे चारे का उत्पादन बढाने पर भी ध्यान देना होगा। इस दिशा मे डेयरी विकास निगम राजस्थान गौ सेवा सघ व इन्दिरा गाधी नहर परियोजना के प्राधिकारी चारे

का उत्पादन बढाने का प्रयास कर रहे है।

3. राजस्थान के शुष्क प्रदेश में भू-सारक्षण व जल व्यवस्था- राजस्थान के शुष्क प्रदेश मे सिचाई की सम्भावनाये सीमित होने से उपलब्ध नमी के सरक्षण व कुशल उपयोग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। फसलो का ऐसा प्रारूप अपनाना होगा जो कम नमी के अनुकूल हो। इसके लिये बन्डिग या कन्टूर बन्डिग की विधि ज्यादा उपयुक्त होगी अपेक्षाकृत टैरेसिग (terracing), रिजमेकिग (ridge making), चेक डेम (check-dam) के निर्माण आदि के। बध के खेतो में चने की फसल कम वर्षा के समय भी हो सकती है। हवा को रोकने में पेड व झाडियाँ भी लाभप्रद हो सकती है। शुष्क प्रदेशो म कैर आदि के पेड बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते है। कुछ स्थायी घास की किस्मे सुरक्षात्मक टुकडियो का काम कर सकती है। इन टुकडियो के बीच मे खेती की जा सकती है। इनसे खडी फसलो की रक्षा की जा सकती है। मिटटी का हवा से होने वाला कटाव रुकता है और नमी पर नियत्रण हो पाता है। इन सरक्षण के उपायो से शुष्क प्रदेश मे फसलो के उत्पादन को बढाने मे बहुत मदद मिलेगी।

4 अरावली क्षेत्र के विकास पर बल- अरावली प्रदेश का राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश गुजरात व उत्तर प्रदेश के सतह व भूतल जल स्रोतो व भण्डारो के निधारण मे काफी महत्व है तथा यह रेगिस्तान को पूव की ओर बढने से रोकता है। लेकिन इस क्षेत्र को पिछली अवधि मे काफी क्षति का सामना करना पडा है और इसका पयावरण व परिवेश सम्बन्धी स्थिति काफी कमजोर हो गई है। इस प्रदेश के विकास को पहाडी-क्षेत्र विकास मे शामिल करने से राज्य को काफी लाभ पहुचेगा। योजना आयोग के एक कार्यकारी दल ने इसका समर्थन किया है। अत भविष्य मे अरावली प्रदेश का विकास पहाडी क्षेत्र विकास का अनिवार्य अग बनाया जाना राज्य के हित मे होगा। इस पर आगे चलकर अधिक विस्तार से विवेचन किया जायेगा।

5. पेयजल की सुविधा- राज्य मे जिन क्षेत्रो मे पेयजल का अभाव पाया जाता है, उनमे जल-पूर्ति के कायक्रम तेजी से लागू करने होंगे। खारे पानी की टटी मे पडने वाले क्षेत्रो के लिये गाँवो के समूह के लिये क्षेत्रीय योजनाये बनानी पडेगी और आस-पास नलो के जरिये पानी पहुचाने की व्यवस्था करनी होगी। जहाँ पानी गहराई मे उपलब्ध होता है और मनुष्य व पशुओ के पीने योग्य होता है, वहाँ अधिक सख्या मे ट्यूब-वैल लगाने होंगे। कुछ क्षेत्रो मे नये कुए खोदने और पुराने कुओ को गहरा करने से भी काफी सीमा तक पेयजल की समस्या हल हो सकती है।

6 इन्दिरा गाधी नहर परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय विकास- इन्दिरा गाधी नहर परियोजना के क्षेत्र मे नयी बस्तियाँ बसायी जा सकती हैं जिनमे काफी लोगो को रोजगार दिया जा सकता है। अत इस क्षेत्र मे मिट्टी के सर्वेक्षण,

सडक निर्माण वृक्षारोपण, पानी की व्यवस्था आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। सच पूछा जाय तो मरुभूमि का कल्याण इस नहर को पूरा करने पर निर्भर करता है। इस योजना के पूरा हो जने पर सारा प्रदेश हरा भरा हो जायेगा और सारी धरती लहलहा उठेगी। अत केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार दोनों को मिलाकर यथासम्भव शीघ्रता से इस परियोजना के दोनो चरणो को पूरा करने का प्रयास करना चाहिये। अनावश्यक विलम्ब होने से भविष्य मे परियोजना की लागत और बढ जायेगी और अन्य कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हो सकती है। राज्य सरकार चाहती है कि भारी वित्तीय व्यय की आवश्यकता के कारण इसे केन्द्र अपने हाथ मे लेकर सचालित करे।

अकाल राहत कार्यों मे सडक-निर्माण के नाम पर काफी रुपया प्रतिवर्ष व्यय होता रहा है लेकिन सडकें ठीक से नहीं बन पाती हैं। यदि यही धनराशि इन्दिरा गाधी नहर परियोजना को पूरा करने मे लगती तो राज्य के लिये ज्यादा अच्छा होता। **इस प्रकार साधनो के अभाव की स्थिति मे भी साधनो का दुरुपयोग होना वास्तव मे एक चिन्ता का विषय है और वह प्रभावपूर्ण नियोजन के अभाव का सूचक है।**

निरन्तर सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रो के लिये केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम निर्धारित किये है। यह कार्यक्रम जैसलमेर, बाडमेर, जोधपुर पाली जालौर, नागौर, चूरू बीकानेर बासवाडा व डूगरपुर जिलो मे लागू किये जा रहे है। इन कार्यक्रमो मे सडक लघु सिचाई वृक्षारोपण चरागाह विकास ग्राम्य जल सप्लाई योजना आदि पर बल देने से अकालों की भीषणता में कमी होगी और लोगो को अधिक रोजगार मिलेगा। राज्य मे अकाल राहत कार्यों के माध्यम से आर्थिक विकास किया जाना चाहिये।

7 आधुनिक किस्म के लघु उद्योगो का विकास अभी तक राजस्थान में आधुनिक किस्म के लघु उद्योगो का विकास कम हुआ है। राज्य मे कृषिगत उत्पादन बढाने से कृषि आधारित उद्योगो (agro-based industries) व फूड प्रोसेसिग उद्योगो जैसे तेल उद्योग काटन जिनिग व प्रेसिग खाडसारी ब्रेड बिस्कुट, फलो एव सब्जियो को डिब्बो मे भरने मेथी पापड भुजिया शर्बत मसालो आदि का विकास किया जा सकता है।

भीलवाडा चित्तौडगढ व झालावाड मे पावर लूम का विस्तार किया जा सकता है। लकडी आधारित उद्योग भी डूगरपुर व झालावाड मे स्थापित किये जा सकते हैं। इस सबध मे लकडी की पेटियाँ कार्ड बोर्ड औजारो के हत्थे लकडी चीरने आदि के उद्योग गिनाये जा सकते हैं। राज्य मे खनिज आधारित उद्योगो मे चीनी मिट्टी के बर्तन, अभ्रक की घिसाई मारबल कटिग व ड्रेसिग आदि का विकास किया जा सकता है। रसायन उद्योगो मे साबुन पेंट वार्निश प्लास्टिक बूट पॉलिश आदि का विकास सम्भव है। धातु आधारित उद्योगो मे शीट मेटल

राज्य का सामान्य उद्योग रहा है। भविष्य मे कृषि औजारो तारो का निर्माण आटा मिले स्टील फर्नीचर, स्टोव कुकर्स ताले साइकिल व खिलौने आदि बनाये जा सकते है। विविध समूह मे खेल का सामान बर्फ आइसक्रीम सिले सिलाये वस्त्र गलीचो जूतो दुग्ध पदार्थ आदि का उत्पादन भी बढाया जा सकता है। राज्य मे रत्न जवाहरात व आभूषणो नाना प्रकार की दस्तकारियो पर्यटन आदि के विकास के अवसर विद्यमान है जिनका समुचित उपयोग किया जाना चाहिये।

इस प्रकार विभिन्न किस्म के उद्योगो का विस्तार करके उपभोक्ता माल व अन्य पदार्थों के उत्पादन मे वद्धि की जा सकती है। राज्य मे इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगो के विकास व भी काफी अवसर है।

8 प्रवासी उद्यमकर्ताओ को आकर्षित करना औद्योगिक विकास मे उद्योगपतियो से अधिक विचार विमर्श किया जाना चाहिये और उन्हे नये उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। राजस्थान के कुछ उद्योगपति अन्य राज्यो मे उद्योगो को काफी आगे बढा रहे है। उन्हे अपने राज्य मे आकर उद्योगो को स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। आज की परिवर्तित परिस्थितियो मे 'निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र की नीति का विशेष अर्थ नही रह गया ह बल्कि निजी क्षेत्र एव सार्वजनिक क्षेत्र दोनो के शीघ्र व पर्याप्त विकास एव विस्तार की नीति अपनायी जानी चाहिये। निजी उद्योगपतियो मे उद्योगो के सस्थापन सचालन व विकास की जो योग्यता पायी जाती है उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिये। हमे अनियंत्रित पूजीवाद की शोषण प्रवृत्ति एव सार्वजनिक क्षेत्र की अकार्यकुशलता व अकर्मण्यता के बीच का कोई अधिक सही एव अधिक व्यावहारिक मार्ग ढूढना चाहिये। देश के आर्थिक विकास मे दोनो क्षेत्रो का समुचित सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिये। इसके लिये सयुक्त क्षेत्र का विकास करना भी उचित होगा। रीको के द्वारा सयुक्त क्षेत्र व सहायता प्राप्त क्षेत्र के उद्योगो को बढावा देने से राज्य मे आने वाले वर्षों मे औद्योगिक विनियोग मे काफी वृद्धि होने की सम्भावना है।

9 वित्तीय साधनो मे वृद्धि पहले बतलाया जा चुका है कि राज्य के पास योजनाओ को कार्यान्वित करने के लिये वित्तीय साधनो की कमी रहती है। इसमे वद्धि करना आवश्यक है। इसके लिये सिचाई व विद्युत परियोजनाओ मे किये गये पुराने विनियोगो से उचित प्रतिफल प्राप्त करने होगे। जिन क्षेत्रो व जिन वर्गों की आमदनी बढी है उनसे अधिक साधन जुटाने होगे और भविष्य मे अपव्ययपूर्ण खर्च का रोकना होगा। राज्य को आन्तरिक साधनो के सग्रह पर अधिक बल देना चाहिय। गर योजना व्यय की वद्धि पर रोक न लग सकने के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति काफी शोचनीय हो गइ है। 1986 87 मे राज्य कर्मचारियो को सशोधित वेतनमान स्वीकृत करने व बोनस देने से सरकार पर 92 करोड रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आ पडा था और 1989 के आरम्भ मे राज्य कर्मचारियो

की लम्बी हडताल के बाद जो समझौता किया गया था उसका वार्षिक वित्तीय भार लगभग 114 करोड रुपये आका गया था। इस प्रकार राज्य के राजस्व का बडा भाग प्रशासन पर व्यय हो जाता है जिससे विकास कार्यों के लिये वित्तीय साधनो का अभाव रहने लगा है। सरकार ने पानी बिजली व बसो के किराये बढाकर साधन-सग्रह करने का प्रयास किया है लेकिन इससे सर्वसाधारण पर आर्थिक भार बढा है। विभिन्न परियोजनाओ की लागत कम करने व प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार लाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिये।

10 राज्य में पशुधन के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिये- राजस्थान में पशुपालन एक महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय है। इससे राज्य की आय मे लगभग 15% का योगदान मिलता है लेकिन योजना के परिव्यय का 1% से कम अश ही पशुपालन पर खर्च किया जाता है। अत इस असन्तुलन को कम करने की आवश्यकता है। पशु धन के विकास पर अधिक विनियोजन करने की आवश्यकता है।

11 पर्यटन का विकास किया जाना चाहिये प्राय यह देखा गया है कि भारत मे आने वाले प्रत्येक तीन पर्यटको मे से एक पर्यटक राजस्थान अवश्य आता है। इससे राज्य पर्यटन से अधिक मात्रा मे विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है। राजस्थान मे कई पर्यटन स्थल हे जहाँ किले मन्दिर (जैसे माउण्ट आबू मे देलवाडा का सुप्रसिद्ध जैन मन्दिर, आदि) अजमेर मे ख्वाजा साहब की दरगाह पुष्कर झीले पर्वतीय प्रदेश वन पुरानी सास्कृतिक व ऐतिहासिक कला कृतियाँ आदि दर्शनीय है। इनको देखकर विदेशी पर्यटक बहुत प्रभावित होते है। अत पर्यटन विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके लिये जयपुर एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मे बदला जाना चाहिये ताकि सीधी चार्टर उडाने इस शहर तक को जा सके। इसके लिये पर्यटन निदेशालय को अनेक प्रकार के कार्य सम्पन्न करने होंगे। दस्तकारियो का विकास करना होगा। गाइडो व टैक्सी ड्राइवरों की गलत आदतो पर अकुश लगाना होगा जिनके सम्पर्क मे विदेशी पर्यटक आते ही बहुधा बहुत निराश हो जाते है। राज्य मे पर्यटन को उद्योग घोषित करने का कदम काफी सराहनीय रहा है।

12 जिलास्तरीय नियोजन को सक्रिय रूप देकर स्थानीय साधनो का अधिक कारगर उपयोग किया जाना चाहिये तथा विकेन्द्रित नियोजन को सफल बनाया जाना चाहिये। नियोजन की तकनीक मे सुधार किया जाना चाहिये। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रो मे नये सिरे से लागत लाभ अध्ययन किये जाने चाहिये। (IRDP) व (JRY) के लिये परियोजनाओ का चयन सही ढग मे किया जाना चाहिये। जवाहर रोजगार योजना को सफल बनाने तथा पचायती राज सस्थाओ को सक्रिय करने के लिये, जिला खण्ड व ग्राम स्तर पर परियोजनाओ के चयन का महत्व बढ गया है। इस सम्बन्ध मे नये सिरे से प्रयास करने की आवश्यकता हे ताकि वित्तीय साधनो का अपव्यय रोका जा सके और उत्पादक रोजगार बढाया जा सके।

13 अन्य सुझाव- विकास की प्रकिया मे आर्थिक सामाजिक और

प्रशासनिक क्षेत्रो मे समुचित ताल-मेल बैठाया जाना चाहिये। राज्य मे शिक्षा का प्रसार करके सामाजिक पिछडेपन को दूर किया जाना चाहिये और प्रशासनिक कुशलता मे भी सुधार किया जाना चाहिये। स्मरण रहे कि नियोजन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य सामाजिक असमानता को भी कम करना होता है जिसके लिये राज्य मे अनुसूचित जातियो अनुसूचित जनजातियो व हरिजनो के कल्याण के लिये विशिष्ट कार्यक्रम चलाने होंगे। प्रशासनिक कुशलता मे वृद्धि करने की नीति के साथ साथ कार्यकुशल व ईमानदार व्यक्ति के लिये उचित प्रेरणाये व पुरस्कार एव अकार्यकुशल व बेईमान व्यक्तियो के लिये कडी सजाओ की व्यवस्था की जानी चाहिये। ये बाते काफी जानी बूझी है। लेकिन आवश्यकता है इनको व्यवहार मे लागू करने की जिससे विकास की गति तेज की जा सके तथा सभी क्षेत्रो मे उत्पादन व कार्यकुशलता बढायी जा सके।

14 राज्य नियोजन व विकास बोर्ड को सक्रिय बनाने तथा पचवर्षीय योजना का सशोधित प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता- कुछ वर्ष पूर्व राजस्थान मे राज्य नियोजन बोर्ड (State Planning Board) गठित किया गया था। लेकिन उसने योजनाओ के निर्माण क्रियान्वयन व मूल्याकन मे अभी तक कोई प्रभावी भूमिका नही निभायी है। सरकार को केन्द्र से आवश्यक विचार विमर्श करके इसे अधिक सक्रिय बनाना चाहिये। योजना आयोग की भाँति इसका भी पुनर्गठन किया जाना चाहिये ताकि राज्य की विभिन्न समस्याओ के विशेषज्ञ अपने अपने क्षेत्रो मे गहन अध्ययन करके राज्य के तीव्र आर्थिक विकास के लिए व्यावहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सके। हाल में सरकार ने योजना बोर्ड का पुनर्गठन करने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया था और इसमे कई विधायक व प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल किये गये थे। लेकिन अभी तक इसका अन्तिम स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध मे पश्चिम बगाल गुजरात कर्नाटक आदि के अनुभवो से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है।

राज्य का योजना विभाग पचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करके दिल्ली मे योजना आयोग को पेश करता है जिसमे आवश्यक कटौती व सशोधन करके योजना आयोग अपनी स्वीकृति दे देता है। उसके बाद प्राय पचवर्षीय योजना का सशोधित व अंतिम रूप फिर से विस्तारपूर्वक तैयार करने की कोशिश नहीं होती, बल्कि वार्षिक योजनाओं के माध्यम से ही योजना की प्रक्रिया जैसे-तैसे जारी रखी जाती है। इससे नियोजन के सम्बन्ध मे आवश्यक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य या दृष्टि का अभाव सदैव बना रहता है। यहाँ तक कि पचवर्षीय दृष्टि भी ठीक से सामने नहीं आ पाती है। राजस्थान के आर्थिक नियोजन मे 10 या 15 वर्षों के परिपेक्ष्य का तो कहीं नामोनिशान भी नजर नहीं आता। अत भविष्य मे आवश्यक सशोधन के बाद पचवर्षीय योजना का अन्तिम मसोदा भी विस्तारपूर्वक जरूर तैयार किया जाना चाहिए, जैसा कि मार्च 1993 मे आठवीं योजना 1992 97 के लिए किया गया है। पचवर्षीय योजना के उद्देश्य राज्य की विशेष आवश्यकताओ के अनुरूप निर्धारित

व्यय की राशि के आधार पर पचवर्षीय योजना का ब्यौरेवार सशोधित व नया प्रारूप तैयार किया जाना चाहिये। उसमे विकास व उत्पादन के लक्ष्यो के अलावा ऐसा करने से राज्य मे नियोजन की भूमिका अधिक सबल व सार्थक बन सकेगी। इस समय राज्य मे बहुत कुछ वार्षिक योजनाओ के माध्यम से ही काम चलाया जाता रहा है जो काफी नहीं है।

यहाँ भी गुजरात की भाँति औद्योगिक योजना को अधिक वैज्ञानिक ढग से तैयार किया जाना चाहिये। इसके लिये काफी तकनीकी कार्य करना होगा जैसे विभिन्न उद्योगो के बीच कडियो की स्थापना करना (inter industry linkages) विभिन्न जिलो या प्रदेशो के बीच औद्योगिक कडियाँ स्थापित करना कृषि व उद्योगो के बीच कडी स्थापित करना, औद्योगिक सगठन व प्रबन्ध के नये ढाँचे तैयार करना प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाना सार्वजनिक क्षेत्र की प्रबन्ध व्यवस्था मे सुधार करना इन्फ्रास्ट्रक्चर व उद्योगो के बीच कडी स्थापित करना टेक्नोलोजी मिशनों का औद्योगिक विकास मे उपयोग करना आदि आदि। अभी तक इस प्रकार के औद्योगिक नियोजन का राजस्थान मे नितान्त अभाव रहा है और कुछ ऐच्छिक किस्म के निर्णयो से काम चलाया जाता रहा है। आशा है 1992 2002 की अवधि में आठवीं व नवीं पचवर्षीय योजना पहले की कामचलाऊ प्रवृत्तियो व प्रक्रियाओ से मुक्त होकर वैज्ञानिक व तकनीकी नियोजन का मार्ग ग्रहण कर पायेगी जिनके अभाव मे नियोजन एक भुलावे व छलावे के अलावा और कुछ नहीं रह गया है बल्कि वह एक तरह से शुद्ध पूँजीवादी बाजार तत्र से भी अधिक बदतर हो गया है।

इन्दिरा गाधी नहर व चम्बल कमाण्ड क्षेत्रो में विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमो को सफल बनाने से राज्य को काफी लाभ प्राप्त होगा। राज्य मे खनिज सम्पदा डेयरी विकास व पशु धन के विकास की काफी सम्भावनाये विद्यमान हैं। राज्य सरकार चारे का उत्पादन बढाने का प्रयास कर रही है। इसके लिये इन्दिरा गाधी नहर क्षेत्र का उपयोग घास उगाने के लिये भी करना होगा। इस दिशा मे अधिक दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। अत कोई कारण नहीं कि सुनियोजित व अधिक सक्रिय ढग से आगे बढने पर राज्य अपना आर्थिक विकास अधिक तेज गति से न कर सके। आर्थिक नियोजन के कार्यक्रमो व अकाल राहत के कार्यक्रमो में अधिक ताल मेल बैठाया जाना चाहिये। राज्य की जल समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

प्रश्न

1 राजस्थान में नियोजन के उद्देश्य क्या रहे हैं ? उनको व्यवहार मे कहाँ तक प्राप्त किया जा सका है ? विवेचना कीजिये।

(Raj I yr 1992)

2 राजस्थान मे नियोजन की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालिये और नियोजन काल में हुई आर्थिक प्रगति की समीक्षा कीजिये।

3 राजस्थान की अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति के लिये उत्तरदायी कारणो का उल्लेख कीजिये। उन्हें दूर करने के उपायो का सुझाव दीजिये।

4 नियोजन काल मे राजस्थान के विकास की प्रमुख प्रवृत्तियो पर प्रकाश डालिये।

5 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान के आर्थिक विकास का मूल्याकन कीजिये।

6 'राजस्थान मे योजनावधि मे विकास की दर समस्त देश की तुलना मे नीची रही है।" क्या आप इस मत मे महमत है ? राज्य मे विकास की गति को तेज करने के कुछ व्यावहारिक सुझाव दीजिये।

7 योजनकाल म राजस्थान की आर्थिक प्रगति की समीक्षा कीजिये।

8 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये

(i) राज्य मे योजनावधि मे आर्थिक प्रगति,

(ii) राजस्थान की योजनाओ मे सार्वजनिक परिव्यय का आवटन।

16

राजस्थान में आधार-संरचना का विकास
(Infrastructure Development in Rajasthan)

इस अध्ययन मे आधार सरचना के विकास के अन्तर्गत राजस्थान मे सिचाई विद्युत व सडको के विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला जायगा ।

1 सिचाई का विकास — राजस्थान मे निरन्तर पडने वाले सूखे व अकाल तथा राज्य के लगभग दो तिहाई भू भाग मे मरु व अर्द्ध मरु क्षेत्र के पाये जाने के कारण सिचाई का विकास करना बहुत आवश्यक माना गया है । राज्य मे नदियो व तालाबो की कमी पायी जाती है । पूर्वी राजस्थान मे बहने वाली नदिया बरसाती नदिया है । उनके पानी का उपयोग बाध बनाकर किया जा सकता है । इस क्षेत्र मे कुओ का पानी कम गहराई पर पाया जाता है जिसे पम्प द्वारा निकालकर सिचाई के काम मे लिया जा सकता है । राज्य मे योजनाकाल में वृहद्, मध्यम व लघु सिचाई के साधनो का विकास किया गया है । वृहद् (major) सिचाई का साधन उसे कहते हैं जिसमे कृषि योग्य कमाड क्षेत्र (Culturable command area) (CCA) 10 हजार हैक्टेयर से अधिक होता है, मध्यम मे यह 2 से 10 हजार हैक्टेयर के बीच तथा लघु (Minor) मे 2 हजार हैक्टेयर तक होता है ।

आगे दर्शायी गयी तालिका से स्पष्ट होता है कि योजनाकाल मे सिचाई व बाढ नियत्रण पर कुल व्यय का अनुपात घटता बढता रहा है । चतुर्थ व पचम योजनाओ मे यह 34% रहा । सातवी योजना मे यह 22 2% रहा था 1993 94 के लिये लगभग 17 7% रखा गया है । आठवीं पचवर्षीय योजना (1992 97) की अवधि के लिये यह 16 7% निर्धारित किया गया है ।

सिचाइ व बाढ नियत्रण पर व्यय की राशि प्रथम योजना मे 31 3 करोड रुपये से बढकर सातवी योजना मे 690 5 करोड रुपये हो गई तथा आठवीं योजना (1992 97) के लिये 1920 करोड रुपये प्रस्तावित की गई है । 1993 94 की वार्षिक योजना के लिये यह 301 4 करोड रुपये निर्धारित की गई है ।

योजनाकाल मे सिचाई की सम्भाव्यता (Irrigation potential) का विकास राज्य की सिचाई योजनाओ मे सिचाइ के विकास पर भारी विनियोगो

को व्यवस्था की जाती रही है जो निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है ।[1]

योजना काल	सिंचाई व बाढ-नियंत्रण पर वास्तविक व्यय (करोड़ रू. में)	योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल वास्तविक व्यय (करोड़ रु.)	सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर कुल व्यय का अनुपात (प्रतिशत में)
प्रथम	31 3	54 1	57 8
द्वितीय	27 9	102 7	27 2
तृतीय	87 9	212 7	41 3
तीन वार्षिक योजनाएँ (1966 69)	46 6	136 8	34 1
चतुर्थ	105 3	308 8	34 1
पचम	271 2	857 6	31 6
1979 80	76 3	290 2	26 3
छठी	553 3	2130 7	26 0
सातवा	690 5	3106 2	22 2
1990-91	177 5	975 6	18 2
1991-92	217 8	1166 0	18 7
आठवीं (1992-97) (प्रस्तावित)	1920	11500	16 7
1992-93	252 8	1400	18 1
1993-94	301 4	1700	17 7

योजनाओ मे सिचाई पर भारी विनियोगो के फलस्वरूप राज्य मे सिचाई

---

1 *राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत-पत्र, मार्च 1991 पृ 48 51 तथा आय-व्ययक अध्ययन,* 1992 93, पृ 132 133 (1990 91 से 1992 93 के लिये) तथा राजस्थान शासन के *आय-व्ययक अनुमानों पर स्मृति-पत्र, मार्च 1993 पृ 2*

की सम्भाव्यता (irrigation potential) 1950 51 मे 4 लाख हैक्टेयर से बढकर सातवीं योजना के अत मे अर्थात् 1989 90 मे लगभग 22 32 लाख हैक्टेयर हो गई है ।[1]

योजनाकाल में वृहद् व मध्यम सिचाई की परियोजनाओं पर किये गये व्यय व उससे उत्पन्न सिचाई की सम्भाव्यता निम्न तालिका मे दर्शायी गई है । साथ में लघु सिचाई के विकास पर किये गये व्यय व उत्पन्न सिचाई की सम्भाव्यता भी दी गई है ।[2]

योजनावधि	वृहद् व मध्यम परियोजनाओं पर व्यय (करोड़ रु)	इनसे उत्पन्न सिचाई-सम्भाव्यता (लाख है में)	लघु सिचाई पर व्यय (करोड़ रु)	इनसे उत्पन्न सिचाई-सम्भाव्यता (हजार है में)
योजना पूर्व अवधि	उपलब्ध नहीं	3 2	उपलब्ध नहीं	80
प्रथम योजना	23 8	0 9	1 1	13
द्वितीय	33 6	1 1	1 7	30
तृतीय	65 4	3 3	3 3	22
1966 69	37 6	1 5	3 1	10
चतुर्थ	90 7	1 4	11 4	25
पाचवीं (79 80 सहित) अर्थात् (1974 80 तक)	294 5	4 1	30 8	48
छठी	380 8	1 7	36 5	54
सातवीं (अनुमानित) (1985 90)	589 0	2 0	108 7	38 6
कुल	1515 4	19 2	196 6	320 6

1 Eight Five Year Plan 1992 97 March 1993 (Rajasthan) p 164

2 Report of the Working Group on Irrigation for the Eight Five Year Plan (1990-95) Department of Irrigation Government of Rajasthan, Jaipur September 1989

तालिका से स्पष्ट होता है कि योजनाकाल की कुल अवधि (1951 90) मे सिचाई की वहद् व मध्यम योजनाओ पर 1515 करोड रुपये के व्यय स 19 2 लाख हैक्टेयर मे सिचाई को सम्भाव्यता (irrigation potential) उत्पन्न की गई। इसी अवधि मे लघु सिचाई की स्कीमा पर लगभग 197 करोड रुपये के व्यय से 3 2 लाख हैक्टेयर मे सिचाई की सम्भाव्यता का विकास किया गया । इस प्रकार कुल 1712 करोड रु के व्यय से लगभग 22 4 लाख हैक्टेयर मे सिचाई की सम्भाव्यता की जा सकी । (जो ऊपर दिये गये 22 32 लाख हैक्टेयर के समीप आती है) । स्मरण रहे कि सिंचाई की सम्भाव्यता उत्पन्न करने की प्रति हैक्टेयर लागत काफी तेजी से बढ रही है । उदहारण के लिये वृहद् व मध्यम सिचाई की परियोजनाओ पर तृतीय योजना मे 65 4 करोड रुपये के व्यय से 3 3 लाख हैक्टेयर म सिचाई का विकास हुआ जबकि सातवी योजना मे 589 करोड रुपये के व्यय से केवल 2 लाख हैक्टेयर म ही सिचाई का विकास किया जा सका । इसी प्रकार की स्थिति लघु सिचाइ कार्यक्रमो में भी प्रकट हुई है। तृतीय योजना मे इन पर 3 3 करोड रुपये के व्यय से 22 हजार हैक्टेयर भूमि मे सिचाई की सम्भाव्यता उत्पन्न की गई थी जबकि सातवीं योजना मे 108 7 करोड रुपये के व्यय से 38 6 हजार हैक्टेयर म ही सिचाई का विकास किया जा सका । इस प्रकार दोनों प्रकार की परियोजनाओ मे प्रति हैक्टेयर सिचाई के सृजन की लागत मे अत्यधिक वृद्धि हुई है ।

प्रथम योजना मे वृहद् व मध्यम सिचाई की परियोजनाओ पर सिचाई की सम्भाव्यता (irrigation potential) उत्पन्न करने की लागत प्रति हैक्टेयर 2644 रुपये से बढकर सातवीं योजना मे 28255 रुपये प्रति हैक्टेयर हो गई । इस प्रकार इस अवधि में लागत 10 गुनी से अधिक हो गई । भविष्य मे अधिक जटिल क्षेत्रों मे सिचाई का प्रयास करने से यह लागत और बढेगी ।[1]

सिचाई से फसलो की प्रति हैक्टेयर उत्पादन मे काफी वृद्धि हो सकती है। 1985 86 से 1988 89 की अवधि के लिये राजस्थान मे विभिन्न फसलो की उत्पादकता के औसत परिणाम सिंचित व असिंचित फसलो के लिये इस प्रकार रहे

1 Papers on Perspective Plan Rajasthan 1990-2000AD Planning Department, Government of Rajasthan p 118

(1985-86 से 1988-89 तक का औसत)

प्रति हैक्टेयर उत्पादन (किलोग्राम में)

फसल	सिंचित	असिंचित
1 खाद्यान्न	1820	300
2 तिलहन	772	368
3 कपास	247	97

इस प्रकार सिचाई से खाद्यान्नो की प्रति हैक्टेयर पैदावार असिंचित भूमि की तुलना मे 6 गुनी, तिलहन की दुगुनी से अधिक तथा कपास की लगभग 2 5 गुनी रही। खाद्यान्नो की पैदावार सिंचित भूमि पर और बढ़ायी जा सकती है। एक अनुमान के अनुसार यह 4000 से 5000 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर तक की जा सकती है।

राजस्थान मे सिचाई-गहनता (irrigation intensity) मे धीमी गति से वृद्धि -

सिचाई-गहनता निकालने के लिये सकल सिंचित क्षेत्र मे शुद्ध सिंचित क्षेत्र का भाग देना होता है। इसकी बदलती हुई स्थिति निम्न तालिका मे दी गई है।

योजना अथवा वर्ष	सकल सिचित क्षेत्र (लाख है. मे)	शुद्ध सिचित क्षेत्र (लाख है. मे)	सिचाई-गहनता
प्रथम योजना का औसत	14 39	12 07	119 21
छठी योजना का औसत	38 31	31 17	124 51
1988 89	43 65	34 81	125 4
1989 90	44 61	36 35	122 7
1990 91	46 52	39 04	119 2

तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य मे सिचाई-गहनता प्रथम योजना के 119 2 के औसत से बढकर 1989 90 मे 122 7 पर आ गई थी। लेकिन 1990 91 मे यह 119 2 के स्तर पर रही जो पहले के समान थी। इसमे सिद्ध होता है कि एक से अधिक बार सिचाई का क्षेत्र तेजी से नहीं बढ पा रहा है।

1990 91 मे शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 39 लाख हैक्टेयर तथा सकल सिंचित

क्षेत्रफल 46 5 लाख हैक्टेयर रहा । सकल सिंचित क्षेत्रफल मे से 26 6 लाख हैक्टेयर मे (57%) कुओ व ट्यूबवैल से सिचाई हुई तथ 17 7 लाख हैक्टेयर मे (38%) नहरो से सिचाई सम्पन्न की जा सकी । इस प्रकार राज्य मे कुओ व ट्यूबवैलो की सिचाई की प्रधानता देखने को मिलती है । इसी वर्ष तालाबों का सकल सिंचित क्षेत्रफल मे अश 4 3% रहा ।

योजनाकाल में सिंचित क्षेत्रफल की प्राप्ति[1]

योजनाकाल मे चुने हुए वर्षों के लिये सकल सिंचित क्षेत्रफल की प्रगति निम्न तालिका मे दर्शायी गयी है -

वर्ष	सकल सिंचित क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर मे)	सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल का प्रतिशत
1950 51	11 7	12 0
1960 61	20 8	14 9
1970 71	24 5	14 7
1980 81	37 5	21 6
1990 91	46 5	24 0

तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य मे कुल सिंचित क्षेत्रफल का कुल कृषित क्षेत्रफल से अनुपात 1950-51 मे 12% से बढकर 1990-91 मे लगभग 24% पर आ गया है । इसका आशय यह है कि आज भी लगभग 3/4 कृषित क्षेत्र वर्षा पर आश्रित है । इसलिये राजस्थान मे सूखी खेती के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

अब हम राजस्थान में नहरो की सिचाई पर विशेष रूप से प्रकाश डालेगे। इनमे कुछ नहरे पुरानी है और कुछ नई हैं । पुरानी नहर व्यवस्था मे गगनहर व भरतपुर नहर का उल्लेख करना आवश्यक है । आगे चलकर हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओ तथा सिचाई की वृहद परियोजनाओ के अन्तर्गत भी नहरो की सिचाई का वर्णन करेगे ।

गगनहर --

नहरो के सम्बन्ध मे राजस्थान की यह प्रथम सिचाई योजना मानी गई है। यह सन् 1927 मे सतलज नदी से फिरोजपुर (पजाब) के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई थी । मुख्य नहर फिरोजपुर से शिवपुर (गगानगर) तक बहती है ।

---

1 राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्च 1991 पृ 53 आय व्ययक अध्ययन 1992 93 पृ 111 तथा *Some Facts About Rajasthan 1992 pp 40 -42*

इसकी लम्बाई 137 किलोमीटर है और वितरक शाखाओं की लम्बाई 1280 किमी है । इससे गगानगर जिले मे 15 लाख हैक्टेयर भूमि में सिचाई होती है । इसकी सिचाई से कपास, गेहूँ, माल्टा आदि की फसले उत्पन्न की जाती हैं । यह नहर अब काफ पुरानी हो चुकी है और इसे मरम्मत की आवश्यकता है ।

सन् 1984 मे इस नहर को गगनहर लिक चैनल से जोडने का काम शुरू किया गया था । यह लिक चैनल 80 किमी लम्बी बनाई जा सकती है जिससे इसमे इन्दिरा गांधी नहर का पानी छोडा जायेगा । लिक चैनल का उद्गम हरियाणा म लौहगढ नामक स्थान पर होगा । यह चैनल साधुवाली (गगानगर) के पास गगनहर में मिल जाती है ।

भरतपुर नहर

यह नहर 1964 म बनकर तैयार हो गई थी । यह पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है। इसकी कुल लम्बाई 28 किमी है जिसमे से 16 किमी लम्बाई उत्तरप्रदेश मे आती है । इससे ग्यारह हजार हैक्टेयर भूमि की सिचाई हो सकती है । भरतपुर जिले मे इससे 8 500 हैक्टेयर भूमि की सिचाई होती है। इससे खाद्यान्नो का उत्पादन बढाने मे भारी योगदान मिला है ।

गुड़गाव नहर

यह नहर यमुना नदी से ओखला (दिल्ली) के पास से निकाली गई है । इसका निर्माण 1966 मे शुरू किया गया था और यह 1985 मे बनकर तैयार हो गई थी । राजस्थान मे यह नहर भरतपुर जिले के कामा तहसील के जुरेरा गाव मे प्रवेश करती है राज्य में इसकी लम्बाई 35 मील है । इससे कामा व डीग तहसीलो मे 28 200 हैक्टेयर भूमि मे सिचाई होती है । यह सिचाई की वृहद परियोजना मे आती है ।

राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ

तथा सिंचाई की वृहद् परियोजनाएँ

(अ) राजस्थान की बहुउद्देशीय तथा अन्तर्राज्यीय नदी घाटी परियोजनायें इस प्रकार हैं

1 भाखडा नागल परियोजना मे हिस्सा

2 चम्बल परियोजना में हिस्सा

3 व्यास परियोजना,

4 माही परियोजना ।

(आ) सिचाई की वृहद् परियोजनाये (जिन पर कार्य किया जा रहा है) जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है सिचाई की वृहद् परियोजनाओ के अन्तर्गत कषि के लायक कमाण्ड क्षेत्रफल 10 हजार हैक्टेयर से अधिक होता है । ये निम्नांकित हैं

1 इन्दिरा गाधी नहर परियोजना

2 अन्य सात वृहद् सिचाई परियोजनाए गुड़गाव नहर, ओखला जलाशय नर्मदा जाखम बीसलपुर, नोहर फीडर व सिद्धमुख । इनका संक्षिप्त परिचय आगे दिया जाता है ।

राज्य की बहुउद्देश्यीय व अन्तर्राज्यीय नदी घाटी परियोजनाए

1 भाखडा नागल यह राष्ट्र की सबसे बडी बहुउद्देश्यीय नदी घाटी योजना है । इसमे पजाब हरियाणा व राजस्थान राज्य भाग ले रहे है । राजस्थान का इसमे 15 2% अश रखा गया है । इस योजना से राजस्थान के गगानगर जिले की कुछ भूमि कृषि योग्य हो सकी है और वहा सिचाई का विस्तार हुआ है । राज्य मे छोटी बडी मिलाकर एक हजार मील लम्बी नहरें बनाई गई है मुख्य शाखा नहरो की तलहटिया पक्की बनाई गई हैं जिससे बहुमूल्य पानी रेत के द्वारा न सोखा जा सके । नहरो की खुदाई और लाइनिग के साथ साथ गाव बसाने मण्डियाँ और सडके बनाने आदि का कार्य भी किया गया है । भाखडा मुख्य **नहर की सिचाई क्षमता 14 6 लाख हैक्टेयर है जिसमे राजस्थान का हिस्सा 2 3 लाख हैक्टेयर हरियाणा का 5 5 लाख हैक्टेयर तथा पजाब का 6 8 लाख हैक्टेयर रखा गया है ।**

इस योजना मे सिचाई के अतिरिक्त बडी मात्रा मे बिजली भी पैदा की जाती है । नागल का बिजलीघर तैयार हो गया है और इससे राजस्थान को बिजली मिलने लगी है। राजस्थान को बीकानेर और रतनगढ मे बिजली दी गई जहा से यह अन्य शहरो और गावों मे पहुँचाई गई । फलस्वरूप चुरू गगानगर, झुन्झुनूं व सीकर आदि स्थानो को भी भाखडा की बिजली पहुँचाई गई है ।

2 चम्बल परियोजना चम्बल राजस्थान की सबसे बडी और एकमात्र अविरल बहने वाली नदी है । चम्बल विकास परियोजना पर राजस्थान और मध्यप्रदेश राज्य मिलकर कार्य कर रहे है । इसमें राजस्थान का 50% हिस्सा है। इस परियोजना के अन्तर्गत चम्बल नदी पर बाध बनाया गया है ।

(i) गाधी सागर बाध (प्रथम अवस्था) यह भानपुरा (मध्यप्रदेश) से 10 मील उत्तर पश्चिम मे और चौरासीगढ से 5 मील नीचे बनाया गया है । यह सबसे बडा जलाशय है । **(ii) राणाप्रताप सागर बाध** (द्वितीय अवस्था) यह पहले बाध से 21 मील नीचे चूलिया झरने पर बनाया गया है । **(iii) जवाहर सागर बाध** (तृतीय अवस्था) यह बाध केवल 'पिक-अप' बाध है जिसमे गाधीसागर बाध व राणाप्रताप सागर बाधो से छोडा गया पानी इकट्ठा किया जाता है । यह कोटा शहर से 10 मील दक्षिण मे बनाया जा रहा है । इसे कोटा बाध भी कहते हैं । **(iv) कोटा सिचाई बाध (Kota Barrage)** (प्रथम अवस्था) यह कोटा शहर से 5 मील उत्तर में बनाया गया है । पहले तीन बाधो के साथ

पन बिजलीघर भी बनाये गये हैं । यह योजना की पहली अवस्था मे गाधी सागर बाध तथा बिजली घर कोटा सिचाई बाध और जवाहर सागर बाध मे दायी और बायीं मुख्य नहरो का काम हाथ मे लिया गया था जो अब पूरा हो गया है। द्वितीय अवस्था मे रावतभाटा के पास राणाप्रताप सागर बाध व बिजलीघर बनाये जा रहे हैं । तृतीय अवस्था में जवाहर सागर बाध बनाया जा रहा है । **चम्बल परियोजना से राजस्थान में मुख्यतया कोटा व बूदीं जिले मे सिचाई की सुविधा बढ़ेगी।** चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में पानी के जमाव क्षारयुक्त भूमि व पानी के मिट्टी में सोख लिये जाने आदि की समस्याए उत्पन्न हो गई है जिससे सिचाई की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है । विश्व बैंक की सहायक सस्था अन्तर्राष्टीय विकास एसोसियेशन की सहायता से इन समस्याओ को हल करने का प्रयास किया जा रहा है । आधुनिकीकरण व पानी के निकास की व्यवस्था बहुत आवश्यक है । छठी योजना (1980-85) की अवधि मे राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर तथा लिफ्ट स्कीम के चालू कार्यक्रमा के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई थी । चम्बल परियोजना के नये कार्यक्रमो मे बूदी शाखा का विस्तार, कोटा जलाशय को ऊँचा करना तथा डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन वर्क्स शामिल किये गये थे । अब चम्बल परियोजना का काम पूरा हो गया है । **इससे 4 5 लाख हैक्टेयर भूमि मे सिचाई की जाती है तथा 386 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न होती है । चम्बल लिफ्ट स्कीम के अर्न्तगत सिचाई की अधिकतम क्षमता 47 880 हैक्टेयर रखी गयी है ।**

3 व्यास परियोजना (Beas Project) यह पजाब हरियाणा और राजस्थान राज्यो की मिली जुली बहुउद्देश्यीय योजना है । **इस योजना मे सतलज, रावी और व्यास तीनों के जल का उपयोग किया जा रहा है । इसकी निम्न तीन इकाइयां हैं (1) व्यास सतलज कड़ी (2) पोग स्थान पर व्यास नदी पर बाध (3) व्यास ट्रासमिशन प्रणाली ।** पहली इकाई मे पण्डोह (Pandoh) (हिमाचल प्रदेश) नामक स्थान पर एक बाँध, दो सुरगे सात मील लम्बी खुली हाइडल चेनल (बग्गो से सुन्दर नगर तक) एव शक्ति सयत्र (देहर स्थान पर 165 मेगावाट क्षमता का) शामिल किया गया है।

दूसरी इकाई मे **पोग बाध (व्यास नदी पर) का उद्देश्य राजस्थान के लिये पानी एकत्र करना है ।** इससे पजाब हरियाणा व राजस्थान मे सिचाई की व्यवस्था की जा सकेगी । इसमे एक शक्ति सयत्र को स्थापित करने की योजना भी है । इसका निर्माण कार्य व्यास नियत्रण मण्डल की देखरेख मे सम्पन्न किया जा रहा है। राजस्थान को व्यास परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से सिंचाई का लाभ नहीं मिलेगा । यह इन्दिरा गाधी नहर परियोजना को स्थायी रूप से जल सप्लाई करेगी । इस योजना से तीनो राज्यो मे 21 लाख हैक्टेयर भूमि की सिचाई हो सकेगी । इस परियोजना से राजस्थान राज्य को 150 मेगावाट विद्युत प्राप्त होगी

(कुल क्षमता 240 मगावाट होगी) ।

रावी व्यास नदी जल विवाद[1] - पिछले दो दशको से रावी व्यास नदी जल विवाद चलता आ रहा है । *अन्तर्राज्यीय जल विवाद (सशोधन) अधिनियम* 1986 पजाब समझाते को लागू करने के लिये पारित किया गया था । इसके अर्न्तगत इराडी आयोग का गठन किया गया जिसको दो कार्य सौंपे गये थे

(i) यह निर्धारित करना कि पजाब राजस्थान और हरियाणा के किसान 1 जुलाई को रावी व्यास नदियों का कितना कितना पानी उपयोग मे ला रहे थे ताकि कम से कम उतना पानी उनको अवश्य मिलता रहे । (पजाब समझौते के पैरा 9 (1) के अनुसार)।

(ii) आयोग यह निर्णय करेगा कि पजाब व हरियाणा के अपने बाकी बचे हुए हिस्से म से कितना हिस्सा किस राज्य (पजाब या हरियाणा) को मिलेगा । आयोग का यह निर्णय केवल इन्हीं दो राज्यो पर लागू होगा (पजाब समझौते के पैरा (2) के अनुसार)

इस प्रकार इराडी आयोग की नियुक्ति किसी स्वतत्र न्यायिक निर्णय के लिये नहीं का गई था बल्कि राजीव लोगोवाल पजाब समझौते मे किये गये राजनैतिक निर्णय को लागू करने मे मदद देने के लिये की गई थी ।

पजाब का यह तर्क रहा है कि रावी व्यास नदिया राजस्थान मे होकर नहीं बहतीं इसलिए इनके पानी पर राजस्थान का कोई अधिकार नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि पजाब व हरियाणा के आपसी विवाद मे राजस्थान को अनावश्यक रूप मे घसीट लिया गया है । राजस्थान सिंध नदी का प्रदेश है और इस प्रकार इन नदियो के पानी मे पूरा हकदार माना जाना चाहिये । राजस्थान के विशाल रेगिस्ताना व सूखा क्षेत्र को सिचाई के लिये पानी की नितान्त आवश्यकता है ।

इराडी आयोग ने अपनी रिपोर्ट मई 1987 में पेश की थी जिसके अनुसार पजाब हरियाणा व राजस्थान के पानी के हिस्से इस प्रकार निश्चित किये गये थे।

राज्य	नये निर्धारित अश	पूर्व अश
(1) पजाब	50 लाख एकड़ फुट	42 2 लाख एकड़ फुट
(2) हरियाणा	38 लाख 30 हजार एकड़ फुट	35 लाख एकड़ फुट
(3) राजस्थान	86 लाख एकड़ फुट	86 लाख एकड़ फुट

इस प्रकार इराडी आयोग की सिफारिशो मे पजाब व हरियाणा के हिस्से

---

1 मुन्नालाल मुरेका, "पजाब व राजस्थान आमने सामने" राजस्थान पत्रिका 6 जून, 1986 तथा "इराडी पचाट को असहनीय कार्दवाही" राजस्थान पत्रिका 26 मई 1987

बढे हैं तथा राजस्थान का यथावत रहा है । इससे राजस्थान का वास्तविक अश रावी व्यास पानी में 3% कम हो गया है । इस बात से राजस्थान का असन्तुष्ट होना स्वाभाविक है क्योंकि राज्य मे बहुधा सुखा पडता रहता है औ' यहा की जन की आवश्यकता भी अधिक है । इसलिये राजस्थान का हिस्सा भी आनुपातिक रूप से बढाया जाना चाहिये था । लेकिन अब समझौते के अर्न्तगत अतिरिक्त पानी पजाब व हरियाणा में ही विभाजित किया गया है ।

जून 1992 में पजाब के मुख्यमत्री श्री बेअतसिह ने सलाह दी कि राजस्थान को रावी व्यास नदियो के अपने हिस्से के पानी मे से 2 मिलियन टन एकड फुट (20 लाख एक्ड फुट) पानी हरियाण को देना चाहिये जो राष्टहित मे होगा । लेकिन यह सुझाव राजस्थान के हितो के विपरीत है । पजाब व हरियाणा मे सिंचित क्षेत्रफल का अनुपात राजस्थान से कहीं ज्यादा है । राजस्थान द्वारा 2 मिलियन एकड़ फुट पानी कम कर देने से इसकी लिफ्ट योजनाओ व कई कमाण्ड क्षेत्रो को पानी नहीं मिल पायेगा जिससे राजस्थान को क्षति पहुँचेगी ।[1]

4 माही बजाज सागर परियोजना -- यह राजस्थान व गुजरात की मिली-जुली परियोजना है । इससे दक्षिणी राजस्थान व उत्तरी गुजरात मे सिचाई की जायेगी । राजस्थान और गुजरात के बीच वर्ष 1966 में माही नदी के जल का उपयोग करने हेतु एक समझौता हुआ था । इसके अनुसार गुजरात व कडाना बाध (Kadana Dam) बनाया जाना था जिसकी पूरी लागत गुजरात वहन करेगा और वही उसका लाभ लेगा । लेकिन समझौते मे यह व्यवस्था की गई थी कि नर्मदा का विकास होने पर कनाडा का कुछ जल राजस्थान को भी दिया जायेगा और इसके लिये राजस्थान गुजरात को बाध की यथोचित लागत भरेगा ।

माही बजाज सागर परियोजना पर 1968 से कार्य चल रहा है । इसकी प्रथम इकाई सिचाई के लिये है, जिसमे राजस्थान व गुजरात दोनो का हिस्सा है (मुख्य बाध 3109 मीटर लम्बा है । इसके व्यय मे गुजरात का अश 55% तथा राजस्थान का 45% है।) इकाई II मे सिचाई व शक्ति दोनो मे केवल राजस्थान का ही हिस्सा है इकाई III भी मात्र राजस्थान का ही शक्ति वाला भाग है इकाई IV मे राजस्थान का ही सिचाई वाला भाग शामिल है । सातवीं योजना में इकाई V पर भी कुछ व्यय किया गया था । यह भी राजस्थान के सिचाई वाले भाग के लिये ही था ।

सातवीं योजना के अन्त तक इस परियोजना पर लगभग 306 करोड रुपया व्यय किया जा चुका था जिसमे सिचाई पर 229 6 करोड रु तथा शक्ति पर 76 4 करोड रु व्यय हुए थे । सिंचाई और शक्ति दनो पर राजस्थान का हिस्सा 249 8 करोड रु तथा गुजरात का हिस्सा (इकाई I का) 56 2 करोड रु रहा है।

1 इतवारी पत्रिका, 7 जून 1992 प 1

योजना की तीसरी इकाई मे शक्ति का विकास किया जा रहा है । शक्ति गृह न 2 का कार्य काफी आगे बढ गया है । इस पर 45-45 मेगावाट की दो इकाइयां लगाई जा रही है । प्रथम पावर हाउस में 25-25 मेगावाट की दो इकाइयाँ हैं । इसे जनवरी 1986 मे राष्ट्र को समर्पित किया गया था । इस प्रकार इसकी पावर की कुल क्षमता (90+50) = 140 मेगावाट है । पावरहाउस न 2 की पहली इकाई फरवरी 1986 मे तथा दूसरी इकाई जुलाई 1989 मे चालू की गयी थी । राजस्थान व गुजरात राज्य मे 8 8 लाख हेक्टेयर भूमि मे सिचाई का पानी मिलेगा । मार्च 1991 तक इस परियोजना से राजस्थान मे 74,760 हैक्टेयर क्षेत्र मे सिंचाई की क्षमता सृजित कर ली गई थी जबकि वास्तविक सिचाई 46,217 हैक्टेयर मे हो पाई थी । 1991 92 मे सिंचाई की क्षमता बढाकर 76,540 हैक्टेयर तथा वास्तविक सिचाई 50 हजार हक्टेयर मे करने का अनुमान लगाया गया । 1992 93 मे 1780 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र मे सिचाई की क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया । इसके लिये परियोजना पर 25 करोड रु के व्यय का प्रावधान किया गया है ।

सिचाई व विद्युत की सुविधा मिलने से इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का कृषिगत व औद्योगिक विकास होगा जिससे लोगो के जन जीवन मे आमूल चूल परिवर्तन हो सकेगा ।

सिचाई की वृहद् परियोजनाए (Major Irrigation Projects)

इन्दिरा गाधी नहर परियोजना का मानचित्र -

इन्दिरा गांधी नहर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (इगानप) (Indira Gandhi Nahar Project) (IGNP) का विवरण - यह पहले राजस्थान नहर परियोजना कहलाती थी । इस परियोजना के पूरा हो जाने से यह विश्व की सबसे लम्बी सिंचाई प्रणालियों (Irrigation Systems) में से एक मानी जायेगी । यह थार के रेगिस्तान के बडे भू भाग को हरा भरा बना देगी तथा चुरू, गगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर व बाडमेर जिलो को लाभ पहुँचायेगी । इसकी सिचाई की कुल क्षमता 14 67 लाख हैक्टेयर होगी (चरण I मे 5 90 लाख हैक्टेयर तथा चरण II मे 8 77 लाख हैक्टेयर) । इसके अन्तर्गत कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र (Culturable command area) 16 32 लाख हैक्टेयर होगा (चरण I मे 5 36 लाख हैक्टेयर तथा चरण II मे 10 96 लाख हैक्टेयर)।[1]

प्रथम चरण (Stage I) के अन्तर्गत 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर (जो पजाब मे व्यास व सतलज नदियों के सगम पर हरीके बाध से प्रारम्भ होती है और हनुमानगढ के पास मसीतावाली गाव पर समाप्त होती है) 189 किलोमीटर लम्बी राजस्थान मुख्य नहर तथा 3075 किलोमीटर मे वितरिकाओ के निर्माण कार्य रखे गये थे जो पूरा होने मे आ गये है । द्वितीय चरण (Stage II) मे 256 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर (189 किलोमीटर से 445 किलोमीटर तक) (छतरगढ से जैसलमेर जिले मे मोहनगढ तक) तथा 5756 किलोमीटर मे वितरिकाओं (कृपि योग्य कमाण्ड क्षेत्र व छ लिफ्ट नहरो के क्षेत्रो को शामिल करके) के निर्माण कार्य रखे गये है । 1 जनवरी 1987 को मुख्य नहर के अन्तिम छोर तक पानी पहुँचाया गया था । हिमालय की गगनचुम्बी बर्फीली चट्टानो से सैंकड़ो मील दूर प्यासे और तपते हुए रेगिस्तान को जीवनदायक जल पहुँचाना एक भगीरथ प्रयास की सुखद परिणति है । इसके साथ ही वितरिकाओ का निर्माण कार्य भी कराया गया है । मुख्य नहर पर मिट्टी की खुदाई का काम पूरा हो चुका है तथा वितरक प्रणालियो पर भी आंशिक मिट्टी की खुदाई का काम किया गया है । इन्दिरा गाधी नहर परियोजना को कुल सम्भावित लागत 1186 करोड रुपये आकी गई है जिसमे प्रथम चरण की लागत का अनुमान 255 करोड रुपये व द्वितीय चरण का 931 करोड रुपये रखा गया है ।

जैसलमेर जिले को समृद्ध बनाने में लाठी सिरीज के क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान होगा । यहा पानी पहुँचते ही खेती होने लगेगी । वैसे भी वहा मामूली बरसात से 'सेवण घास पैदा होती है जो पशुओ के लिये पौष्टिक मानी जाती है। मोहनगढ से आगे राजस्थान नहर के अन्तिम छोर से लालवा शाखा निकाली जा रही है । यह 90 किलोमाटर लम्बी होगी और लाठी सिरीज क्षेत्र में सिचाई करेगी। ताजा सूचना के अनुसार राजस्थान नहर का पानी सदियो से प्यासे पश्चिमी राजस्थान

---

1 Draft Annual Plan 1993 94 p 5 4 (सशोधित आकडे)

मे मरुस्थलीय जैसलमेर जिले मे मोहनगढ के करीब 18 किलोमीटर आगे तक पहुँच गया है । पानी के अभाव मे वीरान पडे हुए मोहनगढ क्षेत्र के निवासियो एव पशु-पक्षियो को पहली बार मीठा पेयजल मिला है तथा शुष्क इलाके को सिचाई की सुविधा मिली है । अब इस परियोजना को बाडमेर मे गडरा रोड तक बनाने की स्वीकृति मिल गई है ।

इन्दिरा गाधी नहर परियोजना से राज्य मे गेहूँ, कपास व तिलहन की पैदावार बढेगी । नये उद्योग, नये नगर, नई बस्तियाँ, ये सब नहर के ही वरदान होंगे । नहरी क्षेत्र मे लाखो व्यक्तियो को बसाने का कार्यक्रम है । इसके लिये 'मास्टर प्लान' पर कार्य किया जा रहा है । इस परियोजना की यह विशेषता है कि इससे पहली बार नइ भूमि पर खेती की जा सकेगी । इससे रावी व्यास के जल का ज्यादा गहरा उपयोग हो सकेगा और कमाण्ड क्षेत्र मे निरन्तर सूखे के कारण अकाल-राहत कार्य किया जा रहा है । इसलिए इस परियोजना का महत्त्व काफी बढ गया है । इस परियोजना के पूरा होने पर सारा देश लाभान्वित होगा ।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है एक अतिरिक्त नहर (लीलवा शाखा) के निमाण का काम चल रहा है । मुख्य नहर के अखरी छोर से एक और बड़ी शाखा दीघा भी निकाली जायेगी जिसका निर्माण कार्य भी हाथ मे लिया जा चुका है। इन दोनो शाखाओ मे जैसलमेर का क्षेत्र कुछ ही वर्षों मे चमन हो जायेगा ।

योजना को पूरा करने मे सीमेन्ट व कोयला बाधा डाल रहे हैं । इस नहर से लिफ्ट सिचाई (जलोत्थान) स्कीम को कार्यान्वित करने की योजना बनाइ गई है ताकि राज्य के पश्चिमी भाग को सिचाई के लिये जल मिल सके । मुख्य नहर से 6 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं । इन लिफ्ट नहरो मे पानी को ऊपर उठाया जाता है । एक बार मे लिफ्ट मे पानी को 60 मीटर उपर उठा सकते है । जोधपुर को लिफ्ट नहर से 1992 मे पानी देने का लक्ष्य रखा गया था । छ लिफ्ट नहरो के नाम इस प्रकार हैं -

(1) बीकानेर-लूणकरणसर लिफ्ट नहर - इससे बीकानेर शहर को पानी मिलेगा ।

(2) गजनेर लिफ्ट नहर

(3) सहवा लिफ्ट नहर इससे कई गावो के अलावा सरदार शहर व तारानगर को पानी मिलेगा ।

(4) कोलायत लिफ्ट नहर

(5) फलौदी लिफ्ट नहर

(6) पोखरन लिफ्ट नहर

इन्दिरा गाधी नहर परियोजना से थार के बडे क्षेत्र को सिचाई का लाभ मिलेगा तथा फलो के पेडों का विस्तार किया जा सकेगा । राज्य सरकार चाहती

है कि इस परियोजना को केन्द्र पूरा करे क्योकि इसके लिये भारी मात्रा मे वित्तीय व्यय की आवश्यकता है । अत सतलज यमुना लिंक (SYL) की भाँति इसका वित्तीय भार भी केन्द्र को वहन करना चाहिये । इससे राज्य के आर्थिक विकास में विभिन्न प्रकार से मदद मिलेगी जैसे सिंचित क्षेत्र मे वृद्धि, कृषिगत उपज मे वृद्धि, बिजली के उत्पादन में वृद्धि, पेयजल की सप्लाई मे वृद्धि, रेगिस्तान के पसार पर रोक मछली पालन को प्रोत्साहन परिवहन का विकास अनाज की मण्डियो का निर्माण पशुपालन का विकास औद्योगिक विकास पर्यटन विकास आदि ।

1993 94 मे 44 800 हैक्टेयर मे आउटलेट पर अतिरिक्त सिचाई की सम्भाव्यता उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है । साथ मे पक्के खाले भी तैयार किये जा रहे है । योजना का सम्पूर्ण काम दसवी योजना के अन्त (2002) तक पूरा हो जायेगा ।

मार्च 1992 के अन्त तक प्रथम चरण मे 5 90 लाख हैक्टेयर मे सिचाई की सम्भाव्यता उत्पन्न की जा चुकी थी । द्वितीय चरण मे मार्च 1992 तक कृषियोग्य कमाण्ड क्षेत्र 2 78 लाख हैक्टेयर में खुलने का तथा सिचाई की सम्भाव्यता 2 22 लाख हैक्टेयर में उत्पन्न होने का अनुमान लगाया गया था । इनमें वृद्धि की जा रही है ।

इन्दिरा गाधी नहर परियोजना को पूरा करने के लिये भारी मात्रा मे धन की आवश्यकता होगी जिसे केन्द्र देने मे असमर्थ है । अत इसके लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतो से साधन जुटाने होगें । परियोजना से बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिये पशुपालन चारागाह विकास व स्थानीय परिस्थितियो के अनुरूप खेती पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

इन्दिरा गाधी नहर मे कई स्थानो पर भारी रिसाव (सेम) से काफी उपजाऊ भूमि नष्ट होकर दलदली बनती जा रही है । उपजाऊ भूमि पर सेम का पानी व जहरीला घास नजर आने लगा है । भूमि के नीचे जिप्सम की कठोर परत है तथा किसान पानी अधिक देते है जिससे सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस समस्या का समाधान होना चाहिये । यदि सेम नहर से हो रहा है तो सीमेन्ट प्लास्टर पर एक-एक टाइल की लाइनिंग की एक और परत बिछा कर उसे रोका जाना चाहिए । रिसाव रोकने का कार्य शीघ्र ही किया जाना चाहिये ।

(2) अन्य वृहद् सिचाई परियोजनाएँ जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस समय सिचाई की निम्न 7 बड़ी परियोजनाओं पर भी काम किया जा

रहा है गुड़गाव नहर ओखला जलाशय नर्मदा जाखम (जनजाति योजना के अन्तर्गत) बीसलपुर (जिला टोक) नोहर फीडर तथा सिद्धमुख । इन सिचाई की वृहद परियोजनाओ का संक्षिप्त परिचय निम्न तालिका मे दिया गया है ।[1]

वृहद् सिचाई परियोजनाए	जिला	अधिकतम सिचाई की क्षमता (हैक्टेयर मे)
1 जाखम	उदयपुर	23505
2 गुड़गाव नहर	भरतपुर	28200
3 ओखला जलाशय	भरतपुर	(गुड़गाव का ही भाग)
4 नर्मदा	जालोर	73157
5 सिद्धमुख	श्रीगगानगर	33620
6 नोहर	श्रीगगानगर	13665
7 बीसलपुर	टोक	69300 (इसकी 72% सिचाई क्षमता पर 49900 हेक्टेयर मे सिचाई की सुविधा)

इनमे से कुछ का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है

(1) सिद्धमुख परियोजना इससे श्री गगानगर जिले की नोहर व भादरा तहसीलो तथा चूरू जिले की तारागढ व तारानगर तहसीलों को सिचाई का लाभ मिलेगा । इसमे राजस्थान रावी व्यास नदियो के सरप्लस पानी का उपयोग करेगा जो उसके हिस्से म दिसम्बर 1981 मे पजाब हरियाणा व राजस्थान के बीच हुए एक समझौते के अन्तर्गत मिला है । राजस्थान को मिलने वाला पानी नागल हेड वर्क्स से भाखडा मुख्य नहर, पजाब मे होते हुए फतेहाबाद शाखा तथा किशनगढ उपशाखा हरियाणा के समानान्तर नहर द्वारा लाया जायेगा । इसकी अनुमानित लागत 103 करोड़ रु है ।

(2) नोहर परियोजना का लाभ श्रीगगानगर जिले मे नोहर तहसील को मिलेगा । ये दोनो परियोजनाऐं एक ही कार्यक्रम का अग है । इसमे रावी व्यास नदियो के सरप्लस पानी का उपयोग किया जायेगा । इसकी अनुमानित लागत 40 60 करोड रुपये है ।

(3) नर्मदा परियोजना गुजरात राज्य की सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना एक वृहद् परियोजना है । इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत

1 प्रगति प्रतिवेदन, 1991 92 मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जयपुर पृ 15 तालिका सख्या 5

548 करोड रुपये आकी गई है। इससे राजस्थान को भी सिचाई का लाभ जालौर जिले के 76 गावो तथा बाडमेर जिले के 7 गावो को मिलेगा । राजस्थान मे इसके लिये नहर निमार्ण कार्य 8 वर्ष मे पूरा होने का प्रस्ताव है । नर्मदा के जल बँटवारे के बारे मे राजस्थान व गुजरात मे कोई मतभेद नहीं है ।

(4) बीसलपुर योजना (Bisalpur Project) - इस परियोजना मे बनास नदी पर बीसलपुर गाव के पास एक बाध बनाया जा रहा है । यह गाव टोक जिले मे टोडारायसिह कस्बे से 13 किमी दूर है उस पर 1986 87 में कार्यारम्भ हुआ था । यह परियोजना दो चरणो मे पूरी की जायेगी ।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 6 नगरो को घरेलू उपयोग के लिये पानी देना है और टाक अजमेर तथा बूदी जिलो के गावो को सिचाई के लिये पानी उपलब्ध कराना है ।

ये 6 नगर अजमेर ब्यावर, किशनगढ नसीराबाद, केकडी और सरवाड है। जहा आज भी पीने के पानी और घरेलू उपयोग व कल कारखानो के लिये पानी की बहुत कमी है । इस कमी को पूरा करने के लिये बनास नदी के बहाव क्षेत्र मे चार स्थानो पर नलकूप और कुएँ खोदे गये है । ये चार स्थान माडला छतरी नेगडिया और देवली है ।

साडला मे 20 नलकूप छतरी मे 16 नलकूप और एक कुआ तथ नेगडिया और देवली मे एक एक कुआ खोदा गया है । आगे चलकर इस परियोजना से पेयजल का लाभ जयपुर शहर को भी मिलेगा । बनास नदी के दायीं तरफ करीब 69 300 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र मे 72% सिचाई क्षमता पर 49 900 हैक्टेयर भूमि मे सिचाई की सुविधा पहुँचाने का प्रस्ताव ह ।

इस परियोजना पर नहर निर्माण का कार्य 1992 93 मे आरम्भ करने का विचार था । 1991 92 के अत तक इस परियोजना पर 78 30 करोड़ रुपया व्यय किया गया तथा 1992 93 के लिये बाध व नहर निर्माण हेतु 23 करोड रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा गया ।

कुछ अन्य बाधो का परिचय

(1) जवाई बाध यह बाध जवाई नदी पर बना है जो पश्चिमी राजस्थान मे लूनी नदी की सहायक ह । जवाई नदी पाली जिले मे अरावली पर्वत की पश्चिमी ढाल पर बहती है । यहाँ एरिनपुरा रेल्वे स्टेशन से 3 किमी दूर जवाई बाँध बनाया गया है । इस बाध को बनाने का कार्य 1946 मे शुरू हुआ था और यह 1951 52 में बनकर तैयार हो गया था ।

इस बाध से जोधपुर, सुमेरपुर और पाली शहरो को घरेलू उपभोग के लिए पानी दिया जाता है । इसके अलावा पाली जिले मे 26 हजार हैक्टेयर भूमि और जालौर जिले मे 15 हैक्टेयर भूमि पर सिचाई होती ह ।

इस परियोजना मे एक पक्का बाध बनाया गया है । इसके दोनो किनारों पर मिट्टी का बाध है । इसके दोनो और ऊची दीवारे है । बाध से 176 किमी लम्बी नहर निकाली गई है ।

(ii) जाखम बाध यह बाध जाखम नदी पर प्रतापगढ तहसील (जिला चित्तौड़गढ) में बनाया गया है । जाखम नदी माही नदी की सहायक नदी है । बांध बनाने का कार्य 1962 मे शुरू किया गया था । इसका मुख्य उद्देश्य धरियाबाद (जिला उदयपुर) और प्रतापगढ के गावो में सिचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का है । इन क्षेत्रों मे ज्यादातर भील आदिवासी रहते हैं । आदिवासी क्षेत्रो को इस योजना से बहुत लाभ पहुँचा है ।

मुख्य बाध से 13 किमी नीचे नागरिया गाव मे एक पिकअप बाध बनाया गया है । ऊपरी बाध के प्रवाह क्षेत्र मे ऊबड खाबड जमीन है जो खेती के लिये उपयोगी नहीं है । इसलिये निचले उपजाऊ भागो की सिचाई करने के लिये एक पिक-अप बाध बनाना जरूरी था ।

पिकअप बाध के दाये और बाये किनारो से दो नहरे निकाली गई हैं । मुख्य बाध पर 4 5 मेगावाट जल विद्युत बनाने की दो इकाइयाँ लगाई गयी हैं जिनसे 9 मेगावाट बिजली पैदा होती है । इस परियोजना से कुल 23505 हैक्टेयर मे सिचाई की जा सकेगी । जाखम परियोजना का निर्माण जनजाति उप योजना (tribal sub plan) के अन्तर्गत किया गया है ।

(iii) मेजा बाध यह बाध भीलवाडा जिले के माण्डलगढ़ कस्बे से 8 किमी दूर कोठारी नदी पर बनाया गया है । बाध का निर्माण 1957 मे शुरू हुआ था और 1972 मे बनकर तैयार हो गया था । इससे भीलवाडा जिले मे 10 हजार हैक्टेयर भूमि की सिचाई होती है । इस बाध से भीलवाडा नगर को भी घरेलू उपभोग के लिये पानी दिया जाता है । यहा पाइप लाइन भी फरवरी 1985 मे बनकर तैयार हो गई थी ।

(iv) पाचना बाध यह मिट्टी का बाध करौली के समीप सवाईमाधोपुर जिले मे पाच छोटी छोटी नदियो के सगम पर गभीरी स्थान पर बनाया जा रहा है । बाध पूरा भर जाने पर करौली कस्बे के कुछ भाग को खतरा उत्पन्न हो सकता है । बाध से निकाली गई नहरो और पुलियाओ के निर्माण का काम चल रहा है । इससे गगापुर, हिण्डौन, नादौती टोडभीम आदि तहसीलो मे 9980 हैक्टेयर भूमि मे सिचाई हो सकेगी ।

(v) मोरेल बाध यह बाध मोरेल नदी पर लालसोट से लगभग 16 किमी दूर सवाईमाधोपुर जिले मे बनाया गया है । इससे 8 6 हजार हैक्टेयर भूमि पर सिचाई की जाती है ।

वर्तमान में राज्य में कुछ प्रमुख मध्यम सिचाई की परियोजनाओ के नाम

व जिले नीचे दिये जाते है

मध्यम सिचाई परियोजनाएं	जिला
1 भीमसागर	झालावाड
2 छापी	झालावाड
3 हरीश्चन्द्र सागर	झालावाड
4 बिलास	बारा
5 सावन भादों	कोटा
6 परवन लिफ्ट	कोटा
7 सोम कमला अम्बा	डूगरपुर
8 सोम कागदर	उदयपुर
9 पाचना	सवाईमाधोपुर

आधुनिकीकरण की श्रेणी मे सिचाई की परियोजनाओ मे गगनहर (श्रीगगानगर जिला) गम्भीरी (चित्तौडगढ जिला) मेजा, (भीलवाडा जिला) तथा जयसमद (उदयपुर जिला) आदि है ।

राजस्थान में भू जल (ground water) का सिचाई के लिए विकास -[1]

फरवरी 1991 में राजस्थान के भू जल विभाग ने भू जल साधनो व सिचाई की सम्भाव्यता के सम्बन्ध मे निम्न अनुमान प्रस्तुत किये थे

	मिलियन एकड़ फीट (MAF)
(1) कुल भू जल साधन	12 27
(2) घरेलू व औद्योगिक उपयोगो मे प्रयोग के लिए (रिजर्व रखा गया)	1 99
(3) सिचाई मे काम लेने के लायक मात्रा	10 80
(4) सिचाई मे प्रयुक्त मात्रा (net draft)	5 82
(5) सिचाई के लिए भू जल बकाया मात्रा (balance)	4 98
(6) भूजल का सिचाई में अब तक उपयोग (क्रम 4 का क्रम 3 मे अनुपात)	लगभग 54 प्रतिशत

1 Papers on Perspective Plan Rajasthan 1990 2000 AD pp. 119 122

इस प्रकार वर्तमान मे भूजल का सिचाई के लिए 54% तक उपयोग काफी ऊचा है। राज्य मे जल सतह नीचे जा रही है । भूजल के कई क्षेत्रो मे यह जल के अत्यधिक उपयोग को सूचित करने लगी है । जयपुर, झुन्झुनूं, पाली अलवर, जोधपुर, सीकर, व जालौर जिलो मे स्थिति भयावह हो गई है क्योंकि इनमे भूजल का उपयोग 85% से अधिक स्तर पर पहुँच गया है । विद्युत की सहायता से भूजल का उपयोग पीने व सिचाई के लिए अत्यधिक मात्रा मे हुआ है ।

1979 80 मे भूजल से सिचाई 14 6 लाख हैक्टेयर मे की गई जो बढकर 1989 90 मे 17 6 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गयी । अत 1979 90 की अवधि मे इसमे लगभग 21% की वृद्धि हुई । अनुमान है कि 2000 ईस्वी तक भूजल का उपयोग 67% तक होने लग जायेगा जो वर्तमान मे 54% आका गया है ।

भविष्य मे सिचाई के विकास की रणनीति सही होनी चाहिए । इसके लिए सिचाई के लिए उपलब्ध जल का ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र मे उपयोग किया जाना चाहिए । बडे व मध्यम सिचाई के अधूरे प्रोजेक्टों को पहले पूरा करना चाहिये । नये प्रोजेक्ट धन की व्यवस्था होने पर ही हाथ मे लेने चाहिए । पहले से उत्पन्न सिचाई की क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए । रिसाव व वाष्पायन (seepage and evaporation) से होने वाली क्षति कम की जानी चाहिए । जल मार्गों की लाइनिंग की जानी चाहिये । फसलो को इतनी बार पानी देना चाहिए ताकि ज्यादा मे ज्यादा उपज मिल सके । इसके लिये फसलवार अधिकतम पानी देने का क्रम तय किया जाना चाहिये । सिचाई के प्रोजक्टो के रख रखाव पर पर्याप्त धनराशि के व्यय की व्यवस्था की जानी चाहिये क्योंकि रख रखाव की कमी से इनमे तेजी से गिरावट आती है ।

राजस्थान जल साधन विकास निगम लि

यह 1984 मे कम्पनी के रूप मे स्थापित किया गया था । इसके निम्न कार्य है

(1) भूजल (**ground water**) की जाच करना ट्यूबवैल स्थापित करना तथा भूजल का उपयोग कृषि उद्योग, पीने घरेलू व अन्य उपयोगों के लिये निर्धारित करने मे मदद देना ।

(2) सतह के जल (**surface water**) का उपयोग कृषि, उद्योग, पीने व घरेलू आदि कार्यों के लिए निर्धारित करना ।

(3) पानी को लिफ्ट करने व उपयुक्त स्थान पर पहुँचाने के लिए ऊर्जा के स्रोतो की व्यवस्था मे मदद देना ।

निगम की वित्तीय स्थिति मे सुधार की आवश्यकता है । इसे 1990 91 मे 6 2 लाख रुपये का घाटा हुआ है । यह जल साधनो के उपयोग व विकास मे महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है ।

सिंचित क्षेत्रों में कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम -

कमाण्ड क्षेत्र विकास (Command Area Development) राज्य सरकार ने पाचवीं योजना में कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम शामिल किया था । वैसे इस कार्यक्रम पर चतुर्थ योजना की अवधि में भी कुछ सीमा तक बल दिया गया था। अब तक इसके अन्तर्गत इन्दिरा गाधी नहर परियोजना का क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चम्बल कमाण्ड क्षेत्र का विकास-कार्यक्रम तथा माही कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम शामिल किये गये हैं । इनका विवरण नीचे दिया जाता है।[1]

(1) इन्दिरा गाधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम - इसमे निम्न प्रकार के कार्यक्रम आते है जो रेगिस्तानी क्षेत्रो मे जल का उपयोग करने के लिए आवश्यक हैं

(अ) भूमि को समतल करना

(ब) पानी की नालियो को पक्का करना

(स) सडक व डिग्गियो का निर्माण शिक्षा मण्डियो का विकास ग्रामीण जल सप्लाई, कृषि सहकारिता पशु पालन व मछली पालन । इन कार्यों को सचालित करने मे विश्व बैंक की सहायक सस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन से मदद ली गई है । विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 24 महीने की फ्री राशन तथा प्रत्येक बसने वाले को 2 हजार रुपये ब्याज मुक्त कर्ज दिया गया है ।

1992 93 से जापान के ओवरसीज इकोनॉमिक कोपरेशन फण्ड (OECF) की वृक्षारोपण परियोजना प्रारम्भ की गई है जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को हरा भरा करना है । इसके लिये जापान से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी । इसके अतिरिक्त खालो सडको पेयजल हेतु डिग्गियो एव नई मण्डियो के बीकानेर व जैसलमेर मे निर्माण कार्य भी सम्पन्न किये जायेंगे । आठवीं पचवर्षीय योजना मे इन्दिरा गाधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर लगभग 500 करोड रु व्यय करने का लक्ष्य है ।

(2) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम यहा पर विकास कार्य 1974 75 मे चालू किया गया था । इस क्षेत्र के विकास कार्यक्रम इन्दिरा गाधी क्षेत्र के विकास कार्यक्रम से थोडे भिन्न है क्योंकि यह एक पहले से बसा हुआ इलाका था, जहा लम्बी अवधि से रेवेन्यू प्रशासन चला आ रहा था । यहा सामाजिक सेवाओं का कुछ सीमा तक विकास हो चुका था । अत इस क्षेत्र मे जल का अधिकतम उपयोग करने के लिये जल की उचित किस्म की निकास-प्रणाली (proper drainage system) का विकास किया जाना चाहिये तथा जगली घास पात को उखाडने की समस्या को हल किया जाना चाहिए । अन्य कार्यक्रमों मे वृक्षारोपण कृषि के कच्चे माल पर आधारित उद्योगो का विकास प्रोसेसिग

1 ft Annual Plan 1993 94 pp 5 7 5 9

उद्योग, ग्रामीण गोदाम व ग्रामीण भवन निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिये। इसके लिये भी विश्व बैंक से सहायता ली गई है । चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के कार्यक्रम की अवधि जून 1982 मे समाप्त हो गई थी, लेकिन इसे छठी योजनावधि मे जारी रखा गया था ।

कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय-विकास एजेन्सी (CIDA) के एक प्रोजेक्ट (राजस्थान कृषिगत अनुसधान ड्रेनेज प्रोजेक्ट, चम्बल, कोटा) पर 1991-92 से कार्य शुरू किया गया जिससे इस क्षेत्र के भावी विकास मे मदद मिलेगी । इससे सिंचाई व भूमिगत जल-विकास कार्यों आदि मे कोटा स्थित कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेन्सी की वर्तमान सुविधाओं को सुदृढ किया जा सकेगा । 1993-94 के लिये राज्य की योजना मे इस पर व्यय के लिये 10 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा केन्द्र-चालित स्कीम के अन्तर्गत अलग से भारत सरकार से 2 25 करोड रु की राशि प्राप्त होगी ।

कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम विश्व बैंक व भारत सरकार की मदद से क्षेत्र विकास कमिश्नरो की देखरेख मे किया जाता है । इससे इन इलाको के आर्थिक विकास मे काफी मदद मिलती है । गग नहर प्रणाली उत्तरी-पश्चिमी भाखडा नहर प्रणाली मे भी कमाड क्षेत्र विकास-कार्यक्रम लागू किया गया है ।

(3) माही कमाड क्षेत्र विकास कार्यक्रम - इसके अन्तर्गत कच्चे जलमार्ग, सडक, क्रोसिंग, कलवर्ट, विशेष जलमार्गों की लाइनिंग आदि के निर्माण पर बल दिया गया है । इससे जनजाति व पिछडे हुए लोग लाभान्वित होंगे । इससे सिचाई के पानी की हानि कम की जा सकेगी और पानी की सप्लाई मे सुधार होने से किसानो को लाभ होगा ।

सामुदायिक लिफ्ट सिचाई-कार्यक्रम
(Community Lift Irrigation Programme)

राज्य के दक्षिणी व दक्षिणी-पूर्वी भागो मे लघु व सीमान्त कृषको को सिचाई कार्यो मे मदद देने के लिए 1980-81 से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) के तहत एक सामुदायिक लिफ्ट सिचाई कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था । इसके लिये लघु व सीमान्त कृषकों की एक प्रबन्ध समिति बनाई जाती है । सिचाई की स्कीम की कम से कम 10% लागत लाभान्वित कृषक स्वय प्रदान करते है और सरकार सब्सिडी देती है । इस कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के तीन स्रोत है ।

(i) सरकारी सब्सिडी (ii) कृषकों का स्वय का अशदान तथा (iii) वित्तीय सस्थाओ से कर्ज की व्यवस्था ।

जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियो मे तकनीकी कक्षो के द्वारा यह स्कीम बनाई व सचालित की जाती है । राज्य में लिफ्ट सिचाई स्कीमे निम्न कार्यक्रमो मे शामिल की गई है मैसिव कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र का विकास कार्यक्रम तथा

राज्य का बजट।

यह कार्यक्रम झालावाड़, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक सवाईमाधोपुर, सिरोही तथा धौलपुर जिलों में लाभकारी हो सकता है, जहा लघु व सीमान्त किसानों को सिंचाई का अधिक लाभ पहुँचाया जा सकता है। 1993-94 के लिए लगभग 1 करोड़ रु की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान मे नदी-नालो झीलों व स्रोतों आदि पर बांध बनाकर अथवा लिफ्ट करके सिंचाई, पेयजल एव सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए योजनाए बनाकर जल का उपयोग किया जा रहा है। सहकारी समितियो को कृषि हेतु पम्प लगाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि कृषिगत उत्पादन बढ सके।

(2) राजस्थान में ऊर्जा का विकास
(Energy Development in Rajasthan)

आर्थिक विकास मे ऊर्जा का केन्द्रीय स्थान होता है। ऊर्जा के स्रोत दो भागो मे बाँटे जाते है।

(1) परम्परागत स्रोत (Conventional Sources) - इसमें जल-विद्युत, थर्मल-पावर (कोयले, गैस व तेल से उत्पन्न) व अणु-शक्ति से उत्पन्न पावर शामिल होती है।

(2) गैर-परम्परागत स्रोत (Non-conventional Sources) - इसमें लकड़ी, बायो गैस, सौर्य-ऊर्जा (Solar Energy), निर्धूम चूल्हा, पवन चक्की, आदि शामिल होते है। इन्हे ऊर्जा के पुनः नये किये जा सकने वाले स्रोत (renewable sources of energy) भी कहते है।

राजस्थान मे 1989-90 मे प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 183 किलोवाट घण्टे थी जो समस्त भारत (214 किलोवाट घंटे) की तुलना मे काफी कम थी। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत की दृष्टि से भारत के 17 राज्यो मे राजस्थान का आठवाँ स्थान रहा। पजाब का प्रति व्यक्ति 636 किलोवाट घंटे की खपत के साथ प्रथम स्थान रहा।

1991-92 मे राज्य मे विद्युत की कुल प्रस्थापित क्षमता लगभग 2776 मेगावाट हो गई थी। 1951 52 मे यह 13 मेगावाट ही थी। इस प्रकार योजनाकाल मे विद्युत की प्रस्थापित क्षमता का काफी विकास हुआ है। लेकिन विद्युत की माग व पूर्ति मे अतर निरन्तर बढता जा रहा है।

1989 90 मे विद्युत की कुल प्रस्थापित क्षमता लगभग 2711 मेगावाट थी जिसमें राज्य की स्वयं की क्षमता (State-owned Capacity) 789 मेगावाट, अन्य परियोजनाओ मे राज्य के हिस्से की क्षमता (shared capacity) 933 मेगावाट तथा अन्य परियोजनाओ के माध्यम से आवंटित क्षमता (allotted capacity)

लगभग 989 मेगावाट थी । कुल प्रस्थापित क्षमता 2711 मेगावाट मे जल विद्युत क्षमता 957 मेगावाट, थर्मल क्षमता 1292 मेगावाट तथा आणविक क्षमता 462 मेगावाट थी ।[1]

राजस्थान मे 1980 81 मे पावर की लगभग 9 6% कमी थी जो बढकर 1987 88 मे 30 27% हो गई । इसके आठवो पचवर्षीय योजना मे बढकर 40% हो जाने का अनुमान है । अत आठवीं योजना मे राजस्थान को विद्युत के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि माग व पूर्ति मे सनुलन स्थापित किया जा सके ।

स्मरण रहे कि सातवा पचवर्षीय योजना (1985 90) मे विद्युत की 385 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया था जबकि वास्तविक उपलब्धि 580 मेगावाट की हुई जो लक्ष्य मे काफी अधिक थी । इसमें कोटा थर्मल पावर स्कीम के चरण II की दो इकाइयों का योगदान 420 मेगावाट, माही प्रोजेक्ट का 140 मेगावाट व मिनी माइक्रो जल विद्युत स्कीमो का 20 मेगावाट रहा था (कुल 580 मेगावाट) ।

(अ) इसमे राज्य का अपना हिस्सा व आवंटित हिस्सा देने वाली अलग अलग परियोजनाए इस प्रकार है (i) **राज्य के अपने हिस्से की क्षमता प्रदान करने वाली परियोजनाऐ इस प्रकार हैं -**

(1) भाखड़ा नागल परियोजना

(2) व्यास इकाई I (देहर) तथा इकाई II (पोग)

(3) चम्बल प्रोजेक्ट ये तीनो जल विद्युत योजनाए है ।

(4) सतपुडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (ताप बिजली घर) (मध्यप्रदेश)

(ii) अन्य परियोजनाए जिनसे आवंटित क्षमता (alloted capacity) प्राप्त होगी

(1) सिगरौली सुपर-थर्मल पावर प्रोजेक्ट (उत्तर प्रदेश) इसकी कुल क्षमता 2050 मेगावाट है तथा इसमें राजस्थान का 15% हिस्सा आवंटित किया गया है । यह केन्द्रीय प्रोजेक्ट राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम (NTPC) सचालित कर रहा है ।

(2) रिहन्द सुपर-थर्मल पावर प्रोजेक्ट (उत्तर प्रदेश) (NTPC द्वारा सचालित) इसकी कुल क्षमता 1000 मेगावाट है तथा इसमे राजस्थान का आवंटित अंश 9 5% है ।

(3) अन्ता गैस पावर स्टेशन (NTPC द्वारा)- इसकी कुल क्षमता 413 मेगावाट हैं तथा राजस्थान का आवंटित हिस्सा 19 8% रखा गया है ।

---

1 Papers on Perspective Plan Rajasthan, 1900 2000 AD p 125

(4) ओरयूया गैस केन्द्र (उत्तर प्रदेश), इसकी कुल क्षमता 652 मेगावाट है तथा इसमे राजस्थान को 9 2% अंश आवंटित किया गया है ।

(5) नरोरा परमाणु ऊर्जा परियोजना (उत्तर प्रदश) - इसकी कुल क्षमता 470 मेगावाट है तथा राजस्थान का आवंटित अश 9 6% है ।[1]

(6) राजस्थान अणुशक्ति प्रोजेक्ट (RAPP)

(ब) राज्य की स्वय के स्वामित्व की क्षमता प्रदान करने वाली परियोजनाएँ इस प्रकार हैं

(1) कोटा थर्मल पावर स्टेशन (KTPS)

चरण I (2x110) = 220 मेगावाट (1983 मे चालू)

चरण II (प्रथम इकाई) 210 मेगावाट (25 सितम्बर 1988 को चालू)

चरण II (द्वितीय इकाई) 210 मेगावाट (1 मई 1989 को चालू)

चरण III (एक इकाई) 210 मेगावाट (आठवीं योजना मे चालू होगी)

इस प्रकार कोटा थर्मल पावर स्टेशन की कुल क्षमता = 850 मेगावाट होगी ।

(2) माही हाइडल प्रोजेक्ट

(3) राजस्थान की मिनी हाइडल स्कीमें

(i) इन्दिरा गाधी नहर प्रोजेक्ट मे अनूपगढ शाखा सूरतगढ शाखा मागरोल, चारणवाला व पूगल शाखाये,

(ii) अन्य - दायीं मुख्य नहर माही I व II इटवा बिरसालपुर व जाखम परियोजना कुल 10 मिनी हाइडल स्कीमे ।

राजस्थान अणु शक्ति प्रोजेक्ट कनाडा के सहयोग से रावतभाटा नामक स्थान पर (राणाप्रताप सागर के विद्युत गृह के समीप) 1973 मे स्थापित किया गया था । इसमे 235 मेगावाट 2 इकाइया लगाने से इसकी क्षमता 470 मेगावाट हो गई है। यह शत प्रतिशत राजस्थान के लिये है। तीसरी व चौथी इकाइयो (2 x 235 MW) की स्वीकृति मिल चुकी है। इनके 1995 96 तक पूरा होने की आशा है। चार इकाइया (प्रत्येक 500 मेगावाट की) बाद मे और लगायी जायेंगी। इनमे 2000 ईस्वी के आस पास चालू होने का अनुमान है।

राजस्थान ऊर्जा विकास एजेन्सी (Rajasthan Energy Development Agency (REDA) की स्थापना जनवरी 1985 में हुई थी । इसका कार्य गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों का विकास करना है । अत इसका सम्बन्ध निर्धूम चूल्हे बायो गैस, सौर्य ऊर्जा आदि से है। इनकी प्रगति का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है।

राजस्थान पत्रिका, 30 जुलाई 1991 पृ 12 (विभिन्न विद्युत केन्द्रो में राजस्थान के आवंटित अंश के लिये है।)

(i) सौर-ऊर्जा (Solar Energy) - इससे गैस व ईंधन की बचत होगी। पहला सौर-ऊर्जा फ्रीज जोधपुर जिले मे बालेसर उच्चीकृत प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र मे लगाया गया था। इसमे छत पर काच की प्लेटो का पेनल बनाया जाता है। सूर्य की रोशनी से फ्रीज की बैटरी मे ऊर्जा इकट्ठी होकर फ्रीज को चलाती है।

जोधपुर मे 30 मेगावाट का सोलर थर्मल प्लान्ट मथानिया मे लगाने का प्रस्ताव है। इस पर 130 करोड रुपये की लागत आयेगी। सौर्य ऊर्जा का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जायेगा ।

(i) स्ट्रीट ट्यूब लाइटे लगाना

(ii) सोलर कूकर्स चलाना

(iii) वाटर हीटर्स लगाना

(iv) सोलर पम्प लगाना नीची सतह से पानी निकालने के लिये बाडमेर नागौर, चूरू आदि में पम्प लगाना,

(v) सीमावर्ती क्षेत्रो मे रगीन टी वी सेट्स लगाना ।

(ii) वायु-ऊर्जा राजस्थान मे वायु का वेग 20 से 40 किलोमीटर प्रति घण्टा पाया जाता है। सरल व कम लागत के उपकरण लगाकर इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र मे चारे व चरागाह विकास के लिये भारत सरकार के 100 वायु मिल (पवन चक्कियां) प्राप्त करने का कार्यक्रम है। इस प्रकार मरुस्थल के विकास के लिये वायु एरो जेनरेटर्स प्राप्त किये जायेंगे ।

(iii) बायो-गैस - गावो मे गोबर-गैस संयत्रो का विस्तार किया जा रहा है। सातवी योजना के अन्त तक 33,768 बायो गैस सयत्र लगाये जा चुके हैं । इनसे किरोसीन तेल व जलाने की लकडी की काफी बचत होगी 1993 94 मे 5400 नये बायो-गैस सयत्र लगाने का कार्यक्रम है तथा चालू संयत्रो के रख-रखाव पर ध्यान दिया जाएगा ।

आठवीं व नवीं योजनाओं के लिए विद्युत-सृजन के प्रस्तावित कार्यक्रम

(1)कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट-तृतीय चरण की इकाई की क्षमता =210 मेगावाट

(2) सूरतगढ ताप विद्युतघर क्षमता (2 x 210) = 420 मेगावाट

(3) धौलपुर ताप विद्युतघर क्षमता (3 x 210) = 630 मेगावाट

(4) चित्तौडगढ विद्युतघर क्षमता (2 x 210) = 420 मेगावाट

(5) माडलगढ विद्युतघर क्षमता (3 x 210) = 630 मेगावाट

(6) बरसिहसर लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट (2 x 120) = 240 मेगावाट

सवाईमाधोपुर- भरतपुर क्षेत्र में मडरायल के पास राहू घाट हाइडल स्कीम पर मध्य प्रदेश सरकार से विचार किया जा रहा है ।

प्रस्तावित विद्युत-प्रोजेक्टो के सम्बन्ध मे नवीनतम स्थिति -

(1) सूरतगढ़ ताप बिजलीघर - इसे वन व पर्यावरण नागरिक उड्डयन जल-आवश्यकता आदि के दृष्टिकोण से स्वीकृति मिल गई है लेकिन कोयले की जरूरत के हिसाब से मामला रुका हुआ है । इसे आठवीं योजना मे प्रारम्भ करने का विचार है ।

(2) धौलपुर ताप बिजलीघर - इसके लिये भारत सरकार से अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है । इस क्षेत्र के ट्राइपेजियन जोन मे आने के कारण इसमे ताजमहल की सुरक्षा को तथा चम्बल नदी मे घड़ियालो को खतरा होने की सम्भावना के कारण पर्यावरणीय कारणो से स्वीकृति नही मिल पायी है हालांकि जुलाई 1992 मे एक बार इसकी स्वीकृति की सम्भावना उत्पन्न हो गई थी लेकिन वह पूरी नही हो पायी ।

(3) चित्तौड़गढ व माडलगढ़ ताप बिजलीघरो को सक्षम (viable) नही माना गया है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वैकल्पिक स्थान चुनने की सलाह दी है । चितौडगढ मे बिजलीघर स्थापित करने के लिये बम्बई की एक निजी कम्पनी मैसर्स सेन्चूरी टेक्सटाइल इ डस्ट्रीज लि को राजस्थान सरकार ने एक थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने का लाइसेंस दे दिया है ।

(4) बरसिहसर में लिग्नाइट - आधारित बिजलीघर – बरसिहसर मे लिग्नाइट आधारित बिजलीघर की स्थापना के लिये नवम्बर 1987 में राजस्थान सरकार व नैवेली लिग्नाइट निगम के बीच एक समझौता हुआ था । बरसिहसर मे लिग्नाइट के भण्डार है । बीकानेर के पलाना व गुडा क्षेत्रो मे तथा बाडमेर के कपूरडी व जलीपा क्षेत्रो मे तथा नागौर के मेडता रोड मे लिग्नाइट के भण्डार पाये गये है । इस प्रोजेक्ट की कुल लागत के 850 करोड रुपये आने का अनुमान है। यहा 4 वर्ष मे विद्युत का उत्पादन चालू होने की आशा है । इसके लिये पानी इन्दिरा गाधी नहर से लिया जायेगा ।

जैसलमेर क्षेत्र मे जुलाई 1990 मे डाडेवाला मे गैस के नये विशाल भण्डार मिले है । वहा भी गैस आधारित विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इसके लिये रामगढ मे स्थापित करने के लिये 125 मेगावाट की एक परियोजना तैयार की जा रही है ।

राजस्थान को आठवीं पचवर्षीय योजना मे विद्युत की प्रस्थापित क्षमता बढाने पर विशेष ध्यान देना चाहिये ताकि इसकी माग व पूर्ति के अन्तर को समाप्त किया जा सके । प्रयत्न करने पर राजस्थान विद्युत की सप्लाई मे आत्म निर्भर हो सकता है ।

केन्द्र से समय पर स्वीकृति नहीं मिलने पर कोटा ताप विद्युत केन्द्र (तृतीय चरण) सूरतगढ ताप विद्युत परियोजना माडलगढ ताप विद्युत परियोजना बरसिंहसर

लिग्नाइट खनन व ताप विद्युत परियोजना, मथानिया सौर ऊर्जा ताप केन्द्र व अन्ता (द्वितीय चरण) की प्रस्तावित लागत मे अरबो रुपयो की वृद्धि हो गई है ।

राजस्थान को रावी व्यास नदी के जल पर आधारित पजाब की नई विद्युत परियोजनाओ मे निम्नाकित हिस्से मिलने से राज्य मे विद्युत की उपलब्धि बढेगी।[1]

परियोजना का नाम	कुल क्षमता (मेगावाट मे)	राजस्थान का दावा (प्रतिशत मे)
1 थीन बाध परियोजना	600	52 6
2 आनदपुर साहिब परियोजना	134	20 0
3 मुकेरिया जल विद्युत परियोजना	207	58 5
4 यू बी डी सी परियोजना (II चरण)	45	52 6
5 शाहपुर कार्डी जल विद्युत परियोजना	94	52 6

इनमे से आनदपुर साहिब परियोजना मुकेरिया जल विद्युत परियोजना व यू बी डी सी परियोजना (II चरण) चालू हो चुकी हैं लेकिन इनमे से राजस्थान को आवंटित किये जाने वाले हिस्से का मामला तय नही हुआ है । पजाब ने थीन बाध जल विद्युत परियोजना पर भी निर्माण कार्य चालू कर दिया है । इसलिए राजस्थान के हिस्से के बारे मे मामले को शीघ्र ही निबटाना जरूरी हो गया है ।

राज्य मे 1991 92 मे 9662 5 मिलियन इकाई बिजली का उपभोग हुआ जिसमे से सर्वाधिक उपभोग उद्योग व खनन मे 4196 मिलियन इकाई का हुआ। 1991 92 मे राज्य मे 28507 गावो/स्थानो को बिजली मिल चुकी थी और लगभग 4 लाख कुओ को शक्तिकृत किया जा चुका था ।

राज्य मे ऊर्जा के गैर परम्परागत साधनो के विकास पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है ।

(3) राजस्थान मे सडको का विकास

राजस्थान के निर्माण के समय सडको की दशा काफी असतोषजनक थी। 31 मार्च 1951 को राज्य मे सडको की लम्बाई केवल 17339 किलोमीटर थी

---

1 इतवारी पत्रिका 7 जून 1992 पृ० 1 गोपाल शर्मा का लेख राजस्थान के हितो की अनदेखी कर रहा है केन्द्र ।

जो बढकर मार्च 1992 के अत में 59913 किलोमीटर हो गई । राज्य मे निम्न कार्यक्रमो के अन्तर्गत योजनाकाल मे सडको का विकास किया गया है

(i) सिंचित क्षेत्र विकास,

(ii) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP)

(iii) दुग्ध मार्ग का विकास,

(iv) खनिज सडके

(v) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

(vi) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारटी कार्यक्रम

(vii) अकाल राहत कार्य, आदि ।

विभिन्न वर्षों के लिये सडको के विकास की स्थिति निम्न तालिका मे दर्शायी गई है ।[1]

इस प्रकार 1950-51 की तुलना मे 1991 92 मे सड़को की लम्बाई 3 5 गुनी हो गई । इसके बावजूद भी राज्य सडकों की दृष्टि से समस्त भारत की तुलना में काफी पीछे है । विभिन्न वर्षों में सडकों के विकास की स्थिति निम्न तालिका मे दर्शायी गई है ।

वर्ष	सड़को की लम्बाई (किमी में)	प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर (किमी में)
1955 56	18749	5 07
1960-61	26693	7 80
1970 71	31752	9 28
1980 81	41194	12 04
1989 90	56956	16 64
1990 91	58350	17 06
1991 92	59913	17 51

राज्य मे मार्च 1951 मे सतहदार सडको की लम्बाई केवल 5429 किलोमीटर थी जो सडको की कुल लम्बाई का 31% थी । यह मार्च 1990 मे 46474 किलोमीटर हो गई जो सड़को की कुल लम्बाई का 82% हो गई । इस प्रकार सडकों की कुल लम्बाई मे सतहदार सडको का अश काफी बढा है जो

राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्च 1991 पृ 53 तथा आय व्ययक अध्ययन, 1992 93 पृ 130

संतोषजनक स्थिति का परिचायक है । इस प्रकार पहले की तुलना में सडकों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है ।

1991 92 मे राज्य मे सभी प्रकार की सडकों की लम्बाई 59913 किलोमीटर थी जिसका वर्गीकरण नीचे दिया जाता है ।[1]

	(किलोमीटर में)
1 राष्ट्रीय राजमार्ग	2846
2 राज्यीय राजमार्ग	7136
3 बड़ी जिला सड़के	3636
4 अन्य जिला सड़के	15054
5 ग्रामीण सड़के (सीमावर्ती सड़को सहित)	31241
कुल	59913

राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लम्बाई जयपुर, उदयपुर, बीकानेर व जैसलमेर जिलो की रही है ।

31 मार्च 1990 को कुल 56956 किलोमीटर लम्बी सडको में पाच जिलो में घटते हुए क्रम में सडको की लम्बाई इस प्रकार रही ।[2]

जिला	(किलोमीटर में)
जोधपुर	4586
उदयपुर	3974
पाली	3480
भीलवाड़ा	3346
बाड़मेर	3294
योग (कुल 33% या 1/3)	18680

इस प्रकार 1/3 सडके इन पाच जिलो मे पायी गई हैं ।

मार्च 1992 के अन्त तक राज्य में ग्रामीण सड़को की प्रगति निम्न तालिका मे दर्शायी गई है ।[3]

---

1 Some Facts About Rajasthan 1992, Feb 1993 p 63 (DES Jaipur)
2 Papers on Perspective Plan Rajasthan 1990 2000 AD p 261 Annexure 22
3 आय व्ययक अध्ययन 1992 93 पृ 130

जनसंख्या	1971 की जनगणना के अनुसार गावों की सख्या	मार्च 1992 के अत तक अर्थात् 1991 92 तक सड़कों से जुड़े गाव	सड़को से जुड़े गाव (प्रतिशत के रूप में)
1500 व अधिक	3300	3091	93 7
1000 1500	2407	1690	70 2
1000 से कम	27598	6655	24 1
योग	33305	11436	34 3

अनुमान है कि आगामी दो तीन वर्षो मे 1500 व अधिक जनसख्या वाले सभी गावो को सडको से जोड दिया जाएगा । मार्च 1992 के अत तक 93 7% गाव सडको से जोडे जा चुके थे । 1000 से कम जनसख्या वाले गावो मे सडको की स्थिति बहुत शोचनीय पायी जाती है ।

सडक विकास की नागपुर योजना के अनुसार सडको की लम्बाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर 42 किलोमीटर होनी चाहिए, जो 1961 तक प्राप्त करनी थी । लेकिन 1991 92 मे यह राजस्थान मे 17 5 किलोमीटर तक ही आ पायी है । अत राज्य आज भी सडक विकास की दृष्टि से काफी पीछे है ।

सड़क विकास की मास्टर प्लान (1981 2001)

राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) ने सडक विकास की बीस वर्षीय मास्टर प्लान तैयार की है जिसकी मुख्य बाते इस प्रकार है

1 सभी पचायत मुख्यालयों को सडको से जोडना

2 एक हजार व अधिक जनसख्या (1971 की जनगणना के अनुसार) वाले सभी गावों को सडकों से जोडना ।

3 सडकों की गायब कडियो का निर्माण करना व दो मार्ग जितनी सड़कें बनाना

4 बडी जिला सडको पर आवश्यक पुलों का निर्माण करना

5 अन्तर्राज्यीय सडकों का निर्माण करना,

6 पर्यटन महत्त्व की सड़को का निर्माण करना

7 धार्मिक स्थानों तक सडके बनाना,

8 रेल्वे स्टेशन तक सडके बनाना

9 खनन सडकें बनाना,

10 औद्योगिक केन्द्रों तक सडके बनाना,

11 मण्डियो तक सडके बनाना तथा दूध के मार्गों एव पंचायत मुख्यालयों तक आबादी क्षेत्रो में छोटी कडिया स्थापित करना ।

उपर्युक्त मास्टर प्लान के अनुसार सडक निर्माण कार्य पर 3500 करोड रु व्यय करने की आवश्यकता होगी ।

सडक निर्माण की योजना को कृषि उपज मण्डी समिति (KUMS) केन्द्रीय सडक कोष (CRF) ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम व अकाल राहत कार्यों (सूखे के वर्षों मे) से जोडा जाना चाहिए ताकि सडक विकास की गति तेज की जा सके ।

राज्य मे नई सडको के निमाण के साथ साथ वर्तमान सडको के रख रखाव पर भी पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है । सडको के निर्माण का अनेक दृष्टियो से महत्व है जैसे कृषिगत माल के उचित विपणन के लिए, पिछडे क्षेत्रो के औद्योगिक विकास के लिये निर्धनता निवारण के लिये रोजगार देने की दृष्टि से दस्यु ग्रस्त इलाको मे दस्यु उन्मूलन कार्यक्रम चलाने के लिये जनजाति क्षेत्रो के विकास के लिये पर्यटन के लिये सीमावर्ती क्षेत्रो के विकास के लिये नगरीय क्षेत्रो के विकास के लिये आदि आदि । इसलिये भावी योजनाओ मे सडको के विकास पर सदैव काफी बल दिया जाना चाहिए ।

राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम
(Rajasthan State Road Transport Corporation) (RSRTC)

इसकी स्थापना 1964 मे एक वेधानिक निगम के रूप मे हुई थी । इसके मुख्य कार्य इस प्रकार है

(i) राज्य मे सड़क परिवहन का विकास करके जनता व्यवसाय व उद्योग को लाभ पहुँचाना

(ii) सडक परिवहन का परिवहन के अन्य साधनों से ताल मेल बैठाना तथा

(iii) एक क्षेत्र मे सडक परिवहन की सुविधाओ का विस्तार करना व उनमे सुधार करना और राज्य मे सडक परिवहन सेवा को कार्यकुशल व किफायती रूप प्रदान करना ।

1989 90 मे इसके कुल वित्तीय साधन लगभग 90 करोड रु के थे । इसमे राज्य सरकार की परिदत्त पूजी 41 9 करोड रु अन्य की परिदत्त पूँजी 18 6 करोड रु की सरकार के अलावा अन्य सस्थाओ से अवधि-कर्ज की राशि 25 5 करोड रुपये तथा रिज़र्व व सरप्लस की राशि 4 1 करोड़ रुपये की थी ।

1985 86 के बाद निगम के कर से पूर्व मुनाफे निरतर घटते गये हैं । इसे 1989 90 मे 15 3 लाख रु का मुनाफा हुआ जो पिछले वर्ष के समान था। 1990 91 मे निगम को लगभग 8 6 करोड रु का घाटा हुआ जो एक चिता का

विषय है ।[1]

निगम को नई बसे खरीदने के लिये काफी पूँजी की आवश्यकता होती है। सातवीं योजना में इसने 1610 बसे खरीदीं जिनमे से 761 बसे पुरानी बसों के बदलने के लिये थीं । 1989 90 में इसके पास 3006 बसें थीं । इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करके इसके मुनाफे में वृद्धि की जानी चाहिये ।

निष्कर्ष -

राजस्थान के नियोजित विकास में सिचाई व शक्ति के विकास को सदैव उच्च प्राथमिकता दी गई है जो राज्य की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए उचित मानी जा सकती है । इससे 1950 51 से 1991 92 की अवधि मे कुल सिचाई के क्षेत्र मे 11 लाख हैक्टेयर से 46 5 लाख हैक्टेयर तक की वृद्धि हुई है और विद्युत की प्रस्थापित क्षमता मे 13 मेगावाट से 2776 मेगावाट तक की वृद्धि हुई है। इस प्रकार सडकों की लम्बाई भी योजनाकाल मे 3 5 गुनी हो गई है। हालांकि यह प्रगति काफी सराहनीय है फिर भी राज्य की आवश्यकताओ को देखते हुए आज भी कम है । इसलिए राजस्थान को आगामी दशक मे आधार-सरचना को अधिक सुदृढ करने की दिशा में भारी प्रयास करना होगा । जहा एक तरफ विकसित क्षमता का पूरा उपयोग करना होगा वहीं नयी क्षमता के विकास पर भी आवश्यक विनियोग करना होगा।

प्रश्न

1 राजस्थान में योजनाकाल मे सिचाई की प्रगति पर प्रकाश डालिये। क्या यह प्रगति सतोषजनक मानी जा सकती है ?

2 राजस्थान मे पावर के क्षेत्र मे हुई प्रगति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। क्या राज्य अपनी पावर की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये अन्य राज्यो पर आश्रित है ?

3 राज्य में सडको के विकास का विवेचन कीजिये । ग्रामीण सडको की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिये। सडकों के विकास से राज्य की अर्थव्यवस्था पर पडने वाले प्रभावो का उल्लेख कीजिये।

4 सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये

(i) कनाडा बाँध

(ii) नर्मदा परियोजना

---

1 Public Enterprises Profile 1990 91 April 1993

(iii) राजस्थान नहर या इन्दिरा गाधी नहर परियोजना

(Ajmer, I yr 1992)

(iv) बरसिहसर लिग्नाइट-आधारित ताप बिजली परियोजना

(v) राज्य मे सौर ऊर्जा

(vi) माही बजाज सागर परियोजना

(vii) बीसलपुर सिचाई परियोजना ।

(viii) राज्य मे भूजल (Ground water) व सिचाई का विकास

(ix) राज्य की सड़क विकास की मास्टर प्लान (1981 2001)

(x) राजस्थान मे इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास (Ajmer I yr 1992)

17

राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधाएं
(Constraints in the Economic Development of Rajasthan)

हमने पहले विभिन्न अध्यायो मे राज्य के विभिन्न क्षेत्रो के विवरण मे उनसे सम्बद्ध बाधाओ व समस्याओ का उल्लेख किया है और सक्षेप मे उनको दूर करने व हल करने के उपाय भी बतलाये है। विशेषतया नियोजन के अध्याय मे राज्य मे नियोजित विकास को बाधओ पर प्रकाश डाला गया है तथा विकास को गति को तेज करने के उपाय भी सुझाये गये है। इस अध्याय मे हम अधिक गहराई से कृषिगत विकास व औद्योगिक विकास की प्रमुख बाधाओं का विवेचन करेगे और उनको दूर करने के व्यावहारिक उपायों की चर्चा करेगे ताकि राज्य द्रुतगति से सामाजिक आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होकर बेरोजगारी निर्धनता तथा आर्थिक असमानता की समस्याओ का निवारण कर सके।

योजनाकाल मे आर्थिक प्रगति के बावजूद आज भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था कई दृष्टियो से कमजोर बनी हुई है। इसके भावी विकास मे निम्न बाधाएँ मानी जा सकती हैं।[1]

(i) राज्य के विकास मे प्रमुख बाधा भौगोलिक है। 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र मे रेगिस्तान है। जनसख्या के दूर दूर तक फैले होने के कारण बुनियादी सेवाओ जैसे विद्युत जल सडक शिक्षा सचार, चिकित्सा, आदि को पहुचाने की प्रति व्यक्ति लागत ऊँची आती है

(ii) कृषि की मानसून पर निर्भरता बहुत अधिक है। मानसून के विलम्ब से आने अथवा इसके अभाव अथवा वर्षा के क्रम मे अन्य गडबड हो जाने से कृषिगत उत्पादन बहुत प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, जुलाई, 1991 मे देर से वर्षा होने के कारण राज्य में मक्का की बुवाई बहुत कम हो गई थी

---

1 राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र, मार्च 1991 पृ० 7

(iii) राज्य मे जनसख्या की वृद्धि दर भारत की औसत वृद्धि दर से अधिक होने के कारण (1981 91 मे राजस्थान मे लगभग 28 4% तथा भारत मे 23 5%) आर्थिक दृष्टि से कमजोर अर्थव्यवस्था पर निरन्तर जनभार बढता जा रहा है

(iv) श्रम शक्ति मे लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप लोगो को रोजगार देने मे कठिनाई आ रही है। बेरोजगारी पर व्यास समिति की दिसम्बर 1991 की अन्तिम रिपोर्ट (इस विषय का विस्तृत विवरण आगे चलकर एक पृथक अध्याय मे दिया गया है) के अनुसार 1990 के अत तक राज्य मे पूर्ण रोजगार देने के लिए इस अवधि मे 49 लाख व्यक्तियो के लिए रोजगार उपलब्ध कराना होगा। राज्य मे शिक्षित वर्ग मे भी बेरोजगारी की समस्या काफी गम्भीर होती जा रही है

(v) राज्य मे जल का नितान्त अभाव है राजस्थान मे सतही जल व भूजल की कुल मात्रा समस्त भारत की मात्रा का 1% है जो बहुत कम है। भूमि के नीचे जल कई स्थानो पर लवणीय है तथा अन्य स्थानो मे सूखे के कारण जल स्तर नीचे गिरता गया है। अत राजस्थान मे जल प्रबन्ध का प्रश्न सर्वोपरि है। इस राज्य की समस्या न 1 माना जा सकता है

(vi) राज्य के स्वय के विद्युत उत्पादन के स्रोतो का विकास होना बाकी है। आज भी राज्य विद्युत के लिए बाहरी साधनो पर काफी निर्भर करता है जिनमे कुछ मे इसका प्रत्यक्ष हिस्सा है और कुछ मे से इसे हिस्सा आवंटित किया गया है जिनका स्पष्टीकरण पिछले अध्याय मे किया जा चुका है। विद्युत की माग व पूर्ति मे अतर बढता जा रहा है जिसे कम करने के लिए राज्य के ताप बिजली घरो (बरसिहसर लिग्नाइट आधारित बिजली की परियोजना सहित) का शीघ्र विकास करना आवश्यक है

(vii) राज्य मे सामाजिक व आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आज भी काफी पिछडा हुआ है। राजस्थान मे साक्षरता की दर 1991 मे 38 6% रही जो पद्रह राज्यो के उपलब्ध आकडो मे केवल बिहार की साक्षरता की दर 38 5% के लगभग समान थी लेकिन बाकी सभी 13 राज्यों से नीची थी। इससे राज्य के शैक्षणिक दृष्टि से पिछडेपन का अनुमान लगाया जा सकता है

(viii) राज्य परिवहन व सचार की दृष्टि से भी राष्ट्रीय स्तर से नीचे आता है जिससे अन्य क्षेत्रो जैसे कृषि उद्योग खनन आदि का विकास भी अवरुद्ध हो गया है

(ix) राज्य के विभिन्न भागो मे विकास की दृष्टि से काफी असमानताएँ हैं जिन्हे कम करने का प्रयास करना होगा।

(x) इसके अलावा राज्य के पास विकास के लिए वित्तीय साधनो का अभाव रहने से इसे केन्द्रीय सहायता पर अधिक मात्रा में निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार राज्य के विकास मे मूलत· भौगोलिक, जनांकिकीय (demographic), आधार-ढाँचे से सम्बन्धित (infrastructural), वित्तीय, प्रशासनिक आदि बाधाएँ हैं जिनको दूर किये बिना राज्य के सुखद भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती।

अब हम कृषिगत विकास व औद्योगिक विकास की प्रमुख बाधाओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे और प्रत्येक बाधा के साथ ही उसको दूर करने का उचित व प्रभावशाली उपाय भी सुझायेंगे ताकि आगामी 10 15 वर्षो मे उन बाधाओ को काफी सीमा तक दूर किया जा सके।

(अ) राजस्थान के कृषिगत विकास की प्रमुख बाधाएँ व उनको दूर करने के उपाय-

हम कृषिगत विकास के अध्याय मे बतला चुके हैं कि योजनाकाल मे राज्य मे कुल कृषित क्षेत्रफल प्रथम योजना के औसतन 113 लाख हैक्टेयर से बढकर 1990 91 मे 193 8 लाख हैक्टेयर हो गया। यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% से बढकर 56 6% हो गया। इस प्रकार राज्य मे कुल जोते-बोये गये क्षेत्र मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो एक सतोष का विषय है। इसी अवधि मे कुल सिंचित क्षेत्रफल कुल कृषित क्षेत्रफल के 12% से बढकर 24% (दुगुने प्रतिशत) पर आ गया है, तथा विभिन्न फसलो की पैदावार बढी है। कृषिगत इन्पुट जैसे अधिक उपज देने वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ कृषिगत औजार आदि का विस्तार हुआ है। राज्य ने तिलहन के उत्पादन में नये कीर्तिमान स्थापित किये है। उद्यान व फल-विकास पशु-पालन, दुग्ध-व्यवसाय व अन्य सम्बद्ध क्रियाओ का विकास किया गया है।

लेकिन इन सब उपलब्धियो के बावजूद भावी कृषिगत विकास के मार्ग मे कुछ बाधाएँ है जिनको दूर करना होगा। इनका सम्बन्ध फसलो के विकास के साथ साथ फलोद्यान पशु पालन डेयरी चारा जल-प्रबध, आदि से है। इनका विवेचन नीचे किया जाता है।

(1) भूमि पर सीमा-निर्धारण कानून के क्रियान्वयन मे बाधाएँ -

राजस्थान मे सामती प्रथा का बोलबाला रहा है। राज्य मे जागीरदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन के कानून बनाये गये है। उनके माध्यम से मध्यस्थ वर्ग समाप्त करने की दिशा मे प्रगति हुई है। लेकिन सीलिग कानून के तहत अतिरिक्त भूमि को प्राप्त करने की दिशा मे प्रगति धीमी व असतोषजनक रही है, क्योंकि इसके क्रियान्वयन को कोर्टों मे 'स्टे' लाकर चुनौती दी गयी हे जिसके फलस्वरूप भूमिहीनों मे भूमि का वितरण पर्याप्त मात्रा मे नहीं हो पाया है। इससे भूमि के वितरण की असमानता कम नही हो पायी है।

(2) मानसून पर निर्भरता को देखते हुए उचित जल प्रबंध की आवश्यकता

राजस्थान मे मानसून की अनियमितता अनिश्चितता व अपर्याप्तता को देखते हुए जल प्रबंध को सर्वोच्च प्राथमिकता देना सर्वथा उचित माना जायगा। राज्य में भारत के कुल जल का 1% हिस्से मे आया है जो बहुत कम है क्योंकि यहाँ कषित क्षेत्र का 11% है तथा 70% जनसख्या कषि पर निर्भर करती है। राज्य में वर्षा का वार्षिक औसत 536 मिलीमीटर है जो पश्चिम मे जैसलमेर व बीकानेर जिलो में 100 स 250 मिलीमीटर के बीच तथा पूर्व में बासवाडा व झालावाड जिलो मे 900 मिमी से अधिक पाया जाता है[1]

राज्य मे वर्षा के अभाव के कारण प्राय सूखे व अभाव की दशाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। उपलब्ध जल साधनो मे से लगभग 70% सतही जल एव 50% भू जल का उपयोग किया जा चुका है हालाँकि कुल कृषित क्षेत्र के 24% (लगभग 1/4) भाग पर सिचाई की जाने लगी है फिर भी 3/4 कषित भाग अभी भी वषा पर निर्भर करता है। जिलेवार सिंचित क्षेत्र मे काफी असमानताएँ पायी जाती ह। इसलिए सीमित मात्रा में उपलब्ध जल के सरक्षण व सदुपयोग के जरिये अधिक क्षेत्र म सिचाई करना सभव हो सकता है। अनुमान है कि उपलब्ध जल का लगभग आधा भाग खेत तक पहुचने म ही नष्ट हो जाता है। बहकर जाने वाले वर्षा के जल का खेत मे ही सरक्षण होना चाहिये। इससे नमी सरक्षण मे मदद मिलेगी। सूखी खेती के लिए जलधारा या जल ग्रहण विकास कायक्रम (Watershed Development Programme) के माध्यम से वर्षा के जल को रोकने की व्यवस्था करनी होगी ताकि नमी सरक्षण सम्भव हो सके। इससे पदावार बढेगी। लेकिन इस सम्बन्ध में ऐसी फसलो का चुनाव करना होगा जो जल्दी पक कर तैयार हो सके। उनके लायक उर्वरको व औजारो की भी व्यवस्था करनी होगी। अत राजस्थान मे सूखी खेती के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। राज्य मे भारत सरकार की सहायता से 136 करोड रुपये की राष्टीय जल ग्रहण विकास परियोजना व विश्व बैंक की सहायता से 74 करोड रुपये की समन्वित जल ग्रहण विकास परियोजना चालू की गई है। जल के सर्वोत्तम उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न उपायों पर बल देना होगा ।

(i) सिचाई हतु पक्की नालियाँ बनाना

सिचाइ के जल को फसल तक पूरी तरह पहुंचाने के लिए सिचाई की नालियाँ पक्की करने या पी वा सी पाइप लाइने डालने हेतु किसानो को अनुदान

---

1 राज्य में औसत वर्षा 55 सेन्टीमीटर होती है जो 10 से 90 सेंटीमीटर के बीच पायी जाती है।

दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से व्यर्थ जाने वाले पानी से अधिक क्षेत्र मे सिचाई की जा सकेगी और जल की बर्बादी रुकेगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य कृषको को 25% तथा लघु व सीमान्त कृषको को 50% अनुदान दिया जाता है। एक कृषक को 100 मीटर नाली बनाने के लिए यह सुविधा दी जाती है।

(ii) फव्वारा-सिचाई योजना (Sprinkler Irrigation Scheme) -

यह कार्यक्रम उन क्षेत्रो मे लाभदायक होगा जहाँ भूमि समतल नहीं है, जल का रिसाव अधिक होता है, सिचाई का साधन कुआँ व ट्यूब-वैल होता है एव जल काफी गहराई से निकाला जाता है। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के जिलो मे जैसे- सीकर, झुन्झुनू, नागौर, जालौर, पाली, जोधपुर, अजमेर, टोक, व सवाइ माधोपुर आदि जिलों मे इसमे लाभ मिल सकते है। इसके प्रचार-प्रसार के लिए भी कृषकों को अनुदान देना चाहिए। इससे फलो का उत्पादन बढाने मे मदद मिलेगी। 1991 92 मे 3200 फव्वारा सिचाई सेट लगाने का कार्यक्रम रखा गया था। इससे सरसो की फसल मे चेपा लग जाने पर वह इस पद्धति से धुल जाता है।

(iii) बूद-बूद सिचाई पद्धति (Drip Irrigation) -

इस पद्धति मे पानी को खेत पर एक जगह एकत्र करके उसे कन्ड्यूट पाइपो द्वारा पौधो तक पहुंचाया जाता है। इससे पानी की किफायत होती है तथा फलो के उत्पादन को बढ़ाने मे मदद मिलती है। इसके लिए भी अनुदान दिया जाता है। इसमे एक बार पानी को स्टोर करने व अन्य व्यवस्था मे व्यय अवश्य करना होता है, लेकिन बाद मे इससे काफी किफायत होने लगती है।

(iv) सामुदायिक नलकूप योजना-

जैसा कि पहले कहा जा चुका है भू-जल को सिचाई के क्षेत्र मे उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक नलकूप योजना लागू की जा रही है। इसके लिए पर्याप्त भू-जल (ground water) की आवश्यकता होगी। यह योजना सीकर, झुन्झुनू, नागौर, जोधपुर, पाली जालौर अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर व टोक जिलो मे लाभकारी होगी। एक सामुदायिक नलकूल के लिए लघु व सीमान्त कृषको का एक समूह बनाना होगा। उनको सरकार अनुदान देगी, और यह राशि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के किसानो को 75% एव अधिकतम 15 हजार रुपये प्रति कुआँ दी जा सकेगी। इससे 1991-92 मे 5 हजार परिवारो को लाभ पहुचाने का लक्ष्य रखा गया था।

(v) फसलो के प्रारूप मे परिवर्तन-

सीमित जल का उपयोग करके अधिकतम उत्पादन हेतु फसलो के ढाँचे को भी बदलना होगा। इसके लिए अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलो जैसे- गेहूँ, जौ आदि के स्थान पर कम जल की आवश्यकता वाली फसलो

जैसे- सरसो, धनिया, चना, अलसी आदि फसलो का उपयोग करना होगा ताकि कृषकों की आय भी बढायी जा सके। इसके लिए फसल प्रदर्शनो का आयोजन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के लिए उर्वरक बीज आदि के लिए अनुदान की भी व्यवस्था करनी होगी।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राज्य मे सिचाई की पक्की नालियाँ बनाकर, फव्वारा व बूद बूंद सिचाई पद्धति का उपयोग करके सामुदायिक नलकूल योजना अपनाकर व फसलो के ढाँचे को बदलकर तथा सूखी खेती के विकास के लिए 'जल ग्रहण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करके कृषिगत उत्पादन को बढाने व इसमे वार्षिक उतार चढावो को कम करने की दिशा मे प्रगति सम्भव हो सकती है।

(3) लवणीय मिट्टियो की समस्या

राज्य मे लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि लवणता व क्षारीयता (salinity and alkalinity) की समस्याओ की शिकार है। 1987 88 मे यह कृषित भूमि का लगभग 7 5% थी। इस समस्या का समाधान करने से कृषिगत उत्पादन बढ सकता है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग मे कुओ की सिचाई से लवणता की समस्या बढी है। खारे पानी के कारण तथा मिट्टी के अपने लवणो के कारण यह समस्या फसलो के उत्पादन को गिरा देती है।

हाल मे बीकानेर जिले के लूणकरणसर तथा कोलायत क्षेत्रो मे 'सेम (वाटरलोगिग) जो लवणता को उत्पन्न करती है व 'खार की समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया है। इसमे दूर दूर तक भूमि पर लवण की सफेद सफेद परते जम गई है और धरती बजर होती जा रही है। भूमि पर निरन्तर पानी के जमाव से 'सेम' के कारण खार बाहर निकल जाता है जो भूमि को बजर बना देता है। मूलत खेतो मे जरूरत से ज्यादा पानी देने से यह समस्या उत्पन्न होती है तथा पानी के निकास (drainage) की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती।

लवणयुक्त मिट्टियो की समस्या का समाधान करने के लिए निम्न उपाय सुझाए गए हैं (i) फसलो का एक विशेष प्रकार का ढाँचा। (ii) हरी खाद देना। (iii) भूमि की लवणता व क्षारीयता को ध्यान मे रखकर उर्वरको का उपयोग। (iv) लवणयुक्त सिचाई के पानी मे सुधार, (v) मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार जिप्सम का उपयोग करना।

कृषको को इस सम्बन्ध मे जानकारी दी जानी चाहिए तथा उनको उचित मात्रा मे जिप्सम अनुदान सहित उपलब्ध करायी जानी चाहिए। समस्याग्रस्त मिट्टियो की जाँच की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा करने से लवणीय भूमि को पुन काश्त मे लाना सम्भव हो सकेगा। हाल मे राजस्थान सरकार की विश्व बेक द्वारा स्वीकृत विस्तृत कृषि विकास परियोजना मे समस्याग्रस्त मिट्टियो वाली भूमि को पुन

काश्त मे लाने की स्कीम भी शामिल की गई है।

(4) *कृषिगत इन्पुटों-अधिक उपज देने वाले बीजों, उर्वरको, खाद,* पौध-सरक्षण (कीटनाशक दवाओं) व आवश्यक औजारो के अभाव की पूर्ति करना-

कृषिगत उत्पादन का कृषिगत इन्पुटो की सप्लाई से सीधा सम्बन्ध होता है। इसलिए कृषको को पैदावार बढाने के लिए उन्नत व उत्तम किस्म के बीज पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध किये जाने चाहिएँ। 1988 89 मे बाजरे के अन्तर्गत कुल 57 1 लाख हैक्टेयर क्षेत्र मे केवल 17 लाख हैक्टेयर मे अधिक उपज देने वाली किस्मो का प्रयोग किया गया था जो मात्र 30% था। गेहूँ मे यह अनुपात 76% तक पहुँच गया था। अन्य फसलो मे इसको बढाने की आवश्यकता है। बाजरे मे यह क्षेत्रफल बढाकर आधा किया जाना चाहिए। जौ चना मोठ व ग्वार मे भी उन्नत किस्मो की बुवाई की जानी चाहिए।

इससे खाद्यान्नो की पैदावार बढाने मे मदद मिलेगी। उदाहरण के लिये बाजरे की स्थानीय किस्मो के उपयोग से प्रति हैक्टेयर औसतन 8 10 क्विटल उत्पादन मिलता है जबकि उन्नत किस्मो से 25 30 क्विटल (तिगुना) उत्पादन मिलता है। इसलिये विभिन्न फसलो मे उन्नत व प्रमाणित बीजो का प्रयोग करके उत्पादन क्षमता व वर्तमान उत्पादन के अतर को कम किया जा सकता है। बीजो की उपलब्धि बढाने के लिये बीज ग्राम की योजना अपनायी जा सकती है जिसमे गाँव के सम्पूर्ण क्षेत्र मे एक विशेष किस्म की फसल उगायी जा सकता है तथा प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जा सकता है।

सिंचित क्षेत्रो मे प्रति हैक्टेयर उर्वरको का उपयोग बढाया जाना चाहिये हालांकि 1988 89 मे कोटा बूदी गगानगर व चित्तौडगढ जिलो मे प्रति हैक्टेयर उर्वरको की खपत 50 52 किलोग्राम तक रही है लेकिन इसे और बढाया जा सकता है। बारानी (असिंचित) फसलो पर भी सूखी खेती की तकनीक के विकास के साथ साथ प्रति हेक्टेयर उर्वरको का उपयोग बढाया जा सकता है। मरु क्षेत्रो मे जहाँ वर्षा का औसत 250 मिलीमीटर है वहाँ बाजरे की खडी फसल को प्रति हैक्टेयर 10 किलो नाइटोजनयुक्त उर्वरक दिया जाना चाहिये। इसके अलावा गोबर की खाद, आदि का प्रयोग बढाकर भी उत्पादन बढाया जा सकता है।

पौध सरक्षण दवाओ व इनके उपकरणो का उपयोग अनुदान की सहायता से बढाया जाना चाहिये। राज्य मे कई प्रकार के स्प्रेयरो पर अनुदान देय है। बीजो को फफून्द से बचाने के लिये उचित मात्रा मे दवाओं का उपयोग किया जाना चाहिये। खरपतवार नियत्रण, चूहा व विशेष कीटनियंत्रण, सफेद लट, कातरा दीमक आदि कीटो से फसलो को बचाने से पैदावार बढेगी। इसके लिये किसानों को प्रशिक्षण देना होगा तथा उनके लिये प्रदर्शन मिनी किट्स आदि की व्यवस्था

बढानी होगी। तिलहन व दालों के विकास के लिये विशेष सुविधाये देनी होगी।

(5) सहकारी साख के विस्तार व कुशल प्रबन्ध की आवश्यकता -

कृषको के लिये अल्पकालीन मध्यमकालीन व दीर्घकालीन कर्ज की आवश्यकता होती है। राज्य मे सहकारी साख सस्थाओ का विकास किया गया है। 1990 91 मे राज्य मे 5 280 प्राथमिक कृषि साख समितियाँ थीं जिनमे आधी से ज्यादा कमजोर अवस्था मे थीं। इनमे से काफी समितियाँ बद पडी थीं क्योकि उन्होंने सारे वर्ष मे कृषको को कोई उत्पादन कर्ज नहीं दिये थे। केन्द्रीय सहकारी बैकों पर ओवरड्यूज का भार है कुल 25 मे से ज्यादातर बैंक कमजोर श्रेणी के है। साख की आवश्यकता व साख की पूर्ति मे भारी अन्तर पाया गया है। 1988 89 मे साख की आवश्यकता 396 3 करोड रुपये रही तथा साख की वितरित राशि केवल 135 5 करोड रुपये रही। इस प्रकार साख का अभाव (credit gap) 260 8 करोड रुपये का रहा जो वितरित राशि का लगभग दुगुना है। इसी प्रकार प्राथमिक भूमि विकास बैको की दशा भी अच्छी नही है।

उनमे से कई बैको मे घाटे की राशि काफी ऊँची रही है। राज्य मे अकाल व सूखे के कारण कृषको की कर्ज चुकाने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पडता है। कृषि व ग्रामीण ऋण राहत स्कीम 1990 के अन्तर्गत राज्य मे 18 लाख परिवारो को 500 करोड रुपये की राहत दी गई थी। इसमें किसान बुनकर व दस्तकार शामिल थे। तिलहन के क्षेत्र मे किसानो को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिये सहकारी क्षेत्र मे एक तिलम सघ की स्थापना की गई है।

राजस्थान मे सहकारी सस्थाओ को सुदृढ करने की आवश्यकता है ताकि ये कृषिगत उत्पादन बढाने मे उचित भूमिका निभा सके।

1993 94 के लिए 170 करोड रुपये के अल्पकालीन, 8 करोड रुपये के मध्यमकालीन तथा 50 करोड रुपये के दीर्घकालीन ऋण देने के लक्ष्य रखे गये है।[1] सहकारी सस्थाओ द्वारा दिये गये कर्जो की वापसी की भी व्यवस्था होनी चाहिये।

(6) चारे का अभाव

कृषको के लिये कृषि व पशु पालन दोनो का महत्व है क्योंकि ये उसके रोजगार व आमदनी को प्रभावित करते है। राज्य मे पशु पालन का, विशेषतया शुष्क व अर्द्ध शुष्क प्रदेशो मे बहुत महत्व है। राजस्थान मे वनो का अभाव है। राज्य मे 47 लाख पशु सरकारी वन भूमि पर चराई करते है जो उसकी क्षमता का 20 गुना है। अधिकाश बजर व अकृषित भूमि पर वनस्पति का अभाव पाया

1 Draft Annual Plan 1993 94 p 2 39

जाता है। चारे की कमी से पशु पालन पर विपरीत प्रभाव पडता है। सूखे व अभाव के वर्षों मे चारे की तलाश मे राज्य से पशुओ का निष्क्रमण होता रहता है। राज्य मे भूमि के कटाव की समस्या भी गम्भीर है। चारे व ईंधन की पूर्ति माँग की तुलना मे काफी कम है। अन्य राज्यो से चारा लाकर पशुओं को खिलाया जाता है। इस कमी को दूर किया जाना चाहिये।

कृषि-वानिकी (farm forestry) एव चारा उत्पादन - किसानो द्वारा कृषि-वानिकी व चारा उत्पादन के कार्यक्रम को अपनाने की आवश्यकता है। उनको वन-पेडो के पौधे उपलब्ध किये जाने चाहिये। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान मे रतन जोत तथा पश्चिमी भाग मे खेजडी के पौधो का महत्व है। कृषको के खेतो पर पौधशालाओ का विकास किया जाना चाहिये। कृषको को कुट्टी की मशीन व नाद (trough) उपलब्ध करायी जानी चाहिये ताकि वे चारा काट कर पशुओं को खिला सके। इससे पशुओ को साल भर चारा मिल सकेगा जिससे ऊन व दूध का उत्पादन बढेगा और राज्य से पशुओ के पलायन मे कमी आयेगी। राज्य मे चारे व ईंधन की कमी के दूर होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सबल होने का अवसर मिलेगा।

(7) उद्यान व फलोत्पादन का विकास-

राज्य मे विभिन्न कार्यक्रमो जैसे अनुसूचित जाति के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना, जनजाति के लिये उप-योजना (tribal sub plan) मरु-विकास व सूखा सम्भाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम नाबार्ड फल-विकास योजना आदि के अन्तर्गत फलोत्पादन बढाया जा रहा है। झालावाड मे सतरा गगानगर मे किन्नो, मौसमी, माल्टा, उदयपुर, बासवाडा भरतपुर व जयपुर में आम जोधपुर मे बेर, सवाई माधोपुर जिले मे अमरूद व जालौर मे अनार आदि का उत्पादन बढाया जा रहा है।

सब्जी फूल व मसालो (मिर्च धनिया, मैथी, जीरा, सौफ अदरक, हल्दी आदि) तथा पान की पैदावार भी बढायी जा सकती है। भूमि व जलवायु की अनुकूलता को देखते हुए कोटा बूदी चित्तौडगढ व उदयपुर जिलो मे रेशम का उद्योग पनपाने के लिये शहतूत की खेती की जा सकती है। टसर योजना कोटा उदयपुर व बासवाडा जिलो मे लागू की जा रही है। इसके अन्तर्गत अर्जुन पौध-रोपण किया जाता है। इसके 4 5 वर्ष मे विकसित होने पर कोट पाले जाते है। यह आदिवासी लोगो की आमदनी बढाने का एक उत्तम उपाय है।

निष्कर्ष- राज्य सरकार ने एक सर्वांगीण कृषि-विकास परियोजना तैयार की है जिसकी लागत 500 करोड रुपये से अधिक रखी गई है। यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्ति के लिये प्रस्तुत की गई थी। यह आठवीं योजना (1992-97) मे कार्यान्वित की जायेगी। इसमे फसल-उत्पादन के अन्तर्गत सोयाबीन महदी, तुम्बा (एक प्रकार की अखाद्य तेल की फसल) तथा ईसबगोल को शामिल किया गया है। इसमे चारा उत्पादन के लिये कृषि-वानिकी विकास कार्यक्रम समस्याग्रस्त मिट्टियो के सुधार कृषि-विस्तार-प्रशिक्षण-केन्द्र को समोन्नत करने, फल-विकास, जल-विकास बीज-विकास विपणन साख सहकारिता समग्र पशु विकास,

भेड विकास मछली पालन व सामुदायिक लिफ्ट सिचाई आदि के विकास के लिये विस्तत कार्यक्रम रखे गये हैं। यह कार्यक्रम सशोधित रूप मे विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत हो गया है। इसमे राजस्थान के लिये कथित क्षेत्रो मे व्यापक क्रान्ति की सम्भावनाये छिपी हुई हैं। लेकिन इसके लिये वित्तीय साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना होगा।

(आ) औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाये व उनको दूर करने के उपाय

हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे औद्योगिक क्षेत्र के योगदान के अध्ययन मे देख चुके है कि राज्य की आय मे विनिर्माण क्षेत्र का अश (स्थिर मूल्यों पर) 1989 90 मे 11 6% तथा 1990 91 मे 10 25% रहा था। इस प्रकार पिछले वर्षों मे विनिर्माण क्षेत्र का राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति मे लगभग 11 12 प्रतिशत अश रहा है। खनन व विद्युत को मिलाने पर समस्त औद्योगिक क्षेत्र का राज्य की आय मे योगदान 1990 91 मे 13 प्रतिशत रहा था जो औद्योगिक क्षेत्र के पिछडेपन को बतलाता है। आज भी राज्य की आय मे कथित क्षेत्र की प्रधानता बनी हुई है।

योजनाकाल मे राज्य का औद्योगिक विकास हुआ है। लेकिन कई बाधाओ के कारण प्रगति उतनी नही हो पायी है जितनी गुजरात महाराष्ट्र आदि राज्यो की हुई है। हम पहले बतला चुके हैं कि उद्योगो के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 1988 89 मे गुजरात मे फैक्ट्रियो की सख्या 11 103 थी जबकि राजस्थान मे 3162 थी। फैक्ट्रियो मे कार्यरत कर्मचारियो की सख्या गुजरात मे 6 69 लाख थी जबकि राजस्थान मे 2 31 लाख ही थी। इस प्रकार देश की जनसख्या मे लगभग समान अश रखते हुए भी गुजरात मे फैक्ट्रियो का विकास राजस्थान की तुलना में तिगुने से भी अधिक हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य के औद्योगिक विकास मे कुछ तत्त्व बाधक रहे है। उनको दूर करके ही भविष्य मे औद्योगिक विकास की गति तेज की जा सकती है।

(1) पचवर्षीय योजना मे खनन व उद्योगों के विकास पर कुल सार्वजनिक व्यय का अश काफी कम रहा है। इससे औद्योगिक विकास मे बाधा पहुची है। 1960 के दशक मे इस क्षेत्र के विकास पर नियोजित व्यय का लगभग 1 5 प्रतिशत ही व्यय किया गया था। चतुर्थ योजना मे यह 2 8% तथा पाँचवी योजना मे 4% हो गया एव छठी योजना मे भी लगभग इतना ही अश बना रहा। सातवीं योजना मे खनन व उद्योग पर प्रस्तावित व्यय 6 4% रखा गया था लेकिन वास्तविक व्यय 4 7% ही रहा जो लक्ष्य से काफी नीचा था। योजना मे खनन व उद्योग के विकास के लिये 190 5 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी जबकि वास्तविक व्यय केवल 145 6 करोड़ रुपये ही हो पाया। इस प्रकार लक्ष्य से लगभग 45 करोड़ रुपये कम व्यय किये जा सके।

लेकिन 1990-91 में पहली बार उद्योग व खनन पर सार्वजनिक परिव्यय की 9 1% राशि व्यय की गई तथा 1991 92 के लिये यह पुन घटकर 5 3% पर आ गई। 1992 97 की आठवीं योजना मे इसे 4 7% (536 करोड रुपये) रखा गया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सार्वजनिक परिव्यय का नीचा अश उद्योग व खनन पर व्यय किये जाने से इस क्षेत्र के विकास मे बाधा पहुची है।

1989 में माथुर समिति ने अपनी रिपोर्ट मे सुझाव दिया था कि आठवीं पचवर्षीय योजना में सार्वजनिक व्यय का लगभग 10% अश औद्योगिक विकास के लिये निर्धारित किया जाना चाहिये, जो वर्तमान स्तर का प्रतिशत की दृष्टि से लगभग दुगुना होगा। इससे औद्योगिक विकास के लिये ज्यादा वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकेगे। लेकिन जैसा कि ऊपर बतलाया गया है आठवीं योजना मे इसे 4 7% ही रखा जा सका है। फिर भी योजना का आकार बडा होने से इस क्षेत्र के विकास के लिये धनराशि 536 करोड रुपये उपलब्ध कराई गयी है।

(2) औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर (बिजली, परिवहन, सचार, जल आदि) का अभाव-

(i) ब्रोडगेज रेलवे की कमी- राज्य मे मीटर गेज रेलवे अधिक है जिससे माल की दुलाई मे बाधा पड़ती है। हाल तक केवल भरतपुर कोटा व सवाई माधोपुर ही ब्रोडगेज लाइन पर स्थित रहे है। **अब कोटा चित्तौड़गढ के बीच ब्रोडगेज की रेलवे लाइन बन जाने से सीमेंट की कुछ इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं जिनमे एक सुपरसीमेंट सयत्र भी शामिल है।** हाल में जयपुर के समीप दुर्गापुरा से सवाई माधोपुर के बीच मीटर गेज लाइनो को ब्रोडगेज लाइनो में बदल देने से औद्योगिक विकास के नये अवसर खुले है। इन्दिरा गाधी नहर क्षेत्र मे नई रेल लाइने बिछाने से औद्योगिक विकास का आधार ढाँचा सुदृढ हो सकता है। इसी प्रकार दिल्ली अहमदाबाद मार्ग को ब्रोडगेज मे बदलने से विकास के नये अवसर खुल सकते है।

(ii) औद्योगिक क्षेत्रो मे सडको की स्थिति भी पूरी तरह सतोषजनक नहीं रही है। उनमे कई स्थानो पर सडको का अभाव है तथा अन्यत्र रख रखाव की दृष्टि से अभाव पाया गया है।

(iii) विद्युत का अभाव तथा सप्लाई मे अनियमितता- औद्योगिक विकास मे विद्युत की सप्लाई का सर्वोपरि स्थान माना गया है। हम पहले बतला चुके है कि राज्य मे विद्युत की माग व पूर्ति मे अतर पाया जाता है। विद्युत की पूर्ति की तुलना मे माग अधिक पायी जाती है। अभी तक राजस्थान विद्युत की पूर्ति के लिये आन्तरिक साधनो का पर्याप्त रूप से विकास नही कर पाया है।

आठवीं योजना में बरसिंहसर व सूरतगढ ताप परियोजनाओं के चालू होने से विद्युत की स्थिति मे सुधार आने की सम्भावना है। राज्य को बाहरी स्रोतो से भी बिजली के मिलने की सम्भावना है जिससे इसका अभाव दूर होगा।

पहले बतलाया जा चुका है कि सरकार ने बीकानेर, भीलवाडा, झालावाड आबू रोड व धौलपुर में विकास केन्द्र (growth centres) स्थापित करने का निश्चय किया है जिसके अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर प्रति केन्द्र 30 करोड रुपये आगामी वर्षों मे व्यय किये जायेंगे। इससे विद्युत, सडक सचार, जल, आदि की उपलब्धि के बढ़ने की सम्भावना है।

(3) अक्टूबर 1988 से मार्च 1991 तक स्थिर पूँजी पर केन्द्रीय सब्सिडी के बद करने स पिछडे क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में गतिरोध आ गया था।

सितम्बर 1988 के बाद राज्य में केन्द्रीय पूँजी सब्सिडी की स्कीम बद कर दी गयी थी जिससे पिछड क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर विपरात प्रभाव पडा था। पिछडे इलाकों मे लघु व मध्यम पैमाने का इकाइयो का स्थापना पर पूँजी सब्सिडी की सुविधा से काफी अनुकूल प्रभाव पडता है। अक्टूबर 1988 से केन्द्रीय सब्सिडी बद होने से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र म अनिश्चितता व शिथिलता का वातावरण उत्पन्न हो गया था। पहले पूर्णतया उद्योग विहीन जिले (NID) मे एक करोड रुपये के प्रोजेक्ट पर 25 लाख रुपये की सब्सिडी मिलने से उसकी स्थापना को काफी प्रोत्साहन मिलता था। राजस्थान मे केन्द्राय सब्सिडी का राशि 1981 82 मे 2 करोड़ रुपये से बढकर 1984 85 मे 8 करोड हो गई थी। इससे उद्योगो की स्थापना को काफी प्रोत्साहन मिला था।

केन्द्राय सब्सिडी स्काम के अक्टूबर 1988 से बद होने के बाद अन्य राज्यो ने तो अपने पिछडे क्षेत्रो के औद्योगिक विकास के लिये अपनी-अपनी नयी औद्योगिक नीतियाँ घोषित कीं, ताकि इनमे विकास की गति को बनाये रखा जा सके। उदाहरण के लिये, पश्चिम बगाल ने राजकीय सब्सिडी 15 से 30% तक कर दी जबकि केन्द्रीय सब्सिडी 10% मे 15% तक हा थी।

तमिलनाडु न पिछडे तालुका म राजकीय सब्सिडी देना चालू कर दिया था। उत्तर प्रदेश न पिछड क्षेत्रा क आद्योगिक विकास के लिय 10 करोड रुपये का एक उपक्रम कोष (Venture fund) स्थापित किया था। हरियाणा ने पावर सब्सिडी 50 हजार रुपय से बढाकर 15 लाख रुपय कर दा था ताकि उद्यमकर्ता स्वय क डाजल जनरेटिंग सट लगा सकें।

इस प्रकार अन्य राज्यो न केन्द्राय सब्सिडा के अभाव को दूर करने का प्रयास किया लेकिन राजस्थान न पूरा विनियोग पर सब्सिडी का स्कीम नए रूप म अप्रैल 1991 स चालू का है जिसके अन्तर्गत मध्यम व बडे उद्योगो

के लिये 15% सब्सिडी व लघु उद्योगो के लिये 20% सब्सिडी की व्यवस्था काफी उदारतापूर्वक की गई है, जिसका विवरण औद्योगिक नीति के अध्याय में किया जा चुका है। बाद मे आदिवासी क्षेत्रो व उद्योगविहीन जिलो मे 5% की अतिरिक्त सब्सिडी दी गयी है।

आशा है कि सब्सिडी की नई सुविधा से पिछडे क्षेत्रो मे ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राजस्थान मे औद्योगिक विकास की नई लहर उत्पन्न होगी और राज्य द्रुतगति से औद्योगिक प्रगति कर पायेगा।

(4) औद्योगिक रुग्णता से उत्पन्न बाधाएँ - राजस्थान मे भी अन्य राज्यो की भाँति औद्योगिक रुग्णता के कारण विकास मे बाधा पडी है। जून 1988 के अत मे राज्य मे गैर-लघु उद्योगो की रुग्णता (sick)[1] इकाइयो की सख्या 43 थी। (इनमे 16 वस्त्र इकाइयाँ 6 कागज इकाइयाँ 3 इजीनियरी इकाइयाँ, 3 रासायनिक इकाइयाँ, आदि)। इनमे बैको की बकाया उधार की राशि 93 11 करोड रुपये थी, जो देश की कुल बैक बकाया उधार राशि का 3 1% थी। इनके अलावा गैर लघु उद्योगो की कमजोर (weak)[2] इकाइयाँ 15 थीं जिनमे बैको की बकाया उधार की राशि 15 25 करोड रुपये थी (कुल बकाया राशि का 0 8%) । इसी अवधि के अत तक रुग्ण लघु पैमाने की (sick SSI units) इकाइयाँ[3] 10,362 थीं, जिनमे बैकों की 49.8 करोड रुपये की राशि बकाया थी। इससे इन इकाइयो के रोजगार, उत्पादन आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। दिसम्बर 1988 के अत मे इनकी सख्या 11,063 हो गई थी।

राजस्थान मे लघु व मध्यम उद्योगो के रुग्ण होकर बंद होने का मुख्य कारण कार्यशील पूँजी (working capital) का सकट माना गया है। बैंक कार्यशील पूँजी समय पर व पर्याप्त मात्रा मे नहीं देते हैं। राजस्थान वित्त निगम की 1990-91 मे खतरे मे पड़ी उगाही वाले खातो की राशि 13 करोड़ रुपये तक पहुच गयी थी, इसलिए निगम ने 105 इकाइयों की 46 लाख रुपये की राशि बट्टे खाते लिखने का निर्णय लिया था। राजस्थान

---

1 इनके इकट्ठे घाटे शुद्ध पूँजी (entire net worth) के बराबर या अधिक होते हैं (अन्य बातों के अलावा)।

2 इनके इकट्ठे घाटे पिछले पाच वर्षों की सर्वाधिक शुद्ध पूँजी (Peak net worth) के 50% के बराबर या अधिक होते है। (अन्य बातों के अलावा)

3 इनका नकद घाटा इस वर्ष हो व पिछले वर्ष रहा हो तथा शुद्ध पूंजी का 50% या अधिक नष्ट हो जाये और/अथवा चार लगातार त्रैमासिक ब्याज का भुगतान न कर पाये या दो अर्द्ध-वार्षिक मूलधन की किस्तों का भुगतान न कर पाये तथा बैंक की स्वीकृत सीमाओं के सचालन में लगातार अनियमितताए हों।

का यह पहला सार्वजनिक उपक्रम है जिसे बट्टे खाते मे रकम डालने का फैसला करना पड़ा था। (पत्रिका 31.7.91) ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि औद्योगिक रुग्णता भी औद्योगिक विकास मे एक अवरोधक तत्त्व है।

(5) अन्तर-संस्थागत समन्वय व सहयोग का अभाव- विभिन्न वित्तीय संस्थाएँ जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम रीको राजस्थान वित्त निगम व्यापारिक बैंको आदि मे परस्पर समन्वय का अभाव पाया जाता है। इससे उद्यमकर्ता को समय पर प्रोजेक्ट चालू करने मे कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, उद्यमकर्ताओ को वित्तीय संस्था से स्थिर पूँजी के लिए कर्ज मिलने के बाद कार्यशील पूँजी के लिए व्यापारिक बेंको के पास जाना होता है। लेकिन वहाँ से कर्ज मिलने मे विलम्ब व असुविधा होती है। यदि इन संस्थाओ के कार्यों में अधिक ताल मेल हो जाय तो औद्योगिक विकास को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

(6) राज्य मे 'औद्योगिक संस्कृति' का अभाव- राजस्थान के सन्दर्भ मे प्राय यह कहा गया है कि यहाँ 'औद्योगिक संस्कृति' का अभाव है जबकि गुजरात महाराष्ट्र आदि मे यह अपेक्षाकृत अधिक विकसित हुई है। औद्योगिक संस्कृति का आशय यह है कि प्रशासन उद्यमकर्ता पर कितना ध्यान देता है। यदि छोटे छोटे कामो को करवाने के लिए उद्यमकर्ता विभिन्न कार्यालयो के चक्कर लगाते रहते हैं एव बार-बार अनेक इन्स्पेक्टर फैक्टियों में उनको अकारण तग करते पाये जाते है तो समझना चाहिए कि 'औद्योगिक संस्कृति' का अभाव है। इसके विपरीत यदि प्रशासन उद्यमकर्ताओ की समस्याओं के हल मे मदद देता है और उत्पादन बढाने में सभी प्रकार से सहयोग प्रदान करता है तो औद्योगिक संस्कृति विकसित मानी जायेगी। नये उद्यमकर्ताओ और प्रवासी भारतीयो को राजस्थान के औद्योगिक विकास मे शरीक करने के लिए इन्फ्रास्टक्चर के विकास के साथ-साथ 'खुले मच' मे उद्यमकर्ताओ की समस्याओं पर विचार होना चाहिए, तथा 'एक खिडकी सेवा' (one window service) के दृष्टिकोण को मूर्तरूप दिया जाना चाहिए ताकि एक ही बिन्दु पर उद्यमकर्ता को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ मिल सके और उसे अनावश्यक रूप से एक जगह से दूसरी जगह न भटकना पडे।

(7) 'औद्योगिक वातावरण' का अभाव - प्राय यह भी सुनने को मिलता है कि अन्य राज्यों की तुलना मे राजस्थान मे औद्योगिक वातावरण (Industrial climate) का अभाव है। इसका अर्थ यह है कि राज्य मे उद्यमकर्ताओ को आकर्षित करने के लिए सुविधाओ व प्रेरणाओ की कमी है। औद्योगिक वातावरण तब बनता व पनपता है जब इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएँ विकसित हो (आवश्यकतानुसार पानी, बिजली, सड़क, टेलीफोन आदि की सुविधाएँ मिल सकें) तथा उद्यमकर्ताओ को वित्तीय व कर-सम्बन्धी आवश्यक छूटें व रियायतें मिले। पडौसी राज्यो को

तुलना में इनमें कमी रहने से उद्योग दूसरे राज्यों में जाने लगेंगे और फलस्वरूप राजस्थान के औद्योगिक विकास में शिथिलता आ जायेगी।

इस समस्या के समाधान के लिये लचीली व प्रावैगिक औद्योगिक नीति अपनानी होगी। अन्य राज्यों की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार राजस्थान को अपनी नीति में इस प्रकार के परिवर्तन व समायोजन करने चाहिए ताकि वह उनसे किसी तरह पीछे न रहे। ऐसा करने पर ही राज्य का औद्योगिक वातावरण अधिक अनुकूल बन पायेगा।

(8) दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजन का अभाव औद्योगिक विकास मे बाधक[1] - स्मरण रहे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, पूँजीगत सब्सिडी की सुविधा, कर्ज की सुविधा, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, करों की छूट, आदि अपने आप में औद्योगिक विकास की आवश्यक शर्तें तो हैं, लेकिन ये पर्याप्त शर्तें नहीं हैं। औद्योगिक विकास को उचित गति प्रदान करने के लिए सुदृढ़ इन्फास्ट्रक्चर, रियायती कर्ज, पूँजीगत-सब्सिडी, नवीन व उन्नत टेक्नोलोजी, उचित औद्योगिक सम्बन्ध, पर्याप्त माँग व बिक्री की सुविधाएँ आदि सभी जरूरी हैं। लेकिन इनसे भी अधिक जरूरी है उचित किस्म का औद्योगिक नियोजन (industrial planning) जिसमें निम्न बातों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

(i) कृषि व उद्योग के बीच किस प्रकार की कड़ियाँ हों,

(ii) विभिन्न उद्योगों के बीच किस प्रकार की कड़ियाँ हों,

(iii) विभिन्न जिलों, क्षेत्रों/प्रदेशों के बीच किस प्रकार की कड़ियाँ हों,

(iv) उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र व सहकारी क्षेत्र के बीच बंटवारा किस प्रकार हो,

(v) एक वर्षीय, पचवर्षीय व दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजन मे समन्वय किस प्रकार बैठाया जाय।

उपर्युक्त ढग से वैज्ञानिक औद्योगिक नियोजन व "प्रखर" व व्यावहारिक औद्योगिक व्यूहरचना से ही औद्योगिक विकास की गति तेज की जा सकती है। राज्य मे तीव्र औद्योगिक विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ विद्यमान हैं, लेकिन औद्योगिक नियोजन, विशेषतया 10-15 वर्षों के परिप्रेक्ष्य में तैयार किया

1 देखिए मेरे द्वारा प्रेषित लेख " Industrial Structure and Industrial Incentives in Rajasthan, In Development of Rajasthan, Challenge and Response, (Edited by Ashok Bapna SID, Rajasthan. Chapter. Jaipur) 1989, ch 9, pp 166 167, एक दूसरा लेख "Rajasthan Poised for Rapid Industrial Growth" Industrial Promotion Policy for 1990s & (SID Conference, Jaipur, January, 1991)

गया दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजन ही औद्योगिक विकास को सही दिशा व आवश्यक गति प्रदान कर सकता है। इसके अभाव मे राज्य मे कुछ कारखाने अवश्य खुल जायेंगे, लेकिन उनका भविष्य सुनिश्चित नहीं हो पायेगा। उदाहरण के लिए, प्राय उद्यमकर्ता उद्योग की स्थापना के लिए अल्पकालीन दृष्टिकोण अपनाते है। उन्हे लगता है कि सीमेंट के उद्योग मे काफी मुनाफा हो रहा है तो वे इसकी इकाइयाँ लगाने के लिए अनेक आवेदन पत्र एक साथ पेश कर देते हैं और उनकी स्वीकृति मिलने पर काम प्रारम्भ कर देते हैं। लेकिन बाद मे पता चलता है कि सम्भवत इस क्षेत्र मे आवश्यकता से ज्यादा इकाइयाँ लग गई हैं और अन्य क्षेत्रो मे औद्योगिक क्रियाओ का अभाव बना हुआ है। इन दशाओ को उत्पन्न न होने देने के लिए अधिक वैज्ञानिक आधार पर तैयार किये गये औद्योगिक नियोजन से लाभ हो सकता है जिसमे अनेक बिन्दुओं पर तालमेल बैठाये जाते हैं जिनमे से कुछ का सकेत ऊपर दिया गया है।

(9) गैर फैक्टी क्षेत्र मे खादी ग्रामीण उद्योग हथकरघा व दस्तकारियो की समस्याओ के समुचित समाधान की आवश्यकता हमने ऊपर जिन बाधाओ को चर्चा की है उनमे से अधिकाश का सीधा सम्बन्ध फैक्टी क्षेत्र या सगठित क्षेत्र के उद्योगों से है। लेकिन राजस्थान के जनजीवन मे रोजगार व आय की दृष्टि से गैर फैक्ट्री क्षेत्र के उद्योगो का महत्व कम नहा है। उनकी समस्याओ का समाधान करना भी बहुत आवश्यक है। उनका भी यथासम्भव आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए ताकि माल की गुणवत्ता मे सुधर हो और उनकी लागत कम की जा सके। उनका निर्यात बढाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध मे औद्योगिक नीति 1990 मे हथकरघा बुनकरो को उचित मूल्यो पर यार्न व अन्य कच्चा माल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुलभ करने पर बल दिया गया है। आठवीं योजना मे 10 हजार नये हथकरघे लगाने का प्रस्ताव है ताकि 30 हजार व्यक्तियो को काम दिया जा सके।

दस्तकारियों के विकास हेतु नई नीति मे कारीगरो व शिल्पकारो के प्रशिक्षण, कच्चे माल, विपणन कार्यशील पूँजी आदि की सुविधाओ को बढाने निर्यात बढाने के लिये राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा विशेष कदम उठाने तथा एक डिजाइन व विकास केन्द्र स्थापित करने, आदि पर जोर दिया गया है। लेकिन इनके सम्बन्ध में अधिक विस्तार से योजना बनानी होगी जिनमें क्षेत्रवार, उद्योगवार व माँग के अनुसार विकास के कायक्रम निधारित करने होंगे ताकि ठीक से यह पता लग सके कि योजना मे इस क्षेत्र मे कितने लोगो को लाभप्रद रोजगार मिल पायेगा और उनकी आमदनी व जीवन स्तर मे किस प्रकार का परिवर्तन आ पायेगा।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि औद्योगिक नियोजन औद्योगिक नीति व औद्योगिक प्रशासन तथा उद्यमकर्ताओ के समुचित विकास से ही औद्योगिक विकास की दर को बढाना व राज्य का औद्योगीकरण करना

विशेषतया ग्रामीण औद्योगीकरण करना, सम्भव हो सकता है।

यहाँ पर आठवीं योजना मे औद्योगिक विकास की नीति के सम्बन्ध मे माथुर समिति की सिफारिशे देना भी लाभकारी होगा ताकि इस क्षेत्र के विकास में समुचित मदद मिल सके।

आठवीं पचवर्षीय योजना (1990-95) मे औद्योगिक विकास की व्यूहरचना के सम्बन्ध मे उच्चाधिकार प्राप्त माथुर समिति के प्रमुख सुझाव व सिफारिशे [1]

आठवीं पचवर्षीय योजना मे औद्योगिक विकास की व्यूहरचना पर माथुर समिति (अध्यक्ष प्रोफेसर एम बी माथुर) ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमत्री को 26 जून 1989 को पेश की थी। इसमे औद्योगिक विकास के नये क्षेत्रो के बारे में सुझाव दिये गये थे तथा इस सम्बन्ध मे विकास की नीतियाँ व आवश्यक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये थे।

रिपोर्ट की प्रमुख बाते इस प्रकार हैं -

1 राज्य के विभिन्न प्रदेशो मे अलग-अलग प्रकार के उद्योग विकसित किये जाने चाहिए जैसे दक्षिणी राजस्थान मे खनिज आधारित उद्योग, पश्चिम म नहर सिचित क्षेत्र मे कृषि प्रोसेसिग उद्योग, पूर्वी क्षेत्र में विविध प्रकार के उद्योग तथा असिंचित जिलो मे दक्षता-आधारित (skill-based) हस्तशिल्प उद्योग विकसित किय जाने चाहिएँ । जेसलमेर क्षेत्र मे स्टील ग्रेड लाइमस्टोन व गेस आधारित औद्योगिक इकाइयाँ भी विकसित की जा सकती हैं।

2 समिति ने निम्न औद्योगिक समूहो पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने पर बल दिया था इलेक्ट्रोनिक्स कृषि आधारित व फूड प्रोसेसिग, खनन व खनिज पदार्थ पर्यटन (tourism) रत्नमणि व जवाहरात उद्योग तथा दस्तकारियाँ (चमडा व चमडे की वस्तुओ सहित)।

3 जैसा कि पहले बतलाया गया है आठवीं पचवर्षीय योजना मे सार्वजनिक व्यय का लगभग 10% भाग औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए जो वर्तमान स्तर का (प्रतिशत में) लगभग दुगुना होगा। इससे औद्योगिक विकास के लिए ज्यादा वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकेंगे।

4 सशोधित आकडो के अनुसार वर्तमान मे विनिर्माण (Manufacturing) क्रिया का स्थिर कीमतो पर राज्य की आमदनी मे लगभग 11-12 प्रतिशत अश है, जिसे बढाकर आठवीं योजना मे 15%

---

1 High Power Committee Report on Strategy for Industrial Development in Eighth Five Year Plan Vol I 1989 Govt of Rajasthan, Ch V Thrust Areas and Ch VI Conclusions pp 31-48

करने का प्रयास किया जाना चाहिए। माथुर समिति ने इसे वर्तमान के 9 10 प्रतिशत से बढाकर आठवीं योजना मे 12% करने का सुझाव दिया था, जो अब सशोधित आकड़ो के कारण बदल गया है।

5 राज्य सरकार को उद्योगों को दी जाने वाली वर्तमान रियायतो को प्रभावपूर्ण ढग से लागू करना चाहिए। इन्फ्रास्ट्रक्चर व अन्य सेवाओ की व्यवस्था बढानी चाहिए। उन उद्योगो के विकास पर जोर देना चाहिए जिनमे राज्य को विशेष लाभ प्राप्त हैं जैसे पशु-आधारित उद्योग व पर्यटन, जवाहरात व आभूषण, खनिज पदार्थ व दस्तकारियाँ।

6 भविष्य में रीको को औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिए तभी भूमि अवाप्त करनी चाहिए जब वह अत्यावश्यक हो। जहाँ आगामी कुछ वर्षों मे कोई उद्योग नहीं लगना है, वहाँ भूमि को अवाप्त नहीं करना चाहिए तथा अन्य क्षेत्रो के विकास पर ध्यान देना चाहिए।

7 उच्चाधिकार प्राप्त औद्योगिक सलाहकार परिषद को राज्य के औद्योगिक विकास की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से अपनी बेठक करनी चाहिए।

8 सार्वजनिक उपक्रमो के कर्मचारियो के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड (Public Enterprise Selection Board) गठित किया जाना चाहिए जो कर्मचारियो के चयन की व्यवस्था करे।

9 अभ्रक को बिक्री कर से मुक्त कर देना चाहिए, जैसा कि बिहार सरकार ने किया है।

10 चमड़े व दस्तकारियो के लिए टेक्नोलोजी मिशन स्थापित किया जाना चाहिए ताकि हमारे शिल्पकारो को आधुनिक विज्ञान व टेक्नोलोजी का लाभ मिल सके। इसके लिए विभिन्न सस्थाओ के साथन मिलाने होंगे जैसे उद्योग निदेशालय, राजस्थान लघु उद्योग निगम, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी पचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग आदि।

माथुर समिति ने राज्य के औद्योगिक विकास के लिए बहुत उपयोगी सुझाव दिये हैं जिनको कार्यान्वित करने से इस क्षेत्र में अधिक तेजी से प्रगति हो सकती है।

प्रश्न

1 राजस्थान के कृषिगत विकास के मार्ग मे प्रमुख बाधाएँ क्या है ? उनको दूर करने के लिए सरकार ने जो उपाय किये है उनका परिचय दीजिए।

2 "राजस्थान मे औद्योगिक विकास की व्यापक सम्भावनाएँ है इसलिए इसके मार्ग में आने वाली बाधाओ को दूर किया जाना चाहिए।' इस सम्बन्ध म बाधाओ का विवेचन कीजिए तथा उनको दूर करने के उपाय सुझाइए।

3 राजस्थान के आर्थिक विकास की मुख्य बाधाये क्या है? इनको कैसे दूर किया जा सकता है?

(Ajmer II yr, 1992)

4 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

(i) राजस्थान मे जल-प्रबंध मे सुधार,

(ii) राज्य मे लवणीय व क्षारीय मिट्टियों की समस्या,

(iii) राजस्थान मे शुष्क खेती तथा वाटरशेड (जल-ग्रहण) विकास कार्यक्रम

(iv) औद्योगिक विकास मे पूँजी-विनियोग सब्सिडी या इमदाद की स्कीम,

(v) राज्य के कृषिगत विकास मे बाधाये (Raj, I yr, 1992)

(vi) राजस्थान के आर्थिक विकास मे अवरोध।

(Ajmer, I yr, 1992)

18

राज्य की बजट-प्रवृत्तियाँ तथा 1993-94 का बजट (State-Budgetary Trends and The Budget for 1993-94)

योजनाकाल मे राजस्थान के वित्तीय ढाँचे में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस अध्याय मे राज्य की बजट-सम्बन्धी प्रवृत्तियो (budgetary trends) व 1993 94 के बजट पर प्रकाश डाला जायेगा तथा अगले अध्याय मे विभिन्न वित्त आयोगो द्वारा राज्य की तरफ किये गये वित्तीय हस्तान्तरणो गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत किये गये राज्य के लिए योजना-हस्तान्तरणो (plan transfers) तथा राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डाला जायेगा। निरन्तर पडने वाले अकालो व सूखे के कारण राज्य की वित्तीय दशा काफी कमजोर रही है। स्वय राज्य के द्वारा किये गये तीव्र आर्थिक विकास व केन्द्र से प्राप्त होने वाली अधिक वित्तीय सहायता से ही राजस्थान का आर्थिक भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता है।

1993 94 के बजट-अनुमानो के अनुसार राजस्व-खाते मे घाटा 200 करोड रुपये व पूँजी खाते मे घाटा 439 करोड रुपये दिखाया गया है। इस प्रकार समेकित निधि (Consolidated fund) मे शुद्ध घाटा 639 करोड रुपये दर्शाया गया है। लेकिन सार्वजनिक या लोक खाते (Public Account) मे शुद्ध बचत 477 करोड रुपये दर्शायी गयी है। सार्वजनिक खाते मे वे सौदे दिखाये जाते हैं जो सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप मे करती है। इसमे सस्पेन्स व भुगतान (suspense and remittance) के सौदे भी शामिल होते हैं। इस खाते के लेन-देन राजस्व, पूँजी व ऋण खाते से भिन्न प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक खाते की मुख्य मदे इस प्रकार होता है

अल्प बचते प्रोविडेण्ट फण्ड रिजर्व फण्ड जमाएँ व अग्रिम राशियाँ सस्पेन्स व विविध प्रकार के भुगतान।

इस खाते की बचते शामिल करने पर 1993 94 के बजट मे समग्र घाटा 162 करोड रुपये का रहा। 1992 93 के बजट-अनुमानों मे समग्र

घाटा 28 करोड़ रुपये दर्शाया गया था। जो संशोधित अनुमानों के अनुसार 57 करोड़ रुपये की बचत में बदल गया।[1]

अब हम राजस्व खाते में आय-व्यय की प्रवृत्तियो, पूँजी-खाते मे आय-व्यय की प्रवृत्तियों, सार्वजनिक कर्ज के भार आदि पर प्रकाश डालेंगे।

राजस्व खाते में आय की प्रवृत्तियाँ [2]

(Trends in Receipts under Revenue Account)

राजस्व खाते में विभिन्न प्राप्तियों को तीन श्रेणियो में बाटा जाता है– कर-राजस्व, अ-कर राजस्व व सहायतार्थ अनुदान (grants-in-aid)। नीचे इनका क्रमश विवरण दिया जाता है–

1. कर-राजस्व- इसके अन्तर्गत राज्य का केन्द्रीय करों मे हिस्सा तथा स्वय राज्य मे लगाये गये करो का राजस्व दिखाया जाता है। आजकल राजस्थान को अन्य राज्यों की भांति केन्द्रीय आयकर व सघीय उत्पादन शुल्क मे अश प्राप्त होता है। राज्य मे स्वयं के प्रदेश मे लगाये गये निम्न करो से राजस्व की प्राप्ति होती है भू-राजस्व (land revenue), स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क, राज्य आबकारी (state excise), बिक्री-कर (sales tax), वाहनों पर कर, सामान व यात्रियो पर कर, विद्युत पर कर व शुल्क तथा अन्य कर व महसूल। अन्य करो मे मनोरजन कर, *व्यापारिक फसलो पर उपकर, आदि शामिल होते हैं।*

1951-52 मे कुल कर-राजस्व की प्राप्ति 11 6 करोड रुपये हुई जो बढ़कर 1961 62 मे 29 करोड रुपये, 1971 72 मे 109 करोड रुपये, 1981-82 मे 508 करोड रुपये तथा 1991-92 मे 2445 करोड रुपये हो गई (केन्द्रीय करो मे अश सहित)। 1992-93 के सशोधित अनुमानो मे यह 2799 करोड रुपये व 1993 94 के बजट अनुमानो में 3086 करोड रुपये आकी गयी है।

करो को प्रत्यक्ष व परोक्ष दो श्रेणियो मे विभाजित किया जाता है। प्रत्यक्ष करो का भार दूसरे पर नहीं खिसकाया जा सकता, जबकि परोक्ष करो का खिसकाया जा सकता है। राजस्थान राज्य को जिन प्रत्यक्ष करो से राजस्व प्राप्त होता है उनमें निम्न शामिल है, (i) केन्द्रीय आयकर में अश (share), (ii) भू-राजस्व (land revenue) (iii) स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा (iv) अचल सम्पत्ति पर कर। परोक्ष करो (indirect taxes) मे निम्न कर आते है, (i) सघीय आबकारी या उत्पादन-शुल्को मे अश, (Share) ,(ii) राजकीय आबकारी, (iii) बिक्री कर, (iv) वाहनो पर कर, (v) सामान व यात्रियो पर कर, (vi) विद्युत-शुल्क,

---

1 1993 94 के लिए राजस्थान शासन का आय व्ययक अनुमानों पर स्मृति-पत्र (Explanatory Memorandum), मार्च 1993 पृ० 1 (राष्ट्रपति शासन के बाद ससद मे प्रस्तुत)

2 नवीनतम आकड़े आय-व्ययक अनुमानों पर स्मृति- पत्र, 1993 94 से लिये गये हैं।

(vii) मनोरजन कर तथा (viii) व्यापारिक फसलो पर उपकर।

1971-72 मे कुल कर-राजस्व मे प्रत्यक्ष करो का अश 29% था जो आजकल 15-16 प्रतिशत है। इस प्रकार कर-राजस्व मे प्रत्यक्ष करो का योगदान घटता गया है और परोक्ष करो का बढता गया है। पिछले वर्षों मे परोक्ष करो का अश लगभग 84% रहा है।

कर-राजस्व का विश्लेषण- निम्न तालिका मे विभिन्न वर्षों के लिये कर-राजस्व मे विभिन्न मदो के योगदान का विश्लेषण किया जाता है

		1971-72 (Accounts)		1992-93 (संशोधित अनुमान) (RE)	1993-94 (बजट अनुमान) (BE)	1993-94 (बजट अनुमान) (प्रतिशत मे)
	शीर्षक	लेखे (करोड रुपये)	%	करोड रुपये	करोड़ रुपये	%
1	केन्द्रीय करो मे अश	43 3	39 7	1073 4	1179 0	38 2
2	राज्य कर-राजस्व	65 7	60 3	1725 4	1906 8	61 8
(i)	भू-राजस्व	8 6	7 9	28 5	30 0	1 0
(ii)	मुद्राक व रजिस्ट्रेशन शुल्क	3 5	3 2	130 0	141 0	4 6
(iii)	राज्य आबकारी	9 4	8 6	402 5	425 0	13 8
(iv)	बिक्री कर	33 1	30 4	920 0	1039 0	33 7
(v)	वाहनो पर कर	3 8	3 5	163 9	182 9	5 9
(vi)	अन्य	7 3	6 7	80 2	88 9	2 8
	कुल कर-राजस्व	109 0	100 0	2798 8	3085 8	100 0

तालिका से पता चलता है कि 1971-72 मे कुल कर-राजस्व मे केन्द्रीय करो का अश 40% था जो 1993 94 के बजट अनुमानो मे मामूली घटकर लगभग 38 2% पर आ गया है। इस प्रकार राज्य के स्वय के कर-राजस्व का

अश 60% से बढकर 61 8% हो गया है। भू राजस्व का अश काफी घट गया है। 1971 72 मे 8% से घटकर 1993 94 के बजट-अनुमानो मे 1% पर आ गया है। इसी अवधि मे बिक्री कर का योगदान 30% से बढकर 33 7% पर आ गया है।

आजकल राज्य के कर राजस्व में बिक्री कर का स्थान सर्वप्रथम आता है 1993 94 के बजट मे राज्य का स्वय का कुल कर राजस्व 1907 करोड रुपये आका गया है जिसमें बिक्री कर का अश 1039 करोड रुपये अर्थात 54 5% है। स्मरण रहे कि बिक्री कर का कुल कर राजस्व मे तो 1993 94 के बजट अनुमानो मे अश 33 7% आका गया है। लेकिन राज्य के स्वय के कुल कर राजस्व मे यह अश और भी ऊचा अर्थात 54 5% आका गया है। इस प्रकार बिक्री कर राज्य के स्वय के कर राजस्व का आधे से कुछ अधिक अश प्रदान करता है। अत राज्य की करो से प्राप्त राशि मे बिक्री कर की सर्वोपरिता है। दूसरा स्थान राज्य आबकारी कर तथा तीसरा वाहनो पर कर का है। भूमि सुधारों के फलस्वरूप भू राजस्व का योगदान कुल कर राजस्व मे केवल 1% रह गया है। राज्य आबकारी से 1993 94 के बजट मे 425 करोड रुपये के राजस्व का अनुमान है।

2 अ कर राजस्व (Non Tax Revenue) राजस्व खाते मे आय का यह दूसरा स्रोत है। सहायतार्थ अनुदान (grants ın aıd) जो केन्द्र से प्राप्त होते हैं वे भी इसी के अन्तर्गत दिखाये जाते है हालांकि उनकी राशि ऊँची होने से उनका विवेचन अलग से भी किया जाता है। अ कर राजस्व की आय निम्न शीर्षको के अन्तर्गत दिखायी जाती है ब्याज की प्राप्तियाँ लाभाश एव लाभ सामान्य सेवाओ से प्राप्त राशि, सामाजिक सेवाओ आर्थिक सेवाओ व अन्य साधनो से प्राप्त राशियाँ एव सहायतार्थ अनुदान (grants ın aıd)।

सामाजिक सेवाओ के अन्तर्गत निम्न मदे शामिल होती है (ı) शिक्षा कला व सस्कृति (ıı) चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (ııı) जलपूर्ति सफाई, आवास और शहरी विकास तथा (ıv) अन्य। आर्थिक सेवाओ में निम्न मदे आती हैं (ı) लघु सिचाई (ıı) वानिकी व वन्य जीवन (ııı) उद्योग, ग्रामीण व लघु उद्योग, (ıv) वहद् एव मध्यम सिचाई (v) अलौह धातु, खनन व धातु कार्मिक उद्योग व (vı) अन्य।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है सहायतार्थ अनुदान भी अ कर राजस्व के अन्तर्गत ही दिखाये जाते है।

अ कर राजस्व का वर्गीकरण 1972 73 से बदला गया है। 1951 52 मे अ कर राजस्व की राशि (सहायतार्थ अनुदानो सहित) 4 4 करोड रुपये थी जो बढकर 1961 62 मे 17 करोड रुपये 1971 72 मे 76 करोड रुपये 1981 82 मे 348 7 करोड रुपये व 1991 92 मे 1683 7 करोड रुपये हो गयी। 1992 93

के सशोधित अनुमानो मे अ कर राशि 2116 करोड रुपये रही तथा 1993 94 के बजट अनुमानो मे 2118 करोड रुपये आकी गई है।

राजस्व खाते मे आय के इन तीन स्रोतो का योगदान निम्न तालिका में दर्शाया गया है

		(प्रतिशत) 1992-93 (सशोधित अनुमान)	1993-94 (बजट-अनुमान)
(i)	कर राजस्व	56 9	59 3
(ii)	राज्य का अपना अ कर राजस्व	20 2	18 0
(iii)	सहायतार्थ अनुदान	22 9	22 7
	कुल	100 0	100 0
	कुल राजस्व प्राप्तिया (करोड रु०)	4915 0	5204 0

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्व खाते की कुल प्राप्तियो मे सहायतार्थ अनुदानो का अश 1993 94 के बजट अनुमानो में लगभग 23% अथवा करीब 1/4 अश आका गया है जो पिछले वर्ष के समान है।

राजस्थान मे कुल कर राजस्व का घरेलू उत्पत्ति से अनुपात

निम्न तालिका मे 1971 72 1981 82 तथा 1990-91 के लिये राज्य मे कुल कर राजस्व व राज्य की घरेलू उत्पत्ति (प्रचलित भावो पर) के आकडे दिये गये है

(करोड़ रुपये) (प्रचिलित भावो पर)

	1971 72	1981 82	1990 91
1 कुल कर राजस्व	109	508	1975
2 राज्य की घरेलू उत्पत्ति (प्रचलित भावो पर)	1534	4978	17578
3 कुल कर राजस्व का राज्य की आय से अनुपात	7 1%	10 2%	11 2%

इस प्रकार कुल कर राजस्व (केन्द्रीय करो मे अश सहित) राज्य की आय का 1990 91 मे 11 2% रहा जो 1971 72 का तुलना मे 4% अधिक था।

यदि हम राज्य के स्वय के कर राजस्व को ले तो इसकी राशि 1990 91

में 1216 5 करोड रुपये थी जो उस वर्ष की राज्य की घरेलू उत्पत्ति (SDP) का 6 9% मात्र थी। अत 1990-91 में केन्द्रीय करो में अश सहित राज्य का कुल कर राजस्व राज्य की आय का 11 2% रहा, जब कि इसी वर्ष राज्य का स्वय का कर राजस्व राज्य की आय का 6 9% ही रहा था।

राजस्थान मे प्रमुख करो की प्रतिक्रियात्मकता या बॉयन्सी
(Buoyancy of major taxes in Rajasthan)

दो वर्षों के बीच किसी कर से प्राप्त राजस्व की प्रतिशत वृद्धि मे राज्य की आय की प्रतिशत वृद्धि का भाग देने से जो परिणाम आता है उसे उस कर की बॉयन्सी या प्रतिक्रियात्मकता कहते हैं। इसमें कर की दर में परिवर्तन का प्रभाव भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन किसी कर की लोच (tax elasticity) निकालते समय कर की दरे स्थिर रखी जाती हैं। अत कर की लोच राज्य की घरेलू उत्पत्ति के परिवर्तनो से स्थिर दरों पर कर राजस्व की प्रतिक्रिया का माप होती है। इस प्रकार कर की लोच का निकालते समय कर की दरे स्थिर मानी जाती हैं जबकि कर की बायन्सी ज्ञात करते समय कर की दरो के परिवर्तन भी शामिल किये जाते है।

1980 89 के बीच राजस्थान मे कुछ प्रमुख करो की बायन्सी (buoyancy) इस प्रकार रही है इससे 1980 के दशक मे राज्य मे इनकी बायन्सी का पता चलता है।[1]

		(tax buoyancy in Raj)
(i)	कुल कर राजस्व	1 15
(ii)	राज्य का स्वय का कर राजस्व	1 26
(iii)	बिक्री कर	1 23
(iv)	राज्य आबकारी कर	2 03
(v)	मनोरजन कर	0 52
(vi)	विद्युत शुल्क	1 61

यदि कर की बायन्सी एक से अधिक होती है तो कर प्रयास उत्तम माना जाता है और यदि यह एक से कम होती है तो कर प्रयास कमजोर माना जाता है। उपर्युक्त तालिका के अनुसार केवल मनोरजन कर को छोडकर कर बायन्सी के एक से अधिक रहने से राज्य मे कर प्रयास उत्तम माना जायेगा। राज्य आबकारी कर व विद्युत शुल्क में तो यह और भी अच्छी रही। कर बॉयन्सी के एक से

---

1 Amaresh Bagchi & Tapas Sen Budgetary Trends and Plan Financing in the States Chapter 2 in State Finances in Ind a ed ted by Bagchi Bajaj and Byrd, 1992, table 2 13 pp 87 88

अधिक रहने का आशय है कि राज्य के अमुक कर के राजस्व में अमुक अवधि मे वृद्धि की दर राज्य की घरेलू उत्पत्ति की वृद्धि दर से अधिक रही।

राजस्व खाते में व्यय की प्रवृत्तियाँ
(Trends in Expenditure in Revenue Account)

राजस्व व्यय को निम्न शीर्षको के अन्तर्गत दिखाया जाता है

1 सामान्य सेवाओं पर व्यय- इनमे राज्य के अगो (*organs of state*) पर व्यय (मत्री परिषद, विधान सभा न्याय प्रशासन निर्वाचन आदि) राजकोषीय सेवाएँ (कर वसूली व्यय) ऋण परिशोधन व ब्याज का भुगतान प्रशासनिक सेवाएँ, पेन्शन व विविध सामान्य सेवाएँ तथा सहायतार्थ अनुदान (जो राज्य सरकार देती है) शामिल होते है। इनमे सर्वाधिक व्यय ऋण परिशोधन व ब्याज के भुगतान की मद पर होता है।

2 सामाजिक सेवाओ पर व्यय इसमे निम्न मदो का व्यय आता है

(i) शिक्षा, खेल कला एव सस्कृति (ii) चिकित्सा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण (iii) जलपूर्ति सफाई, आवास व शहरी विकास (iv) श्रमिक व श्रम कल्याण (v) अनुसूचित जातियो व अनुसूचित जनजातियो व अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण (vi) समाज कल्याण व पोषाहार। इनमे सर्वाधिक व्यय शिक्षा खेल, कला व सस्कृति की मद के अन्तर्गत होता है।

3 आर्थिक सेवाओं पर व्यय इनमे निम्न मदे शामिल की जाती हैं (i) कृषि व सम्बद्ध क्रियाएँ, (ii) ग्रामीण विकास व विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, (iii) उद्योग व खनिज (iv) सिचाई, बाढ नियत्रण व ऊर्जा (v) परिवहन (vi) विज्ञान, टेक्नोलोजी व पर्यावरण तथा (vii) सामान्य आर्थिक सेवाएँ।

1951 52 मे कुल राजस्व व्यय 17 2 करोड रुपये हुआ जो बढकर 1961 62 मे 52 करोड रुपये 1971 72 में 203 करोड रुपये व 1981 82 मे 823 करोड रुपये हो गया। 1991 92 मे राजस्व व्यय 4080 करोड रुपये हुआ जिसके 1992 93 के सशोधित अनुमानो मे 4962 करोड रुपये तथा 1993 94 के बजट अनुमानो में 5405 करोड रुपये होने का अनुमान है।

1993 94 के बजट -अनुमानो मे राजस्व व्यय का सर्वाधिक अश 37 1% सामाजिक सेवाओ पर 34 9% सामान्य सेवाओ पर तथा शेष 28% आर्थिक सेवाओ पर व्यय हेतु रखा गया है।

नीचे 1992 93 (सशोधित अनुमान) व 1993 94 (बजट-अनुमानों) मे कुछ व्यय की मदो पर कुल राजस्व व्यय का अनुपात दर्शाया गया है।

शीर्षक	1992-93 (संशोधित अनुमान) (करोड़ रु)	1993-94 (बजट अनुमान) (करोड़ रु)	1993-94 में कुल राजस्व-व्यय का प्रतिशत
1 ऋण-परिशोधन व ब्याज का भुगतान (सामान्य सेवाओं में)	742 9	894 6	16 6
2 शिक्षा, खेल, कला व सस्कृति (सामाजिक-सेवाओं में)	1024 3	1145 3	21 2
3 सिचाई, बाढ-नियत्रण व ऊर्जा (आर्थिक सेवाओ के अन्तर्गत)	600 4	566 6	10 5
4 प्रशासनिक सेवाए (सामान्य सेवाओ के अन्तर्गत)	379 9	407 5	7 5
(अन्य सहित कुल राजस्व- व्यय) (Total Revenue Exp)	4961 8	5404 7	100 0

तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य पर ऋण-भार काफी बढ गया है जिससे कुल राजस्व-व्यय का लगभग 17 प्रतिशत ऋण भुगतान व ब्याज के भुगतान पर लग जाता है। लगभग 21% व्यय शिक्षा खेल कला व सस्कृति की मद पर होता है। प्रशासनिक सेवाओ पर कुल राजस्व व्यय का लगभग 8% व्यय होने लग गया है। सिचाई, बाढ-नियत्रण व ऊर्जा पर 1993 94 के बजट मे कुल राजस्व-व्यय का 11% रखा गया है।

राजस्व व्यय को (i) विकास-व्यय व (ii) अ-विकास-व्यय मे भी विभाजित किया जाता है। 1951 52 मे विकास व्यय कुल राजस्व-व्यय का 42% हुआ करता था जो 1971 72 मे 58% 1981-82 मे 70% व 1990 91 मे 66 9% रहा। आजकल यह कुल राजस्व-व्यय का 2/3 होता है।

इस प्रकार योजनाकाल में लम्बी अवधि मे विकास-व्यय का अनुपात बढा है।

1973 74 से राजस्व-व्यय के प्रस्तुतीकरण का स्वरूप बदल गया है।

जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि अब यह सामान्य सेवाओ सामाजिक सेवाओ व आर्थिक सेवाओ के अन्तर्गत विभिन्न मदों के अन्तर्गत दिखाया जाता है।

राजस्व खाते मे घाटा

राजस्थान मे राजस्व खाते मे 1951 52 मे 1 2 करोड रुपये का घाटा हुआ था जो 1971 72 मे 17 9 करोड रुपये हो गया। 1981 82 में राजस्व खाते मे 356 करोड रुपये का अभूतपूर्व घाटा रहा तथा 1992 93 के सशोधित अनुमानो मे लगभग 46 6 करोड रुपये का घाटा रहा तथा 1993 94 के बजट अनुमानो मे लगभग 200 5 करोड रुपये का राजस्व घाटा दिखाया गया है। 1990 91 के लेखो (accounts) मे राजस्व खाते मे 168 करोड रुपये की बचत (surplus) रही थी।

पूँजीगत खाता (Capital Account)

(क) पूँजीगत प्राप्तियाँ (Capital Receipts) पूँजीगत प्राप्तियाँ *निम्न शीर्षको के अन्तर्गत दिखायी जाती है*

(1) सार्वजनिक ऋण इसमे राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण (internal debt) आता है। आन्तरिक ऋण स्थायी व अल्पकालीन दो प्रकार का हो सकता है। इनका उल्लेख नीचे किया जाता है।

(i) स्थायी ऋण (Permanent debt) इसके अन्तर्गत जनता मे लिये गये बाजार ऋण शामिल किये जाते हैं। ये विकास ऋण होते हैं जो राज्य की विकास योजनाओ की वित्तीय व्यवस्था के लिए जारी किये जाते हैं। इनमे भारतीय रिजर्व बैक मे लिये गये 'फ्लोटिंग ऋण' या अल्पकालीन ऋण भी शामिल किये जाते है।

(ii) अल्पकालीन ऋण (Floating debt) - *इनकी मात्रा राज्य के स्वय के साधनो व आवश्यकताओ पर निर्भर करती है। ये काफी परिवर्तनशील होते है। राज्य सरकार सार्वजनिक वित्तीय सस्थाओ से भी ऋण लेती है।*

(iii) केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण (Loans from the Central Government) *राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से भी ऋण लेती है। ऐसे अवसर भी आये है जब भारतीय रिजर्व बेक से ली गई ओवरड्राफ्ट की राशि को चुकाने के लिए केन्द्र ने राज्य का ऋण दिये है।*

(iv) ऋण व अग्रिम राशियो की रिकवरी (Recoveries of Loans and Advances)– *राज्य सरकार को कर्ज व अग्रिम राशियो की वापसी से भी*

धनराशि प्राप्त होती रहती है। ये राशियाँ सामान्य सेवाओ सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओ के लिये दिये गये पूर्व ऋणो की रिकवरी को सूचित करती है।

पूँजीगत खाते की प्राप्तियाँ निम्न तालिका में दर्शायी गयी हैं [1]

(करोड़ रु में)

शीर्षक	1992-93 (सशोधित अनुमान)	1993 94 (बजट-अनुमान)
सार्वजनिक ऋण		
(i) राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	364 5	581 2
(ii) केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण	642 5	679 7
ऋण व अग्रिम राशियों की वसूली	99 3	99 8
कुल	1106 3	1360 7

इस प्रकार पूँजीगत खाते की प्राप्तियो के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण प्रमुख मद होती है। 1992 93 के सशोधित अनुमानो मे इसके अन्तर्गत 643 करोड रुपये दिखाये गये थे जिनके बढकर 1993 94 मे 680 करोड रुपये होने का अनुमान है। ऋण व अग्रिम राशियो की रिकवरी से भी लगभग 100 करोड रुपये की प्राप्ति होती है। इसके अन्तर्गत सामान्य सेवाओ सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओ के लिए दिये गये पूर्व ऋणो की रिकवरी की राशियाँ आती हैं।

पूँजीगत खाते मे व्यय (Disbursements under Capital account) पूँजीगत व्यय राजस्व व्यय की भाँति सामान्य सेवाओ, सामाजिक सेवाओ व आर्थिक सेवाओं की विभिन्न मदों के अन्तर्गत दिखाया जाता है। इसका प्रयोजन परिसम्पत्ति का निर्माण करना होता है। इसमे एक मद सार्वजनिक कर्ज, ऋण व अग्रिम राशियों की होती है जो विभिन्न सस्थाओं को दी गई राशियो को दर्शाती है।

---

1 1993 94 के लिए राजस्थान सरकार के बजट का स्मृति पत्र मार्च 1993 पृ 14

पूँजीगत खाते के व्यय की मदें (disbursements) नीचे दी जाती हैं

(करोड़ रु में)

वितरण की मदे	1992 93 (संशोधित अनुमान)	1993 94- (बजट अनुमान)
सामान्य सेवाए	12 8	15 7
सामाजिक सेवाए	212 8	207 7
आर्थिक सेवाए	472 6	558 1
सार्वजनिक कर्ज ऋण व अग्रिम राशियाँ	722 5	1018 2
कुल	1420 7	1799 7

पूँजीगत खाते मे व्यय की जो मदे सामान्य सेवाओ सामाजिक सेवाओ व आर्थिक सेवाओ के अन्तर्गत दिखायी जाती है । उनका वही अर्थ होता है जो राजस्व खाते मे इन मदो पर व्यय के समय स्पष्ट किया गया था। जैसा कि पूर्व तालिका से स्पष्ट होता है इसमे सर्वाधिक राशि आर्थिक सेवाओ के अन्तर्गत व्यय की जाती है ताकि पूँजीगत परिसम्पत्तियो का निर्माण किया जा सके जैसे उद्योग पशु पालन सिचाई की परियोजनाएँ सडके आदि। **इसके अलावा राज्य सरकार व्यय भी विभिन्न सस्थाओ आदि को कर्ज देती है तथा स्वय कर्ज की राशि चुकाती है जिसकी राशि पूँजीगत खाते मे सर्वाधिक होती है।** 1993 94 के बजट अनुमानो मे कुल वितरण की राशि के 1800 करोड रुपये मे से राज्य सरकार द्वारा 1018 करोड रुपये की राशि सार्वजनिक कर्ज, ऋण व अग्रिम राशियो के अन्तर्गत दिखायी गयी है।

पूँजीगत खाते मे घाटा (Deficit in the Capital account)

यदि पूँजीगत खाते मे वितरण की राशियाँ प्राप्तियो से अधिक होती है तो *पूँजीगत खाते मे घाटा माना जाता है।*

पिछले वर्षों मे पूँजीगत खाते मे घाटे की राशियाँ निम्न तालिका मे दर्शायी गयी है

वर्ष	पूजीगत खाते मे घाटा	(करोड रु० मे)
1991 92	(वास्तविक)	247 3
1992 93	(संशोधित अनुमान)	314 4
1993 94	(बजट अनुमान)	439 0

सार्वजनिक खाता (Public account) -

इस प्रकार समेकित कोष (Consolidated fund) मे राजस्व खाते व पूँजीगत खाते की आय व व्यय की मदें आती हैं। लेकिन बजट के समग्र घाटे तक पहुँचने के लिए सार्वजनिक खाते या लोक खाते (Public account) की शुद्ध राशि का भी समावेश करना होता है। अध्याय के शुरू में बतलाया जा चुका है कि सार्वजनिक खाते मे वे लेन देन दर्शाये जाते है जिन्हें सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप मे करती है। इसमे अल्प बचते प्रोविडेण्ट कोष रिजर्व कोष जमाएँ व अग्रिम राशियाँ सस्पेन्स (उचत) व विविध भुगतान शामिल होते है।

वर्ष 1992 93 के सशोधित अनुमानो मे सार्वजनिक खाते की शुद्ध राशि 418 5 करोड रुपये व 1993 94 के बजट-अनुमानो मे 477 करोड रुपये आकी गयी है।

समग्र घाटे या बचत की स्थिति (वर्ष 1981 82 से 1993 94 के बजट-अनुमानों तक)[1]

निम्न तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य मे समग्र घाटे की स्थिति 1987 88 1990 91 व 1993 94 मे काफी प्रतिकूल दशायी गयी है। 1990 91 मे समग्र घाटा लगभग 144 करोड रुपये तक पहुँच गया था। 1981 82 से 1991 92 तक वास्तविक लेखो के आकडे दर्शाये गये हे जबकि 1992 93 के लिए सशोधित अनुमान व 1993 94 के लिए बजट अनुमान लिए गये हैं। 1993 94 के बजट अनुमानो में समग्र घाटा 162 4 करोड रुपये दर्शाया गया है जो सर्वाधिक है।

राज्य की वित्तीय स्थिति काफी कमजोर है। सरकार को अकाल राहत कार्यों के सचालन पर भारी व्यय करना पड़ता है। अकाल व सूखे के कारण राज्य सरकार के कर राजस्व मे कमी आ जाती है एव राहत कार्यों पर व्यय मे वृद्धि करनी होती है।

---

1 1992 93 व पूर्व वर्षों के आय व्ययक अध्ययन DES जयपुर तथा 1993 94 के लिए बजट का स्मति पत्र मार्च 1993 पृ० 1

तालिका

समग्र बचत (overall surplus) (+) या घाटा (deficit) ( )

(करोड़ रु)

वर्ष	
1981 82	( )5 9
1982 83	(+)23 2
1983 84	(+)8 9
1984 85	( )1 4
1985 86	(+)45 7
1986 87	( )59 0
1987 88	( )70 0
1988 89	(+)104 5
1989 90	( )14 1
1990 91	( )143 8
1991 92	(+)274
1992 93	(+)57 4
1993 94 (सशोधित बजट अनुमान)	( )162 4

राजस्थान मे राजस्व खाते (revenue account) मे घाटा होने के कारण

राजस्थान के बजट मे समग्र रूप से घाटा होने का मुख्य कारण राजस्व खाते मे घाटे का होना माना गया है। 1993 94 के बजट मे राजस्व घाटा लगभग 200 करोड रुपये दर्शाया गया है जबकि 1992 93 के सशोधित अनुमानो मे यह 46 6 करोड रुपये का ही आका गया है। राजस्व खाते मे व्यय की राशि प्राप्तियो की राशि से अधिक रहने से घाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। 1992 93 व 1993 94 मे राजस्व घाटे के लिए निम्न कारण उत्तरदायी माने जा सकते है

(1) 1992 93 के सशोधित अनुमानो मे राजस्व व्यय उस वर्ष के बजट अनुमानों से 172 करोड रुपये अधिक रहा। निम्न मदो पर वास्तविक व्यय बजट अनुमानो से अधिक रहा राज्य के अगो के अन्तर्गत राज्यपाल शीर्षक चुनाव ब्याज के भुगतान प्रशासनिक सेवाएँ पेंशन व विविध सामान्य सेवाएँ सामाजिक सेवाएँ व आर्थिक सेवाएँ आदि।

(2) 1993 94 मे राजस्व घाटे के काफी सीमा तक बढने की सम्भावना है क्योंकि चुनावो पर व्यय के लिए 8 करोड रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है तथा ब्याज के भुगतानो मे 152 करोड रुपये की वृद्धि का अनुमान है।

(3) हालांकि 1992-93 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व प्राप्तियों मे इसके बजट-अनुमानो की तुलना में 270 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी, (बिक्री-कर, ब्याज की प्राप्तियों, केन्द्रिय उत्पादन-शुल्क में राज्य के अंश, अनुदान (grants-in aid) आदि में लेकिन व्यय में भी वृद्धि होने से राजस्व-घाटा हो रहा।

राजस्थान का 1993-94 का बजट (Rajasthan Budget for 1993-94)

वर्ष 1993 94 के आय-व्ययक अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है

	करोड़ रुपये
1 राजस्व प्राप्तियां	5204.2
2 राजस्व व्यय	5404 7
3 राजस्व खाते में घाटा	(-)200 5
4 पूँजीगत प्राप्तियां	1361
5. पूँजीगत व्यय	1800
6 पूँजीगत खाते में घाटा	(-)439
7 कुल समेकित कोष (शुद्ध) (Consolidated fund (net) [(3) + (6)]	(-)639 5
8 सार्वजनिक खाता (शुद्ध) *Public Account (net)*	(+)477.1
9 समग्र घाटा (overall deficit) [(7) + (8)]	(-)162 4

दिसम्बर 1992 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने से राज्य सरकार के लिए छः महीनों (अप्रैल-सितम्बर 1993) के व्यय के लिए वोट ऑन एकाउण्ट (Vote on account) मार्च 1993 में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। राज्य की सामान्य वित्तीय स्थिति का परिचय राजस्थान शासन के 1993-94 के आय-व्ययक के अनुमानों पर जारी स्मृति-पत्र (Explanatory Memorandum) में दिया गया है।

इसके आधार पर राजस्थान के 1993-94 के बजट को प्रमुख बातें (highlights) निम्नांकित हैं।

(1) 1992 93 के बजट-अनुमानो में समग्र घाटा (deficit) लगभग 28 करोड रुपये दिखाया गया था जो सशोधित अनुमानों मे 57 करोड रुपये की बचत (surplus) में बदल गया। इसका अर्थ यह है कि 1992 93 में राजस्व की वसूली में विशेष सुधार हुआ जिससे समग्र बचत सम्भव हो सकी। लेकिन 1993 94 के बजट-अनुमानों मे समग्र घाटे की राशि 162 4 करोड रुपये दिखायी गयी है जो काफी ऊँची है। इसका अर्थ यह है कि 1993 94 मे राज्य की वित्तीय स्थिति में (162 4 +57 4) = 219 8 करोड रुपये, अथवा 220 करोड रुपये, की भारी गिरावट आने की सम्भावना उत्पन्न हो गई है। 1992 93 के सशोधित अनुमानो का 57 करोड रुपये की बचत के 1993 94 मे 162 करोड रुपये की बचत के घाटे मे परिवर्तित होने की सम्भावना व्यक्त की गई है जो एक चिता का विषय है।

(2) राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर 1993 94 मे निम्न कारणा स दबाव बढेगे

(i) 1992 93 के सशोधित अनुमानो की तुलना मे चुनाव पर व्यय मे 8 करोड रुपये की वृद्धि का अनुमान है

(ii) सामाजिक सेवाओं पर व्यय की वृद्धि 184 करोड रुपये

(iii) आर्थिक सेवाओ पर व्यय की वृद्धि 35 करोड रुपये

(iv) पूँजीगत वितरण की कुल राशि में 380 करोड रुपये की वृद्धि का अनुमान

(v) सार्वजनिक खाते की शुद्ध राशि मे केवल 60 करोड रुपये की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

(vi) ब्याज के भुगतान (interest payment) में 152 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है जबकि 1992 93 के सशोधित अनुमानों में उसी वर्ष के बजट-अनुमानों की तुलना मे केवल 7 5 करोड रुपये की वृद्धि हुई थी।

इस प्रकार सामाजिक सेवाओ ब्याज के भुगतान व पूँजीगत वितरण की राशियों में 1993 94 में भारी वृद्धि के अनुमानों से राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढेगा।

(3) राज्य मे राष्ट्रपति शासन के कारण 1993 94 का बजट विधान सभा मे पेश नहीं किया जा सका, इसलिए साधन सग्रह के नये प्रस्तावों का उपयोग नहीं किया जा सका।

अत 1993 94 में राज्य के वित्तीय साधनों पर दबाव पडने से वित्तीय दशा मे और गिरावट के आने की सम्भावना है।

राज्य के राजस्व-घाटे को कम करने के लिए उपाय -

जैसा कि पहले कहा जा चुका है राज्य की मुख्य समस्या राजस्व घाटे (revenue deficit) की है। 1992 93 के सशोधित अनुमानों मे राजस्व घाटा 46 6 करोड रुपये व 1993 94 में 200 5 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। अत भविष्य मे राजस्व-घाटे को कम करने के लिये निम्न उपाय किये जाने चाहिएँ,-

(1) राज्य को अपने करों जैसे बिक्री कर, राज्य आबकारी कर, विद्युत करो व शुल्कों आदि से अधिक राजस्व जुटाने का प्रयास करना चाहिए। राज्य के विद्युत करो को अन्य राज्यो के समकक्ष लाने का प्रयास जारी रखना होगा।

(2) राज्य को केन्द्र से मिलने वाले अनुदानो (grants in aid) जैसे गैर-योजना अनुदानों, राज्य की योजना-स्कीमो के अनुदानो, केन्द्रीय योजना-स्कीमो के अनुदानो तथा केन्द्र चालित स्कीमो के अनुदानो की राशियो मे वृद्धि होनी चाहिए। 1992 93 के सशोधित अनुमानो मे इनमे बजट अनुमानो की तुलना मे 33 करोड रुपये की वृद्धि हुई थी।

(3) राज्य का केन्द्रीय करों मे जैसे आयकर व उत्पादन-शुल्क मे अश बढना चाहिए। यह इन करो से केन्द्र की आमदनी के बढने से स्वत बढ़ जायगा। अत केन्द्र द्वारा इन करो की वसूली मे पर्याप्त सुधार किया जाना चाहिए।

(4) राजकीय उपक्रमों का घाटा कम करने के उचित उपाय किये जाने चाहिए जैसे प्रबध मे सुधार, उचित मूल्य नीति आदि। यदि कुछ इकाइयाँ लगातार घाटे मे जा रही हैं तो उनको निजी क्षेत्र को हस्तान्तरित करने अथवा बद करने पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करते समय श्रमिको के हितो का पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।

(5) अनुत्पादक व्यय व व्यर्थ खर्चों पर रोक थाम की व्यवस्था होनी चाहिए।

(6) राज्य सरकार स्वय की सब्सिडी की राशि की जाँच करके उसमे यथासम्भव कमी करने का प्रयास करे।

(7) सरकार विद्युत सिचाई सड़क परिवहन आदि की दरो को इस प्रकार निर्धारित करे जिससे इनकी लागत अवश्य निकल सके। साथ मे लागत कम करने के प्रयास भी जारी रखे।

आज भी राज्य सरकार के समक्ष अपूरित घाटे को पूरा करने की गम्भीर समस्या विद्यमान है जिसके लिये इसे अनावश्यक व अनुत्पादक व्यय मे कटौती करनी होगी। राज्य सरकार को सार्वजनिक उपक्रमो से बचत प्राप्त करनी चाहिये तथा भूतकाल मे किये गये विनियोगो से अधिक प्रतिफल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये । राज्य की वित्तीय स्थिति सतोषजनक नही है। इसको सुधारने के लिये कइ उपाय करने होगे जिनका विवेचन अगले अध्याय मे अधिक विस्तार से किया जायेगा। इसमे केन्द्र व राज्य सरकार दोना की भूमिका होगी। राज्य की

वित्तीय स्थिति की समीक्षा करके सुधारने के लिये राज्य वित्त आयोग/बोर्ड का गठन जरूरी हो गया है।

प्रश्न

1 राजस्थान की राजस्व-आय के मुख्य स्रोतो का विवेचन कीजिये राज्य मे करो की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान किन दो करो का है

2 राज्य के राजस्व व्यय का मुख्य मदे बतलाइए। किन मदो पर सरकारी व्यय सर्वाधिक हे ?

3 राजस्थान के 1993 94 के बजट का संक्षिप्त विवरण दीजिये इसमे राजस्व घाटा व समग्र घाटा बहुत बढ गया है। कारण स्पष्ट कीजिए।

4 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये

(i) राजस्थान के प्रमुख कर,

(ii) राज्य के व्यय की मुख्य मद,

(iii) राज्य के बजट मे राजस्व घाटा व समग्र घाटा

(iv) राजस्थान के 1993 94 के बजट की मुख्य बाते

(v) राजस्थान मे बिक्री कर का कर राजस्व मे स्थान

(vi) राजस्व व्यय की चार प्रमुख मदे।

5 राजस्थान के बजट मे राजस्व आय एव राजस्व व्यय की प्रवृत्तियो का विश्लेषण कीजिये तथा राजस्व घाटे को दूर करने के सुझाव दीजिये।

(Raj I yr 1992)

19

विभिन्न वित्त आयोग, गाडगिल फार्मूला व राजस्थान की वित्तीय स्थिति
(Different Finance Commissions & Gadgil Formula and Rajasthan Finances)

प्राय प्रत्येक पाच वर्ष बाद भारतीय संविधान की धारा 280 के तहत एक नये वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो निम्न विषयो पर राष्टपति को अपनी सिफारिशे प्रस्तुत करता है

(अ) जो कर केन्द्र व राज्यो के बीच अनिवार्यत विभाजनीय हैं (जैसे, व्यक्तिगत आयकर) अथवा विभाजनीय हो सकते हे (जैसे सघीय उत्पादन शुल्क) उनकी शुद्ध प्राप्तियो का केन्द्र व राज्यो के बीच वितरण निर्धारित करना तथा अलग अलग अश निर्धारित करना,

(आ) राज्यो के राजस्व सम्बन्धी सहायतार्थ अनुदान की राशि (grants in aid) के सिद्धान्त निर्धारित करना तथा

(इ) सुदृढ वित्त के हित मे अन्य किसी विषय पर केन्द्र के निर्देश पर विचार करना।

अब तक नौ वित्त आयोगो की रिपोर्टें प्रस्तुत की जा चुकी हैं। नवे वित्त आयोग (अध्यक्ष श्री एन के पी साल्वे) की द्वितीय रिपोर्ट दिसम्बर 1989 मे पेश की गई थी जिसमें 1990 95 की अवधि के लिये सिफारिशे की गई थी। इनका विस्तृत विवेचन इस अध्याय मे आगे चलकर किया गया है।

15 जून 1992 को पूर्व रक्षामत्री कृष्णचद्र पत की अध्यक्षता मे दसवे वित्त आयोग का गठन किया गया है जो अपनी रिपोर्ट 30 नवम्बर, 1993 तक सरकार को देगा। इसमें 1995 2000 तक के पाच वर्षों के लिये सिफारिशे की जायेगी। इसमे गठन व कार्यक्षेत्र आदि का विवरण इसी अध्याय मे आगे चलकर दिया गया है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है वित्त-आयोग प्रमुखतया कुछ केन्द्रीय करो व शुल्कों की आय मे राज्यो की भागीदारी तथा उनके बीच वितरण के आधार सुनिश्चित करता है और राज्यो को केन्द्र की तरफ से दी जाने वाली राजस्व सम्बन्धी

सहायतार्थ अनुदान की राशि निर्धारित करता है। इस सम्बन्ध मे सवैधानिक व्यवस्था इस प्रकार है

(i) संविधान की धारा 270 के अधीन आयकर मे राज्यो की हिस्सेदारी अनिवार्य मानी जाती है। प्रथम वित आयोग ने आयकर की शुद्ध प्राप्तियो में राज्यो का हिस्सा 55% रखा था जिसके वितरण का आधार 80% जनसख्या व 20% वसूली रखा गया था। नवे वित्त आयोग ने यह बढा कर 85% कर दिया तथा उसके राज्यो मे वितरण के अब पाच आधार रखे है यथा राज्य का अशदान प्रति व्यक्ति उच्चतम राज्यीय आय व उस राज्य की प्रति व्यक्ति आय का अतर, जनसंख्या, पिछडेपन का मिश्रित सूचनाक तथा जनसख्या को प्रति व्यक्ति आय के विलोम से गुणा करने से प्राप्त आधार। इनका आगे चलकर विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण किया गया है।

राजस्थान का अश आयकर की विभाज्य आय मे प्रथम वित्त आयोग 1952 की रिपोर्ट के अनुसार 3 50% से बढकर नवे वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट मे 1990 95 के लिये 4 836% किया गया है।

(ii) संविधान की धारा 272 के अन्तर्गत सघीय उत्पादन शुल्क की आय मे राज्यो को हिस्सा दिया जाता है हालाकि यह बटवारा ऐच्छिक माना जाता है अनिवार्य नहीं। इसकी स्थिति भी प्रथम वित्त आयोग से नवे वित्त आयोग तक काफी बदल गई है। प्रथम वित्त आयोग ने केवल तीन वस्तुओ तम्बाकू माचिस व वनस्पति पदार्थों की शुद्ध प्राप्तियों का 40% पूर्णतया जनसख्या के आधार पर वितरित करने का प्रावधान किया था। अब नवे वित्त आयोग के अनुसार कई वस्तुओ पर लगे सघीय उत्पादन शुल्क की शुद्ध प्राप्तियों का 45% अश राज्यो के बीच पाच आधारों (जनसख्या आय समायोजित कुल जनसख्या पिछडेपन के सूचकाक उच्चतम प्रति व्यक्ति आय व राज्य की प्रति व्यक्ति आय के अतर तथा राज्यो के घाटे की मात्रा) पर किया जायेगा। इसका भी स्पष्टीकरण आगे चलकर किया गया है।

राजस्थान का सघीय उत्पादन शुल्क के राजस्व मे अश प्रथम वित्त आयोग के अनुसार 4 41% से बढकर नवे वित्त आयोग के अनुसार 5 524% किया गया है।

(iii) वस्त्र चीनी व तम्बाकू पर लगे अतिरिक्त उत्पादन शुल्को की शुद्ध प्राप्तियो का वितरण द्वितीय वित्त आयोग, 1957 ने वस्त्र चीनी व तम्बाकू पर पूर्व मे लगे बिक्री करों की एवज में अतिरिक्त उत्पादन शुल्को की शुद्ध प्राप्तियो के राज्यो मे वितरण की सिफारिश की थी जिसे बाद में निरतर जारी रखा गया है। इसके पहले प्रत्येक राज्य को एक निश्चित गारटी राशि के साथ साथ बाकी बची राशि का निर्धारित प्रतिशत दिया जाता था। नवें वित्त आयोग ने राजस्थान का अश 4 689% रखा है। अब कोई गारटी राशि नहीं रखी गयी है।

(iv) रेल-यात्री किराये पर कर की एवज में अनुदान (grant in lieu of Tax on Railway Passenger Fare)

भारत मे रेल यात्री किराये पर कर सर्वप्रथम 1957 मे लागू किया गया था जो 1961 मे समाप्त कर दिया गया। यह 1971 मे पुन लागू किया गया और 1973 मे पुन समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसकी एवज मे राज्यो को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। 1961 62 से 1965 66 तक प्रति वर्ष 12 50 करोड रुपये की एक मुश्त राशि इस कर की समाप्ति की एवज मे राज्यो मे अनुदान के रूप मे वितरित की गई थी। संविधान की धारा 282 के तहत तदर्थ अनुदान (ad hoc grants) के रूप मे 1966 67 से 1980 81 तक यह प्रति वर्ष 16 25 करोड रुपये रही। 1980 81 से 1983 84 तक 23 12 करोड रुपये रही जिसे आठवे वित्त आयोग ने बढाकर 95 करोड रुपये तथा नवे वित्त आयोग ने 150 करोड रुपये प्रति वर्ष (1990 95 के लिये) कर दिया था। अब राजस्थान का अश 4 579% रखा गया है।

(v) सहायतार्थ अनुदान (grants in aid) संविधान की धारा 275 (1) के अन्तर्गत राज्यो को राजस्व सबधी सहायतार्थ अनुदान के भुगतान की व्यवस्था की गई है। इसके लिये वित्त आयोग को यह पता करना होता है कि प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी जानी चाहिये ताकि केन्द्रीय करो मे हिस्सा मिलने के बाद इसके राजस्व के अभाव की पूर्ति की जा सके।

राज्यो की राजस्व सबधी सहायतार्थ अनुदान निरन्तर मिलते रहे है। नवे वित्त आयोग ने राजस्थान के लिये इस प्रकार की सहायतार्थ अनुदान की राशि 1990 95 के लिये 1446 79 करोड रुपये स्वीकृत की है जिसमे गैर योजना घाटे (पूर्णत) के लिये 486 39 करोड रुपये तथा योजना घाटे (अशत) के लिये 960 40 करोड रुपये है।

(vi) सहायतार्थ अनुदानो के अलावा राहत-व्यय की पूर्ति के लिये भी अनुदान दिये जा सकते है। नवे वित्त आयोग को प्राकृतिक आपदाओ से प्रभावित राज्यो द्वारा किये गये राहत व्यय की वित्तीय व्यवस्था के लिये सुझाव देने के लिये कहा गया था। इसने केन्द्र द्वारा राजस्थान के लिये राहत व्यय की पूर्ति के लिये (1990-95) के लिये 465 करोड रुपये की व्यवस्था की है (कुल 620 करोड रुपये का 75% केन्द्र देगा तथा शेष 25% राज्य सरकार को देना होगा)। भूतकाल मे धारा 282 के तहत अन्य कई प्रकार के अनुदान भी दिये गये है जैसे पुनर्वास अनुदान सामुदायिक परियोजनाओ के लिए अनुदान, आदि।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि विभिन्न वित्त आयोगो की सिफारिशों के फलस्वरूप राजस्थान को कुछ शुल्को मे तथा राजस्व सबधी सहयतार्थ अनुदानो मे हिस्सा मिलता रहा है। इनके अलावा कुछ अन्य प्रकार के अनुदानो की व्यवस्था की गइ है जसे नवे वित्त आयोग द्वारा प्राकृतिक आपदाओ के समय राहत व्यय की पूर्ति के लिए दिये गये अनुदान आदि।

अब हम यह देखेगे कि वित्त आयोग के द्वारा राज्यो की तरफ किये गये

वित्तीय हस्तान्तरणो मे राजस्थान का अश कितना रहा है और इसमे किस दिशा मे परिवर्तन हुए ह।

केन्द्र द्वारा राजस्थान की तरफ किये गये हस्तान्तरण (केन्द्रीय करों व शुल्को मे अश व अनुदानो के रूप मे)

1950 51 मे 1955 56 तक छ वर्षों मे राजस्थान के पक्ष मे हस्तान्तरण की कुल राशि 18 6 करोड रही जो कुल हस्तान्तरित राशि (715 7 करोड रुपये) का केवल 2 6% थी।[1] 1957 58 से 1960-61 तक के चार वर्षों मे राज्य को हस्तान्तरित राशि लगभग 55 करोड रुपये रही जो सभी राज्यो को हस्तान्तरित कुल राशि (1203 8 करोड रुपये का 4 57% थी।[2] बाद म 1961 62 से 1965 66 की अवधि मे केन्द्रीय करो व अनुदानो से राज्य की कुल 123 करोड रुपये की राशि उपलब्ध हुई।[3] बाद के वर्षों म विभिन्न वित्त आयोगो की रिपोर्टों के अनुसार केन्द्रीय हस्तान्तरणो मे राजस्थान की स्थिति इस प्रकार रही।[4]

वित्त आयोग	राजस्थान के पक्ष म अतरण (Devolution) करोड रु०	सभी राज्यों को कुल अंतरण-राशि करोड़ रु	राजस्थान का अश (प्रतिशत म)
चतुर्थ (1966 71)	130 4	2885 9	4 52
पचम (1969 74)	265 0*	5316 0	4 99
छठा (1974 79)	563 9	9608 9	5 87
सातवा (1979 84)	902 8	20843 0	4 33
आठवा (1984 89)	1676 2	39452 0	4 25
नवा (प्रथम रिपोर्ट) (1989 90)	651 3	13662 4	4 77
नवा (द्वितीय रिपोर्ट) (1990-95)	6525 6	106036 4	6 15

1 Report of the First Finance Commission 1952 pp 190 and Report of the Second Finance Commission 1957 pp 194 203

2 Report of the Third Finance Commission 1961 pp 104 107

3 Report of the Fourth Finance Commission, 1965 p 194

4 Fifth Commiss on 1969 p 224 Sixth Commission 1973 p 237 Seventh Commission 1978 p 110 Eighth Commission 1984 p 96 Ninth Commission (First report) July 1988 p 53 & Second Report Dec 1989 p 29

* वास्तविक

तालिका से स्पष्ट होता है कि चतुर्थ वित्त आयोग से छठे वित्त आयोग तक राजस्थान का अश कुल हस्तान्तरणों मे 4 52% से बढ़कर 5 87% हो गया, तत्पश्चात् आठवे वित्त आयोग की सिफारिशो से यह 4 25% तक घटा। उसके बाद नवे वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट के अनुसार यह 1989 90 के लिये 4 77% और इसकी द्वितीय रिपोर्ट मे 1990-95 को अवधि के लिये बढा कर 6 15% कर दिया गया। इससे सिद्ध होता है कि नवे वित्त आयोग को सिफारिशो के फलस्वरूप राजस्थान को केन्द्र से अधिक वित्तीय साधन हस्तान्तरित किये गये हैं। इससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पडेगा।

राजस्थान के लिये प्रति व्यक्ति साधन-हस्तान्तरण

(Per capita Resource devolution for Rajasthan)-

1971 की जनसख्या को आधार मानते हुए राजस्थान के लिये प्रति व्यक्ति साधन-हस्तान्तरण की तुलना सभी राज्यो की स्थिति से निम्न-तालिका मे की गई है।[1]

	राजस्थान (रुपयों में)	सभी राज्यों के लिये (रुपयों में)
पाँचवा वित्त आयोग	102 9	98 2
छठा वित्त आयोग	218 9	177 5
सातवा वित्त आयोग	350 4	384 9
आठवा वित्त आयोग	650 5	728 6
नवा वित्त आयोग (1990-95)	2529 3	1935 0

तालिका से पता चलता है कि पाचवें छठे व नवे वित्त आयोग की सिफारिशो के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति साधन-हस्तान्तरण राजस्थान मे भारत के औसत स्तर से ऊँचा रहा लेकिन सातवे व आठवे वित्त आयोग के अनुसार यह राजस्थान मे भारत के औसत से नीचा रहा। इस प्रकार नवे वित्त आयोग ने प्रति व्यक्ति साधन-हस्तान्तरण राजस्थान के लिये समस्त भारत के औसत स्तर से 31% ऊँचा रखा है जो राज्य के हित मे है।*

अब हम नवे वित्त आयोग की प्रथम व द्वितीय रिपोर्टों के आधार पर केन्द्र

---

1 Memorandum To the Ninth Finance Commission, Govt of Raj , p 28 (पांचवें से आठवें वित्त आयोग के लिए)

* 1971 की जनगणना केआधार पर राजस्थान की जनसख्या 2 85 करोड तथा भारत की 54 8 करोड मानते हुये गणना की गई है।

से राजस्थान की तरफ होने वाले वित्तीय हस्तान्तरणो का विस्तत विवेचन प्रस्तुत करते है ताकि इस सम्बन्ध मे नवीनतम जानकारी हो सके।

नवे वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट (1989 90) तथा द्वितीय रिपोर्ट (1990-95) मे की गई सिफारिशो का राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव

नवा वित्त आयाग 17 जून 1988 को गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष सासद श्री एन के पी माल्वे नियुक्त किये गये तथा अन्य चार सदस्य निम्नांकित थे

1 न्यायमूर्ति श्री अब्दुस्सत्तार कुरेशी न्यायाधीश गुजरात उच्च न्यायालय,
2 डॉ राजा जे चेलेया तत्कालीन सदस्य योजना आयोग
3 श्री लालतन आवला, पूर्व मुख्यमत्री मिजोरम
4 श्री महेश प्रसाद (सदस्य सचिव)

प्रथम रिपोर्ट की सिफारिशो के आधार पर राजस्थान को वित्तीय अतरण

आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट जुलाई 1988 मे प्रस्तुत की थी जिसमे 1989 90 के लिये केन्द्र के द्वारा रा यो की तरफ किये गये वित्तीय हस्तान्तरणो के बारे मे सिफारिशे की गयी थीं।

राजस्थान को कुल 651 करोड रुपये के हस्तान्तरणो की सिफारिश की गई थी जो कुल हस्तान्तरण राशि का 4 77% थी जबकि पश्चिम बगाल के हिस्से मे 15 83% राशि आयी थी। 651 करोड रुपये की अन्तरिम राशि मे से आयकर का हिस्सा 143 करोड रुपये, 40% उत्पादन शुल्क मे अश 326 करोड रुपये 5% घाटे के रा यो को दी जाने वाली उत्पादन शुल्क की राशि में हिस्सा 32 करोड रुपये बिक्री कर की एवज मे अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की राशि 69 करोड रुपये रेल यात्री किराये पर निरस्त कर की एवज मे अनुदान मे हिस्सा 5 करोड रुपये राहत व्यय की वित्त व्यवस्था मे सीमान्त राशि (marg,n money) 8 करोड रुपये राजस्व घाटे की पूर्ति के लिये सहायता अनुदान (गैर योजना) 39 करोड रुपये अपग्रेडेशन अनुदान (गैर योजना) के अन्तर्गत 6 करोड रुपये तथा विभिन्न समस्याओ के लिए ऋण राहत (गैर योजना) के अन्तर्गत मे 23 करोड रुपये थे।

के के जार्ज ने नवे वित्त आयोग की प्रथम एवार्ड के मूल्याकन (EPW Apnl 1 1989) मे बतलाया था कि निर्धनता का आधार लेने के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश व राजस्थान घाटे मे रहे है। इस आधार के परिणामस्वरूप भी कुछ धनी राज्य लाभ मे रहे जैसे महाराष्ट्र जहाँ गरीबो का सकेन्द्रण अधिक मात्रा मे

पाया जाता है तथा साथ मे गदी बस्तियो मे रहने वालो का भी।

नवें वित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट (1990-95 के लिये) दिसम्बर 1989 मे पेश की गयी थी।

इसमे वित्त आयोग ने आदर्शात्मक दृष्टिकोण (Normative Approach) अपनाया था जिसकी प्रमुख बाते इस प्रकार है

(i) केन्द्र व राज्यो के बीच राजस्व का वितरण इस प्रकार किया जाना चाहिये ताकि वे अपने दायित्वो को सतोषप्रद ढग से पूरा कर सकें

(ii) विभिन्न राज्यो के बीच राजस्वो का वितरण समान हो

(iii) राज्यो की राजस्व आय बढाने व व्यय मे किफायत करने की प्रेरणा कायम रहनी चाहिये

(iv) राज्य अधिक सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये नागरिको पर अतिरिक्त कर लगाएँ ताकि अतिरिक्त लागतो के लिये साधन जुटाये जा सके

(v) केन्द्र व राज्यो के राजस्व खातो को सन्तुलित करने के लिये मानक सही व सुनिश्चित होने चाहिए।

इस दृष्टिकोण के अनुसार यह आशा की गया कि प्रत्येक राज्य अपनी क्षमता के अनुसार राजस्व बढायेगा तथा अपनी जरूरतो के अनुसार व्यय की व्यवस्था करेगा। केवल आधार वर्ष के आकडो को ही स्वीकार नहीं किया जायेगा। यह बात केन्द्र व राज्य दोनो पर समान रूप से लागू होगी।

नवे वित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट (1990 95) की सिफारिशो की मुख्य बाते

द्वितीय रिपोर्ट मे आयोग ने आयकर मे राज्य का हिस्सा विभाज्य कोष का 85% बनाये रखा लेकिन राज्यो के बीच उसके वितरण का आधार बदल दिया

(i) वर्ष 1985 86 से 1987 88 के सबध मे आयकर के एसेसमेट द्वारा मापे गये 'अशदान (Contribution) के आधार पर 10 प्रतिशत

(ii) प्रति व्यक्ति उच्चतम आय वाले राज्य की तुलना मे उस राज्य की प्रति व्यक्ति आय के अन्तर के आधार पर 45 प्रतिशत (उस राज्य की 1971 की जनसख्या से गुणा करके)

(iii) राज्य की 1971 की जनसख्या के आधार पर 22 5 प्रतिशत

(iv) आयोग द्वारा सकलित पिछडेपन के मिश्रित सूचकाक (Composite index of backwardness) के आधार पर 11 25 प्रतिशत

(v) राज्य की 1971 की जनसख्या से गुणा की गई प्रति व्यक्ति आय के प्रतिलोम (inverse) के आधार पर 11 25 प्रतिशत।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की शुद्ध प्राप्तियों का 45% राज्यो मे निम्न प्रकार

से वितरित करने की सिफारिश की गयी

(i) राज्यो के बीच 25 प्रतिशत अश 1971 की जनसख्या के आधार पर,

(ii) 12 5 प्रतिशत अश आय समायोजित कुल जनसख्या के आधार पर (Income adjusted total population) वितरित किया जाना चाहिये। इसके लिये आय समायोजित कुल जनसख्या की गणना राज्यो की 1971 की जनसख्या तथा 1982 83 से 1984 85 की तीन वर्ष की अवधि के लिये नई श्रखला के अनुसार औसत प्रति व्यक्ति आय के व्युत्क्रम (inverse) पर की जानी चाहिये। एक राज्य के हिस्से का निर्धारण सभी राज्यो की आय समायोजित कुल जनसख्या के कुल योग मे से उस राज्य की आय समायोजित कुल जनसख्या के प्रतिशत के आधार पर किया जाना चाहिये।

(iii) 12 5 प्रतिशत का वितरण पिछडेपन के सूचकाक के आधार पर किया जाना चाहिये।

(iv) 33 5 प्रतिशत का वितरण 1982 83 से 1984 85 की तीन वर्षों की अवधि के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय (नई श्रखला) तथा उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाले पजाब जैसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय के अन्तर को 1971 की जनसख्या से गुणा करके किया जाना चाहिये।

(v) शेष 16 5 प्रतिशत का वितरण घाटे वाले राज्यो मे किया जाना चाहिये। आयकर, उत्पादन शुल्क बिक्री कर की एवज मे अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा रेल यात्री किराये पर निरस्त कर की एवज मे अनुदान के बाद रहे घाटे की राशि के अनुपात मे यह राशि वितरित की जानी चाहिये। विपदा राहत कोष (Calamity relief fund) मे केन्द्र का हिस्सा 75% व राज्यो का 25% किया जाना चाहिये।

1990 95 के लिए राज्यो के कुल अन्तरण में राजस्थान का हिस्सा निचे दिया जाता है

(अ) करो म अश	(करोड रु)
(i) आयकर मे अश	1012
(ii) मूल उत्पाद शुल्क मे	3064
(iii) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क	504
(iv) रेल यात्रा किराये पर निरस्त कर की एवज मे अनुदान	34
कुल जाड (अ)	4614

(आ) सहायता-अनुदान	
(i) योजना भिन्न रेवेन्यू घाटे (non plan revenue deficit)के लिये (पूरा)	486
(ii) योजना रेवेन्यू घाटे (plan revenue deficit) के लिये (अशत)	960
कुल जोड़ (आ)	1446
(इ) राहत-व्यय को पूरा करने हेतु अनुदान	465
कुल (अ) + (आ) + (इ)	6525

राजस्थान के हिस्से मे कुल अतरण लगभग 6525 6 करोड़ रुपये दर्शाया गया है (हमने निकटतम लिया है) जो कुल अन्तरणो (106036 करोड रुपये) का 6 15% आता है।

कुल अतरणो मे कुछ राज्यो के अश इस प्रकार हैं [1]

	(1990-95) (प्रतिशत में)
(i) उत्तर प्रदेश	16 46
(ii) बिहार	10 54
(iii) मध्य प्रदेश	7 40
(iv) पश्चिम बगाल	6 99
(v) आन्ध्र प्रदेश	6 83
(vi) राजस्थान	6 15

इस प्रकार नवें वित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को प्रति वर्ष केन्द्र से लगभग 1300 करोड रुपये की राशि के अन्तरित होने का अनुमान है जबकि 1989 90 के लिये यह राशि 651 करोड रुपये मात्र थी।

जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है आठवे व नवें वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार कुल अन्तरणों में राजस्थान का हिस्सा इस प्रकार रहा [2]

1 नवें वित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट 1990 95 के लिये दिसम्बर 1989 (हिन्दी सस्करण) पृ 35

2 M Govinda Rao Some Conceptual and Methodolog cal Comments EPW June 9 1990 p 1276

	आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार (1984-89) प्रतिशत मे	नवे वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट के अनुसार (1989-90 के लिए (प्रतिशत मे)	नवे वित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट के अनुसार (1990-95) के लिये (प्रतिशत में)
राजस्थान	4 25	4 77	6 15

इन अतरणो के अलावा राजस्थान को ऋण-राहत सहायता के बतौर 1990-95 के दौरान वापस अदायगी मे राहत (relief in repayments) 123 53 करोड रुपये तथा अन्य ऋण-राहत 20 45 करोड रुपये की दी गई। यह कुल लगभग 144 करोड़ रुपये हो जाती है। अत ऋण-राहत सहायता के रूप मे भी राजस्थान को लाभ प्राप्त हुआ।

नवे वित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट (1990 95) की सिफारिशो की समीक्षा-

नवाँ वित्त आयोग काफी विवाद व बहस का विषय रहा है। इसकी द्वितीय व अन्तिम रिपोर्ट मे 1990 95 की अवधि के लिये सिफारिशे पेश की गयी थीं। इनकी प्रमुख आलोचनाएँ इस प्रकार है।

(1) *केन्द्र की अनुमानित राजस्व-प्राप्तियों का राज्यों को (1985-90) की अवधि मे 22 65 प्रतिशत अश अन्तरित किया गया था, जबकि 1990-95 की* **अवधि में यह 22.74 प्रतिशत बनता है। स्मरण रहे कि 1990-95 के अन्तरणों मे राजस्व-पक्ष के योजना-अनुदान (plan grant) भी शामिल हैं, जो 1985-90 के लिये शामिल नहीं हैं। यदि इनको हटा दिया जाये तो नवे वित्त आयोग द्वारा राज्यों की तरफ किये गये अतरण 22.74% से घटकर 20.81% ही रह जाते हैं। इस प्रकार नवे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र ने अपनी राजस्व-प्राप्तियों का अधिक अनुपात अपने पास रखा और कम अनुपात राज्यो को वितरित किया।**

(2) *नवें वित्त आयोग ने राजस्थान के लिए 1990-95 की अवधि में* विपदा-राहत कोष (Calamity Relief Fund) के लिए 620 करोड़ रुपये की सिफारिश की है जो भूतकाल मे सूखे की गम्भीरता को देखते हुए अपर्याप्त प्रतीत होती है, क्योंकि अकेले 1987-88 में राहत कार्यों पर 617 करोड रुपये व्यय करने पडे थे। यह राशि आठवीं योजना की सम्पूर्ण अवधि के लिए प्रस्तावित कुल विपदा राहत कोष की राशि के लगभग बराबर है।

(3) **नवें वित्त आयोग ने 1990-95 की अवधि के लिए राजस्थान के लिए प्रति व्यक्ति रेवेन्यू का अनुमान 280 रुपये लगाया है जो देश में**

सर्वाधिक है, जबकि हरियाणा मे प्रति व्यक्ति रेवेन्यू बचत (revenue surplus) 1454 रुपये तथा महाराष्ट्र मे 1383 रुपये आकी गयी है। पिछले 15 वर्षों मे राज्य मे कर राजस्व (tax revenue) मे वृद्धि दर 16 5% वार्षिक रही है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 14% ही रही है। अत राज्य मे साधन सग्रह का क्षेत्र काफी सीमित हो गया है क्योंकि भूतकाल में इस दिशा मे काफी प्रयास किया जा चुका है।

(4) वैसे राज्यों को 1990 95 मे भी आय कर का 85% तथा सघीय उत्पादन शुल्क का 45% अश वितरित किया गया था लेकिन पिछली बार सघीय उत्पादन शुल्क का 5% घाटे के राज्यो मे वितरित किया गया था इस बार उत्पादन शुल्क के राजस्व के 45% का 16.5% घाटे के राज्यो को दिया गया जिससे अन्य राज्यो के बीच वितरण की प्रभावपूर्ण राशि 40% से घटकर 37 575% रह गयी। इस प्रकार राज्या का उत्पादन शुल्क मे अश वस्तुत कम हो गया है।[1]

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि नवे वित्त आयोग द्वारा अन्य राजस्व प्राप्तियो का कम अश ही राज्यो को अन्तरित किया गया है।

लेकिन जैसा कि पहले कहा जा चुका है राजस्थान के हिस्से मे कुल केन्द्रीय अन्तरणो का 6 15% अनुपात आया है जो आठवें वित्त आयोग के 4 25% अनुपात से अधिक है। इससे राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पडा है। विपदा राहत कोष मे केन्द्र द्वारा 75%व राज्यो द्वारा 25% राशि दिये जाने से भी राजस्थान को लाभ प्राप्त होगा। अत चाहे केन्द्र की कुल राजस्व-प्राप्तियो का समस्त राज्यो में कम अश अन्तरित हुआ हो, लेकिन राजस्थान का अपना अश पहले से ऊँचा हुआ है। इस पर राज्य के मुख्यमत्री ने भी काफी सतोष प्रकट किया है।

दसवें वित्त आयोग का गठन व कार्य क्षेत्र

जैसा कि पहले सकेत किया गया है दसवाँ वित्त आयोग श्री के सी पत की अध्यक्षता मे 15 जून 1992 को गठित किया गया है। इसके अन्य सदस्य काँग्रेस (इ) के सासद डॉ देवी प्रसाद पाल आध्र सरकार के पूर्व सचिव बी पी आर. विट्ठल योजना आयोग के सदस्य डॉ सी रगराजन व हरियाणा के एक पूर्व आई ए.एस अधिकारी एम सी गुप्ता (सदस्य सचिव) है। आयोग को अपनी रिपोर्ट 1995 2000 की अवधि के लिए 30 नवम्बर 1993 तक पेश करनी है।

पूर्व आयोग की भाति दसवाँ वित्त आयोग भी आयकर, सघीय उत्पादन शुल्को, अतिरिक्त उत्पादन शुल्को निरस्त रेलवे यात्री कर की एवज मे राज्यो को दिये जाने वाले अनुदानो आदि मे राज्यों के अश व आवटन के आधार आदि पर अपनी सिफारिशें पेश करेगा।

यह अपनी सिफारिशें पेश करते समय निम्न बातों पर ध्यान देगा-

---

1 EPW editorial March 24 1990 p 580 गणना का स्पष्टीकरण अगले पृष्ठ पर।

(i) राज्य सरकारो व केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियो व व्यय के बीच सतुलन के उद्देश्य के साथ साथ पूँजीगत विनियोग के लिए बचत सजित की जा सके तथा गजकोषीय या फिस्कल घाटा कम किया जा सके

(ii) केन्द्रीय सरकार के साधनों पर ध्यान दिया जा सके व सार्वजनिक प्रशासन सुरक्षा व सीमा सुरक्षा ऋण सेवा व अन्य दायित्वो को पूरा करने पर ध्यान दिया जा सके

(iii) पूँजीगत परिसम्पत्तियो के रख रखाव पर होने वाले व्यय पर ध्यान देना

(iv) राज्यो की प्रशासन की आधुनिकीकरण की आवश्यकता जैसे भूमि रिकार्डो का कम्प्यूटरीकरण आदि की जरूरतो पर विचार करना

(v) 1 अप्रेल 1995 से 5 वर्ष के लिए राज्यो के राजस्व साधनो (1993 94 के कराधान के स्तरो के आधार पर) योजना के लिए अतिरिक्त साधन सग्रह के लक्ष्यो व अतिरिक्त करो की सम्भावना पर विचार करना

(vi) राज्यो के गैर योजना राजस्व व्यय की जरूरतों को ध्यान मे रखना

(vii) राज्यो के कर प्रयासो पर ध्यान देना

(viii) राज्यो द्वारा सिचाई व विद्युत परियोजनाओ परिवहन व विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमो व सार्वजनिक उपक्रमो मे लगे विनियोगो से उचित प्रतिफल प्राप्त करने पर विचार करना तथा

(ix) व्यय मे कार्यकुशलता व किफायत बरतते हुए बेहतर फिस्कल प्रबध के क्षेत्र पर विचार करना।[1]

आयोग वर्तमान विपदा राहत कोष की भी समीक्षा करके उचित सुझाव देगा। यह 31 मार्च 1994 को समाप्त होने वाली अवधि मे राज्यो की कर्ज की स्थिति का मूल्याकन करके उसमे सुधार के उपाय सुझायेगा लेकिन ऐसा करते समय वह केन्द्र की वित्तीय आवश्यकताओ को भी ध्यान मे रखेगा। आयोग अपने निष्कर्षों का आधार स्पष्ट करगा तथा राज्यवार राजस्व व व्यय के अनुमान प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पहली बार सरकार ने वित्त आयोग को फिस्कल घाटा कम करने का उद्देश्य अपने सामने रखने के लिए कहा है। साथ ये राज्य सरकारा द्वारा बेहतर साधन सग्रह व फिस्कल प्रबध पर विशेष रूप से बल दिया गया है।

---

1 [गणना का स्पष्टीकरण घाटे के राज्यो को (45% x 16 5%) 7 425% मिलेगा जिसमे अन्य राज्यों के हिस्से में (45% — 7 425%) 37.575% आयेगा जबकि पहले यह 40% आता था ।]

गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत केन्द्र के योजना हस्तान्तरणो मे राजस्थान का अश

(Share of Rajasthan in central plan transfers under Gadgil formula)

वित्त आयोग द्वारा राज्यों की तरफ किये गये हस्तान्तरण वैधानिक हस्तान्तरण (Statutory transfers) कहलाते है। इनके अलावा राज्यो के लिए दो प्रकार के हस्तान्तरण और किये जाते है जो इस प्रकार होते है (i) योजना हस्तान्तरण (plan transfers) जो योजना आयोग द्वारा निर्धारित आधारो पर तथा प्रोजेक्टो के लिए किये जाते है (ii) ऐच्छिक हस्तान्तरण (discretionary transfers) संविधान की धारा 282 के तहत राज्यो को केन्द्र चालित स्कीमो (centrally sponsored schemes) तथा विभिन्न गैर योजना उद्देश्यो के लिए सघीय मत्रालयो द्वारा किये जाते है।

योजना-हस्तातरण का सूत्र (फार्मूला) - योजना हस्तान्तरण का गाडगिल फार्मूला (जो तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डी आर गाडगिल के नाम से प्रसिद्ध हो गया है) 1969 मे लागू किया गया था। इसके आधार पर चौथी व पाचवीं योजनाओ मे राज्यो की तरफ योजना हस्तान्तरण किये गये थे। इसे 1990 मे सशोधित किया गया जिसके आधार पर छठी व सातवीं योजनाओ मे योजना हस्तान्तरण किये गये। पुन 11 अक्टूबर, 1990 को गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन प्रस्तावित किया गया था।

लेकिन कई मुख्य मत्रियो द्वारा आग्रह किये जाने पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता मे एक समिति नियुक्त की गई जिसे गाडगिल फार्मूले की जाँच का काम सोपा गया। इसके सदस्य वित्त मत्री डॉ मनमोहन सिह व योजना आयोग के सदस्य डॉ सी रगराजन थे। इसे आठवीं योजना (1992 97) के लिए सशोधित गाडगिल फार्मूला सुझाने के लिए कहा गया था।

बाद मे इस पेनल के सुझावो पर 24 दिसम्बर, 1991 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक मे विचार करके आम सहमति से जो फार्मूला स्वीकृत किया गया उसमे जनसख्या को (1971 के आधार पर) 60% भार, प्रति व्यक्ति आय को 25% भार (विचलन विधि से 20% तथा दूरी विधि से 5% भार) कर-प्रयास, फिस्कल प्रयास व कार्य सम्पादन (Performance) के आधार पर 7 5% भार तथा शेष 7 5% भार विशिष्ट समस्याओ के लिए दिया गया। कार्य सम्पादन में (i) जनसख्या नियत्रण व मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य मे राज्यो की कार्य सिद्धि (ii) प्राथमिक शिक्षा व प्रौढ साक्षरता का सार्वभौमिकीकरण तथा (iii) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओ की समय पर पूर्ति नामक तीन राष्ट्रीय महत्व के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र रखे गये। 24 दिसम्बर, 1991 के नये भार भी अग्र तालिका में शामिल किये गये है।

गाडगिल फार्मूले के इन तीनो रूपों को निम्न-तालिका मे दर्शाया गया है -

आधार	मूल गाडगिल फार्मूला (1969) चौथी व पाचवी योजनाओं मे लागू	संशोधित (Modified) गाडगिल फार्मूला 1980 (छठी व सातवीं योजनाओं मे लागू)	परिवर्तित (Revised) गाडगिल फार्मूला (11 अक्टूबर 1990)	संशोधित (Modified) फार्मूला (24 दिसम्बर 1991)
(i) जनसख्या (1971 की जनसख्या के आधार पर)	60	60	55	60
(ii) प्रतिव्यक्ति आय	10	20	25	25
(iii) चालू सिचाई व शक्ति परियोजनाए	10			
(iv) कर-प्रयास	10	10		
(v) राज-कोषीयप्रबन्ध (Fiscal management)			5	7 5*
(vi) विशेष समस्याए	10	10	15	7 5
योग	100	100	100	100

* यह भार कर प्रयास, राजकोषीय प्रबन्ध व अन्य क्षेत्रों में राज्यों की उपलब्धियों के आधार पर है।

इस प्रकार राज्यो के लिए योजना-हस्तान्तरण के लिए 24 दिसम्बर, 1991 से सशोधित किये गये गाडगिल सूत्र मे जनसख्या को 60 प्रतिशत भार दिया गया है। प्रति व्यक्ति आय का 25 प्रतिशत, कर-प्रयास, फिस्कल प्रबंध व कुछ क्षेत्रों में राज्यों के कार्य-सम्पादन व कार्य-सिद्धि को 7 5% तथा विशेष समस्याओं को 7 5 प्रतिशत भार दिया गया है।

कर-प्रयास का अर्थ- इसमें राज्य की आय में करो के राजस्व का अनुपात देखा जाता है, अथवा प्रति व्यक्ति कर-राजस्व को प्रति व्यक्ति राज्य की आय के अनुपात के रूप में देखा जाता है। यह आधार प्रतिगामी (regressive) होता है, क्योंकि यह ऊँची आमदनी वाले राज्यों को ज्यादा लाभ पहुँचाता है। इसका कारण यह है कि कर का आय से अनुपात इसलिए बढता है कि ऊँची आय वाले राज्यो की कर देय क्षमता ऊँची होती है। इस हिसाब से कई विकसित राज्य बेहतर 'कर-प्रयास' कर पाते हैं चाहे वे अपनी प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए कम साधन ही एकत्र कर पा रहे हो। इसी प्रकार गरीब राज्यो को नीचे कर-आय अनुपात के कारण केन्द्र की तरफ से साधन-आवटन मे घाटा उठाना पडता है, चाहे वे अपनी तरफ से बेहतर कर-प्रयास कर रहे हो।

राजकोषीय प्रबध (Fiscal management) इस कमी को दूर करने के लिए 1990 मे कर-प्रयास की जगह 'राजकोषीय प्रबध' को लागू करने का सुझाव पेश किया गया था। राजकोषीय प्रबध मे यह देखा जाता है कि उस राज्य ने योजना आयोग से स्वीकृत कराये गये साधन-सग्रह के लक्ष्यो (targets) की तुलना में वास्तविक (actual) साधन-सग्रह कितना किया है। वित्त मत्रालय कर-प्रयास गैर-योजना खर्च मे की गई किफायत को भी देखता है। अत यह 'कर प्रयास' की तुलना मे अधिक व्यापक होता है। राजस्व-घाटो मे वृद्धि को देखते हुए 'राजकोषीय प्रबध' की अवधारणा ज्यादा महत्व रखती है। इसमे साधन-सग्रह के साथ व्यय की मितव्ययिता पर भी ध्यान दिया जाता है। चूँकि कमजोर साधन आधार के कारण कम आय वाले राज्य को हानि हो सकती है, इसलिए इसे 1990 के गाडगिल-सूत्र मे केवल 5% भार ही दिया गया था।

1990 के परिवर्तित गाडगिल सूत्र मे 'विशेष समस्याओं' को 15% का भार दिया गया था ताकि यदि कोई राज्य घाटे मे रह जाये तो उसे विशेष समस्या के तहत मदद दी जा सके। लेकिन यह बहुत कुछ ऐच्छिक श्रेणी का माना जायेगा क्योंकि इसमे साख्यिकी व गणित लगाना आसान नहीं होता, जैसा कि सूत्र के अन्य आधारो में पाया जाता है। 1991 के सशोधित सूत्र मे इसे 7 5% भार ही दिया गया है।

विशेष समस्याओ मे निम्न सात विशेष समस्याएँ रखी गयी है -

(i) तटीय क्षेत्र
(ii) विशेष पर्यावरणीय प्रश्न
(iii) बाढ व सूखा-सभावित क्षेत्र
(iv) विशेष रूप से कम या अधिक घनत्व वाले जनसख्या के क्षेत्र
(v) न्यूनतम वाछित किस्म का योजना-आकार प्राप्त करने के लिए विशेष वित्तीय कठिनाइयाँ
(vi) रेगिस्तानी समस्याएँ
(vii) शहरी क्षेत्रो की गदी बस्तियाँ

योजना-आयोग ही विशेष समस्याओ के बारे मे फसला कर पायेगा। यदि राजनीतिक प्रभावों से बचा जा सके तो यह आधार बहुत लाभकारी बनाया जा सकता है।

योजना हस्तान्तरणो की राशि मे कर्ज व अनुदानो (loans and grants) का अनुपात गैर-विशिष्ट श्रेणी (non special category) के राज्यो के लिए 70 30 रखा गया है अर्थात 70% कर्ज तथा 30% अनुदान रखा गया है। यह विशिष्ट श्रेणी (special category) के राज्यो असम हिमाचल प्रदेश जम्मू व कश्मीर, मनीपुर, मेघालय नागालेण्ड सिक्किम व त्रिपुरा के लिए 10:90 अर्थात् 10% कर्ज तथा 90% अनुदान के रूप मे रखा गया है। इसलिए उनके लिए अनुदान का अश 90% है जबकि गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यो (जिनमे राजस्थान भी आता है) के लिए केवल 30% ही रखा गया है।

सशोधित सूत्र मे प्रति व्यक्ति आय के लिए जो 25% भार सुझाया गया है उसमे 5% दूरी-विधि (distance method) से वितरित किया जायेगा तथा 20% विचलन-विधि (deviation method) से वितरित किया जायेगा। दूरी-विधि मे एक राज्य की प्रति व्यक्ति आय का सर्वाधिक आय वाले राज्य की प्रति व्यक्ति आय से अतर लिया जाता है, जबकि विचलन विधि मे एक राज्य की प्रति व्यक्ति आय का अतर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के औसत से देखा जाता है।

भूतकाल मे राजस्थान को योजना के तहत कितनी केन्द्रीय सहायता मिली?

निम्न तालिका मे राजस्थान को योजनाओ के लिए प्राप्त प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता की राशि, प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय (outlay) (प्रस्तावित) की राशि तथा सहायता का योजना-परिव्यय से अनुपात दर्शाया गया है।[1]

---

1 Plan Transfers to States— Revised Gadgil Formula, An Analysis Ramalingon and K N Kurup an article in EPW, March 2-9 1991 p 504

योजना	योजनाओं मे प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता(रु में)	प्रतिव्यक्ति योजना परिव्यय (रु. में)	केन्द्रीय सहायता का राज्य योजना परिव्यय से अनुपात (% मे)
चौथी	83	120	69 2
पाचवीं	113	275	41 1
छठा	255	786	32 4
सातवी	513	1164	44 1

तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य के योजना परिव्यय मे केन्द्रीय सहायता का अश चौथी योजना मे 69 2% मे घटकर छठी योजना में 32 4% हो गया। लेकिन सातवी योजना मे यह पुन बढकर 44 1% पर आ गया। इस प्रकार सातवीं योजना मे परिव्यय के लिए केन्द्रीय सहायता पर निर्भरता बढी है। 24 दिसम्बर 1991 के सशोधित फार्मूले के अनुसार राजस्थान मे प्रति व्यक्ति आय को 25% भार देने से लाभ मिलेगा लेकिन जनसख्या को 60% भार देने से (1971 की जनगणना के आधार पर) राज्य को लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उस समय राजस्थान की जनसख्या कम थी । कर प्रयास फिस्कल प्रबध व राज्यों द्वारा कार्य सम्पादन के आधार को 7 5% भार दिया गया है जिसके बारे मे प्रभाव स्पष्ट होना बाकी है। विशेष समस्याओ को 7 5% भार देने के बारे मे भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिर भी नये सूत्र को लागू करने मे इस बात की व्यवस्था की जायगी कि किसी भी राज्य का पहले वाला अश 10% से अधिक न घट जाय तथा 20% से अधिक न बढ जाये। उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य को पहले केन्द्रीय योजना हस्तान्तरणो मे 6% अश मिल रहा था तो दिसम्बर 1991 मे स्वीकृत फार्मूले मे उसे 5 4% से कम न मिले और 7 2% से ज्यादा न मिले। इस बधन से सम्भवत राज्यो में असतोष नहीं होगा और न्यायपूर्ण आवटन करना सम्भव हो सकेगा।

कुछ विचारको का मत है कि यदि पुनर्संशोधित फार्मूले में क्षेत्रफल को 10 प्रतिशत[1] इन्फ्रास्ट्रक्चर को 10 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय को 30 प्रतिशत भार दिया जाता और जनसख्या का भार घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाता और विशेष समस्याओ का 10 प्रतिशत कर दिया जाता तो सम्भवत राजस्थान को ज्यादा लाभ मिल सकता था। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिससे सभी राज्यो को एक साथ लाभ प्राप्त हो सके। यदि एक फार्मूले से राजस्थान को लाभ होता है तो उसी से अधिक जनसख्या वाले दूसरे किसी

---

1 पूर्व मुख्यमत्री श्री भैरोसिह शेखावत ने भी जून 18 1990 को राष्ट्रीय विकास परिषद् नई दिल्ली में अपने भाषण में क्षेत्रफल को कम कम 10 प्रतिशत भार देने पर बल दिया था।

2 Ib d p 505

राज्य को हानि होगी। इसलिए इस विषय पर सभी राज्यो के हितो को ध्यान मे रखकर विचार करे तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

अत ज्यादा से ज्यादा यह कहना उचित होगा कि गाडगिल फार्मूले मे 'पिछडेपन' का भार बढाया जाना चाहिए। नवे वित्त आयोग ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट (1990-95 के लिए) मे अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति व खेतिहर मजदूरों की सख्या के आधार पर पिछडेपन का सयुक्त सूचनाक (composite index of backwardness) विकसित किया है। अत यथासम्भव पिछडेपन को आधार स्वरूप मानने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है।

अत 24 दिसम्बर, 1991 को पुनर्संशोधित आम सहमति का गाडगिल फार्मूला या मुखर्जी फार्मूला पिछडे राज्यो के हितों का ज्यादा ध्यान रखेगा, क्योकि इसमें प्रति व्यक्ति आय का भार 25% रखा गया है जिसके द्वारा उनके हितो का अधिक सरक्षण सम्भव हो सकेगा। इसमे राज्यो की कार्य सिद्धि आदि को 7 5% भार देने से राज्यो को जनसख्या नियत्रण मातृत्व व बाल कल्याण, साक्षरता विस्तार, आदि क्षेत्रो मे बेहतर कार्य करके दिखाने की प्रेरणा मिलेगी। यदि किसी राज्य का अश कम होता दिखाई दिया तो उसे विशिष्ट समस्याओ की मद के अन्तर्गत अधिक मदद देकर लाभ पहुचाने का प्रयास किया जा सकेगा। इस प्रकार दिसम्बर 1991 का नया फार्मूला अधिक सतुलित, विकासोन्मुख व समताकारी प्रतीत होता है।

ऐसा कोई सूत्र ढूँढना मुश्किल है जो एक साथ सभी राज्यो के हितो का पूरा-पूरा ध्यान रख सके। लेकिन विभिन्न राज्यो के बीच सामाजिक-आर्थिक असमानता व अतर को कम करने के लिए 'पिछडेपन' को अधिक भार देना उचित माना जा सकता है।

राज्यों को योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए अधिक साधन उपलब्ध करने का एक रास्ता यह है कि वर्तमान मे जो केन्द्र-चालित स्कीमें (Centrally sponsored schemes) चल रही है (जिनकी सख्या सातवीं योजना मे 262 हो गई थी) जैसे मरु-विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) आदि , उनके कोष विकेन्द्रित नियोजन के तहत स्थानीय सस्थाओ को सौप दिये जाएँ तो राज्यों को योजना के लिए धन भी अधिक मिल जायेगा और उसका बेहतर उपयोग भी सम्भव हो सकेगा।[1] योजना आयोग के पूर्व सदस्य डॉ अरुण घोष ने कहा है कि 1990-91 में ग्रामीण विकास से सम्बद्ध केन्द्र चालित स्कीमो (CSS) पर (कल्याण व स्वास्थ्य सहित) कुल 5000 करोड रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था। यदि यह धनराशि राज्यो की योजनाओ मे व्यय के लिए मिल जाती तो उनके वित्तीय साधन काफी बढ सकते थे। भविष्य मे इस प्रकार की सुविधा मिल जाने पर वे अपनी जरूरतो के मुताबिक अधिक लाभकारी

1 दिसम्बर 1991 में इनमें से 113 स्कीमों को राज्यो को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन वित्तीय साधनों की दृष्टि से इनका अश केवल 8% ही था जो कि काफी कम था।

योजनाओं को बना पायेंगे और केन्द्र के कार्यक्रमों से बंधे नहीं रहेंगे। अब हम राजस्थान की वित्तीय स्थिति को सुधारने के विषय में आवश्यक सुझाव पेश करते हैं।

राजस्थान में राजस्व-घाटे को कम करने व वित्तीय स्थिति में सुधार के लिये सुझाव-

हम पहले देख चुके हैं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है। 1993-94 में समग्र अपूरित घाटे के लगभग 162.4 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसके वित्त-पोषण की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन मार्च 1993 के अन्त में राज्य पर कर्ज की कुल बकाया राशि 7,670 करोड़ रुपये थी जिसके ब्याज व मूलधन की किस्त को चुकाने का भार काफी अधिक बनता है। 1993-94 में इसमें और वृद्धि होगी। राज्य की वर्तमान जटिल वित्तीय स्थिति कोई एक दो वर्षों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह दीर्घकाल से चली आ रही आर्थिक समस्याओं का इकट्ठा दुष्परिणाम है। हम पहले बतला चुके हैं कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1970-71 के बाद स्थिर भावों (1980-81) पर निरंतर बढ़ने का नाम नहीं लेती। इतनी लम्बी अवधि में प्रति व्यक्ति आय का ठहराव विकास की अत्यधिक धीमी रफ्तार को ही सूचित करता है।

1968-69 से 1989-90 तक के 22 वर्षों में राज्य में 18 वर्ष अकाल व सूखे की दशाएँ पायी गईं। इनमें से 14 वर्षों में अकाल ने 20 से अधिक जिलों को प्रभावित किया। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य निरन्तर अकाल की विभीषिका से जूझता रहा है जिससे इसके राजस्व को काफी क्षति हुई है और राहत-व्यय-भार में वृद्धि हुई है। कहने का तात्पर्य है कि राज्य अकाल की समस्या पर नियंत्रण नहीं कर पाया है। राज्य की पंचवर्षीय योजनाएँ अकालों के संकट को कम कर पायी हैं। राज्य में निरन्तर जल, चारे, अनाज व रोजगार का अभाव बना रहता है। अतः राज्य के आर्थिक विकास के कार्यक्रम पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।

राज्य की वित्तीय दशा को आगामी वर्षों में ठीक करने के लिए निम्न उपाय सुझायें जा सकते हैं-

1. राजस्थान को विशिष्ट श्रेणी (special category) के राज्यों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसको योजना-हस्तान्तरणों का 90% अनुदान के रूप में मिल सके (जो वर्तमान में केवल 30% ही है)। राज्य में कई सूचकों *जैसे पावर, साक्षरता, सड़क, आदि की दृष्टि से इसकी स्थिति अन्य विशिष्ट श्रेणी* के राज्यों से अच्छी नहीं है। इसलिए इसे विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में शामिल करना जरूरी है। इससे इस पर भावी कर्ज का भार भी कम रहेगा और इसे अनुदान ज्यादा मात्रा में मिलने लग जायेंगे।

2. वित्तीय साधन बढाने के लिए बिक्री-कर व अन्य करों की वसूली में सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ करके बिक्री-कर की आय काफी बढायी जा सकती है। बिक्री कर की बकाया राशियाँ वसूल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम पहले बतला चुके हैं कि राज्य के कुल कर-राजस्व (केन्द्रीय करो मे अश सहित) का 1/3 अश बिक्री-कर से प्राप्त होता है। 1993-94 के बजट-अनुमानो मे बिक्री-कर से 1039 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान लगाया गया है। यदि इसमे 10% वृद्धि की जा सके तो लगभग 100 करोड रुपये की राशि जुटायी जा सकती है।

9-10 फरवरी 1989 को मुख्यमंत्रियो के सम्मेलन से 29 चुनी हुई मदो के लिए बिक्री-कर की न्यूनतम दरो पर आम सहमति हो गई थी। लेकिन कुछ राज्य/सघीय प्रदेशो ने बाद मे अपनी बिक्री कर की दरे इन स्वीकृत न्यूनतम दरो से भी नीची रख लीं जिससे अन्य राज्यो को राजस्व की हानि उठानी पडी। ऐसी स्थिति मे यह सुझाव दिया जा सकता है कि राष्ट्रीय आम राय का सदैव परिपालन होना चाहिए। इस सम्बन्ध मे भारत सरकार को एक युक्तिसगत प्रणाली को लागू करने मे मदद देनी चाहिए।

3. कृषि-क्षेत्र में कर-भार में वृद्धि- पिछले वर्षों में भू-राजस्व का योगदान घटकर कुल कर-राजस्व का लगभग 1% हो गया है। जिन क्षेत्रो मे सिचाई से लाभ हुआ है उनमे व्यावसायिक फसलो पर उपकर (cess) बढाकर तथा सिचाई की दरो मे वृद्धि करके कृषिगत क्षेत्र से आमदनी बढायी जा सकती है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया मे जिन वर्गों को लाभ प्राप्त होता है उन्हें करों के रूप में अधिक योगदान देना चाहिए।

4 देश मे उत्पादन व आय बढने से केन्द्र की आयकर व उत्पादन-शुल्कों से आय बढेगी जिससे राज्यो के हिस्से मे केन्द्रीय करो की अधिक राशि आयेगी। इसलिए केन्द्र को आर्थिक विकास की गति तेज करने का प्रयास करना चाहिए।

5 राज्य सडक परिवहन, राज्य सिचाई की परियोजनाओ राज्य विद्युत मण्डल व अन्य राजकीय उपक्रमो की प्रबन्ध-व्यवस्था मे सुधार करके इनके घाटो को कम करने, अथवा लाभप्रदता को ऊँचा करना होगा ताकि अकार्यकुशलता व भ्रष्टाचार को समाप्त करके ऊँचे प्रतिफल प्राप्त किये जा सके।

6 ग्रामीण विकास को जिला नियोजन से जोडने की आवश्यकता है। भविष्य में अधिक मजदूरी-रोजगार (wage employment) को बढाकर सामुदायिक परिसम्पत्तियो के निर्माण पर जोर देना चाहिए। जब तक सुदृढ कार्यक्रम पूरे नहीं होते तब तक परिसम्पत्ति-वितरण द्वारा गरीबी दूर करने के कार्यक्रमो पर धनराशि का अपव्यय नहीं करना चाहिए।

7 राज्य मे कृषि-आधारित, खनिज पदार्थ-आधारित व पशु-धन आधारित उद्योगो का विकास करके रोजगार, आमदनी व राजस्व मे वृद्धि की जा सकती

है। इसके लिए पानी, बिजली, सडक व अन्य साधनो की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। आगामी 10-15 वर्षों में उद्योगों व खनिज-पदार्थों का तेजी से विकास करके आर्थिक विकास की गति तेज की जा सकती है। इससे राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने मे भी मदद मिलेगी।

8 इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए बिजली की प्रस्थापित क्षमता व वास्तविक उत्पादन मे निरन्तर वृद्धि होनी चाहिए। रेल-परिवहन का विकास किया जाना चाहिए। औद्योगिक विकास के लिए चुने गये विकास-केन्द्रों में सडकों के निर्माण व रख-रखाव पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

9 राजस्थान मे योजनाकाल के चार दशकों (1951 से 1992 तक मे सार्वजनिक क्षेत्र में कुल परिव्यय की राशि 9355 करोड रुपये रही है जबकि 31 मार्च 1993 के अन्त मे राज्य पर अनुमानित कर्ज 7,670 करोड रु आका गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर्ज की राशि लगभग 4,364 करोड रुपये (56 9%) है। 31 मार्च 1993 के अन्त मे राजस्थान पर कुल कर्ज की बकाया राशि 25 राज्यो पर कुल कर्ज की बकाया राशि (1,43,319 करोड़ रुपये) का 5 35% रही थी। राज्य के ऋणो के सम्बन्ध मे सरकार को विभिन्न कार्य-कलापों के लिए प्राप्त ऋणो के बारे मे एक विस्तृत प्रपत्र तैयार करना चाहिए और ऋण-भार को कम करने के लिए केन्द्र पर जोर डालना चाहिए। पिछले वर्षों में राहत-कार्यों पर व्यय की गई सम्पूर्ण राशि को गैर-योजना सहायतार्थ अनुदानों मे बदलने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

10. खेप-कर (Consignment tax) लागू किया जाना चाहिए। यह कर एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने वाले माल पर केन्द्रीय बिक्री-कर को बड़े पैमाने पर टालने को रोकने के लिए लगाया जाना आवश्यक है। प्राय एक फर्म अपनी ब्राच को दूसरे राज्य मे माल भेज देती है जिसे ब्राच-ट्रासफर मानकर केन्द्रीय बिक्री-कर से बचने का प्रयास किया जाता है। खेप कर लगने से इस प्रकार की स्थिति को रोकना सम्भव होगा। यह कर अन्तर्राज्यीय बिक्री-कर की भांति लगाया व क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इस कर की आय का 50% उस राज्य को मिलना चाहिए जहाँ से माल बाहर भेजा गया है, और शेष 50% केन्द्रीय विभाजनीय कोष मे जमा किया जाना चाहिए जिसे वित्त-आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यो में आवंटित किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को खेप-कर लागू करने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिएँ।[1]

---

1 Some Issues for Development, Planning Deptt., Raj., February 1992, p 29

24 जुलाई 1989 को दिल्ली में आयोजित राज्यों के वित्त मन्त्रियों के सम्मेलन मे पूर्व मुख्यमत्री शिवचरण माथुर ने राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए निम्न सुझाव पेश किये थे।[1]

(i) वित्तीय साधनो के आवटनों में क्षेत्रफल को कम से कम 25% भार प्रदान किया जाना चाहिए।

(ii) आयकर से प्राप्त राजस्व का 85% की जगह 90% तथा सघीय उत्पादन शुल्को का 45% की जगह 60% अश राज्यो मे आवंटित किया जाना चाहिए।

(iii) अकाल व्यय के लिए वर्तमान व्यवस्था मे 50% सहायता व 50% ऋण की जगह शत प्रतिशत अकाल राहत व्यय सहायता के रूप मे केन्द्र द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

(iv) राहत कार्यों व अन्य कार्यक्रमो के लिए प्राप्त 721 करोड रुपये की ऋणराशि का अपलेखन (write-off) करने के लिए आयोग को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

(v) अल्प बचत मे एकत्र धन राशि जो राज्यो को ऋण के रूप मे दी जाती है उसे अनवरत ऋण (perpetual loan) माना जाना चाहिए, क्योंकि इसका अधिकाश भाग विद्युत व सिचाई की परियोजनाओं मे लगाया जाता है।

(vi) राज्य विद्युत मण्डल को मार्च 1990 तक दिये गये बकाया ऋणो की 1059 करोड रुपये की राशि को केन्द्र द्वारा साधारण ब्याज दर पर स्थाई ऋण (अनवरत ऋण) में बदलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। चार वर्ष पूर्व दिये गये सुझावो से स्पष्ट होता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ करने के लिए कई कदम उठाने आवश्यक हो गये हैं।

इस प्रकार राज्य सरकार को एक तरफ वित्तीय साधनो को बढाने का प्रयास करना चाहिए और दूसरी तरफ परियोजनाओ के उचित चयन उचित क्रियान्वयन व उचित प्रबन्ध व देखभाल के जरिये उन्हे लाभप्रद बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वे भविष्य मे सरकारी खजाने पर भार बढाने की बजाय उसमे पर्याप्त योगदान दे सकें।

निष्कर्ष वास्तव मे राज्य की वित्तीय स्थिति का सम्बन्ध राज्य के दीर्घकालीन आर्थिक विकास से होता है। राज्य को अपने आर्थिक साधनो विशेषकर पशु धन, खनिज पदार्थ आदि का सदुपयोग करके अपनी आमदनी बढानी चाहिए ताकि राज्य मे रोजगार बढे और भावी आर्थिक विकास के लिए वित्तीय साधन

1 पत्रिका 25 जुलाई 1989

जुटाये जा सके। प्राय वित्त-विशेषज्ञ राज्य को डावाडोल वित्तीय दशा के लिए वित्त-आयोग की सिफारिशों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं। उनका यह दृष्टिकोण रहता है कि केन्द्रीय हस्तान्तरणों में राज्य का अश नीचा रहा है और राज्य के हितों की अनदेखी की गयी है।

इसमे तो दो राय नहीं हो सकती कि अधिक वित्तीय साधनो का उपयोग करने से राज्य के आर्थिक विकास के अधिक अवसर खुलते है। इनके अभाव में विकास अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन वित्तीय साधनो के हस्तान्तरण का अभी तक कोई ऐसा फार्मूला नहीं निकला है जो सभी राज्यो को समान रूप से स्वीकार्य हो। इसका कारण यह है कि अलग अलग राज्यो की परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं। इसलिए सभी राज्यो को केन्द्र से उनकी आवश्यकता के अनुसार साधन मिलना सभव नहीं होता। इसलिए केन्द्र का काम सीमित वित्तीय साधनों का सर्वोत्तम आवटन व हस्तातरण करना होता है।

अत भविष्य मे केन्द्र को राजस्थान को अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिए और अकाल राहत सहायता तो पूर्णतया अनुदानों के रूप में मिलनी चाहिए, ताकि राज्य सरकार अपने सीमित साधन नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया मे लगा सके। पिछले वर्षों का अनुभव यह बतलाता है कि भविष्य मे राजस्थान को पचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य अकाल व सूखे की दशाओ से मुक्ति दिलवाना होना चाहिए।

यदि राज्य के आर्थिक नियोजन मे अकाल-निवारण के उद्देश्य को केन्द्रीय स्थान दिया जा सके तो सम्भवत इस समस्या पर कठोर प्रहार करना सम्भव हो सकता है। कुछ विद्वानो का सुझाव है कि राजस्थान मे औपचारिक पचवर्षीय योजना की प्रक्रिया व पद्धति को बन्द करके उसके स्थान पर केवल अकाल निवारण योजना ही चलायी जानी चाहिए, ताकि प्रभावित क्षेत्रो में जल, चारे, अनाज व काम धधे मे वृद्धि की जा सके। इस दिशा मे निरन्तर प्रयास करते रहने पर राज्य मे अकालों की भीषणता को घटाना सम्भव हो सकेगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हम योजना का प्रचलित प्रारूप आसानी से नहीं छोड़ सकते और हमे नियोजन की वर्तमान पद्धति को ही जारी रखना होगा। हम इतना अवश्य कर सकते है कि राजस्थान में भावी नियोजन का प्रमुख लक्ष्य अकालो से मुक्ति दिलाना रख सकें। इसके लिए भावी नियोजन मे अकाल निवारण को केन्द्रीय स्थान देना होगा और इस सम्बन्ध मे सम्पूर्ण नियोजन तत्र को एक ऐसा मोड देना होगा ताकि वह सीधे हमारी आर्थिक समस्याओ को हल करने व प्राकृतिक विपदाओं पर काबू पाने में अपना योगदान दे सके।

राज्य मे साधन-सग्रह की समस्या देश में मुद्रास्फीति की समस्या से भी जुड़ी हुई है। मुद्रास्फीति की दर के बढने से राज्य के कर्मचारी व कारखानों के श्रमिक मजदूरी बढाने के लिए आन्दोलन करने लगते हैं। उनकी मागें पूरी होने पर अगले दौर में फिर मुद्रास्फीति प्रारम्भ हो जाती है। इस प्रकार सरकार मुद्रास्फीति पर नियत्रण स्थापित करके आर्थिक

विकास की गति को तेज कर सकती है।

आशा है आगामी वर्षों मे राजस्थान के तीव्र आर्थिक विकास से राज्य की वर्तमान खस्ता वित्तीय हालत सुधरेगी और राज्य को समग्र घाटा और कम करने का अवसर मिलेगा। सरकार ने वित्तीय नियत्रण के लिए श्री ललित किशोर चतुर्वेदी की अध्यक्षता मे जो शीर्ष समिति (Apex Committee) नियुक्त की थी उसने प्रतिवर्ष लगभग 34 करोड रुपये की बचत करने के सुझाव दिये थे। अत भविष्य मे व्यय मे किफायत के उपायो पर अमल किया जाना चाहिए। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों मे वर्तमान मे जो सब्सिडी दी जा रही है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए, और उसे यथासम्भव कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि राज्य के सीमित वित्तीय साधनो पर व्यय के दबाव कम किये जा सकें। राज्य के विभिन्न जिलों मे तेजी से औद्योगिक विकास करना होगा। राज्य को हर प्रकार के अनुत्पादक व्यय पर अंकुश लगाना होगा और योजना-व्यय से अधिकाधिक सामुदायिक परिसम्पत्तियो का निर्माण करना होगा। हमे यह स्मरण रखना होगा कि वित्तीय साधन बढ़ाने की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक आवश्यकता उनके सदुपयोग व सरक्षण की है। समय समय पर होने वाली अनियमितताओ व वित्तीय घोटालो से उत्पन्न धन के अपव्यय को यथासम्भव रोका जाना चाहिए।

प्रश्न

1 विभिन्न वित्त आयोगो ने राजस्थान को करो व शुल्को की हिस्सेदारी व सहायतार्थ-अनुदान के रूप मे जो धनराशि हस्तान्तरित की है, उसके स्वरूप व मात्रा को दर्शाइये। क्या इसमे निरन्तर वृद्धि होती रही है? विवेचना कीजिए।

2 गाडगिल सूत्र क्या है? राजस्थान को इस सूत्र से अब तक योजना हस्तान्तरण की दृष्टि से क्या लाभ मिला है? क्या 24 दिसम्बर 1991 का पुनर्संशोधित गाडगिल सूत्र राजस्थान के हितो की अनदेखी करता है? इस सम्बन्ध मे अपने सुझाव दीजिये ?

3 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये

(i) नवे वित्त आयोग की सिफारिशों का राजस्थान पर प्रभाव

(ii) 1980 का गाडगिल फार्मूला व राजस्थान का योजना हस्तान्तरणो मे हिस्सा,

(iii) राज्य की वित्तीय दशा को सुधारने के उपाय,

(iv) दिसम्बर 1991 का परिवर्तित आम सहमति पर आधारित गाडगिल फार्मूला

(v) राजस्थान मे राजस्व घाटे को कम करने के उपाय

(vi) योजना हस्तान्तरणो का मुखर्जी फार्मूला।

20

राजस्थान में निर्धनता

(Povert) in Rajasthan)

पिछले दो दशको मे भारत में निर्धनता काफी चर्चा का विषय रहा है। हमारे देश की पचम पचवर्षीय योजना (1974 79) मे निर्धनता उन्मूलन को योजना के उद्देश्य के रूप मे स्वीकार किया गया था। तब से विभिन्न विद्वानो ने इस पर विशेषतया ग्रामीण निर्धनता पर, काफी लिखा है । निर्धनता की समस्या के विभिन्न पहलुओ पर प्रोफेसर वी एम दाडेकर व उनके सहयोगी नीलकन्ठ रथ सर्वश्री बी एस मिन्हास सुरेश तेदूलकर, प्रनव बर्धन मोन्टेक अहलूवालिया आदि ने अपने विचार प्रस्तुत किये है। योजना आयोग ने समय समय पर अपने अनुमान पेश किये हैं और इस समस्या के हल के लिए नीतिया निर्धारित की है।

निर्धनता की समस्या ने सरकार व नियोजको का ध्यान अपनी तरफ कई कारणों से आकर्षित किया है। एक कारण तो यह है कि पहले यह सोचा गया था कि योजनाबद्ध विकास के फलस्वरूप अपने आप गरीबी कम हो जायेगी। इसे 'विकास का ढलकने वाला या 'टपकने का प्रभाव (tncle down effect) कहा गया है। जब यह प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ और देश मे गरीबी बढती गई तो इस समस्या पर सीधा प्रहार करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम लागू किये गये जैसे एकीकृत ग्रामाण विकास कार्यक्रम, आदि। गरीबी के विषय पर ध्यान जाने का दूसरा कारण यह था कि केन्द्र की तरफ से राज्यो को वितरित किये जाने वाले वित्तीय साधना के लिए गराबा के स्तर को आधार बनाने की बात भा सोची जाने लगा। हालाकि नवे वित्त आयोग ने अपनी प्रथम रिपोर्ट मे तो गरीबी को आधार बनाने पर बल दिया था लेकिन बाद मे इसके माप की कठिनाइयो को देखते हुए अपनी दूसरी व अन्तिम रिपोर्ट मे इसके स्थान पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और खेतिहर मजदूरो की सख्या के आधार पर 'पिछडेपन का सूचनाक' तैयार करके उसे नये आधार के रूप मे अपनाने पर बल दिया था । फिर भी करोडों नर नारियों को गरीबा के जाल मे मुक्त करना नियोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए । इसलिए देश में राष्टीय व राज्यीय दोनो स्तरो पर गरीबी एक विचारणीय विषय रहा है। अत इसके माप कारणो सरकारी नीति व परिणामो पर विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक हो गया हैं।

गरीबी की रेखा का माप

सत्तर के दशक के प्रारम्भ से गरीबी की रेखा (Poverty line) को प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप मे परिभाषित किया गया था जिसका स्तर 1973 74 के मूल्यो पर ग्रामीण क्षेत्रो के लिये लगभग 49 रु व शहरी क्षेत्रो के लिये 56 6 रु आका गया था। इस सम्बन्ध मे मुख्य बात यह कही गई कि व्यय के इन स्तरो पर ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी के बराबर उपभोग और शहरी क्षेत्रो मे 2100 कैलोरी के बराबर उपभोग सम्भव हो सकेगा । इसलिए इन स्तरो से नीचे प्रात व्यक्ति प्रति माह खर्च करने वाले व्यक्ति गरीब माने गये। बाद मे गरीबी की रेखा मे कीमत सूचनाको के आधार पर आवश्यक परिवर्तन किये जाते रहे। 1983 84 मे भावो पर ग्रामाण क्षेत्रो के लिये यह गरीबी की रेखा 101 80 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह का व्यय मानी गई और शहरी क्षेत्रो के लिये यह 117 50 रुपये मानी गई । 1991 92 के भावो पर ये क्रमश 181 50 रु व 209 50 रु आकी गई है ।

सातवी योजना मे गरीबी की रेखा 1984 85 की कीमतो पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 6400 रुपये का व्यय मानी गयी थी जिसे आठवीं योजना की अवधि (1992 97) के लिये 1991 92 के भावो पर ग्रामीण क्षेत्रो के लिये 11 060 रुपये किया गया है।

स्मरण रहे कि भारत मे गरीबी की अवधारणा मे न्यूनतम कैलोरी के उपभोग (calorie intake) की गारटी दी गइ है लेकिन इसका अर्थ इस प्रकार लगाना होगा कि 1983 84 मे ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रति माह लगभग 101 80 रुपये व्यय करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तक का उपभोग कर रहा था। इससे कम व्यय करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग का यह स्तर प्राप्त नही कर रहा था, इसलिए वह गरीब था । लेकिन साथ मे यह भी ध्यान रखना होगा कि 101 80 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के व्यय से खाद्य पदार्थों से 2400 कैलोरी उपभोग प्राप्त करने के अलावा वह अन्य गैर-खाद्य-पदार्थों जैसे वस्त्र दवा आदि पर भी थोडा बहुत व्यय कर रहा था । इसलिए गरीबी की रेखा वाला व्यय प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी के उपभोग की लागत मात्र नहीं है।

भारत में गरीबी का विचार एक 'निरपेक्ष विचार (absolute concept) है क्योंकि इसे न्यूनतम कैलोरी के उपभोग से जोड दिया गया है । यदि इसे मूलभूत आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये जरूरी न्यूनतम आमदनी से जोड दिया जाता तो भी यह निरपेक्ष विचार ही माना जाता। 1973 74 से पहले 1960-61 के लिये 15 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह को गरीबी की रेखा मान कर गरीबी के अनुपात व गरीबो की सख्या ज्ञात किये गये थे।

गरीबी के सापेक्ष विचार (relative concept) में चोटी के 10% या 5%

व्यक्ति के खर्च की तुलना निम्नतम् 10% या 5% के खर्च से की जाती है। इससे असमानता का अनुमान भी लगाया जा सकता है। लेकिन हमने भारत में गरीबी के विचार को निरपेक्ष रूप मे लिया है और इसे 'खुराक की मात्रा' से जोड़कर देखा है। गरीबी की सामान्य रेखा से 75% नीचे का माप 'अत्यधिक गरीबी' (ultra poverty) कहलाता है। विश्व बैंक की भारतीय अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट (1989) मे इसके अनुमान अलग से दिये गये थे ।

राजस्थान मे निर्धनता-अनुपात व निर्धनो की सख्या

आजकल प्रति पाच वर्ष मे राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण सगठन (NSSO) के द्वारा उपभोग व्यय के आकडो का उपयोग करके निर्धन व्यक्तियो की गिनती *(headcount) की जाती है। निर्धन व्यक्तियों का कुल जनसख्या से अनुपात* 'निर्धनता अनुपात (poverty ratio) कहलाता है।

1977 78 व 1983 (जनवरी-दिसम्बर) में एन एस एस (National Sample Survey) के 38 वे व 43 वें चक्रो के आकड़ो के आधार पर राजस्थान व भारत के लिए गरीबी के अनुपात ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए निम्न-तालिका मे दर्शाये गये हैं।[1]

	(प्रतिशत में)					
	ग्रामीण		शहरी		कुल	
	1977 78	1983	1977 78	1983	1977 78	1983
राजस्थान	33 5	36 6	33 9	26 1	33 6	34 3
समस्त भारत	51 2	40 4	38 2	28 1	48 3	37 4

1983 में गरीबी का सर्वाधिक अनुपात ग्रामीण क्षेत्रो में बिहार मे रहा जो 51 4% था, और शहरी क्षेत्रो मे उत्तर प्रदेश मे 40 3% रहा और दोनो क्षेत्रो को मिलाने पर भी यह बिहार मे ही सर्वाधिक पाया गया जो 49 5% था । उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान मे गरीबी का अनुपात 1977 78 तथा 1983 मे ग्रामीण व शहरी दोनो क्षेत्रो मे अलग अलग व सयुक्त रूप से समस्त भारत की तुलना मे नीचा पाया गया । **1983 में राजस्थान मे ग्रामीण क्षेत्रो में गरीबो की सख्या 105 लाख तथा शहरो मे 21 2 लाख और समस्त राज्य मे 126 2 लाख रही।**[2] **यह समस्त भारत के गरीबो का 4 66% था।**

1 Facts for you June 1991 (Annual Number 1991 92) p 59

2 Chlidern and Women in India a Situation Analysis 1990 p 139
1987 88 के योजना आयोग के प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबो की संख्या 81 लाख तथा शहरी क्षेत्रों में 19 लाख थी। इस प्रकार राज्य में कुल गरीबों की सख्या 100 लाख थी, जो देश में कुल गरीबो की सख्या 2,377 लाख का 4 2% थी। (CMIE Basic Statistics States Sept 1992 Table 7 13)

गरीबों में ज्यादातर लघु व सीमान्त किसान, खेतिहर मजदूर, ग्रामीण काश्तकार व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग, बधुआ मजदूर, अपाहिज व्यक्ति आदि आते हैं।

एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि 1977 78 से 1983 के बीच समस्त भारत व अन्य सभी राज्यो मे गरीबी का अनुपात घटा, लेकिन अकेला राजस्थान ही एक ऐसा राज्य रहा जिसमे यह अनुपात ग्रामीण क्षेत्रो मे 33 5% से बढ़कर 36 6% हो गया और दोनो क्षेत्रो को मिलाने पर 33 6% से बढ़कर 34 3% हो गया (हालांकि शहरी क्षेत्रो मे यह 33 9% से घटकर 26 1% पर आ गया था)। इस विषय को लेकर भी काफी चर्चा रही है कि आखिर राजस्थान में ही गरीबी का अनुपात 1977 78 से 1983 के बीच क्यो बढ़ा जबकि अन्य सभी राज्यो व समस्त भारत मे यह घटा था। इस अन्तर का कोई सुनिश्चित कारण बतलाना कठिन है क्योंकि यह उपभोग व्यय के आकड़ो पर आधारित है। आकड़ो से जो परिणाम निकलता है उसे प्रस्तुत कर दिया जाता है। 1987 88 के 43 वे चक्र के परिणाम काफी अनुकूल आये हैं। ये निम्न तालिका म प्रस्तुत किये जा रहे हैं।[1]

वर्ष 1987 88 के लिए गरीबी के अनुपात- राजस्थान व समस्त भारत के लिए

(प्रतिशत में)

वर्ष	राजस्थान			समस्त भारत		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
43वा चक्र 1987 88	26 0	19 4	24 4	33 4	20·1	29 9

इस प्रकार योजना आयोग के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रो मे गरीबी का अनुपात 1983 मे 36 6% से घटकर 1987 88 मे 26% एव शहरी क्षेत्रो में 26 1% से घटकर 19 4% तथा ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रो को मिलाकर 34 3% से घटकर 24 4% पर आ गया था।

अत सरकारी अनुमानो के अनुसार 1983 से 1987 88 की अवधि मे राजस्थान में गरीबी का अनुपात 11 12 प्रतिशत बिन्दु कम हुआ है। इस प्रकार यह निष्कर्ष प्रचारित किया गया है कि 1980 के दशक मे देश मे तथा राजस्थान में गरीबी का अनुपत काफी घटा है।

लेकिन दो वर्ष पूर्व सर्वश्री बी एस मिन्हास, एल अर जैन एव एस डी

1 Basic Statistics Relating to Indian Economy, Vol. II – States, Sept 1992, Table 7 13

तेन्दूलकर ने अपने एक अध्ययन में बतलाया था कि योजना आयोग ने 1987 88 के लिए निर्धनता मे जो भारी कमी का दावा किया है वह सही नहीं है। उसमें साख्यकीय दृष्टि से कमी है। यदि व्यय का मध्यम श्रेणियो के लिए सही ढग से कीमत समायोजन (appropnate pnce adjustment) किया जाये तो निर्धनता के अनुपात बदल जायेंगे ।

राजस्थान के निर्धनता के अनुपात 1983 व 1987 88 के लिए योजना आयोग के अनुसार तथा मिन्हास जैन तेन्दूलकर के अनुसार निम्न तालिका मे दिये जाते है।[1]

(प्रतिशत में)				
राजस्थान	योजना आयोग के अनुसार		मिन्हास जेन तेन्दूलकर के अनुसार	
	1983	1987 88	1983	1987 88
(i) ग्रामीण	36 6	26 0	42 0	41 9
(ii) शहरी	26 1	19 4	37 2	41 5
(iii) सम्पूर्ण राज्य	34 3	24 4	41 0	41 8

इस प्रकार योजना आयोग के परिणामो व मिन्हास जैन तेदुलकर के परिणामो में भारी अन्तर है। उपर्युक्त विशेषज्ञो के अनुसार 1983 व 1987 88 के बीच राजस्थान मे गरीबी का अनुपात (ग्रामीण एव ग्रामीण शहरी दोनो क्षेत्रो का मिला जुला) 41-42 प्रतिशत बना रहा। लेकिन शहरी क्षेत्रों के लिए यह 37% से बढकर 41 5% हो गया ।

1987 88 के लिए दोनों के परिणामो मे लगभग 17-18 प्रतिशत बिन्दु का अन्तर है जो काफी ऊँचा है। सम्पूर्ण राज्य मे गरीबी का अनुपात 1987-88 में योजना आयोग के अनुसार 24 4 प्रतिशत रहा जबकि *मिन्हास जैन तेन्दूलकर के अनुसार 41 8 प्रतिशत (लगभग 17 4 प्रतिशत* बिन्दु अधिक) रहा। इससे आँकडों की प्रामाणिकता व सार्थकता पर एक भारी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अत विशेषज्ञो की एक समिति के द्वारा ऐसे नाजुक विषय पर राय ली जानी चाहिये। हम नीचे देखेंगे कि राजस्थान मे गरीबी का अनुपात 1987 88 के लिए 24 4 प्रतिशत सही नही जान पडता क्योकि

1 योजना आयोग के परिणामो के लिये CMIE की तालिका देखे तथा मिन्हास जैन तेन्दूलकर के परिणामों के लिये उनका लेख Declinng Incidence of Poverty in the 1980 s Evidence Versus Artefacts, EPW July 6 13 1991 p 1676 table 5 (इस विषय पर यह एक प्रामाणिक लेख माना गया है)।

मे जनसख्या की अधिक तेज गति से वृद्धि, कृषि पर अधिक निर्भरता, प्रति वर्ष सूखे व अकालो के प्रकोप, औद्योगीकरण का अभाव, प्रति व्यक्ति नीची आमदनी, ऊँची शिशु-मृत्यु-दर, गरीब बस्तियो म बीमारी का प्रभाव, आम तौर पर कुपोषण व अल्प-पोषण का पाया जाना, निरक्षरता का ऊँचा अनुपात (विशेषतया ग्रामीण महिलाओ मे), जीवन की अनिवार्यताओ की बढती कीमते, स्वास्थ्य व चिकित्सा की सुविधाओ का अभाव, पेयजल का अभाव, आवास की असुविधाएँ, शहरों मे बढती हुई गन्दी बस्तियो से उत्पन्न अनेक समस्याएँ, जल तथा वायु का बढ़ता प्रदूषण आदि गरीबी के ऊँचे अनुपात की ओर इंगित करते हैं, न कि गिरते अनुपात की ओर।

वैसे भी 1987 88 का वर्ष देश के लिए अभूतपूर्व सूखे का वर्ष रहा था। राजस्थान मे भी सूखे का व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा था। इस वर्ष खाद्यान्नो का उत्पादन घट कर लगभग 48 लाख टन पर आ गया था । अत प्रश्न उठता है कि योजना आयोग के आकडो के अनुसार राजस्थान मे निर्धनता का अनुपात 1983 मे 34 3% मे घटकर 1987 88 मे 24 4% पर कैसे आ गया ? भूतपूर्व सूखे के वर्ष मे निर्धनता-अनुपात के घटने की बात व्यवहार व सामान्य ज्ञान से मेल नहीं खाती । इसका एक स्पष्टीकरण तो यह हो सकता है कि सूखे से जो आमदनी घटी उसकी पूर्ति सरकार ने विशेष मजदूरी रोजगार-कार्यक्रमो को बढाकर की हो। इसके अलावा सम्भवत सरकार ने सावजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिक मात्रा मे खाद्य-पदार्थ स्थिर भावो पर सर्वसाधारण को उपलब्ध किये हो । लेकिन इनसे हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि 1987 88 मे राज्य मे बेरोजगारी की दरे पूर्व वर्षों की तुलना मे ऊँची पायी गयी हैं । इसलिए 1987-88 मे निर्धनता का घटता अनुपात बेरोजगारी के बढते अनुपात मे मेल नहीं खाता । इस वजह से भी मिन्हास-जैन तेन्दूलकर का राजस्थान के लिए 42% का निर्धनता-अनुपात वाला निष्कर्ष ज्यादा विश्वसनीय प्रतीत होता है।

राजस्थान मे निर्धनता को प्रभावित करने वाले निम्न - तत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है-

(1) ऐतिहासिक व भौगोलिक परिस्थितियाँ-राजस्थान एकीकरण से पूर्व 19 सामन्ती राज्यो व 3 चीफशिपो का समूह था, जिनमे सामाजिक-आर्थिक विकास काफी पिछडा हुआ था । उस समय की भूमि-व्यवस्था कृषिगत विकास के अनुकूल नहीं थी । कृषको का आर्थिक शोषण होता था । राज्य का सामन्ती वातावरण गरीबी और पिछडेपन का जनक था । इसे बदलने की नितान्त आवश्यकता थी ।

इसके अलावा राज्य के शुष्क व अर्द्ध-शुष्क प्रदेशो मे कुल भू-क्षेत्र का 60% व जनसख्या का 40% पाया जाता है । ये क्षेत्र प्राकृतिक विपदाओं जैसे

अकाल व सूखे के निरतर शिकार होते आये है जिससे गरीब विशेष रूप से त्रस्त होते हैं । उनके लिए रोजगार, आमदनी खाद्यान्न व पानी की कठिनाई उत्पन्न होती रहती है ।

(2) जनसख्या सम्बन्धी तत्व राज्य मे जनसख्या की वद्धि दर 1971 81 मे 33% तथा 1981 91 मे 28 4% रही जो भारतीय औसत दरो क्रमश 25% व 23 6% से ऊँची थी । 1981 की जनगणना के अनुसार रज्य मे लगभग 79% जनसख्या ग्रामीण थी हालाँकि 1961 मे यह 83 7% थी । 1991 मे कुल जनसख्या 4 40 करोड रही है । यदि इसका 3/4 ग्रामीण माने तो देहातो मे लगभग 3 34 करोड व्यक्ति आते हे जिनके लिए उचित स्तर के अनुकूल रोजगार व आमदनी के अवसर उत्पन्न करना सुगम काम नहीं है । इसके अलावा 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य मे अनुसूचित जाति के लोग 17 3% व अनुसूचित जनजाति के 12 4% थे जो भारत के क्रमश 16 3% व 8% से अधिक थे । इनमे गरीबी के दबाव अधिक मात्रा मे पाये जाते हैं । जिन जिलो की जनसख्या मे पिछडी जातियो का अनुपात उँचा पाया जाता है उनमे गरीबी का प्रभाव भी ज्यादा पाया जाता है । राज्य के मरु क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र जनजाति क्षेत्र व पहाडी क्षेत्र विशेषतया गरीबी के शिकार पाये जाते है ।

(3) राज्य मे श्रमिको मे आकस्मिक श्रमिको (casual workers) **के अनुपात ध वढने से भी निर्धनता पर प्रतिकूल प्रभाव आया है** । समस्त राज्य मे 1977 78 मे कुल श्रमिको मे आकस्मिक श्रमिको का अनुपात लगभग 9 5% था जो 1983 मे 11 7% तथा 1987 88 मे 19 6% हो गया । इस प्रकार कुल पाँच श्रमिको मे से एक श्रमिक आकस्मिक श्रमिक की श्रेणी मे आता है जिसके लिए कोई नियमित काम की व्यवस्था नहीं है । इससे इनके लिए पर्याप्त आमदनी के अवसर कम रहते हैं आर इनमे गरीबी पायी जाती है । राज्य मे 1981 91 की अवधि मे खेतिहर मजदूरो की सख्या मे वृद्धि हुई है ।

(4) भूमि सुधारो के क्रियान्वयन का अभाव हम पहले देख चुके हैं कि राज्य मे सीमा निर्धारण कानून को लागू करके अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनो मे बाटने के काम मे वास्तविक प्रगति कम रही है । भूमि सुधारो के बाद भी कार्यशील जोतो के वितरण मे भारी असमानता पायी जाती हे और सीमान्त व लघु जोतो का (2 हैक्टेयर तक) कुल जोतो मे अनुपात 1985 86 मे 48% रहा और इनके अन्तगत कुल कृषित क्षेत्रफल का मात्र 9 5% समाया हुआ था। अत भूमि सुधारो का गरीबी दूर करने मे योगदान बहुत कम हुआ है।

(5) कृषिगत उत्पादन में अनियमित उतार-चढाव तथा ग्रामीण निर्धनता- ग्रामीण निर्धनता का सीधा सम्बन्ध कृषिगत उत्पादन से माना गया है । राज्य मे मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता के कारण कृषिगत उत्पादन मे वार्षिक उतार चढाव बहुत आते है। जिससे सूखे व अकाल के वर्षों मे रोजगार व आमदनी

पर प्रतिकूल प्रभाव आता है । पशु पालकों के लिए भी पानी व चारे की भीषण समस्या उत्पन्न हो जाती है जिससे उनको आर्थिक क्षति का सामना करना पडता है ।

(6) राज्य मे प्रति व्यक्ति व्यय के अनुसार निर्धारित निम्नतम 20% के समूह की आर्थिक सामाजिक स्थिति अधिक दयनीय है 1983 के 38 वे चक्र के आकडो के अनुसार निम्नतम दो दशाशो (two deciles) (अर्थात व्यय के निम्नतम 10% के समूह व अगले 10% स 20% तक के समूह) मे स्वरोजगार मे लगे ग्रामीण परिवारो मे प्रति व्यक्ति मासिक व्यय राजस्थान मे 60 से 65 रुपया प्रति माह आका गया था जो काफी कम था 1981 मे 3 वर्ष तक की आयु के बच्चो मे एकीकत बाल विकास स्कीम (ICDS) की परियोजनाओ के अर्न्तगत कुपोषण का प्रभाव 8 2% बच्चो मे पाया गया । यह प्रभाव अनुसूचित जाति के 17 3% व अनुसूचित जनजाति के 8 1% बच्चो मे पाया गया था । 1983 मे 15 वर्ष व अधिक आयु के वयस्को मे 0 20% तक के निम्नतम व्यय समूह मे ग्रामीण क्षेत्रो मे साक्षरता का अनुपात पुरुषो मे 21% व महिलाओ मे 2% पाया गया । शहरी क्षेत्रो क लिए ये अनुपात इस व्यय समूह के लिए क्रमश 54% व 21 % रहे थे[1]। इससे यह स्पष्ट होता है कि निम्नतम व्यय समूह मे कुपोषण व निरक्षरता का प्रभाव अधिक है जो उनमे व्याप्त गरीबी का सूचक है ।

(7) गरीबो द्वारा खरीदे जाने वाले खाद्य पदार्थो की कीमता मे वृद्धि का निर्धनता से सम्बन्ध स्वर्गीय धर्मनारायण ने अपने अध्ययनो म इस बात पर ध्यान आकर्षित किया था कि गरीबो द्वारा खरादे जाने वाले खाद्य पदार्थो की कीमतो मे वृद्धि होने से गरीबी बढती है और इनकी कीमतो मे कमी होने स गरीबी भी कम होती हैं । ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो मे समस्त देश के विभिन्न क्षेत्रा की तरह राजस्थान मे भी गरीबो के उपभोग की अनिवार्य वस्तुओ की कीमतो म विशेषतया खाद्य पदार्थों की कीमतों मे वृद्धि हुई हे । मोटे अनाज जैसे बाजरा जौ दालो खाद्य तेलो चीनी गुड आदि के दामो मे निरन्तर वद्धि होता रही ह । इससे मजदूरी के बढने पर भी जीवन स्तर मे गिरावट आती ह । व्यवहार मे न्यूनतम मजदूरी कानून के क्रियान्वयन मे बाधा आती है ।

(8) सामाजिक सेवाओ की अपर्याप्तता राज्य मे आज भी शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा व पेयजल की पूर्ति आवश्यकता मे काफी कम पायी जाती है। मरु व पहाडी क्षेत्रो मे प्रत्येक बच्चे के लिए 1 2 किलोमीटर की दूरी म एक स्कूल की व्यवस्था करना कठिन है । राज्य मे 1988 मे ग्रामाण क्षेत्रो मे

1 India Poverty Employment and Social Services A World Bank Country Study 1989 pp 47 55

शिशु मृत्यु दर 111 थी जबकि केरल मे यह 30 ही थी। 1981 में 34 968 गावो मे से 7 861 गावो मे प्रति गाव 40 परिवार थे तथा 10 425 गावो मे प्रति गाव 40 से 100 परिवार ही थे।[1] इस प्रकार की बस्तियो मे सामाजिक सेवाओ को ठीक से पहुचाने का काम आसान नहीं होता है । इसलिए ये गाव शिक्षा पेयजल, दवा व चिकित्सा पुलिस सामान्य प्रशासन विद्युत आदि की सुविधाओ से वंचित रहे हैं । अत राज्य मे जिस तरह का जनसख्या का छितराव या फैलाव है उससे सावजनिक सेवाओ को जनता तक पहुचाना एक कठिन कार्य है । इससे भी बेकारी व गरीबी से सघर्ष करने मे बाधा पहुँचती है ।

(9) ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीबों को कॉमन प्रोपर्टी साधनो (common property resources) (CPRs) से मिलने वाली सुविधाओ मे भारी गिरावट पहले गरीब लोग गाव की कामन प्रोपर्टी का उपयोग करके कुछ लाभ प्राप्त कर लिया करते थे । इस प्रकार की कामन प्रोपर्टी मे चरागाह वन नदी के किनारे तथा उसके अन्य क्षेत्रो से प्राप्त साधन व जलग्रहण क्षेत्र तालाब वगैरह शामिल किये जाते थे । डा एन एस जोधा ने अपने एक अध्ययन मे बतलाया है कि पहले ग्रामवासियो को प्रति परिवार गाँव की कामन सम्पत्ति के उपयोग से 530 रुपये से 830 रुपये वार्षिक आमदनी हो जाया करती थी । लेकिन अब इनका निजीकरण होने स धीरे धीरे गाव के निवासियो को इनके लाभ नहीं मिल रहे हैं । जनजाति के लोगो को वनो से जलाने की लकडी नहीं मिल पाती । वैसे भी वृक्षो की अनियमित कटाई मिट्टी के कटाव व अन्य कारणो से 'परिवेश असन्तुलन की समस्या उत्पन्न होती जा रही है जिससे स्वय कामन सम्पति ही क्षीण हो गई है। इस तत्व ने भी गरीबी को बढाने मे मदद की है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजस्थान मे समस्त देश की भांति विभिन्न ऐतिहासिक सास्कृतिक भौगोलिक जनसख्या सम्बन्धी व आर्थिक तत्वो ने मिलकर राज्य की गरीबी की समस्या को प्रभावित किया है।

गरीबी की कैलोरी-आधारित अवधारणा मे दोष[2] राजस्थान के राजनीतिक क्षेत्रो में गरीबी की कैलोरी-आधारित अवधारणा सही नहीं मानी गई है। इसके निम्न कारण हैं

(i) यह पाच वर्षों मे एक बार राष्टीय सेम्पल सर्वेक्षण सगठन द्वारा उपभोग व्यय के सर्वेक्षण की सूचना पर आधारित होती है । इसलिए उम वर्ष की प्रकृति से प्रभावित होने के कारण पूर्णतया विश्वसनीय नही होती ।

(ii) गरीबी की रेखा के लिए कैलोरी की मात्रा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो के देश के सभी राज्यो के लिए एक सी मान ली गई है जो सही नहीं है क्योंकि

1 Memorandum To the Ninth Finance Commission Government of Rajasthan p 5 (गावों में परिवारों की स्थिति के लिए)

2 Papers on Perspective Plan, Rajasthan 1990-2000 AD pp 111 112

इसमे आयु, लिंग व आर्थिक क्रिया के अनुसार परिवर्तन होने जरूरी है । लोगो की ऊर्जा (energy) की जरूरत अलग अलग होती है डा वी एम राव का मत है कि केरल मे कैलोरी की मात्रा 1714 हो सकती है जबकि राजस्थान मे यह 2743 होनी चाहिये ।

अत कैलोरी की मात्रा राज्यो की विशेष परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग निर्धारित होनी चाहिए थी । इसके अलावा राजस्थान मे उपभोग मे ज्वार की प्रधानता होने से इसकी ऊँची कैलोरी के कारण राज्य मे गरीबी का अनुपात नीचा आता है जिससे वह सही स्थान का सूचक नहीं होता । राज्य आकडो मे तो कम गरीब दीखता है जबकि वास्तव मे शायद गरीब है ।

(iii) व्यय के आकडो को कीमत सूचनाको से समायोजित करने मे कठिनाई आती है । हम पहले देख चुके है कि योजना आयोग व विशेषज्ञों के निष्कर्षों मे इसी कारण से *भारी अतर पाया गया है*

(iv) अजकल गरीबी का अनुमान का सम्बन्ध कैलोरी की मात्रा के स्थान पर न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे जीवन निर्वाह के स्तर के लिए आवश्यक भोजन सामग्री के अलावा शिक्षा दवा आवास पेयजल मनोरजन आदि से करने पर जोर दिया जाने लगा है ताकि *गरीबी का अवधारणा को अधिक वैज्ञानिक* अधिक व्यापक व अधिक सार्थक बनाया जा सके । इसलिए कैलोरी से जुडा गरीबी का दृष्टिकोण अपर्याप्त व अनुपयुक्त माना जाने लगा है ।

(v) केन्द्रिय सांख्यिकीय सगठन (CSO) तथा राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण सगठन (NSSO) के निजी उपभोग पर व्यय के आकड़ो मे अतर पाया जाता है जिनमे समायोजन व समन्वय स्थापित करने की समस्या का सामना करना होता है।

राजस्थान मे निर्धनता उन्मूलन के विशेष कार्यक्रम

ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्राइसम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारटी कार्यक्रम (1989 90 मे जवाहर रोजगार योजना मे शामिल) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP) तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमो जैसे सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम मरुक्षेत्र विकास कार्यक्रम जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि का निर्धनता उन्मूलन पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभाव पडा है । लेकिन हम यहा पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम व जवाहर रोजगार योजना पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे। विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमो का विवेचन आगे चलकर एक पृथक अध्याय मे किया गया है । गरीबी और बेरोजगारी का परस्पर गहरा सम्बन्ध होने के कारण हमने यहा रोजगार कार्यक्रमो का विवेचन करना उपयुक्त समझा है ।

(1) **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम** (Integrated Rural Development Programme (IRDP) **यह निर्धनता-उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया है** । राज्य मे यह 1978 79 मे प्रारम्भ किया गया था । इसका व्यय केन्द्र व राज्यो के बीच समान रूप से बाटा गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने हुए गरीब परिवारो को दुधारू पशु (गाय भैस, भेड बकरी) बैलगाडी सिलाई की मशीने हथकरघा आदि साधन प्रदान करने के लिए सरकार अनुदान (subsidy) देती है तथा बैंको से कर्ज दिलवाने की व्यवस्था करती है। यह आशा की जाती है कि इस कार्यक्रम का लाभ उठाकर गरीब परिवार व व्यक्ति गरीबी की रेखा से ऊपर उठ पायेगे क्योंकि इस कार्यक्रम से स्वरोजगार (self employment) की व्यवस्था होती है तथा सहायता प्राप्त व्यक्तियो की आमदनी बढती है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब परिवारो को कोई परिसम्पति (asset) दी जाती है ताकि वे उसका उपयोग करके अपनी आमदनी बढा सके और गरीबी की रेखा से ऊपर आ सके ।

राजस्थान मे इस कार्यक्रम की प्रगति

यह 1978 79 मे राजस्थान के चुने हुए 112 खण्डों मे लागू किया गया था और 2 अक्टूबर 1980 मे राज्य के सभी खण्डो मे फैला दिया गया । इससे लघु व सीमान्त कृषको खेतिहर मजदूरो, गाव के गरीब कारीगरो व दस्तकारो तथा पिछडी जाति के गरीब लोगो को कुछ सीमा तक लाभ पहुँचा है ।

कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर 1990 91 के अत तक 17 62 लाख परिवार (छठी योजना मे 7 1 लाख परिवार) लाभान्वित हुए है । इनमे अनुसूचित जाति के 6 27 लाख परिवार अनुसूचित जनजाति के 3 21 लाख परिवार तथा 1 69 लाख महिलाएँ शामिल है । सरकारी सब्सिडी के अलावा वित्तीय संस्थाओं से लगभग 445 करोड रुपये कर्ज के रूप मे उपलब्ध कराये गये है ।

राजस्थान मे इस कार्यक्रम पर 1987 88 व बाद मे प्रति वर्ष लगभग 33 35 करोड रु व्यय किये गये जिससे काफी परिवार लाभान्वित हुए है। राज्य मे 1977 मे गरीबो के कल्याण के लिए अन्त्योदय योजना लागू की गई थी जिसके आधार पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया गया था ।

हाल के वर्षों की स्थिति तालिका मे दर्शायी गई है

वर्ष	कार्यक्रम पर व्यय की राशि (करोड रु मे)	लाभान्वित परिवार (लाख मे)
1991-92 (प्रस्तावित)	47 00	1 38
1992 93 (प्रस्तावित)	40 54	1 10
1993 94 (प्रस्तावित)	35 2	0 80

इस प्रकार 1993 94 के लिए इस कार्यक्रम पर धनराशि लगभग 35

करोड रुपये रखी गई है ताकि 80 हजार परिवारो को लाभ पहुँचाया जा सके। इसमें राज्य सरकार का अश आधा है । अत इस धनराशि मे राज्य-योजना मद से 17 57 करोड रुपये व्यय किया जायेगा ।

कार्यक्रम की कमिया तथा उनको दूर करने के लिए सुझाव

(i) गर-गरीब परिवारो का चुनाव - 1984 मे विकास अध्ययन सस्थान (IDS) जयपुर ने जयपुर जिले म एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपलब्धियो का अध्ययन किया था तथा जोधपुर जिले म नाबार्ड के मार्फत सर्वेक्षण किया गया था । इनमे प्राप्त परिणामो मे पता चलता है कि कार्यक्रम मे प्रगति सतोषजनक नही रही ह । जयपुर जिले म 14 7% तथा जोधपुर जिले मे 21 4% परिवार ऐसे गरीब मान लिये गये जो वास्तव म गरीब नहीं थे । जयपुर के सर्वेक्षण से पता चला कि 54% कर्ज लेने वालो ने अपने पशु बेच दिये अथवा उनके पशु मर गये। उन्हे चारे की कमी का सामना करना पडा । भेड-बकरी के सम्बन्ध मे स्थिति बहुत खराब रही । केवल 18% कर्ज लेने वाले ही गरीबी की रेखा को पार कर पाये हैं। इस प्रकार कार्यक्रम की उपलब्धिया सीमित रही हैं । सरकारी आकडो मे जिन उपलब्धियो का दावा किया गया है उनका आधार कार्यक्रम पर व्यय की राशि व लाभान्वित परिवारो की सख्या होती है जो पूर्णतया सही नहीं हैं ।

(ii) कार्यक्रमो का चुनाव लोगो की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं हुआ है । गरीब परिवारो के चुनाव व उनके लिए कार्यक्रमो के चुनाव मे बैंकों की भूमिका नगण्य रही ह । कार्यशील पूँजी का अभाव पाया गया है । लक्ष्यो के निर्धारण में गरीबो के साधनो, अवसरो व क्षमताओ पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है ।

(iii) कई मामलो मे सब्सिडी का दुरुपयोग भी हुआ है । दुधारू पशु-विशेषतया भैस देने का विषय काफी चर्चा का विषय रहा है । इस सम्बन्ध मे मुख्य शिकायत यह रही है कि कोरी कागजी कार्यवाही करके सब्सिडी की राशि प्राप्त करली गई है जबकि वास्तविक उपलब्धि कम रही है ।

(iv) बहुत गरीब लोग किसी परिसम्पत्ति (asset) को नहीं सभाल पाते। वे मजदूरी पर रोजगार करना ज्यादा पसद करते हैं ।

(v) लाभान्वित परिवारो के लिए विपणन की सुविधाओ का अभाव रहा है जिससे वे अपना माल बेच पाने मे कठिनाई का अनुभव करते रहे हैं ।

सातवीं पचवर्षीय योजना मे इस कार्यक्रम में निम्न - परिवर्तन किये गये थे-

---

1 Draft Annual Plan 1993 94, p 3 1

(i) जो लोग पहले गरीबी की रेखा से ऊपर उठ नहीं सके उनको सहायता की दूसरी किस्त (second dose) दी गयी

(ii) महिलाओ को लाभान्वित करने के लिए 30% का लक्ष्य रखा गया

(iii) प्रति परिवार विनियोग बढाया गया

(iv) निर्धनता की मात्रा व प्रभाव के अनुसार दृष्टिकोण मे समरूपता के स्थान पर चुनाव का तरीका अपनाया गया ताकि सबसे ज्यादा गरीबो को पहले व अधिक मात्रा मे मदद मिल सके ।

(v) जनता के प्रतिनिधियो व ऐच्छिक सगठनो की भागीदारी बढायी गयी

(vi) साथ साथ कार्यक्रम के मूल्याकन की प्रणाली जारी की गई तथा

(vii) सभी स्तरो पर प्रशासनिक ढाचे को मजबूत किया गया ।

आठवीं पचवर्षीय योजना (1992 97) म इस कार्यक्रम को अधिक सुदृढ बनाने के लिए निम्न दिशाओ मे प्रयास किये जायेगे

(अ) प्रति परिवार विनियोग का राशि बढायी जायेगी ।

(ब) केवल गरीब परिवारो का ही चुनाव हो सके इसके लिए चुनाव की विधि अन्त्योदय कार्यक्रम के अनुसार अपनायी जायेगी जिसमे गरीबो का चुनाव ग्राम सभाओ व लोगो की आम सलाह से करने का प्रयास किया जायेगा ।

(स) लाभान्वित परिवारो को विभिन्न विकास विभागो से जोडा जायेगा ताकि वे आगे पीछे की कडियो (forward and backward linkages) के लाभ भी प्राप्त कर सके । उदाहरण के लिए, दुधारू पशु लेने वालो के लिए चारे की व्यवस्था करनी होगी तथा पशु चिकित्सा का लाभ उन तक पहुचाना होगा (backward linkages) और दूसरी तरफ उनके दूध की बिक्री की समुचित व्यवस्था (forward linkages) करनी होगी ताकि वे उचित आमदनी प्राप्त कर सके । कार्यक्रम मे इस प्रकार की आगे पीछे की कडियो के गायब रहने से स्थानीय स्तर पर पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाती ह ।

टाइसम ग्रामीण युवावर्ग को स्वरोजगार मे प्रशिक्षण देने की स्कीम 1979 मे शुरू की गई थी । यह IRDP के अन्तर्गत ही चलाया जाता है । इसमे 18 वर्ष से 35 वर्ष के व्यक्तियो को काम का प्रशिक्षण दिया जाता है । बाद मे वे अपने रोजगार में लगने का प्रयास करते हैं । 1993 94 मे ट्राइसम पर कुल 4 8 करोड रुपये व्यय का लक्ष्य है जिसमें आधी राशी राज्य सरकार व्यय करेगी। इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण युवाओ को प्रशिक्षण देकर उन्हे स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है । 1993 94 मे इसको मिलाकर IRDP पर कुल 40 करोड रु व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमे राज्य का अश भी शामिल है।

(2) जवाहर रोजगार योजना (JRY) ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार बढाने की दृष्टि से जवाहर रोजगार योजना सबसे बडा प्रयास है । यह 1989 90 मे

प्रारम्भ की गई था । इसमे केन्द्र का अश 80% व राज्यो का 20% रखा गया है। इससे पूव ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार के दो कार्यक्रम चलाये जा रहे थ (i) राष्टीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) तथा (ii) ग्रामाण भूमिहान रोजगार गारटी कार्यक्रम (RLEGP)। 1989 90 से ये दोनो कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना मे मिला दिये गये हैं । लेकिन जवाहर रोजगार योजना का विस्तत विवेचन करने से पूव इन दोनो का संक्षिप्त परिचय दना उपयुक्त होगा ।

(अ) **राष्टीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम** यह कायक्रम अक्टूबर 1980 मे प्रारम्भ किया गया और 1 अप्रेल 1981 से यह एक नियमित कायक्रम बना दिया गया था । इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो मे मजदूरी पर रोजगार (wage employment) बढाने की व्यवस्था की जाती थी । इसके माध्यम से अकाल राहत काय भा कराये जाते थे । इस कायक्रम के अन्तर्गत पेयजल के लिए कुआ का निमाण, स्कूल-भवन दवाखाने ग्रामीण सडके लघु सिचाई व भू सरक्षण आद के काय किये जाते थे । लोगो का पोषण स्तर ऊँचा उठाने के लिए काम के बदल अनाज भी दिया जाता था । इसमे केन्द्र व राज्यो का अश 50 50 होता था ।

राजस्थान म इस कायक्रम की प्राति तीन वर्षों के लिए निम्न तालिका मे दी गई है[1]

वर्ष	खाद्यान्न के मूल्य सहित कुल व्यय राशि (करोड रु)	काम का सजन (मानव दिवसो म) (करोड में)
1986 87	65 6	9 3
1987 88	42 3	2 4
1988 89	36 9	2 27

इस प्रकार NREP के अन्तर्गत राजस्थान मे 1986 87 में 65 6 करोड रुपये का कुल व्यय करके 9 3 करोड मानव दिवस का रोजगार सजित किया गया जो सर्वाधिक था। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि यह कायक्रम 1989 90 से जवाहर रोजगार योजना मे मिला दिया गया है ।

(ब) *ग्रामाण भूमिहीन रोजगार गारटी कार्यक्रम (RLEGP)* यह कार्यक्रम अगस्त 1983 मे चालू किया गया था । इसका सम्पूर्ण व्यय केन्द्र द्वारा वहन किया जाता था ।

इसका उद्देश्य भूमिहीनो के लिए रोजगार की व्यवस्था करना होता था ताकि

1 Annual Plan, 1989 90 & 1990 91 Government of India, Planning Commission, आगे RLEGP की प्रगति के आकडे भी इन्हीं से लिये गये हैं ।

प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक के परिवार मे से कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष मे 100 दिन तक का काम मिल सके । इसमे भी कार्य लगभग वही होते थे जो NREP मे किये जाते थे जैसे सडक निर्माण पचायत व स्कूल भवन का निर्माण सिचाई,आदि ।

तीन वर्षो मे राजस्थान मे इस कार्यक्रम की प्रगति इस प्रकार रही-

वर्ष	व्यय की राशि (करोड़ रु में)	काम का सृजन (मानव दिवस में) (करोड़ में)
1986 87	24 8	1 5
1987 88	35 4	2 0
1988 89	24 7	1 25

इस प्रकार RLEGP के अर्न्तगत 1987 88 मे 35 4 करोड रु के व्यय से 2 करोड मानव दिवस का काम उत्पन्न किया गया जो सर्वाधिक था ।

जवाहर रोजगार योजना की मुख्य बात

(1) इसके द्वारा ग्रामीण निर्धन परिवारो मे प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष मे कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है ।

(ii) इसका कार्य ग्राम पचायतो के माध्यम से किया जाता है ताकि राज्यो का किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो ।

(iii) इसमे ग्रामीण महिलाओ के लिए 30% के रिजर्वेशन का प्रावधान है।

(iv) इसमे कोषो के आवटन मे अलग अलग स्तरो पर निर्धनो की सख्या पिछडेपन के सूचनाक तथा जनसख्या के आधार माने गये है । राज्यो के आवटन मे निर्धनो की सख्या,जिला स्तर पर पिछडेपन का सूचनाक तथा ग्राम पचायत स्तर पर आवटन के लिए जनसख्या को आधार बनाया गया है ।

(v) जिला स्तर पर कुल आवटन का 6% अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए इन्दिरा आवास योजना मे इस्तेमाल किया जाता है । धनराशि का उपयोग सामाजिक वानिकी सडक व भवन निर्माण आदि स्थानीय जरूरतो के मुताबिक किया जाता है ।

1989 90 मे जवाहर रोजगार योजना के अर्न्तगत राजस्थान मे 126 करोड रूपयो के व्यय से 4 39 करोड़ मानव-दिवस रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था । इसमे राज्य द्वारा व्यय की गई कुल राशि 25 2

करोड़ रुपये रखी गई थी । शेष लगभग 100 करोड रु केन्द्र का अशदान रखा गया था । 1989 90 मे वास्तविक व्यय 106 5 करोड रु हुआ और 4 44 करोड मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया जो लक्ष्य से अधिक था । 1990 91 मे इस योजना पर व्यय की गई राशि बढाकर 128 करोड रुपये कर दी गई और रोजगार-सृजन का लक्ष्य 5 34 करोड मानव-दिवस रखा गया । 1990 91 मे राजस्थान जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन मे सर्वप्रथम रहा था । 1991 92 व 1992 93 मे इस योजना पर प्रतिवर्ष कुल लगभग 150 करोड रु के प्रावधानो मे राज्य सरकार का अश 30 करोड रुपये रहा था । 1993 94 मे भी इस कार्यक्रम पर कुल 150 करोड रुपये के व्यय का लक्ष्य रखा गया है और लगभग 4 1 करोड मानव दिवस का रोजगार सृजित किया जाएगा । यह पिछले वर्ष के समान ही रखा गया है ।

इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए ग्रामीण कार्यों से सम्बन्धित प्रक्रियाओं का पूरी तरह सरलीकरण किया गया है । ग्राम पचायत को 10 हजार रु तक के कच्चे कार्य एव 50 हजार रु तक के पक्के कार्य स्वीकृत करने के अधिकार दिये गये हे । विकास की गगा को गरीब के दरवाजे तक पहुचाने का प्रयास किया जा रहा है । पहले के NREP व RLEGP के अन्तर्गत अधूरे पडे कार्यो का पूरा किया जा रहा हे । कई स्थानो पर पाठशाला-भवन सडके सामाजिक वानिकी के कार्य आदि पूरे किये जा रहे है ।

1 जनवरी 1991 से 'अपना गाव अपना काम" योजना का श्रीगणेश किया गया था । इसमे 30% राशि जन-सहयोग से व 70% राशि सरकार द्वारा देने की विधि अपनायी गयी । 1991 92 के लिए इस कार्यक्रम के वास्ते 25 करोड की राशि जवाहर रोजगार योजना मे उपलब्ध कराई गई थी । इससे ग्रामीण क्षेत्रो मे विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों को प्रोत्साहन मिला है। 1992 93 मे इस कार्यक्रम के तहत 10 करोड रु की राशि राज्य की योजना मे से उपलब्ध कराई गयी ताकि 50 करोड रुपये के कार्य करवाये जा सकें । 1993 94 से इसके प्रारूप मे परिवर्तन किया गया है । अब इस कार्यक्रम मे जनता व सरकार का अश व्यय मे आधा आधा होगा । 1993 94 मे कुल 20 करोड रुपये के प्रस्तावित व्यय मे राज्य सरकार 10 करोड रुपये व्यय करेगी ।

राजस्थान मे 1990 के दशक मे गरीबी कम करने के लिए आवश्यक सुझाव-

(1) ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो मे प्रति परिवार "दो बच्चो के नॉर्म" को लागू करना चाहिए । इसके लिए परिवार कल्याण व परिवार-नियोजन पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए ।

(2) एक व्यापक व अधिक सुनियोजित 'मजदूरी पर रोजगार कार्यक्रम'

सभी जिलो मे विकास खण्डो में चलाया जाना चाहिये जिनमे उत्पादक रोजगार के कार्यक्रम लिये जाए जो स्थानीय साधनो व स्थानीय आवश्यकताओ के अनुकूल हो । आगे चलकर IRDP आदि को भी इसमे मिलाया जा सकता है ताकि सीमित वित्तीय साधनो का रोजगार उत्पन्न करने मे सर्वाधिक उपयोग हो सके और साधनों की अनावश्यक बरबादी व फिजूलखर्ची रोकी जा सके ।

(3) भूमि सुधारो के कार्यक्रमो को समयबद्ध तरीके से लागू करने का प्रयास करना चाहिए ।

(4) पचायती राज, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण सहकारी समाज, तथा विकेन्द्रित व जिला नियोजन को साकार रूप दिया जाना चाहिए ।

(5) ग्रामीण निर्धनो का 'एक राजनीतिक सगठन बनाया जाना चाहिये जो उनके अधिकारो के लिए सघर्ष कर सके ।

(6) कृषिगत उत्पादन बढाने के लिए 'सूखी खेती की विधि को लागू करना चाहिये ताकि जल ग्रहण विकास परियोजनाओ (watershed development projects) के माध्यम से फसलो की पैदावार के साथ साथ चारे, जलाने की लकडी आदि का उत्पादन भी बढाया जा सके ।

(7) ग्रामीण उद्योगो मे उत्पादकता व गुणवत्ता वढाने का प्रयास किया जाना चाहिए ।

(8) सरकार को सामाजिक सेवाओ शिक्षा, चिकित्सा पेयजल बिजली आदि का विस्तार करना चाहिए ताकि कम आमदनी वाले लोगों को भी जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओ से वंचित न होना पडे ।

गरीबी एक सामाजिक-आर्थिक अभिशाप (socio economic curse) है। इसके कई आयाम होते है । यह एक बहुत पेचीदी समस्या है । इसका हल सुगम नही होता । फिर भी विभिन्न प्रकार के प्रयास करके इसकी तीव्रता अवश्य कम की जा सकती है और कम की जानी चाहिए । तीव्र गति से आर्थिक विकास खाद्यान्नो के उत्पादन मे वद्धि, रोजगार सजन के लिए कृषि आधारित उद्योगो का विकास सामाजिक सेवाओ शिक्षा चिकित्सा पेयजल आदि का विकास गरीबी को दूर करने के लिए अत्यावश्यक शर्तें ह । गरीबी दूर करने के लिए सामाजिक पिछडापन भी दूर करना होगा और सामाजिक कुरीतियो पर भी प्रहार करना होगा।

प्रश्न

1 गरीबी की रेखा किसे कहते ह ? राजस्थान मे गरीबी उन्मूलन के विशिष्ट कार्यक्रमो की समीक्षा कीजिये । (Raj I Yr 1992)

2 राजस्थान मे निधनता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारको का उल्लेख कीजिए । क्या वे राष्टीय स्तर पर क्रियाशील तत्त्वो से भिन्न ह ?

3 राजस्थान के सन्दर्भ मे एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना व जवाहर रोजगार योजना का विवरण देकर इसके योगदान को स्पष्ट कीजिए ।

4 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये -

(i) राजस्थान मे गरीबी की समस्या

(ii) राजस्थान मे एकीकृत ग्रामीण विकास-कार्यक्रम,

(iii) राज्य मे जवाहर रोजगार-योजना तथा,

(iv) 1987 88 मे राजस्थान मे गरीबी की स्थिति की समीक्षा ।

5 संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये -

(a) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(b) जवाहर रोजगार-योजना (Ajmer IIyr 1992)

21.

राजस्थान में बेरोजगारी
(Unemployment in Rajasthan)

राजस्थान मे जनसख्या की तीव्रगति से वृद्धि, कृषिगत विकास के उतार-चढावो तथा धीमे औद्योगिक विकास ने राज्य मे रोजगार की स्थिति को प्रभावित किया है। इस बात के स्पष्ट सकेत मिलते है कि राज्य मे बेरोजगारी व अल्पबेरोजगारी (Underemployment) की दशा बिगड़ती जा रही है। एक तरफ खुली बेरोजगारी की दरे 1980 के दशक मे बढी है तो दूसरी तरफ छिपी हुई बेरोजगारी या अल्पबेरोजगारी की स्थिति व्यापक रूप से, विशेषतया वर्षा पर आश्रित क्षेत्रो मे पायी जाती है। कृषिगत सुस्त मौसम मे लोगो को पूरा काम नहीं मिल पाता। यही नहीं बल्कि राज्य में उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षित वर्ग के लोग जैसे डॉक्टर, इन्जीनियर व कृषिगत ग्रेज्यूएट, आदि भी अपनी योग्यता व पसन्द के मुताबिक काम पा सकने मे कठिनाई महसूस करने लगे है। शिक्षित बेरोजगारी का प्रकोप निरन्तर बढता जा रहा है।

बेरोजगारी से सम्बन्धित आँकड़े

बेरोजगारी से सम्बद्ध तीन अवधारणाए राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण सगठन के पाच वर्ष मे एक बार होने वाले सर्वेक्षण के दौर से बेरोजगारी के आँकडे प्राप्त होते रहे हैं। इस सम्बन्ध मे हाल के वर्षो मे 32 वा दौर (1983) व 43 वा दौर (1987 88) की अवधि के लिए सम्पन्न किये गये है। इनमे बेरोजगारी की तीन अवधारणाओ का उपयोग किया गया है जिनका स्पष्टीकरण नीचे दिया जाता है

(1) सामान्य स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा

(Usual status concept)-

इसमें कार्य की स्थिति लम्बी अवधि के लिए देखी जाती है जैसे 1987 88 के 43 वे दौर में यह अवधि सर्वेक्षण के पिछले 365 दिनो तक के लिये निर्धारित की गई थी। **सामान्य स्थिति की बेरोजगारी वर्षभर की बेरोजगारी या दीर्घकालीन बेरोजगारी (Chronic unemployment) को बतलाती है और** *यह व्यक्तियों की सख्या में मापी जाती है।* **इसके आँकड़े दो शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाते हैं- (1) एक तो सामान्यतया मुख्य स्टेटस के अनुसार बेरोजगार** (unemployed in principal status) तथा (2) सामान्य स्टेटस (समायोजित) (usual status adjusted) के अनुसार बेरोजगार जिसमे

सहायक स्टेटस वाले श्रमिको को हटा दिया जाता है (subsidiary status workers are excluded)

हम आगे चलकर सामान्य स्टेटस (समायोजित) के आँकडो का उपयोग करेगे। इसमे मुख्य स्टेटस के अनुसार सामान्यतया बेरोजगार व्यक्तियो मे से सहायक क्रिया वाले श्रमिको को हटा दिया जाता है। स्मरण रहे कि समस्त भारत मे व अधिकाश राज्यो मे इस प्रकार की दीर्घकालीन बेरोजगारी प्राय कम पायी जाती है।

(2) साप्ताहिक स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा
(Weekly status concept)

इसके अनुसार काम की स्थिति पिछले सात दिनो की अवधि के सन्दर्भ मे देखी जाती है। वह व्यक्ति रोजगार मे लगा माना जाता है जो किसी लाभप्रद धधे मे लगा होता है तथा एक सप्ताह की सन्दर्भ अवधि (reference period) मे किसी भी दिन कम मे कम एक घण्टे काम करने की रिपोर्ट देता है। जो व्यक्ति पूरे सप्ताह मे एक घण्टे भी काम नहीं कर पाता लेकिन जो काम की तलाश मे रहता है या काम के लिए उपलब्ध रहता है वही बेरोजगार माना जाता है। इससे औसतन एक सप्ताह मे बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियो की सख्या प्रगट होती है। इसमे दीर्घकालीन बेरोजगारी के साथ साथ व बीच बीच मे होने वाली बेरोजगारी (intermittent unemployment) भी शामिल होती है जो सामान्यतया रोजगार प्राप्त व्यक्तियो मे मौसमी उतार चढाव के कारण उत्पन्न होता है।

(3) दैनिक स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा (Daily status concept)

दैनिक स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा मे व्यक्ति के कार्य की स्थिति पिछले 7 दिनो मे प्रत्येक दिन के लिए रिकार्ड की जाती है। जो व्यक्ति किसी भी दिन कम से कम एक घण्टे लेकिन चार घण्टे से कम काम कर पाता है उसे आधे दिन के लिए काम करने वाला गिना जाता है। यदि वह एक दिन मे चार या अधिक घण्टे काम कर पाता है तो वह पूरे दिन काम म लगा माना जाता है।

इसमे सर्वेक्षण वर्ष मे आमतन एक दिन मे बेरोजगार व्यक्ति दिवसो (person days) की सख्या प्रगट होती है। यह अवधारणा बेरोजगारी की सबमे ज्यादा व्यापक दर को सूचित करती है।

इसमे निम्न तीन प्रकार की बेरोजगारी के दिन शामिल होते ह

(1) दीर्घकालीन बेरोजगारी से सम्बन्धित बेरोजगारी (2) प्राय काम मे लगे लोगो के वे बेरोजगारी के दिन जिनमे सन्दर्भ सप्ताह मे वे बीच बीच मे बेरोजगार हो जाते हैं तथा (3) चालू साप्ताहिक स्टेटस की प्राथमिकता के आधार पर काम मे लगे व्यक्तियो के बेरोजगारी के दिन भी इसमे शामिल होते है। इसलिए यह बेरोजगारी का माप सबसे ज्यादा व्यापक व विस्तृत माना गया है।

राजस्थान मे बेरोजगारी की दरे-

एन एस एस के 1987-88 के 43 वें दौर के अनुसार राजस्थान मे उपर्युक्त तीनो अवधारणाओ के अनुसार बेरोजगारी की दरे निम्न-तालिका मे दर्शायी गयी है। बेरोजगारी की दर मे बेरोजगारो का कुल श्रम-शक्ति (labour force) से अनुपात देखा जाता है। स्मरण रहे कि श्रम-शक्ति मे काम मे लगे व बेरोजगार दोनो प्रकार के व्यक्ति शामिल किये जाते है।

राजस्थान मे बेरोजगारी की दरे [1]

(प्रतिशत मे)

	ग्रामीण क्षेत्र (rural)			शहरी क्षेत्र (urban)		
	सामान्य स्टेटस (समायोजित)	साप्ताहिक स्थिति	दैनिक स्थिति	सामान्य स्टेटस (समायोजित)	साप्ताहिक स्थिति	दैनिक स्थिति
पुरुष	1 9	5 4	5 9	4 1	6 4	7 2
महिला	1 3	1 9	5 2	1 0	3 1	4 2

तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य में सामान्य स्टेटस (समायोजित) के अनुसार *ग्रामीण क्षेत्रो मे बेरोजगारी की दरे बहुत नीची थी। ये पुरुष-वर्ग मे 1 9%* व महिला वर्ग मे 1 3% थीं। शहरी क्षेत्रो मे ये पुरुष-वर्ग मे अधिक 4 1% तथा महिला-वर्ग मे 1 0% ही थीं ।

दैनिक स्थिति के अनुसार बेरोजगारी की सर्वाधिक दर शहरी क्षेत्रों में पुरुष वर्ग के लिए 7 2% रही, जबकि न्यूनतम दर महिला-वर्ग के लिए शहरी क्षेत्रो मे 4 2% रही।

1987-88 मे सामान्य स्टेटस (समायोजित) (Usual status adjusted) के आधार पर राजस्थान मे बेरोजगारों की सख्या नीचे दी जाती है (ग्रामीण व शहरी तथा पुरुष व स्त्री-वर्ग के अनुसार)[2]

---

1 Key Results of Employment And Unemployment Survey All India (part I) Special Report No 1 NSS 43rd Round (July 1987 June 1988) January 1990 pp 114 116

नोट - व्यास समिति की अन्तिम रिपोर्ट, दिसम्बर 1991 के अंग्रेजी प्रारूप में साप्ताहिक स्थिति के अनुसार शहरी महिला वर्ग के लिये 7 2% तथा दैनिक स्थिति के अनुसार शहरी पुरुष-वर्ग के लिये 3 1% दिये हैं जो मूल स्रोत से मेल नहीं खाते । (रिपोर्ट, पृ 18)

2 ibid pp 114-116

(हजारो में)

ग्रामीण		कुल	शहरी		कुल	ग्रामीण व
पुरुष	महिलाए	ग्रामीण	पुरुष	महिलाएँ	शहरी	शहरी का कुल योग
161	91	252	104	9	113	365

इस प्रकार दीर्घकालीन बेरोजगारी की अवधारणा लेने पर राजस्थान मे 1987 88 मे बेरोजगारों की सख्या 3 65 लाख व्यक्ति थी। इसमे ग्रामीण क्षेत्रो मे 2 52 लाख व शहरी क्षेत्रो मे 1 13 लाख व्यक्ति थे। बेरोजगार पुरुषो की सख्या 2 65 लाख तथा महिलाओ की सख्या 1 लाख थी। इस प्रकार राज्यो मे बेरोजगारो की बकाया सख्या (backlog of unemployed) एन एस एस के 1987 88 के 43 वे दौर के अनुसार 3 65 लाख आकी गई है।

बेरोजगारो के आँकडो का दूसरा स्रोत रोजगार विनिमयालय (employment exchanges) होते है। उनके चालू (लाइव) रजिस्टर के अनुसार बेरोजगारो की सख्या राजस्थान मे 1980 मे 3 62 लाख से बढकर 1989 मे 9 12 लाख तक पहुँच गयी थी। इस प्रकार एक दशक मे इसमे काफी वृद्धि हो गई। लेकिन ये आँकडें बेरोजगारी की सही स्थिति को सूचित नहीं करते, क्योंकि (1) सभी बेरोजगार व्यक्ति इन विनिमयालयो मे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते (2) जिनको काम मिल जाता है वे अपना नाम उनके रजिस्टरों से नही हटाते तथा (3) कई लोग बेहतर काम की तलाश मे भी अपना नाम इसमे रजिस्टर करा लेते है हालांकि वे रोजगार प्राप्त होते ह। इसलिए बेरोजगारी के अध्ययन मे आजकल एन एस एस के आँकड़ो का ही ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ भी दैनिक स्थिति पर आधारित बेरोजगारी पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए क्योंकि ये आँकडे ज्यादा व्यापक श्रेणी के माने जाते है। स्मरण रहे कि हमने ऊपर 1987 88 के लिए सामान्य स्टेटस (समायोजित) के आधार पर बेरोजगारों की सख्या दी है। यह वर्ष भर की बेरोजगारी या दीर्घकालीन बेरोजगारी को सूचित करती है। नियोजन में नीति निर्धारण की दृष्टि से दैनिक स्थिति पर आधारित बेरोजगारो की सख्या पर भी ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक होता है।

राजस्थान मे अल्परोजगार
(Under employment in Rajasthan)

खुली बेरोजगारी के बजाय राजस्थान मे भी अल्परोजगार या अर्द्धरोजगार की स्थिति ज्यादा देखने को मिलती है। मौसमी बेरोजगारी इसका मुख्य रूप है। राज्य मे कृषि के लिए वर्षा पर आश्रित होने के कारण एक फसल की खेती ज्यादा पायी जाती है। आज भी लगभग 3/4 कृषि क्षेत्र असिंचित पाया जाता है। खरीफ की फसल के बाद लोगो के लिए काम बहुत कम रह जाता है। इसलिए वे अतिरिक्त काम (additional work) की तलाश मे रहते हैं। खरीफ व रबी दोनो फसलो के लिये जितना श्रम उपलब्ध होता है उसका पूरा उपयोग नहीं हो

पाता है। इसी प्रकार ग्रामीण दस्तकार भी वर्षभर पूरा काम नहीं प्राप्त कर पाते हैं और उनकी आमदनी कम पायी जाती है। कई लोग जो काम करते हैं उसकी जगह दूसरा काम तलाश करते रहते है अर्थात् वे वैकल्पिक काम (alternative work) करना चाहते हैं।

एन एस एस के आँकडो के अनुसार राजस्थान में अतिरिक्त काम चाहने वालो का अनुपात 1987-88 मे इस प्रकार रहा था-[1]

(प्रतिशत में)

	पुरुष	महिला
ग्रामीण	10 0	2 4
शहरी	4 5	6 0

इस प्रकार 1987 88 मे ग्रामीण क्षेत्रो मे 10% पुरुष अतिरिक्त काम करने के लिए तैयार थे तथा शहरी क्षेत्रो मे 6% महिलाए भी अतिरिक्त काम करने के लिए तैयार थीं। इससे राज्य मे अल्परोजगार की गम्भीर स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। सूखे व अकाल के वर्षों मे स्थिति और बिगड जाती है और लोगो को राहत कार्यों के माध्यम से सहायता पहुचानी आवश्यक हो जाती है।

1990 के दशक मे कितने लोगो के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी?

जयपुर स्थित विकास अध्ययन सस्थान (IDS) के निदेशक प्रो विजय शकर व्यास की अध्यक्षता मे *"राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या का आकार तथा भावी अनुमान"* पर नियुक्त समिति ने अपनी दिसम्बर 1991 की अन्तिम रिपोर्ट (final report) मे बतलाया था कि **1990 के आरम्भ मे राज्य मे बेरोजगारो की बकाया सख्या 4 83 लाख थी तथा 15-59 वर्ष की आयु में श्रम-शक्ति 1990 95 मे 20 5 लाख तथा 1995-2000 के बीच 23.3 लाख और बढेगी।** इस प्रकार पूर्ण रोजगार की स्थिति लाने के लिए **1990 के दशक मे कुल 49 लाख व्यक्तियो के लिए नये रोजगार की व्यवस्था करनी होगी**[2] समिति का मत ह कि इसके लिए रोजगार मे वार्षिक वृद्धि-दर 2 5 प्रतिशत प्राप्त करनी होगी ताकि वर्ष 2000 तक राज्य मे पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सके। समिति के अनुसार अस्सी के दशक मे राज्य मे रोजगार मे वार्षिक वृद्धि दर 2 1% रही थी।

1 सर्वेक्षण एन एस एस की पत्रिका स्पेशल अंक सितम्बर 1990, तालिका 56
2 Report of the Advisory Committee on Employment December 1991, p 32

रोजगार-सृजन के लिए विभिन्न कार्यक्रमो के सम्बन्ध मे सुझाव [1]

राजस्थान मे रोजगार-नीति को ठोस आधार प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि जिलेवार व आर्थिक क्रिया के अनुसार रोजगार बढाने के कार्यक्रम सुनिश्चित किये जाये।

व्यास समिति ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रो मे रोजगार-सृजन के लिए निम्न सुझाव दिये है

(1) कृषि-

समिति का मत है कि राजस्थान मे इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (चरण II) में कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र 10 10 लाख हैक्टेयर है जिसमे से सातवीं योजना के अन्त तक केवल 1 लाख हैक्टेयर ही कृषि के अन्तर्गत लाया गया है। तीन लाख हैक्टेयर के 1995 तक तथा अगले चार लाख हैक्टेयर वर्ष 2000 तक कृषि मे आने की आशा है। इस प्रकार कुल सात लाख हेक्टेयर क्षेत्र के कृषि के अन्तर्गत आने की सम्भावना है। यदि एक मुरब्बे अर्थात् 6 हेक्टेयर में काश्त करने पर वर्ष मे दो व्यक्तियो को काम दिया जा सके तो इस क्षेत्र मे 2 लाख व्यक्तियो के लिए काम सृजित किया जा सकता है। इसके लिए खेतिहर परिवारो को बसाने, उन्हे प्रशिक्षण देने, औजार प्रदान करने व बिक्री की व्यवस्था का विकास करने की आवश्यकता होगी।

सिंचित क्षेत्रो मे बहुफसल कार्यक्रम अपना कर एक लाख मानव-वर्ष का रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। इसके अलावा फल, सब्जी व फूल जैसे ऊँचे मूल्य वाली फसले उगाकर अधिक रोजगार सृजित किया जा सकता है। इसमें 5-6 लाख व्यक्तियों के लिए काम उत्पन्न किया जा सकता है।

(2) पशु-पालन, वानिकी व मछली उद्योग-

इनके प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार उत्पन्न होने के काफी आसार हैं। वर्ष 2000 तक राज्य मे पशुओ की सख्या 6 18 करोड हो जाने की आशा है। इसके लिए चारे का उत्पादन बढाना होगा। राज्य मे दूध का उत्पादन बढाया जा सकता है। कुछ प्रशीतक सयत्र और लगाये जा सकते हैं। ऊन-उद्योग के विकास की सम्भावनाए हैं। अजमेर बीकानेर, चुरू जयपुर जैसलमेर, झुन्झुनूँ पाली व सीकर जिलो मे इसके विकास की सम्भावनाए है। राज्य मे गलीचो के निर्माण मे रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है।

व्यर्थ भूमि पर वनो का विकास करके रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। इस सम्बन्ध मे लगभग 1 लाख मानव वर्ष के रोजगार का अनुमान है ।

---

1 Ibid, chapter X pp 42 71

राज्य के कुछ जिलो जैसे कोटा सवाई माधोपुर,उदयपुर,बासवाडा गगानगर, जयपुर टोक डूंगरपुर,पाली भीलवाडा तथा चम्बल इंदिरा गाँधी नहर परियोजना व माही सिचाई परियोजना क्षेत्रो मे मछली का उत्पादन बढा कर रोजगार सवर्द्धन सम्भव है।

(3) खनन

राज्य मे खनिज सम्पदा के विकास की सम्भावना है । जैसलमेर मे स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के भण्डार मिले है। बाडमेर, बीकानेर व नागौर जिलो मे लिग्नाइट कोयले के भण्डारो का विदोहन किया जाना है। राज्य मे उर्वरक उद्योग के विकास के अवसर विद्यमान हैं। क्रूड तेल व गैस के भण्डारो का पता लगाया गया है। आगामी दस वर्षों मे खनन क्रिया मे 50 हजार व्यक्तियो के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की सम्भावना प्रतीत होती है ।

(4) उद्योग

राज्य मे विनिर्माण क्षेत्र का विकास पर्याप्त मात्रा मे नहीं हुआ है। फैक्टी क्षेत्र व गैर फैक्टी क्षेत्र मे उत्पादन की नई इकाइयाँ स्थापित करके रोजगार बढाया जा सकता है। राज्य मे इलेक्टोनिक इन्जीनियरिग, रसायन, कृषि आधारित उद्योगो आदि के विकास के अवसर है। दस्तकारी हथकरघा जेम्स व ज्यूलरी आदि का विकास किया जा सकता है। गेहूँ, जौ मक्का कपास ग्वार, तिलहन गन्ना लाल मिर्च मसाले आदि के आधार पर एग्रो प्रोसेसिग इकाइयाँ स्थापित की जा सकती है। सूजी मैदा बिस्कुट, पापड भुजिया आदि पदार्थ तैयार किये जा सकते हैं। एग्रो प्रोसेसिग इकाइयो मे 1990 2000 की अवधि मे 16 हजार व्यक्तियो को अतिरिक्त रोजगार देना सम्भव हो सकता है। राज्य मे टाइनी उद्योगो दस्तकारियो व कारीगरो के कामो मे प्रयत्न करने से दस वर्षो मे 3 5 मे 5 लाख व्यक्तियों को खपा सकना सम्भव है ।

इनके अलावा उदयपुर बासवाडा डूँगरपुर, पाली व सिरोही जिलो मे नाना प्रकार के उद्योगो के विकास की सम्भावनाएँ हैं क्योंकि वहाँ आधार ढाचा (infrastructure) सुदृढ होने से कई प्रकार के स्वतन्त्र उद्योग (foot loose industries) स्थापित किये जा सकते हैं जिनका कच्चा माल बाहर से आ सकता है तथा जिनकी बिक्री की बाहर व्यवस्था की जा सकती है ।

5 पर्यटन

राज्य मे वर्ष 2000 तक देशी व विदेशी पर्यटको की सख्या बढेगी। पर्यटन के विकास के लिए होटलो, मोटलो (motels) व अन्य आधारभूत सुविधाओ का पर्याप्त विकास करके रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते है ।

6 निर्माण-कार्य --

सिचाई, सडक-निर्माण व भवन-निर्माण मे काफी श्रमिको को खपाया जा सकता है । इस क्षेत्र मे 5 8 लाख व्यक्तियो के लिए काम के अवसर जुटा पाना कठिन नहीं होगा ।

7 व्यापार, परिवहन व सेवाएँ -

अन्य क्षेत्रो मे विकास से व्यापार, परिवहन आदि क्षेत्रो में रोजगार के नये अवसर खुलते है । कृषिगत उत्पादन खनन उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन आदि के बढ़ने से व्यापार व परिवहन को विकास के नये अवसर मिलते हैं । सन् 2000 तक अतिरिक्त रोजगार के सम्बन्ध मे निम्न अनुमान प्रस्तुत किये गये है

अतिरिक्त रोजगार के अवसर	(सीमाए) (range) (लाख व्यक्तियो मे)
(1) कृषिगत फसलें उगाना	5 6
(2) कृषि-उप क्षेत्र	1 5 2
(3) खनन	3 5 5
(4) उद्योग	5 8
(5) पर्यटन	1 2
(6) निर्माण (construction)	5 6
(7) व्यापार, परिवहन व सेवाएे	14 15
कुल	35 44

आगामी दशक मे सगठित क्षेत्र मे 5 से 7 लाख रिक्त स्थान मृत्यु व अवकाश प्राप्ति के फलस्वरूप उत्पन्न होगे । अत यदि पूरा प्रयास करके *44 लाख व्यक्तियो को काम दिया जा सके तो वर्ष 2000 तक राज्य मे* **पूर्ण रोजगार की स्थिति आ सकती है ।** यदि केवल 35 लाख व्यक्तियो को ही काम पर लगाया जा सका (निचली सीमा) तो वर्ष 2000 मे बेरोजगारो की सख्या 7 से 9 लाख तक पायी जा सकती है ।

इस प्रकार राज्य मे विभिन्न क्षेत्रो मे विनियोग बढाकर तथा श्रम -गहन *विधियो का प्रयोग करके रोजगार-सवर्द्धन का प्रयास किया जाना चाहिए । इस* प्रक्रिया की देख-रेख व सचालन हेतु मुख्यमत्री की अध्यक्षता मे एक रोजगार-परिषद् (employment council) का गठन किया जाना चाहिए । व्यास-समिति ने इसकी स्थापना पर काफी जोर दिया है ।

अन्य सुझाव-

रोजगार- सवर्द्धन के वर्तमान कार्यक्रमो-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना (जिनका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है), न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुविकास कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अरावली क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आदि का पुनरीक्षण करके उनको अधिक सक्रिय किया जाना आवश्यक है । इन पर की जाने वाली धनराशि के व्यय से सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया जाना चाहिए । इनमे परस्पर समन्वय व पूरा तालमेल स्थापित किया जाना चाहिए । स्वय नियोजन का स्वरूप इस प्रकार का बनाना चाहिए कि उसी मे से ज्यादा से ज्यादा लोगो के लिए काम के अवसर उत्पन्न हो सके । तब आगे चलकर रोजगार के विशेष कार्यक्रमो पर निर्भरता कम की जा सकेगी । सच पूछा जाय तो रोजगार का एक ही व्यापक राज्यव्यापी (state - wide) कार्यक्रम जारी किया जाना चाहिए जो बेरोजगारों के लिए 'एक सुरक्षा जाल' (safety net) का काम करे और बेरोजगार लोग उससे आवश्यकतानुसार लाभ उठा सके । इसके लिए राजस्थान मे भी महाराष्ट्र के नमूने पर रोजगार-गारटी-कार्यक्रम (EGS) चालू किया जाना चाहिए । रोजगार सवर्द्धन के विभिन्न प्रचलित कार्यक्रमों की समीक्षा करके उनको अधिक युक्तिसगत व लाभकारी बनाने की आवश्यकता है । उनसे सामुदायिक परिसम्पत्तियो का सृजन (*creation of community assets*) ज्यादा से ज्यादा मात्रा मे होना चाहिए।

राजस्थान मे अस्सी के दशक मे राज्य के घरेलू उत्पति (SDP) मे 6 5% सालाना की वृद्धि हुई और रोजगार मे वार्षिक वृद्धि दर 2 1% रही । अब नब्बे के दशक मे राज्य की घरेलू उत्पत्ति की वृद्धि दर 5 5% वार्षिक अनुमानित है तथा रोजगार मे वृद्धि-दर 2 5% वार्षिक रखी गयी है ।[1] इस प्रकार नब्बे के दशक मे घरेलू उत्पत्ति में अपेक्षाकृत कम वृद्धि-दर से रोजगार की अधिक दर प्राप्त करने का प्रयास करना होगा । इसके लिए श्रम-गहन विधियों का अधिक सहारा लेना होगा । अत राज्य के समक्ष रोजगार सवर्द्धन की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। आशा है राजस्थान इस दिशा मे सफलता प्राप्त करके अन्य राज्यो के समक्ष एक उदाहरण पेश कर पायेगा । रोजगार बढाने के लिए कृषि, पशु-पालन, वानिकी, खनन, ग्रामीण उद्योग, लघु, मध्यम व बडे पैमाने के उद्योग, पर्यटन, परिवहन, सचार, बैकिग व्यापार, शिक्षा चिकित्सा आदि सभी क्षेत्रो का समुचित विकास करना होगा और विशेषतया ग्रामोत्थान पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना

---

1 इस प्रकार राजस्थान में रोजगार लोच (employment elasticity) अस्सी के दशक में 2 1/6.5 = 0.32 से बढकर नब्बे के दशक में 2 5/5.5 = 0 45 की जानी है जिसके लिए श्रम गहन विधियों का अधिक मात्रा में उपयोग करना आवश्यक होगा ।

होगा । नियोजन का स्वरूप बदलना होगा ताकि विकेन्द्रित नियोजन तथा ग्रामोन्मुख गरीबोन्मुख व लोगो की आवश्यकताओ पर आधारित नियोजन के माध्यम से सवाधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जा सके । अत 'रोजगारोन्मुख नियोजन (employment oriented planning) को सुदृढ किया जाना चाहिए ।

प्रश्न

1 राजस्थान मे बेरोजगारो की समस्या का स्वरूप व आकार क्या है ? विवेचन कीजिए ।

2 राज्य मे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम व जवाहर रोजगार योजना ने बेरोजगारी को दूर करने मे कहा तक योगदान दिया है ? समझाकर लिखिये।

3 राजस्थान में नये रोजगार के क्षेत्र किन आर्थिक क्रियाओ मे ज्यादा प्रतीत होते है ? स्पष्ट कीजिये । इस सम्बन्ध मे व्यास-समिति की अन्तिम रिपोर्ट मे दी गई सिफारिशो का उल्लेख कीजिये ।

4 राजस्थन मे बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति कारणो व सरकारी नीति का विवेचन कीजिए । क्या राज्य मे आगामी दशक मे पूर्ण रोजगार की स्थिति लाना सम्भव होगा ?

22

राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Special Area Development Programmes in Rajasthan)

राजस्थान में ग्रामीण विकास, रोजगार-संवर्द्धन व विभिन्न क्षेत्रो की विशेष किस्म की समस्याओं के हल के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। इनमे निम्न कार्यक्रम प्रमुख हैं। (i) सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, (ii) मरु विकास कार्यक्रम, (iii) जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, (iv) अरावली विकास कार्यक्रम, (v) दस्यू संभाव्य क्षेत्रों मे कन्दरा (बीहड़) सुधार कार्यक्रम (Ravine Reclamation Programme in Dacoity Prone Areas) तथा (vi) मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना। नीचे इनका क्रमशः विवेचन किया जाता है।

1. सूखा-संभाव्य (सूखा-प्रभावित) क्षेत्र कार्यक्रम (Drought Prone Area Programme) (DPAP) यह कार्यक्रम 1974-75 मे केन्द्र-प्रवर्तित स्कीम (Centrally-sponsored scheme) के रूप में प्रारम्भ किया गया था। इसकी वित्तीय व्यवस्था मे केन्द्र व राज्यों का 50 50 हिस्सा रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रो की अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। इसके लिए भूमि व जल के उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है ताकि इन क्षेत्रों में अकाल व सूखे के प्रतिकूल प्रभाव कम किये जा सकें।

इन क्षेत्रों में निम्न कार्यक्रमों पर बल दिया जाता है-

(i) मिट्टी व नमी का संरक्षण

(ii) अतिरिक्त सिंचाई की सम्भाव्यता (irrigation potential) विकसित करना,

(iii) वृक्षारोपण (afforestation) करना तथा

(iv) रोजगार-सृजन करना

सूखा-सभाव्य क्षेत्र-विकास कार्यकम के अन्तर्गत शामिल जिलों व खण्डों मे समय-समय पर परिवर्तन होता गया है । 1982-83 में इस कार्यक्रम के दायरे से वे खण्ड हटा दिये गये जो पहले मरु-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत थे। वर्तमान मे यह कार्यक्रम 8 जिलों के 30 खण्डों मे संचालित किया जा रहा है। ये जिले

इस प्रकार हैं उदयपुर, डूँगरपुर, बासवाड़ा, कोटा, झालावाड, टोक, सवाई माधोपुर व अजमेर। इन जिलो के कुछ खण्डो के नाम इस प्रकार है-

* डूंगरपुर व बासवाडा जिलो के समस्त खण्ड,
* उदयपुर जिले के खेरवाडा, झडोल व कोटरा खण्ड,
* अजमेर जिले के मसूदा व जवाजा खण्ड,
* झालावाड जिले के झालरापाटन, डग व खानपुर खण्ड,
* कोटा जिले के शाहबाद, सागोद, छेछत (Chechat) व छबरा खण्ड,
* टोक जिले मे उणियारा देवली व टोडारायसिह खण्ड तथा
* सवाई माधोपुर जिले के नाडोती व खण्डार खण्ड।

इस प्रकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति जिलो मे डूँगरपुर व बासवाडा जिलों के समस्त खण्ड शामिल किये गये है। लेकिन अन्य जिलो के चुने हुए खण्ड ही शामिल किये गये है।

सातवीं योजना मे प्रगति- इस कार्यक्रम मे कोष (funds) खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर प्रदान किये जाते है। सातवी योजना मे इस कार्यक्रम पर लगभग 23 8 करोड रुपये व्यय किये गये। इस योजना की अवधि में 21471 हेक्टेयर भूमि मे मिट्टी व नमी सरक्षण के काम किये गये, 2398 हैक्टेयर मे अतिरिक्त सिंचाई की सम्भावना उत्पन्न की गई तथा 10918 हैक्टेयर मे वृक्षारोपण किया गया।[1]

भारत सरकार द्वारा आठवी पचवर्षीय योजना मे क्षेत्रीय विकास के लिए नियुक्त कार्यकारी दल ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट मे सुझाव दिया था कि जिन खण्डो का क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर से कम हो, उनमे प्रति खण्ड विनियोग की मात्रा 30 लाख रुपये होनी चाहिए। 500 से 1000 वर्ग किलोमीटर वाले खण्डो के लिए 35 लाख रुपये तथा 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र वाले खण्डो के लिए 40 लाख रु होनी चाहिए। विनियोग के इन मापदण्डो को स्वीकार करने पर आठवीं योजना मे (DPAP) पर अधिक धनराशि का प्रावधान करना होगा। व्यय की राशि का आवटन इस प्रकार होना चाहिए- 30% भूमि-विकास व भू-सरक्षण आदि कार्यो पर, 20% जल-साधनो के विकास पर, 25% वृक्षारोपण व चरागाह विकास पर, तथा 15% अन्य क्रियाओ पर। प्रशासन-लागत 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

---

1 Eighth Five Year plan, 1992 97 March 1993 p 149 (Rajasthan)

राजस्थान सरकार ने सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के विषय मे राष्ट्रीय समिति को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन मे भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोक अजमेर, कोटा तथा झालावाड़ जिलो मे 20 नये खण्डो को सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया था क्योंकि इनमे वर्षा का औसत 500 मिलीमीटर से कम पाया जाता है और इनमें सूखा पडने की काफी सम्भावना पायी जाती है।

योजना आयोग के पूर्व सदस्य एल सी जैन की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय समिति ने अगस्त 1990 मे सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट मे यह सिफारिश की थी कि सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम राज्यो को हस्तान्तरित कर देना चाहिए ताकि राज्य सरकार इस कार्यक्रम मे अन्य क्षेत्र शामिल करने के बारे मे स्वय कोई फैसला कर सके।[1]

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) 8 जिलो मे 30 खण्डो मे चलाया जा रहा है। इनमे इसके माध्यम से भू सरक्षण नमी सरक्षण, सिचाई व वृक्षारोपण की दिशा मे प्रगति हुई है। इसे आठवीं योजना मे जारी रखा जायेगा और प्रति खण्ड विनियोग की राशि मे वृद्धि की जायेगी ताकि वाँछित परिणाम मिल सके।

इस कार्यकम पर 1992 93 में लगभग 6 5 करोड रुपये व्यय किये गये तथा भू सरक्षण, अतिरिक्त सिचाई वृक्षारोपण चरागाह विकास आदि कार्य आगे बढाये गये।

2 **मरु-विकास कार्यक्रम** (Desert Development Programme) (DDP) यह केन्द्र चालित स्कीम है और इसका सम्पूर्ण व्यय वर्ष 1985 86 से भारत सरकार वहन करने लगी है। **यह 1977-78 मे राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशो के फलस्वरूप चालू किया गया था। इसका उद्देश्य मरुस्थल को आगे बढने से रोकना व इन क्षेत्रो के लोगो की आर्थिक दशा को सुधारना है। वर्तमान में यह कार्यक्रम निम्न 11 जिलो के 85 खण्डो मे सचालित किया जा रहा है बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, चुरू, पाली, गगानगर, जैसलमेर, सीकर तथा झुन्झुनूं।**

इसमें निम्न प्रकार के कार्य किये जाते है जो सूखे की गम्भीरता को कम कर सकें जीवन की गुणवत्ता को रोजगार के अवसर बढाकर सुधार सके तथा लोगों के जीवन की अन्य दशाओ को उन्नत कर सके।

---

1 पत्रिका में समाचार 8 अगस्त 1991

(i) कृषि वानिकी (चारा व चराई के साधनों) का विकास,
(ii) पशु-पालन व भेड-पालन का विकास,
(iii) पशुओं के लिए पेयजल की पूर्ति की व्यवस्था,
(iv) लघु सिंचाई (भूजल के विकास सहित) तथा,
(v) ग्रामीण विद्युतीकरण।

सातवीं पचवर्षीय योजना मे प्रगति- सातवीं योजना मे भारत सरकार ने इस कार्यक्रम पर कुल लगभग 147 करोड़ रुपये आवटित किये थे। प्रति व्यक्ति विनियोग की राशि केवल 190 रुपये रही थी जो आवश्यकताओ को देखते हुए बहुत कम मानी गयी है। सातवीं योजना मे व्यय की वास्तविक राशि प्रस्तावित *आवटन के लगभग समान (146 5 करोड रुपये) ही रही है।* **इसके फलस्वरूप भूमि-सरक्षण व नमी-सरक्षण का कार्य 42637 हैक्टेयर मे किया गया, अतिरिक्त सिंचाई की सभावना 10367 हैक्टेयर मे उत्पन्न की गई तथा 68443 हैक्टेयर मे वृक्षारोपण किया गया एव पशुओ के लिए पेयजल की पूर्ति के लिए 3983 कार्य पूरे किये गये।**[1]

भारत सरकार द्वारा गठित क्षेत्र विकास कार्यकारी दल ने सुझाव दिया था कि मरु क्षेत्र विकास के लिए प्रति वर्ष 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के विकास के लिए विनियोग की राशि 50 लाख रुपये होनी चाहिए। अत आठवी योजना *मे इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र को अधिक धनराशि की व्यवस्था करनी होगी।*

आठवीं पचवर्षीय योजना मे मरु-विकास क्षेत्रो के समीप के क्षेत्रो **(fringe areas) के विकास पर भी बल दिया जायेगा। इनमे केवल वृक्षारोपण की क्रिया को ही आगे बढाया जायेगा ताकि मरु-क्षेत्रो को हरा-भरा बनाने की प्रक्रिया आस-पास के क्षेत्रो से प्रारम्भ होकर मरु-क्षेत्रो मे प्रवेश करे।** इसके लिए उदयपुर, अजमेर, जयपुर व सिरोही जिलो की पचायत समितियो के कुछ गावो को शामिल करने का विचार है। मरु क्षेत्रो के समीप के क्षेत्रों के *विकास का विचार काफी सही व सार्थक प्रतीत होता है। इससे बाद मे स्वय* मरु-क्षेत्रो के विकास मे काफी मदद मिलेगी।

इस कार्यक्रम पर 1992 93 मे 36 5 करोड रुपये की राशि व्यय की गई एव भूमि व नमी सरक्षण सिंचाई वृक्षारोपण व पशुओ के लिए पेयजल की सुविधा बढाने के कार्य सम्पन्न किये गये। पूर्व दो वर्षों मे भी प्रतिवर्ष लगभग 38 करोड रुपये की राशि व्यय की गई थी।

---

1 Eighth Five Year Plan 1992 97 Rajasthan p 151

जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Tribal Area Development Programme) (TADP)1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान मे 54 75 लाख जनजाति के लोग थे जो राज्य की कुल जनसख्या का 12 4% अश था। भारत मे इनका अनुपात 8% था। राज्य मे भील मीना दामोर, गरासिया व सहरिया जनजाति के व्यक्ति बसते हैं।

जनजाति के व्यक्तियो को निम्न कार्यक्रमो के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है।

(i) जनजाति उपयोजना (Tribal sub plan) - इसके अन्तर्गत बासवाडा व डूँगरपुर जिले उदयपुर जिले को सात पचायत समितिया चित्तौडगढ की दो पचाय। समितिया (प्रतापगढ व अरनोद) तथा सिरोही जिले की एक पचायत समिति (आबूरोड) शामिल है। जनजाति उपयोजना मे 66 4% जनजाति के लोग आते है। इसमे 4409 गाव व 23 पचायत समितिया आती हैं।

जनजाति उप योजना के माध्यम से जनजाति के लोगो की आर्थिक स्थिति सुधारने जनजातियो व जनजाति क्षेत्रो के विकास की सम्भावनाओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है ताकि इनके लिए न्याय व समानता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

इस कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता से साधन जुटाये जाते है तथा राज्य की योजना से कोष प्रदान किये जाते है। इनके अलावा जनजाति क्षेत्र विकास विभाग को राज्य योजना कोषों से धन दिया जाता है।

जनजाति उप योजना 1974 75 से आरम्भ की गयी थी। इसके मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार है। सिचाई शक्ति फल विकास बेर बेडिग डीजल पम्पिग से सामुदायिक सिचाई बीज व उर्वरक वितरण फार्म वानिकी (farm forestry) आदि। जनजाति के व्यक्तियो के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इनमे विद्यार्थियो को स्टाइपेण्ड भी दिया जाता है।

(ii) 'परिवर्तित क्षेत्र-विकास-दृष्टिकोण (माडा) (Modified Area Development Approach) (MADA) इसमे 13 जिलो के 2939 गावो मे 44 समूहो के जनजाति के लोग शामिल है। ये जिले इस प्रकार है अलवर, धौलपुर, भीलवाडा बूँदी चित्तौडगढ उदयपुर, झालावाड कोटा पाली सवाई माधोपुर, सिरोही टोक व जयपुर। इस कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है। यह कार्यक्रम 1978 79 से प्रारम्भ किया गया था। इसमे वैयक्तिक लाभ पहुँचाने वाली स्कीम शामिल की गई थी। माडा मे शैक्षणिक विकास पर भी ध्यान दिया गया है। पिछले वर्षों मे इस कार्यक्रम पर चार पाँच करोड रु सालाना व्यय किये गये है। आठवीं योजना (1992 97) मे इस कार्यक्रम मे शिक्षा, लघु सिचाई कार्यक्रमों हथकरघा दरी बुनाई, बढईगिरी आदि पर बल दिया जायेगा। पहले माडा के अन्तर्गत लोगो की सख्या 10 लाख व्यक्ति आकी गयी थी।

(iii) सहरिया विकास कार्यक्रम- यह 1977 78 से आरम्भ किया गया। इसमे कोटा जिले की शाहबाद व किशनगज पचायत समितियो के 50 हजार लोग शामिल हुए हैं जो 435 गाँवो मे फैले हुए हैं। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता मिलती है तथा राज्य की योजना मे भी इसके लिए प्रावधान किया जाता है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि पशु पालन कुटीर उद्योग वानिकी शिक्षा, पोषण पेयजल ग्रामीण आवास आदि पर धनराशि व्यय की जाती है ताकि इस जनजाति को लाभ पहुँचाया जा सके।

(iv) बिखरी जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम यह 1979 से प्रारम्भ किया गया था। इसका सचालन जनजाति क्षेत्र विकास विभाग (Tribal Area Development Department) (TADD) द्वारा किया जाता है। विभिन्न जिलो मे इनकी सख्या 14 3 लाख आकी गई है। इनके लिए शिक्षा स्वास्थ्य आवास, होस्टल, (विशेषतया लड़कियो के लिए) नि शुल्क पोशाकें पुस्तके, छात्रवृत्तिया, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना आदि कार्य किये जाते ह।

जनजाति क्षेत्रीय विकास से सम्बन्धित अन्य गतिविधिया-

(अ) एक जनजाति अनुसधान सस्थान (Tribal Research Institute) (TRI) स्थापित किया गया है जिसमे जन जाति लोगो के जीवन के विभिन्न पहलुओ पर अनुसधान किये जाते है। यह केन्द्र चालित स्कीम है। इसमे केन्द्र व राज्यो का 50 50 हिस्सा है। इसके माध्यम से सेमीनार, लाइब्रेरी वर्कशाप, लोकसगीत आदि की क्रियाएँ सचालित की जाती है। इसका 1989 90 मे पुनर्गठन किया गया था।

(ब) पोषण कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास कार्यकम आगनबाडी केन्द्रो मे सचालित किया जाता है जिसमे स्त्रियो व बच्चो के पोषण के सुधार पर ध्यान दिया जाता है। इससे माताओ व शिशुओ के स्वास्थ्य मे सुधार आता है।

निष्कर्ष जनजाति के लोगो के लिए कृषि योग्य भूमि का अभाव पाया जाता है। इनका जीवन वनो से जुडा होता है। इनके लिए भू जोतो का आकार 2 हैक्टेयर से नीचा होता है। कही कहीं यह 1 हैक्टेयर से भी कम होता है। परिवहन की जटिलता सिचाई व पेयजल की कमी अशिक्षा कुपोषण, सामाजिक कुरीतिया, अधविश्वास, आर्थिक शोषण बेरोजगारी जगलो से गोद, लाख आदि छोटे मोटे पदार्थों पर निर्भरता आदि इनके आर्थिक जीवन की विशेषताएँ हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इनके आर्थिक विकास का काम बहुत दुष्कर है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्रो मे 50 प्रतिशत से भी ज्यादा जनसख्या जनजाति के लोगों की होती है। लेकिन इन क्षेत्रो मे भी इनके लिए आरक्षण 12% ही पाया जाता है। राजस्थान सरकार ने यह सुझाव दिया था कि ऐसे क्षेत्रों मे इनके

लिए आरक्षण 12% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाये ताकि वन-रक्षक, कान्स्टेबल, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, कनिष्ठ लिपिक, वाहन-चालक व तृतीय श्रेणी के सहायक अध्यापक के पदो पर इनके लिए आरक्षण बढ़ सके।

कुछ विचारको का मत है कि जिन खण्डो में 75% जनसख्या आदिवासियों की पायी जाय, वे जनजाति के विकास खण्ड घोषित कर दिये जायें और वहाँ की भूमि पर आदिवासियो का अधिकार हो जाये और वे उद्योग, व्यापार व सेवा के सारे अवसर प्राप्त करे।

4. अरावली विकास कार्यक्रम (Aravalli Development Programme)[1] केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रो के विकास के कार्यक्रम पाचवीं पचवर्षीय योजना से प्रारम्भ कर दिये गये थे ताकि इन क्षेत्रों मे परिवेश-व्यवस्था (Eco system) की रक्षा की जा सके तथा उसका समुचित रूप से विकास किया जा सके। परिवेश-व्यवस्था का सम्बन्ध भूमि जल, पशु व वृक्ष के परस्पर सम्बन्ध से होता है और इनका सतुलित विकास जारी रखने से परिवेश-सतुलन (ecological balance) स्थापित होता है और देशवासियो की आर्थिक व सामाजिक आवश्यकताओ की ज्यादा अच्छी तरह से पूर्ति हो सकती है। केन्द्र ने अभी तक पहाडी क्षेत्रो के विकास के कार्यक्रम हिमालय व अन्य पहाडी प्रदेश पश्चिमी घाट के पहाडी क्षेत्रों व नीलगिरी की पहाडियो मे चलाये है। राजस्थान सरकार भारत सरकार को अरावली पहाडी क्षेत्र को इस कार्यक्रम मे शामिल करने के लिए कहती रही है। वर्ष 1986 मे योजना आयोग ने भारत के सर्वेयर जनरल की अध्यक्षता मे एक विशेषज्ञ ग्रुप नियुक्त किया था ताकि वह पहाडी क्षेत्रो का निर्धारण कर सके। उस दल ने पहाडी क्षेत्रो के निर्धारण के आधार सुझाये थे। उनको ध्यान मे रखकर ही राजस्थान मे अरावली पहाडी प्रदेश के कुछ भाग पहाडी विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए छाटे गये है।

इसमे 16 जिलो के 120 खण्डो का 41,447 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया गया है जिसमे अन्य पहाड़ी क्षेत्रों का 11,786 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है। इस प्रकार प्रमुखतया अरावली का पहाडी क्षेत्र लगभग 29 661 वर्ग किलोमीटर रखा गया है।

अरावली विकास का महत्व- अरावली क्षेत्र के विकास का राष्ट्रीय महत्व है क्योंकि यह प्रदेश राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात व उत्तर प्रदेश

---

1 Eighth Five Year plan 1992 97, Rajasthan, March 1993 pp 160 163.

के सतह जल व भू जल के भण्डारो का निर्धारण करता है। इसके अलावा यह रेगिस्तान को पूर्व दिशा मे बढ़ने से रोकता है।

पहले अरावली की पहाडियो मे सघन वन व वृक्ष हुआ करते थे जिनमे अनेक वन्य पशु पाये जाते थे। लेकिन कालान्तर में वृक्षों के भारी विनाश ने सम्पूर्ण परिवेश व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। निम्न कारणों से इस प्रदेश का भारी पर्यावरणीय, आर्थिक सामाजिक व सास्कृतिक पतन हुआ है।

(i) जनसख्या व पशुओं के बढने के कारण जैविक दबाव (biotic pressure) उत्पन्न हो गये है।

(ii) अधाधुध ढग से वक्षो की कटाई से काफी क्षति पहुँची ह।

(iii) खनन कार्यों के फलस्वरूप कठिनाइयाँ बढी है। खनन कार्यों के बाद खाली भूखण्डो की कोई देखरेख नहीं होती है।

(iv) पर्यावरण का ध्यान रखे बिना कई प्रकार के निर्माण कार्य कर डाले गये है तथा

(v) मरु विस्तार मे तेजी आयी है।

इसलिए अरावली पहाडी प्रदेश का पुनरुद्धार व पुनर्जीवन जरूरी हो गया है। इससे निम्न लाभ प्राप्त होगे।

(i) समस्त अरावली प्रदेश का स्थानीय साधनो के अनुसार विकास कार्य सम्पन्न किया जा सकेगा।

(ii) स्थानीय लोगो की आवश्यकताओ व आकाक्षाओ के अनुसार विकास की योजनाएँ बनायी जा सकेगी।

(iii) वनो का विकास करके रोजगार के साधन उत्पन्न किये जा सकेगे।

(iv) मिट्टी व जल साधनो का सरक्षण किया जा सकेगा।

(v) ईंधन की लकडी व चारे की सप्लाई बढाना सम्भव हो सकेगा।

(vi) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतो का विकास किया जा सकेगा।

(vii) फलोत्पादन बढाया जा सकेगा।

(viii) चारे की सप्लाई के बढने से व चरागाहो का विकास होने से पशुपालन के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

(ix) रेगिस्तान को गगा के मैदानों की ओर बढ़ने से रोका जा सकेगा।

(x) व्यर्थ पडी भूमि (wastelands) का सदुपयोग करने का मार्ग खुल जायेगा जिससे पेड पौधे लगाने जल संरक्षण, चरागाह विकास आदि से इस प्रदेश का कायापलट हो सकेगा।

(xi) लोगों मे सामुदायिक विकास की भावना का सजन होगा।

(xii) इन क्षेत्रो के सामाजिक विकास मे मदद मिलेगी और

(xiii) जनजाति के लोगो को निर्धनता के दुष्चक्र से निकलने का अवसर मिलेगा।

इस प्रकार अरावली विकास इस प्रदेश के सम्पूर्ण विकास का आधार तैयार कर सकता है। लेकिन इस कार्य का सम्पन्न करना सुगम नहीं है। इसकी सफलता की निम्न शर्तें है।

(अ) व्यापक तकनीकी व वैज्ञानिक नियोजन

(ब) लोगो की भागीदारी

(स) वित्तीय साधन तथा भौतिक सामग्री की पर्याप्त मात्रा मे उपलब्धि

(द) सगठनात्मक तैयारी

(च) दीर्घकालीन प्रयास उचित नेतत्व व सरकारी सहयोग

अरावली विकास के लिए विदेशी वित्तीय सहयोग की आवश्यकता है। *इस कार्य मे भारी विनियोग के बिना सफलता सुनिश्चित करना कठिन है।* पहले आठवी योजना के लिए सरकार द्वारा 50 करोड रुपये व केन्द्र द्वारा 150 करोड रुपये के व्यय का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन साधनो के अभाव मे 1991 92 के लिए राज्य की योजना मे इस कार्यक्रम के लिए केवल 25 लाख रुपये व्यय का ही प्रावधान किया गया जो अपर्याप्त था। अत भारी विनियोग की आवश्यकता को देखते हुए इस परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए तथा प्राप्त साधनो का सदुपयोग होना चाहिए। यदि ऐसा सम्भव हो सका तो यह कार्यक्रम गरीबी दूर करने व रोजगार बढाने के साथ साथ आर्थिक विकास मे भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। जापान के ओवरसीज इकोनोमिक कापरेशन फण्ड (OECF) की सहायता से चलायी जा रही अरावली वृक्षारोपण परियोजना में वर्ष 1992 93 मे 10 जिले शामिल किये गये थे। इस अवधि मे 14 7 करोड रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था। 1993 94 मे अरावली पहाडियों के विकास कार्यों पर 10 करोड रुपये के व्यय का लक्ष्य रखा गया है। अरावली वृक्षारोपण परियोजना की कुल लागत 177 करोड रुपये आकी गयी है। इसमे सरकार की बजर पडी वनो की व्यर्थ भूमि पर पेड लगाये जायेंगे सामुदायिक भूमि पर वक्ष लगाये जायेंगे नई नर्सरी की कई इकाइयाँ स्थापित की जायेगी फार्म वानिकी कार्यक्रम के लिए पौधे वितरित किये जायेंगे और एनीकटो का निर्माण किया जायगा।

क्षत्रीय विकास के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम—

(5) कन्दरा सुधार कार्यक्रम (Ravine Reclamation Programme) —

यह कार्यक्रम 1987 88 मे लागू किया गया था ताकि कन्दराओ या बीहडो का फैलाव आस पास के उपजाऊ कृषिगत क्षेत्रों में न हो सके। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि बीहड क्षेत्रों की खोई हुई उत्पादन क्षमता वापस प्राप्त की जा सके।

यह कार्यक्रम राज्य के दस्यु सभाव्य क्षेत्रो मे चलाया जा रहा है जिनमें निम्न 5 जिले आते हे कोटा, बूदी सवाई माधोपुर, भरतपुर तथा धोलपुर। यह 100 प्रतिशत केन्द्र-प्रवर्तित स्कीम है। इसमे वृक्षारोपण व परिधि बांध बनाने (Peripheral bunding) के कार्यक्रम सचालित किये जाते हैं।

1991-92 मे इस कार्यक्रम के लिए 6 50 करोड रुपये के व्यय का आवटन किया गया था ताकि 250 किलोमीटर मे परिधि-बाध तथा 5000 हैक्टेयर मे वृक्षारोपण का कार्य सम्पन्न किया जा सके। इसे बाद के वर्षों मे जारी रखा गया है।

(6) मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना

(Mewat Regional Development Project) -

यह कायक्रम मेव जाति के लोगो के लिए बनाया गया हे। राजस्थान सरकार ने 1987 मे मेवात प्रादेशिक विकास बोर्ड की स्थापना की थी ताकि अलवर व भरतपुर जिलो के मेवात क्षेत्रो का विकास किया जा सके। इसमे अलवर जिले की निम्न 7 पचायत समितियो (तिजारा रामगढ किशनगढ बास लक्ष्मणगढ मडावर, उमरइन तथा काधूमार) तथा भरतपुर जिले की 3 पचायत समितिया (कामाँ, नगर व डीग) शामिल की गइ हे। यह कायक्रम अलवर व भरतपुर की जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियो के माध्यम मे सचालित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर स्पेशल स्कीम व एकीकृत ग्रामीण विकास कायक्रम के सचिव द्वारा इस कार्यक्रम की प्रशासनिक, वित्तीय व मोनिटरिग व्यवस्था की जाती है।

इसमे निम्न प्रकार के काय किये जाते हैं

1 सडक-निर्माण,

2 सिचाई,

3 पेयजल,

4 अन्य कार्य तथा

5 प्रशासन।

1993 94 मे इसके लिए लगभग 1 करोड रुपये के व्यय का प्रस्ताव है। यह धनराशि सडक निर्माण, सिचाई व पेयजल के कार्यो पर व्यय की जायेगी।

इस प्रकार राजस्थान मे कइ प्रकार के स्पेशल क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम सचालित किये जा रहे है ताकि सूखाग्रस्त क्षेत्रो, मरुक्षेत्रो एव मेवात क्षेत्रो का आर्थिक विकास हो सके। इससे उत्पादन बढाने मे मदद मिलेगी रोजगार बढेगा, गरीबी कम होगी और लोगो के जीवनस्तर मे सुधार आयेगा। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इन कायक्रमो पर किये गये व्यय से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाये और इनको विकास की व्यापक योजनाओ का प्रभावशाली अग बनाया जाये। हमे यह ध्यान रखना होगा कि विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम नियोजित विकास

की मुख्य धारा से कटे हुए न हों, बल्कि इनमें परस्पर गहरा तालमेल हो, तभी इनकी दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित हो पायेगी।

प्रश्न

1 राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास-कार्यक्रम का विवेचन कीजिए। इसको भविष्य में कैसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है?

2 राज्य में मरुक्षेत्र विकास-कार्यक्रम से क्या लाभ होता है? इस कार्यक्रम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए।

3 राजस्थान में जनजाति विकास के लिए सरकारी प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए। इस सम्बन्ध मे जनजाति-उपयोजना की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

4 'अरावली विकास' का क्या महत्व है? इसके सम्भावित लाभों पर प्रकाश डालिए और यह बतलाइये कि कार्यक्रम के मार्ग में प्रमुख बाधाएं क्या हैं और उन्हे कैसे दूर किया जा सकता है?

5 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

(i) राजस्थान मे सूखा-सभाव्य-क्षेत्र कार्यक्रम

(ii) अरावली विकास की परियोजना,

(iii) रेगिस्तान के बढते चरणों को रोकने की विधि,

(iv) मेवात विकास,

(v) कन्दरा-विकास-कार्यक्रम, तथा

(vi) राज्य मे विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आवश्यक सुझाव।

(vii) मरु क्षेत्र-विकास-कार्यक्रम (Ajmer II yr 1992)

6 राजस्थान मे विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाएं एवं कार्यक्रमो की विवेचना करे। यह कार्यक्रम किस सीमा तक लाभदायक सिद्ध हुए ? (Ajmer, I yr 1992)

23

राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992-97*
(Eighth Five Year Plan of Rajasthan, 1992-97)

राजस्थान सरकार के योजना विभाग ने नवम्बर 1991 मे आठवीं पचवर्षीय योजना 1992-97 के प्रारूप मे सार्वजनिक क्षेत्र मे परिव्यय का 10,451 करोड रु प्रस्तावित किया था । लेकिन आवश्यक विचार विमर्श के बाद योजना आयोग ने 11 500 करोड रु का सार्वजनकि परिव्यय स्वीकृत किया जो राज्य सरकार के अनुमान से भी 1 049 करोड रु अधिक था।

आठवीं योजना के लिए सार्वजनिक परिव्यय की निर्धारित राशि 11,500 करोड़ रु सातवीं योजना के लिए प्रस्तावित राशि 3,000 करोड रु से 283 33 प्रतिशत अधिक रखी गयी है। यही नहीं बल्कि यह प्रथम योजना से सातवीं योजना तक की अवधि मे किये गये कुल सचयी व्यय (7 190 करोड रु) से भी अधिक है। हर्ष का विषय है कि योजना आयोग ने राज्य की विकास की आवश्यकताओ को ध्यान मे रखते हुए आठवी योजना का काफी बडा आकार स्वीकृत किया ।

सातवीं योजना मे सार्वजनिक परिव्यय का आकार छठी योजना के आकार से 48 15 प्रतिशत ऊँचा रखा गया था। इस प्रकार आठवीं योजना का आकार पहले से काफी ऊँचा रखा गया है। सातवी योजना मे राज्य मे प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय 875 रुपये रखा गया था जबकि समस्त राज्यो का औसत 1162 रुपये रहा था। राज्य सरकार योजना के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए प्रयत्नशील रही है। राज्य सरकार के इस सम्बन्ध म किये गये प्रयत्नो मे सुधार होने तथा राज्य की विशिष्ट समस्याओ को ध्यान मे रखते हुए योजना आयोग ने 1990 91 की वार्षिक योजना का आकार 956 करोड रु तथा 1991 92 का वार्षिक योजना का आकार 1166 करोड रु कर दिया था। आठवी योजना मे साधनो की बेहतर स्थिति को देखते हुए योजना आयोग ने इसके लिए अधिक साधनो की व्यवस्था करना मजूर कर लिया । राज्य में विदेशी सहायता प्राप्त

---

* Eighth Five Year Plan 1992 97 Govt. of Raj Planning Department, March 1993 Chaps 3 and 4 pp 34 55

प्रोजेक्टो (चालू व नये) के अन्तर्गत 1663 करोड रु की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। सामान्य केन्द्रीय सहायता 1593 करोड रु से बढाकर 1770 करोड रु व बाजार उधार राशि 1142 करोड रु से बढाकर 1269 करोड रु की गई है। इन परिवर्तनो की वजह से राज्य की आठवीं योजना का आकार ऊँचा रखना सम्भव हो सका है।

योजना आयोग ने आठवीं योजना के लिए निम्न उद्देश्य निर्धारित किये है

1 आर्थिक विकास के लिए

(अ) ऊर्जा ग्रामीण विद्युतीकरण सहित

(आ) परिवहन

(इ) संचार

(ई) कृषि पर निरतर जोर देना

खाद्यान्नो दालो फलो आदि का उत्पादन बढाने के लिए तथा निर्यात के लायक बचते उत्पन्न करने के लिए

2 मानवीय विकास के लिए

(अ) रोजगार सृजन

(आ) जनसख्या नियत्रण

(इ) साक्षरता व प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण

(ई) न्यूनतम स्वास्थ्य देख भाल

(उ) प्रत्येक गाव मे पेयजल की व्यवस्था करना

3 कृषिगत विकास के लिए

(अ) सिचाई क्षेत्र मे वर्षाश्रित/सूखा सम्भाव्य क्षेत्र के लिए जलसग्रह (वाटरशेड) प्रबध का गहन उपयोग करना

(आ) कृषिगत पदार्थों के निर्यातो को प्रोत्साहन देना

(इ) कृषि का बागवानी फलोद्यान व मछली पालन की तरफ विविधीकरण करना ।

इन उद्देश्यो के अलावा योजना के प्रस्ताव तैयार करते समय राज्य के विकास के स्तर, राज्य की अर्थव्यवस्था की सम्भावनाओ व क्षमताओ तथा आर्थिक विकास के मार्ग मे आने वाली बाधाओ का पूरा ध्यान रखा जायगा। चालू कार्यक्रमो/प्रोजेक्टो को शीघ्र पूरा करने को प्राथमिकता दी जायगी।

राज्य की योजना के 11 500 करोड रु के सार्वजनिक परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसमे 5607 करोड रु पहले से चल रहे कार्यक्रमो के लिए है तथा 5893 करोड रु नये कार्यक्रमो के लिए है। प्रस्तावित परिव्यय मे से पूँजीगत अश 7652 करोड रु रखा गया है।

आठवीं योजना मे क्षेत्रवार परिव्यय का आवटन नीचे दिया जाता है।

विकास का शीर्षक/क्षेत्र	(करोड़ रु. में)	कुल का प्रतिशत
1 कृषि व सहायक क्रियाएँ	1286 9	11 2
2 ग्रामीण विकास	1021 8	8 9
3 विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम	84 0	0 7
4 सिचाई व बाढ़ नियत्रण	1920 0	16 7
5 शक्ति	3255 5	28 3
6 उद्योग व खनन	536 0	4 7
7 परिवहन	784 0	6 8
8 वैज्ञानिक सेवाएँ	20 0	0 2
9 सामाजिक व सामुदायिक सेवाए	2461 6	21 4
10 आर्थिक सेवाए	71 7	0 6
11 सामान्य सेवाए	58 6	0 5
कुल (लगभग)	11 500 0	100 0

(तीस जिले तीस काम व मुक्त कोष (untied fund) अब आर्थिक सेवाओ की बजाय ग्रामीण विकास मे शामिल किये गये है)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि आठवीं योजना मे सर्वाधिक राशि शक्ति पर व्यय की जायगी जो 28 3% रखी गयी है। द्वितीय स्थान सामाजिक व सामुदायिक सेवाओ का रखा गया है जिन पर 21 4% राशि व्यय की जायेगी । सिचाई व बाढ़-नियत्रण पर 16 7 राशि व्यय के लिए निर्धारित की गई है । उद्योग व खनन पर 4 7% राशि आवंटित की गई है । हालांकि प्रतिशत की दृष्टि से तो यह ज्यादा नहीं है लेकिन योजना का कुल आकार बडा होने से इनके अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र मे परिव्यय की राशि 536 करोड रु आती है जिससे राज्य के औद्योगिक विकास को काफी गति मिलेगी। आठवीं योजना में कृषि व ग्रामीण विकास पर सार्वजनिक व्यय का 20% आवटित किया गया है।

अनुमान है कि आठवी योजना मे प्रस्तावित परिव्यय का लगभग 62% ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP) पर 1438 7 करोड रु आवंटित किये गये हे जो कुल योजना परिव्यय का 12 5% अथवा 1/8 अश बनता है।

इस प्रकार आठवीं पचवर्षीय योजना मे क्षेत्रवार परिव्यय का आवटन पूर्व योजनाओ के अनुरूप है जो राज्य के सतुलित व सुदृढ विकास की दृष्टि से युक्तिसगत माना जा सकता है।

राज्य की आठवीं योजना मे निम्न बातों पर अधिक बल दिया गया है

(i) ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार सृजन व निर्धनता निवारण के कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है।

(ii) आधारभूत प्रतिबंधो को दूर करने पर विशेष जोर दिया गया है जैसे पेयजल, मूलभूत चिकित्सा व दवा की व्यवस्था करना तथा जनसख्या नीति आदि।

(iii) पहले से चालू बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए समुचित व्यवस्था की गई है तथा नई परियोजनाओ के लिए सम्बन्धित विभाग की जरूरतों के मुताबिक व्यवस्था की गई है।

(iv) आवश्यकतानुसार केन्द्र चालित स्कीमो के लिए राज्य के पूरे अश का प्रावधान किया गया है।

(v) प्रमुख फसलों की प्रति हैक्टयर उपज बढाने के लिए इन्पुटो की समुचित सप्लाई व मिट्टी तथा नमी सरक्षण आदि पर पर्याप्त ध्यान दिया जायगा।

(vi) पहले से उत्पन्न सिचाई की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जायगा ताकि इनमे किये गये पूर्व विनियोगो के लाभ समाज को पर्याप्त रूप से मिल सके।

(vii) आर्थिक व सामाजिक दृष्टि के पिछडे वर्गों के बच्चों तथा लडकियो को जो शिक्षा के दायरे मे नहीं लाये जा सके है उनको इसके दायरे में लाने के विशेष प्रयास किये जायेंगे।

(viii) प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र मे अनौपचारिक कार्यक्रम, लोगो की भागीदारी व गैर सरकारी सगठनो (NGOs) को बढावा देकर साक्षरता मे सुधार करने की नीति अपनायी जायेगी।

(ix) *2000 ईस्वी तक सब के लिए स्वास्थ्य'*

कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य देख भाल व्यवस्था को सुदृढ किया जायगा, तथा इसका विस्तार किया जायगा ताकि जनता के लिए इलाज व चिकित्सा आदि की लागत की व्यवस्था की जा सके।

नये कार्यक्रम

आठवी योजना के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण व नये कार्यक्रम इस प्रकार रखे गये है

(i) समन्वित जलग्रह (वाटरशेड) विकास प्रोजेक्ट व समन्वित नदी बेसीन विकास प्रोजेक्ट

(ii) व्यापक कृषि विकास प्रोजेक्ट (विश्व बैंक की सहायता से)

(iii) पशुधन की नस्ल मे सुधार

(iv) इन्दिरा गाधी नहर परियोजना चरण II मे वृक्षारोपण

(v) अरावली पहाडियो मे वृक्षारोपण,

(vi) सामाजिक वानिकी चरण II

(vii) अरावली पहाडियो का पहाडी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास करना

(viii) नर्मदा गागरिन मनोहरथाना पिपलदा लिफ्ट, धोलपुर लिफ्ट वृहद् प्रोजेक्टो का कार्य हाथ मे लेना

(ix) सूरतगढ थर्मल विद्युत प्रोजेक्ट, रामगढ गैस थर्मल विद्युत स्टेशन के प्रस्ताव तथा कोटा थर्मल चरण III रामगढ (तीन मेगावाट) व कुछ मिनी जल विद्युत *स्कीमो को पूरा किया जायगा*

(x) इन्दिरा गाधी नहर परियोजना व चम्बल के कमाड क्षेत्र विकास प्रोजेक्टों पर काम की गति तेज की जायगी

(xi) झामरकोटडा रोक फास्फेट बेनिफिसियेशन सयत्र चालू किया जायेगा,

(xii) 3000 प्राइमरी व 1000 अपर प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे,

(xiii) 250 अपर प्राइमरी स्कूलों को सैकण्डरी स्तर मे तथा 200 सैकण्डरी स्कूलो को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलो मे क्रमोन्नत किया जायगा

(xiv) 5 कालेज खोले जायेंगे

(xv) तकनीकी शिक्षा का गुणात्मक विकास तथा 3 पोलोटेक्नीक्स खोले जायेगे

(xvi) एक नया इन्जीनियरी कालेज खोला जायगा,

(xvii) *अपना गाव अपना काम तथा 'तीस जिले तीस काम' पर बल दिया जायगा,*

(xviii) जिला नियोजन मे मुक्त कोष (Untied Fund) के अन्तर्गत परिव्यय की राशि बढायी जायगी

(xix) पर्यटन पर परिव्यय बढाया जायगा क्योकि राज्य मे इसके विकास की भारी सम्भावनाए ह।

(xx) पेयजल कार्यक्रमो के अन्तर्गत शेप गावो को लाया जायगा। उदयपुर शहर के लिए पेयजल हेतु मासी वाकल तथा जयपुर शहर के लिए बाडी बेसीन व बीसलपुर परियोजनाओ को कार्यान्वित किया जायगा।

(xxi) आठवा याजना (1992 97) मे श्रम शक्ति के 26 3 लाख व्यक्तियो के बढ़ने तथा योजना के शुरू मे 2 04 लाख व्यक्तियो के बेरोजगार पाये जाने का

अनुमान है। अनुमान है कि 22 लाख व्यक्ति अल्परोजगार की समस्या से प्रभावित हैं। आठवीं योजना (1992 97) की अवधि मे 31 4 लाख व्यक्तियो के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का प्रयास किया जायगा।

आठवीं योजना के प्रथम दो वर्षों 1992 93 व 1993 94 की वार्षिक योजनाओ मे सार्वजनिक परिव्यय का आवटन-

आठवीं योजना के प्रथम वर्ष 1992 93 के लिए सार्वजनिक परिव्यय का आकार 1400 करोड रु रखा गया था जो पिछले वर्ष से लगभग 20% ऊँचा था। सम्भावित व्यय लगभग 1401 6 करोड रु रहा है।

इसके द्वितीय वर्ष 1993 94 के लिए योजना का आकार 1700 करोड रु रखा गया है जो पिछले वर्ष से 21 4% अधिक है। मुद्रास्फीति के प्रभाव को निकालने पर सार्वजनिक परिव्यय की वास्तविक वृद्धि इससे कम होगी।

1992 93 व 1993 94 की वार्षिक योजनाओ मे सार्वजनिक परिव्यय का क्षेत्रवार आवटन (प्रतिशत में)

विकास का क्षेत्र	1992 93	1993 94 (प्रस्तावित)
1 कृषि व सहायक क्रियाए	12 2	10 7
2 ग्रामीण विकास (विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम सहित)	8 0	7 5
3 सिचाई व बाढ़ नियत्रण	18 0	17 7
4 शक्ति	26 8	27 5
5 उद्योग व खनन	5 0	4 9
6 परिवहन	4 9	5 5
7 सामाजिक सेवाए व सामुदायिक सेवाए	23 3	24 4
8 आर्थिक सेवाएं	0 7	0 7
9 वैज्ञानिक सेवाए, अनुसधान सामान्य सेवाए तथा विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम	1 1	1 1
कुल	100 0	100 0
सार्वजनिक परिव्यय की राशि (करोड रु में)	1401 6	1700 0

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 1992 93 व 1993 94 की वार्षिक योजनाओ मे शक्ति पर लगभग 27% व सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओ पर 23 24% परिव्यय है जो आठवीं योजना के प्रारूप के अनुकूल है। राजस्थान की आर्थिक योजनाओ मे सदैव प्राथमिकता एक तरफ शक्ति (Power) को दी गयी है

और दूसरी तरफ सामाजिक सेवाओ (Social Services) शिक्षा, चिकित्सा आद को, जो आठवीं पचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों मे भी जारी रखी गयी है।

साराश- *आठवीं पचवर्षीय योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र मे परिव्यय की राशि 11,500 करोड रु निर्धारित की गई है जो पहले से काफी अधिक है यही नहीं* बल्कि यह राज्य द्वारा योजना-आयोग के समक्ष पेश की गई योजना की राशि मे भी अधिक है। अत राज्य के समक्ष विकास की गति को तेज करने का सुअवसर आया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इतनी बडी धनराशि का उपयोग करके राज्य निम्न क्षेत्रो मे अपने अभावो को दूर करने का प्रयास करे ।

(i) *जनसख्या की वृद्धि-दर कम की जाय इसके लिए राज्य के अधिकाश* जिलो मे जन्म दर को 39 प्रति हजार से नीचे लाने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए ।

(ii) साक्षरता की दर बढाई जानी चाहिए, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला-वर्ग म तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगो मे इसकी वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए

(iii) राज्य मे सूखी खेती की विधियो का प्रसार किया जाना चाहिए

(iv) पशुधन से अधिक आय व रोजगार प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए

(v) राज्य की खनिज-सम्पदा का उचित विदोहन किया जाना चाहिए,

(vi) अकाल व सूखे की दशाओ पर नियन्त्रण करने के लिए स्थायी समाधान की दिशाओ में बढने का प्रयास किया जाना चाहिए, तथा

(vii) राज्य के सभी आर्थिक क्षेत्रो का समुचित रूप से विकास करके रोजगार-सवर्द्धन व निर्धनता-निवारण के प्रयास किये जाने चाहिए ।

राजस्थान की आठवीं पचवर्षीय योजना (1992-97) व वार्षिक योजना 1993-94 मे विकास व उत्पादन के प्रमुख लक्ष्य

राजस्थान की आठवी पचवर्षीय योजना (1992-97) योजना आयोग द्वारा सुझाये गये फ्रेमवर्क के अन्तर्गत तैयार की गयी है। इसमे राज्य के विकास के स्तर, विकास की भावी सम्भावनाओ, विकास की क्षमता व विकास की बाधाओ को मद्देनजर रखा गया है। निम्न तालिका में **1991-92** की उपलब्धियो के सन्दर्भ मे **आठवीं योजना, 1992-97** तथा **वर्ष 1993-94** के लिए विकास व उत्पादन के प्रमुख लक्ष्य दर्शाये गये है [1]

---

1 Draft Annual plan 1993 94 table 2 pp 2.2 2 6

शीर्षक	1991 92 (उपलब्धि)	आठवीं योजना (1992-97) के लक्ष्य (1996 97 के लिए)	1993 94 के लक्ष्य
1 खाद्यान्नों का उत्पादन (लाख टन में)	79 3	116	106 5
2 तिलहनों का उत्पादन (लाख टन में)	27	39 9	29 4
3 कपास (लाख गाठें)	8 45	13	10 35
4 गन्ना (लाख टन)	13 6	11 25	11 25
5 अधिक उपज देने वाली किस्मो का कार्यक्रम (लाख हैक्टेयर)	28 0	36 4	34 3
6 कुल उर्वरक उपभोग (लाख टन)	4 4	6 25	4 48

इस प्रकार 1996 97 मे खाद्यान्न तिलहन कपास आदि फसलों का उत्पादन 1991 92 के आधार वर्ष की तुलना मे बढाने के लक्ष्य रखे गये हैं। लेकिन गन्ने के उत्पादन का लक्ष्य 1996 97 के लिए 11 25 लाख टन रखा गया है जो 1993 94 के लक्ष्य के समान है तथा 1991 92 की वास्तविक उपलब्धि से भी कम है क्योंकि इसके उत्पादन में भारी उतार चढाव आते है ।

राज्य में अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है तथा उर्वरक सिचाई, आदि का भी विस्तार किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद कृषिगत उत्पादन मानसून व वर्षा की स्थिति पर अधिक निर्भर करता है। आशा है निकट भविष्य मे जनता द्वारा चुनी हुई नई सरकार के सत्तारूढ होने जिला नियोजन के लागू होने पचायती व्यवस्था के सक्रिय होने व अधिक जन सहयोग तथा अधिक कुशल प्रशासन की सहायता से राज्य के आर्थिक विकास की गति अधिक तेज हो सकेगी । केन्द्र को राज्य के नियोजित विकास के लिए अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिए और राज्य सरकार को अकालों पर काबू पाने व सामान्य आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के बीच अधिक समन्वय व तालमेल स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वर्ष 2000 तक राज्य की आर्थिक वित्तीय स्थिति सुदृढ हो सके ।

प्रश्न

1 राजस्थान की आठवीं पचवर्षीय योजना, 1992-97 मे सार्वजनिक परिव्यय के आवटन का विवरण दिजिये । इसमे किन बातो पर विशेष बल दिया गया है?

2 'राजस्थान की आठवीं पचवर्षीय योजना मे सार्वजनिक परिव्यय की राशि में काफी वृद्धि की गई है'। क्या इससे विकास की दर को पहले की अपेक्षा अधिक ऊँचो कर सकना सम्भव होगा ? विवेचना कीजिए ।

3 राजस्थान की आठवीं पचवर्षीय योजना मे सार्वजनिक परिव्यय के आवटन की तुलना सातवीं पचवर्षीय योजना के आवटन से कीजिए । इनमे समानताओ व विभिन्नताओ को स्पष्ट कीजिए ।

4 सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए -

(1) राजस्थान की आठवीं पचवर्षीय योजना (1992 97) की विशेषताए।

5 राजस्थान की आठवीं पचवर्षीय योजना, 1992-97 पर एक लेख लिखिए।

24

पर्यावरण प्रदूषण व सुस्थिर विकास की समस्याएँ (Environmental Pollution and the Problems of Sustainable Development)

'निर्धनता प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है'

(Poverty is the greatest Pollutor)

पिछले वर्षों मे पर्यावरण व विकास के परस्पर सम्बन्ध पर बहुत बल दिया जाने लगा है। इन दोनो को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। पर्यावरण मे मुख्यतया जल पेड पशु पक्षी जीव जन्तु, वायु, भूमि आदि शामिल किये जाते हैं। विकास का सम्बन्ध प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि से होता है। अत यह स्वीकार किया जाने लगा है कि विकास की प्रक्रिया से पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए, बल्कि विकास इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि पर्यावरण की सुरक्षा हो तथा इसमे निरतर अभिवृद्धि हो। यदि पर्यावरण को हानि पहुँचाकर विकास किया गया तो वह स्थायी व सुदृढ नहीं होगा बल्कि आगे चलकर समाज के लिए घातक व विनाशकारी सिद्ध होगा। इसलिए विकास के दौरान जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी के कटाव मिट्टी की बढती लवणता व क्षारीयता मरुस्थलीकरण (desertification) वृक्षो की अधाधुध कटाई (deforestation), ध्वनि प्रदूषण आदि से बचने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए ताकि वर्तमान व भावी पीढी दोनों के हितो की रक्षा की जा सके और लोगो के स्वास्थ्य व उत्पादकता पर पड़ने वाले कुप्रभावो से बचा जा सके।

सुस्थिर विकास क्या है ? (What is Sustainable Development)

पर्यावरण व विकास के परस्पर सम्बन्ध की चर्चा मे पिछले वर्षों में सुस्थिर या सुदृढ या टिकाऊ विकास (sustainable development) की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ है। इसका अर्थ तो सरल है लेकिन इसे प्राप्त करना कठिन है। वह विकास जो आगे जारी रह सके वह सुस्थिर या टिकाऊ विकास कहलाता

है।[1] इसके लिए विद्वानो ने अन्य कई प्रकार के शब्दो का प्रयोग किया है जैसे सतुलित या सम्यक विकास (balanced development) समताकारी विकास (equitable development) आदि। लेकिन इसके पीछे मुख्य विचार यह है कि वर्तमान पीढी द्वारा आज के विकास के लिए आज के फल चखते समय यह ध्यान रखा जाय कि भावी पीढियाँ पर्यावरण की गिरावट या पतन से हानि न उठाए। पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग ने अपनी रिपोर्ट (Our Common Future 1987) मे सुस्थिर व सुदृढ विकास का सामान्य सिद्धान्त यह बतलाया था कि *'वर्तमान पीढी अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति इस प्रकार से करे* **कि उससे भावी पीढियो की अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति की क्षमता पर विपरीत असर न पडे । (Current generations should meet their needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs)** अत विकास मे स्थिरता दृढता समता व सतुलन तभी आते हे जब वर्तमान पीढी व भावी पाढी दोनो के हितो को ध्यान मे रखते हुए प्राकतिक साधनो का विदोहन सरक्षण व विकास किया जाता है । विश्व मे लोगों की विशेषतया निर्धन लोगो की आवश्यकताए कई प्रकार की होती है *लेकिन उनकी पूर्ति के लिए पर्यावरण की क्षमता तथा टेक्नोलाजी की क्षमता* सीमित होती है। इसलिये पर्यावरण व उपलब्ध टेक्नोलाजी की सामाओ को ध्यान मे रखते हुए लोगो की आवश्यकताओ की पूर्ति करने का प्रयास करना सुस्थिर व सम्यक विकास कहा जाता हे । इसके लिए एक तरफ देश की उत्पादक क्षमता का विकास करना होगा तो दूसरी तरफ जनसख्या की वृद्धि को पृथ्वी के प्राकृतिक *साधनो के साथ सतुलन मे रखना होगा। अत* ***सुस्थिर विकास परिवर्तन की वह*** **प्रक्रिया है जिसमे साधनो के उपयोग, विनियोग की दशा टेक्नोलोजिकल प्रगति का रुख व सस्थागत परिवर्तन का रूप आदि सभी वर्तमान व भविष्य अथवा आज और कल के लिए मानवीय आवश्यकताआ की पूर्ति की सम्भावनाओ को बढाने का प्रयास करते है।**[2] अत सुस्थिर विकास की अवधारणा मे *प्राकृतिक साधनो का इस प्रकार से उपयोग किया जाता हे ताकि भावी पीढी* के हितो की उपेक्षा न हो आर मानवीय कल्याण को अधिकतम किया जा सके ।

---

1 Sustainable development is development that last & World Development Report 1992 p 34

2 Sustainable development is best understood as a process of change in which the use of resources the direction of investments the orientation of *technological development and institutional change all enhance the potential* to meet human needs both today and tomorrow — The Report of the World Commission on Environment and Development Sustainable Development A guid to our Common Future 1987 p 3

पर्यावरण -प्रदूषण के विभिन्न रूप, कारण व उनके दुष्परिणाम ·

पर्यावरण-प्रदूषण के कई रूप होते हैं जैसे जल-प्रदूषण व जल का अभाव, वायु-प्रदूषण, मिट्टी का कटाव व उर्वरता का ह्रास, वृक्षो की कटाई, जैविक विविधता (biodiversity) (नाना प्रकार के जीव-जन्तु व पेड-पौधो) का उत्तरोत्तर ह्रास तथा वायुमडल के परिवर्तन जैसे ग्रीनहाउस गैसो के बढने से, ग्रीन हाउस-उष्णीकरण या गरमाहट या तपन का बढना तथा ओजोन परत का क्षय होना (Ozone depletion), आदि। इनमे से कुछ प्रदूषण अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यीय स्तरो के अलावा अन्य छोटे स्तरो जैसे जिला व ग्राम-स्तरो तक चल रहे हैं । लेकिन ग्रीनहाउस-उष्णीकरण (greenhouse warming) व ओजोन-क्षय (Ozone depletion) का विवरण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण के अन्तर्गत किया जाता है, जबकि जल-प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी का कटाव व मिट्टी का क्षारीयकरण, वृक्षो की कटाई तथा जैविक-विविधता का निरतर ह्रास विभिन्न देशों व राज्यो मे पर्यावरण के विनाश को इंगित करते हैं ।

हम नीचे पर्यावरण-कुप्रबन्ध से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के प्रदूषणो का विवेचन करते है ।

अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में (in global perspective)

(1) ग्रीन हाउस ऊष्णीकरण (Greenhouse warming)·

वातावरण में गैसो के सकेन्द्रण व सघनन के बढने से ग्रीनहाउस-ऊष्णीकरण (Warming) बढ रहा है । वातावरण मे ग्रीनहाउस गैसे (greenhouse gases) (GHGs) बढ रही हैं । इनमें से प्रमुख गैस -- कार्बन डाइऑक्साइड पिछले तीस वर्षों मे 12% से अधिक बढ गई है । यह सब मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है । भविष्य में ग्रीनहाउस की गरमी के बढने की प्रक्रिया पर आर्थिक विकास की गति, उत्पादन की ऊर्जा-गहनता, वातावरण, समुद्र, आदि की रसायन-क्रिया वगैरह का प्रभाव पड़ेगा । मिथैन गैस के स्रोत धान के खेत व पशुधन तथा प्राकृतिक नम प्रदेश होते हैं । नाइट्रस आक्साइड गैस विशेषतया समुद्र व मिट्टी से उत्पन्न होती है । कार्बन डाईआक्साईड लकडी, कोयला, पैट्रोल, आदि ईंधनो के जलने से उत्पन्न होती है ।

वातावरण मे ग्रीनहाउस गैसो मे कार्बन डाईआक्साईड के दुगना होने से तापक्रम 12^0 सेल्सियस बढता है । जल की भाप (Water Vapor) व समुद्र का भी ऊष्णीकरण पर प्रभाव पडता है । ग्रीनहाउस-ऊष्णीकरण से जलवायु मे परिवर्तन आता है । इसमे तूफानो की सम्भावना व भीषणता पर भी असर पडता है । इस प्रकार ग्रीनहाउस-ऊष्णीकरण पर्यावरण को प्रभावित करता है।

भारत मे ग्रीनहाउस गैस का प्रभाव

भारत में कृषिगत क्षेत्र का विशेष महत्त्व होने से मिथैन गैस का भी योगदान उल्लेखनीय है। यह सिंचित चायल की खेती व पशु पालन से उत्पन्न होती है। कृषि से उत्पन्न होने के कारण इसको कम करने की तकनीकी सम्भावनाए कार्बन डाई-आक्साइड को नियंत्रित करने की तुलना मे कम पायी जाती है। कृषिगत उत्पादन को बनाये रखते हुए मिथैन गैस को सीमित कर सकना काफी कठिन होना है । अत इससे होने वाली पर्यावरण की क्षति को कम करना सुगम नहीं होता।

(2) ओजोन की परत का क्षयशील होना (Ozone depletion) -

वैज्ञानिको के अनुसार पृथ्वी की सतह से 25 से 35 किलोमीटर ऊपर एक ओजोन की परत होती है जो घातक अल्ट्रावायलेट रेडियम विकिरण को रोकती है । 1985 मे एन्टार्टिका (Antarctica) पर ओजोन मे कमी देखी गयी थी। वायुमण्डल मे क्लोरीन का जमाव बढने से ओजोन मे कमी आती है। क्लोरीन CFCs (क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स) से उत्पन्न होती है। अनुमान है कि ओजोन परत का घटना कम से कम एक दशक तक जारी रहेगा। उसके बाद यह क्रम पलट सकता है। ओजोन परत के क्षय से लोगो के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। इससे सामुद्रिक प्रणाली का उत्पादकता घटती है। ओजोन के क्षय के फलस्वरूप सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेडियेशन जो पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होती है उसमे वृद्धि हो जाती है। एन्टार्टिका मे ओजोन के ह्रास की घटना के दौरान अल्ट्रावायलेट (uv) से जैविक क्षति बढी है। uv की वृद्धि के प्रभाव सर्वप्रथम दक्षिणी गोलार्द्ध मे प्रगट होगे।

ओजोन मे 10 प्रतिशत की कमी से चर्म केन्सर (Skin Cancers) मे वृद्धि होगी जिसका प्रभाव प्रति वर्ष 3 लाख व्यक्तियो पर पड सकता है। इसके असर से प्रति वर्ष 17 लाख व्यक्ति आँखो मे केटेरैक्ट की बीमारी से ग्रस्त हो सकते है। uv रेडियेशन के बढने से स्वास्थ्य को काफी हानि होने का भय है। इससे पौधो पर भी विपरीत प्रभाव पड सकता है। सामुद्रिक उत्पादकता व परिवेश व्यवस्था पर इसके प्रभावो के सम्बन्ध मे अभी पूरी जानकारी नहा हो पायी है।

इस प्रकार ग्रीनहाउस ऊष्मीकरण (Greenhouse warming) व ओजान के क्षयीकरण व ह्रास (Ozone depletion) ने स्वास्थ्य के लिए नये खतरे उत्पन्न कर दिये ह विशेषतया विकासशाल देशा मे पर्यावरण को जो क्षति पहुँचने लगी है वह वास्तव मे एक चिता का विषय है।

(3) जैविक विविधता का ह्रास (Loss of Biodiversity) -

नाना प्रकार के पेड पौधो पशु पक्षियो तथा जीव जन्तुओ से भरी परिवेश व्यवस्था का कालान्तर मे ह्रास होता गया है। ये अपने प्राकृतिक परिवेश में ही कायम रहते ह और फलते फूलते है। वहाँ से इनको हटाने का प्रयास करने

से ये बड़े पैमाने पर नष्ट होने लगते है और अत मे अनत मे विलीन हो जाते हैं। अब यह समझ मे आने लगा है कि इनमे से कुछ प्रमुख किस्मो या नस्लो (पशु पक्षियो या पौधों की) के नष्ट हो जाने से अन्य नस्लो पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है। प्रमुख किस्मो का परिवेश प्रणाली पर गहरा असर पडता है। उदाहरण के लिए, चमगादड (bat) जैसे छोटे से पक्षी को ही लीजिए। 1970 के दशक मे मलेशिया मे एक लोकप्रिय फल डूरिअन (durian) की पैदावार अचानक घटने लगी थी जिससे 10 करोड डालर सालाना वाले इस उद्योग को भारी खतरा उत्पन्न हो गया था। इस फल के पेड बिल्कुल दुरुस्त थे। वे दीखने मे स्वस्थ थे लेकिन इनमे अचानक कम फल लगने लगे। इसका रहस्य उस समय खुला जब यह पता चला कि इस पेड के फूल को जो चमगादड की एक किस्म द्वारा पराग दिया जाता था (pollinated) (जिससे फल लगने मे मदद मिलती थी) उनकी सख्या काफी घट गई थी। चमगादडो की सख्या दो कारणो से घट गई (i) ये स्वय अपना भोजन मैङ्ग्रोव (mangrove) दलदली भूमि मे पेडो से लेती थीं जिनमें श्रिम्प (समुद्री केकडा) का विकास करने से उसका मिलना कम हो गया एव (ii) एक स्थानीय सीमेंट की फैक्ट्री के कारण लाइमस्टोन की गुफाएँ ढहा दी गईं जहाँ चमगादड विश्राम किया करते थे। बाद मे सरक्षण के प्रयासो के अन्तर्गत लाइमस्टोन की पहाडी व गुफाएँ बचाने के कारण सीमेंट की फैक्ट्री बद कर दी गई। तत्पश्चात् डूरियन फल उद्योग व चमगादड दोनो को पुनर्जीवन मिल गया और दोनो पनपने लगे। इससे सिद्ध होता है कि पर्यावरण व परिवेश जगत मे एक छोटा-सा पक्षी (चमगादड) और वह भी अधा कितना लाभकारी हो सकता है और उसके नष्ट होने से करोड़ों डालर वार्षिक आमदनी वाला उद्योग भी खतरे मे पड सकता है।

इसी प्रकार कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका मे हाथियो के खत्म हो जाने से तीन किस्म के हिरण भी नष्ट हो गये, क्योंकि हाथी अपने पैरो मे नये पेड पौधों को कुचल कर उन्हे छोटे छोटे घास मे बदल देते थे जिनमे हिरण पनप सकते थे। लेकिन हाथियो के नहीं रहने से पेड पौधे बड़े बडे व सघन होने लग गये जिनमें हिरणों का निवास करना भी कठिन हो गया।[1] इस प्रकार यह माना गया है कि जैविक विविधता को नष्ट होने से बचाया जाना चाहिए। पेड़-पौधों व पशु पक्षियो को अपने नैसर्गिक निवासों में रहने व पनपने का अवसर दिया जाना चाहिए। इससे हमे भोजन रेशे दवा व औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक इन्पुट मिलेगे। इससे इन्सान को पर्यावरण के भावी दबावो को झेलने की शक्ति

1. चमगादड व हाथियों के इस दृष्टान्त के लिए देखिए- World Development Report 1992, पृ 59 बॉक्स 2 3 प्रमुख नस्ले बडी व छोटी। कहते है कि चीन में चिड़ियाओं को नष्ट करने से ये जीव तेजी से बढ गये जिनको चिडिया खा जाती थी। इससे उन जीवों के बढ़ने से देश को काफी हानि होने लगी जिसमे पुन चिडियाओ को बसाना या पनपाना पड़ा।

भी मिलती है। यह हमारा पुनीत कर्तव्य भी है कि जो कुछ हमें प्रकृति से मिला है, उसे हम भावी पीढ़ी को विरासत मे सौपे। हमे जैविक विविधता को नष्ट होने से बचाना चाहिए क्योंकि जब कोई किस्म या जाति या नस्ल (पौधे व पशु पक्षी की) नष्ट हो जाती है तो पर्यावरणीय सतुलन मूलतया परिवर्तित हो जाता है। ऊष्ण प्रदेश के जगलो मे जैविक विविधता का विनाश अभूतपूर्व गति मे हुआ है। हालांकि बडे बडे भू-क्षेत्र सरक्षण के लिए सुनिश्चित किये गये है, फिर भी अपर्याप्त प्रबध व कानूनो की अवहेलना होते रहने से इस दिशा मे पर्याप्त सफलता नही मिल पायी है।

(4) जल-प्रदूषण (Water pollution) -

आज विश्व मे जल प्रदूषण की समस्या सबमे ज्यादा गम्भीर हो गई है। आज बहुत से लोग नदियों व तालाबो का अशुद्ध पानी पीने को बाध्य है। नदियो का जल इसमे मल-मूत्र के मिश्रण से निरतर अधिक दूषित होता जा रहा है। जब नदियाँ बडे नगरो व औद्योगिक केन्द्रो के पास से गुजरती हैं तो उनमे प्रदूषण की मात्रा बढ जाती है। कारखानो से निकले रासायनिक तत्वो के मिल जाने से तथा पानी मे सीसे, पारे व केडमियम के घुल जाने से पेयजल से इन प्रदूषित तत्त्वो को निकालना कठिन हो जाता है। सतह के जल के दूषित हो जाने से भू-जल भी दूषित होता जाता है। भू-जल मे भी भारी धातु, मिश्रित रसायन व अन्य खतरनाक पदार्थ घुल-मिल जाते हैं। भू-जल के भण्डारो मे नदियो की भाँति स्वय को शुद्ध करने की क्षमता नहीं पायी जाती। इसलिए एक बार प्रदूषित हो जाने पर उनको शुद्ध करना मुश्किल हो जाता है। सेप्टिक टैक प्रणाली की जगह पाइप द्वारा गदे पानी की प्रणाली लागू करने से भू-जल प्रदूषण का खतरा काफी कम हो जाता है। विकासशील देशो मे ग्रामीण निर्धन लोग नदियो, झीलो व असुरक्षित छिछले कुओ का पानी काम में लेने के कारण कई प्रकार के रोगो के शिकार हो जाते हैं।

जल-प्रदूषण के अलावा जल का अभाव भी एक गम्भीर समस्या है। पानी मनुष्यो व पशुओ के लिए पीने के लिए आवश्यक है। कृषि मे सिचाई के लिए, भवन-निर्माण के लिए, बाग-बगीचों मे पानी देने के लिए तथा उद्योगो के लिए जल की आवश्यकता होती है। इन सभी कार्यों के लिए प्राय जल की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पाती। राजस्थान के कुछ शुष्क भागो में स्त्रियो को दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए पानी लाने के लिए प्रतिदिन मीलों चलना पड़ता है। इससे जीवन की कठोरता का अनुमान लगाया जा सकता है। लगातार सूखा व अकाल पडने से भूजल का स्तर लगातार नीचा चलता जा रहा है। कुछ जगहों पर भूजल खारा निकलता है जो पीने के लायक नहीं होता।

प्रदूषित जल पीने व उससे नहाने से टायफायड, हैजा, दस्त, राउन्ड वर्म, नारू (guinea worm), सिस्टोसोमाइसिस (सिस्टोसोम कीडे से उत्पन्न) आदि रोग हो जाया करते हैं। साथ में सफाई की अपर्याप्त व्यवस्था (inadequate

sanitation) होने से ये बीमारियाँ और उग्र रूप धारण कर सकती हैं। शहरो व गाँवो मे कूडे के ढेर जमा होने व उनकी सफाई न होने से वे सडने लगते हैं जिससे कई प्रकार की बीमारियो के उत्पन्न होने का भय हो जाता है। पेयजल मे सुधार व सफाई की पर्याप्त व्यवस्था से अनेक व्यक्तियो को उपर्युक्त बीमारियो का शिकार होने से बचाया जा सकता है।

जल प्रदूषण से मछली उद्योग को भी क्षति पहुँचती है। यदि पानी व रासायनिक पदार्थों के घोल से मछली भी दूषित हो जाती है और वह मानवीय उपभोग के लायक नहीं रहती। सामुद्रिक खाद्य पदार्थ (sea food) भी यदि पानी से प्रदूषित हो जाने से हेपाटाइटिस जैसी बीमारी या हैजे को उत्पन्न कर देते हैं।

भारत सरकार ने छ बडी नदियों को प्रदूषित माना है। इनके नाम इस प्रकार हैं **साबरमती सुबरनरेखा, गोदावरी, कृष्णा, सिंध तथा गगा** व इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ (प्रमुखतया यमुना, गोमती आदि) । इनमे घरेलू गदा पानी व औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ भारी मात्रा मे मिल जाते है।[1] विश्व विकास रिपोर्ट 1992 मे कावेरी गोदावरी साबरमती सुबरनरेखा (जमशेदपुर व राची क्षेत्रो के लिए) तथा ताप्ती (बुरहानपुर व नेपानगर क्षेत्रो के लिए) नदियो के प्रदूषण की मात्रा के अनुमान दिये ह जिससे पता चलता है कि इनमे घुले हुए आक्सीजन (dissolved oxygen) व मल मूत्र प्रदूषण (fecal coliform) के अश किस सीमा तक पाये जाते है। उन आँकडो के अध्ययन से पता लगता है कि 1983 86 की अवधि मे सुबरनरेखा नदी मे जमशेदपुर व राची क्षेत्रो मे मल मूत्र के कारण प्रदूषण की मात्रा सर्वाधिक हो गई थी। लेकिन 1987 90 की अवधि मे यह कम हुई है हालाँकि अब भी यह काफी ऊँची बनी हुई है।

(5) **वायु प्रदूषण (air pollution) -**

भारत में विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रो मे लकडी व गोबर जलाने से जो धुआँ होता है उससे घर के अदर वायु प्रदूषण हो जाता है। घर के बाहर वायु प्रदूषण ऊर्जा के उपयोग, वाहनों का धुआँ निकलने व औद्योगिक उत्पादन के कारण फैलता है। 1980 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों मे विश्व के प्रमुख नगरों जैसे बैंकाक बीजिंग, कलकत्ता, नई दिल्ली व तेहरान मे वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य सगठन (WHO) के निर्देशों से कहीं अधिक पाया गया है। इससे निमोनिया व हृदय रोग तथा श्वास सम्बन्धी बीमारियाँ बढी है। कमजोर स्वास्थ्य वाले लोग इनसे जल्दी प्रभावित होते है। वायु प्रदूषण से पुरानी ब्रोन्काइटिस व इम्फीसीमा बीमारियाँ बढी

---

1 Neena Vyas Pollution Challenge and Response an article in Survey of the Environment 1992 (The Hindu) p 173

है जिनका असर श्वास नली के निचले भाग पर होने से फेफडो मे इन्फेक्शन हो जाता है ओर अत मे हृदय गति रुक सकती है। भारत व नेपाल में अध्ययनो से पता चला ह कि बायोमास के धुआँ (लकडी गोबर आदि जलाने से उत्पन्न धुआँ) से श्वास नली की बीमारी बढी है। गाडियो से धुआँ निकलने से वायु प्रदूषण बढा है। बच्चो मे बुद्धि-भागफल (IQ) सात वर्ष का आयु तक च. प अधिक विन्दु गिरा है (बैंकाक के अध्ययन के अनुसार) तथा हाइपरटेन्सन से होने वाली मौते बढती जा रही हे। सल्फर डाइऑक्साइड से भी प्रदूषण बढ रहा है।

(6) मिट्टी का कटाव व मिट्टियो को होने वाली अन्य प्रकार की क्षति-

मिट्टी को तीन प्रकार से क्षति पहुँचती है, यथा मरुस्थलीकरण या रेगिस्तानीकरण (desertification), मिट्टी की कटाव (erosion) तथा क्षारायकरण (salinization) अथवा पानी का जमाव या दलदल होने से क्षति (Waterlogging)। मरुस्थलीकरण से बालू आगे बढकर चरागाहो व कृषिगत भूमि को ढक लेती है। मिटटी का कटाव हवा व पानी से होता रहता है जिससे मिट्टी की उपजाऊ परत आगे चली जाती है जिससे प्रति हेक्टेयर पैदावार घट जाती है।

ऊष्ण प्रदेशो वाले विकासशील देशो मे इस प्रकार का कटाव काफी क्षति पहुँचाता है। मिट्टी के कटाव से बाधो, सिचाई-प्रणालियो व नदी-परिवहन-व्यवस्था मे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और मछली पालन को क्षति पहुँचती है। वैसे मिट्टी के कटाव से कभी-कभी दूसरी जगह उपजाऊपन बढ जाता है, लेकिन जहाँ से मिट्टी की ऊपरी परत आगे चली जाती है उस जगह तो हानि ही होती है । इसलिए इसका वितरणात्मक प्रभाव प्रतिकूल होता है।, उदाहरण के लिए, नेपाल को इससे सतोष नहीं होगा कि इसकी मिट्टी के बह कर चले जाने से बगला देश की कृषिगत भूमि ज्यादा उपजाऊ बन गई है।

अत भू-सरक्षण के उपाय अपनाने जरूरी हो गये है। इसके लिए परिधि-खेती (contour cultivation) (पहाडी क्षेत्रो में) कृषि-वानिकी, खाद देना, आदि लाभकारी होते हे। क्षारीयकरण व पानी का जमाव होने से सिंचित क्षेत्रो को काफी हानि हो रही है। यह चीन मिश्र भारत मैक्सिको, पाकिस्तान, आदि मे विशेष रूप से देखने को मिलती है। विश्व मे कृषित भूमि का लगभग एक-तिहाई भाग लवण की समस्या से ग्रस्त पाया जाता है। सिचाई की खराब व्यवस्था के कारण सेम व क्षारीयता की समस्या उत्पन्न हुई है। नये भू-क्षेत्रो मे यह समस्या बढती जा रही है। इस प्रकार मिट्टी को मरुस्थलीकरण कटाव व लवणता के कारण ह्रास का शिकार होना पडा है।

(7) वनो का वृक्षो की कटाई के कारण तीव्रगति से विनाश (deforestation)

वृक्षो की अनियन्त्रित कटाई से पर्यावरण को भारी क्षति पहुँचती है। इस सम्बन्ध मे ऊष्ण प्रदेशो मे नम जगलों की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। वन सूखे प्रदेशो व शीतोष्ण प्रदेशो मे भी पाये जाते हैं। वनो के कई प्रकार के सामाजिक

व पर्यावरणाय कार्य होते है। वे जलवायु, जल पूर्ति मिट्टी आदि को प्रभावित करते हैं। ऊष्ण प्रदेशो के नम जगलो मे वृक्षो की अव्यवस्थित कटाई से होने वाली क्षति को पुन वृक्षारोपण से पूरा कर सकना कठिन होता है।

इनमें जैविक विविधता भी अधिक पायी जाती है। हालाँकि ये पृथ्वी के 7% भाग मे पाये जाते है लेकिन पेड-पौधो व जीव जन्तुओ की आधी नस्ले इनमें मिलती है। जगलो को कृषि निर्माण सामग्री व ईंधन की लकडी के लिए साफ कर दिया गया है। विकासशील देशो मे जलाने की लकडी के लिए ज्यादातर वनों का विनाश हुआ है। ऊष्ण प्रदेशो के नम वनो (tropical wet forests) को इमारती लकडी के लिए उजाड दिया गया है। खनन तेल की खोज सडक व रेलो के निर्माण बीमारियो पर नियत्रण की आवश्यकता आदि क कारण वन क्षेत्रो मे लोग प्रविष्ट हुए है जिससे वनो को हानि हुई है। अत भविष्य मे वनो क सरक्षण व विकास पर ध्यान देना होगा। चेकोस्लोवाकिया कागो कोलम्बिया दक्षिण चिली मेडागास्कर, ब्राजील आदि मे वनो का विनाश किया गया है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अभी तक विकास की प्रकिया मे पर्यावरण की सुरक्षा व इसके समुचित प्रबध पर पर्याप्त ध्यान न देने से विश्व मे जल प्रदूषण वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण मिट्टी व वनो के विनाश तथा ह्रास जैविक विविधता के अन्तर्गत नाना प्रकार के पशु पक्षियो जीव जन्तुओ व पेड पौधो का विलुप्त होना ग्रीनहाउस उष्णीकरण व ओजोन की परत के ह्रास आदि के रूप में पर्यावरण पतन की प्रक्रिया जारी है जिसे रोका जाना अत्यावश्यक है।

पर्यावरण मे गिरावट के कारण-

पर्यावरण की चर्चा मे सर्वप्रथम प्रश्न इसके कारणो को लेकर किया जाता है। सभी इस सम्बन्ध मे एक मत है कि जनसख्या की वृद्धि व निर्धनता पर्यावरण असतुलन के मुख्य कारण है।

(1) जनसख्या, निर्धनता व पर्यावरण वर्तमान मे विश्व की जनसख्या लगभग 5 3 अरब है और इसमे प्रतिवर्ष 9 3 करोड की रफ्तार से वद्धि हो रही है तथा एक पीढी मे 1990 से 2030 तक 3 7 अरब की वृद्धि की सम्भावना है। इस प्रकार जनसख्या के बढने से भोजन ईंधन पशुओ के लिए चारे व लोगो के लिए रोजगार की आवश्यकताएँ बढती हैं जिसमे उचित व्यवस्था के अभाव मे वृक्षो की कटाई मिट्टी के ह्रास जल तथा वायु के प्रदूषण आदि की समस्याएँ उग्र होती जाती हैं।

(2) विकसित औद्योगिक देश सर्वाधिक प्रदूषण फैलाते है

विश्व के 25% लोग विश्व की 75% पयावरण समस्या के लिए उत्तरदायी माने गये है। अमेरिका मे ऊर्जा की सर्वाधिक खपत होती ह। वहाँ प्रति व्यक्ति वायुमण्डल मे कार्बन की छोडी जाने वाली मात्रा 5 टन मानी जाती ह जबकि

भारत मे यह 0 4 टन है क्योंकि यहाँ ऊर्जा की खपत कम पायी जाती है। एक अमरीकी नागरिक एक औसत भारतीय से वायुमण्डल को 12 गुना प्रदूषित करता है। अमरीका का रिकार्ड CFC (क्लोरोफ्लोरो कार्बन) की खपत में भी ऊँचा है। यहाँ 350 अरब मीटिक टन सी एफ सी पर्यावरण म छोडी जाती है जबकि जापान मे 100 अरब मैटिक टन तथा भारत मे 0 7 अरब मीटिक टन छोडी जाती है।

(3) विकासशील देशो मे औद्योगीकरण व शहरीकरण से प्रदूषण मे वृद्धि

चीन व भारत जेमे देशो मे औद्योगीकरण की प्रगति से तथा जनसख्या की वृद्धि से प्रदूषण का विस्तार हो रहा हे और आगामी 30 40 वर्षों मे कार्बन की निकासी विश्व मे वर्तमान के 20 अरब टन के स्तर से बढकर भविष्य मे 50 अरब टन तक जा सकती है।

(4) पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलोजी पर कम ध्यान तथा प्राकृतिक साधनो के सरक्षण के प्रयासो में कमी

विकसित तथा विकासशील देशो मे टेक्नोलोजी पर्यावरण के अनुकूल न होने से भी पर्यावरण को हानि बढी है। प्राकृतिक साधनों का उपयोग करते समय इनके सरक्षण व सवर्द्धन पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए, खनन क्षेत्रो मे से खनिज पदार्थ निकाल कर उनको अनदेखा छोड देने से वे भू क्षेत्र खाली व वीरान पडे रह जाते है जिससे वे पर्यावरण के ह्रास मे योगदान देने लग जाते हे । वृक्षो की कटाई के साथ साथ नये वृक्ष लगाने पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। झूम खेती (shifting cultivation) की पद्धति मे जगलो को साफ करके खेती कुछ वर्षों के लिए की जाती हे फिर उस भूमि को छोड दिया जाता है जिससे पर्यावरण के विनाश को प्रोत्साहन मिलता है । कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जितना प्रकृति से लेता है अथवा लेना चाहता है उतना वह प्रकृति को देता नही अथवा दे नहीं पाता अथवा देना नही चाहता। इससे मानव व प्रकृति के बीच सघर्ष छिड जाता है और इनमे परस्पर असतुलन के फलस्वरूप पर्यावरण का पतन प्रारम्भ हो जाता है।

(5) बडे बाधा पर अधिक बल दने से पर्यावरण को खतरा हो सकता है,

जसा कि गुजरात मे नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट व उत्तर प्रदेश की टेहरी बाध परियोजना के सम्बन्ध मे कहा गया ह। पयावरण विशेषज्ञो का मानना है कि बडे बाधा से वन क्षेत्र को हानि होती ह क्योंकि वृक्षो का कटाइ करनी होती ह आर लोगो को अन्यत्र बसाने की व्यवस्था मे कई प्रकार की कठिनाइयाँ आता ह। हालाकि इस सम्बन्ध मे लागत लाभ अध्ययनो का महत्व स्वीकार किया गया ह फिर भी कुल मिलाकर यह माना जाने लगा ह कि बडी

नदी परियोजनाओ का चयन काफी सोच विचार कर व स्थानीय लोगो को विश्वास मे लेकर तथा उनकी पूर्ण सहमति से किया जाना चाहिए ताकि आगे चलकर इनके क्रियान्वयन मे बाधाएँ न आएँ। जून 1992 मे ब्रेडफोर्ड मोर्स (Bradford Morse) की अध्यक्षता मे नियुक्त विश्व बैंक के आयोग ने नर्मदा प्रोजेक्ट पर अपनी लगभग 350 पृष्ठो की रिपोर्ट मे इस प्रोजेक्ट के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावो पर प्रकाश डाला है। आयोग के मतानुसार सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से काफी गाव पानी की डूब के क्षेत्र मे आ जायेंगे काफी लोग बेघरबार हो जायेंगे जिनको फिर से बसाने की समस्या हल करनी होगी साथ मे नहर व्यवस्था के कारण भूमि की क्षारीयता व दलदल होने की समस्या उत्पन्न हो जायगी। आयोग की रिपोर्ट से भारत मे पर्यावरणवेत्ताओ व पर्यावरण के पक्षधरो के मत की पुष्टि हुई है। हाल मे भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अपने साधनों से पूरा करने का निश्चय किया है और विश्व बैंक से और सहायता न लेने की घोषणा की है ताकि हमारी स्वायत्तता बनी रहे।

इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण के लिए कई प्रकार के तत्व जिम्मेदार होते हैं। लोगा मे पर्यावरण सम्बन्धी तथ्यों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए ताकि वे इसकी रक्षा के लिए अपना आवश्यक योगदान दे सके।

पर्यावरण कुप्रबध व पदूषण के दुष्परिणाम [1]

हमने ऊपर पर्यावरण प्रदूषण व पतन के कुछ दुष्परिणामो की ओर सकेत किया है। नीचे तालिका के रूप मे विश्व मे विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओ के स्वास्थ्य व उत्पादकता पर पड़ने वाले दुष्प्रभावो का साराश दिया गया है।

1 World Development Report, 1992 p 4 table 1

पर्यावरण की समस्या	स्वास्थ्य पर प्रभाव	उत्पादकता पर प्रभाव
1 जल प्रदूषण व जल का अभाव	20 लाख से अधिक लोगो की मत्यु व करोडो बीमारी के शिकार जल की कमी से स्वास्थ्य को खतरे।	मछली उत्पादन में गिरावट, आर्थिक क्रिया में अवरोध, ग्रामीण परिवारों के समय का बरबादी सार्वजनिक संस्थाओ द्वारा सुरक्षित जल उपलब्ध करने की लागते, आदि।
2 वायु प्रदूषण	ग्रामीण क्षेत्रो मे इडोर धुए के कारण महिलाओ व बच्चो के स्वास्थ्य मे गिरावट, अकाल मत्यु, कफ खासी आदि	वाहन व औद्योगिक क्रिया पर समय समय पर रोक वनों पर एसिड वर्षा का दुष्प्रभाव।
3 ठास व जोखिमपूर्ण व्यर्थ पदार्थ	सडते हुए कूडे से बीमारी फैलना	भूतल जल साधनो का प्रदूषण
4 मिट्टी का ह्रास (soil degradation)	सूखे की सम्भावना का बढ़ना तथा गरीब किसानों के पोषण मे कमी	खेतो की उत्पादकता में गिरावट, जलाशयो में मिट्टी भर जाना नदियों में परिवहन चैनल में बाधा, आदि
5 वनों की कटाई	स्थानीय बाढ से मत्यु व बीमारियाँ	लकडी का अभाव होना, जलग्रहण स्थिरता में कमी (loss of watershed stability)
6 जैविक विविधता का ह्रास (loss of biodiversity)	नई दवाओं की उपलब्धि न होना	पर्यावरण व्यवस्था मे गिरावट व कई प्रकार के प्राकृतिक साधनों की कमी
7 वायुमण्डल के परिर्वतन	बीमारियाँ, ओजोन परत के घटने से चर्म केन्सर व आँखों के केटेरेक्ट (मोतियाबिन्द) की बीमारी	सामुद्रिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धि में व कृषिगत उत्पादकता में प्रादेशिक परिवर्तन, आदि।

उपर्युक्त विवेचन से पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण स्वास्थ्य को हानि पहुचाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था मे विभिन्न प्रकार से उत्पादकता को भी घटाते है। अत विकास व पर्यावरण पर एक साथ विचार करना जरूरी है। अब हम पर्यावरण प्रदूषण के कुछ पहलुओ का विवेचन राष्ट्रीय व

राज्यीय परिप्रेक्ष्य मे करेंगे।

भारत में पर्यावरण-प्रदूषण के कुछ पहलू -

भारत में जनसख्या 1951 मे 36 करोड़ से बढकर 1991 में 84 6 करोड (सशोधित) हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रो में आबादी के दबाव काफी तेजी से बढते जा रहे हैं। 1961 मे शहरी जनसख्या 7 8 करोड थी जो बढकर 1991 मे 21 76 करोड हो गई है। 1961 मे यह कुल जनसख्या का 18% थी जो 1991 मे 25 72 प्रतिशत हो गई है। शहरों मे आबादी के बढने से पानी, सफाई, आवास, परिवहन आदि प्रणालियो पर भारी दबाव पडे हैं और पर्यावरण-प्रदूषण बढा है।

बडे पैमाने पर वृक्षो की कटाई से 1985 से 1989 के बीच के चार वर्षों मे देश मे 1 9 लाख हैक्टेयर भूमि मे वन समाप्त हो गये। इनमे प्रतिवर्ष 47,500 हैक्टेयर की गिरावट आयी। वैसे भी भारत मे वन-क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र के 22% भाग मे पाये जाते है (जबकि 1/3 भाग पर वन होने चाहिएँ) लेकिन इसमे भी घने जगल केवल 12% क्षेत्रफल मे ही पाये जाते है। शेष क्षेत्र मे घटिया श्रेणी के वन ही पाये जाते हैं। वनो की कटाई से व्यर्थ भूमि की मात्रा बढी है तथा मिट्टी का कटाव बढा है। जैसा कि पहले बतलाया गया था, भारत की कई प्रमुख नदियाँ प्रदूषण की शिकार है। इनमे मैला पानी छोडा जाता है और औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ डाल दिये जाते हैं जिससे ये भारी मात्रा मे प्रदूषित होती जा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रो मे महिलाओ को ईंधन व पानी की तलाश मे कई मीलो का चक्कर लगाना पडता है। योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री एल सी जैन के अनुसार 'एक अर्द्ध-शुष्क गाँव मे एक महिला को वर्ष मे 1400 किलोमीटर चलना पडता है ताकि वह अपने लिए रोज की जलाने की लकड़ी इकट्ठी करके ला सके। यह दूरी दिल्ली से कलकत्ता तक की मानी गई है।"[1] पहाडी क्षेत्रो की स्थिति तो और भी बदतर होती है। इस प्रकार निर्धनता के कारण लोगो को कई प्रकार की दिक्कतो का सामना करना पडता है और लोग बेबस होकर पर्यावरण को क्षति पहुँचाते रहते है।

देश मे सिचाई की व्यवस्था मे कमी रहने से मिट्टी मे लवणता व क्षारीयता बढी है। कीटनाशक दवाइयो के अविवेकपूर्ण उपयोग से खाद्यान्नो मे टोक्सिक तत्व रहने से केन्सर व अन्य बीमारियो का प्रभाव बढा है।

---

1 L C Jain Decentralisation In Touch with People p 155 (Survey of Environment, The Hindu 1992)

भारत मे बडे बाधो के पर्यावरण पर दुष्प्रभावो की चर्चा हुई है तथा इस सम्बन्ध मे आन्दोलन भी किये गये है । गुजरात मे नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट और उत्तरप्रदेश मे गढवाल हिमालय क्षेत्र मे भागीरथी नदी पर टेहरी बाध (260 5 मीटर ऊँचा) को लेकर पर्यावरणीय समस्याएँ उठाई गयी हैं । टेहरी परियोजना के सम्बन्ध मे भूकम्प व बाढ की आशकाएँ प्रकट की गयी हैं । टेहरी बाध के विफल होने से बाढ का भय बतलाया गया है । अत भविष्य मे बडे बाधो के चयन मे अधिक सावधानी व सतर्कता बरतनी होगी । जैसा कि पहले बतलाया गया है जून 1992 मे विश्व बैक द्वारा नियुक्त ब्रैडफोर्ड मोर्स आयोग ने सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय कुप्रभावो की और ध्यान आकर्षित किया है। इस सम्बन्ध मे प्रभावित लोगो को पुन बसाने की समस्या बहुत जटिल होती है।

चिपको आन्दोलन भारत मे मध्य हिमालय मे अलकनदा के इर्द गिर्द पहाडी प्रदेश (बद्रीनाथ मार्ग पर) मे वक्षो को कटाई से पर्यावरण व परिवेश को भारी क्षति होने लगी थी । पेडो को काटकर पहाडी के नीचे लुढकाने से ऊपर की मिट्टी ढीली होने से बरसात मे तेजी से आगे खिसकने लगी । इससे जुलाई 1970 मे अलकनदा मे भयकर बाढ भी आयी थी । बाद मे वहाँ के लोगो ने गोपेश्वर के समीप एक ग्राम स्वराज मण्डल की स्थापना करके एक आन्दोलन प्रारम्भ किया जिसे 'चिपको आन्दोलन का नाम दिया गया । इस आन्दोलन मे लोग पेडो की कटाई को रोकने के लिए 'पेडो से चिपक जाते थे और वन विभाग के कर्मचारियो और ठेकेदारो को पेड काटने से रोकते थे । यह आन्दोलन काफी कामयाब रहा और इसकी वजह से पेडो की कटाई जोशीमठ व अन्य आस पास के स्थानो म काफी सीमा तक रुकी थी । इस आन्दोलन से यह सबक मिलता है कि लोग अपने प्रयास से पर्यावरण को नष्ट होने से बचा सकते है बशर्ते कि उन्हे पर्यावरण सरक्षण का महत्त्व समझ मे आ जाये । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पर्यावरण के विनाश में ग्रामीण जनता की इतनी भागीदारी नहीं होती जितनी अन्य लोगो की होती है हालांकि प्राय कोशिश सम्पूर्ण दोष को ग्रामीण जनता के गले ही मढने की होती रहती है । अत चिपको जैसे लोकप्रिय व जनवादी आन्दोलन का पर्यावरण की रक्षा मे महत्त्व स्वीकार किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध मे प्रमुख पर्यावरणवादी श्री सुन्दरलाल बहुगुणा का योगदान सराहनीय रहा है ।

छठी योजना मे पर्यावरण की सुरक्षा पर लगभग 40 करोड रु व्यय किये गये और सातवी योजना (1985 90) में इसके लिए 428 करोड रु के व्यय की व्यवस्था की गयी जिसमे 240 करोड रु गगा कार्य योजना (Ganga Action Plan) के लिए निधारित किये गये थे। गगा कार्य योजना के अन्तर्गत एक केन्द्रीय गगा प्राधिकरण की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष प्रधानमत्री बने। इसमे गगा को प्रदूषण से बचाने के लिए वर्तमान मे चालू मैले पानी के 'टीटमेट प्लान्ट्स को

आधुनिक बनाने का कार्य हाथ मे लिया गया था तथा नये प्लान्ट्स स्थापित करना भी आवश्यक मना गया था । इसमे यू पी बिहार व पश्चिम बगाल राज्यो को शामिल किया गया । इसमे गदे पानी (sewage) का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने व सुधरे पानी को सिचाई के लिए घास पात (algae) के उत्पादन व मछली-उत्पादन मे प्रयुक्त करने का कार्यक्रम बनाया गया है। इसके अधिकाश काम पूरे हो गये हैं और शेष 1995 तक पूरे हो जायेंगे । इस पर 423 करोड रु व्यय होने का अनुमान है।

भारत सरकार ने अप्रैल 1993 में यमुना व गोमती नदियों के जल को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 421 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना को मजूरी प्रदान की है। इसमें यमुना का अश 357 करोड रुपये है तथा गोमती का 64 करोड रुपये। इसे पूरा करने मे लगभग छ वर्ष लगेंगे। यह परियोजना हरियाणा उत्तर प्रदेश व सघीय क्षेत्र दिल्ली के 15 बडे नगरो मे कार्यान्वित की जायगी। इसका आधा खर्च भारत सरकार उठायेगी तथा शेष आधा तीनों प्रदेश उठायेंगे। **'इसे गगा एक्शन प्लान' का दूसरा चरण (second phase) माना गया है।** इसमे भी म्यूनिसिपल व्यर्थजल को दूसरी तरफ प्रवाहित करना व रोकना, गदे पानी के ट्रीटमेण्ट वर्क्स स्थापित करना कम लागत पर साफ सफाई की व्यवस्था करना नदी के घाटो को सुधारना, नदी किनारे वृक्षारोपण करना व सुधरी हुई शवदाहशालाओ की व्यवस्था करने जैसे कार्य शामिल है। यमुना परियोजना से हरियाणा के यमुनानगर व जगाधरी करनाल, पानीपत सोनीपत, गुडगाव व फरीदाबाद मे उत्तर प्रदेश व सघीय प्रदेश दिल्ली के गाजियाबाद, नोयडा, वृन्दावन मथुरा, आगरा इटावा सहारनपुर व मुजफ्फरनगर मे प्रदूषण कम करने के वर्क्स स्थापित किये जायेगे। गोमती नदी के लिए लखनऊ सुल्तानपुर व जौनपुर नगर होगे।

भारत में पर्यावरण की सुरक्षा पर भावी योजनाओ मे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके वृक्षारोपण के जरिए फलो चारे, ईंधन की लकडी व इमारती लकडी की पैदावार बढायी जा सके। सम्बन्धित क्षेत्रो की मिट्टी के कटाव से रक्षा करनी होगी और शहरो व गावो की साफ-सफाई (sanitation) पर ज्यादा ध्यान देना होगा। यथासम्भव नगर नियोजन को सुधार कर लोगो के लिए आवास पानी बिजली व परिवहन की सुविधाएँ बढानी होगी। जनसख्या नियत्रण व आर्थिक विकास के जरिए निर्धनता उन्मूलन पर अधिक ध्यान देने से पर्यावरण को सुधारने मे भी मदद मिलेगी।

ग्रामीण औद्योगीकरण पर अधिक बल देने से नगरो व महानगरो मे गदी बस्तियो का फैलाव रुकेगा और पर्यावरण अधिक साफ सुथरा हो सकेगा। जनसख्या का गावो से शहरों की ओर पलायन रुकेगा।

अत भावी योजनाओ में विकेन्द्रित नियोजन को अपना कर जनता की

भागीदारी बढायी जानी चाहिए और स्थानीय स्तर पर विभिन्न विकास कार्यक्रमो को लागू करके लोगों की मूलभूत आवश्यकताओ को पूरा किया जाना चाहिए ताकि वे पर्यावरण को क्षति पहुँचाने का प्रयास न करे।

राजस्थान मे पर्यावरण प्रदूषण के कुछ पहलू [1]

राजस्थान मे जल प्रदूषण से भी ज्यादा गम्भीर समस्या जलाभाव की है। देश के जल साधनो का केवल 1% अश राजस्थान मे पाया जाता है जो क्षेत्रफल व जनसख्या के क्रमश लगभग 10% व 5 2% अनुपातो को देखते हुए बहुत कम है। कई क्षेत्रो मे भूतल का जल खारा होता है। पिछले वर्षों मे राज्य मे भूतल के जल साधनो का भी लगभग 85% अश प्रयुक्त किया जाने लगा है। राज्य मे हवा के कारण मिट्टी का कटाव होता रहता है। राज्य के निम्न 11 जिलो मे मरुस्थल पाया जाता है श्रीगगानगर, चुरू बीकानेर, जैसलमेर, बाडमेर, जोधपुर जालौर, झुन्झुनू, पाली सीकर व नागौर। पश्चिम राजस्थान मे अधिकाश भू क्षेत्र ह्रास (degradation) के शिकार हैं। इस प्रदेश मे वर्षा का औसत 300 मिलीमीटर वार्षिक पाया जाता है जो बहुत नीचा है। मिट्टी कम उपजाऊ है। तेज हवाओ व ऊँचे तापमान के कारण नमी की उपलब्धि पर विपरीत प्रभाव पडता है। इस प्रदेश मे पानी की कमी है और सीमित जल के लिए मनुष्य व पशु मे स्पर्धा की स्थिति पायी जाती है। अत्यधिक चराई से भूमि को काफी हानि हुई है। राज्य मे चारे की माँग व पूर्ति मे असतुलन पाया जाता है। सूखे के वर्ष मे चारे की सप्लाई उसकी माँग से बहुत कम पायी जाती है। कभी कभी यह माँग की तुलना मे चौथाई पायी गयी है जिससे चारे की खरीद अन्य राज्यो से करनी पडती है।

राज्य मे सिंचित क्षेत्र कुल कृषित क्षेत्र का केवल 24% है। इस प्रकार 3/4 कृषित क्षेत्र वर्षा पर आश्रित रहता है।

इन्दिरा नहर के सिंचित क्षेत्र मे 'सेम' की समस्या-

इन्दिरा गाधी नहर मे कई स्थानो पर भारी रिसाव हो रहा है जिससे आस पास के गाव और चक वीरान होने लगे है तथा रिसाव (सेम) से उपजाऊ भूमि हजारों हैक्टेयर क्षेत्र मे नष्ट होकर दलदली बनती जा रही है। उपजाऊ भूमि पर सेम का पानी व जहरीला घास उत्पन्न हो गया है। रिसाव से नष्ट होने वाले क्षेत्र का दायरा निरतर बढता जा रहा है। भूमि के नीचे जिप्सम की कठोर परत है तथा किसान पानी अधिक मात्रा मे देते हैं जिससे सेम की समस्या गम्भीर होती जा रही है।[2]

---

1 J Venkateswarlu, Deserts Taming the arids, Survey of Environment (The Hindu) 1991 pp 162 163

2 पत्रिका 12 नवम्बर, 1991

पाली व आस-पास के क्षेत्रो मे वस्त्रो की छपाई रगाई की इकाइयो से जल प्रदूषण बढा है। अन्य औद्योगिक क्षेत्रों मे भी जल प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। राजस्थान का जल-बजट लडखडा रहा है। वर्षा के जल सतही जल व भूतल के जल से राज्य की जल की कुल आवश्यकता की पूर्ति करना कठिन होता जा रहा है जिससे वर्ष 2000 तक जल सकट और तीव्र हो सकता है। भूतल के जल का अधिक मात्रा मे प्रयोग करने से भविष्य मे जल का अभाव अधिक गम्भीर हो सकता है।

पिछले वर्षो मे रिजर्व वनों व पशु पक्षियों के शरण स्थलों मे खनन कार्यों के बढने से पर्यावरण को हानि पहुँची है। अलवर जिले मे सरिस्का क्षेत्र मे मार्बल, लाइमस्टोन सोपस्टोन बॉक्साइट, ग्रेनाइट आदि के खनन (अधिकृत व अनधिकृत) से पर्यावरण को क्षति पहुँची है। इससे इस क्षेत्र मे मिट्टी को क्षति पहुँची है और श्रमिक वनों से ईंधन व चारे की प्राप्ति के लिए इनको क्षति पहुचाते हैं। राज्य में करौली के वनो मे गैर कानूनी ढग से खनन किया जा रहा है। राजस्थान मे वन भूमि पर पशुओ का दबाव बहुत बढ़ गया है। राज्य मे पशुओ की सख्या मनुष्यों से अधिक है। बकरी घास की अन्तिम पंक्ति तक का सफाया कर देती है।

अत राजस्थान मे पानी की कमी मिट्टी का कटाव वृक्षो की कटाई खनन-क्रिया से वन क्षेत्रों को क्षति सिचाई से 'सेम' समस्या व दलदली भूमि का उत्पन्न होना (विशेषतया इन्दिरा गाधी नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र में) आदि समस्याए पर्यावरण की कठिनाइयो को स्पष्ट रूप से प्रगट करती हैं।

राज्य सरकार जापान की आर्थिक सहायता का प्रयोग करके अरावली प्रदेश को हरा भरा करने का प्रयास कर रही है। राज्य मे अरावली क्षेत्र पर्यावरण असतुलन व गिरावट का ज्वलत उदाहरण है। इन्दिरा गाधी नहर परियोजना के चारों तरफ वन लगाने व रेगिस्तानी टीलो के स्थिरीकरण का कार्यक्रम प्रारम्भ करने की योजना बनायी गयी है।

राजस्थान की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था मे पशु-पालन के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं। भविष्य में खनन-क्रिया के वैज्ञानिक संचालन पर जोर दिया जाना चाहिए और जोधपुर स्थित काजरी के अध्ययनो व अनुसधानों का उपयोग करके वृक्षारोपण व कृषिगत विकास पर ध्यान देना चाहिए। राज्य की अर्थव्यवस्था को पर्यावरण की दृष्टि से अधिक सुदृढ करने की आवश्यकता है। इसके लिए ठोस कार्यक्रमो के चयन पर बल दिया जाना चाहिए।

जून 1992 में ब्राजील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन-

ब्राजील की राजधानी रियो दे जेनिरियो मे पृथ्वी सम्मेलन 3 जून से 14 जून 1992 तक आयोजित किया गया था। पर्यावरण जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर आयोजित यह पहला बड़े पैमाने पर आयोजित विश्व स्तरीय सम्मेलन था जिसमे 178 देशों ने भाग लिया तथा इसमे करीब 100 देशो के राज्याध्यक्ष प्रधानमत्री

राष्ट्रपति आदि उपस्थित थे।

सम्मेलन ने विश्व के विभिन्न देशो का ध्यान पर्यावरण सरक्षण की ओर आकर्षित किया और उनको यह एहसास कराया कि यदि पर्यावरण की सुरक्षा नहीं की गई तो आने वाले वर्षों मे अनेक प्रकार की गभीर समस्याओ का सामना करना पडेगा।

भारत के प्रधानमत्री श्री पी वी नरसिम्हाराव ने **पर्यावरण-सरक्षण-कोष** की स्थापना का महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया। इसके अनुसार दुनिया के देशो को अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) का 0 7% इस कोष में देना चाहिए । हालाँकि इस सम्बन्ध मे कोई अन्तिम फैसला नहीं हो सका, फिर भी यह सुझाव व्यावहारिक व लाभकारी माना गया । औद्योगिक देशो द्वारा प्रदूषण में अधिक योगदान देने के कारण उनके द्वारा इसको रोकने पर व्यय भी अधिक करना चाहिये । भारत के केन्द्रीय पर्यावरण राज्य मत्री श्री कमल नाथ के कारण भी पृथ्वी सम्मेलन मे भारत की भूमिका प्रभावशाली रही। तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने भी चीनी कहावत का उदाहरण देते हुए कहा कि **'यदि हमने पृथ्वी को ठगा तो पृथ्वी हमे ठगेगी'**

पृथ्वी सम्मेलन मे कुल मिलाकर सभी पर्यावरणीय मुद्दो पर आम सहमति नजर आई। जापान व यूरोपीय देशो ने अपनी तरफ से ग्रीन हाउस गैसो के निर्गम (emission) को कम करने, जैविक विविधता का सरक्षण करने तथा प्रदूषण को खत्म करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की पेशकश की । पहले अमेरिका ने वाँछित सहयोग नहीं दिया, लेकिन बाद में उसे भी पृथ्वी पर पर्यावरण के पतन को रोकने के प्रयासो मे अपनी सहमति प्रगट करनी पडी ।

आशा है कि ब्राजील मे पृथ्वी शिखर सम्मेलन में तैयार किये गये जैविक विविधता सरक्षण व वन-सरक्षण के दस्तावेज तथा एजेण्डा - 21 आगे चलकर पर्यावरण-सरक्षण को आवश्यक आधार प्रदान कर पायेंगे। इसमे कोई संदेह नहीं कि भारतीय सस्कृति जो धर्म व अध्यात्म पर आधारित है, और जिसमें सदैव प्रकृति की पूजा पर बल दिया गया है, औद्योगिक देशों की उपभोक्तावादी, भोगवादी व भौतिकवादी सस्कृति को यह सबक सिखा पायेगी कि वह जल, थल, नभ व सम्पूर्ण वायुमण्डल को स्वच्छ रखने को प्रथमिकता दे । लेकिन साथ में इसे अपने यहाँ भी इन उच्च आदर्शों के पालन पर अधिक ध्यान देना होगा ताकि भारत में सभी प्रकार के प्रदूषणो में कमी आ सके। अब विकास व पर्यावरण पर साथ-साथ ध्यान देने से ही टिकाऊ विकास का लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव हो सकता है।

,

प्रश्न

1 पर्यावरण-प्रदूषण का आशय स्पष्ट कीजिए। इसके विभिन्न रूपो का परिचय दीजिए या "पर्यावरण के चार दुश्मन, जल, थल, वायु, व ध्वनि प्रदूषण" को समझाइये।

2 सुस्थिर विकास का अर्थ लिखिए । 'विकास व पर्यावरण एक हो सिक्के के दो पहलू हैं।' समझा कर लिखिए।

3 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

(i) पर्यावरण-प्रदूषण - अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य मे,

(ii) भारत में पर्यावरण-प्रदूषण

(iii) राजस्थान मे पर्यावरण-प्रदूषण

(iv) गगा-कार्य-योजना चरण I व चरण II

(v) ओजोन परत का ह्रास

(vi) ग्रीन हाउस उष्णीकरण या गरमाहट (greenhouse warming)

(vii) जल-प्रदूषण

(viii) वायु-प्रदूषण

(ix) पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जून 1992

4 विकास की प्रक्रिया को पर्यावरण से जोड़ने की विधि का परिचय दाजिये।

5 पर्यावरण-प्रदूषण के रूपो, कारणो व दुष्परिणामो का विवेचन करिए ।

परिशिष्ट

विशेषतया राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर

200 वस्तुनिष्ठ व लघु प्रश्नोत्तर (दोहराने हेतु)

Two Hundred Objective & Short Questions and Answers, Specially on Rajasthan Economy. (For Revision)

नीचे विशेषतया राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्नो के वस्तुनिष्ठ व लघु उत्तर प्रस्तुत किये गये है ताकि उन्हे आसानी से याद किया जा सके तथा उनको एक स्थान पर एक साथ पढकर राज्य के आर्थिक विकास के सम्बन्ध मे व्यापक सही व अधिक सुनिश्चित जानकारी प्राप्त की जा सके । प्रश्नो के उत्तरो मे आँकडो को मूल बातो को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया गया है । आशा है इस परिशिष्ट का अध्ययन सभी विद्यार्थियो के लिये अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होगा ।

1 क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत मे कौनसा स्थान है ? 2000
(अ) तृतीय, (ब) द्वितीय (स) चतुर्थ (द) प्रथम (ब)

2 राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ?
(अ) 15% (ब) लगभग 17%
(स) 10 4% (द) 9% (स)

3 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसख्या भारत की जनसख्या का लगभग कितना अश है ?
(अ) 10 % (ब) 4%
(स) 13% (द) 5 2% (द)

4 1991 मे राजस्थान की जनसख्या कितनी रही (सशोधित) ?
(अ) 4 34 करोड (ब) 4 40 करोड
(स) 4 89 करोड (द) 4 32 करोड (ब)

5 1961-91 की अवधि मे राजस्थान की जनसख्या की वृद्धि की मुख्य बात क्या रही ?

उत्तर- 1961 मे जनसख्या 2 करोड से बढकर 1991 में 4 4 करोड हो गई (दुगुनी से अधिक)

6 1981-91 के दशक मे राजस्थान की जनसख्या की वृद्धि-दर बताइये ?

(अ) 30% (ब) 26%

(स) 28 4% (द) 25%

उत्तर- (स)

7 राजस्थान में 1991 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमाटर जनसंख्या का घनत्व कितना था ?

(अ) 110 व्यक्ति (ब) 104 व्यक्ति (स) 200 व्यक्ति (द) 129 व्यक्ति

उत्तर (द)

8 पिछले दो दशको से कौन-से जिले मे जनसख्या की वृद्धि-दर सर्वाधिक रही है?

उत्तर- बीकानेर जिला।

9 राजस्थान मे 1991 के लिए सेम्पल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के अनुसार प्रति हजार जन्म दर व मृत्यु दर लिखिए।

उत्तर- (जन्म-दर 34 3 प्रति हजार, मृत्यु दर 9 8 प्रति हजार)

(स्रोत Economic survey 1992 93, p 198)

10 राजस्थान मे मरुक्षेत्र, सूखा सभाव्य क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र का क्रमश कुल क्षेत्र में अश लिखिए।

उत्तर- (मरुक्षेत्र = 61%, सूखा सभाव्य क्षेत्र = 7 8% जनजाति क्षेत्र = 5 8% कुल = 74 6%)

11 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के महिला-वर्ग मे साक्षरता-अनुपात क्या है ?

(अ) 25% (ब) 35% (स) 20 44% (द) 15%

उत्तर- (स)

12 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान मे पुरुष-वर्ग मे साक्षरता-अनुपात क्या रहा ?

(अ) 60% (ब) 55% (स) 57% (द) 62%

उत्तर- (ब)

13 1991 में महिला-वर्ग में सर्वाधिक साक्षरता-दर व न्यूनतम साक्षरता-दर किन-किन जिलों में कितनी-कितनी रही ?

उत्तर- सर्वाधिक अजमेर जिले मे 34 50%

न्यूनतम बाड़मेर जिले में 7 68%

14 राज्य में 1981-91 की अवधि में किस जिले में जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि हुई व कितनी हुई ?

उत्तर- बीकानेर जिले मे 42.70%, 1971-81 में 48 1% हुई थी।

15 राज्य में 1981-91 की अवधि मे किस जिले में जनसख्या की न्यूनतम वृद्धि हुई व कितनी हुई ?

उत्तर- पाली जिले मे 16 63%

16 राजस्थान की जनसख्या के लिए 1 मार्च 2001 को कितना होने का अनुमान प्रस्तुत किया गया है ?

(अ) 6 करोड़ (ब) 5 6 करोड (स) 7 करोड़ (द) 5 करोड़

उत्तर- (ब)

(स्रोत Some Facts About Rajasthan, 1992, p 33)

17 1991 में राज्य में आबादी का घनत्व किस जिले में सर्वाधिक रहा व कितना रहा ?

उत्तर- जयपुर जिले मे 336 प्रति वर्ग किलोमीटर

18 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में घनत्व न्यूनतम रहा और कितना रहा ?

उत्तर- जैसलमेर जिले में 9 प्रति वर्ग किलोमीटर

19 राजस्थान में 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसख्या, पुरुषों की संख्या व स्त्रियों की संख्या लिखिए।

उत्तर- कुल जनसंख्या 4 4 करोड़ व्यक्ति

पुरुष-वर्ग 2 3 करोड़

स्त्री-वर्ग 2 1 करोड़

20 1991 में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की व सबसे कम जनसंख्या किस जिले की रही ?

उत्तर- सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर जिले की 47.23 लाख व्यक्ति, कुल जनसंख्या का 10% से अधिक व सबसे कम 3.45 लाख जैसलमेर जिले की (0 8%) एक प्रतिशत से कम)

21 राजस्थान में 1991 की जनगणना के अनुसार लिग-अनुपात (स्त्री पुरुष अनुपात) कितना रहा सर्वाधिक किस जिले में कितना व न्यूनतम किस जिले मे कितना रहा ?

उत्तर 910 स्त्रियाँ प्रति 1000 पुरुष । सर्वाधिक डूगरपुर में 995 न्यूनतम धौलपुर में 795

22 राजस्थान मे बेरोजगारी की स्थिति स्पष्ट कीजिए। (लगभग 150 शब्दों में)

उत्तर राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण के 1987 के 43 वे दौर की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान मे सामान्य स्टेटस (समायोजित) (adjusted) (सहायक स्टेटस को हटाने के बाद) वर्ष भर बेरोजगार व्यक्तियों की सख्या गाव व शहर तथा पुरुषो व स्त्रियों के अनुसार निम्न तालिका मे दी गई है।

क्षेत्र	पुरुष	स्त्रियाँ	कुल
(i) ग्रामीण क्षेत्रो मे	161	91	252
(ii) शहरी क्षेत्रो मे	104	9	113
कुल	265	100	365

इस प्रकार 1987 88 मे राजस्थान मे कुल 3 लाख 65 हजार व्यक्ति वर्ष भर, अथवा स्थायी रूप मे (chronic) बेरोजगार पाये गये। समस्त भारत के लिए इनकी सख्या 93 लाख पायी गयी थी। यदि केवल सामान्य स्टेटस के अनुसार (बिना समायोजन के) लिया जाए तो राजस्थान मे कुल बेरोजगारो की सख्या 4 लाख 76 हजार आती है तथा समस्त भारत के लिए यह 1 करोड 16 लाख आती है।

दैनिक स्थिति (daily status) के अनुसार बेरोजगारी की दरे (श्रम शक्ति मे बेरोजगारों का प्रतिशत) पुरुषो व स्त्रियो एव स्थान के अनुसार नीचे दिया जाता है।

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	पुरुष	स्त्रियाँ
ग्रामीण	5 9	5 2
शहरी	7 2	4 2

इस प्रकार राजस्थान मे स्त्रियो मे बेराजगारी की दर दैनिक स्थिति के अनुसार पुरुषो से कम पायी गयी है।

व्यास-समिति की अन्तिम रिपोर्ट (दिसम्बर 1991) के अनुसार राज्य मे 1990 में बेरोजगारों की बकाया संख्या 4.83 लाख व्यक्ति आंकी गयी है। *1990 के दशक में 15-59 वर्ष के आयु-समूह में 44 लाख व्यक्तियों* के जुडने के अनुमान के साथ इस दशक में पूर्ण रोजगार के लिए लगभग 49 लाख व्यक्तियो को नया काम देने की व्यवस्था करनी होगी।

राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति इतनी गम्भीर नहीं है जितनी यह केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल मे पायी गयी है। "दैनिक स्टेटस की धारणा" में एक व्यक्ति की काम करने की स्थिति पिछले 7 दिनों मे प्रतिदिन के लिए रिकार्ड की जाती है। प्रतिदिन कम से कम एक घण्टे से चार घण्टे तक काम करने वाला व्यक्ति आधे दिन कार्यरत माना जाता है और चार घण्टे या इससे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति पूरे दिन कार्यरत माना जाता है।

23 राजस्थान में बेरोजगारी को दूर करने के सम्बन्ध में सरकारी उपाय लिखिये।

उत्तर- *आर्थिक विकास के फलस्वरूप बेरोजगारी कम होगी। एकीकृत ग्रामीण* विकास कार्यक्रम के मार्फत स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा रही है। जवाहर रोजगार येाजना व अकाल राहत सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार दिया जाता है। 1980-90 मे ग्रामीण निर्धन परिवारो में कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन तक का रोजगार देने के लिए जवाहर रोजगार योजना प्रारम्भ की गई थी जिसमें NREP व RLEGP को मिला दिया गया। राज्य मे ग्रामीण व कुटीर उद्योगों को विकसित करके अधिक लोगो को रोजगार दिया जा सकता है। पर्यटन व निर्माण *उद्योग में भी रोजगार की सम्भावनाएँ हैं।* 1993-94 में *जवाहर रोजगार* योजना पर राज्य सरकार ने 30 करोड रुपये के व्यय का प्रावधान किया है तथा केन्द्र की तरफ से 120 करोड रुपये व्यय किये जायेंगे, जिससे 4 1 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित किया जायगा। 'अपना गाँव अपना काम' के अन्तर्गत भी रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं।

24 *1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में मुख्य श्रमिकों व सीमान्त* श्रमिको का अनुपात लिखिए।

उत्तर- मुख्य श्रमिक 32%, सीमान्त श्रमिक 7%, कुल 39%

25 *1991 मे कुल कार्यशील जनसख्या मे कृषि मे सलग्न श्रमिको व खेतिहर* श्रमिकों का अनुपात बताइए।

उत्तर- कृषि में संलग्न 58 8%, खेतिहर मजदूर 10%, प्रत्येक दस श्रमिको मे एक खेतिहर मजदूर है । कृषिगत कार्यों में कुल संलग्न = 68 8%

26 राजस्थान में निर्धनता की स्थिति स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- 1977-78 के भावो पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 65 रुपये (ग्रामीण क्षेत्रो में) तथा 75 रुपये (शहरी क्षेत्रों में) से कम व्यय करने वाले व्यक्ति निर्धन माने गये थे। 1983 84 के भावो पर ये सीमाएँ ग्रामीण क्षेत्रो के लिए 101 रुपये 80 पैसे तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 117 रुपये 50 पैसे कर दी गयीं। सातवीं योजना में प्रति परिवार प्रति वर्ष व्यय की सीमा 6400 रुपये रखी गयी एवं इससे कम व्यय करने वाले परिवार निर्धन माने गये। पहले यह सीमा 3500 रुपये मानी गयी थी।

योजना आयोग के अनुसार राजस्थान मे 1977-78 मे निर्धनता-अनुपात 33 6% था जो 1983 मे बढ़कर 34 3% हो गया तथा 1987-88 मे घटकर 24 4% हो गया। 1977-78 से 1987 88 की अवधि मे समस्त भारत के लिए यह 48 3% से घटकर 29 9% पर आ गया था। इस प्रकार भारत व राजस्थान दोनो मे निर्धनता का अनुपात घटा है। कैलोरी को आधार स्वरूप लेने पर राजस्थान मे निर्धनता का अनुपात नीचा आता है, क्योंकि यहाँ के भोजन मे बाजरे की मात्रा अधिक पायी जाती है जो यहाँ का मुख्य अनाज है। लेकिन मिन्हास-जैन-तेन्दूलकर के अध्ययन के अनुसार ये आँकडे सही नहीं हैं और इनके द्वारा प्रस्तुत आकडो के अनुसार निर्धनता का अनुपात 1987 88 मे भारत मे 43% व राजस्थान मे 42% आता है।

27 राजस्थान मे प्राय अकाल क्यो पडते हैं ?

उत्तर- सातवीं पचवर्षीय योजना (1985 90) मे सभी पाचों वर्षों मे राज्य मे अकाल व अभाव की स्थिति रही है। यहाँ निरन्तर वर्षा का अभाव रहा है। वर्षों से चले आ रहे हवा व पानी से मिट्टी के कटाव के कारण उपजाऊ भूमि बेकार होती गई है। अनियंत्रित चराई, वृक्षो की कटाई व जल-प्रबन्ध के अभाव से परिवेश-असन्तुलन (ecological imbalance) उत्पन्न हो गया है। 'वृक्ष नहीं पानी नहीं, उपजाऊ भूमि नहीं' का दुष्चक्र चल रहा है। जल जगल जमीन आदि के परस्पर सन्तुलन बिगड गये है जिससे मनुष्य व पशु दोनो पर भारी विपदा आ गयी है। 1986 87 व 1987 88 में सभी 27 जिले अकाल ग्रस्त घोषित किये गये थे। 1991 92 व 1992 93 मे भी अकाल की स्थिति रही।

28 सरकार अकाल राहत सहायता मे कौन से कार्यक्रम चलाती है ?

उत्तर- अकाल राहत विभाग राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग, तथा पचायतों आदि के मार्फत विविध प्रकार

के निर्माण कार्यों पर (स्कूल भवनो सडको तालाबो आदि का निर्माण या मरम्मत) लोगो को रोजगार उपलब्ध किया जाता है। काम के बदले मजदूरी का कुछ अश अनाज के रूप में दिया जाता है। पीने के पानी की व्यवस्था टंकियों टैंकरो ट्रको बैलगाडियो ऊँटगाडियों वगैरा के द्वारा की जाती है। पशुओ के लिये चारे की सप्लाई बढायी जाती है। विभिन्न राज्यो से चारे की खरीद करके जरूरत के केन्द्रों में पहुचाने की व्यवस्था की जाती है। चारे पर परिवहन-सब्सिडी भी दी जाती है।

29 1987-88 के अकाल की विशेष बातो का उल्लेख करे।

उत्तर- इससे सभी 27 जिले प्रभावित हुए थे। प्रभावित गाँवो की सख्या 36252 तथा जनसख्या 3 17 करोड रही थी। राज्य सरकार ने 7 54 करोड रुपये की भू राजस्व की वसूली रोक दी थी। पिछले वर्ष की भाति इस वर्ष भी राज्य के सभी जिले अकालग्रस्त घोषित किये गये थे। कृषिगत उत्पादन पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पडा था। 1987 88 मे खाद्यान्नो का उत्पादन घटकर लगभग 48 लाख टन के स्तर पर आ गया था। 1987 88 के अकाल मे राहत सहायता पर सर्वाधिक धनराशि का व्यय करना पडा था।

30 1956 57 से 1989 90 तक के 34 वर्षों मे राजस्थान मे अकाल राहत कार्यों पर कितना खर्च हुआ।

(अ) 1800 करोड रुपये (ब) 1500 करोड रुपये (स) 2000 करोड रुपये (द) 800 करोड रुपये

उत्तर (अ)

31 'पहियों पर राजमहल' (palace on wheels) का पर्यटन के लिये किन स्थानों के लिये उपयोग किया जाता है।

उत्तर- जयपुर दिल्ली व आगरा पर्यटन त्रिकोण पर विशेष पर्यटन रेलगाडी का उपयोग किया जाता है।

32 राजस्थान के प्रमुख खनिजो के नाम लिखिये।

उत्तर ताबा, सीसा व जस्ता टगस्टन लाइमस्टोन सगमरमर का पत्थर, अभ्रक जिप्सम भवन निर्माण के पत्थर, राक फास्फेट, मुल्तानी मिट्टी फ्लोर्सपार आदि।

33 हाल के वर्षों मे राजस्थान मे कौन से खनिज भण्डारो का पता चला है ?

उत्तर- जैसलमेर जिले मे घोटारू नामक स्थान पर प्राकृतिक गैस का विशाल भण्डार पाया गया है। 6 जुलाई 1990 को जैसलमेर जिले मे ही 'डाडेवाला स्थान पर प्राकृतिक गैस के नये विशाल भण्डार मिले है। अक्टूबर 1990

में गैस का एक नया भण्डार मिला है। अप्रैल 1992 मे आयल इण्डिया को बीकानेर के निकट बाघेवाला क्षेत्र में तेल के विशाल भण्डार मिले हैं। भीलवाड़ा जिले मे रामपुरा-आगुचा मे जस्ते व सीसे के विपुल भण्डार मिले हैं। बीकानेर जिले में बरसिंहसर में लिग्नाइट के भण्डार मिले हैं जिनसे थर्मल पावर प्लान्ट लगाया जा रहा है। चित्तौडगढ जिले के गांव केसरपुर (प्रतापगढ) के निकट हीरे की खोज उल्लेखनीय है। बीकानेर, नागौर व बाडमेर जिलों में लिग्नाइट के विशाल भण्डार मिले हैं। जैसलमेर जिले मे स्टीलग्रेड लाइमस्टोन तथा पाली जिले मे टगस्टन के भण्डार प्राप्त हुए हैं।

34 राजस्थान मे सकल कृषिगत क्षेत्र व सिंचित क्षेत्र की मात्रा बताइये।

उत्तर- 1990-91 के अनुसार कुल कृषिगत क्षेत्रफल 193 8 लाख हैक्टेयर था जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग 56 6% था। इसी वर्ष सकल सिंचित क्षेत्र 46 52 लाख हैक्टेयर रहा जो कुल कृषित क्षेत्रफल का 24% था। 1960 61 में यह 15% रहा था। इस प्रकार सकल सिंचित क्षेत्रफल काफी बढा है।

35 राजस्थान की खरीफ की फसलो के नाम लिखिये

उत्तर- चावल ज्वार, मक्का, बाजरा, खरीफ की दाले जैसे तुअर, मूँग, मोठ, चोला, उडद, आदि।

36 राजस्थान की रबी की फसलो के नाम लिखिये -

उत्तर- गेहूँ, जौ, चना, सरसो व अफीम रबी की अन्य दालें जैसे मसूर की दाल आदि।

37 राजस्थान मे गेहूँ, बाजरा व चावल को खेती किन जिलों में प्रमुखतया की जाती है।

उत्तर- (अ) गेहूँ गगानगर, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर व अलवर।

(आ) बाजरा अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुन्झुनूं, नागौर, जोधपुर, पाली सवाई माधोपुर, सीकर व टोंक।

(इ) चावल गगानगर, कोटा बूदी डूँगरपुर, उदयपुर व झालावाड।

38 राजस्थान मे व्यापारिक फसलो या नकद फसलो के नाम लिखिये।

उत्तर तिलहन मे तिल, सरसों अलसी मूगफली अरण्डी सोयाबीन आदि। इनके अलावा कपास गन्ना तम्बाकू, लाल मिर्च, आलू, धनिया जीरा, आदि।

39 राजस्थान की खाद्य फसलो की विशेषता का उल्लेख कीजिये।

उत्तर कुल कृषित क्षेत्रफल के आधे भाग पर अनाज की फसलें बोयी जाती हैं।

अनाजो मे सर्वाधिक क्षेत्रफल बाजरे के अन्तर्गत पाया जाता है। यह अनाजो के क्षेत्रफल के आधे भाग मे अथवा कुल कृषित क्षेत्रफल के लगभग 25% या 1/4 भाग पर बोया जाता है। 1989 90 मे बाजरा 49 3 लाख हैक्टेयर मे बोया गया तथा सकल कृषित क्षेत्रफल 179 लाख हैक्टेयर था। इस प्रकार इस वर्ष बाजरे के अन्तर्गत क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल का 27 5% रहा। पिछले वर्ष यह 30% रहा था।

40 राजस्थान मे योजनाकाल मे खाद्यान्नो के उत्पादन मे क्या परिवर्तन हुए ?

उत्तर राजस्थान मे खाद्यान्नो का उत्पादन 1950 51 में 30 लाख टन से बढकर 1983 84 मे लगभग 1 करोड टन हो गया था। इसमे वार्षिक उतार चढाव बहुत आते रहे है। 1987 88 के खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान 47 8 लाख टन लगाया गया था । 1990 91 मे खाद्यान्नो का उत्पादन लगभग 109 3 लाख टन हुआ। प्राय खरीफ की फसल अकाल व सूखे का शिकार हो जाती है जिससे उत्पादन घट जाता है। पिछले वर्षो मे रबी मे खाद्यान्नो का उत्पादन खरीफ के खाद्यान्नो से अधिक रहा है। 1991 92 मे खाद्यान्नो के उत्पादन के 79 5 लाख टन होने का अनुमान है।

41 राजस्थान मे तिलहन की पैदावार में कितनी वृद्धि हुई है ?

उत्तर 1987 88 मे 12 6 लाख टन से बढकर 1991 92 मे 27 लाख टन हो गई है। सूखे के बावजूद राज्य मे तिलहन का उत्पादन बढा है।

42 राजस्थान मे कृषिगत इन्पुटो पर आधारित उद्योगो के नाम लिखिये।

उत्तर (i) **खाद्य पदार्थ** दुग्ध पदार्थ फल व सब्जियाँ (डिब्बो के अचार मुरब्बा) आटा मिले, दाल मिले बेकरी चीनी गुड देशी खाड वनस्पति घी खाद्य तेल वगैरा। इसी मे जोधपुर व नागौर क्षेत्र को मैथी पाली की मेहदी पुष्कर क्षेत्र के फल, सब्जी व गुलाब के फूल बासवाडा के आम-पापड व बीकानेर के पापड भुजिया आदि भी आते है।

(ii) **तम्बाकू पदार्थ**- जरदा बीडी।

(iii) **कॉटन प्रोसेसिग व कॉटन वस्त्र**- जिनिग व प्रेसिग फैक्टियाँ कताई व बुनाई रगाई व छपाई व ब्लीचिग (बुनाई के लिये कई प्रकार की टेक्नोलोजी प्रयुक्त होती है जैसे हथकरघा शक्ति करघा मिल करघा वगैरा)

(iv) **रेशम का उद्योग** ।

(v) **टेक्सटाइल वस्तुएँ**- गलीचे निटिग मिले गारमेट, रेनकोट, कपडे के जूते।

एग्रो उद्योग (agro industries) के व्यापक अर्थ में पशु-आधारित व

वन उद्योगों के अलावा कृषि के लिये इन्पुट तैयार करने वाले उद्योगो जैसे उर्वरक कीटनाशक दवाइयाँ ट्रैक्टर, कृषिगत औजारों आदि को भी शामिल किया जाता है। लेकिन सकीर्ण अर्थ मे इसके अन्तर्गत कृषि के कच्चे माल पर आधारित उद्योग ही लिये जाते हैं।

43 राजस्थान मे सूती वस्त्र मिलो के स्थान बताइये।

उत्तर- ये पाली भीलवाडा किशनगढ ब्यावर, श्रीगगानगर, जयपुर, उदयपुर, कोटा व भवानी मडी में स्थित है। पिछले वर्षों मे इनकी सख्या 23 बताई गई है। इनमे 17 निजी क्षेत्र में 3 सार्वजनिक क्षेत्र में व 3 सहकारी क्षेत्र मे हैं।

44 राजस्थान मे 1988 मे गौ वश के पशुओ की सख्या कितनी थी ?
(अ) 1 09 करोड़ (ब) 1 9 करोड (स) 2 करोड़ (द) 80 लाख

उत्तर- (अ)

45 1988 में राज्य मे भेड़ बकरियो की सख्या सूचित कीजिये।

उत्तर- (भेड़े 99 3 लाख बकरियाँ लगभग 126 लाख)

46 राजस्थान के पशु धन की विशेषता बताइये तथा इस पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिये।

उत्तर- 1988 मे राज्य मे पशुओ की सख्या 4 09 करोड हो गयी जो 1983 की 4 97 करोड़ की तुलना में 88 लाख कम थी। राज्य में पशुओं की कुछ सर्वोत्तम नस्लें पायी जाती हैं। राजस्थान मे भेड़ों की उत्तम नस्लें पायी जाती हैं जैसे बीकानेर की नाली चोकला व मगरा जैसलमेर की जैसलमेरी व जोधपुर की मारवाडी।

पशुधन पर आधारित उद्योग- डेयरी उद्योग, दुग्ध से बने पदार्थ ऊन मास चमड़ा हड्डी। राज्य में पशुधन का विकास करके लोगो को रोजगार दिया जा सकता है व आमदनी बढायी जा सकती है। ये कृषि के सहायक उद्योगो के रूप मे विकसित किये जा सकते हैं।

47 1989 90 मे राजस्थान में दूध का वार्षिक उत्पादन कितना हुआ ?
(अ) 40 लाख टन (ब) 42 लाख टन
(स) 30 लाख टन (द) 50 लाख टन

उत्तर- (ब)

48 राजस्थान की बहुउद्देश्यीय नदी घाटी योजनाओं के नाम लिखिये।

उत्तर- राजस्थान का निम्न बहुराज्यीय बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओ मे हिस्सा है

(i) भाखड़ा-नागल (पंजाब, हरियाणा व राजस्थान)

(ii) चम्बल (मध्य प्रदेश व राजस्थान)

(iii) व्यास (पजाब, हरियाणा, व राजस्थान)

(iv) माही बजाज सागर (गुजरात व राजस्थान)

49 माही बजाज सागर परियोजना के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर- इसका निर्माण बामवाडा के समीप किया गया है। यह कुल 80 हजार हैक्टेयर मे सिंचाई कर सकेगी। पावर हाउस न 1 पर 25-25 मेगावाट की दो इकाइयाँ जनवरी 1986 मे चालू की गई थी।

पावर हाउस न 2 पर 45-45 मेगावाट की दो इकाइयाँ लगायी गयी हैं। इस प्रकार सातवीं योजना मे इस परियोजना से पावर की क्षमता 140 मेगावाट हो गई थी।

50 राजस्थान के जल साधनो का भारत के कुल जल-साधनों में क्या स्थान है?

(अ) 10% (ब) 1% (स) 5% (द) नगण्य

उत्तर- (ब)

51 राजस्थान की वृहद् सिचाई परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं ? इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की प्रगति का संक्षिप्त परिचय दीजिये।

उत्तर- राजस्थान की वृहद् सिंचाई परियोजनाओ (जिनके नीचे कमांड क्षेत्र 10 हजार हैक्टेयर से अधिक होगा) मे निम्नलिखित हैं। (वर्ष 1991-92)

1 इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, 2 गुडगाव नहर (जिला भरतपुर), 3 ओखला बैराज (जलाशय) (जिला भरतपुर), 4 नर्मदा, (जालौर), 5 जाखम (उदयपुर), 6 नोहर, 7 सिधमुख (श्री गंगानगर), 8 बीसलपुर (जिला टोंक) इन सभी परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

इन्दिरा गाधी नहर परियोजना में मुख्य नहर व्यास-सतलज के सगम पर हरीके बाध से प्रारम्भ होती है। इसे बाडमेर में गडरा रोड़ तक ले जाया जायेगा। फीडर की लम्बाई 204 किलोमीटर है तथा मुख्य नहर की लम्बाई 445 किलोमीटर है। इस पर वर्ष 1958 से कार्य किया जा रहा है। मुख्य नहर 1 जनवरी 1987 तक अपने सुदूर छोर तक पहुंचा दी गई थी। इसके पूरा होने पर 14 67 लाख हैक्टेयर भूमि मे सिचाई हो सकेगी (*Draft Annual Plan 1993 94*, p 5 4), तथा अनाज, गन्ना, कपास, तिलहन आदि की पैदावार बढेगी। द्वितीय चरण की स्कीम में साहबा, गजनेर, कोलायत, फलौदी, पोकरन व बाड़मेर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं (जलोत्थान

योजनाओं) के द्वारा पानी को 60 मीटर ऊँचा उठाकर सिचाई की व्यवस्था की जायेगी। इस परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जा रहा है। प्रथम चरण की लागत 255 करोड़ तथा दूसरे चरण की लागत 931 करोड रुपये रखी गई है (कुल 1186 करोड रुपये)। वितरण प्रणाली की दोनो चरणो की लम्बाई 7875 किलोमीटर होगी जिसमें बहाव क्षेत्र (flow area) व लिफ्ट क्षेत्र कमश 5568 किलोमीटर व 2307 किलोमीटर होंगे। सातवीं योजना मे 1 14 लाख हैक्टेयर भूमि में सिचाई की सभाव्यता उत्पन्न की गई। 1993 94 मे आउटलेट पर 44800 हैक्टेयर मे सिचाई की क्षमता उत्पन्न करने का लक्ष्य है।

52 थार मरुस्थल (Thar desert) का प्रदेश बताइये।

उत्तर अरावली के पश्चिम व उत्तर पश्चिम का प्रदेश बालू रेत से भरा है। इसका सुदूर का पश्चिमी भाग (Western most part) "थार मरुस्थल' कहलाता है जो पाकिस्तान की सीमा पर कच्छ के रन के सहारे सहारे पजाब तक फैला है। बाडमेर, जैसलमेर व बीकानेर के कुछ भागो मे बडे बडे टीले पाये जाते है। यहाँ के निवासियो को शुष्क जीवन का सामना करना पडता है। यह भारत का सबसे गर्म प्रदेश माना जाता है। इसमें कहीं हरियाली नजर नहीं आती। भाषण जलवायु, कम वर्षा सुदूर प्रदेश व कठोर जीवन मरुस्थल की विशेषताएँ है।

53 राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों के नाम बताइये।

उत्तर राज्य के निम्न 11 जिले मरुस्थलीय या रेगिस्तानी जिले कहलाते है। इनमें राज्य का 60% क्षेत्रफल तथा 40% जनसख्या शामिल है। ये जिले इस प्रकार हैं जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर, जोधपुर, गगानगर, नागौर, चुरू, पाली जालौर, सीकर, तथा झुन्झुनू।

54 मरु विकास परियोजनाओ को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर मरु विकास परियोजनाओं (DDP) का उद्देश्य रेगिस्तान की मार्च या फैलाव को रोकना तथा मरु प्रदेश का आर्थिक विकास करना है। 1985 86 से यह पूर्णतया केन्द्र प्रवर्तित कार्यकम में परिवर्तित कर दिया गया। यह राज्य के 11 जिलों के 85 खण्डों मे चलाया जाता है। इसके अन्तर्गत निम्न कार्य प्रमुख हैं भू सरक्षण वानिकी या वन विकास भूतल जल विकास, *(ground water development) भेड व ऊन विकास पेयजल स्कीम* व लघु सिचाई की योजनाएँ, सातवाँ पचवर्षीय योजना मे मरु विकास कार्यक्रम के लिये 147 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था। वास्तविक व्यय भी लगभग इतना ही रहा। 1992 93 में DDP पर 36 5

करोड रुपये व्यय किये गये।

55 राजस्थान के सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम(DPAP) का परिचय दीजिये।

उत्तर- सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम 1974 75 में प्रारम्भ किया गया था। इसके अन्तर्गत पहले कई जिले शामिल किये गये थे लेकिन छठी योजना में इसे निम्न प्रदेशो तक सीमित कर दिया गया, क्योंकि अन्य प्रदेशों में मरु विकास कार्यक्रम चालू हो गया था। डूगरपुर व बासवाडा के जनजाति के जिले, उदयपुर जिले के भीम देवगढ खेरवाडा तहसीलें तथा अजमेर जिले को ब्यावर तहसील। वर्तमान मे इसके क्षेत्र पुन बदल गये हैं। अब यह 8 जिलो के 30 खण्डों मे सचालित किया जा रहा है। ये 8 जिले इस प्रकार है उदयपुर, डूगरपुर, बासवाडा कोटा झालावाड टोक सवाई माधोपुर व अजमेर। (DPAP) के अन्तर्गत भू सरक्षण लघु सिचाई व वृक्षारोपण पर प्रमुख रूप मे बल दिया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार व आमदनी बढायी जाती है। सातवीं योजना मे इस कार्यक्रम पर 23 8 करोड रुपये व्यय किये गये। (DDP) व (DPAP) के कार्यक्रमो मे पचायतो का अधिक सहयोग लिया जाना चाहिये। 1992 93 मे इस कार्यक्रम पर 6 5 करोड रुपये व्यय किये गये।

56 राजस्थान के सन्दर्भ मे व्यर्थ भू खण्डो (Wastelands) की समस्या का रूप स्पष्ट कीजिये।

उत्तर 1985 86 में राजस्थान मे लगभग 60 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल मे कृषि योग्य व्यर्थ भू खण्ड थे जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 17 5% अश था। व्यर्थ भू खण्ड व परती भूमि का योग लगभग 30% था। परती भूमि किन्हीं कारणों से बिना खेती किये छोड दी जाती है। व्यर्थ भू खण्डो के कई रूप होते हैं जैसे कन्दराएँ व गहरी एव पतली घाटियाँ (ravines) बालू रेत के टीले, जलमग्न क्षेत्र क्षारयुक्त व लवणयुक्त भू खण्ड जनजाति क्षेत्रो मे झूम खेती वाले भू खण्ड आदि। व्यर्थ भू खण्डो मे कुछ बजर होते है एव कृषि योग्य नहीं होते तथा कुछ कृषि योग्य होते हैं। 1985 86 मे इन दोना प्रकार के व्यर्थ भू-खण्डो की मात्रा राज्य मे 88 2 लाख हैक्टयर थी। स्मरण रहे कि इसमे परती भूमि शामिल नहीं की गया है। व्यर्थ भू खण्डो की समस्या के उग्र होने का कारण अत्यधिक चराई वृक्षो को अधाधुध ढग मे काट डालना तथा फलस्वरूप परिवेश सन्तुलन को नष्ट कर डालना है। भूमि का कवर हट जाने से मिट्टी का कटाव प्रारम्भ हो जाता है। वन विभाग रेवन्यू विभाग व पचायतो को व्यर्थ भूखण्डो का उपयोग करके पशुओ के लिये चारे, ग्रामीणो के लिये जलाने को लकडी

उद्योगो के लिये कच्चे माल का उत्पादन बढाना चाहिये। राजस्थान मे व्यर्थ भूखण्डो की समस्या को हल करने हेतु राज्य भूमि विकास निगम की स्थापना की गयी है। व्यर्थ भूखण्डों का सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए तथा इनके सदुपयोग के कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए ताकि ग्रामीण जनता व पशु आदि लाभान्वित हो सके। बालू के टीलों का स्थिरीकरण करने के लिए 'कूँचा' (सूखे घास की पानी के पूले) जमीन मे गाडे जा सकते हैं। सामाजिक व फार्म-वानिकी का विस्तार किया जाना चाहिए। चारे के पेडों में 'खेजडे' के पेड लगाये जा सकते हैं। बेर की झाडी से फल, पाला व बाड के काटे मिलते हैं। रोहिडा के पेड से टिम्बर भी प्राप्त होती है। मरुस्थल मे शीघ्र व कम व्यय से पेडो व चरागाहो का विकास करने की विधियाँ निकाली जा चुकी हैं। आवश्यकता है उनको कार्यान्वित करने की।

57 राजस्थान मे सीमेट, चीनी सिन्थेटिक यार्न व रसायन उद्योग के विभिन्न स्थान बताइये।

उत्तर (अ) राजस्थान में सीमेट के कारखाने निम्न स्थानो मे हैं

सवाई माधोपुर, लाखेरी चित्तौडगढ उदयपुर, निम्बाहेडा, गोटन (नागौर) (सफेद सीमेट सयन्त्र) मोडक (कोटा) बनास (सिरोही) ब्यावर तथा कोटा। इस प्रकार सफेद सीमेंट सहित राज्यों में सीमेट की 10 इकाइयाँ हैं।

मिनी सीमेन्ट प्लाट सिरोही (पिण्डवाडा) आबूरोड बासवाडा व कोटपुतली में स्थित हैं । हाल मे वित्तीय सस्थाओ ने कई सीमेन्ट क कारखानो को लगाने की स्वीकृति दी है । राजस्थान में सीमेन्ट उद्योग के विकास की भावी सम्भावनाएँ काफी हैं ।

(आ) चीनी भूपालसागर (चित्तौडगढ) (निजी क्षेत्र) श्री गगानगर, (सार्वजनिक क्षेत्र) व केशोरायपाटन (सहकारी क्षेत्र)। इस प्रकार राज्य मे चीनी के 3 बडे कारखाने चल रहे हैं।

(इ) सिन्थेटिक यार्न बासवाडा, बहरोड, डूँगरपुर, रीगस जोधपुर, आबू रोड उदयपुर, अलवर, गुलाबपुरा (रीको द्वारा सयुक्त क्षेत्र व सहायता प्राप्त क्षेत्रो मे)

(ई) रसायन उद्योग डीडवाना मे रसायन वर्क्स साभर साल्ट्स श्री राम फर्टिलाइजर्स, कोटा, उदयपुर फास्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स उदयपुर, राजस्थान एक्सप्लोजिव्स व केमिकल्स लि धौलपुर, (विस्फोटक (detonators) बनाता है) मोदी अल्केलीज एण्ड केमिकल्स लि अलवर, हिन्दुस्तान जिक लि., देबारी उदयपुर, हिन्दुस्तान कापर लि खेतडी आदि।

58 राजस्थान मे खनिज आधारित उद्योगो का उल्लेख कीजिए।

उत्तर- इन्हे धात्विक (metallic) व अ धात्विक (non metallic) दो श्रेणियो मे विभाजित किया जाता है।

(i) धात्विक खनिज आधारित उद्योग- इस्पात उद्योग जो कच्चे लोहे चूने के पत्थर, डोलोमाइट वगैरा पर आधारित है। इसके अलावा स्टील फर्नीचर, मशीनरी व औजारो का निर्माण आदि।

(ii) अधात्विक खनिजो पर आधारित उद्योगों मे निम्न आते हैं-

सीमेट, स्टोन वस्तु उद्योग काच व काच का सामान चायना क्ले पर आधारित चीनी मिट्टी के बर्तन एस्बेस्ट्स व सीमेंट के पाइप/पदार्थ आदि।

59 राजस्थान के औद्योगिक जीवन मे लघु उद्योगो की क्या भूमिका है ?

उत्तर नई औद्योगिक नीति के अनुसार लघु उद्योगो के लिए सयत्र एव मशीनरी मे विनियोग की सीमा बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दी गई है। इससे पूर्व यह सीमा 35 लाख रुपये थी। राजस्थान मे लघु इकाइयो का आकार काफी छोटा पाया गया है। राज्य के फेक्ट्री क्षेत्र मे लघु इकाइयो की भरमार है। इनमे रोजगार का ऊँचा अश पाया जाता है। फैक्टी क्षेत्र की अधिकाश इकाइयाँ इसी क्षेत्र के अन्तर्गत आती है।

60 राजस्थान की प्रमुख दस्तकारी अथवा हस्तशिल्प की वस्तुओ का परिचय दीजिए।

उत्तर- जयपुर के मूल्यवान व अर्द्ध मूल्यवान रत्नो एव सोने चाँदी के कलात्मक आभूषण, पीतल की खुदाई व मीनाकारी के बर्तन लाख से बनी चूडियाँ सगमरमर की मूर्तियाँ कारीगरी की जूतियाँ (मौजड़िया व नागरे) ब्ल्यू पाटरी की नाना प्रकार की वस्तुएँ सागानेरी व बगरू प्रिन्ट के वस्त्र 250 ग्राम रूई से बनी रजाइयाँ मिट्टी के खिलौने चन्दन व हाथी दात से बनी वस्तुएँ, लहरिए, चूनडियाँ व ओढनियाँ, गलीचे (बीकानेर व जयपुर के) जोधपुर के बादले ऊँट की खाल से बनी कलात्मक वस्तुएँ, लकडी के खिलौने नाथद्वारा की पिछवाइयाँ तथा 'फड (वस्त्र पर पेंटिग की कलाकृतियाँ) सलमा सितारे व गोटे किनारी के काम से युक्त परिधान। इस प्रकार वस्त्र लकडी खाल धातु, सोने चाँदी आदि पर हस्तशिल्प व अद्भुत कारीगरी का काम राजस्थान के कुटार उद्योगो की अपनी विशेषता है। इनका काफी मात्रा मे निर्यात भी किया जाता है। राजस्थान से गलीचो का निर्यात होता है। भविष्य मे रत्न व जवाहरात का निर्यात बढाया जा सकता है।

61 राजस्थान में जन जाति अर्थव्यवस्था (tribal economy) की मुख्य विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर- 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लोगो की सख्या राजस्थान में 54 7 लाख थी जो राज्य की कुल जनसख्या का लगभग 12 4% था। इसमे अघोषित जनजाति (denotified tribes) के व्यक्ति भी शामिल हैं। राज्य में 10 घुम्मकड़ (खानाबदोश) व 13 अर्द्ध घुम्मकड़ जनजातियाँ निवास करती हैं। अधिकाश जनजाति के लोग बासवाडा व डूंगरपुर के पूरे जिलों मे तथा उदयपुर, चित्तौडगढ़ व सिरोही जिलों की कुछ तहसीलो मे निवास करते है। 1980 81 मे जनजाति के पाच जिलो मे 45% आदिवासियो के पास एक हैक्टेयर से कम कृषिगत जोत थी। औसत जोत 1 7 हैक्टेयर पायी गयी थी। (राज्य की औसत 4 4 हैक्टेयर)। इस प्रकार इनके पास जोत का आकार काफी छोटा पाया जाता है। इनके लिए दस्तकारी का अभाव होता है। परिवहन की कठिनाई होती है। सिचाई व पेयजल की कमी होती है। इनका जीवन जगलो मे लकडी की कटाई पर आश्रित होता है। ये जगलों से लाख गोद, आदि भी एकत्र करते है। प्राय राहत कार्यों पर इनको मजदूरी पर काम दिया जाता है। ये आर्थिक शोषण सामाजिक पिछडेपन व कुरीतियो अन्ध विश्वास कुपोषण अशिक्षा, वगैरा के शिकार पाये जाते हैं। इनमे बहु-विवाह (Polygamy) की प्रथा भी पायी जाती है। इनके विकास के लिए जनजाति उपयोजना माडा, सहरिया विकास कार्यक्रम आदि चलाये गये हे।

62 राज्य सरकार की जनजाति विकास योजनाओ का स्पष्टीकरण दीजिए।

उत्तर- राज्य सरकार जनजाति विकास के लिए चार प्रकार की योजनाएँ सचालित कर रही है जो इस प्रकार हैं

1. जनजाति उपयोजना क्षेत्र-

यह 1974 75 से प्रारम्भ की गयी थी। इसके अन्तर्गत 4409 गाँव आते हैं। इसके अन्तर्गत अधिकांश राशि सिचाई पावर, फल विकास, 'बेर बेडिग', सामुदायिक सिचाई (डीजल पम्पिग सेट द्वारा) कृषि वानिकी के कार्यों पर किया जाता है। आदिवासियो को बीज तथा उर्वरको का वितरण भी किया जाता है। भविष्य मे कुओ को गहरा करने डीजल पम्प सेटो के वितरण, सामुदायिक व्यर्थ भूखण्ड विकास कार्यक्रम, पशु-प्रजनन सुधार कार्यक्रम मुर्गीपालन कार्यक्रम बतख कार्यक्रम रेशम कार्यक्रम लघु व कुटीर उद्योग, प्रतियोगी परीक्षाओ मे कोचिग कार्यक्रम तथा बायो गैस संयंत्र की स्थापना व सडक निर्माण पर बल दिया जायगा।

2. परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा) -

यह 1978-79 से प्रारम्भ किया गया था। इसमे 13 जिलों के लगभग दस लाख व्यक्ति शामिल है। गाँवों की सख्या 2939 है। इसके लिए विशिष्ट केन्द्रीय सहायता (Special central assistance) प्राप्त होती है।

3. सहरिया विकास कार्यक्रम-

यह 1977-78 मे लागू किया गया था। इससे 435 गाँवो के 50 हजार व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। यह कार्यक्रम कोटा जिले की किशनगज व शाहबाद पचायत समितियो मे सहरिया आदिम जाति (Primitive tribe) को लाभ पहुचाता है। व्यय का अधिकाश अश शिक्षा तथा लघु सिचाई पर व्यय किया जाता है ताकि सहरिया कृषिगत परिवारो को सिचाई की पर्याप्त सुविधा मिल सके तथा उनमे शिक्षा का प्रचर-प्रसार हो सके।

4 बिखरी जन-जाति के लिये विकास कार्यक्रम-

यह जनजाति क्षेत्र विकास विभाग (*Tribal Area Development* Department) (TADD) के अन्तगत सचालित किया जा रहा है। 1981 की जनगणना के अनुसार राजस्थान मे 41 8 लाख जनजाति के लोगो मे से 27 5 लाख लोगो को जनजाति उप-योजना, माडा व सहरिया कार्यक्रमो के अन्तगत लाभान्वित किया गया है तथा शेष 14 3 लाख बिखरी जनजाति के लोगों को (TADD) के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

63 राजस्थान मे विभिन्न क्षेत्रीय व अन्य प्रकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का परिचय दीजिये।

उत्तर- (i) मरु विकास कायक्रम (DDP)

(ii) सूखा सभाव्य कायक्रम (DPAP)

(iii) कमाण्ड क्षेत्र विकास कायक्रम (CADP), इसके अन्तगत निम्न तीन कायक्रम शामिल है।

(अ) इन्दिरा गाधी नहर परियोजना का क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम- भूमि को समतल बनाना, पानी का नालियो को पक्का करना, सडक, मण्डी, जल सग्रह, कृषि पशु-पालन आदि का विकास करना।

(आ) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम- उचित ड्रेनेज, वृक्षारोपण, जगली घास पात उखाडना, गोदाम - भवन निमाण आदि।

(इ) माही कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम- ढाचा जल-मार्ग बनाया जा रहा है जिसमे जनजाति के पिछडे लोग लाभान्वित होंगे। सडक

क्रोसिंग, कलवर्ट, ड्रोप, स्ट्रक्चर्स, एवं विशेष जल-मार्गों की लाइनिंग पर ध्यान दिया जा रहा है।

(iv) मैसिव कार्यक्रम- लघु व सीमान्त कृषकों को नल-कूप के लिये कर्ज व सब्सिडी।

(v) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) (Border Area Development Programme)

(vi) मेवात विकास- यह भरतपुर व अलवर में मेव बाहुल्य क्षेत्रों के लिये है।

(vii) डेयरी विकास

(viii) सामाजिक वानिकी- सड़क, नहर आदि के किनारे-किनारे कन्दरा क्षेत्रों में वायुयान से बीजारोपण करना।

(ix) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) - निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि, परिसम्पत्ति का वितरण, सब्सिडी का तत्व, ऊँटगाड़ी, बैलगाड़ी, बकरी, भैंस, सिलाई की मशीनों का वितरण। यह 1978-79 से चलाया जा रहा है। 1992-93 के लिये लगभग 40 54 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया (केन्द्र व राज्य का मिलाकर) ताकि 1 1 लाख अन्त्योदय परिवार लाभान्वित किये जा सकें। इसमें राज्य सरकार अपनी योजना मद से 20.27 करोड़ रुपये व्यय करेगी। इनके माल की बिक्री की व्यवस्था में सुधार किया जायेगा।

(x) राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम (NREP)-1988-89 में 20 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था तथा 65 लाख मानव-दिवस रोजगार का लक्ष्य रखा गया था।

(xi) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (RLEGP)-1988-89 मे 22 9 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये थे तथा 75 लाख मानव-दिवस रोजगार का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था।

(xii) बायो-गैस सयंत्र योजना तथा निर्धूम चूल्हा योजना, गांवों के लाभार्थ।

(xiii) जवाहर रोजगार योजना (JRY)-1989-90 से (NREP) व (RLEGP) को परस्पर मिला दिया गया। अब ग्रामीण रोजगार का विस्तृत कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत चलाया गया है

ताकि ग्रामीण निर्धन परिवारो के लिये रोजगार व आमदनी का विस्तार किया जा सके। इसमें केन्द्र का अश 80% व राज्यों का 20% रखा गया है। 1993 94 के लिये इस योजना पर राज्य सरकार 30 करोड रुपये व केन्द्र 120 करोड़ रुपये व्यय करेगा। इस प्रकार कुल 150 करोड रुपये के व्यय का प्रावधान है। इससे 4 1 करोड मानव-दिवस का रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(xiv) ट्राइमस (Training Rural Youth for Self Employment) इसके अन्तर्गत ग्रामीण युवाओ के लिये दस्तकारी आदि के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाये जाते हैं ताकि वे कोई कारीगरी का काम सीख कर अपनी जीविका स्वय चला सके।

64 अरावली विकास से क्या लाभ होगे ?

उत्तर- (i) चारे की सप्लाई मे वृद्धि

(ii) रेगिस्तान के बढने पर रुकावट

(iii) मिट्टी व जल-ससाधनो का सरक्षण

(iv) रोजगार मे वृद्धि व गरीबी मे कमी तथा

(v) व्यर्थ पडी भूमि का सदुपयोग।

65 राजस्थान मे विकास सस्थाओ का उल्लेख कीजिये।

उत्तर- (क) ग्रामीण विकास विभाग तथा विशिष्ट आयोजना सगठन (Special Schemes Organisation) (SSO) द्वारा मरु विकास कार्यक्रम, सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर योजना व ट्राइमस का सचालन किया जाता है। व्यर्थ भू-खण्डों के विकास का कार्यक्रम राजस्थान भूमि विकास निगम द्वारा किया जाता है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम वन विभाग द्वारा, डेयरी विकास कार्यक्रम राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा सचालित किया जाता है। उद्योगो के विकास के लिये रीको, राजस्थान वित्त निगम (RFC), राजस्थान लघु उद्योग निगम (*RAJSICO*), *कृषि उद्योग निगम* (*Agro Industries Corporation*), आदि कार्यरत हैं। जनजाति क्षेत्र विकास विभाग (TADD) जनजाति कल्याण को देखता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिये विभिन्न प्रकार के सगठनो व एजेन्सियों का निर्माण किया गया है।

66 राजस्थान को सातवीं पचवर्षीय योजना का परिचय दीजिये।

उत्तर- इसमे सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय को राशि 3000 करोड रुपये रखी गयी

थी। इसका 31% शक्ति के विकास पर तथा 22 7% सिचाई व बाढ़-नियत्रण पर आवंटित किया गया था। इस प्रकार 54% राशि शक्ति, सिचाई व बाढ़ नियत्रण के लिये निर्धारित की गई थी। सामाजिक व सामुदायिक सेवाओ पर 22 5% राशि आवंटित की गई थी। इस प्रकार योजना की प्राथमिकताएँ पूर्ववत् ही थीं। सातवीं योजना पर वास्तविक व्यय लगभग 3106 करोड़ रुपये हुआ था। योजना के दौरान अकाल व सूखा पड़ने से राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी क्षति हुई। अनाज का वार्षिक उत्पादन घट गया। पानी व चारे की समस्या अत्यधिक गम्भीर हो गई। कृषिगत उत्पादन को भारी क्षति पहुचो।

67 वर्ष 1993 94 के लिये राजस्थान की वार्षिक योजना का प्रस्तावित परिव्यय कितना निर्धारित किया गया है ?

उत्तर- 1700 करोड रुपये।

68 1990-91 में राजस्थान की स्थिर मूल्यो (1980-81) पर वार्षिक आय, *अथवा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (NSDP) कितनी रही ?*

(अ) लगभग 82 1 अरब रुपये (ब) 80 अरब रुपये

(स) 76 अरब रुपये (द) 85 अरब रुपये (अ)

69 1990 91 में राजस्थान की स्थिर मूल्यों (1980-81) पर प्रति व्यक्ति आय कितनी रही ?

(अ) 1716 रुपये (ब) 1861 रुपये

(स) 2296 रुपये (द) 1841 रुपये

उत्तर- (ब)

स्रोत Some Facts About Rajasthan 1992, p 71

70 भारत की 1980-81 के भावो पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किस वर्ष व *कितनी रही ?*

उत्तर 1990 91 मे 2199 रुपये।

71 क्या यह कथन सही है कि 1970 71 के बाद राजस्थान आर्थिक दृष्टि से गतिहीनता का शिकार रहा है।

उत्तर- 1970-71 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1480 रुपये रही थी (1980-81 के भावो पर) उसके बाद आगामी वर्षों में 1983 84, 1988 89, 1989 90 तथा 1990 91 को छोडकर शेष वर्षों मे यह 1480 रुपये से कम रही थी। अकाल व सूखो के कारण कई वर्षों तक राज्य की प्रति व्यक्ति आय गतिहीन रही।

चूँकि काफी लम्बी अवधि तक प्रति व्यक्ति आय, स्थिर भावों पर, गतिहीन बनी रही इसलिए लोगो में यह धारण जोर पकडती गयी कि राजस्थान आर्थिक गतिहीनता का शिकार हो गया है। लेकिन 1980-81 के भावों पर पाँचवीं योजना मे प्रति व्यक्ति आय (स्थिर मूल्यों पर) 2 2% वार्षिक तथा छठी योजना (1980-85) में 3 0% वार्षिक बढी जो अधिक प्रगति की परिचायक है। सातवीं योजना के पाँच वर्षों में लगातार अकाल व सूखा पडने के बावजूद प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में लगभग 3 5% की वृद्धि हुई। फिर भी राज्य का आर्थिक विकास काफी अनिश्चित व अस्थिर गति से हो रहा है। यह भविष्य के लिए एक गम्भीर चुनौती है। राज्य के *आर्थिक विकास की अस्थिरता को कम करने की आवश्यकता है।*

72 राजस्थान की पावर की स्थिति बताइये।

उत्तर- 1991 92 में राजस्थान में विद्युत सृजन क्षमता लगभग 2776 मेगावाट हो गयी है। 1989 90 में 2711 मेगावाट क्षमता मे जल विद्युत क्षमता 957 मेगावाट, थमल 1292 मेगावाट व आणविक (nuclear) 462 मेगावाट थी। राज्य के स्वय के स्वामित्व की क्षमता कोटा थर्मल पावर स्टेशन (KTPS) की प्रमुख मानी गयी है। राज्य का अश सतपुरा, भाखडा नागल, व्यास I (देहर) व्यास II (पोग) व चम्बल परियोजना मे है। इसके अलावा राज्य को सिगरौली रिहन्द, अता औरैया, राजस्थान आणविक पावर प्रोजक्ट (RAPP) व नरोरा आणविक विद्युत परियोजनाओ मे से भी विद्युत आवंटित की जाती है।

इनमे जल विद्युत के स्रोत इस प्रकार हैं -

(i) भाखडा नागल, (ii) व्यास इकाई I व इकाई II (iii) गाँधी सागर, (iv) राणा प्रताप सागर, (v) जवाहर सागर। (तीनो चम्बल परियोजना के *अन्तर्गत*) (vi) *माही बजाज सागर परियोजना के शक्ति गृहो से।*

थर्मल परियोजनाएँ इस प्रकार हैं (i) सतपुडा, (ii) सिगरोली (iii) राजस्थान अणु शक्ति केन्द्र, कोटा इकाई I व II (iv) कोटा थर्मल पावर संयत्र।

1980 81 मे पावर की कमी 9 6% थी जो 1987 88 मे 30% हो गई। *आठवीं योजना मे पावर की माँग व पूर्ति का अन्तर 40% हो जाने का* अनुमान है। इसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

73 राजस्थान किस प्रकार विद्युत सृजन क्षमता बढाने का प्रयास कर रहा है ?

अथवा

राजस्थान मे विद्युत सृजन क्षमता बढाने के नये प्रयासो का परिचय दीजिए।

उत्तर- कोटा थर्मल पावर स्टेशन के प्रथम चरण (Stage I) को 1983 में चालू किया गया था। इसमे 110 मेगावाट की 2 इकाइयाँ थी। द्वितीय चरण (Stage II) में 210 मेगावाट की 2 इकाइयाँ है, जिनमे 210 मेगावाट की प्रथम इकाई 25 सितम्बर 1988 को चालू की गयी। इसी क्रम की द्वितीय इकाई 210 मेगावाट की 1 मई 1989 को चालू की गई। तृतीय चरण की एक इकाई आठवीं योजना मे चालू की जायेगी। इसकी भी क्षमता 210 मेगावाट होगी। अत कोटा थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान की पावर सप्लाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(ii) अनूपगढ मिनी हाइडल स्कीम से विद्युत प्राप्त की जायेगी।

(iii) 850 करोड रुपये के व्यय से बीकानेर के बरसिगसर मे नैवेली लिग्नाइट निगम 240 मेगावाट क्षमता (2 × 120 मेगावाट) का एक प्रोजेक्ट लगा रहा है। इस पर चार वर्ष मे उत्पादन चालू होने की सम्भावना है। बाद मे इसकी क्षमता बढायी जा सकती है।

(iv) राज्य सरकार ने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को अन्ता मे गैस पर आधारित 430 मेगावाट की परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भूमि उपलब्ध करा दी है। इसकी क्षमता भी बढायी जा सकती है। भविष्य मे इस परियोजना के क्रियान्वयन से राजस्थान मे विद्युत की कमी काफी सीमा तक दूर की जायेगी। अन्ता गैस प्रोजेक्ट मे राजस्थान का हिस्सा 10 8% रखा गया है। सूरतगढ़ मागरोल, दायी मुख्य नहर, माही, पूगल तथा चारणवाला लघुपन बिजली की परियोजनाओ से विद्युत का उत्पादन चालू कर दिया जायेगा। इससे 12 मेगावाट उत्पादन क्षमता बढेगी। केन्द्र ने सूरतगढ तापीय विद्युत परियोजना (420 मेगावाट) स्वीकृत कर दी है। धौलपुर तापीय विद्युत परियोजना को अभी स्वीकृति नहीं मिली है हालाकि पहले स्वीकृति मिल जाने के सकेत प्राप्त हुए थे। चित्तौडगढ मे सेन्चुरी टेक्सटाइल व इण्डस्ट्रीज लि को 420 मेगावाट तापीय विद्युत परियोजना का लाइसेस जारी किया गया है। आशा है इन सबसे राज्य के लिए विद्युत-सृजन क्षमता का विस्तार होगा। राज्य को ओरवृया गैस से भी विद्युत मिलेगी।

74 राजस्थान मे सहकारिता आन्दोलन की प्रगति का परिचय दीजिए।

उत्तर- 1989 90 के अत तक राज्य मे सभी प्रकार की सहकारी समितियो की सख्या 19873 तथा सदस्य सख्या 70 3 लाख व्यक्ति हो गयी थी। प्राथमिक कृषि साख समितियाँ 5269 तथा उनकी सदस्य सख्या 49 7

लाख थी। राज्य मे 99% ग्राम व 87% कृषक परिवार सहकारिता के दायरे में आ चुके है। सहकारी ऋणो (अल्पकालीन मध्यम कालीन तथा दीर्घकालीन) के सम्बन्ध मे 1993 94 के लिए कुल 215 50 करोड रुपये के वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसमे से अल्पकालीन ऋणो की राशि 160 करोड रुपये मध्यमकालीन ऋणो की राशि 7 5 करोड रुपये तथा दीर्घकालीन ऋणो की 48 करोड रुपये है। सरकार ने 18 लाख किसान परिवारो को 500 करोड रुपये की ऋण राहत राशि (debt relief) प्रदान की है।

75 राज्य मे औद्योगिक क्षेत्र में सहकारिता के नये कार्यक्रम बताइये।

उत्तर- (i) कोटा मे सोयाबीन का तेल निकालने का कारखाना स्थापित करने का कार्यक्रम है। इससे कोटा बूदी झालावाड चित्तौडगढ व बासवाडा के हजारो काश्तकारो को लाभ होगा।

(ii) गगानगर (2) जालौर, नागौर, झुन्झुनू व सवाई माधोपुर मे सरसो के छ सयत्र लगाने का कार्यक्रम है। सरसो रायडा व तोरिया की सप्लाई से कृषको की आमदनी बढेगी।

(iii) गगानगर मे आधुनिक तकनीक पर आधारित सूती वस्त्र की मिल स्थापित करने की योजना है। इसमे आयातित मशीनरी का उपयोग होगा। इससे रोजगार मे वृद्धि होगी। इस प्रकार वनस्पति तेल व वस्त्र उद्योग मे सहकारी क्षेत्र में इकाइयाँ स्थापित करने के कार्यक्रम हैं। तिलम सघ कई स्थानो पर तेल के सयत्र स्थापित करेगा।

76 राजस्थान की आठवीं योजना (1992 97) मे सार्वजनिक परिव्यय का प्रस्तावित आवटन बताइये।

उत्तर कृषि ग्रामीण विकास व सहकारिता पर 20 1% सिचाई व शक्ति पर 45% उद्योग व खनन पर 4 7% परिवहन पर 6 8% सामाजिक सेवाओ पर 21 4% तथा शेष 2% अन्य पर रखा गया है। इस प्रकार सिचाई व शक्ति के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र मे कुल प्रस्तावित व्यय 11 500 करोड रुपये रखा गया है। यह सातवीं योजना के प्रस्तावित 3000 करोड रुपये के व्यय से काफी ऊँचा है।

77 राजस्थान मे बिक्री मूल्य की दृष्टि से चार बडे खनिजो के नाम लिखिए।

उत्तर- सगमरमर, राक फास्फेट, सेडस्टोन व ताबा।

78 रीको का परिचयात्मक विवरण दीजिए।

उत्तर- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लि अथवा रीको

नवम्बर 1969 में स्थापित किया गया था। इससे मूलतया राजस्थान राज्य खनन विकास निगम अलग करके 1979 में रींको की स्थापना की गई। रीको के कार्य इस प्रकार हैं। (i) औद्योगिक क्षेत्रो/बस्तियो का निर्माण करना, (ii) सार्वजनिक, संयुक्त व सहायता प्राप्त क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना, (iii) औद्योगिक शेयर पूँजी/अभिगोपन को व्यवस्था करना, (iv) औद्योगिक विकास के लिए सर्वेक्षण करवाना व प्रोजेक्ट तैयार करवाना, (v) रियायतें व प्रेरणाओ की व्यवस्था करना। रीको की स्वयं की चालू परियोजनाएँ इस प्रकार हैं- घडी तथा टू-वे रेडियो सचार उपकरण परियोजनाएँ। राजस्थान कम्यूनिकेशन लि इसकी सहायक कम्पनी है। पहले की टी वी सेट बनाने वाली राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि नामक सहायक इकाई को इन्स्ट्रूमेण्टेशन लि कोटा को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

79 'सयुक्त क्षेत्र' की अवधारणा स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर- 'सयुक्त क्षेत्र' के अन्तर्गत एक औद्योगिक इकाई में सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र दोनो का एक साथ अस्तित्व पाया जाता है। प्राय पूँजी सार्वजनिक क्षेत्र से आती है तथा प्रबन्ध निजी हाथो मे होता है। पिछले वर्षों में सयुक्त क्षेत्र का समर्थन सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र दोनो की कमियाँ दूर करने के लिए किया गया। निजी क्षेत्र मे आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को कम करने के लिए सयुक्त क्षेत्र के विकास का समर्थन किया गया था। यह सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र के मिले-जुले प्रयास से उत्पन्न होता है। चोटी की निजी कम्पनियो को सयुक्त क्षेत्र में लाने से कई प्रकार की समस्याएँ हल हो जाती हैं। सयुक्त क्षेत्र में लाकर इनका विकास करने व पैमाने की किफायते प्राप्त करने से समस्त समाज को लाभ पहुँचता है। इनका तकनीकी विकास सुगम हो जाता है। राष्ट्रीयकरण किये बिना उद्योगों को सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित करने की सरल विधि सयुक्त क्षेत्र का विकास करने की होती है। लेकिन आजकल इसकी लोकप्रियता कम हो गयी है।

80 सार्वजनिक क्षेत्र सयुक्त क्षेत्र व सहायता-प्राप्त क्षेत्र मे अन्तर करे।

उत्तर- सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाई का स्वामित्व नियन्त्रण व प्रबन्ध पूर्णतया सरकार के अधिकार में होता है। सयुक्त क्षेत्र मे सरकार का रीको के माध्यम से इक्विटी मे प्राय 26% अश होता है। इसका प्रबन्ध निजी हाथो मे सोपा जाता है। सहायता प्राप्त क्षेत्र मे रीको का इक्विटी या शेयर पूँजी मे प्राय 10 15% तक अश होता है। ये औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के सगठन होते हैं। आजकल सहायता-प्राप्त क्षेत्र का महत्व

बढ़ गया है।

81 राजस्थान मे 'सयुक्त क्षेत्र' मे औद्योगिक प्रगति का परिचय दीजिए।

उत्तर- राज्य में पिछले वर्षों मे सयुक्त क्षेत्र में कई औद्योगिक इकाइयो ने उत्पादन चालू किया है। सयुक्त क्षेत्र मे कई इकाइयाँ उत्पादन में सलग्न है। इनमे कई इकाइयाँ कार्पेट यार्न तथा सिथेटिक यार्न बना रही हैं। शेष इकाइयाँ रसायन, इलेक्ट्रोनिक्स आदि क्षेत्रो से सम्बन्ध रखती हैं। राजस्थान एक्सप्लोजिव एण्ड केमिकल्स लि धौलपुर में विस्फोटक (detonators) बनाये जाते हैं। राजस्थान इलेक्ट्रोनिकस एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि (REIL), कनकपुरा (जयपुर) मे विद्युत मिल्क टेस्टर (tester) (दूध विश्लेषक यत्र) बनाये जाते है। यह इकाई कोटा इन्टस्ट्रूमेन्टेशन लि की सहायक होने के नाते केन्द्रीय इकाई के अन्तर्गत भी आ सकती है। वित्तीय व अन्य कठिनाइयो के कारण राज्य मे सयुक्त क्षेत्र के विकास की गति धीमी पड गयी है। इसकी कुछ इकाइयाँ रुग्ण भी हो गई है जिससे इस क्षेत्र के विकास में कमी आयी है। कुछ इकाइयो ने रीको की शेयर पूँजी स्वय लेकर (buyback agreement) के माध्यम से इन्हे निजी क्षेत्र मे परिवर्तित कर लिया है।

82 राजस्थान वित्त निगम व राज्य के वित्त विभाग मे अन्तर कीजिए।

उत्तर- राजस्थान वित्त निगम 1955 में लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगो को वित्तीय सहायता देने के लिए बनाया गया था। अब इसकी प्रति इकाई वित्तीय सहायता की सीमा को बढाकर 90 लाख रुपये कर दिया गया है। यह परिवहन व होटल के लिए भी कर्ज देता है। उदार ऋण स्कीम मे इसका काम काफी बढा है।

राज्य का वित्त विभाग राज्य के सचिवालय मे एक विभाग होता है जो सरकार के वित्त सम्बन्धी मामलो पर ध्यान केन्द्रित करता है। यह बजट निर्माण मे सहायता देता है तथा सरकारी आय व्यय का हिसाब रखता है। वित्त विभाग प्रत्येक नये वित्त आयोग के समक्ष एक विस्तृत प्रतिवेदन (memorandum) प्रस्तुत करता है जिसमे 5 वर्षों की अवधि के लिए आय व्यय के अनुमान होते हैं। इनके आधार पर वित्त-आयोग राज्य की वित्तीय आवश्यकताओ का अनुमान लगाता है।

83 "राजसीको" की भूमिका समझाइये।

उत्तर- "राजसीको" का पूरा अर्थ है 'राजस्थान लघु उद्योग निगम (Rajasthan Small Industries Corporation)। यह 1964 मे स्थापित किया गया था। यह कच्चे माल जैसे कोयला/कोक इस्पात सीमेंट, जस्ता आदि का वितरण करता है। इसने दस्तकारो के एम्पोरियम तथा गलीचा प्रशिक्षण

केन्द्र स्थापित किये हैं। इसने चुरू व लाडनूँ मे ऊनी मिलें टोक मे मयूर बीड़ी फैक्ट्री तेन्दू की पत्तियो के सग्रह की व्यवस्था तथा सागानेर एयरपोर्ट पर निर्यात की सुविधा के लिए एक 'एयर कार्गो कॉम्पलेक्स स्थापित किया है। राजसीको लघु उद्योगो के विकास के लिये कार्य करता है।

84 राजस्थान के आर्थिक जीवन मे खादी व ग्रामोद्योगों का क्या स्थान है ?

उत्तर राज्य मे सूती व ऊनी खादी का उत्पादन होता है। 1991 92 में लगभग 31 करोड़ रुपये की ऊनी व सूती खादी का उत्पादन हुआ था। इस उद्योग मे काफी लोग अल्पकालिक व पूर्णकालिक काम पाये हुए है। ग्रामोद्योग से घानी का तेल, गुड व खाडसारी हाथ का कागज अखाद्य तेल से बनी साबुन चमडे की वस्तुएँ, मिट्टी के बर्तन मधुमक्खी पालन व धान को हाथ से कूट कर छिलका हटाने आदि के काम शामिल हैं। ग्रामोद्योग के उत्पादन का मूल्य 1991 92 मे 185 करोड़ रुपये हुआ था। खादी व ग्रामोद्योग का रोजगार, आमदनी व निर्धनता निवारण कार्यक्रमो की दृष्टि से बहुत महत्व है। ये ग्रामवासियो के आर्थिक जीवन का आधार स्तम्भ हैं।

85 राजस्थान सरकार ने नये उद्योगो को बिक्री कर मे क्या छूटे दी हैं ?

उत्तर राज्य सरकार की मई 1987 की घोषणा के अनुसार पिछडे जिलो मे नये उद्योगो को सात वर्ष तक तथा विकसित जिलो मे पाँच वर्षों तक बिक्री कर मे छूट दी गयी थी। छूट की सीमा पिछडे जिलो मे छोटे उद्योगों के लिए स्थायी परिसम्पत्ति का सौ प्रतिशत तथा बडे उद्योगो के लिए 90% तक की गयी थी। विकसित जिलों के लिए ये क्रमश 85% व 75% तक थीं। पायनियरिग व 'प्रेस्टीजियस उद्योगो के लिए 2 अतिरिक्त वर्षों की बिक्री कर की छूट दी गयी थी। 10 लाख रुपयो से अधिक विनियोजन वाले उद्योगो को कर मुक्ति की बजाय कर-आस्थगन (Tax deferment) की सुविधा भी दी गयी थी जिसके लिए सम्बन्धित इकाई अपना विकल्प दे सकती थी। जनवरी 1991 की नई औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास के लिए बिक्री कर की छूटो व रियायतो को जारी रखा गया है। इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगो को बिक्री कर के सम्बन्ध मे विशेष सुविधाएँ दी गयी है।

86 1993 94 के अत तक राजस्थान के बजट मे अपूरित घाटे की राशि कितनी रखी गयी है ? इसको पूरा करने के क्या उपाय है ?

उत्तर 1993 94 के बजट मे समग्र घाटा 162 4 करोड रुपये दिखाया गया है जबकि 1992 93 के सशोधित अनुमानों मे 57 करोड रुपये की बचत रही थी। यह घाटा कुछ सीमा तक आने वाले वर्ष के दौरान करों की बेहतर वसूली केन्द्र से अधिक प्राप्तियो गैर आवश्यक व अनुत्पादक खर्च

मे कमी, आदि से पूरा किया जायेगा। वित्तीय अनुशासन को अधिक प्रभावी व सुदृढ किया जायेगा तथा सरकारी व्यय पर कडा नियन्त्रण रखा जायेगा। लेकिन यह कार्य काफी कठिन प्रतीत होता है। राज्य की वित्तीय दशा सतोषजनक नहीं है। राज्य मे राष्ट्रपति शासन के कारण 1993 94 का बजट मार्च 1993 मे ससद मे प्रस्तुत किया गया था ताकि छ महीनों के सरकारी व्यय की स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

87 गजस्थान राज्य के स्वय के प्रमुख करो के नाम लिखिए। इनमे सर्वाधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होता है।

उत्तर- बिक्री कर, भू राजस्व राजकीय आबकारी शुल्क, स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन, वाहनो पर कर तथा मनोरजन कर। बिक्री कर से सर्वाधिक आय होती है जो 1993-94 के बजट-अनुमानो मे राज्य के कुल कर-राजस्व (tax revenue) का 34% आकी गयी है। (बिक्री-कर से राजस्व 1039 करोड रुपये जो कुल कर राजस्व 3086 करोड रुपये का लगभग 34% है)। कुल कर-राजस्व मे राज्य के स्वय के कर-राजस्व के अलावा केन्द्रीय करो का अश भी शामिल होता है (आयकर व सघीय उत्पादन-शुल्क का अश)।

88 राजस्थान के फेक्ट्री-क्षेत्र मे प्रमुख औद्योगिक वस्तुएँ कौन-कौन सी उत्पादित होती है।

उत्तर- सीमेंट, चीनी, यूरिया, सुपर फास्फेट, बाल बियरिंग, विद्युत मोटर, नमक, पोलियेस्टर धागा आदि।

89 आठवीं योजना का सशोधित कार्यकाल क्या रखा गया है।

(अ) 1990 95 (ब) 1992-97

(स) अभी निश्चित नहीं

उत्तर- (ब)

90 राजस्थान मे कुछ नये इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगो के नाम व स्थान बताइये।

उत्तर- (i) कीन्जल इण्डियन सामे लि., भिवाडी (Kienzle Indian Samay Ltd , Bhiwadi), यहाँ क्वॉर्टज क्लॉक टाइमिंग मूवमेंट का उत्पादन किया जाता है।

(ii) राजस्थान टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि भिवाडी मे इलेक्ट्रोनिक्स पुश बटन व टेलीफोन उपकरणो का निर्माण किया जाता है।

(iii) एलाइड इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड मैग्नेटिक्स लि., उदयपुर में विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स गैजेटो मे याददाश्त का काम करने हेतु 'फ्लोपी डिस्केट्स'

बनाये जाते हैं।

(iv) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि, जयपुर, विद्युत मिल्क टेस्टर (दूध विश्लेषक यंत्र) (रीको के सहयोग से)।

(v) इण्डिया इलेक्ट्रोनिक्स लि., भिवाड़ी-कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स (Resistors)।

(vi) सेमटल (Samtel) इण्डिया लि, भिवाडी- यह ब्लेक एण्ड व्हाइट टी वी पिक्चर ट्यूब कम्पोनेन्ट बनाती है।

(vii) टेली ट्यूब इलेक्ट्रोनिक्स लि भिवाडी- यह भी ब्लेक एण्ड व्हाइट टी वी ट्यूब्स (कपोनेन्ट) बनाती है।

(viii) पुन्सुमी इण्डिया लि., भिवाड़ी- यह एक एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोनिक्स केपेसीटर्स बनाती है।

91 'औद्योगिक अभियानों' के आयोजनों से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर- राजस्थान में रीको, राजस्थान वित्त निगम व उद्योग निदेशालय के तत्वावधान मे देश के अन्य भागो में जाकर उद्योगपतियों को राजस्थान से आकर उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इन औद्योगिक अभियानों में सरकारी प्रतिनिधियों व उद्यमकर्ताओं की आमने-सामने बातचीत होती है और विभिन्न शंकाओं व आशंकाओं का समाधान किया जाता है। ऐसे औद्योगिक अभियान पिछले वर्षों मे बम्बई, कलकत्ता, गुवाहाटी व शिलोंग आदि में चलाये गये हैं। इनके माध्यम से सरकार नये उद्यमकर्ताओं से सम्पर्क करती है और अभियान के दौरान उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक समझौते करने का प्रयास करती है।

92 आर्थिक क्षेत्र मे उदारता की नीति से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर- भारत सरकार ने पिछले कई वर्षों से आर्थिक क्षेत्र मे उदारता की नीति अपनायी है। इसके अन्तर्गत अनावश्यक आर्थिक नियन्त्रणो को धीरे धीरे समाप्त किया जाता है तथा अर्थव्यवस्था में आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढाया जाता है। जुलाई 1991 मे सरकार ने रुपये का लगभग 18 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया था तथा व्यापार-नीति को अधिक सरल व उदार बनाया था। नई औद्योगिक नीति मे (MRTP) कम्पनियो के लिए परिसम्पत्ति की सीमा हटा दी गई तथा विदेशी कम्पनियो को 51% तक इक्विटी की स्वत इजाजत दी गयी। सरकार फिस्कल घाटे को कम करने का प्रयास कर रही है।

93 क्या राजस्थान में पचवर्षीय योजना के वर्तमान स्वरूप को समाप्त करके केवल अकाल निवारण हेतु एक पचवर्षीय कार्यक्रम या योजना को कार्यान्वित करना अधिक श्रेयस्कर होगा ?

उत्तर- केन्द्रीय नियोजन की पद्धति के अन्तर्गत राज्य स्तर पर भी योजना के वर्तमान स्वरूप को ही जारी रखना लाभप्रद होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा सुदृढ विकल्प प्रतीत नहीं होता। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था का सन्तुलित व शीघ्र विकास करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन राज्य के आर्थिक विकास कार्यक्रम को इस तरह ढाला जाना चाहिए कि यह अकाल व सूखे से हमें यथासम्भव अधिकाधिक राहत दिला सके।

94 राजस्थान मे प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मे सडको की लम्बाई बताइए।

उत्तर- (1991 92 मे 17 51 किलोमीटर)

95 राजस्थान मे 1989 90 मे प्रति व्यक्ति पावर का वार्षिक उपभोग बताइए।

उत्तर (183 किलोवाट घंटे प्रतिवर्ष) (भारत का औसत 234 किलोवाट घंटे प्रति वर्ष)

96 राजस्थान मे जिलो तहसीलो पचायत समितियो ग्राम पचायतो व गाँवों की संख्या बताइए।

उत्तर- (जिले = 30 (तीन नये जिलों दौसा, राजसमन्द व बारा को मिलाने पर) 1991 मे तहसीले = 213 पंचायत समितियाँ = 237 ग्राम पचायते = 7358 कुल गाँव = 39 810) (इसमें बसे हुए गाँव 37 890 थे) ।

97 नवे वित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट (1990-95) की सिफारिशों के अनुसार कुल केन्द्रीय हस्तान्तरणो मे राजस्थान का अश कितना रहा है ?

(अ) 8% (ब) 6 15%

(स) 6% (द) 7%

उत्तर- (ब)

98 1990-95 के लिए नवे वित्त आयोग के अनुसार राजस्थान का कुल-अन्तरण कितने करोड रुपये रहा तथा उसका मदवार वितरण दीजिए ।

उत्तर कुल अतरण लगभग 6525 करोड रुपये, वार्षिक 1300 करोड रुपये कुल अतरित राशि का वितरण मदवार इस प्रकार है

(1990-95)	(करोड रुपये में)
(i) आयकर मे अश	1012
(ii) मूल उत्पाद शुल्क मे अश	3064
(iii) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	504

(iv) रेल यात्री किराये पर कर की एवज मे अनुदान	34
(v) योजना भिन्न रेवेन्यू की पूर्ति के लिए	486
(vi) योजना मे रेवेन्यू-घाटे के अश के बतौर	960
(vii) राहत-व्यय के लिए अनुदान	465
	कुल 6525

99 नवे वित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय सरकार की कुल राजस्व आय या प्राप्तियो का कितना प्रतिशत राज्यो को अन्तरित किया गया है।

(अ) 25% (ब) 22 74% (स) 27% (द) 28%

उत्तर- (ब)

100 स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- यह अनुसूचित जाति के लिए बनायी जाती है ताकि ये लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें, परिसम्पत्ति के स्वामित्व मे हिस्सा प्राप्त कर सकें एव इनको रोजगार व आमदनी प्राप्त करने का बेहतर अवसर मिल सके।

इसमे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओ, सडकों के निर्माण आदि पर जोर दिया जाता है तथा महत्तरों की पुनर्स्थापना पर बल दिया जाता है। पिछले वर्षों मे कुल योजना के परिव्यय का 17% स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान पर व्यय किया गया है जो जनसख्या में इनके अनुपात (17%) के अनुरूप रहा है।

101 इनका विस्तार कीजिए।

(i) IFFCO (ii) KRIBHCO (iii) NAFED (iv) GAIL (v) REDA

उत्तर- (i) Indian Farmers' Fertiliser Cooperative Ltd

(ii) Krishak Bharti Cooperative Ltd

(iii) National Agricultural Cooperative Marketing Federation

(iv) Gas Authority of India Ltd

(v) Rajasthan Energy Development Agency

102 1991-92 में राजस्थान में तिलहन का उत्पादन कितना हुआ ?

(अ) 25 लाख टन (ब) 27 लाख टन

(स) 20 लाख टन (द) 22 लाख टन

उत्तर- (ब)

103 राजस्थान की सिद्धमुख सिचाई परियोजना का परिचय दीजिए ?

उत्तर योजना आयोग ने 11 जुलाई 1990 को 113 करोड रुपये की इस सिचाई योजना को स्वीकृति प्रदान की थी। यह आठवीं योजना (1992 97) मे क्रियान्वित की जायेगी। इसके अन्तर्गत हरियाणा व राजस्थान मे नहर प्रणाली का निर्माण किया जायेगा, जिससे श्री गगानगर जिले मे भादरा व नोहर तहसीलो मे कुल 33620 हैक्टेयर मे सिचाई की जा सकेगी।

104 कृषिगत व सहायक पदार्थों के निर्यात मे कौन सी वस्तुएँ आती हैं ?

उत्तर चाय, काफी चावल, कपास तम्बाकू (अनिर्मित व विनिर्मित) काजू, मसाले, खली फल सब्जी फलो का रस, सामुद्रिक पदार्थ मास व मास से बनी वस्तुएँ तथा चीनी।

105 1991 92 मे भारत के कुल निर्यातो मे कृषिगत निर्यातो का अश कितना था ?

(अ) 40% (ब) 30%

(स) 18 7% (द) 20%

उत्तर (स)

106 भारत के छ निर्यात प्रोसेसिग क्षेत्रों के नाम लिखिए ?

उत्तर (i) कादला मुक्त व्यापार क्षेत्र

(ii) सान्ताक्रूज इलेक्ट्रोनिक्स निर्यात क्षेत्र

(iii) मद्रास निर्यात प्रोसेसिग क्षेत्र

(iv) नोइडा (NOIDA) (New Okhla Industries Development Area)

(v) फाल्टा

(vi) कोचीन

107 विस्तार कीजिए।

(i) TRIPS (ii) TRIMS

उत्तर- (i) Trade related Intellectual Property Rights

(ii) Trade related Investment Measures

108 गन्धेली साहबा योजना क्या है ?

उत्तर यह श्री गगानगर, चुरू व झुन्झुनूं जिलें के 354 ग्रामों को इन्दिरा गाँधी नहर से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। इसमे नये ग्राम शामिल करने का विचार है। इसके लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है।

109. 'राजस्थान विकास कोष' का उद्देश्य बताइए।

उत्तर- यह प्रवासी राजस्थानियों से प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग लेने के लिए बनाया गया है। इसमें सरकार अपनी तरफ से 50 लाख रुपये का प्रारम्भिक योगदान देगी। इस कोष का उपयोग राज्य में पेयजल, पशु-संरक्षण, शिक्षा व सामुदायिक सुविधाओं के विकास, आदि में किया जायेगा।

110 यमुना नदी का जल राजस्थान को मिलने से किन पांच जिलों की पेयजल समस्या का स्थाई हल सम्भव है ?

उत्तर- भरतपुर, धौलपुर, अलवर, झुन्झुनूं और चुरू जिले।

111 राजस्थान में बारह मास बहने वाली नदियों के नाम बताइए।

उत्तर- चम्बल व माही के अलावा कोई नदी बारह मास नहीं बहती।

112 हथिनी कुण्ड बाँध किस राज्य में है ?

(अ) पंजाब (ब) हिमाचल प्रदेश (स) हरियाणा

उत्तर- (स)

113 रेणुका बाँध किस राज्य में है ?

(अ) हरियाणा (ब) पंजाब (स) हिमाचल प्रदेश

उत्तर- (स)

114 निम्न में से कौन-सा बाँध दिल्ली की पेयजल समस्या का समाधान कर पायेगा ?

(अ) हथिनी कुण्ड बाँध (ब) रेणुका बाँध (स) दोनों

उत्तर- (ब)

115 नाथपा-झाकड़ी परियोजना का परिचय दीजिए।

उत्तर- 1500 मेगावाट क्षमता वाली नाथपा-झाकडी जल-विद्युत-परियोजना हिमाचल प्रदेश में नाथपा-झाकडी ऊर्जा निगम द्वारा बनायी जा रही है। इसमें राजस्थान का 15 22 प्रतिशत दावा बनता है।

116 कोल परियोजना किस राज्य की है और इससे राजस्थान को क्या लाभ हो सकता है ?

उत्तर- यह हिमाचल प्रदेश सरकार की जल-विद्युत परियोजना है। 20 जून 1984 को एक समझौते के अनुसार 800 मेगावाट की नियोजित क्षमता मे से राजस्थान को 63 प्रतिशत ऊर्जा मिलनी थी और इसे 75 प्रतिशत व्यय देना था। लेकिन अब इस परियोजना का काम नाथपा-झाकडी विद्युत निगम को सौंपे जाने के बाद राजस्थान को इस परियोजना के लाभ से

वंचित कर दिया गया है जिस पर राज्य सरकार ने आपत्ति की है।

117 जैसलमेर जिले में गैस भण्डार के दो क्षेत्रों के नाम बताइए।

उत्तर- (1) मनहर टीबा क्षेत्र (2) तनोट क्षेत्र।

118 पर्यटन की दृष्टि से अलवर के कौन-से किले का विकास किया जाना चाहिए ?

उत्तर- नीलकंठ भर्तृहरि बाला किला।

119 भूटान में भारत सरकार के वित्तीय व तकनीकी सहयोग से कौन-सी पन बिजली परियोजना क्रियान्वित की गई है ?

उत्तर- 336 मेगावाट की चुखा पन बिजली परियोजना। परियोजना मे चार इकाइयाँ हैं (प्रत्येक 84 मेगावाट की) जो चालू कर दी गयी हैं। यह भूटान मे व भारतीय सीमा पर अनेक स्थानों को बिजली देती है।

120 लूनी नदी का परिचय दीजिए।

उत्तर- यह अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल से निकल कर कच्छ की खाडी मे गिरती है। यह वर्षाकालीन नदी है।

121 बनास नदी किस नदी में व कहाँ मिलती है ?

उत्तर- बनास नदी अरावली पर्वत के पूर्वी ढाल से निकलकर सवाई माधोपुर जिले में चम्बल नदी मे मिल जाती है।

122 चम्बल नदी का मार्ग बताइए।

उत्तर- इसका उद्गम मध्य प्रदेश में है, तथा यह राजस्थान मे बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पास यमुना मे मिलती है।

123 राजस्थान में नमक का उत्पादन कुल भारत के उत्पादन का कितना प्रतिशत होता है ?

उत्तर- 1990 में राजस्थान मे नमक का उत्पादन 10 55 लाख टन हुआ जबकि 1990-91 मे भारत में 126 5 लाख टन हुआ था। इस प्रकार राजस्थान का अश 8 3% रहा।

124 1990-91 मे राजस्थान मे कृषि से चालू कीमतो पर राज्य की आय ने कितना अंश रहा ?

(अ) 50% (ब) 47 1% (स) 55%

उत्तर- (ब)

125 1990-91 में राजस्थान में कृषि से स्थिर (1980-81) कीमतो पर राज्य की आय में कितना अंश रहा ?

(अ) 48 8% (ब) 52% (स) 45%

उत्तर- (अ)

126 1990-91 में राजस्थान में विनिर्माण क्षेत्र का अंश राज्य की आय में 1980-81 की कीमतो पर छाँटिए :

(अ) 10 25% (ब) 8% (स) 12%

उत्तर- (अ)

127 राजस्थान की आय (SDP) मे निम्न में से किसका अंश सबसे ऊँचा है?

(अ) वन (ब) खनन (स) निर्माण (Construction)

उत्तर- (स)

128 राजस्थान मे 1990-91 मे सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना था तथा यह भारत का कितना प्रतिशत था ?

उत्तर- 1990-91 में राजस्थान मे सकल सिंचित क्षेत्रफल = 46 52 लाख हैक्टेयर, भारत मे 708 लाख हैक्टेयर, अत, राजस्थान का अंश 6 6% रहा।

129 1991-92 मे राजस्थान मे तिलहन का उत्पादन कितना हुआ और यह भारत के उत्पादन का कितना प्रतिशत था ?

उत्तर- 27 लाख टन (राजस्थान), भारत में उत्पादन = 186 लाख टन। अत: राजस्थान का अंश = 14 5%

130 बिक्री-मूल्य की दृष्टि से राजस्थान में निम्न मे से किस खनिज पदार्थ का सर्वोच्च स्थान है ?

(अ) ताम्बा (ब) जस्ता (स) मार्बल

उत्तर- (ब)

131 1990-91 में राजस्थान में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना था ?

उत्तर- 39 लाख हैक्टेयर।

132 राजस्थान में 1991-92 में 6-11 वर्ष की आयु मे स्कूल जाने वाले बच्चो का अनुपात छाँटिये।

(अ) 91 3% (ब) 92% (स) 75%

उत्तर- (अ)

133 'लोक-जुम्बिश' का अर्थ समझाइये ।

उत्तर- लोक-जुम्बिश' का अर्थ है लोक-आकर्षण या ताकत। यह शिक्षा की एक व्यापक स्कीम है जिसमें स्वीडन के सहयोग से राजस्थान में साक्षरता के प्रचार-प्रसार पर बल दिया जायेगा। इस महती योजना के अन्तर्गत आगामी दस वर्षो मे लगभग 600 करोड़ रुपये व्यय होगे। इससे प्रारम्भिक

शिक्षा, अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति, शाला भवनों का निर्माण व अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र खोले जायेंगे।

134 राजस्थान मे पूर्ण साक्षरता के लिये 1990 91 मे किस जिले को चुना गया था ?

(अ) अलवर (ब) अजमेर (स) जयपुर (द) सभी

उत्तर- (ब)

135 1991 92 मे सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के तहत चयनित जिले बताइये।

उत्तर- भरतपुर, सीकर व डूँगरपुर।

136 राजस्थान मे हाल मे तेल के विशाल भण्डार कहाँ व कितनी मात्रा वाले मिले है ?

उत्तर- अप्रैल 1992 मे बीकानेर के निकट बाघेवाला क्षेत्र मे तेल के करीब साढे तीन करोड टन के भण्डार मिले है ।

137 राजस्थान की आठवीं पचवर्षीय योजना (1992 97) मे सार्वजनिक परिव्यय का आकार कितना रखा गया है ?

(अ) 10 800 करोड रुपये (ब) 10,451 करोड रुपये

(स) 11,500 करोड रुपये (द) 9560 करोड रुपये

उत्तर- (स)

138 राजस्थान मे पर्यावरण समस्या में सबसे ज्यादा गम्भीर समस्या क्या है ?

(अ) जल-प्रदूषण (ब) वायु प्रदूषण

(स) जल का अभाव (द) वनो का ह्रास

(ए) मिट्टी का कटाव

उत्तर- (स)

139 राजस्थान मे किन स्थानो पर राज्यस्तरीय पशु मेले आयोजित किये जाते हैं ?

उत्तर- (i) श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाडा (बाड़मेर)

(ii) बल्देव मेला, मेडता सिटी (नागौर)

(iii) वीर तेजाजी मेला परबतसर (नागौर)

(iv) रामदेव मेला नागौर

(v) गोमती सावर मेला, झालरापाटन (झालावाड)

(vi) गोगामेडी मेला, गोगामेडी (श्रीगगानगर)

(vii) कार्तिक मेला, पुष्कर (अजमेर)

(viii) जसवत मेला (भरतपुर)

(ix) चन्द्रभागा मेला, झालरापाटन (झालावाड़)

(x) शिवरात्रि मेला, करौली (सवाई माधोपुर)

140 विस्तार कीजिए •

(i) OECF

(ii) CAZRI

उत्तर- (i) Overseas Economic Cooperation Fund (यह जापान का कोष है जिसके तहत अन्य देशो को विकास कार्यों मे सहायता दी जाती है)

(ii) Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur

141 SIDA व CIDA क्या है ।

उत्तर- SIDA = Swedish International Development Agency

CIDA = Canadian International Development Agency

इनसे राजस्थान को विकास-कार्यों मे सहायता प्राप्त होती है।

142 ओजोन परत के क्षीण होने से कौन-सी बीमारियाँ हो सकती हैं ?

उत्तर- चर्म-केन्सर व आँखो की मोतियाबिन्द।

143 1990 91 मे प्रचलित कीमतों पर किस राज्य की प्रति-व्यक्ति आय सर्वाधिक थी ?

उत्तर- पजाब की 8281 रुपये, दूसरा स्थान गोआ का 7634 रुपये।

144 1990-91 मे भारत में प्राथमिक क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में 1980 81 की कीमतो पर कितना योगदान रहा ?

उत्तर- 33 5% (लगभग 1/3)

145 1950-51 मे यह कितना था ?

उत्तर- 56 5%

146 द्वितीय कृषि क्रान्ति से क्या आशय है ?

उत्तर- यह वर्षाश्रित क्षेत्रो मे होगी जहाँ सूखी खेती की विधियों को अपनाकर उत्पादन बढाया जायेगा। इसके लिये जलग्रहण विकास कार्यक्रम व सिचाई के लिये फव्वारा-विधि व ड्रिप विधि का उपयोग किया जायेगा। यह देश के पूर्वी भागो मे भी अपनायी जायेगी। इसके द्वारा दालो व तिलहन का उत्पादन बढेगा।

147 राजस्थान में सबसे ज्यादा विकास की सम्भावना किस प्रकार के उद्योगों की मानी गयी है ?

(अ) कृषि-आधारित (ब) वन-आधारित

(स) इलेक्ट्रोनिक्स (द) खनिज-आधारित

उत्तर- (द)

148 व्यापक कृषि विकास कार्यक्रम में किन फसलो की पैदावार बढाने पर जोर दिया गया है ?

उत्तर सोयाबीन तुम्बा मेहंदी इसबगोल व फलोत्पादन।

149 राजस्थान की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये चार ठोस उपाय सुझाइए।

उत्तर (i) राज्य को स्पेशल श्रेणी के राज्यो मे शामिल कर लिया जाये जिससे अनुदानो का अश 90% व कर्ज का अश 10% हो जायेगा

(ii) सम्पूर्ण अकाल सहायता अनुदानो के रूप मे दी जाय,

(iii) राजकीय उपक्रमो से लाभ अर्जित किये जाये निरन्तर घाटा देने वाली इकाइयो को सुधारा जाये (इन्हे निजी क्षेत्र को दिया जा सकता है अथवा श्रमिको के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करके इन्हे बद किया जा सकता है)।

(iv) राज्य सरकार अनुत्पादक व व्यर्थ खर्च मे कटौती करे।

150 1991 92 मे चार नये कालेज कहाँ कहाँ खोले गये है ?

उत्तर बालोतरा बयाना सलुम्बर, व भवानी मडी।

151 राजस्थान मे प्रति कृषक शुद्ध कृषित क्षेत्रफल 1988 89 मे कितना रहा?

उत्तर 2 42 हैक्टेयर।

152 राजस्थान मे 1985 86 मे जोतो का औसत आकार क्या था ?

उत्तर 4 34 हैक्टेयर।

153 राजस्थान मे 1985 86 मे सीमात जोते कितनी थी ?

उत्तर 13 58 लाख (एक हैक्टेयर तक)।

154 1985 86 मे राजस्थान में कुल कार्यशील जोते कितनी थीं ?

उत्तर- 17 43 लाख (सशोधित)।

155 राजस्थान मे 1990 91 म सकल सिंचित क्षेत्र कितना रहा तथा उसमे सर्वोपरि स्रोत कौन सा रहा ?

उत्तर- 46 52 लाख हैक्टेयर (सकल सिंचित क्षेत्र) कुओ (नल कूपो सहित) = 26 6 लाख हैक्टेयर ।

156 राजस्थान में 1991 92 मे उर्वरकों का कुल वितरण कितना रहा ?
उत्तर 4 41 लाख टन।
157 राजस्थान में 1991 92 मे अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजो का वितरण कितना हुआ ?
उत्तर- लगभग 1 44 लाख क्विंटल।
158 वर्ष 1990-91मे राज्य के 39 राजकीय उपक्रमो (सहकारी उपक्रमो सहित) को कुल घाटा कितना हुआ ?
(अ) 100 करोड रुपये (ब) 89 करोड रुपये
(स) 81 करोड रुपये (द) 150 करोड रुपये
उत्तर- (ब)
159 राजस्थान के राजकीय उपक्रमो को सातवीं योजना की अवधि मे (1985 90) में कुल घाटा कितना हुआ ?
उत्तर 395 करोड रुपये
160 अलवर को पर्वतमाला के नाम पर, सवाई माधोपुर को बाघ अभयारण्य के नाम पर, धौलपुर को मगरमच्छो के नाम पर तथा भरतपुर को पक्षी विहार के नाम पर केन्द्र अपने अधिकार मे क्यों लेना चाहता है ?
उत्तर पर्यावरण सतुलन के लिए।
161 मानसी वाकल योजना के निर्माण मे किनका कितना कितना हिस्सा होगा?
उत्तर 30% योगदान हिन्दुस्तान जिक लि का तथा शेष राजस्थान सरकार का। प्रथम चरण मे 50 करोड रुपये के व्यय का अनुमान है।
162 राजस्थान को पजाब की किन किन जल विद्युत परियोजनाओ मे हिस्सा मिलना चाहिए जिनमे बिजली का उत्पादन होने लग गया है ?
उत्तर आनदपुर साहिब परियोजना मुकेरिया परियोजना तथा यू बी डी सी चरण II मे । ये बन चुकी है तथा इनमे बिजली का उत्पादन होने लगा है।
163 इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र मे वन विकास कार्य किसके सहयोग से चल रहा है ?
उत्तर जापान के 107 करोड रुपये के वित्तीय सहयोग से । जापान के ओवरसीज इकोनोमिक कापरेशन फण्ड (O E C F) मे यह राशि प्रदान की जायगी।
164 जनसख्या नियत्रण के लिए राजस्थान सरकार की ओर से शुरू किये गये दो कार्यक्रमो का उल्लेख कीजिए।
उत्तर- (1) दो से अधिक बच्चो वालो पर पच या सरपच के चुनाव लडने पर रोक (निर्वाचन के एक साल आगे की अवधि मे तीसरा बच्चा होने पर)

(ii) दो बच्चो के बाद नसबदी कराने वालों को लडकी के नाम एक हजार रुपये का बाड खरीदकर देने की राजलक्ष्मी योजना का शुभारम्भ किया गया है।

165 पार्वती जल विद्युत परियोजना का परिचय दीजिए ।

उत्तर- यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लु-मनाली क्षेत्र में (कुल्लु के निकट) 4 हजार करोड रुपये के व्यय से 7 वर्षों में तीन चरणो में पूरी की जायगी। कुल क्षमता = 2051 मेगावाट।

इसमें विभिन्न राज्यो का हिस्सा इस प्रकार होगा -

	(प्रतिशत में)
(1) हिमाचल प्रदेश	5
(2) राजस्थान	40
(3) गुजरात	15
(4) सघीय प्रदेश दिल्ली	15
(5) हरियाणा	25
	कुल 100

166 राज्य के 1993 94 के बजट-अनुमानो मे राजस्व घाटा कितना दर्शाया गया है?

(अ) 100 करोड रुपये

(ब) लगभग 200 करोड रुपये

(स) 47 करोड रुपये

(द) कोई नहीं

उत्तर- (ब)

167 राजस्थान सरकार की गैर कर राजस्व की मदो मे सर्वाधिक राजस्व किस मद से होता है ?

उत्तर- ब्याज की प्राप्तियाँ, लाभाश व मुनाफे ।

1993 94 के बजट मे 938 करोड रुपये कुल गैर कर राजस्व मे अनुमानित हैं इनमे से 427 करोड रुपये की राजस्व अकेले उपयुक्त मद के अन्तर्गत रखी गया है। इसमे भी ब्याज से प्राप्त राशियाँ 424 7 करोड रुपये है और शेष 2 6 करोड रुपये लाभाश व मुनाफे मे हैं जो बहुत कम है।

168 राजस्थान को 1992 93 के सशोधित अनुमानों मे सघीय उत्पादन-शुल्क म से कितना हिस्सा प्राप्त हुआ ?

उत्तर- लगभग 780 करोड़ रुपये।

169 राजस्थान में हाल के वर्षों में राजस्व-व्यय के अन्तर्गत ब्याज के भुगतानों की वार्षिक राशि बतलाइए।

उत्तर- 1992-93 के संशोधित अनुमानों में 743 करोड़ रुपये, 1993-94 के बजट अनुमानों मे 895 करोड़ रुपये, इसमें बाजार ऋणो, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों, प्रोविडेण्ट फण्ड की जमाओं व अन्य जमाओं पर दिये गये ब्याज की राशियाँ दर्शायी जाती हैं।

1993-94 में इतनी अधिक वृद्धि का कारण अधिक कर्ज लेना व अधिक जमाओ पर ब्याज की अदायगी का भार है।

170 राजस्थान में वर्तमान प्रशासनिक सेवाओं पर वार्षिक व्यय की राशि इंगित करिए। इसमें क्या-क्या शामिल किया जाता है ?

उत्तर- 1992-93 के सशोधित अनुमानो में 406 करोड़ रुपये, 1993-94 के बजट अनुमानो मे 436 करोड रुपये।

इसमें लोक सेवा आयोग (PSC), सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, जिला प्रशासन, ट्रेजरी, पुलिस, जेल, स्टेशनरी, व छपाई, पब्लिक वर्क्स व अन्य खर्चे शामिल होते हैं।

171 राजस्थान में शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर वार्षिक-व्यय की राशि सूचित करिए।

उत्तर- 1992-93 के सशोधित अनुमानों के अनुसार 1024 3 करोड़ रुपये। यह व्यय सामाजिक सेवाओ के अन्तर्गत दर्शाया जाता है।

172 1992-93 के सशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्थान का प्रशासनिक सेवाओ पर राजस्व व्यय कुल कर-राजस्व (Tax revenve) का कितना अंश रहा ?

उत्तर- प्रशासनिक सेवाओ पर राजस्व-व्यय = 406 करोड़ रुपये

कुल कर-राजस्व = 2799 करोड रुपये

प्रशासनिक सेवाओ पर राजस्व-व्यय कुल कर-राजस्व का अश = 14.5%

173 1992 93 के सशोधित अनुमानों के अनुसार ब्याज के भुगतान की राशि कुल कर-राजस्व का कितना अनुपात रही ?

उत्तर- ब्याज के भुगतान = 743 करोड रुपये

कुल कर-राजस्व = 2799 करोड रुपये

अनुपात = 26 5% (1/4 से कुछ अधिक)

174 राजस्थान मे 1991 मे साक्षरता दर क्या रही ?
(अ) 55% (ब) 38 55% (स) 40% (द) 28%

उत्तर- (ब)

175 राजस्थान मे प्रति हैक्टेयर कृषित क्षेत्र पर उर्वरको का उपभोग 1990 91 मे कितना रहा ?

उत्तर- 19 57 किलो प्रति हैक्टेयर।

176 राजस्थान मे 1981 91 की अवधि मे जनसख्या की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (exponential growth rate) कितनी रही ?

उत्तर- 2 50 प्रतिशत

177 1991 के लिए राजस्थान मे कुल जनसख्या मे कुल श्रमिकों (total workers) का अनुपात अर्थात् काम मे भाग लेने की दर लिखिए
(i) सभी व्यक्तियो मे (ii) पुरुषो मे, (iii) स्त्रियो मे

उत्तर- (i) 38 9% अथवा 39%
(ii) 49 3%
(iii) 27 4%
इस प्रकार दो मे से एक पुरुष काम मे भाग लेता है और लगभग चार मे से एक स्त्री काम मे भाग लेती है।

178 1991 मे राजस्थान मे 0 6 वर्ष की आयु मे बच्चो का अनुपात कुल जनसख्या मे कितना प्रतिशत रहा ?
(अ) 10 (ब) 20 (स) 25 (द) 15

उत्तर- (ब)

179 मार्च 1990 तक राजस्थान मे विद्युतीकृत गाँवो का कुल गाँवो से कितना प्रतिशत था ?

उत्तर- 74 9 अथवा लगभग 75
(चार मे से तीन गाँवो मे बिजली दी जा चुकी थी)

180 1991 मे राजस्थान मे प्रति हजार शिशु मृत्यु दर कितनी रही ?
(अ) 80 (ब) 78 (स) 77 (द) 110

उत्तर (स)
(स्रोत Economic Survey 1992 93 p 198)

181(अ)1987 88 मे योजना आयोग के अनुसार राजस्थान मे निर्धनता अनुपात (poverty ratio) कितना था ?
(अ) 20% (ब) 28% (स) 18% (द) 24 4%

उत्तर- (द)

181(ब)1 जनवरी 1991 को राजस्थान मे प्रति अस्पताल बिस्तर पर जनसख्या कितनी पायी गयी ?

उत्तर- 2000

182 1989 90 की अवधि मे कुल भारत के खाद्यान्नो के उत्पादन मे राजस्थान का अश कितना था ?

(अ) 5% (ब) 5 2% (स) 8% (द) 3%

उत्तर (अ)

183 1992 मे प्रति लाख जनसख्या पर अस्पताल बिस्तर कितने थे ?

उत्तर 75

184 राजस्थान मे सामान्य थोक मूल्य सूचकाको का आधार वर्ष क्या है ?

(अ) 1981 82 (ब) 1970 71 (स) 1952 53 (द) 1982

उत्तर (स)

185 1991 92 के लिए राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय चालू भावो पर तथा 1980 81 के भावो पर लिखिए।

उत्तर चालू भावो पर 4361 रुपये 1980-81 के भावो पर 1717 रुपये।

186 राजस्थान मे औद्योगिक क्षेत्रो का निर्माण कार्य रख रखाव, आदि कौन सा निगम या सगठन देखता है ?

(अ) रीको (ब) आर एफ सी

(स) राजसीको (द) उद्योग निदेशालय

(ए) सभी

उत्तर (अ)

187 राजस्थान मे सबसे ज्यादा लागत वाले बहुराष्ट्रीय कम्पनी के प्रोजेक्ट की राशि नाम, स्थान आदि लिखिए।

उत्तर 500 करोड रुपये की प्रोजेक्ट लागत से सेम्कोर ग्लास लि (अमेरिका की कोर्निंग क के सहयोग से) टी वी पिक्चर ट्यूब्स के लिए ग्लास शेल, कोटा मे स्थापित।

188 1993 के प्रारम्भ मे राजस्थान मे प्रस्तावित सीमेट के बडे कारखाने का परिचय दीजिए।

उत्तर- डी एल एफ सीमेट लि द्वारा पली जिले मे पाटन केरपुरा व दयालपुरा गाँवो के समीप 410 करोड रुपये की लागत से पोर्टलैण्ड सीमेट का कारखाना स्थापित किया जायगा।

189 सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है तथा इसके विकास की सम्भावनाएँ लिखिए।

उत्तर सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र सागानेर हवाई अड्डे के समीप है। यह गोनेर रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर है। दुर्गापुरा- बम्बई बडी रेल लाइन खुल जाने से इसका महत्व बढ गया है। यहाँ गारमेंट, इलेक्ट्रोनिक्स, जेम्स व ज्यूलरी तथा दस्तकारियो के लिए पृथक-पृथक क्षेत्र स्थापित किये जा सकते ह। इसके विकसित होने से जयपुर पर आवासीय भार भी कम किया जा सकेगा। इसे जयपुर के सहायक नगर के रूप में विकसित किया जा सकता है।

190 1992 93 मे रीको की प्रमुख उपलब्धि क्या रही है ?

उत्तर 3050 करोड रुपये के विनियोग वाले 79 प्रोजेक्टो से 'टाइ-अप' किया गया है जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि है।

191 मार्च 1990 के अत मे राजस्थान मे समस्याग्रस्त गाँवो (Problem Villages) की सख्या कितनी रह गई थी ?

उत्तर 2443

इसमे सर्वाधिक सख्या 460 चित्तोडगढ जिले मे पायी गयी थी।

192 1961 90 की अवधि मे राजस्थान मे 1980 81 के मूल्यो पर विकास की दर कितनी रही ?

(अ) 3 99% (ब) 5%

(स) 3 50% (द) 2 2%

उत्तर (अ)

193(अ)उपरोक्त अवधि मे राज्य मे स्थिर भावो पर प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि-दर क्या रही ?

(अ) 2% (ब) 1 22% (स) 3% (द) 1%

उत्तर- (ब)

193(ब)राजस्थान मे जल साधन समस्त भारत के जल-साधनो का कितना प्रतिशत अश है ?

(अ) 0 5% (ब) 1% (स) 2% (द) 5% (ए) अनिश्चित

उत्तर- (ब)

194 राजस्थान की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित आकड़ो के प्रमुख चार स्रोत बताइए।

उत्तर (i) Statistical Abstract of Rajasthan, DES, Jaipur (Annual) 1989 (latest)

(ii) Rajasthan Budget study

(Annual) (प्रतिवर्ष बजट के समय DES, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है)

(iii) **Draft Annual Plan**

1993-94 (latest) (Planning Department, Govt. of Raj.)

(iv) **Some Facts About Rajasthan**

1992 (DES, Jaipur) (Annual publication, pocket-size)

195 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (RSEB) को सर्वाधिक घाटा किस वर्ष व कितना हुआ ?

उत्तर- 1989 90 मे 168 60 करोड रुपये का घाटा हुआ जो सर्वाधिक था।

196 गगा एक्शन प्लान के चरण II मे किन नदियो के प्रदूषण को दूर करने का कार्यक्रम है ?

उत्तर- यमुना व गोमती।

197 राजस्थान के आर्थिक विकास मे सर्वाधिक बाधक तत्त्व कौन-सा है ?

(अ) जनसख्या की तीव्र वृद्धि

(ब) जल का नितात अभाव

(स) बिजली की कमी

(द) सडकों की दुर्दशा

(ए) सभी

उत्तर- (ब)

198 राजस्थान के आर्थिक विकास मे किसके योगदान का महत्त्व माना जायेगा?

(अ) सूखी खेती की विधियो का अपनाया जाना,

(ब) खनन विकास

(स) पर्यटन विकास

(द) सभी का

उत्तर- (द)

199 राजस्थान मे किस प्रकार के उद्योगों का भविष्य सबसे ज्यादा उज्जवल माना जायगा ?

(अ) कृषि-पदार्थों पर आधारित उद्योग,

(ब) खनिज-पदार्थों पर आधारित उद्योग

(स) पशु-धन पर आधारित उद्योग तथा

(द) इलोक्ट्रोनिक्स उद्योग

उत्तर- (ब)

200 केन्द्रीय थर्मल पावर स्टेशनों से सम्बद्ध प्रदेश के राज्यों में पावर के आवंटन का सूत्र लिखिए :-

उत्तर- (i) 10% पावर उन राज्यों को दी जाती है जिनमें प्रोजेक्ट लगाया जाता है, (होम-स्टेट को देने की व्यवस्था)

(ii) 75% पावर उस प्रदेश के राज्यों में (होम-स्टेट सहित) पिछले 5 वर्षों मे दी गई केन्द्रीय योजना सहायता की राशि व इन्हीं वर्षों मे उनमें की गई ऊर्जा की खपत को ध्यान में रखकर वितरित की जाती है। इन दोनो तत्वों को समान भार दिया जाता है।

(iii) 15% पावर केन्द्र अपने पास बिना-आवंटित किये (unallocated) रख लेता है ताकि वह व्यक्तिगत राज्यो की समय-समय पर उत्पन्न होने वाली शीघ्र आवश्यकता (urgent need) की पूर्ति कर सके।

जल-विद्युत का विभिन्न राज्यों के बीच वितरण उचित किस्म का होना चाहिए ताकि देश को सर्वाधिक लाभ मिल सके ।

University Of Rajasthan
B.A./B.Sc. (Part I) EXAMINATION, 1993
(10+2+3 Pattern) ECONOMICS - Second Paper
(Economy Of Rajasthan)

Attempt Five questions in all

कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1 राजस्थान की अर्थव्यवस्था की उन विशेषताओं को समझाइये जिनसे ज्ञात होता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था पिछड़ी अवस्था में है। 20(15)

2 राजस्थान के खनिज पदार्थों का वर्णन कीजिए और बताइये कि वे राज्य की औद्योगिक प्रगति में किस प्रकार महत्त्वपूर्ण हैं। 12,8(9,6)

3 राज्य घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं ? राजस्थान के राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति एवं बनावट का वर्णन कीजिये। 4,8,8(3,6 6)

4 भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं ? स्वाधीनता के पश्चात् राजस्थान में भूमि सुधार नीति का आलोचनात्मक विवेचन कीजिये। 5,15(4,11)

5 राजस्थान की अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग का स्थान निर्धारित कीजिये। राज्य सरकार द्वारा डेयरी विकास हेतु किए गये प्रयासों का वर्णन कीजिये। 8,12(6 9)

6 राजस्थान में अकाल के कारणों का विवेचन कीजिये। राज्य में इस समस्या के हल करने हेतु सरकार द्वारा किए गये प्रयासों का वर्णन कीजिये। 8,12(6,9)

7. राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं एवं रियायतों का वर्णन कीजिये। 20(15)

8 राजस्थान के आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाएँ क्या हैं ? इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है ? 12,8(9,6)

9. राजस्थान में निर्धनता को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिये। राज्य में गरीबी उन्मूलन के विशिष्ट कार्यक्रमों की समीक्षा कीजिये। 8,12(9,6)

10 किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये – 10,10(7 1/2, 7 1/2)

(i) राजस्थान में फसल प्रारूप

(ii) जवाहर रोजगार योजना,

(iii) राजस्थान में पर्यटन उद्योग,

(iv) राजस्थान में भेड़ एवं बकरी पालन की समस्याएँ।